खण्ड-443, अंक-10
गुरूवार, 14 भाद्रपद, शक संवत् 1924
(5 सितम्बर, 2002 ई0)

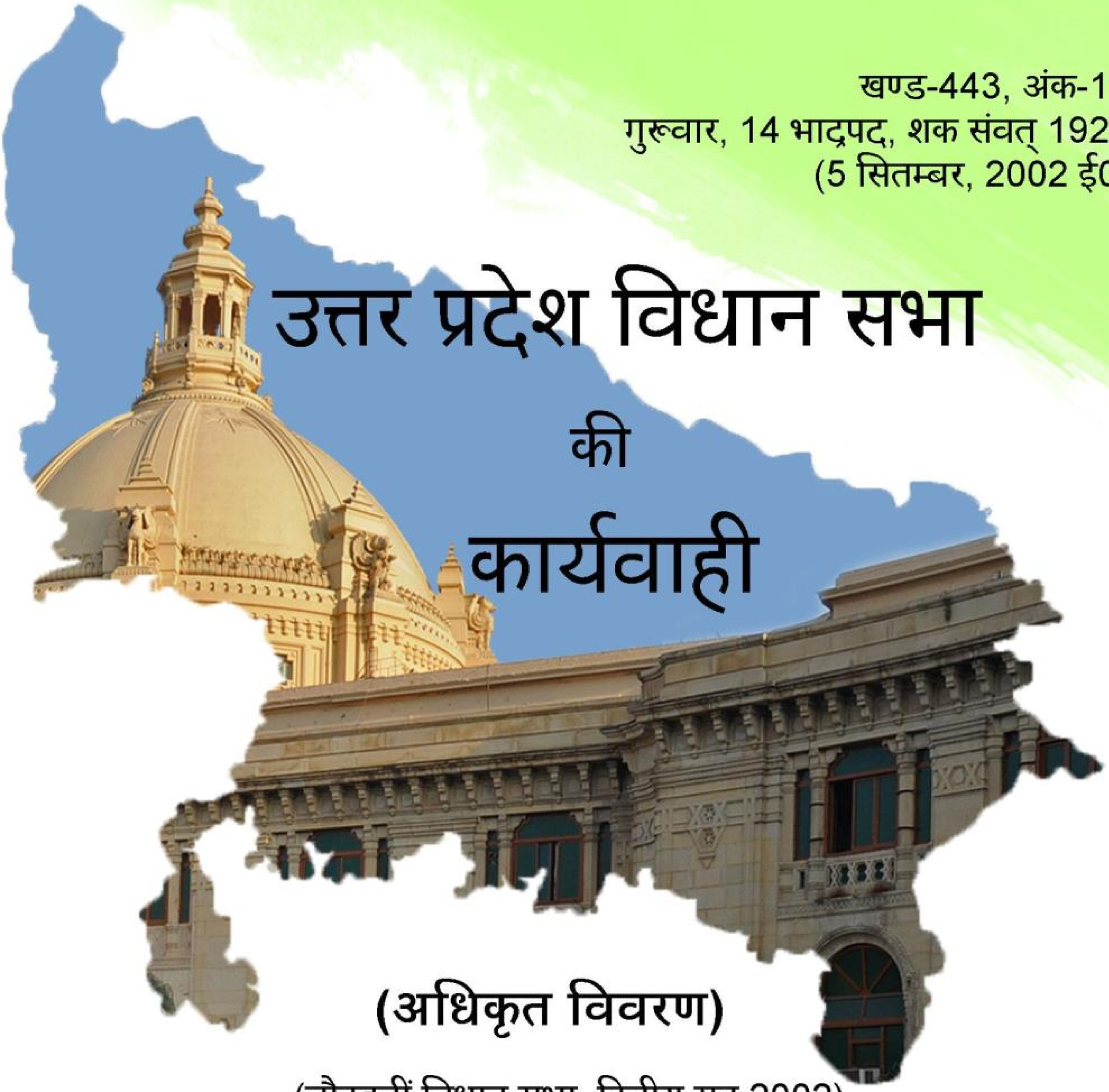

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2002)

खण्ड 443 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2002

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क
फैजाबाद में दो युवकों की हत्या विषयक नियम–311 की सूचना पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था	1
कुर्क अमीनों से सम्बन्धित शासन के ध्यान में लायी गयी सूचना पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था	1
शिक्षक दिवस पर सदन की ओर से शिक्षकों के लिये शुभकामनाएं ...	1
प्रश्नोत्तर	1-84
कार्य-सूची की नत्थी (ग) में तारांकित प्रश्न संख्या–5 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	84-85
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें	85-86
जनपद गाजीपुर में कलेक्ट्रेट बार एशोसियेशन के निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध कराने तथा निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	86
जनपद बलरामपुर के गैंसड़ी क्षेत्रान्तर्गत क्षेत्र व नगर पंचायत पचपेड़वा में विद्युत आपूर्ति के समय में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	86
जनपद गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत मठिया पोखरा से हरिकरनपुर पोखरा तक ड्रेन की खुदाई कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	87
जनपद खीरी के धौरहरा क्षेत्रान्तर्गत शारदा नदी पर शारदा नगर बन्धे से शारदापुर पर बन्धा बनाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	87
जनपद बहराइच में यू० पी० प्रोजेक्ट सिविल लाइन द्वारा बनवाये जा रहे पशु सेवा केन्द्र के घटिया निर्माण कार्य को रोककर जांच कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	87-88
जनपद चन्दौली के मिल्कीपुर लघु कैनाल को विद्युत आपूर्ति हेतु औद्योगिक नगर रामनगर को विद्युत सब स्टेशन से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	88
जनपद झांसी के थाना-मऊरानीपुर के ग्राम चितावद में दबंगों से धीवर समाज के उत्पीड़न को रोकने एवं दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	88-89
औचित्य के प्रश्न की सूचनाऐं	89
प्रदेश में मानवाधिकार आयोग गठित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	90-94
पारा कालोनी का विद्युत अनुरक्षण कार्य राजाजीपुरम् विद्युत उपकेन्द्र से कराये जाने विषयक औचित्य के प्रश्न की सूचना	94
प्रदेश में भयंकर सूखे के कारण किसानों से वसूली न किये जाने विषयक औचित्य के प्रश्न की सूचना (जारी)	95

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2002 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	95
प्रदेश में भयंकर सूखे के कारण किसानों से वसूली न किये जाने विषयक औचित्य के प्रश्न की सूचना	95-96
आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर तहसील निजामाबाद के ब्लाक-तहबरपुर के अन्तर्गत मंझारी बाजार में 33/11 के० वी० ए० विद्युत सब-स्टेशन स्थापित किये जाने विषयक श्री रामनाथ यादव आदि निवासीगण जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ..... (उपस्थित की गयी)	96
जनपद आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्र सदर ब्लाक-तहबरपुर तहसील-निजामाबाद में सौफीपुर से पंडिताइन पुरवा की पुलिया से गढ़वा तक मार्ग का निर्माण लेपनस्तर तक कराये जाने विषयक श्री गुलाब यादव आदि निवासीगण जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ..... (उपस्थित की गयी)	96
प्रदेश में दलित एक्ट का दुरुप्रयोग किये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न ...	96-97
जनपद मेरठ के शास्त्रीनगर में राजकीय डिग्री कालेज स्थापित किये जाने विषयक श्रीमती रेखा त्यागी आदि निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका .... (उपस्थित की गई)	97
जनपद रायबरेली की तहसील लालगंज के बिलग्राम उन्नाव रोड से सिमरी की पुलिया तक सड़क डामरीकरण कराये जाने विषयक श्री मुन्ना लाल गुप्ता आदि निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ...(उपस्थित की गई)	97
जनपद रायबरेली की लालगंज तहसील के सिमरी सरैनी मार्ग पर लोन नदी पर पुल निर्माण एवं भिटर गांव से सैनी मिठौली मार्ग स्थित नाले पर पुल निर्माण कराने विषयक श्री महेन्द्र प्रताप सिंह आदि निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ..... (उपस्थित की गयी)	97-98
जनपद कुशीनगर की चकदहवा ड्रेन की सफाई कराने विषयक श्री अशोक कुमार मिश्र आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ...(उपस्थित की गई)	98
जनपद कुशीनगर के ग्राम अमखॉ बुजुर्ग स्थित चक दहवा ड्रेन पर आर०सी०सी० पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अशोक कुमार मिश्र आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ...(उपस्थित की गई) ...	98
जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड तमकुही ग्राम परिबहवां व करिजहां में केसवा नाले पर पुल बनाए जाने विषयक श्री ध्रुव नारायण मिश्र आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ... (उपस्थित की गई) ...	98

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड सेवरही स्थित कचमा घाट पर पुल निर्माण कराने विषयक श्री सुरेश सिंह आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ...(उपस्थित की गई)	98
जनपद लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र के कांकराबाद में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना किये जाने विषयक श्री रामेश्वर शुक्ला आदि निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ...(उपस्थित की गई)	99
जनपद लखनऊ के माल कस्बे में 300 शैय्या का अस्पताल खोले जाने विषयक श्री राकेश चन्द्र मिश्र आदि निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ... (उपस्थित की गई)	99
जनपद मेरठ के परीक्षित गढ़ मार्ग को उच्चीकृत कराये जाने विषयक श्री सुनील कुमार गर्ग आदि निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ...(उपस्थित की गई)	99
जनपद मेरठ की तहसील मवाना के ग्राम छुछाई में बिजली घर का निर्माण कराये जाने विषयक श्री धर्मेन्द्र कुमार आदि निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ...(उपस्थित की गई)	99
मेरठ महानगर में पशु बधशाला की दुर्गन्ध से छुटकारा दिलाने विषयक श्री अब्दुल जब्बार आदि निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ...(उपस्थित की गई)	99-100
जनपद चन्दौली में सिंचाई विभाग के चन्द्र प्रभाव खण्ड के बांधों की मरम्मत कराये जाने विषयक नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना का भ्रामक उत्तर देकर सदन को गुमराह किये जाने पर सिंचाई मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना	100-101
दिनांक 29 अगस्त, 2002 को नियम–51 के अन्तर्गत मड़हा नदी का जल प्रदूषित होने विषयक श्री सीताराम निषाद की सूचना का भ्रामक उत्तर देकर सदन को गुमराह किये जाने पर पर्यावरण मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना	101
सहारनपुर शहर में प्राथमिकता के आधार पर बाई-पास मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री इलियास जौहर आदि निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ...(उपस्थित की गई)	101
जनपद सहारनपुर स्थित दमोला नदी के दोनों ओर पेचिंग लगाये जाने विषयक श्री राजीव सोनकर आदि निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ... (उपस्थित की गई)	102
जनपद सहारनपुर के उत्तर में शिवालिक पर्वत स्थित मां शाकुम्बरी देवी मंदिर हेतु ट्रस्ट की स्थापना करने विषयक श्री अशोक चौधरी आदि निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ...(उपस्थित की गई) ...	102

विषय	पृष्ठ-संख्या
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	102
जनपद लखीमपुर की तहसील गोला के कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण कराने विषयक श्री ब्रह्मा प्रसाद बौद्ध आदि निवासीगण जनपद लखीमपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ...(उपस्थित की गई)	102
जनपद लखीमपुर की तहसील पलिया में पिपरिया गंज के पास शारदा नदी पर पत्थर की ठोकरें बनाए जाने विषयक श्री यादराम चौधरी आदि निवासीगण जनपद लखीमपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ... (उपस्थित की गई) ...	103
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ... (जारी)	103-159
वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या–02 आवास विभाग, अनुदान संख्या–37 नगर विकास विभाग, अनुदान संख्या–44 पर्यटन विभाग ... (जारी) ..	159-198
बजट पर चर्चा समाप्त करने का प्रस्ताव	198-199
वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या–02 आवास विभाग, अनुदान संख्या–37 नगर विकास विभाग, अनुदान संख्या–44 पर्यटन विभाग ... (स्वीकृत) ..	199-230
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं	230-233
जनपद बाराबंकी में पुलिस की गोली से हुई किसान की मृत्यु के दोषी पुलिस अधिकारियों को दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल आदि द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य ...	233
विधायक निधि स्वतंत्र रूप से विकास कार्यों में लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री विश्राम सिंह यादव आदि द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	234
जनपद बलिया में नया ब्लाक भीमपुरा बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री शारदा नन्द अंचल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	234
11वें वित्त आयोग की राशि से शासनादेश के अनुरूप कार्य न कराकर नियम विरुद्ध निर्णय करके कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मी कांत बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य ...	235-236
जनपद बांदा के विकास खण्ड बडोखरखुर्द में ग्रामीण पेयजल योजनाओं का जल स्तर गिरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री विशम्भर प्रसाद निषाद आदि द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य ...	236-237
प्रदेश में बी०टी०सी० के फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य ...	237-238

विषय	पृष्ठ-संख्या
स्वैच्छिक परिवार कल्याण में शामिल शासकीय कर्मियों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वेतन वृद्धि दिये जाने के सम्बन्ध में डा० वकार अहमद शाह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	238
जनपद ज्योतिबाफुले नगर के जिलाधिकारी द्वारा मा० उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जुर्माना न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री महबूब अली द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का वक्तव्य ...	238-239
जनपद सिद्धार्थ नगर के बेगम काजी जलील अब्बासी कन्या विद्यालय के भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि के अपव्यय एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री कमाल यूसुफ मलिक द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य	239-240
वनस्पति घी एवं रिफाइन्ड आयल पर व्यापार कर न लिये जाने के कारण करोड़ों रुपये की राजस्व हानि के सम्बन्ध में श्री उदय राज यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	240-241
प्रदेश के राजकीय इण्टरमीडिएट कालेजों में प्रवक्ता के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	241
जनपद बहराइच में बेसिक शिक्षा के गिरते हुये स्तर से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० वकार अहमद शाह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य	242
जनपद कुशीनगर में बाढ़ से हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम नरेश यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य	242-243
जनपद बांदा के ब्लाक बड़ोखसुर खुर्द ग्राम मरौली के मजरा क्येटरा में जनता द्वारा केन नदी का गन्दा पानी पीने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री विशम्भर प्रसाद निषाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य ...	243-244
जनपद शाहजहांपुर के दो ब्लाक क्रमशः मिर्जापुर तथा कलान को यथावत् जनपद शाहजहांपुर में बनाए रखने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य	244
पूर्वी उत्तर प्रदेश में भयंकर सूखे की स्थिति में नहरों में पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री कमाल यूसुफ मलिक आदि द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य	244-245

विषय	पृष्ठ-संख्या
वाराणसी में एडीशनल मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा सिक्ख–धर्म के 'पांच-प्यारों' का उल्लेख करके सिक्ख-धर्म को अपमानित किये जाने के सम्बन्ध में श्री ओंकार सिंह यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य	245
जनपद बहराइच के रमुआपुर, बेडनापुर तथा फखरपुर में निर्माणाधीन मार्गों पर फर्जी लगाये गये बोर्डों के सम्बन्ध में श्री अरुण वीर सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	245-246
उत्तर प्रदेश के आरा मशीनों के संचालन में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वन मंत्री का केवल वक्तव्य ...	246
प्रदेश के विद्यालयों में पंजीकरण सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट एवं उत्तर प्रदेश एजूकेशन ऐक्ट में विरोधाभास होने के कारण विद्यालयीय प्रबन्धतंत्र में उत्पन्न विवादों के सम्बन्ध में श्री धनन्जय सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य	246-247
ग्रेटर नोयडा क्षेत्र में ताज एक्सप्रेस मार्ग योजना की मूल रेखा बदलकर राजस्व की 500 करोड़ रुपये की क्षति पहुंचाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह 'मोती सिंह' द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	247-248
जनपद कानपुर नगर के सरसौल व विधनू ब्लाक में सर्वशिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत विद्यालयों की मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि के दुरुप्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती अरुणा तोमर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	248-249
जनपद गाजियाबाद के सर्वोदय इण्टर कालेज पिलखुआ में प्रबन्धतन्त्र द्वारा छात्रों का उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य	249
जनपद ज्योतिबाफुले नगर के नगर पालिका परिषद् अमरोहा द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री महबूब अली द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ...	249-250
जनपद गाजीपुर की जमानिंया तहसील के ग्राम देहवल में बेसिक शिक्षा प्राइमरी पाठशाला की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	251

विषय	पृष्ठ-संख्या
देवीपाटन मण्डल के जनपद गोण्डा की बभनान गन्ना समिति द्वारा जनपद गोण्डा में विकास कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	251-252
जनपद आगरा में मंदिरों एवं स्कूलों के सामने खुले रूप में बिक रहे मीट से जनता में व्याप्त रोष से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री जगन प्रसाद गर्ग द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ...	252
जनपद आजमगढ़ की पुलिस चौकी बोगरिया को थाना बनाए जाने के सम्बन्ध में श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	253
जिला सहकारी बैंक गोण्डा व बलरामपुर की शाखाओं को रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा लेन-देन पर रोक लगाए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री घनश्याम शुक्ला द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य	253-254
जनपद लखनऊ के गोपीनाथ लक्ष्मण दास रस्तोगी इण्टर कालेज के प्रांगण में पी० ए० सी०, बी० एस० एफ०, सी० आर० पी० के जवानों के रहने से शैक्षणिक कार्य में हो रही बाधा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य	254
जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज में बाढ़ पीड़ितों को राहत-सहायता वितरण में भेद-भाव व धांधली किये जाने विषयक डा० पी० के० राय द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य ...	254-255
टाण्डा थर्मल पावर के पास महरीपुर में घाघरा नदी पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक दिनांक 29 अगस्त, 02 के अतारांकित प्रश्न सं०–111 के सम्बन्ध में श्री राम करन आर्य द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन	255
प्रदेश में चरण सिंह 'ग्राम विकास योजना' चलाये जाने विषयक दिनांक 02 सितम्बर, 2002 के तारांकित प्रश्न सं० 6 के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार आदि द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं पर निर्धारित चर्चा का स्थगन ...	255
नत्थियां	256

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चौदहवीं विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 05 सितम्बर, 2002

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यगण उपस्थित थे :—

1–अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच	10–मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
2–अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	11–राज नाथ सिंह, श्री	बाराबंकी
3–चन्द्र भद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर	12–राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
4–जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती	13–राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
5–पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित	14–लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
6–बाबू राम, एम० काम०, श्री	जालौन	15–विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
7–मदन भैया, श्री	बागपत	16–वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
8–हाजी मुस्ताक सोलंकी, श्री	कानपुर नगर	17–वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
9–मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरूवार, दिनांक 5 सितम्बर, 2002

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री केशरीनाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

फैजाबाद में दो युवकों की हत्या विषयक नियम-311 की सूचना पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैंने नियम-311 में एक सूचना दी है ।

श्री अध्यक्ष–

उसको मैंने नियम-56 में ले लिया है ।

कुर्क अमीनों से सम्बन्धित शासन के ध्यान में लायी गई सूचना पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री राधेश्याम सिंह–

मान्यवर, मैंने नियम-56 में 28 तारीख को कार्य-स्थगन की एक सूचना दी थी, कुर्क अमीनों के बारे में वह आन्दोलित हैं । आपने शासन के संज्ञान में लाने को कहा था, आज वह आमरण अनशन पर बैठे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

अभी आप मुझसे मिल लीजियेगा, कोई समाधान कर दूँगा । प्रश्न काल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं आता ।

शिक्षक-दिवस पर सदन की ओर से शिक्षकों के लिए शुभकामनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज शिक्षक दिवस है, मेरी ओर से और आप सबकी ओर से मैं सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूँ ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में फर्जी स्टाम्पों की बिक्री की रोकथाम हेतु शासन की कार्ययोजना

**1–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में फर्जी स्टाम्प बेचकर सरकार को प्रतिवर्ष अरबों रुपये का नुकसान पहुंचाया जा रहा है ? क्या इसकी रोकथाम के लिए सरकार द्वारा कोई कार्य-योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आवास, नगर विकास, पर्यटन, श्रम, पंचायती राज, संस्थागत वित्त, दुग्ध विकास, पशुधन वैकल्पिक ऊर्जा, मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वर्ष 1989 से वर्ष 2002 तक 23 जनपदों में फर्जी स्टाम्पों का प्रयोग पकड़ा जाना । कुल धनराशि लगभग रु० 50.00 लाख है । सम्बन्धित थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल की गई है ।

जी हां ।

कार्ययोजना के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक टास्क–फोर्स का गठन किया गया है । टास्क–फोर्स फर्जी स्टाम्पों की जांच हेतु समस्त स्टाम्प विक्रेताओं का निरीक्षण 15 दिन में दो बार करेंगे जिसकी सूचना वरिष्ठ कोषाधिकारी को दी जाएगी । फर्जी स्टाम्पों एवं असली स्टाम्पों एवं चिपकाऊ स्टाम्पों में विभिन्नता दिखाने वाले पोस्टर एवं परिपत्र जनपद में प्रत्येक विभाग के विभागाध्यक्ष के माध्यम से उपलब्ध कराये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

* श्री श्यामदेव राय चौधरी–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानकारी चाहूंगा । मैंने प्रश्न किया था, अरबों रुपये का नुकसान तो मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि 'जी' हां और 23 जनपदों में, 50 लाख है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह विसंगति क्यों है ? इसमें एक शब्द का प्रयोग और किया गया है, फर्जी स्टाम्पों का प्रयोग । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो एक्चुअल यूजर्स है, वह हैं, या बेचने वाले हैं, या छापकर बेचने वाले हैं, यह क्या है ? इसके अलावा 23 जनपदों की बात कही गई है, यह जनपद कौन से हैं, क्या उनको ईयरमार्क किया गया है, जहां यह विशेष रूप से प्रयोग होता है । मैं एक जानकारी और चाहूंगा, मुझे याद है, कि इसी सदन में कभी हमने कार्यस्थगन के रूप में यह प्रश्न उठाया था, जब नासिक से छपकर रेलवे द्वारा गन्तव्य की ओर यह चलता था तो सुरक्षाकर्मियों और रेलवे कर्मचारियों की मिलीभगत से यह गायब हो जाता था, करोड़ों–करोड़ रुपये का । इस पर तत्कालीन माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि इसकी सी०बी०आई० से जांच कराई जायेगी तो क्या इन प्रकरणों की जानकारी है, मंत्री जी उसका परिणाम क्या हुआ, मैं यह जानना चाहूंगा ?

श्री लालजी टण्डन–

कई प्रश्न माननीय सदस्य ने एक साथ कर दिए हैं, एक तो यह है कि 50 लाख दिखाया गया है, समाचार-पत्रों में भी छपा था कि करोड़ों और अरबों रुपये के स्टाम्प बिक्री किए गए । यह दोनों बातें सत्य हैं । ये उत्तर प्रदेश के बाहर महाराष्ट्र में बहुत बड़ी मात्रा में यह स्टाम्प बिक्री हुए हैं और इसमें कोई अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह काम कर रहा है । यहां उत्तर प्रदेश में तो मान्यवर, 23 जनपद हैं जहां इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, वहां पर जिलाधिकारी उसकी जांच कर रहे हैं । ये जनपद हैं–आगरा, फिरोजाबाद, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, सीतापुर, गाजीपुर, मुजफ्फरनगर, कानपुर, मऊ, गाज़ियाबाद, देवरिया, शाहजहांपुर, कानपुर देहात, रायबरेली, हरदोई, सोनभद्र, पीलीभीत, गोण्डा, गोरखपुर, आजमगढ़, हमीरपुर आदि, ये जनपद ऐसे हैं जहां पर इस तरह की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, बलिया में भी पकड़े गए थे ।

श्री अध्यक्ष–

पहले उत्तर हो जाने दें, माननीय मंत्री जी का, उसके बाद पूछ लीजिएगा ।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, इसमें सभी जनपदों में प्राथमिकी सूचना दर्ज कराई जा चुकी है और स्टाम्प भारत मंत्रालय नासिक रोड को भेजा गया है ताकि इसकी जांच हो सके । उत्तर प्रदेश में एक सेल बनाने की कोशिश हो रही है और सभी जगह नोटिस भेज दी गई है, अधिकारियों और सहायक अधिकारियों को कि वह देखें कि स्टाम्प मानक के अनुसार हैं कि नहीं । इसकी जांच की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं प्रयास करूंगा कि दो-दो अनुपूरक प्रश्न पुराने सदस्यों द्वारा पूछे जाया करें शेष नये सदस्यों द्वारा ।

*श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि लखनऊ में अनेक बार सुनने को मिला कि फर्जी स्टाम्प पकड़े गए और छपाई की बड़ी मशीनें बरामद हुई । फर्जी स्टैम्प की बिक्री रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है ? क्या सरकार सब रजिस्ट्रार आफिस में ही सब रजिस्ट्रार के संरक्षण में स्टैम्प बिकवाने का प्रबन्ध करेगी ? हैदरबाद में एक स्थान पर स्टैम्प बिकते हैं, वहीं पर रजिस्ट्रार की उपस्थित में स्टैम्प मिलता है, डीड टाइप होती है उसकी रजिस्ट्री भी होती है और शुल्क देने पर उसकी सत्यापित-कापी भी उसी दिन मिल जाती है । तो क्या सरकार भी इस तरह की कोई व्यवस्था करेगी ?

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूं कि जहां-जहां इस प्रकार की कोई सूचना मिलेगी, वहां पर कार्यवाही होगी । हम इसकी जांच एस०टी०एफ० से करा भी रहे हैं और इस पर विधिक रूप से कार्यवाही भी होगी ।

* डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, जैसा मंत्री जी ने कहा कि जनपदों में जिलाधिकारी और टास्क फोर्स द्वारा जांच कराई जा रही है, यह सराहनीय है, लेकिन कितने जनपदों में इस फोर्स ने फर्जी स्टैम्प पकड़े हैं, दूसरे कई स्थानों पर जो वास्तविक स्टाम्प विक्रेता हैं, उनको स्टाम्प बिक्री के लिए नहीं मिलता, अभी इलाहाबाद में हमने एक बार अधिकारियों के साथ मीटिंग की तो पता चला कि जिनको स्टैम्प मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता, तो इसके लिए आप क्या करेंगे ? कई बार ऐसा भी होता है कि स्टाम्प देने में कमीशन भी लिया जाता है तो क्या इस पर भी कोई कार्यवाही माननीय मंत्री जी करेंगे ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, एक बार पहले भी स्टाम्प की कमी होने की बता आई थी तो इसकी वजह से रजिस्ट्री बाधित न हो इसके लिए वहां पर कैश जमा करके रजिस्ट्री करा सकते हैं।

स्टाम्प के मूल्य के बराबर धन जमा करा दिया गया है। जिससे स्टाम्प की कमी न होने पाए। अगर सदस्य को इस तरह की कोई सूचना हो कि स्टाम्प वेंडर गड़बड़ी कर रहा है तो बता दें, हम छापा मारकर उसको कानून के हवाले कर देंगे।

श्री शारदा नन्द अंचल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि स्टैम्प ड्यूटी अधिकारी अपर जिलाधिकारी वित्त एवं प्रशासन होता है। बलिया जिले में बहुत सारे ऐसे केसेज मिले हैं जिसमें अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने स्वयं रिश्वत लेकर रजिस्ट्री की। क्या माननीय मंत्री जी, बलिया जनपद में अपर जिलाधिकारी ने इस तरह की जितनी रजिस्ट्री करवाई है, नजूल की भूमि की, उसकी जांच करेंगे ?

श्री लालजी टण्डन–

जो भी स्टैम्प ड्यूटी के मामले प्रकाश में आए हैं उनकी रजिस्ट्री कैंसिल की जा रही है। ऐसे बहुत बड़ी संख्या में मामले आए हैं। जहां यह पाया जा रहा है कि जितनी स्टैम्प ड्यूटी लगनी चाहिए वह नहीं ली गई उसमें कार्यवाही की है।

श्री शारदा नन्द अंचल–

मैंने जो जानकारी दी है उसी की जांच करवा लें। उसमें कितनी स्टैम्प ड्यूटी लगाई है ?

श्री लालजी टण्डन–

जिला रजिस्ट्रार को पावर है कि वह जब चाहे उसकी जांच कर सकते हैं। जब चाहे कार्यवाही कर सकते हैं।

* श्री अजीम भाई–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने बताया कि 23 जिलों में फर्जी स्टाम्प के प्रयोग को पकड़ा गया। इसका अर्थ यह है कि पूरे प्रदेश में यह मामला रहा होगा ? क्या इन जिलों में फिरोजाबाद का नाम शामिल है ? उन्होंने जो 23 जनपद बताए उसमें फिरोजाबाद का नाम क्यों नहीं है क्योंकि मेरी अपनी जानकारी है कि फिरोजाबाद में समय-समय पर फर्जी स्टैम्प के मामले पकड़े गए हैं।

श्री अध्यक्ष–

फिरोजाबाद का नाम है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अजीम भाई–

यह जो आपने बताया कि स्टैम्पों की भिन्नता दिखाने वाले पोस्टर के प्रपत्र बताए हैं कि जनपद में भेजे जाएंगे तो यह 23 जनपदों में ही क्या पोस्टर भेजेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने सभी जनपदों के लिए कहा है ।

* श्री कौशल किशोर–

मान्यवर, मैं आपके संरक्षण में मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि तमाम स्टैम्प जो फर्जी होते हैं उनकी पहचान नहीं होती है क्योंकि इसके लिए नम्बर एलाटेड नहीं है । जिलावाइज आप स्टैम्प पेपर पर नम्बर डालने का काम करेंगे ? एलाटेड करने का काम करेंगे ?

जो रजिस्ट्रार के पास जाय, वह लिखित रूप में जाय और यदि उन नम्बरों के अलावा और कोई स्टैम्प-पेपर जाता है तो उसको फर्जी माना जाय ।

श्री लालजी टण्डन–

मैं सुन नहीं पाया ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य का यह कहना है कि तमाम फर्जी स्टाम्प पेपर बेचे जा रहे हैं । क्या आप जनपदवार उन स्टाम्प पेपर्स पर क्रम-संख्या डलवाने की योजना लागू करेंगे जिससे यह पता चल सके कि इस क्रम-संख्या का कहां से खरीदा गया है ? यदि कोई दूसरा प्रयोग हुआ है वह फर्जी है, यह पता लग सके ?

श्री लालजी टण्डन–

यह प्रदेश से नहीं छपते हैं, नासिक से छपते हैं इसलिए यह क्रम-संख्या डालना सम्भव नहीं है । नकली स्टाम्प पेपर की पहचान करने के लिए वह ऐसा कर रहे हैं । समय-समय पर छापे भी डाले गये हैं उसका परिणाम अपने आप साबित करता है । 150 करोड़ रुपए की इनकम इधर बढ़ी है । नकली का प्रचलन कम हुआ है और अपवंचन पर भी रोक लग रही है ।

* श्री धनंजय सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जो टास्क फोर्स गठित हुआ, उसका ढांचा क्या है ? कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या यह परमानेन्टली ढांचा है ? अगर परमानेन्टली ढांचा नहीं है तो क्या इस फर्जी स्टाम्प की बिक्री को रोकने के लिए इन्टेलिजेन्स यूनिट क्रिएट करेंगे ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न आया है, उसके जवाब में मैंने प्रारम्भ में बताया है कि टास्क-फोर्स जो भी बनाया जाता है उसको निश्चित रूप से बताया जाता है कि इस समय जो प्रकरण है उसके बारे में जानकारी करें और लोगों को पकड़े । इसके बाद तो मैंने कहा कि हम स्थायी व्यवस्था करने जा रहे हैं । हम फुलप्रुफ व्यवस्था करने जा रहे हैं । जहां से जारी होता है वहां से यह निश्चित करा लिया जायेगा कि यह स्टाम्प सही है या गलत ।

* श्री पारस नाथ यादव–

स्टाम्प विक्रेताओं का लाइसेन्स ए०डी०एम० फाइनेन्स बनाते हैं । उनके बनाये गये जो लाइसेन्सी होते हैं वे स्टाम्प पेपर बेचते हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन 23 जनपदों का नाम लिया गया है उसमें मेरा जनपद जौनपुर भी है । वहां पर जो स्टाम्प की चोरी पकड़ी गयी क्या वह लाइसेन्सी के द्वारा बेचा गया या गैर लाइसेन्सी के द्वारा । अगर लाइसेन्सी के यहां से बेचा गया तो लाइसेन्स बनाने का जो अधिकार ए०डी०एम० को है कि वह आनन-फानन बिना देखे किसी का भी लाइसेन्स बना देते हैं इस नीति में सख्ती से परिवर्तन किया जाय ताकि इस तरह से लाइसेन्स न दिये जा सकें ।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, इन जिलों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट नहीं है कि जो लोग पकड़े गये वह कहां से आये । लेकिन यह सब लाइसेन्स स्टाम्प वेन्डर हैं । इनके रजिस्टर में जो पकड़े गये हैं उनके हिसाब से मिलान कराया जाना चाहिए । कहां से वह खरीदे गये हैं और किसके हस्ताक्षर हैं ?

श्री पारस नाथ यादव–

मान्यवर, मैंने सवाल किया था कि जो चोरी के गलत स्टाम्प पकड़े गये वह लाइसेन्सी विक्रेता के यहां से पकड़े गये या गैर लाइसेन्सी के यहां से । जो लाइसेन्स बनाते हैं और ऐसी घटनाएं होती हैं तो क्या लाइसेन्स बनाने की नीति में कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके ?

श्री लालजी टण्डन–

लाइसेन्स बनाने की नीति में व्यवस्था है । यह समस्या अभी आयी है उसका समाधान करने के लिए आवश्यक है तो कोई ऐसा नियम बनाया जायेगा जिससे यह स्टाम्प वेन्डर के यहां इसका दुरुपयोग न हो ।

श्री नारद राय–

मान्यवर, मंत्री जी ने कबूल किया है कि फर्जी स्टाम्प का उपयोग किया जाता है । जमीन खरीदने में और मकान खरीदने में फर्जी स्टाम्प का उपयोग होता है । मंत्री जी ने बताया कि उसके लिये इंतजाम किया है । मैं जानना चाहूंगा कि करोड़ों रुपयों के जो ठेकेदार बांध बनाने में फर्जी स्टाम्प लगा रहे हैं उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

कोई विशिष्ट घटना की बात करिये तो ठीक है ।

* श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

माननीय मंत्री जी ने टास्क-फोर्स का गठन किया है । यह गठन कब किया गया और कितने मामले इसमें प्रकाश में आये हैं और कितने का फर्जी स्टाम्प पकड़ा गया है और कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है ?

श्री अध्यक्ष–

यह बहुत ब्योरे का प्रश्न है ।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, जब यह मामले प्रकाश में आये तो टास्क–फोर्स का गठन हुआ । मान्यवर, इस संबंध में शासनादेश हो गया है । एक परिपत्र 9-8-2002 को जारी किया गया है जिससे 100.500, 1000. 10,000, 15,000, 20,000 के स्टाम्प जो हिन्दी में न होकर अंग्रेजी भाषा में थे उनको हिन्दी भाषा में जारी किया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

टास्क–फोर्स का गठन कब हुआ और कितने लोग पकड़े गये उसकी सूचना दे दें ।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

*श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि फर्जी स्टाम्प के माध्यम से जो रजिस्ट्री होती हैं, क्या स्टाम्प के पहचानने की क्षमता रजिस्ट्रार में होती है कि यह स्टाम्प फर्जी हैं, इसकी रजिस्ट्री न की जाय ?

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, यह निर्देश भेज दिये गये हैं कि असली कौन से हैं और नकली कौन से हैं, रजिस्ट्री करते समय उसकी जांच कर ली जाय । अगर पता नहीं लगाते हैं तो वह जिम्मेदार होंगे और दंडनीय होंगे । सारी गाइड लाइंस भेज दी गयी हैं कि किस तरह का पेपर होगा, किस तरह का कलर होगा और जो अशोक का चिन्ह होगा वह कैसा होगा ? कागज वाटर मार्क है या नहीं । मान्यवर, असली नकली में फर्क होता है जिससे स्टाम्प पकड़े जाते हैं । अन्तिम स्तर पर जांच वहां होगी जहां रजिस्ट्री होनी है, वह देखेंगे कि वह स्टाम्प फर्जी तो नहीं है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री शिव कुमार बेरिया–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं जैसा उन्होंने स्वीकार किया है। विभिन्न जिलों के साथ-साथ कानपुर जिले में फर्जी स्टाम्प पकड़े गये। फर्जी स्टाम्प पकड़े जाने से एक तरफ तो राजस्व की हानि होती है....

श्री अध्यक्ष–

अनुपूरक प्रश्न करें।

श्री शिव कुमार बेरिया–

वही कर रहा हूं। वहीं दूसरी तरफ जिन्होंने फर्जी स्टाम्प पेपरों पर रजिस्ट्री करायी है वे पकड़े गये और उनके स्टाम्प पेपर फर्जी साबित हुये उसके बारे में सरकार क्या करेगी, जिन जिलों में फर्जी स्टाम्प पेपर पकड़े गये हैं उन जिलों के लिए कौन सी नीति बनी है ? हमारे कानपुर में आज भी फर्जी स्टाम्प पेपर बिक रहे हैं। फर्जी स्टाम्प पेपरों को बेचने का काम जो गिरोह कर रहा है उसमें आप क्या प्रभावी कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

दूसरे प्रश्न का उत्तर तो आ गया है। फर्जी स्टाम्प पेपर के बारे में लेकिन पहला जो प्रश्न है किसी ने स्टाम्प पेपर लाइसेन्स वेण्डर से खरीदे हैं इस उम्मीद में कि वे सही हैं उसको अगर नहीं मालूम है कि वे फर्जी हैं तो अलग बात है लेकिन अगर जान-बूझकर खरीदे गये हैं तो उन पर कार्यवाही होनी चाहिए।

(व्यवधान)

*श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जैसा कि उत्तर में भी कहा गया है 1989 से 2002, चौदह वर्षों में 23 जनपद में 56 लाख के स्टाम्प पेपर पकड़े गये इसमें कितनी एफ०आई०आर० दर्ज हुयी बारह वर्षों में, कितनी एफ०आई०आर० दर्ज हुयी है उसमें कितने में चार्जशीट लगायी गयी है ? कितने में फाईनल रिपोर्ट लगायी गयी है ? मैं यह जानना चाहता हूं। दूसरी बात, शासन ने निर्णय लिया है, ए०डी०एम० से पावर डी०एम० को दे दी। इसमें कमीशन मिलता है, कमीशन ए०डी०एम० को मिले या डी०एम० को मिले यही झगड़ा है। दूसरी बात शासन ने टास्क फोर्स का जी०ओ० जारी किया है उसमें कौन-कौन अधिकारी हैं। दि० 03-8-2002 को यह जी०ओ० जारी किया गया है। एस०टी०एफ० में आपने जिले में कौन-कौन अधिकारी रखें हैं ? ए०डी०एम० और डी०एम० को तो कमीशन मिलता है तो एस०टी०एफ० में उनके अलावा अन्य लोगों को रखकर रेड करायेंगे। इसकी कोई अल्टरनेट व्यवस्था करेंगे ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लालजी टण्डन–

कई हजार करोड़ रुपये की सूचना प्राप्त हुई है कि जिले में फर्जी नोट छप रहे हैं । भारत सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सीज इसमें लगी हुई हैं ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मैंने 23 जनपदों के बारे में पूछा है ?

श्री अध्यक्ष–

आप यह बता दें एस०टी०एफ० में कौन से अधिकारी हैं कितनों पर चार्जशीट लगाई गयी है कितनों में फाइनल रिपोर्ट लगी है ।

श्री लालजी टण्डन–

समस्त जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपाधीक्षक, समस्त अपर जिला उपाधीक्षक, वित्त, राजस्व एवं समस्त उप महानिरीक्षक निबन्धन को बैठाया गया है जो दोषी पाया जायेगा उसे दण्डित किया जायेगा ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

पहले प्रश्न का जवाब नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष–

कितनों में एफ०आई०आर० दर्ज हुई है अगर सूचना हो तो बता दें ।

श्री लालजी टण्डन–

बहुत विस्तृत प्रश्न है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

फर्जी नोटों का प्रचलन रोकने के लिए बैंक में नोट को चेक करने की मशीनें लग रही हैं । क्या इसी तरह से फर्जी स्टाम्प को चेक करने के लिए इस प्रकार की मशीनों की व्यवस्था करने का कष्ट करेंगे ?

श्री लालजी टण्डन–

इसकी व्यवस्था की जा रही है यह पहले भी कह चुका हूं ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक नीतिगत प्रश्न है । जैसा कि मैंने शुरू में ही उल्लेख किया था कि नासिक से स्टाम्प पेपर बुक किया जाता है रेलवे के द्वारा और कोई हिन्दुस्तान का बड़े पैमाने पर रैकेट हैं और वे लोग मिलीभगत से रेलवे प्रशासन पुलिस प्रशासन जो भी शुरू से जिम्मेदार हैं, गतंव्य स्थल के पहुंचने से पहले ही गायब हो जाते हैं । तो इस तरह से काम चलता है । कुछ दिन पहले घटना हुई स्टाम्प पेपर रैकेट के द्वारा चोरी कर लिया गया और वह मार्केट में जारी हो गये और लोगों ने इस्तेमाल कर लिया तो, इस प्रकार से जो राजस्व हानि हुई है और लोगों की जेब गर्म हुई है वह कोई

जाली के स्टाम्प नहीं हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो घटना भूतकाल में हुई है और आज भी हो रही है तो जो बुकिंग होता है वह इन्श्योर्ड होते हैं, उसकी क्षतिपूर्त जिस राज्य में...

श्री अध्यक्ष–

नासिक का प्रश्न केन्द्रीय सरकार के अधीन है यह वह बतायेंगे। यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में तिलहन उत्पादन बढ़ाने हेतु शासन द्वारा प्रस्तावित योजना

*1–श्री संजय गर्ग–

क्या सरकार प्रदेश में तिलहन उत्पादन बढ़ाने हेतु कोई विशेष कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में तिलहन उत्पादन बढ़ाने हेतु पूर्व से ही केन्द्र पुरोनिधानित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम प्रदेश के 62 चयनित जनपदों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

श्री संजय गर्ग–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या सरकार कोई विशेष कार्य योजना बना रही है। इस सम्बन्ध में जवाब आया कि " जी नहीं" और बाद में प्रदेश में तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रदेश में तिलहन उत्पादन बढ़ाने हेतु पूर्व से ही केन्द्र पुरोनिधानित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम प्रदेश के 62 चयनित जनपदों में क्रियान्वित किया जा रहा है

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि पुरोनिधानित तिलहन कार्यक्रम जो केन्द्रीय सरकार द्वारा चल रहा है उसमें क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं ? (2) जो 62 जिले चयनित हैं, 70 में से तो 8 कौन से जनपद हैं जिन्हें चयनित नहीं किया गया है ? (3) क्या इससे तिलहन का उत्पादन बढ़ा है या नहीं ? मेरी निश्चित जानकारी के अनुसार तिलहन का उत्पादन घटा है। यदि कोई निश्चित जानकारी माननीय मंत्री जी को है तो कृपया सदन को बता दें ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं अंतिम जो प्रश्न है उससे शुरू करता हूं। मैं भी सहमत हूं कि तिलहन का उत्पादन नहीं बढ़ा है। चार साल के आंकड़े मेरे पास है मैं बता रहा हूं। मान्यवर, 98-99 में सात लाख अटठारह हजार, 1999-2000 में आठ लाख चौंतीस हजार, 2000-2001 में सात लाख बारह हजार तथा 2001-2002 मे छः लाख छियासी हजार हुआ है। यह प्रदेश की ही नहीं सारे देश की समस्या है और इसको देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने टी०एम०ओ०पी० एण्ड एम० योजना बनायी थी 80 में और इसमें

18 कार्यक्रम आते हैं । इनके माध्यम से यह पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है । आपने कहा कि क्या-क्या सुविधाएं हैं तो मैं उनका उल्लेख करना चाहूंगा । पहला तो जो ब्रीडर बीज हैं उसके क्रय करने में उपयोग करने में छूट दी गयी है । आई०सी०आर०, कृषि विश्वविद्यालय में इसका उत्पादन होता है । यह सबसे पहले प्राथमिकता में लिया गया है ।...

(इस समय 11 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी" पीठासीन हुए)

मान्यवर, सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर बीडर भी लिया हुआ है । फिर आधरीय बीज उत्पादन, बीज ग्राम योजना, प्रमाणित बीज वितरण, बीज मिनीकिट, बीज उपचार, खण्ड प्रदर्शन, राइजोबियम कल्चर/पी०एस०बी०, जिप्सम वितरण, कृषक गोष्ठी, आई०पी०एम० प्रदर्शन, सफेद गिडारनियंत्रण, उन्नति कृषि यन्त्र वितरण, स्प्रिंकलर सेट वितरण, कृषि रक्षा उपकरण, वितरण, खरपतवार/कीटनाशी रसायन, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास मद यह इसमें हैं ।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, परन्तु उसके बावजूद भी तिलहन का उत्पादन लगातार घट रहा है । मान्यवर, फाउन्डेशन बीज के वितरण की जो व्यवस्था है कृषकों को समय से अभी भी बीज उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है । कोई कार्य योजना आप बनायेंगे जिससे कृषकों को समय से बीज उपलब्ध करा सकें । और तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा दे सकें और लागत मूल्य कृषकों को दिलाने के लिये मूल्य निर्धारण में कोई कार्य योजना भविष्य में बना रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो माननीय सदस्य की चिन्ता है वह केवल प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश की चिन्ता है । मान्यवर, जितना भी हमारा तिलहन है, तेल उत्पाद करने वाले बाईप्रोड्क्ट्स हैं वह आगे नहीं बढ़ रहा है । मान्यवर, डा० पडोदा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था जिसने पूरे देश की स्थिति का अध्ययन करके बताया कि उत्पादन क्यों नहीं बढ़ रहा है । उनका निष्कर्ष है कि सबसे पहले जो आवश्यकता है वह है उन्नतशील बीजों की । इस क्षेत्र में जो कार्य होना चाहिये था उतना कार्य नहीं हो पाया था । इकाइयों के ऊपर जिन पर शोध करने की जिम्मेदारी है, मान्यवर, गेहूं के क्षेत्र में, धान के क्षेत्र में, काफी काम हो गया है । अभी तिलहन वाला क्षेत्र उपेक्षित रहा है । जितना बीज हमारे पास उपलब्ध है प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों तक समय से पहुंचाया जाये इसके लिये हम प्रयासरत हैं । अगर कहीं कमी आयी भी है तो उस कमी को दूर करेंगे ।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, मेरा प्रश्न लागत मूल्य मिल सके इसके बारे में भी था ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, पिछली बार जो सरसों का मूल्य एक हजार रुपये से आगे नहीं था प्रदेश सरकार ने 1300 रु० से ऊपर किया, मान्यवर, वह आकर्षक मूल्य था आगे भी विचार किया जायेगा कि तिलहन से संबंधित जितनी फसलें हैं उनका लाभकारी मूल्य मिले ।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश मे कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु शासन द्वारा संचालित कृषि कार्य-योजना

*1–श्री विशम्भर प्रासद निषाद–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

प्रदेश में कृषि उत्पादन को बढ़ाये जाने हेतु विभाग द्वारा संचालित की जा रही प्रमुख योजनाओं के विवरण निम्नवत् हैं:–

(1) मैक्रो मैनेजमेंट आफ एग्रीकल्चर ।

(2) तिलहन उत्पादन कार्यक्रम ।

(3) राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम ।

प्रश्न नहीं उठता ।

* श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, हमारा देश कृषि प्रधान देश है । मान्यवर, देश में सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है और कृषि पर आधारित पूरा प्रदेश है । माननीय मंत्री जी ने इन्हें जो जवाब दिया है अगर वह यह घोषणा करते कि जो खाद मंहगी है, बीज मंहगा है, खाद पर सब्सिडी देंगे और लागत के अनुसार उसका मूल्य निर्धारित करेंगे और किसानों को निःशुल्क बिजली देने की बात कही गयी होती तो निश्चित रूप से उत्पादन को बढ़ावा मिलता । मैं पूछना चाहता हूं कि दिनोदिन नकली खाद के प्रयोग से उर्वरा शक्ति घट रही है और इस समय रासायनिक दवायें इतनी मंहगी हैं कि किसान नहीं खरीद पा रहा है जो माननीय मंत्री जी ने मैक्रो मैनेजमेंट आफ एग्रीकल्चर की बात कही तो इसके माध्यम से प्रदेश में जो कृषि प्रसार अधिकारी हैं, जो जिलों में बैठते हैं, ब्लाक में दो ही किसानों को प्रसार के लिए उनके द्वारा एक हजार रुपया दिया जाता है तो मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश में जिस तरह से ब्लाकों में कोई प्रदर्शन नही किया जाता है न खाद, बीज उपलब्ध कराई जाती है तो इस व्यवस्था को सुधारने के लिये मा०मंत्री जी ने क्या व्यवस्था की है ? इसके साथ ही यह अनुरोध है कि भारत सरकार के जो आई०पी०एम० सेन्टर खोले जाते हैं, मान्यवर, देश में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है और इसकी राजधानी लखनऊ है यहां से माननीय प्रधान मंत्री जी सांसद हैं तो क्या माननीय मंत्री जी यहां लखनऊ में आई०पी०एम० सेन्टर खोलने की सिफारिश करेंगे केन्द्र से, और जो धान की फसल में 1998 में जो महामारी हुई थी सफेद रोग आदि की तो उसमें कौन सी दवा प्रयोग की जाती है और क्या उस दवा का इन्तजाम किया गया है ?

---

* वक्ता ने भाषं का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो प्रश्न किया गया है वह प्रश्न बड़ा सूक्ष्म है लेकिन इस प्रश्न में कृषि विभाग का पूरा दायित्व एवं भूमिका निहित है संक्षेप में उसका उत्तर देता हूं वैसे कल कृषि विभाग का बजट है सारी बातें उसमें आयेंगी लेकिन जो माननीय सदस्य की चिन्ता है या जो मैंक्रो मैनेजमेंट का जिक्र किया गया उसमें ग्यारह योजनाएं हैं कृषि उत्पादन को बढ़ाने की और इसमें आई०पी०एम० भी आता है, ये जितने प्रोजेक्ट आते थे, वह केन्द्र सरकार से बनकर आते थे लेकिन यह प्रदेशों ने चिन्ता व्यक्त की कि हमें अपनी आवश्यकता के अनुरूप चलाने, भूमि के अनुरूप योजना बनाने की छूट देनी चाहिए, उसमें मैक्रो योजना आई केन्द्र सरकार से, इसकी एक मुश्त धनराशि मिलती है प्रोजेक्ट बनाकर हम भेजते हैं और इसका अच्छा रिस्पोंस आ रहा है। आपने चिन्ता व्यक्त की कि खाद पर कितनी छूट देने वाले हैं, बीज पर कितनी छूट देने वाले हैं, यह सारा का सारा इसमें निहित है, सरकार का जितना भी बीज सर्टिफाइड ये बीडर सीड तक है हर एक पर उसमें अनुदान है इसके अलावा जो खाद मिल रही है उस खाद पर टोटल अनुदान है और वह अनुदान केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाता है तो कोई भी आइटम नहीं है जो किसानों से संबंधित हो और अनुदानित न हो।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूं यूं, तो जो मूल प्रश्न था उस मूल प्रश्न में जो माननीय सदस्य की जिज्ञासा थी उत्पादन बढ़ाने के लिये, उस पर कोई प्रकाश नहीं है। मैं सीधा सवाल यह पूंछना चाहता हूं कि इस साल सूखे की स्थिति पैदा हुई है और सूखे से अकाल के बाद खरीफ की फसल बिल्कुल चौपट हो गयी है अब रबी की फसल को ध्यान में रखते हुए और सूखे और अकाल को दृष्टिगत रखते हुए क्या मंत्री जी किसानों को बिना पैसे की खाद, बिना पैसे की दवा और निःशुल्क बीज उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मैं प्रश्न के उत्तर को दो भागों में बांटता हूं एक तो जो सूखे से प्रभावित हैं हमारे प्रदेश के किसान। इसमें आपने कहा कि खरीफ की फसल तो बरबाद हो गयी, रबी की फसल बरबाद न हो इसमें कोई व्यवस्था देने जा रहे हैं। दो सुझाव आये हैं कि किसानों को निःशुल्क बीज और निःशुल्क खाद दे दी जाये। हम निःशुल्क बीज और खाद नहीं, हम किसान को पैसे का अनुदान देंगे। प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 2 हेक्टेयर की सीमा तक देंगे। और इसके लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भी भेजा है क्योंकि पैसा तो वहीं से आना है। एक हजार रुपया प्रति हेक्टेयर जो हमारा असिंचित क्षेत्र है उसके लिए और ढाई हजार सिंचित क्षेत्र के लिए उपलब्ध करायेंगे खाद और बीज देने से शायद उन तक देर से पहुंचे इसलिए हमने फैसला किया है कि पैसा सीधे देने से उसका सदुपयोग ज्यादा हो पायेगा। इसमें खाद मिला या नहीं, बीज मिला या नहीं मिला इससे संबंधित जो शिकायतें आती हैं इस प्रकार की शिकायतों की संभावना किसी प्रकार की नही रहेगी।

* श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्पादन बढ़ाने की कार्य योजना तो बन रही है लेकिन उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता के लिए क्या किया जा रहा है ?

---

* वक्ता ने भषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्योंकि जो उत्पादन हम बढा रहे हैं फर्टिलाइजर और कीटनाशक दवाओं के माध्यम से उसका परिणाम यह है कि हमारे उत्पादन की गुणवत्ता विदेशों में कम होती जा रही है। विदेशी बाजार में इसका अच्छा मूल्य नहीं मिल रहा है क्या इस पर विचार करेंगे ? जो आर्गेनिक खाद है, उसकी जगह पर जो गोबर की खाद है और कीटनाशक दवाओं की जगह पर गोमूत्र और अन्य प्रयोग करके जो सुधार लाते हैं उससे उत्पादित वस्तुओं का अच्छा मूल्य मिलता है। मैं कहना चाहता हूं कि उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ गुणवत्ता को भी बढ़ायें जिससे विदेशी बाजारों में उसका अच्छा मूल्य मिल सके। बलरामपुर जिले में एक गांव में एक विदेशी योजना चलाई जा रही है। वहां पर जर्मनी और जापान के वैज्ञानिक आये थे। मैं खुद खेती कर रहा हूं बिना खाद डाले अच्छी पैदावार हो रही है। क्या मंत्री जी इस प्रकार से उत्पादन बढ़ाने पर कुछ विचार करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

बहुत सही चिन्ता है और इस तरफ बहुत ही गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिए लेकिन मैं थोड़ा सा इस बात पर कहना चाहता हूं कि जो विदेशों वाली बात कही है विदेशों में हमारा जितना भी उत्पाद जाता है गुणवत्ता के अभाव के कारण नहीं लिया जाता। अभी भी भारतवर्ष में और उत्तर प्रदेश में विदेशों की अपेक्षा बहुत कम रासायनिक दवाओं का प्रयोग होता है। मीडिया का प्रचार ज्यादा है ताकि हम गेहूं को विदेशों में न भेजें। हम बराबर प्रयासरत हैं कि दवाइयां और रासायनिक खाद का कम से कम प्रयोग हो।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, केन्द्र पुरोनिधानित वित्त पोषित जो योजना है, इसमें केन्द्र ने जो सहायता दी है, मैं जानना चाहता हूं कि उसको ध्यान में रखते हुए वर्तमान में तिलहन की मांग कितनी है। सन् 1984 से लेकर 18 वर्षों के अन्दर पिछले तीन वर्षों में क्या आपने टारगेट रखा था और उसके सापेक्ष में कितना उत्पादन हुआ और क्या यह समीक्षा की है कि सचमुच में जो केन्द्र द्वारा वित्त पोषित योजना है उसके माध्यम से क्या-क्या कमियां रही हैं और इन कमियों को दूर करके हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जहां तक उत्पादकता का प्रश्न है, मैंने पहले ही प्रश्न के उत्तर में यह बताया था कि करीब साढ़े 7 लाख से शुरु किया था जो 6.20 पर आकर अटक गया, इस प्रकार उत्पादन तो कम हुआ है लेकिन जहां तक उत्पादकता का संबंध है, पहले यह साढ़े 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर था अब यह 8.0 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गया है, इस प्रकार उत्पादकता बढ़ी है लेकिन चूंकि क्षेत्र नहीं बढ़ पाया, क्षेत्र के न बढ़ने के कारण उतना उत्पादन नहीं बढ़ा। इसमें सबसे बड़ी कमी यह रही है कि अच्छे बीजों का अभाव रहा है और अभी अच्छे बीज नहीं मिल रहे हैं। हम बीडर बीज के लिये प्रयासरत रहते हैं, 50 क्विंटल की मांग करते हैं तो 20 क्विंटल मिल पाता है और यह केवल आई०सी०आर० अथवा कृषि विश्वविद्यालयों में ही मिलता है। यदि बीडर बीज मिल जाय तो उससे फाउन्डेशन बीज तैयार करें और प्रमाणित बीज तैयार करें।

* श्री राकेश सचान–

मान्यवर, प्रश्न था उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की गयी है, उसमें उत्तर आया 'जी–हां' और आपने अपनी कार्य योजना का जिक्र किया । अगर उसमें यह और जोड़ लेते कि किसानों को प्रमाणित बीज, खाद में सब्सिडी, कीटनाशक दवायें दी जाये और किसानों की आज जो सबसे बड़ी समस्या है, उनको नहरों से जो पानी मिलता है, वह ठीक से नहीं पहुंच पाता, इसलिये नहरों की सफाई कराकर हर किसान को पानी उपलब्ध कराया जाय, इसके अलावा बिजली की कमी से भी पानी नहीं मिल पाता, उसके लिये कम से कम 20 घन्टे बिजली दी जाय, बंद नलकूपों को चालू कराया जाय तो इस सबसे उत्पादन बढ़ेगा । मैं जानना यह चाहता हूं कि इसे भी जोड़ा जायेगा, यह मंत्री जी बता दें । यहां विद्युत मंत्री सिंचाई मंत्री भी बैठे हैं । अगर किसानों को बिजली मिलेगी, खाद में सब्सिडी मिलेगी और अच्छे बीज मिलेंगे, कीटनाशक दवाइयां मिलेंगी तो कृषि का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है ।

श्री अधिष्ठाता–

उत्तर पहले ही आ चुका है, यह तो आपका सुझाव है ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, वर्ष 1998 में महामारी आई थी, और इस वर्ष धान की फसल अकाल और सूखे के कारण खराब हो गई है, उसमें बी०पी०एच०, और डब्लू०बी०पी०एच० पैदा हो गई है, इसकी रोकथाम के लिये क्या व्यवस्था की गई है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि हमारे बुन्देलखण्ड में कृषि विविधीकरण योजना लागू की गई थी, अब उसे समाप्त कर दिया गया है , क्या उसे पुनः चालू करने की कृपा करेंगे और बी०पी०एच०, डब्लू०बी०पी०एच० की रोकथाम के लिये कौन सी दवाई प्रयोग कर रहे हैं, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने उत्तर में बताया था कि जितनी सारी योजनाये थीं, उन सारी योजनाओं को पूर्ण करके माइक्रो-मोड में लिया गया है । इसमें बुन्देलखण्ड की भी योजना थी । उसको इस 11 योजना में जोड़ दिया गया है, आप कहें तो मैं 11 की 11 पढ़ सकता हूं, उसके अन्तर्गत कार्य किया जायेगा ।

श्री रामवीर सिंह–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश तराई बीज निगम से वर्ष 2001–2002 में जो गेहूं का बीज खरीदा गया, 85 प्रतिशत जर्मिनेशन का दिया इसका किसानों की पैदावार पर बहुत बड़ा असर पड़ा और किसानों को काफी घाटा हुआ, तो क्या माननीय मंत्री जी उनको मुआवजा देने का काम करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, प्रश्न है पूरे उत्तर प्रदेश की कार्य योजना के बारे में, उसका उत्तर मैंने दे दिया उसके बाद निगम में जो अनियमतिता का प्रश्न है, उसके बारे में लिखकर दे दें मैं देख लूंगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, किसानों को समय से बीज नहीं मिल पाता, खाद नहीं मिल पाती, बीज की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं होती, इसकी चेकिंग क्या माननीय मंत्री जी करायेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जहां कहीं भी शिकायत मिलेगी हम चेकिंग कराऐंगे ।

*2–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

[दिनांक 26-8-2002 को तारां प्र०सं०–10 द्वारा उत्तरित]

वर्षाकाल में राज्य सड़क मार्गों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिये सरकार द्वारा प्रभावी कार्य योजना

*3–श्री जगदम्बिका पाल (अनुपस्थित)–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्षाकाल में राज्य मार्गों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह कार्य योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण मंत्री(श्रीमती अनुराधा चौधरी)–

वर्षा से मार्गों का क्षतिग्रस्त होना एक प्राकृतिक आपदा है इसलिये पूर्वानुमान के आधार पर कोई कार्य योजना बनाया जाना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में अनुसूचित जाति के भूमिहीनों को कृषि तथा आबादी भूमि का पट्टा किये जाने हेतु शासन की नीति

*4–श्री राम करन आर्य–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमिहीन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भूमि का पट्टा किये जाने हेतु वर्तमान सरकार द्वारा क्या कोई नीति बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

राजस्व मंत्री (श्री रवि गौतम)–

जी नहीं ।

अनुसूचित जाति के भूमिहीन व्यक्तियों को कृषक तथा आबादी भूमि का पट्टा किए जाने का प्राविधान पूर्व से ही उ०प्र०ज० विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा–195, 197 तथा 122(ग) में है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम करन आर्य--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने तो जो नियम बनाया है उसके अनुसार पढ़ दिया, मान्यवर, देखने से तो काम नहीं चलेगा । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि

आज तक भूमिहीनों को कितना पट्टा हुआ और दूसरे कितनों को पट्टा किया और कितने भूमिहीन अभी तक बाकी हैं । मान्यवर, सवाल इसलिए मैं एक साथ कर दे रहा हूं कितने भूमिहीनों को पट्टा हुआ और कितनों को किया और प्रदेश में कितने भूमिहीन हैं और दूसरा सवाल है मान्यवर, कि कितने पट्टों के वाद लम्बित हैं ? 10-10 साल पहले से भूमिहीनों को पट्टा हुआ लेकिन आज तक वह उस पर कब्जा नहीं पा रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि भूमि पट्टा के कितने वाद हैं और साथ ही साथ यह भी कहूंगा कि डाक्यूमेंट पर उसका निरीक्षण न करके स्थलीय निरीक्षण करेंगे ? और कितने दिनों में वाद खत्म करेंगे ? तीसरा सवाल यह है कि जो सरकार का नियम है कि मैं पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश की भूमि ही दलितों को बांट दे रही हूं और ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी जमीन अब उन्हीं के नाम हो जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है वास्तविकता कुछ और है । अब तो तहसीलदार को भी पावर दे दिया है कि अब वह पट्टा करेगा, मान्यवर, तो क्या कीमत लगा करके तहसीलदार, मौके का निरीक्षण करके पट्टा करने का प्रयास करेंगे ? जो भूमिहीन हैं उनको । मान्यवर, तहसील स्तर का या उसके सक्षम अधिकारी मौका मुआयना करके कब तक पट्टा कर देंगे ? जो जमींदारी विनाश ऐक्ट है, तो यह तो मान्यवर, होता रहता है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राम करन जी, आपका मूल प्रश्न जो है वह पट्टे की नीति के संबंध में है उसका उत्तर आया है । दूसरा प्रश्न जो है वह पूरे प्रदेश से संबंधित है । तीसरा प्रश्न जो आपका है उसका उत्तर माननीय मंत्री जी दे दें ।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, मैंने पूछा है कि प्रदेश में कितने वाद लम्बित हैं ? मैंने एक सुझाव दिया है कि आपके अधिकारी स्थल निरीक्षण करके देख लें कि किसका घर पट्टे की भूमि में बना है और स्थल निरीक्षण करके विवाद को खत्म कर दें । अगर दस्तावेज देखे जायेंगे तो 20 साल मुकदमें चलेंगे । दूसरा सवाल मैंने पूछा है कि भूमि हीनों को कितने दिनों में पट्टे कर देंगे ?

श्री रवि गौतम–

मान्यवर, माननीय सदस्य से जो प्रश्न किया है वह मूल प्रश्न से अलग हट कर है । इसकी सूचना प्राप्त करके मैं माननीय सदस्य को अवगत करा दूंगा और जो आपने सुझाव दिया है उसका गम्भीरता पूर्वक सत्यापन कराके कोई समय सीमा तय करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके । ऐसी किसी व्यवस्था पर हम विचार करेंगे ।

श्री राम करन आर्य–

आप साल भर का समय ले लें लेकिन कोई समय सीमा निश्चित कर दें ?

श्री रवि गौतम–

मान्यवर, यथाशीघ्र करेंगे । हमारी सरकार की नीति है कि जल्दी से जल्दी न्याय मिले ।

श्री राम करन आर्य–

इसके लिए कोई अवधि बता दें कि इतने दिनों में कर दिया जायेगा ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि ग्राम पंचायतों को जो अधिकार दिये गये हैं उसके अनुसार ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के बगैर पट्टे नहीं दिये जायेंगे । ग्राम पंचायतों में जो प्रस्ताव होते हैं वह अपात्र व्यक्तियों को किये जाते हैं । जो वास्तव में दलित होते हैं उनके प्रस्ताव नहीं जाते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या दलितों को पट्टे देने के लिए सीधे उप जिलाधिकारी को आदेश निर्गत करेंगे ?

श्री रवि गौतम–

मान्यवर, बहुत अच्छी व्यवस्था अभी-अभी की गयी है । माननीय सदस्य ने देखा होगा कि जो विधेयक पारित हुआ है उसमें ग्राम सभा में मुनादी कराने की व्यवस्था की गयी है । तहसीलदार भी वहां पर रहेंगे ताकि पारदर्शिता बनी रहे । अब कोई व्यक्ति वंचित नहीं रहेगा । दूसरा प्रश्न जो आपने किया है वह मूल प्रश्न से अलग है ।

श्री राम लाल अकेला–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो भूमिहीन हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अकेला जी एक मिनट रुकिये । प्रश्नकाल में माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि शान्ति बनी रहे तो अच्छा है ताकि मंत्री जी सही ढंग से प्रश्न को सुन सके तभी उत्तर देना सम्भव हो पायेगा । इसलिए माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि शान्ति बनाये रखें ।

श्री राम लाल अकेला–

अधिष्ठाता जी, सरकार की मंशा भूमिहीन गरीबों को भूमि उपलब्ध कराने की है । आज भी हजारों एकड़ जमीन ऊसर, बंजर पड़ी है । माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने शासन काल में भूमि सेना के गठन का प्रस्ताव रखा था और उनकी मंशा थी कि ऊसर बंजर जमीन जो पड़ी है उसको गांव में रहने वाले गरीबों को, उस पर काम दिया जायेगा और सरकारी खर्चे पर उस जमीन को कृषि योग्य बनाया जायेगा जब वह जमीन कृषि योग्य हो जायेगी तो जो मजदूर उस पर काम करेंगे उन्हीं के नाम वह आवंटित कर दी जायेगी । माननीय मुलायम सिंह जी की धारणा भूमि सेना गठन करने के माध्यम से गरीबों को जमीन देने की रही है क्या उस पर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री रवि गौतम–

मान्यवर, जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम है हमें तो संविधान और अधिनियम के तहत चलना है । जो अधिनियम में प्राविधान है उसी के अनुसार आवंटन की व्यवस्था है ।

डा० शिव प्रताप यादव–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आज तहसील स्तर पर मिल-मिलाकर फर्जी पट्टे कर दिये जाते हैं और अपात्र व्यक्तियों को पट्टा मिल जाता है चाहे वह लेखपाल हो या भूमि प्रबन्धक समिति हो, तहसीलदार स्तर तक कहीं न कहीं ऐसा हो जाता है कि मिल-मिलाकर फर्जी पट्टा बन जाता

है । अब फर्जी पट्टा निरस्त करने का अधिकार एस०डी०एम० को दिया गया है, अपील दायर करके एस०डी०एम० के यहां से निरस्त कराया जा सकता है । जो फर्जी पट्टा बनाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी है या भूमि प्रबन्धक समिति है क्या ऐसे पट्टों को निरस्त कर उन अधिकारियों या भूमि प्रबन्धक समिति को सजा देने के लिए कोई प्राविधान है ? अगर कहीं है तो क्या सरकार इसके लिए कोई प्राविधान करेगी ?

श्री रवि गौतम–

दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सदैव से प्राविधान रहा है और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा अपराध करेगा या गलत काम करेगा तो उसको दण्डित किया जायेगा ।

श्री राकेश सचान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आबादी के पट्टे हों या भूमि के पट्टे हों गरीब लोग 10–10 साल पूर्व के पट्टे लेकर के तहसीलों में चक्कर लगाते हैं लेकिन कब्जा नहीं मिल रहा है क्या मंत्री जी ने कोई योजना ऐसे लोगों को कब्जा देने के लिए बनायी है ?

श्री रवि गौतम–

माननीय मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि विगत दो माह में एक लाख सैंतीस हजार अवैध पट्टों को बेदखल किया गया है । इस प्रकार की योजना नहीं, यह शासन की नीति है और इसके साथ ही साथ कार्यवाही की जा रही है ।

श्री मदन गोपाल वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरे यहां जहानाबाद क्षेत्र में बसखरा गांव है जहां ग्राम समाज की जमीन पर भू-माफिया जबरन कब्जा किये हुये हैं और लगभग 10 विस्वा जमीन जबरिया कब्जा कर लिया है, इससे लोगों में बड़ा आक्रोश है और यहां 10 लोग आये हुये हैं । इस पर रोक लगाने के लिए क्या माननीय मंत्री जी कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री रवि गौतम–

मान्यवर, रोक का प्राविधान तो है ही, अगर कोई माननीय सदस्य ऐसी सूचना देंगे तो हम बिल्कुल कार्यवाही करेंगे ।

श्री भगवत शरण गंगवार–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ग्राम रूला तहसील-बहेड़ी, जनपद–बरेली में वहां के किसानों की भूमि का पट्टा जबरन राजस्व विभाग ने कर दिया है उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करायेंगे जबकि निजी भूमि पर कोई पट्टा नहीं होता है ?

श्री रवि गौतम–

अगर कोई माननीय सदस्य ऐसी सूचना देंगे तो जांच करायेंगे और दोषी को दण्ड देंगे ।

श्री पारसनाथ यादव–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि गांव में बसे हुये लोग जहां आबाद हैं, आपके खसरा, खतौनी में आबादी दर्ज न होने के कारण उसमें बंजर या ग्राम समाज की नवैयत बनी रहती है । अगर पट्टा करने का प्रस्ताव आता है तो पट्टा करने को तो कर दिया जाता है लेकिन पैमाइश करते समय या कब्जा दिलाते समय आपको कठिनाई होती है और विवाद खड़ा हो जाता है । तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि जब तक आप अपने खसरा, खतौनी में पूरे गांव की नवैयत आबादी या बंजर है उसको दुरुस्त न करवायें इस तरह का पट्टा करने का ऐसा कोई निर्देश दें । गरीब कब्जा न पाये, वह परेशान हो तो क्या ऐसा संशोधन अपने खसरा–खतौनी में कराने की कृपा करेंगे ?

श्री रवि गौतम–

माननीय सदस्य का सुझाव बड़ा व्यवहारिक है, हम उदारतापूर्वक इस पर विचार करेंगे और समायोजन का भी प्रयास करेंगे ।

श्री बैजनाथ दुबे–

मान्यवर, गोण्डा जनपद में कई पट्टेदारों को ऐसे पट्टे दिये गये हैं जहां 50 साल से बाग लगे हैं क्या वह न्यायसंगत है ? अगर ऐसा पट्टा मिलेगा तो अनावश्यक रूप से झगड़ा पैदा होता है । हमारे यहां फरेन्दा शुक्ल है वहां पर 2-3 एकड़ खेत पट्टा हो गया है जिस पर मकान बने थे उस पर भी पट्टा हो गया । जहां पट्टा हुआ है उस पर प्राइवेट स्कूल खुल गये हैं । क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच कराकर न्यायसंगत कार्यवाही करेंगे ?

श्री रवि गौतम–

मान्यवर, शासन की नीति बड़ी पारदर्शी है । आप लिखकर दे दें इसकी जांच करायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

वैसे तो यह प्रश्न नीति पर था लेकिन उससे हटकर भी प्रश्न आये और उसका मंत्री जी ने उत्तर दिया । जहां कहीं इस प्रकार की अनियमिततायें या गड़बड़ियां हुई हैं, माननीय सदस्य उसको लिखकर दे दें जिससे उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करायी जा सके ।

श्री रियाज अहमद–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि तहसील पीलीभीत सदर के गांव फरदिया रसूला के 152 लोगों जिनको पट्टे मिले हैं, 4-5 साल हो गये उनको कब्जा नहीं मिला है । मैंने मंत्री जी को एक माह पूर्व लिखकर भी दिया । मंत्री जी ने कोई कार्यवाही नहीं की है । क्या उनको कब्जा दिलाऐंगे ?

श्री रवि गौतम–

बिल्कुल दिलायेंगे ।

श्री जियाउद्दीन रिजवी–

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जनपद बलिया में सिकन्दरपुर तहसील के अन्तर्गत पूर्व बन मंत्री .....

श्री अधिष्ठाता–

यहां पर जितने सवाल हो रहे हैं वह कुछ कमियों या कठिनाइयों से संबंधित हैं, उनको लिखकर दे दीजिए ।

श्री जियाउद्दीन रिजवी–

मैं जानना चाहता हूँ कि सिकन्दपुर तहसील के अन्तर्गत पूर्व वन मंत्री राजधारी सिंह द्वारा ग्राम समाज की जमीन बिना पट्टे के निजी प्रयोग के लिए पोखर बन्द करके जबरन कब्जा कर लिया उसकी दरखास्त लोकायुक्त तक हो गई है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है । दूसरे सिकन्दरपुर तहसील में ग्राम बाछापार में 40 राजभर परिवारों को सिकन्दरपुर के तहसीलदार ने उजाड़ने का काम किया । संसदीय कार्य-मंत्री के हस्तक्षेप से वह कार्य रुका लेकिन तहसीलदार रोज उन परिवारों की धमकी दे रहा है । इसी तरह इस ग्राम की एक विधवा राजभर महिला को सिकन्दरपुर के तहसीलदार ने उसकी मड़ई में जाकर आग लगाया । संसदीय कार्य-मंत्री जी ने टेलीफोन करके जब कलेक्टर को कहा तब जाकर रुका । तहसीलदार सेज धमकी देता है । इसी तरह से मैंने प्रश्न किया कि पूर्व वन मंत्री के खिलाफ कोई जांच की कार्यवाही करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

यह बजट नहीं है ।

श्री रवि गौतम–

माननीय सदस्य ने जो भाषण दिया । वह लिखकर दे दें न्यायोचित कार्यवाही होगी ।

श्री राम करन आर्य–

मंत्री जी की गरीब तबके के प्रति हमदर्दी है । क्या पूरे प्रदेश में जो बंजर जमीन है जिनको बड़े-बड़े लोग जबरन जोते हुए हैं क्या स्थल निरीक्षण करके व अपनी जमीन सेफ करके तत्काल उस जमीन को भूमिहीनों को पट्टे करेंगे ? जो बड़े-बड़े लोग जोते हुए हैं ?

श्री रवि गौतम–

शासन की नीति न्याय देने की है । जो न्यायोचित कार्यवाही होगी उसे करेंगे ।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मोहन देव शंखवार–

क्या राजस्व मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि भूमिहीन अनुसूचित जाति के, एक ही जाति के लोगों को पट्टे दिए जा रहे हैं क्या अनुसूचित जाति की अन्य जातियों को पट्टे देने की सरकार कार्यवाही करेगी यदि हां तो अब तक एक ही जाति की अपेक्षा .....

श्री अधिष्ठाता–

अब कोई प्रश्न नहीं । प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

(कई सदस्यों के बोलने पर)

आप किस बात पर बोल रहे हैं । प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या–4 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

प्रदेश में, गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों का दस हजार रुपये तक का कर्ज माफ करने की सरकार की विचाराधीन योजना

*5–श्री राम विशुन आजाद–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का दस हजार रुपये तक का कर्ज माफ करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रदेश में सूखाग्रस्त घोषित क्षेत्रों में कृषकों के राजस्व वसूली देयों को स्थगित करने की मांग

*6–श्री नरेन्द्र सिंह यादव, श्री विजय बहादुर पाल, श्री कल्यान सिंह दोहरे तथा श्री जमालुद्दीन सिद्दीकी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सूखा ग्रस्त क्षेत्रों (जनपदों) को ध्यान में रखते हुए क्या राजस्व वसूली स्थगित कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

जी हां ।

वर्तमान मानसून सत्र में अवर्षण के कारण, प्रदेश के सभी 70 जनपदों को सूखाग्रस्त घोषित करते हुए उनमें कृषकों के अवशेष राजस्व मुख्य देयों (भू-राजस्व एवं सिंचाई देयों) की वसूली आगामी रबी की फसल आने तक अर्थात् 31 मार्च, 2003 तक स्थगित कर दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के सूखा प्रभावित जनपदों में कृषकों की क्षतिग्रस्त फसलों की भरपाई हेतु सरकार से राहत सहायता राशि दिये जाने की मांग

*7–श्री राजेन्द्र सिंह राणा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूखा प्रभावित जनपदों में किसानों की तबाह हुई फसलों की भरपाई के लिए मुआवजा दिये जाने हेतु सरकार कोई प्रभावी योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

कृषकों को फसल क्षति पर मुआवजा नहीं बल्कि सरकार द्वारा राहत सहायता दिये जाने का प्राविधान किया गया है । भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार दैवी आपदा से लघु एवं सीमान्त

कृषकों के कृषि, उद्यान, वार्षिक व बारहमासी फसलों को 50 प्रतिशत या उससे अधिक की क्षति पर असिंचित क्षेत्रों हेतु रुपये 1000/- सुरक्षित सिंचित क्षेत्रों हेतु रुपये 2500/- व बारहमासी फसलों के लिए रु० 4000/- प्रति हेक्टअर की दर से कृषि निवेश हेतु सब्सिडी दिये जाने का प्राविधान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कुशीनगर में, छोटी गंडक नदी पर सोहासा-दुबौली तथा देवराउ–पियरा मार्गों पर पुल के निर्माण की मांग

*8–श्री राधे श्याम सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छोटी गंडक नदी पर जनपद कुशीनगर में सोहासा-दुबौली तथा देवराड-पियरा पर पुल के निर्माण कराये जाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में आग लगने पर शासन द्वारा दिये जाने वाली संशोधित राहत अनुदान राशि

*9–श्री अवधेश प्रसाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अंचलों में आग लगने पर अहेतुक सहायता व गृह अनुदान दिये जाने हेतु शासन की नीति में कोई परिवर्तन किया गया है ? यदि हां, तो परिवर्तित नीति क्या है ?

श्री रवि गौतम–

आग लगने पर अहैतुक सहायता व गृह अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में शासन की नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, वरन् उक्त सहायता हेतु पूर्व में लागू राहत दरों को भारत सरकार के नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार शासनादेश सं०–जी०आई०–63/1-11-2001-रा०–11, दि० 20 नवम्बर, 200 द्वारा संशोधित कर दिया गया है । संशोधित दरों के अनुसार अहैतुक सहायता के रूप में रु० 20 प्रति वयस्क व्यक्ति तथा रु० 10 प्रति बच्चा प्रतिदिन की दर से तथा परिस्थिति के अनुसार रु० 500/- कपड़ा हेतु व रु० 500/- बर्तन हेतु सहायता देय है । साथ ही अतिरिक्त पुष्टाहार के लिए रु० 1.05 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आई०सी०डी०एस० मानक के अनुसार अलग से देय है ।

गृह अनुदान के रूप में पक्के मकान के पूर्ण क्षतिग्रस्त होने पर रु० 10,000/-, कच्चे मकान के पूर्ण क्षतिग्रस्त होने पर रु० 6000/- , पक्के मकान के अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने पर रु० 2000/-. कच्चे मकान के अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने पर रु० 1200/- देय है । आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए रु० 800/- गृह अनुदान देय है ।

उक्त दरें सभी प्रकार की दैवी आपदाओं के परिप्रेक्ष्य में मान्य है ।

प्रदेश में किसान पेंशन–योजना के अन्तर्गत वृद्ध किसानों को, पेंशन देने हेतु प्राविधान की जानकारी

*10–कुंवर रेवती रमण सिंह तथा डा० अशोक बाजपेयी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत वृद्ध किसानों को पेंशन देने का प्राविधान किया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त आयु सीमा साठ वर्ष से बढ़ाकर पैंसठ वर्ष कर दी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में कृषि हेतु केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा डी०ए०पी० खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी एवं शुद्ध खाद की उपलब्धता हेतु निर्धारित मानक

*11–श्री धनंजय सिंह–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि डी०ए०पी० खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी में केन्द्र और राज्य अनुपात 8:2 है ? यदि हां, तो डी०ए०पी० खाद में मिलने वाली उक्त सब्सिडी तथा शुद्ध खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु कोई मानक निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अनुदान की धनराशि का भुगतान प्रदेश सरकार द्वारा नहीं किया जाता है क्योंकि अनुदान योजना पूर्णतया भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एवं संचालित है ।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश के मध्यांचल पैकेज की बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर हरदोई स्थित महोलिया शिवपार के रेलवे लाइन के ऊपर पुल के निर्माण कराये जाने की शासन से मांग

1–श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

क्या लो०नि०वि० मंत्री को जानकारी है कि 16 जून, 2001 को मध्यांचल पैकेज की बैठक, श्री हुकुम सिंह, तत्कालीन, मंत्री की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें हरदोई स्थित महोलिया शिवपार के रेलवे लाइन के ऊपर पुल के निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो निर्माण

कार्य अब तक शुरू न होने का क्या कारण है ? निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी नहीं ।

प्रश्नगत बैठक मध्यांचल पैकेज पर गठित मंत्रि-मण्डल की उप समिति को दिनांक 14-6-2001 को सम्पन्न हुई थी, जिसमें हरदोई स्थित महोलिया शिवपार के रेलवे लाइन के ऊपर पुल के निर्माण नहीं बल्कि हरदोई में बिलरांया पनवारी मार्ग पर रेलवे सम्पार 279वीं पर रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण को पूरा करने हेतु धनराशि रु० 367.83 लाख पर सहमति दी गयी थी, जिसे तत्कालीन मा० मुख्य मंत्री जी के आदेश पर उक्त अनुमोदित योजना के स्थान पर अन्य 04 योजनाओं (पुल एवं सम्पर्क मार्ग) को रु० 366.79 लाख नियोजन विभाग द्वारा अनुमोदित कर दिया गया ।

अतः प्रश्नगत रेलवे लाइन पर रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण को शुरू करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 5-7-2002 के परिप्रेक्ष्य में कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध रूप से जबरन कब्जे को हटाने की मांग

2–श्री सुल्तान बेग–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत–ब्योधा ब्लाक शेरगढ़ जिला–बरेली व प्रधान पति द्वारा कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध रूप से जबरन कब्जा करने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5-7-2002 मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण में उप जिलाधिकारी बहेड़ी से जांच करायी गई । कब्रिस्तान पर किसी का कब्जा नहीं पाया गया ।

जनपद बरेली, ग्राम पंचायत ब्योधा, ब्लाक शेरगढ़ की महिला ग्राम प्रधान के पति द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा हटाने हेतु कृत कार्यवाही

3–श्री सुल्तान बेग–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत ब्योधा ब्लाक शेरगढ़ जिला–बरेली के प्रधान पति द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा करने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5-7-2002 मा० मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र वर्णित तथ्यों की जांच उप जिलाधिकारी बहेड़ी से कराई गई । प्रश्नगत भूमि पर प्रधान श्रीमती जयवती एवं उनके पति श्री सुरेन्द्र सिंह का कब्जा है । प्रकरण में मा० राजस्व परिषद् में वाद विचाराधीन है । बेदखली की प्रभावी कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद सोनभद्र में सन्त किनाराम महाविद्यालय मार्ग के निर्माण में की गई अनियमितताओं की जांच

4–श्री परमेश्वर दयाल––

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–सोनभद्र में सन्त किनाराम महाविद्यालय मार्ग जो "ग्रामीण अभियंत्रण सेवा" विभाग द्वारा मौरंग स्तर तक बनाया गया था, उसी मार्ग पर पुनः प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, राबर्ट्सगंज द्वारा कार्य कराकर धन आहरित कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी नहीं । वर्ष 1995-96 में महामहिम राज्यपाल के महाविद्यालय के शिलान्यास के कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा कुछ मिट्टी और मोरंग डालकर मार्ग को गाड़ियों के पहुंचने हेतु बनाया गया था, जो वर्षा के पानी के तेज बहाव के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था । मार्ग का विस्तृत सर्वेक्षण कराकर स्थल की स्थिति के अनुसार आगणन तैयार कराकर लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग पर कार्य कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सोनभद्र के प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग राबर्ट्सगंज द्वारा तरावां सम्पर्क मार्ग एवं धोरावल-राजवाहा से सिरविट मार्गों पर केवल गिट्टी डालकर पूर्व निर्माण दिखाकर भुगतान प्राप्त कर लेने की जांच

5–श्री परमेश्वर दयाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–सोनभद्र में प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, राबर्ट्सगंज द्वारा तरांवा सम्पर्क मार्ग व धोरावल राजवाहा से सिरविट मार्गों पर गिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है और भुगतान प्राप्त कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करते हुए अवशेष कार्य को पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी नहीं । तरांव सम्पर्क मार्ग आर०आई०डी०एफ–7 योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001-2002 में 600 मी० लम्बाई में स्वीकृत हुआ था । उपलब्ध अनुदान के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर है । वर्तमान में लेपन स्तर तक गठित अनुबन्ध के विरुद्ध इण्टर स्तर तक कार्य पूर्ण है ।

धौरावल राजवाहा से सिरविट मार्ग आर०आई०डी०एफ–6 के अन्तर्गत 2001-2002 में दो कि०मी० लम्बाई हेतु स्वीकृत हुआ था। अब तक उपलब्ध धनराशि के विरुद्ध कि०मी० के आरम्भ के 500 मी० में टापकोट स्तर तक तथा कि०मी० 1 के आगे 500 में मोरंग स्तर तक कार्य पूर्ण हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर के कस्बा जलालपुर में टोंस नदी पर पुल के निर्माण के बाद से अब तक पूर्णावधि तक निर्धारित वसूल किये जाने वाले टोल टैक्स की जानकारी

6–श्री विजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेदकर नगर के कस्बा जलालपुर में टोंस नदी पर पुल का निर्माण कराया गया था ? यदि हां, तो उक्त पुल से अब तक कुल कितना टोलटैक्स वसूल किया जा चुका है ? उक्त पुल पर टोलटैक्स कब तक वसूल किया जायेगा ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां।

पुल पर पथकर वसूली प्रारम्भ होने की तिथि 29-06-1975 से अब तक रु० 57,26,425.00 टोल टैक्स, पुल की लागत, ब्याज आदि को सम्मिलित करते हुए वसूल किया जा चुका है।

जब तक कि नियमानुसार पुल के निर्माण की कुल लागत, ब्याज, पथकर की वसूली में और उसके रख-रखाव पर हुए व्यय आदि की धनराशि वसूल न हो जाय अथवा पुल पर पथकर लगाने के प्रथम दिनांक से पचास वर्ष की अवधि न पूर्ण हो जाय।

जनपद गोण्डा के परगना व तहसील मनकापुर के ग्राम अम्बरपुर में सीलिंग के अवैध पट्टों के सन्दर्भ में दिनांक 28-12-2001 को करायी गयी जांच/जांच रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही की जानकारी

7–श्री राम विशुन आजाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व परिषद्, उ० प्र० इलाहाबाद द्वारा ग्रा० अम्बरपुर, परगना व तहसील मनकापुर जनपद गोण्डा में किये गये सीलिंग के अवैध पट्टों के सन्दर्भ में दिनांक 28-12-2001 को जांच करायी गयी थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

श्री गिरधारी लाल, मा० सदस्य (न्यायिक) राजस्व परिषद्, उ० प्र० इलाहाबाद ग्राम अम्बरपुर में दिनांक 28-12-2001 को जांच हेतु गये थे।

प्रकरण मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण कोई जांच आख्या/मन्तव्य प्रेषित नहीं किया गया है।

उपरोक्तानुसार ।

लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र नक्खास चौराहे से ताल कटोरा चौराहे (तुलदीदास मार्ग) तक के चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण किये जाने के सम्बन्ध में शासन के निर्णय की जानकारी

8–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र में स्थित तुलसीदास मार्ग (नक्खास चौराहे से ताल कटोरा चौराहे तक) के चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण ।

जनपद बिजनौर के राजकीय कृषि प्रक्षेत्र बिलासपुर के प्रक्षेत्र अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र नाथ के सेवानिवृत्ति सम्बन्धी देयों के भुगतान के सम्बन्ध में जानकारी

9–श्री मूल चन्द्र–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि श्री धर्मेन्द्र नाथ निवासी ग्रा० अथांई अंहीर पो० खटाई जिला बिजनौर जो दिनांक 30-6-98 को राजकीय कृषि प्रक्षेत्र बिलासपुर जनपद बुलन्दशहर से प्रक्षेत्र अधीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं के समस्त देयों का भुगतान कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान उन्हें कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री हुकुम सिंह–

श्री धर्मेन्द्र नाथ, प्रक्षेत्र अधीक्षक, बिलासपुर के पद से नहीं वरन् सहायक विकास अधिकारी, मुरादाबाद के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं ।

सेवानिवृत्ति सभी देयों का भुगतान कर दिया गया है किन्तु उनके बिलासपुर प्रक्षेत्र, जनपद बुलन्दशहर के कार्यकाल के कतिपय विवादित बाउचर रु० 42,990.02 पैसे का भुगतान शेष है जिनकी जांच की कार्यवाही क्रमिक है ।

जांचोपरान्त यदि भुगतान योग्य बाउचर पाये गये तो भुगतान शीघ्रातिशीघ्र कर दिया जायेगा ।

जनपद जौनपुर में ऊसर भूमि सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रमाणित जनपदों/खेती योग्य बनायी गयी भूमि/उक्त भूमि के आवंटन से लाभान्वित व्यक्तियों के विवरण की जानकारी

10–श्री पारसनाथ यादव–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–जौनपुर में ऊसर भूमि सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो जनपद के किस-किस विकास खण्ड में तथा कब से यह कार्यक्रम संचालित है ? अब तक ऊसर भूमि सुधार के माध्यम से कितनी भूमि खेती योग्य बनाई गयी है ? क्या उक्त भूमि का आवंटन पात्र व्यक्तियों को किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

विकास खण्डवार/अवधिवार विवरण संलग्न है ।

अब तक कुल 18006 हैक्टेयर ऊसर भूमि का उपचार किया गया है जिसमें से 15370 हैक्टेयर क्षेत्र कम उसरीला होने के कारण पूर्व से ही खेती के अन्तर्गत है तथा 2636 है० परती ऊसर क्षेत्र को सुधार कर खेती के योग्य बनाया गया है ।

उपचारित भूमि कृषकों के स्वामित्व में पहले से ही थी । अतः आवंटन का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 256 पर ।)

11–डा० कौशल किशोर–

[5वें सोम के अता० प्र० सं०–74 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बांदा में यमुना नदी पर इछावर-बिन्दौर के बीच तथा ओगासी पर पैन्टीन पुल बनाये जाने के शासन के विचाराधीन प्रस्ताव

12–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में यमुना नदी पर इछावर–बिन्दौर के बीच तथा ओगासी पर पैन्टून पुल बनाये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा इस हेतु धन अवमुक्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

जी नहीं ।

कार्यवाही विचाराधीन है ।

जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत सैदपुर, रामपुर, माझा, चोबकपुर मार्ग के निर्माण में हुई अनियमितता की जांच हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 23-05-2002 पर कृत कार्यवाही

13–श्री बीजू पटनायक–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-05-2002 को जनपद–गाजीपुर के अन्तर्गत सैदपुर, रामपुर, माझा, चोबकपुर मार्ग के निर्माण में हुई अनियमितता के संबंध में था, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर में गांगी नदी पर सैदपुर-गाजीपुर मार्ग से पहाड़पुर-माझा मार्ग पर निर्माणाधीन पुल का नाम शहीद संजय यादव के नाम से करने की मांग

14–श्री बीजू पटनायक–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में सैदपुर–गाजीपुर मार्ग से पहाड़पुर–माझा मार्ग पर गांगी नदी पर पुल बनकर तैयार है ? यदि हां, तो उस पर कब तक आवागमन प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? क्या सरकार उक्त पुल का नामकरण कारगिल शहीद संजय यादव के नाम से करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

पहुंच मार्ग का कार्य प्रगति पर है जिसका 66 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है शेष वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जी नहीं ।

नामकरण के सम्बन्ध में मार्ग दर्शक सिद्धान्तों के अन्तर्गत विभाग के सेतुओं का नाम व्यक्ति विशेष के नाम पर रखा जाना प्रतिबन्धित है ।

जनपद आजमगढ़ व जनपद गाजीपुर में सड़कों (मार्गों) के निर्माण में फर्जी भुगतान की जांच विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही

15–श्री बीजू पटनायक–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 3-6-2002 जो जनपद आजमगढ़ व जनपद गाजीपुर में सड़कों की मरम्मत के नाम पर धन का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जनपद आजमगढ़ में मार्ग के निर्माण में फर्जी भुगतान की जांच विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 03-06-2002 प्राप्त हुआ । जनपद आजमगढ़ की कुछेक सड़कों के निर्माण में अनियमितताओं की जांच विषयक प्रश्नकर्ता का एक अन्य शिकायती-पत्र दि० 03-06-2002 भी प्राप्त हुआ है किन्तु गाजीपुर जनपद की सड़कों की मरम्मत के नाम पर धन के दुरुपयोग विषयक प्रश्नकर्ता का प्रश्नगत पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । मामले में मुख्य अभियन्ता, वाराणसी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी को जांच कराकर जांच आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बिजनौर के सभी विकास खण्डों में आदर्श राजस्व ग्रामों की संख्या

16–कुंवर भरतेन्द्र सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "आदर्श राजस्व ग्राम योजना" के अन्तर्गत 1 अप्रैल, 2002 से 15 अप्रैल, 2002 तक चलाये गये अभियान में जनपद बिजनौर के 11 विकास खण्डों में कौन-कौन से ग्राम आदर्श राजस्व ग्राम घोषित किये गये ? इस अवधि में संबंधित तहसीलदार/नायब तहसीलदार, लेखपाल, अमीन, राजस्व निरीक्षकों द्वारा ग्रामवासियों की कितनी शिकायतें दर्ज की गयी ? क्या दर्ज शिकायतों का समाधान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

अभियान अवधि में विकास खण्ड मौ०पुर देवमल में एक ग्राम मिर्जापुर बंगर उर्फ गंजालपुर, विकास खण्ड कोतवाली में पुरैनी खास, विकास खण्ड,जलीलपुर में ग्राम अज्जुनगली तथा विकास खण्ड नूरपुर में दरियापुर आदर्श राजस्व ग्राम घोषित किये गये हैं ।

शून्य ।

शिकायतें दर्ज न होने के कारण ।

सूचना शून्य है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर के उप जिलाधिकारी, क्षेत्र लहरपुर द्वारा प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 1-6-2002 पर कृत कार्यवाही

17–श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप जिलाधिकारी, लहरपुर, सीतापुर को प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 1-6-2002 जोकि ग्राम पंचायत धोंधी के मजरा बाड़पिनपुरवा जनपद–सीतापुर में स्थित गाटा सं०–446 क्षेत्रफल 116 हे० गाटा सं०–448 क्षे० 028 व गाटा सं०–445 क्षे० 121 हे० पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किये जाने के संबंध में है प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कब्जों को हटायेगी ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

जी हां ।

धारा–122 बी, जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत काबिज व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कर दी गयी है ।

उपरोक्तानुसार ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद गाजियाबाद से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग हापुड़-मुरादाबाद मार्ग को विस्तारित करने की योजना

18–श्री मदन चौहान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद जनपद में नेशनल हाइवे जोकि हापुड़ से मुरादाबाद को जाती है, के विस्तार की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

योजना भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध संसाधनों के अनुसार बनायी जाती है ।

जनपद रायबरेली के ब्लाक खीरों से अतरहर-गौनामऊ के आगे बिहार-मौरावां (उन्नाव) मार्ग को आगे मलौना मार्ग तक पक्का निर्माण कराये जाने के मुख्य मंत्री के आदेश पर कृत कार्यवाही

19–श्री अजीम भाई–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य मंत्री के आदेश संख्या–ए/805/सीएम–1/96, दि० 1-4-97 तथा आदेश संख्या–805/ सीएम/1/96, दिनांक 27-5-97 एवं आदेश 1995-1997, 2001 जोकि रायबरेली जनपद के ब्लाक खीरों से अतरहर–गौनामऊ के आगे बिहार–मौरांवा (उन्नाव) मार्ग में स्थित मलौना मार्ग तक पूरा कराने के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 6.36 कि०मी० में से 3.61 कि०मी० में विभिन्न योजनाओं में लेपन स्तर तक का कार्य पूर्ण किया जा चुका है । अवशेष 2.55 कि०मी० जो सोलिंग स्तर तक निर्मित है, में लेपन स्तर तक का कार्य सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सम्भव नहीं हो पाया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत लोटन-ठुठरी मार्ग पर ग्राम बगही के पास की टूटी पुलिया का निर्माण कराये जाने की मांग

20–श्री अनिल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत लोटन–ठुठरी मार्ग जिसकी लम्बाई 10 कि०मी० है, जो नेपाल सीमा तक जाती है ? पर ग्राम बगही के पास पुल टूट गया है जिससे हजारों लोगों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

पुलिया टूट गयी है परन्तु मिट्टी भरकर यातायात चालू कर दिया गया है ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद खीरी में, परगना मगदापुर को तहसील गोलागोकरननाथ से हटाकर तहसील मोहम्मदी में सम्मिलित करने की सरकार से मांग

21–श्री अरविन्द गिरि–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि परगना मगदापुर की तहसील गोला से हटाकर तहसील मोहम्मदी जनपद खीरी में सम्मिलित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ऐसा कोई भी प्रस्ताव वर्तमान समय में विचाराधीन नहीं है ।

जनपद खीरी (लखीमपुर) के विकास खण्ड मितौली को तहसील मोहम्मदी से हटाकर तहसील खीरी में सम्मिलित किये जाने की सरकार से मांग

22–श्री अरविन्द गिरि–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के परगना कस्बा मितौली को तहसील मोहम्मदी से हटाकर तहसील लखीमपुर में सम्मिलित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

मामला विचाराधीन है ।

राजस्व परिषद् के उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति प्राप्त होने के बाद यथोचित निर्णय लिया जा सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला बिजनौर की कडूला नदी के टूटे पुल के शीघ्र पुनर्निमाण कराये जाने की मांग

23–श्री मूलचन्द्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि धामपुर नूरपुर मार्ग जो अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग है, पर कडूला नदी का पुल पिछले कई वर्षों से टूटा है और धामपुर दिल्ली मार्ग अवरुद्ध है, जिससे जनता को आने-जाने में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो पुल का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद वाराणसी में आर०आई०डी०एफ०–6 योजना के अन्तर्गत फूलपुर-सिन्धौरा-जाठी-फूलपुर-सिन्धौरा बसन्तपुर के अपूर्ण सम्पर्क मार्ग शीघ्र पूर्ण कराने की मांग

24–श्री रामजीत राजभर–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद वाराणसी में आर०आई०डी०एफ०–6 योजना के अन्तर्गत फूलपुर–सिन्धौरा मार्ग से जाठी सम्पर्क मार्ग और फूलपुर–सिन्धौरा मार्ग से बसन्तपुर सम्पर्क मार्ग हेतु वर्ष 2001-2002 में कितनी धनराशि आवंटित की गई है ? आवंटित धनराशि से कितना कार्य कराया गया है ? शेष कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

वर्ष 2001-2002 में फूलपुर-सिन्धौरा मार्ग से जाठी सम्पर्क मार्ग पर रुपये 2.00 लाख एवं फूलपुर सिन्धौरा मार्ग से बसन्तपुर सम्पर्क मार्ग पर रूपये 1.50 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है ।

जाठी सम्पर्क मार्ग पर 1.50कि०मी० में तथा बसन्तपुर सम्पर्क मार्ग पर 1.00 कि०मी० में मिट्टी का कार्य कराया गया है ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद देवरिया एवं जनपद बलिया को जोड़ने वाली घाघरी नदी के भागलपुर पुल की टोल टैक्स में होने वाली वसूली

25–श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद एवं बलिया जनपद को जोड़ने वाला धाघरी नदी भागलपुर पुल की टोल टैक्स की वसूली से विगत एक वर्ष में लोक निर्माण विभाग को कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ? क्या यह सही है कि वर्तमान समय में उक्त पुल के पथकर वसूली की मात्रा लगातार कम होती जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी को दण्डित करेगी ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

प्रश्नगत नवनिर्मित सेतु पर शासकीय अधिसूचना दिनांक 13-03-2002 के निर्गतोपरान्त दिनांक 15-03-2002 से पथकर वसूली प्रारम्भ की गयी है । सेतु पर पथकर लगाने के दिनांक से दिनांक 31-03-2002 तक कुल धनराशि रु० 58,732-00 की वसूली प्राप्त हुई तथा वित्तीय वर्ष 2002-2003 में अप्रैल से जुलाई तक धनराशि रु० 5,36,570-00 की वसूली हुई है । इस प्रकार सेतु पर जुलाई, 2002 तक कुल धनराशि रु० 5,95,302.00 की वसूली हो चुकी है ।

जी हां ।

वर्षा ऋतु में यातायात घनत्व में कमी आ जाती है, जिसका प्रभाव पथकर वसूली पर पड़ता है। जिसके कारण ही सेतु पर माह जून एवं जुलाई में, माह मई की तुलना में वसूली की धनराशि में कमी आयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर की तहसील शाहाबाद की जिला योजना 2002-2003 के अन्तर्गत प्रस्तावित सड़कों के निर्माण की जानकारी

26–श्री काशी राम–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 2002-2003 के लिए जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र 23 शाहाबाद से जिला योजना के अन्तर्गत बनने वाली पेन्टिंग स्तर की सड़कों के कितने प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुए हैं ? क्या सरकार जिला योजना में प्रस्तावित उक्त सड़कों का पेन्टिंग स्तर तक निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के उपरान्त लोक निर्माण विभाग की जिला योजना समाप्त कर दी गयी है।

जनपद रामपुर मुख्यालय में रामपुर-शाहाबाद मार्ग को चौड़ीकृत एवं गड्ढा मुक्त सड़क बनाने की मांग

27–श्री काशी राम–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर मुख्यालय में रामपुर से शाहाबाद मार्ग का चौड़ीकरण एवं गड्ढा मुक्त सड़क बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां, कार्य स्वीकृत है।

कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला लखनऊ के ग्राम कंकराबाद में ग्राम समाज की भूमि/हरिजनों एवं भूमिहीनों को आवंटित भूमि के पट्टों की जानकारी

28–श्री कौशल किशोर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कंकराबाद तह० व जिला लखनऊ में वर्तमान समय में ग्राम समाज की कितनी भूमि है ? क्या भूमि संख्या 19 ख, 20.564क–566 से 570 व 711 भी ग्राम समाज की भूमि है ? यदि नहीं, तो उक्त भूमि किसके नाम अंकित है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्ष 2000-2001 में उक्त ग्राम [illegible] हरिजन/भूमिहीनों को पट्टे जारी किए गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

वर्तमान में ग्राम समाज बंजर की कुल भूमि 14.470 हे० है ।

जी हां ।

उपरोक्तानुसार ।

वर्ष 2000-2001 में किसी भी अनुसूचित जाति/भूमिहीन को पट्टा नहीं दिया गया है ।

वर्ष 1998 में 38 पात्र व्यक्तियों को कृषि भूमि आवंटन किया जा चुका है ।

29–श्री कौशल किशोर–

[दिनांक 29-8-2002 को अता० प्र० सं०–63 द्वारा उत्तरित]

30–श्री कौशल किशोर–

[दिनांक 29-8-2002 को अता० प्र० सं०–64 द्वारा उत्तरित]

जनपद लखनऊ स्थित दुबग्गा से माल वाया बेहटा जाने वाले मार्ग के अवशेष कार्य को शीघ्र पूर्ण किये जाने की मांग

31–श्री कौशल किशोर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद लखनऊ स्थित दुबग्गा से माल वाया बेहटा जाने वाले मार्ग के अवशेष कार्य का डामरीकरण किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां । कार्य प्रारम्भ हो चुका है ।

प्रश्नगत मार्ग का कार्य दिनांक 10-07-2002 से प्रारम्भ किया जा चुका है तथा अक्टूबर, 2003 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर की तहसील लहरपुर के ग्राम रौरापुर में ईदगाह करबला की भूमि के अवैध कब्जों को हटाने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही

32–श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की राजस्व तहसील लहरपुर के ग्राम रौरापुर में दिनांक 1-8-97 को उप जिलाधिकारी द्वारा जिस भूमि पर ईदगाह बनी है व जिस भूमि पर 25 वर्ष पुराने मकान बने है तथा जिस भूमि पर देवस्थान है भूमि के पट्टे कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त पट्टों को निरस्त किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

जी हां ।

इस भूमि पर ईदगाह कर्बला है । भूमि सं०–785 रकबा 0.255 हे० कुछ भाग पर ग्रामवासियों द्वारा चबूतरा बनाकर पूजा स्थल का रूप दिया गया है तथा शेष भूमि पर खलिहान लगाया जाता है । अतः उक्त आवंटन के निरस्त करने की कार्यवाही धारा–198(4) जेड०ए०एल०आर० एक्ट के अन्तर्गत कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–सीतापुर की राजस्व तहसील लहरपुर के ग्राम पंचायत रौरापुर के गाटा सं०–785 के अनुचित आवंटन (पट्टे) को निरस्त करने की मांग

33–श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–सीतापुर की राजस्व तहसील लहरपुर के ग्राम पंचायत रौरापुर के गाटा सं०–785 जोकि भू-अभिलेखों में त्रुटिवश प्राचीन परती दर्ज हो गयी है, का पट्टा सीता पत्नी हरद्वारी की मृत्यु के तेरह वर्ष बाद दिनांक 1-8-97 को कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

जी नहीं ।

दिनांक 01-8-97 को गाटा सं०–785 रकबा 0.255 हे० स्थिति ग्रा० रौरापुर तहसील-लहरपुर जिला–सीतापुर का पट्टा सीता पत्नी हरद्वारी के नाम नहीं हुआ है, बल्कि गाटा सं०–785 रकबा 0.128 हे० स्थिति ग्राम रौरापुर तह० लहरपुर का पट्टा हरद्वारी पुत्र गोबर्धन व कलावती पत्नी हरद्वारी नि० ग्रा० भुसैला मजरा–रौरापुर के पक्ष में दिनांक 1-8-97 को संयुक्त रुप से किया गया था । आवंटित भूमि देवस्थान व खलिहान लगाये जाने के कारण ज० वि० अधि० की धारा–198(4) के अन्तर्गत आवंटन के निरस्तीकरण हेतु रिपोर्ट कलेक्टर महोदय सीतापुर के न्यायालय में भेज दी गयी है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद की तहसील बीकापुर की ग्राम सभा कनावा की भूमि नं० 242, 274, 344 पर अवैध कब्जों को हटाने की मांग

34–श्री राम विशुन आजाद–

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम सभा कनावा, तहसील बीकापुर जनपद फैजाबाद में स्थित ग्राम समाज की भूमि नं० 242, 274, 344 पर दबंग व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम समाज की उक्त भूमि से अवैध कब्जा हटवाकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

जी हां ।

जी हां ।

अवैध कब्जे हटवा दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बलिया जनपद के प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत आने वाली सड़कों की शीघ्र मरम्मत कराये जाने की मांग

35–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत आने वाली सड़कों की मरम्मत विगत 5 वर्षों से नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जनपद के प्रान्तीय खण्ड के अन्तर्गत आने वाली लेपन स्तर की टूटी सभी सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी नहीं । मरम्मत करायी गयी है ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

36–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

[दिनांक 26-8-2002 को अता० प्र० सं०–59 द्वारा उत्तरित]

37–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड–पचपेड़वा को तहसील बनाने की मांग

38–डा० शिव प्रताप यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत पचपेड़वा के स्थान पर नयी तहसील सृजित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

जी नहीं ।

क्षेत्र पंचायत पचपेड़वा तहसील सृजन हेतु निर्धारित मानक पूर्ण नहीं करता है ।

जनपद महोबा के चेकडेम/रपटा के निर्माण में धन के दुरुपयोग विषयक प्रश्नकर्त्ता के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

39–श्री सिद्ध गोपाल साहू–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र संख्या–45 दिनांक 24-6-2002 जो सचिव, लघु सिंचाई उ० प्र० शासन को जनपद महोबा में चेकडेम/रपटा के निर्माण में विभाग द्वारा की जा रही धांधली और सरकारी धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

जी हां ।

शिकायती-पत्र में अभिलिखित अनुरोधानुसार दिनांक 18 जुलाई, 2002 को इस प्रकरण की जांच किये जाने का निर्देश टेक्नीकल आडिट सेल को निर्गत किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महोबा के अधिशासी अभियन्ता को पलारिया प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

40–श्री सिद्ध गोपाल साहू–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र संख्या–44 दिनांक 24-6-2002 जो लोक निर्माण विभाग उ० प्र० शासन को जनपद महोबा के अधिशासी अभियन्ता श्री पलारिया प्रान्तीय खण्ड (लो०नि०वि०) द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, झांसी को जांच के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

41–श्री अनिल सिंह–

[5वें शुक्र के अता० प्र० सं०–82 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सिद्धार्थनगर में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त बर्डपुर–पल्टादेवी मार्ग को शीघ्र ठीक कराये जाने की मांग

42–श्री अनिल सिंह

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के बर्डपुर–मोहनाजोत बाया पल्टादेवी मार्ग भीषण बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त सड़क का निर्माण कार्य कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी नहीं । उक्त मार्ग का सही नाम बर्डपुर-पल्टादेवी मार्ग है जो कि आंशिक रुप से क्षतिग्रस्त है ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद वाराणसी के वरुणा नदी के नक्खी घाट पर पूर्व स्वीकृत, अपूर्ण पड़े पुल का निर्माण पूर्ण कराये जाने की मांग

43–श्री रामजीत राजभर–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद वाराणसी के वरुणा नदी के नक्खी घाट पर बन रहे पुल पर अब तक कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है ? क्या यह सही है कि धनाभाव के कारण उक्त पुल का निर्माण कार्य दो वर्षों से बन्द है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल के निर्माण कराये जाने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2002-2003 में धन की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

रु० 132.96 लाख ।

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

उत्तर प्रदेश कैडर के अभियन्ताओं, अवर अभियन्ताओं को उत्तरांचल में वापस बुलाने जाने हेतु शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड

44–श्री राम करन आर्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० कैडर के अभियन्ताओं, अवर अभियन्ताओं को उत्तरांचल में वापस बुलाने हेतु शासन द्वारा क्या मापदण्ड निर्धारित किया गया है ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल के मध्य पदों के विभाजन तथा कार्मिकों के आवंटन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 76 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति का गठन किया गया है । अतएव कर्मचारियों के आवंटन का कार्य भारत सरकार के कार्य-क्षेत्र में है । अतः इस पर उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा कोई मापदण्ड निर्धारित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर, सैदपुर भितरी मार्ग के बीच गंगा नदी पर भितरी के पास पुल निर्माण कराये जाने की मांग

45–श्री बीजू पटनायक–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत सादात विधान सभा क्षेत्र में सैदपुर, भितरी मार्ग के बीच गंगा नदी पर आवागमन के लिए भितरी के पास क्या पुल का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत सम्प्रति सम्भव नहीं है ।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर में अतिवृष्टि पीड़ित व्यक्तियों को शासन द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

46–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-9-2000 जो अतिवृष्टि से गिरे मकानों के मालिकों को आर्थिक सहायता दिलवाने के संबंध में था, जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि जिलाधिकारी, शाहजहांपुर ने पत्रांक 392 दिनांक 28-9-2000 द्वारा उपजिलाधिकारी तिलहर को उपरोक्त पत्र पर आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा था ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर उपजिलाधिकारी तिलहर द्वारा कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

उप जिलाधिकारी, तिलहर द्वारा मा० सदस्य के पत्र दिनांक 18-9-2000 की जांच तहसीलदार तिलहर से कराई गई । जांचोपरान्त अतिवृष्टि से गिरे मकानों के मालिकों को ग्राम जगतपिपरथना में 47 व्यक्तियों को रु० 28,200/–, ग्राम रुद्रपुर में 25 व्यक्तियों को रु० 16,600/–, ग्राम डमौरा में 146व्यक्तियों को रु० 87,600/- ग्राम बस्तीनग्ला में 09 व्यक्तियों को रु० 5,400/– एवं ग्राम रपड़िया में 27 व्यक्तियों को रु० 16,200/– गृह अनुदान मद में तथा ग्राम मरेना में एक व्यक्ति को रु० 2,000/–, ग्राम जगतपिपरथना में 02 व्यक्तियों को रु० 4,000 एवं ग्राम रुद्रपुर में 04 व्यक्तियों को रु० 52,500 अनुग्रह अनुदान मद में वितरित किया गया ।

पत्र में उल्लिखित अन्य ग्रामों यथासरसवा, कन्हानी, वटिप्रतिहरपुर, रपड़ा, अमरेड़ी धस कल्याणपुर, रमपुरा, नवादा, नगरिया–निमाजपुर में कोई क्षति न होने के कारण सहायता वितरित नहीं की गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत ग्राम बनरहा के अमवा ग्राम में चक मार्ग संख्या–929 पर प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटाने की मांग

47–श्री राम विशुन आजाद–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–गोण्डा के तहसील मनकापुर के अन्तर्गत ग्राम–बनरहा के अमवा ग्राम में चक मार्ग सं०–929 पर प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या चकरोड को खाली कराने हेतु दिनांक 25-6-2002 व 2-7-2002 तहसील दिवस के दिन ग्रामीणों द्वारा प्रार्थना-पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

ग्राम–बन्दरहा परगना व तहसील मनकापुर स्थित चकमार्ग संख्या–929 पर रामराज पुत्र गेल्हूई व मंगल पुत्र नान्हू निवासी ग्राम–बन्दरहा ने 0.015 एकड़ क्षेत्रफल पर खाई खोद कर कब्जा कर लिया था ।

जी हां ।

दिनांक 3-7-2002 को मौके पर पैमाइश कराकर खाई पटवाकर चकमार्ग साफ करा दिया गया है । अब अतिक्रमण नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त गौरा–औरा मार्ग की शीघ्र मरम्मत कराये जाने की मांग

48–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि आजमगढ़ जनपद के अन्तर्गत गौरा–औरा मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है ? जिससे स्थानीय जनता को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

जी हां ।

दिनांक 31-12-2002 तक मरम्मत कराये जाने का लक्ष्य है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत सोफीपुर मसलम पट्टी के क्षतिग्रस्त मार्ग को शीघ्र मरम्मत कराने की मांग

49–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि आजमगढ़ जनपद के अन्तर्गत सोफीपुर मसलम पट्टी मार्ग पन्द्रह कि०मी० क्षतिग्रस्त हो गया है ? जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त टूटे मार्ग का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

पैच मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है । निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगमजढ़ में भेवर नाथ तहबरपुर क्षतिग्रस्त मार्ग के शीघ्र मरम्मत कराये जाने की मांग

50–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आजमगढ़ में भेवर नाथ तहबरपुर मार्ग 10 कि०मी० क्षतिग्रस्त हो गया है ? इस मार्ग से लगभग 50 ग्राम सभायें जुड़ी हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां, इस मार्ग पर 50 ग्राम सभायें नहीं वरन 10 ग्राम सभायें जुड़ी हैं ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद बहराइच में जून, 2000 में समय से पूर्व पान्टून पुल बह जाने के कारण शासन को होने वाली हानि तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही

51–श्री चितरंजन स्वरुप–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, 2000 में जनपद बहराइच में पान्टून पुल बह गया था ? यदि हां, तो उसके क्या कारण है तथा उससे शासन को कितनी हानि हुई और क्या दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

आकस्मिक बाढ़ ।

रुपये 6.01 लाख ।

दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रकरण विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद जनपद के लोक निर्माण विभाग के प्रान्तीय खण्ड को वर्ष 2000 से 2003 तक सड़कों की मरम्मत/नवीनीकरण हेतु स्वीकृत धन एवं व्यय धनराशि का विवरण

52–श्री सीता राम निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग फैजाबाद के प्रान्तीय खण्ड को वित्तीय वर्ष 2000-2001, 2001-2002 एवं 2002-2003 में जनपद की सड़कों को गड्डा मुक्त कराने, उनकी वार्षिक मरम्मत एवं विशेष मरम्मत तथा नवीनीकरण के लिए शासन से कितना धन स्वीकृत किया गया तथा अवमुक्त धन का उपयोग किन-किन मार्गों पर किया गया है ? क्या अवमुक्त धन का उपयोग मानक के अनुसार किया गया है ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी

प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०, फैजाबाद को वर्ष 2000–01, 2001–02 एवं 2002–03 में जनपद की सड़कों को गढ्ढा मुक्त कराने उनकी वार्षिक मरम्मत, विशेष मरम्मत तथा नवीनीकरण के लिये निम्नानुसार धनराशि स्वीकृत की गई ।

मद	वर्ष में स्वीकृत धनराशि (रु० लाख)		
	2000–01	2001–02	2002–03
गढ्ढामुक्त (पैच मरम्मत)) वार्षिक मरम्मत	36.78	47.66	28.53
नवीनीकरण	126.80	110.05	05.55
विशेष मरम्मत	09.75	26.97	–
योग	173.73	184.68	34.08

उपरोक्त धनराशि से जिन मार्गों पर कार्य किया गया है उनकी सूची † संलग्न है ।

जी हां ।

जनपद खीरी (लखीमपुर) में औरंगाबाद बरबर के मध्य गोमती नदी पर (स्वीकृत) निर्माणाधीन पुल को शीघ्र पूर्ण कराये जाने की मांग

53–श्री बंशीधर राज–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मोहम्मदी, जनपद लखीमपुर खीरी में औरंगाबाद–बरबर के मध्य गोमती नदी पर पुल का निर्माण स्वीकृत है ? यदि हां, तो यह निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

मार्च, 2003 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

† छापी नहीं गयी ।

जनपद आजमगढ के थाना–मेंहनाजपुर, तहसील लालगंज ग्राम उधरा के श्री राज कुमार की निजी जमीन पर किये गये अवैध कब्जे को हटाये जाने की मांग

54–श्री जगराम सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़, थाना–मेंहनाजपुर, तह० लालगंज, ग्राम उधरा के श्री गुदरी के पुत्र श्री राजकुमार की सम्पूर्ण जमीन पर अपराधी किस्म के व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में मा० विधायक श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, स०वि०स० प्रतापगढ़ के पत्र के साथ संलग्न शिकायती-पत्र उन्हें माह जुलाई, 2002 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रवि गौतम–

जी हां ।

प्रकरण की जांच से यह तथ्य प्रकाश में आये है कि गाटा संख्या–70 रकबा–116 हे० व गाटा संख्या-92 रकबा-022 हे० गुदरी पुत्र जनई के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है, जिस पर चकबन्दी पूर्व से दशरथ, सखरज, प्रहलाद, अलरख पुत्रगण देवराज व छेदी, रामरुप, राजगिरि पुत्रगण विजाधर सा० उधरा का मकान व सहन है । गाटा संख्या–92 में कवलधारी पुत्र रामनाथ सा० उधरा का मकान व सहन चकबन्दी पूर्व का बना है । आकार पत्र 41 व 45 के विशेष विवरण में आबादी अंकित है । प्रश्नगत प्रकरण में दीवानी न्यायालय मे वाद संख्या–966/02 देवनाथ बनाम गुदरी व वाद संख्या–965 कवलधारी बनाम गुदरी व वाद संख्या–967 छेदी बनाम गुदरी दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है । मा० न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जायेगा ।

जनपद-गोण्डा में बभनान से खोडारे के बीच की क्षतिग्रस्त मुख्य सड़क को शीघ्र मरम्मत कराये जाने की मांग

55–श्री दिनेश सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद–गोण्डा में मुख्य सड़क बभनान से खोडारे के बीच सड़क क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण वर्षा में आवागमन बाधित हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क बरसात से पूर्व मरम्मत कराने पर विचार करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी नहीं ।

अनुरक्षण एक सतत प्रक्रिया है उपलब्ध संसाधनों से मरम्मत कार्य कराया जाता है ।

प्रश्नकर्त्ता के विधान सभा क्षेत्र रामनगर, जनपद बस्ती एस० आर० एम० डी० योजना के अन्तर्गत में 2000-2001 में स्वीकृत मार्गो का निर्माण कार्य की मांग

56–श्री अनूप कुमार पाण्डेय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र रामनगर जनपद बस्ती में वर्ष 2000-2001 में एस०आर०एम०डी० के अन्तर्गत स्वीकृत मार्गों का निर्माण कार्य क्या पूरा करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कार्य पूर्ण है ।

वर्ष 1998-99 में चौड़ीकरण हेतु स्वीकृत पीलीभीत-बहराइच मार्ग का कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने की मांग

57–श्री अनूप कुमार पाण्डेय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998-99 में चौड़ीकरण हेतु स्वीकृत पीलीभीत–बहराइच मार्ग का कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो कब ? क्या उक्त कार्य कराने वाले ठेकेदारों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

चौड़ीकरण का कोई कार्य स्वीकृत नहीं हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता क्योंकि चौड़ीकरण का कार्य स्वीकृत नहीं हुआ ।

जनपद आजमगढ़ के शहर-बाईपास के 10 कि०मी० तक लम्बे क्षतिग्रस्त मार्ग को शीघ्र मरम्मत कराकर आवागमन की असुविधा दूर करने की मांग

58–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ के शहर बाईपास मार्ग लम्बाई 10 कि०मी० क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग के मरम्मत का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?.

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद आजमगढ़ में आजमगढ़ फैजाबाद मार्ग की कतिपय क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

59–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ में आजमगढ़–फैजाबाद राजमार्ग, आजमगढ़–दोहरीघाट मार्ग, आजमगढ़–बिलरिया मार्ग, आजमगढ़–दोहरीघाट राजमार्ग क्षतिग्रस्त हो गये हैं ? जिससे आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद बिजनौर में, स्यौहारा ठाकुरद्वारा मार्ग पर रामगंगा नदी पर पुल का शीघ्र निर्माण कराये जाने की मांग

60–श्री मूलचन्द्र–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बिजनौर में स्यौहारा ठाकुरद्वारा मार्ग पर रामगंगा नदी पर पुल का निर्माण कार्य प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सम्भव नहीं है ;

जनपद वाराणसी के पुराना पुल वाराणसी से आशापुर चौराहे तक जाने वाली क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराने की मांग

61–श्री रामजीत राजभर–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद वाराणसी के पुराना पुल वाराणसी से आशापुर चौराहा तक जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी है ? जिससे आवागमन में कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो उक्त सड़क की मरम्मत कराके गड्ढा मुक्त कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

दिनांक 30-11-2002 तक मरम्मत कराने का लक्ष्य है ।

उपरोक्तानुसार ।

आयुक्त न्यायालय, गोरखपुर-मण्डल-गोरखपुर में अपर आयुक्त तथा पीठासीन अधिकारियों के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति किये जाने की मांग

62–श्री अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि आयुक्त न्यायालय, गोरखपुर मण्डल गोरखपुर में अपर आयुक्त तथा पीठासीन अधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने के संबंध में श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मंत्री, कमिशनर कोर्ट, बार एसोसिएशन गोरखपुर का पत्र दिनांक 6-7-2002 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

जी नहीं । सन्दर्भित पत्र दिनांक 6-7-2002 नहीं बल्कि श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री, दी कमिशनर्स-कोर्ट-बार-एसोसिएशन गोरखपुर का पत्र दिनांक 10-7-2002 जो मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को संबोधित है, प्राप्त हुआ है ।

आयुक्त कार्यालय, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर (अधिष्ठान) में अपर आयुक्त के 3 पद हैं, जिनके सापेक्ष 3 अपर आयुक्त तैनात किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया के रुद्रपुर तहसील के अन्तर्गत ग्राम सभा जंगल अकटहा की आराजी संख्या–674 की भूमि के फर्जी इन्दराज को निरस्त कराकर उक्त भूमि ग्राम समाज के खाते में वापस किये जाने की मांग

63–श्री अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–देवरिया के रुद्रपुर तहसील के अन्तर्गत ग्राम सभा जंगल-अकटहा की आराजी संख्या–674 जो भूलेख में नवीन परती दर्ज है और जो ग्राम सभा की सम्पत्ति

है, को पूर्व प्रधान श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ कन्हैया सिंह ने अपने नाम करा लिया है ? क्या उसकी जांच तहसील रुद्रपुर के एस०डी०एम० ने 20-9-95 को की तथा फर्जी इन्दराज निरस्त कर उक्त पूर्व प्रधान के विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाने का आदेश दिया था ? क्या उक्त प्रधान ने कमिश्नरी गोरखपुर न्यायालय में 23-9-95 को फर्जी तरीके से संदर्भ संख्या–275/95 तथा 39/527/डी/95 के तहत स्थगन आदेश ले लिया ? क्या सरकार उक्त प्रकरण का निस्तारण तत्काल कराने एवं इसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर उक्त भूमि, ग्राम समाज को सौंपने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

जी हां, किन्तु वर्तमान में आराजी संख्या–674 रकबा –0–206 हेक्टेयर नवीन परती के खाते में अंकित हैं ।

जी हां, तत्कालीन एस०डी०एस० ने आदेश दिनांक 20-9-95 पारित कर फर्जी इन्द्राज निरस्त कर दिया तथा जालसाजी करने वाले सम्बन्धित लोगों एवं कर्मचारियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही करने का आदेश दिया, परन्तु एस०डी०एम० के आदेश दि० 20-9-95 आदेश के विरुद्ध मा० आयुक्त, गोरखपुर मण्डल गोरखपुर के न्यायालय में निगरानी दाखिल की गयी । मा० न्यायालय द्वारा एस०डी०एम० के आदेश दिनांक 20-9-95 का क्रियान्वयन स्थगित कर दिया गया । निगरानी अभी भी विचाराधीन है ।

जी हां, किन्तु माननीय अपर आयुक्त गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के न्यायालय के आदेश को फर्जी कहा जाना सही नहीं है ।

प्रश्नगत भूमि ग्राम समाज के खाते में वापस कर दी गयी, किन्तु प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत न्यायालय में विचाराधीन है तथा एस०डी०एम० रुद्रपुर के आदेश दिनांक 20-9-95 का क्रियान्वयन मा० न्यायालय द्वारा स्थगित है । बाद के शीघ्र निस्तारण हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद खीरी में गोला सिकन्दराबाद मार्ग, रेहरिया, पिपरियां, एवं कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों के शीघ्र निर्माण एवं मरम्मत कराये जाने की मांग

64–श्री अरविन्द गिरि–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी में गोला सिकन्दराबाद मार्ग, रेहरिया, पिपरियां, उम्मपुर मार्ग, मोहम्मदी–सिकन्दराबाद मार्ग, सिकन्दराबाद, कस्तामार्ग, कस्ता भीखमपुर मार्ग, मितौली–मैनहन मार्ग, मितौली–बड़ागांव मार्ग मझगवा–टमहा घाट मार्ग पूर्णतया क्षति ग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों का पुर्न निर्माण सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

65–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[5वें सोम के अता० प्र० सं०–76 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बांदा में जिला योजना-4225 के अन्तर्गत स्वीकृत अपली कौर से बीरा जलालपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण शीघ्र कराये जाने की मांग

66–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में अपली कौर से बीरा जलालपुर सम्पर्क मार्ग जिला योजना–4225 में स्वीकृत है ? यदि हां, तो कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद बांदा में वित्तीय स्वीकृति प्राप्त त्रिवेणी-सम्पर्क-मार्ग का निर्माणाधीन कार्य निर्धारित मानक के विपरीत कराये जाने की टी०ए०सी० द्वारा जांच की मांग

67–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में त्रिवेणी सम्पर्क मार्ग आर० आई० डी० एफ०–7 में स्वीकृत है ? यदि हां, तो कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या मानक के विपरीत कार्य कराये जा रहे हैं ? क्या टी० ए० सी० जांच करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जी नहीं ।

जांच की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में आर०आई०डी०एफ०–6 में स्वीकृति एवं निर्माणाधीन अमलोट सम्पर्क मार्ग का कार्य मानक स्तर के विपरीत कराये जाने की टी० ए० सी० से जांच की मांग

68–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में अमलोट सम्पर्क मार्ग आर० आई० डी० एफ०–6 में स्वीकृत है ? यदि हां, तो कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा नहीं तो क्यों ? क्या मानक के विपरीत कार्य कराये जा रहे हैं ? क्या टी० ए० सी० से जांच करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जी नहीं ।

जांच की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद आजमगढ़ के बैदरा, भटनी, सुरजीपुर, भवनपुर चरोआ आदि ग्रामों के निवासियों की आवागमन की असुविधा दूर करने हेतु परशुरामपुर–महराजगंज रोड से च्योता–कप्तानगंज मार्ग का निर्माण कराने की मांग

69–श्री वसीम अहमद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद आजमगढ़ के बैदरा, भटनी, सुरजीपुर, भवनपुर चरोआ आदि ग्रामों के निवासियों को सड़क न होने के कारण आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार परशुरामपुर–महराजगंज रोड से च्योता तक तथा च्योता से महाराजगंज–कप्तानगंज मार्ग तक के मार्गों का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती के रुधौली क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराकर शीघ्र चालू कराये जाने की मांग

70–श्री आदित्य विक्रम सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद बस्ती से रुधौली मार्ग काफी जीर्ण-शीर्ण हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों को उपलब्धता के अनुसार मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत मनकापुर विधान सभा क्षेत्र में अमघटी घाट पर बने पुल के पथकर को समाप्त करने की मांग

71–श्री राम विशुन आजाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत मनकापुर विधान सभा क्षेत्र में अमघटी घाट पुल के निर्माण की लागत पथकर से वसूल कर ली गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त पुल का पथकर समाप्त किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि नियमानुसार न तो पुल के निर्माण की कुल लागत ब्याज पथकर की वसूली में और उसके रख-रखाव पर हुए व्यय आदि की धनराशि ही वसूल हो पायी है और न ही पुल पर पथकर लगाने के प्रथम दिनांक से पचास वर्ष की अवधि ही पूर्ण हुई है ।

जनपद व तहसील लखनऊ के अन्तर्गत ग्राम बरावन कलां के चकमार्ग सं०–1773 पर अनधिकृत कब्जे को हटाने की मांग

72–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2001 के द्वितीय गुरुवार को श्री जगदीश नारायण राय, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अता० प्रश्न सं०–18 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि जनपद व तह० लखनऊ के अन्तर्गत ग्राम बरावन कलां के चकमार्ग सं०–1773 को कतिपय व्यक्तियों द्वारा अपने

खेतों में मिला लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चकरोड खाली करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

ग्राम बरावन कला परगना तहसील व जिला लखनऊ में स्थित चकमार्ग सं०–1773 क्षेत्रफल 0.163 हेक्टेयर पर किसी का अनाधिकृत कब्जा नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव की तहसील हसनगंज के ग्राम बाराबुजुर्ग में गाटा सं०–243 एवं कतिपय अन्य ग्राम सभा भूमि पर हुये अवैध कब्जों को हटाने की मांग

73–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद उन्नाव तह० हसनगंज स्थित ग्राम बाराबुजुर्ग में गाटा सं०–243, 18 बिस्वा 326–13 बिस्वा, 375–13 बिस्वा, 421–7 बिस्वा, 446–10 बिस्वा कुल 3 बीघा एक बिस्वा बंजर से खारिज कर श्री राम शंकर पुत्र श्री भगवानदीन के नाम पट्टे के आधार पर अपील संख्या–33 शंकर बनाम ग्राम सभा दि० 24-11-79 का न्यायालय आदेश बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, उन्नाव द्वारा सीरदारी में दर्ज करते हुए मालगुजारी नियमानुसार कायम किए जाने हेतु आदेशित किया गया था ? यदि हां, तो उक्त सम्पूर्ण जमीन का कब्जा दिला दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अब तक कब्जा न दिलाये जाने के संबंध में दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही कराते हुए उक्त सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा दिलाने हेतु आदेशित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गाजीपुर के सादात विकास खण्ड के अन्तर्गत भीमापार खिदरगंज, मई बरापारा मार्ग की क्षतिग्रस्त डेढ़ कि०मी० लम्बी पिच की शीघ्र मरम्मत कराने की मांग

74–श्री बीजू पटनायक–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के सादात विधान सभा के अन्तर्गत भीमापार खिदरगंज, मई बरापारा मार्ग का लगभग डेढ़ कि०मी० पिच न होने से काफी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो उक्त अधूरे निर्माण कार्य को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नाथनगर से बस्ती मण्डल मुख्यालय पर अलीनगर में कठिनाइयां नाले/ नदी पर शीघ्र पुल निर्माण की मांग

75–श्री शंख लाल माझी–

क्या सरकार को ज्ञात है कि नाथनगर से बस्ती मण्डल मुख्यालय पर अलीनगर में कठिनाइयां नाले व नौरंगिया–गोरया घाट मार्ग पर किडहिरिया में कठिनाइयां नदी पर लगभग 40 वर्ष पूर्व बने लकड़ी के

[illegible] पुल के कारण हर साल बरसात में आवागमन बन्द हो जाता है ? क्या सरकार उक्त मार्ग पर [illegible] सी० सी० पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी नहीं ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत पुल निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद संतकबीरनगर में खलीलाबाद, बसवारीगांव, नाथनगर,–मुखलिसपुर, बन्डा-सुरैना, लोहरैया-कूरी, आदि कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों पर निर्माणाधीन/मरम्मत कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जो की मांग

76–श्री शंख लाल मांझी–

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद संतकबीरनगर में खलीलाबाद धनघटा उमरिया (एम०डी०आर०) मार्ग, बसवारीगांव से कलवारी मार्ग (एस०आर०) नाथनगर–काली–बेलहरा मार्ग (डी०आर०) मुखलिसपुर–सतहरा मार्ग (वी०आर०) बन्डा–सुरैना मुडाडीहा मार्ग (वी०आर०) लोहरैया से कूरी मार्ग, हैसर से डेवरी असरापुर–जगदीशपुर (वी०आर०) नाथनगर भिटनी हरिहरपुर मार्ग (वी०आर०) पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गये हैं ? क्या सरकार उपरोक्त क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

बरसात के कारण मार्गों पर कुछ पैच एवं पाट होल्स हो गये हैं जिनकी मरम्मत का कार्य उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत कराया जा रहा है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

77–श्री अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद आजमगढ़ में मैगापुर–अमरौला–बनकर मार्ग तथा खरघपुर–तोफापुर–बिन्दवल मार्ग पर पड़ने वाली क्याड नदी पर पुल निर्माण कराये जाने की मांग

78–श्री वसीम अहमद–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ में मैगापुर–अमरौला–बनकर मार्ग तथा खरघपुर–तोफापुर–बिन्दवल मार्ग पर पड़ने वाली क्याड नदी पर पुल बनाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ? उक्त पुलों का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़ फैजाबाद राजमार्ग एवं जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत शीघ्र करने की मांग

79–श्री वसीम अहमद–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ फैजाबाद राजमार्ग और जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत अन्धरापुर बाजार, कप्तानगंज बाजार व आजमगढ़ दोहरीघाट राजमार्ग रौनापार जिला मार्ग,

बिलरियागंज बाजार, कन्धरापुर–जैगगहां मार्ग, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गये हैं ? यदि हां, तो सरकार उक्त मार्गों की मरम्मत कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी--

प्रश्न में उल्लिखित मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है ।

सामान्य मरम्मत मद में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से आंशिक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़–जीयतपुर–बलिया कल्याणपुर–मुबारकपुर मार्ग पर पड़ने वाली टौंस नदी पर पुल बनाने हेतु लिये गये निर्णय/समयावधि की जानकारी

80–श्री वसीम अहमद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़–जीयतपुर मार्ग से बलिया कल्याणपुर व मुबारकपुर मार्ग पर पड़ने वाली टौंस नदी पर पुल बनाने हेतु अभी हाल ही में सर्वे कराया गया है ? यदि हां, तो पुल का निर्माण कब तक कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

सेतु निर्माण कार्य अक्टूबर, 2002 में प्रारम्भ करके जून, 2004 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड तहबरपुर की क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्र मरम्मत कराने की मांग

81–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड तहबरपुर के बाजार व तहबरपुर की सड़कें क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर के अन्तर्गत कोरिया, रवाईपुर–गोपालपुर–घाटमपुर के पूर्व स्वीकृत मार्गों का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने की मांग

82–श्री राकेश सचान–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर के अन्तर्गत कोरिया, रवाईपुर–गोपालपुर–घाटमपुर मार्ग वर्ष 1994 में स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्गों का निर्माण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

जी नहीं ।

गोपालपुर से शीतलपुर–रवाईपुर–कोरिया मार्ग के 1.70 कि०मी० में सोलिंग का कार्य पूर्ण है । शेष कार्य धन की उपलब्धता पर निर्भर है । घाटमपुर–गोपालपुर मार्ग का 2.40 कि०मी० का लेपन कार्य पूर्ण है तथा 600 मीटर लम्बाई में कार्य भूमि अध्याप्ति प्रक्रिया के कारण लम्बित है ।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर में व्यापक भ्रष्टाचार की जांच विषयक प्रश्नकर्ता के दिनांक 31-8-2000 एवं 4-9-2000 के कथित पत्रपर कृत कार्यवाही

83–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31-8-2000 व दिनांक 4-9-2000 जो तहसील कार्यालय तिलहर में व्यापक भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में था, जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ ? क्या यह भी सच है कि जिलाधिकारी, शाहजहांपुर ने अपने पत्रांक–325 व पत्रांक–327 दि० 16-9-2000 द्वारा उप जिलाधिकारी, तिलहर को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा था ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्रों पर उप जिलाधिकारी तिलहर द्वारा क्या कार्यवाही की गयी । यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

मा० सदस्य के उक्त पत्र दिनांक 31-8-2000 व दिनांक 4-9-2000 कार्यालय तिलहर में व्यापक भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में न होकर बाढ़ से प्रभावित लोगों में राहत सहायता वितरित कराये जाने के सम्बन्ध में थे ।

पत्रों में अंकित बिन्दुओं की जांच के उपरान्त अतिवृष्टि से गिरे मकानों के मालिकों को ग्राम जगत पिपरथना में 47 व्यक्तियों को रु० 28,200-00, ग्राम रुद्रपुर में 25 व्यक्तियों को रु० 16,600-00, ग्राम डभौरा में 146 व्यक्तियों को रु० 87,600-00, ग्राम बस्तीनगला में 9 व्यक्तियों को रु० 5,400-00, ग्राम रपड़िया में 27 व्यक्तियों को रु० 16,200-00 गृह अनुदान एवं ग्राम मरेना में एक व्यक्ति को रु० 2000-00 ग्राम जगत पिपरथना में 2 व्यक्तियों को रु० 4000-00 एवं ग्राम रुद्रपुर में 4 व्यक्तियों को रु० 52,500-00 अनुग्रह अनुदान वितरित किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर में लुम्बनी निर्माणाधीन दुद्धी मार्ग पर पड़ने वाले मड़ियाहूं बाईपास मार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने की मांग

84–श्री पारसनाथ यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर में लुम्बनी दुद्धी मार्ग पर पड़ने वाले मड़ियाहूं कस्बे में मड़ियाहूं बाईपास का निर्माण लगभग पांच वर्षों से निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि बाईपास के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2001-2002 में धन आवंटित किया गया था ? यदि हां, तो कितना ? क्या कार्यदायी संस्था को उक्त निर्माण हेतु धनराशि प्रदान कर दी गयी ? उक्त मार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

रु० 83.16 लाख का आवंटन किया गया था ।

साख सीमा प्राप्त न होने के कारण धनराशि का उपयोग नहीं हो सका ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद आजमगढ़ के फूलपुर विधान सभा क्षेत्र के पवई ब्लाक में कुंवर नदी पर सांदमा घाट पर शीघ्र ही पुल बनाने की मांग

85–श्री राम नरेश यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के फूलपुर विधान सभा क्षेत्र के पवई ब्लाक में कुंवर नदी पर सांदमा घाट पर पुल बनाने का सर्वे कराया जा चुका है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कब से आरम्भ कर दिया जायेगा ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया से कुशीनगर, पडरौना से नेबुआ रायगंज हवा छितौनी–बगहां रेल–सड़क–सह-पुल मार्ग को शीघ्र पूर्ण कराने की मांग

86–श्री बादशाह सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि विश्व बैंक योजना से स्वीकृत राष्ट्रीय राज्याश सं०–79 देवरिया से कुशीनगर, पड़रौना से नेबुआ–रायगंज से खड्डा होते हुए पनियहवा के पास छितौनी–बगहां रेल–सड़क सह पुल मार्ग पार करते हुए मुजफ्फरपुर (बिहार) पर निर्माण कार्य धनाभाव के कारण रुका हुआ है ? यदि हां, तो उस पर निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कुशीनगर अन्तर्गत खड्डा–पडरौना क्षेत्र के बरसात में क्षति ग्रस्त एवं जीर्ण-शीर्ण पिच मार्ग की मरम्मत कराने की मांग

87–श्री बादशाह सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–कुशीनगर अन्तर्गत खड्डा पडरौना पिच मार्ग गत वर्ष बरसात में अतिवृष्टि के कारण टूट कर जीर्ण-शीर्ण हो गया है ? यदि हां, तो उस मार्ग की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

वित्तीय ससाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद एटा एवं जनपद फर्रुखाबाद को जोड़ने वाले मोहम्मदाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत नवखगंज–अलीगंज के क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत शीघ्र कराने की मांग

88–श्री नरेन्द्र सिंह यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि मोहम्मदाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत नवखगंज अलीगंज मार्ग जो दो जनपदों एटा, फर्रुखाबाद को जोड़ता है, पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को बनवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी नहीं, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद उन्नाव की तहसील–बीघापुर की ग्राम पंचायत त्रिपुरारिपुर के गाटा सं०–2036 व 2037 की पैमाइश कराकर अवैध कब्जे को हटाकर दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने की मांग

89–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद उन्नाव की तहसील–बीघापुर की ग्राम पंचायत त्रिपुरारिपुर के गाटा संख्या 2036 व 2037 की बन्दोबस्त अधिकारी के पत्र सं० 142/पी० के० दिनांक 10 जुलाई, 2000 तथा दिनांक 18-6-2002 को तहसील दिवस पर जिलाधिकारी द्वारा दिये गये आदेशानुसार पैमाइश करा दी गयी है ? क्या यह सही है कि वर्तमान में कुछ लोगों द्वारा इसके कुछ भाग पर अभी भी कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध कब्जे को हटवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

जी, हां ।

दिनांक 6-7-2002 के शिकायती पत्र पर सहायक चकबन्दी अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है कि यदि अवैध कब्जा पाया जाय तो उसे तत्काल हटवा दें और अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही करें ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव तहसील–बीघापुर नगर पंचायत पुरवा मो०–दलीगढ़ी के गाटा सं०–192 के आवासीय भूखण्ड पर कब्जा दिलाये जाने विषयक न्यायालय के विचाराधीन प्रकरण

90–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि लक्ष्मीकान्त निवासी–रम्पाखेड़ा थाना–पुरवा, तहसील-बीघापुर, जनपद उन्नाव के गाटा नं० 192 मि०, मो०–दलीगढ़ी, पुरवा जनपद-उन्नाव स्थित आवासीय भूखण्ड पर कब्जा दिलाये जाने विषयक राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्रम विभाग का पत्र सं-992 रा० म/श्रम/2001, दिनांक 11-4-2001 मा० राजस्व मंत्री के कार्यालय के रजि० सं० 1426 दिनांक 12-04-2001 तथा मुख्य मंत्री के जनता दर्शन का पत्र दिनांक 16-4-2001 जिलाधिकारी उन्नाव को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

जी हां ।

प्रार्थना-पत्रों की जांचोपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आये कि विवादित स्थल अन्दर नगर पंचायत पुरवा आबादी में स्थित है जिसके अभिलेख तहसील कार्यालय में उपलब्ध नहीं है । प्रश्नगत मामले में न्यायालय सिविल जज द्वारा दिनांक 22-2-85 को आदेश पारित किया गया कि वादीगण के कब्जा व दखल में कोई हस्तक्षेप न करें । प्रकरण मा० न्यायालय के विचाराधीन है ।

जनपद फर्रुखाबाद के अन्तर्गत जहांनगंज से माडल शंकरपुर तक की क्षतिग्रस्त सड़क की शीघ्र मरम्मत कराने की मांग

91–श्री जमालुद्दीन सिद्दीकी–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के अन्तर्गत जहांनगंज से माडल शंकरपुर तक सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो उक्त सड़क की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

मरम्मत कार्य प्रगति में है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद कन्नौज के अन्तर्गत रामाश्रम से विराहिमपुर होते हुये जी० टी० रोड को जोड़ने वाली क्षतिग्रस्त सड़क की शीघ्र मरम्मत कराने की मांग

92–श्री जमालुद्दीन सिद्दीकी–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद कन्नौज के अन्तर्गत रामाश्रम से विराहिमपुर होते हुये जी० टी० रोड को जोड़ने वाली सड़क अत्यन्त खराब है ? यदि हां, तो उक्त सड़क की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में स्थित 5.20 कि०मी० मार्ग क्षतिग्रस्त है ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रदेश के अन्दर कुल कृषि फार्मों की जानकारी एवं इन सरकारी कृषि फार्मों द्वारा विगत पांच वर्षों में प्रदेश को होने वाले लाभ-हानि का विवरण देने की मांग

93–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कृषि विभाग के कुल कितने सरकारी कृषि फार्म हैं ? उनका रकबा कुल कितना है ? उन कृषि फार्मों से विगत पांच वर्षों में कुल कितने रुपये का लाभ अथवा हानि हुई ? क्या सरकार सम्पूर्ण ब्यौरा सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां । कृषि विभाग के कुल प्रक्षेत्रों की संख्या–167 है ।

कुल रकबा 6834.35 हैक्टेयर कृषि रकबा 4424.38 हैक्टेयर है ।

कृषि फार्मों से विगत पांच वर्षों की लाभ-हानि का विवरण निम्नवत है :–

(लाख रुपये में)

वर्ष	लाभ	हानि
1996-97	58.49	—
1997-98	—	137.45
1998-99	—	63.18
1999-2000	24.63	—
2000-2001	—	8.03
		(अनन्तिम)

जी हां । विस्तृत विवरण † संलग्न है ।

जिला व तहसील देवरिया की ग्राम सभा पकड़ीबीर भद्र में आराजी संख्या–154, 156, 157 एवं 170 पर स्थानीय लोगों द्वारा किये गये अनाधिकृत कब्जों को हटाने की मांग

94–श्री रमापति उर्फ रमाकान्त–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा पकड़ीबीर भद्र तहसील व जिला देवरिया में अराजी संख्या 154, 156, 157 एवं 170 पर स्थानीय लोगों द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर लिया गया है ? क्या सरकार उक्त भूमि को खाली कराकर अनाधिकृत कब्जाधारकों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

आ० नं०–154 के आंशिक भाग पर कब्जा है ।

अनाधिकृत कब्जा धारकों के विरुद्ध ज०वि० अधि० की धारा–122 बी० के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर में 30 जून, 2002 तक धारा–122 बी० के विचाराधीन मुकदमों की संख्या एवं त्वरित निस्तारण की मांग

95–श्री आनन्द सेन–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील–मिल्कीपुर, जनपद–फैजाबाद में 30 जून, 2002 तक 122 बी० के कितने मुकदमें लम्बित हैं ? इनमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–122 बी० के अन्तर्गत 612 मुकदमें लम्बित है ।

† छापा नहीं गया ।

[illegible] वादों में से माह जुलाई में 47 वादों का निस्तारण कर दिया गया । अवशेष वाद [illegible] आपत्ति व मवाद आपत्ति की कार्यवाही में विचाराधीन हैं जिनके त्वरित निस्तारण हेतु निर्देश दिये [illegible] है ।

जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर के अन्तर्गत रमईपुर से जहानाबाद तक के क्षतिग्रस्त मार्ग की शीघ्र मरम्मत कराने की मांग

[illegible] श्री राकेश सचान–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर के अन्तर्गत रमईपुर से जहानाबाद मार्ग का 6 किलोमीटर का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद फतेहपुर को जोड़ने वाले इस मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

प्रश्नगत मार्ग का 6 कि०मी० नहीं अपितु 4.3 कि०मी० मार्ग क्षतिग्रस्त है ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उत्तरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद कानपुर नगर की तहसील घाटमपुर के अन्तर्गत जहानाबाद साढ़मार्ग से करछलीपुर उमरा तक के सम्पूर्ण मार्ग को पक्का कराये जाने की मांग

97–श्री राकेश सचान–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर के अन्तर्गत जहानाबाद साढ़मार्ग से करचुलीपुर उमरा (4 कि०मी०) मार्ग पक्का करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मार्ग कब तक पक्का करा दिया जायेगा ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी नहीं ।

जहानाबाद साढ़ मार्ग से करछलीपुर उमरा तक मार्ग की कुल लम्बाई 4.00 कि०मी० में से करछलीपुर तक का 1.50 कि०मी० भाग प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत एवं वर्तमान निर्माणाधीन है । करछलीपुर से उमरा तक 2.50 कि०मी० भाग में कच्चा रास्ता है । ग्राम उमरा एक ओर से पक्के मार्ग से जुड़ा है ।

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील इटवा के तहसील भवन के शीघ्र निर्माण हेतु धन अवमुक्त करने की मांग

98–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील इटवा के भवन हेतु सरकार द्वारा सम्पूर्ण धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त कराकर भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो सरकार उक्त तहसील भवन का निर्माण कब तक पूर्ण करायेगी ?

श्री रवि गौतम–

जी नहीं ।

संसाधन उपलब्ध होने पर भवन निर्माण हेतु धन की स्वीकृति संभव होगी ।

जनपद फर्रूखाबाद के अन्तर्गत सिंगीरामपुर, राजीपुर, उदरनपुर क्षतिग्रस्त मार्ग की शीघ्र मरम्मत कराये जाने की मांग

99–श्री जमालुद्दीन सिद्दीकी–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फर्रूखाबाद के अन्तर्गत सिंगीरामपुर, राजीपुर, उदरनपुर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद रामपुर की तहसील शाहाबाद के ग्राम कूप व नौराहा के बीच टूटी पुलिया के स्थान पर नयी पुलिया के शीघ्र निर्माण कराने की मांग

100–श्री काशी राम–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि 23 शाहाबाद रामपुर में ग्राम कूप व नौराहा के बीच पुलिया टूट गयी है ? जिससे कूप व अन्य गाँवों का रास्ता बन्द हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुलिया का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

आवागमन प्रभावित है ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद मेरठ के ब्लाक-माक्षरा के गढ़ रोड से भट्टीपुरा तक एवं आसिफाबाद से गेसूपुर तक का मार्ग का निर्माण कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में शीघ्र पूर्ण कराने की मांग

101–श्री शाहिद मंजूर–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेगे कि जनपद–मेरठ के ब्लाक–माक्षरा गढ़ रोड से भट्टीपुरा तक मार्ग का शेष भाग 0.830 कि०मी० एवं आसिफाबाद से गेसूपुर मार्ग का पुनः निर्माण कार्य 3.840 कि०मी० का मार्ग आर०आई०एस० योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में किया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

गढ़ रोड से पट्टीपुरा तक मार्ग का शेष भाग लम्बाई 0.83 कि०मी० वास्तविक लम्बाई 0.60 कि०मी० की लागत रु० 4.79 लाख से द्वितीय सतह लेपन तक का कार्य माह मई, 2001 में पूर्ण कराया जा चुका है ।

आसिफाबाद से गैसूपुर मार्ग का पुनः निर्माण लम्बाई 3.84 कि०मी० जिला योजना (आर०ई०एस०)वर्ष 97–98 के अन्तर्गत स्वीकृत है, जिसके विरुद्ध 3.00 कि०मी० लम्बाई टापकोट तक का कार्य माह मार्च, 2001 तक पूर्ण किया जा चुका है ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद मेरठ के विकास खण्ड-परीक्षितगढ़ के मुख्य मार्ग से अम्बेडकर ग्राम-सारगपुर, मिश्रीपुर 5.40 कि०मी० पेटिंग के कार्य को शीघ्र पूरा कराने की मांग

102–श्री शाहिद मंजूर–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–मेरठ के विकास खण्ड–परीक्षितगढ़ के मुख्य मार्ग से अम्बेडकर ग्राम–सारगपुर, मिश्रीपुर 5.40 कि०मी० पेंटिग का कार्य जिला योजना आर०आई०एस० के अन्तर्गत प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब शुरु करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

निर्माण कार्य माह सितम्बर, 2000 में प्रारम्भ किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मेरठ के ब्लाक-माधरा में आर०आई०डी०एफ०–5 के अन्तर्गत महलवाला से जड़ौदा सम्पर्क मार्ग हेतु वित्तीय स्वीकृति की मांग

103–श्री शाहिद मंजूर–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मेरठ के ब्लाक–माधरा में आर०आई०डी०एफ०–5 के अन्तर्गत महलवाला से जड़ौदा सम्पर्क मार्ग लगभग दो कि०मी० निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2002–2003 में स्वीकृति दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी नहीं ।

महलवाला से जड़ौदा सम्पर्क मार्ग की वित्तीय वर्ष 1999–2000 में स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है ।

जनपद-मेरठ के ब्लाक-परीक्षितगढ़ में खजूरी सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने की मांग

104–श्री शाहिद मंजूर–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–मेरठ के ब्लाक–परीक्षितगढ़ में खजूरी सम्पर्क मार्ग लगभग एक कि०मी० है, आर०आई०डी०एफ०–5 के अन्तर्गत बनाया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

माह, मार्च, 2003 तक कार्य पूर्ण कराने का लक्ष्य है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मेरठ के माछरा ब्लाक का गढ़ रोड से फतेहपुर नारायण तक के मार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने की मांग

105–श्री शाहिद मंजूर–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मेरठ के माछरा ब्लाक का गढ़ रोड से फतेहपुर नारायण 1.50 कि०मी० मार्ग का पुनः निर्माण आर०आई०एस० योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां । ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग की जिला योजना में स्वीकृत था ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा में एतमाद्दौला से रामबाग चौराहे पर चौराहे के पास की क्षतिग्रस्त पुलिया की शीघ्र मरम्मत कराने की मांग

106–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा में एतमाद्दौला से रामबाग चौराहे पर चौराहे के पास की पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है जिससे आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

उक्त क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत करा दी गई है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद-मेरठ के किठौर विधान सभा क्षेत्र में मण्डी परिषद् द्वारा विगत पांच वर्षों में निर्मित की गयी सड़कों/निर्माण हेतु आवंटित धन की जानकारी

107–श्री शाहिद मंजूर–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–मेरठ के किठौर विधान सभा क्षेत्र में मण्डी परिषद् द्वारा विगत पांच वर्ष में कितनी सड़कें निर्मित की गई है तथा उक्त सड़कों के निर्माण हेतु कितना धन आवंटित किया गया ?

श्री हुकुम सिंह–

कुल 07 नग सड़के निर्मित की गयी हैं ।

सड़कों के निर्माण हेतु रुपया 43.88 लाख आवंटित किया गया है ।

जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज से हाटा क्षतिग्रस्त मार्ग की शीघ्र मरम्मत कराये जाने की मांग

108–श्री राधेश्याम सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद कुशीनगर में कप्तानगंज से हाटा मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी-

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

109–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[5 वें सोम के अता०प्र०सं०–75 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अनुसूचित जाति के कृषकों को निःशुल्क बोरिंग सुविधा के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 3-6-02 पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही

110–श्री सुल्तान बेग–

क्या लघु सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत अनु० जाति के कृषकों को निःशुल्क बोरिंग हेतु 5 एकड़ ही भूमि रखने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 3–6–02 मा० मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

प्रकरण परीक्षणाधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया के रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र के निर्माणाधीन खड़न्जा मार्गों पर सोलिंग मरम्मत हेतु खर्च की जा रही अनुबन्ध से अधिक धनराशि के सत्यापन की मांग

111–श्री अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद देवरिया के रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नाबार्ड–6 योजना में निर्माणाधीन खड़न्जा मार्गों पर सोलिंग मरम्मत के नाम पर अनुबन्ध से अधिक की धनराशि का भुगतान वर्ष 2000–2001, 2001–2002 में किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी नहीं । भुगतान की गई धनराशि अनुबन्ध की धनराशि से कम है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 1998 से 2002 तक मार्ग निर्माण हेतु स्वीकृत/पूर्ण/अपूर्ण मार्गों की जानकारी एवं अपूर्ण मार्गों का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने की मांग

112–श्री राम विशुन आजाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत वर्ष 1998 से 2002 तक जिला योजना के अन्तर्गत कितने मार्गों को स्वीकृत किया गया और कितने मार्गों पर कार्य पूर्ण करवा दिया गया कितने मार्ग अब तक अपूर्ण हैं ? उक्त अपूर्ण मार्गों को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

29(उन्तीस) मार्ग स्वीकृत हैं ।

16 मार्गों के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। 13 मार्गों के कार्य अपूर्ण हैं। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के निर्माणाधीन भीटी-नन्सा-बरेहटा मार्ग तथा जाना-नन्सा मार्ग हेतु स्वीकृत धन की जानकारी एवं अवशेष कार्य शीघ्र पूर्ण कराने की मांग

113–श्री सीताराम निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग फैजाबाद के निर्माणाधीन भीटी–नन्सा–बरेहटा मार्ग, जाना-नन्सा मार्ग का शून्य से लेपन स्तर तक निर्माण हेतु नाबार्ड योजना अन्तर्गत कितना धन कब–कब शासन से स्वीकृत किया गया है तथा कितना धन लोक निर्माण विभाग फैजाबाद को अवमुक्त किया गया है ? अवमुक्त धन से किस स्तर तक कार्य कराया गया है ? क्या अवशेष कार्य चालू वित्तीय वर्ष 2002-2003 में पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

नाबार्ड योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित धन स्वीकृत एवं लोक निर्माण विभाग फैजाबाद को अवमुक्त हुआ है :–

1–भीटी–नन्सा–बरेहटा मार्ग:–

वर्ष	आवंटन (रु० लाख में)
1996-97	8.00
1997-98	20.91
1998-99	8.00
2000-2001	16.26
योग	53.17 लाख

2–जाना–नन्सा मार्ग:–

वर्ष	आवंटन (रु० लाख में)
1998-1999	2.50
1999-2000	46.50
योग	49.00

भीटी नन्सा बरेहटा मार्ग पर 6.00 कि०मी० में टापकोट स्तर तक 1.00 इन्टरकोट स्तर तक तथा 0.50 कि०मी० पर्दर सोलिंग कोट स्तर तक निर्माण कार्य कराया गया है, तथा जाना–नन्सा मार्ग पर 6.00 कि०मी० में मिट्टी का कार्य एवं 2.50 कि०मी० टापकोट स्तर तक का कार्य कराया गया है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपलब्धतानुसार।

वित्तीय वर्ष 2002–2003 में फैजाबाद जनपद की जर्जर सड़कों की मरम्मत व सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के कार्य हेतु आहरित धन की तकनीकी जांच

114–श्री सीताराम निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि वित्तीय वर्ष 2002–2003 में फैजाबाद जनपद की जर्जर सड़कों की मरम्मत व गड्ढा मुक्त कार्य के लिए 17 लाख रुपया शासन द्वारा प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण फैजाबाद को अवमुक्त किया गया है ? क्या यह सही है कि सड़कों की मरम्मत व गड्ढा मुक्त कार्य नहीं कराया गया है और धनराशि आहरित कर ली गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी तकनीकी जाँच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी नहीं । वित्तीय वर्ष 2002-2003 में सड़कों के सामान्य मरम्मत व अनुरक्षण मद में प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, फैजाबाद को रु० 28.53 लाख आवंटित किया गया है ।

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–कुशीनगर के खड्डा–पडरौना पी०डब्लू०डी० सड़क के पिच को चौड़ा करने हेतु धन आवंटन करने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

115–श्री बादशाह सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि विशेष सचिव, उ०प्र० शासन व अनुसचिव लोक निर्माण अनुभाग–1 द्वारा पत्र सं०एम–466(1)/23–1–2000 दिनांक 17 अगस्त, 2000 के द्वारा जनपद–कुशीनगर के खड्डा–पडरौना पी०डब्लू०डी० सड़क के दोनो किनारे एक–एक मी० खण्ड़जा कार्य करने या पिच को चौड़ा करने हेतु धन आवंटन विषयक पत्र मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां, किन्तु विषयगत पत्र संख्या–एम.466(1)/23-1-2000, दिनांक 17-8-2000 न होकर पत्र संख्या–एम.486/23-1-2000, दिनांक 17-8-2000 हैं ।

सीमित वित्तीय संसाधन के कारण कार्य स्वीकृत नहीं हुआ ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद–मिर्जापुर के बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा चकबन्दी आयुक्त को सम्बोधित सीमांकन करने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

116–श्री विजय सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, जनपद–मिर्जापुर का पत्र क्रमांक–497/पी०के०, दिनांक 22–6–2002 जो चकों के सीमांकन विषयक है, चकबन्दी आयुक्त को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रश्नगत प्रकरण मे अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

जी हां ।

जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी के आदेशों के अनुरूप कार्यवाही किये जाने हेतु बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी मिर्जापुर को चकबन्दी आयुक्त के पत्र दिनांक 20-8-2002 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा श्रीमती अमरावती कुँवर (पत्नी स्व० नन्द किशोर सिंह) निवासी–ग्राम कैवटाबीर, तहसील व जिला मीरजापुर को मृत दिखाकर भू-सम्पत्ति हड़पने के सम्बन्ध में भेजे गये नोटिस पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही

117–श्री विजय सिंह तथा श्री रामजीत राजभर–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिन्दा व्यक्तियों को अभिलेखो में मृत दिखाकर उनकी भू–सम्पत्ति हड़पने के संबंध में अमरावती कुँवर पत्नी स्व० नन्द किशोर सिंह निवासी–ग्राम कैवटाबीर, तहसील व जिला मीरजापुर का प्रत्यावेदन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा निस्तारण हेतु नोटिस नं० 24641/24/1999–2000 एफ०सी०, केस नं० 17543/24/2001–2002 दिनांक 1–5–2002 के द्वारा विशेष सचिव, राजस्व उ०प्र० शासन को संदर्भित किया गया है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रश्नगत प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण में जिलाधिकारी मिर्जापुर से आख्या प्राप्त की गयी । जिलाधिकारी मिर्जापुर की उक्त आख्या के अनुसार श्रीमती अमरावती कुंवर को सम्प्रति जीवित होना पाया गया तथा विभिन्न दृष्टान्तों/अभिलेखों के आधार पर उन्होंने श्रीमती अमरावती कुंवर का नाम राजस्व अभिलेखों में पुनः दर्ज कराने हेतु दिनांक 12-6-2001 को आदेश पारित कर दिया । जिलाधिकारी मिर्जापुर के आदेश दिनांक 12-6-2001 के अनुपालन में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी ने प्रश्नगत राजस्व ग्रामों में अमूल कुमार सिंह का नाम निरस्त करके श्रीमती अमरावती कुंवर का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा दिया । कुछ समय पश्चात् अमूल कुमार आदि के प्रत्यावेदन पर जिलाधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 12-6-2001 व 6-7-2001 को तत्कालीन आयुक्त, विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर द्वारा दिनांक 26-9-2001 को निरस्त कर दिया गया है । आदेश दिनांक 26-9-2001 के विरुद्ध श्रीमती अमरावती कुंवर द्वारा प्रस्तुत पुनर्विचार प्रार्थना-पत्र भी दिनांक 20-11-2001 को निरस्त किया जा चुका है ।

श्रीमती अमरावती कुंवर ने शासन को प्रस्तुत अपने प्रत्यावेदन दिनांक 7-5-2002 में स्वयं यह उल्लेख किया है कि मण्डलायुक्त, विंन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर के आदेश दिनांक 26-9-2002 से क्षुब्ध होकर उन्होंने सिविल प्रकीर्ण याचिका संख्या-9244/2002 मा० उच्च न्यायालय में संस्थित किया है , जो विचाराधीन है ।

तथ्य व विधान का शासन स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है ।

जनपद बलिया के ग्राम बड़ा गांवपुर की चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण न कराये जाने के कारणों की जानकारी

118–श्री राम इकबाल सिंह

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद के ग्राम बड़ा गाँव पुर की चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? चकबन्दी प्रक्रिया कब तक पूर्ण करा ली जायेगी ?

श्री रवि गौतम–

जी नहीं ।

स्टाफ की कमी एवं उक्त ग्राम का क्षेत्रफल व गाटों की संख्या अधिक होने के कारण चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी । उक्त ग्राम की कार्ययोजना के अनुसार वर्ष 2005 तक चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण होने की सम्भावना है ।

ग्राम सभा सेवाकाल ग्राम उमेदपुर, तहसील व जिला एटा में कृषि हेतु आवंटित भूमि की जांच विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र सं०-ख-2/नं०779211 दिनांक 23-8-2001 पर कृत कार्यवाही

119–श्री उदय राज–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं०–ख–2 नं० 779211 दि० 23–8–2001 जो ग्राम सभा सेवाकाल ग्राम उमेदपुर, तहसील व जिला एटा में कृषि हेतु आवंटित भूमि में की गयी अनियमितता की जाँच के संबंध में है, विधायक प्रकोष्ठ के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला हरदोई की तहसील सण्डीला के श्री अजीज अहमद की भूमि (गाटा सं०-1936) पर अवैध कब्जे को हटाने विषयक मा० अयोध्या प्रसाद पाल एवं मा० प्रश्नकर्ता सदस्य के पत्र पर प्रभावी कार्यवाही किये जाने की मांग

120–श्री अब्बास अली जैदी उर्फ रुशदी मियाँ–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अजीज अहमद पुत्र श्री शेर अली ग्राम मुन्नू खेड़ा, मजरा ककराली, सण्डीला जिला हरदोई की भूमि गाटा सं० 1936 पर श्रीमती मुन्नी व अन्य द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री अयोध्या प्रसाद पाल, सदस्य विधान सभा के पत्र दिनांक 25 जून, 2002 के साथ श्री अजीज अहमद का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण अपर आयुक्त के न्यायालय में विचाराधीन है जहां से गुण-दोष के आधार पर निस्तारण होगा ।

जनपद कन्नौज सरायमीर जी०टी० रोड पर अन्नपूर्णा पेट्रोल पम्प के पास मण्डी समिति के सामने की कई वर्षों से टूटी पुलिया के कारण बाधित यातायात समस्या

121–श्री कल्यान सिंह दोहरे–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरायमीर जनपद कन्नौज, जी.टी. रोड पर अन्नपूर्णा पेट्रोल पम्प के पास मण्डी समिति के सामने की पुलिया विगत 4-5 वर्ष से टूटी होने के कारण यातायात बाधित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुलिया की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी नहीं । यातायात पुलिया की आधी चौड़ाई के भाग से चल रहा है । सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की स्वीकृति के उपरान्त सम्भव हो सकेगा ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मेरठ के ब्लाक माधरा-ग्राम भट्टीपुर से खन्द्रावली मार्ग के निर्माण हेतु स्वीकृति/अवमुक्त धनराशि

122–श्री शाहिद मंजूर–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मेरठ के ब्लाक माधरा–ग्राम भट्टीपुर से खन्द्रावली मार्ग जो कि लगभग दो किमी० है, के निर्माण हेतु कितना धन अवमुक्त किया गया है ? क्या उक्त मार्ग का कार्य पूरा हो गया है ? यदि नहीं, तो उसे कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

रु० 15.08 लाख ।

जी नहीं ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद मेरठ के विकास खण्ड माछरा के आर०आई०डी०एफ० 6 के कार्य बहरोड़ा सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु अवमुक्त धन

123–श्री शाहिद मंजूर–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–मेरठ, विकास खण्ड–माछरा के आर० आई० डी०एफ०–6 के कार्य बहरोड़ा सम्पर्क मार्ग जो कि लगभग दो कि०मी० है, के निर्माण हेतु कितना धन अवमुक्त किया गया है ? क्या उक्त मार्ग अभी तक पूरा न होने के कारण आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो उक्त सम्पर्क मार्ग कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

रु० 6.89 लाख ।

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद-मेरठ के किठोर विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाले ग्राम-महलवाल से पड़ोदा, विकास खण्ड माधरा से दो कि०मी० मार्ग निर्माण हेतु स्वीकृत/अवमुक्त/अवशेष धनराशि की जानकारी

124–श्री शाहिद मंजूर–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–मेरठ के किठोर विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाले आर०आई०डी०एफ० के अन्तर्गत ग्राम–महलवाल से पड़ोदा विकास खण्ड माधरा से दो कि०मी० मार्ग स्वीकृत हुआ था ? इस योजना के अन्तर्गत उक्त सड़क के निर्माण हेतु कितना धन अवमुक्त हुआ है ? क्या धन अवमुक्त होने के उपरान्त भी कार्य पूरा नहीं हो पाया है ? यदि हाँ, तो क्यों ? उक्त सड़क का निर्माण कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

रु० 13.46 लाख ।

कार्य प्रगति पर है ।

उपरोक्तानुसार ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद कन्नौज के विधान सभा क्षेत्र उमदा के अन्तर्गत मार्ग सोरेख बाया तिर्वा मकनपुर–सुर्सी आदि कतिपय मार्गों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

125–श्री विजय बहादुर पाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-5-2002 जो जनपद–कन्नौज के विधान सभा क्षेत्र, उमर्दा के अन्तर्गत मार्ग सोरेख बाया तिर्वा मकनपुर–सुर्सी, हसेरन–खैरनगर–औसेर, ठठिया जनखत–औसेर, इठिया–खैरनगर मार्ग, इन्द्रगढ़–ताहपुर, मंझिला बाया गुनहा उमर्दा, हसेरन–सकतपुर–खड़िनी, इन्द्रगढ़–बहोसी की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

पत्र में वर्णित मार्गों की मरम्मत हेतु धनराशि की स्वीकृति सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सम्भव नहीं हो पायी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर की सीमा में पड़ने वाले लखनऊ–माझीघाट राज्यमार्ग को शीघ्र पूर्ण कराये जाने की मांग

126–श्री पारसनाथ यादव

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ माझीघाट राज्य मार्ग 2000–2001 में चौड़ीकरण हेतु स्वीकृत की गयी थी ? क्या जनपद जौनपुर की सीमा में पड़ने वाले मार्ग का चौड़ीकरण कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

जी नहीं ।

स्वीकृत धनराशि से समस्त कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं था ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद रामपुर शाहाबाद में सूखे के कारण किसानों के सरकारी कर्जों की वसूली स्थगित किये जाने की शासन से मांग

127–श्री काशीराम–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र 23, शाहबाद जनपद रामपुर में भयंकर सूखा पड़ गया है, जिससे किसानों की सारी फसलें सूख गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों के सरकारी कर्जों की वसूली स्थगित करेगी ? यदि हां, तो कब करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

जिलाधिकारी रामपुर द्वारा दिनांक 16 जुलाई, 2002 को जनपद में सूखे के कारण खरीफ की फसलों को 70 प्रतिशत से अधिक हानि होने की सूचना दी गई थी । उक्त सूचना के आधार पर दिनांक 19-07-2002 को जनपद रामपुर को सूखाग्रस्त घोषित करते हुए जनपद में कृषकों के अवशेष मुख्य देयों (भू-राजस्व व सिंचाई देयों) की वसूली दिनांक 31 मार्च, 2003 तक स्थगित की जा चुकी है तथा कृषकों से विविध देयों की वसूली में उत्पीड़न की कार्यवाही न किए जाने के निर्देश भी दिए गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर में नमरा गडवार बलिया मार्ग से बहईपुर होते खनवर अवशेष दूरी के मार्ग निर्माण हेतु दो मदों से ली गयी धनराशि की जांच की मांग

128–श्री राम इकबाल सिंह

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र चिलकहर जि० बलिया में नमरा गड़वार बलिया मार्ग से बहईपुर होते खनवर एवं खनवर अवशेष के नाम पर लो०नि०वि० द्वारा एक ही मार्ग पर 16 लाख आई० आर०डी०एफ० 7 एवं पूर्वांचल राज्यांश से करीब 52 लाख रुपये का अनुबन्ध किया गया है ? क्या यह सही है कि एक ही मार्ग में दो मदों से धनराशि ली गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी नहीं ।

प्रथम मार्ग गड़वार-नगरा मार्ग से बछईपुर ग्राम मार्ग है, जिसकी स्वीकृत लम्बाई 1.5 कि०मी० तथा अनुमानित लागत रु० 13.92 लाख है । यह मार्ग आर०आई०डी०एफ०–7 के अन्तर्गत स्वीकृत है तथा दूसरा मार्ग नगरा–बलिया मार्ग से बछईपुर खनवर है, जिसकी लम्बाई 05 कि०मी० अनुमानित लागत रु० 52.86 लाख है । इस मार्ग की स्वीकृति पूर्वांचल (राज्यांश) विकास निधि के अन्तर्गत की गयी है । दोनों मार्गों के निर्माण हेतु अनुबन्ध गठित किये जा चुके हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ जनपद स्थित राजकीय कृषि बीज भंडार खुशहाल गंज के लिये आरक्षित भूमि पर किये गये अतिक्रमण/अवैध निर्माण की जांच

129–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद–लखनऊ स्थित खुशहाल गंज में कृषि विभाग के सीड स्टोर के लिए कितनी भूमि आरक्षित है ? क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर कतिपय लोगों ने अतिक्रमण करके निर्माण कार्य करा लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह––

लखनऊ जनपद स्थित राजकीय कृषि बीज भंडार खुशहाल गंज के लिए कुल 448 वर्ग मीटर भूमि आरक्षित थी । खुशहालगंज स्थित राजकीय बीज भंडार दिनांक 4-8-99 से क्षेत्र पंचायत, काकोरी को हस्तान्तरित किया जा चुका है । ग्राम प्रधान की आख्या के अनुसार बीज भंडार पर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा/बलरामपुर के दर्जी कुआं–मनकापुर बभनान मार्ग पर स्थित अगधरी घाट सेतु की पथकर वसूली समाप्त किये जाने की मांग

130–श्री अनवर महमूद खां–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–गोण्डा/बलरामपुर के दर्जी कुआं–मनकापुर बभनान मार्ग पर स्थित अगधरी घाट सेतु की कुल लागत कितनी है ? अभी तक पथकर से कितनी धनराशि वसूल हो चुकी है और कितनी धनराशि की वसूली शेष है ? क्या सरकार उक्त सेतु से पथकर वसूली समाप्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जनपद बलरामपुर में दर्जी कुआं मनकापुर–बभनान मार्ग पर स्थित अगधरी घाट सेतु है, जिसकी कुल लागत रु० 9.96 लाख है । सेतु पर पथकर की वसूली प्रारम्भ होने के दिनांक 01-8-77 से अब तक सेतु की कुल लागत, ब्याज, पथकर की वसूली में और उसके रख -रखाव पर हुए व्यय को सम्मिलित करते हुए रु० 40.24 लाख की वसूली, पथकर के रूप में हो चुकी है । दिनांक 31-03-2002 को सेतु की लागत, ब्याज आदि सहित रु० 6.93 लाख की वसूली अवशेष है । जी हां । पुल की लागत, ब्याज पथकर की वसूली में और उसके रख-रखाव पर हुए व्यय आदि की सम्पूर्ण वसूली हो जाने के उपरान्त ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर के उतरौला, मनकापुर, इलाहाबाद मार्ग के गेंडास बुजुर्ग मोड़ पर लोक निर्माण विभाग की भूमि पर किये गये अवैध कब्जे को हटाने की मांग

131–श्री अनवर महमूद खां–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलरामपुर के उतरौला, मनकापुर, इलाहाबाद मार्ग के गेंडास बुजुर्ग मोड़ पर लोक निर्माण विभाग की भूमि पर प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त भूमि खाली कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी नहीं । प्रश्नगत स्थल पर लोक निर्माण विभाग की भूमि पर किसी के द्वारा कोई कब्जा नहीं लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

132–श्री राधेश्याम सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

जनपद कुशीनगर में देवराड–पिपरा–सिकटिया मार्ग का निर्माण कार्य मानक के अनुरूप न किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

133–श्री राधेश्याम सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर में देवराड–पिपरा–सिकटिया मार्ग का निर्माण कार्य मानक के अनुसार न किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 23 मई, 2002 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–देवरिया की तहसील रुद्रपुर के पकड़ी बाजार, बरावं क्षतिग्रस्त मार्ग की शीघ्र मरम्मत कराये जाने की मांग

134–श्री अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर जनपद देवरिया, पकड़ी बाजार, बरावं मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग को गड्ढा मुक्त योजना के अन्तर्गत निर्माण करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

पकड़ी बाजार का भाग क्षतिग्रस्त है । शेष मार्ग की स्थिति सन्तोषजनक है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गड्डा मुक्ति योजना से ठीक कराया जाना सम्भव नहीं है । क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद देवरिया में सोनौली–नौतनवां–गोरखपुर देवरिया–बलिया मार्ग के तुर्तीपार भागलपुर पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु आवंटित सरकारी धन की फर्जी बाण्ड बनाकर लूट को रोकने/कार्य की गुणवत्ता की जांच कराने की मांग

135–श्री अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया और बलिया जनपद को जोड़ने वाला भांगलपुर सेतु पर एक रोच मार्ग बनाये जाने हेतु अनुमानित लागत 1.52 करोड़ धनराशि को पूनर्मूल्यांकन कर 2.47 करोड़ दिखाया गया है ? क्या यह सही है कि माह नवम्बर 2001 में पूर्व मुख्यमंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा उक्त सेतु को जनता के आवागमन हेतु सौंप दिये जाने के बाद भी वर्ष 2002 में मिट्टी भराई के नाम पुनः कई फर्जी बांड बनाकर भारी सरकारी धन की लूट की गयी ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जनपद देवरिया में सोनौली–नौतनवां–गोरखपुर–देवरिया–बलिया मार्ग के घाघरा नदी पर तुर्तीपार भागलपुर पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु रु० 163.28 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसको पुनरीक्षित स्वीकृति रु० 227.40 लाख की प्रदान की गयी । पूर्व मुख्य मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा दिनांक 26-12-2001 को उक्त पुल का लोकार्पण किया गया । लोकार्पण के बाद पहुंच मार्ग पर एक अनुबन्ध द्वारा आवश्यक मिट्टी का कार्य कराया गया है । कार्य की गुणवत्ता की जांच करायी जा रही है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा की तहसील बांदा में उपजिला मजिस्ट्रेट, सदर, की अदालत में लम्बित वादों की संख्या/उनके शीघ्र निस्तारण हेतु सरकार द्वारा कृत कार्यवाही

136–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा की तहसील बांदा में उपजिला मजिस्ट्रेट, सदर, बांदा की अदालत में कुल कितने मुकदमें विचाराधीन है ? विचाराधीन मुकदमों के निस्तारण हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

श्री रवि गौतम–

जनपद बांदा की तहसील बांदा में उप जिला मजिस्ट्रेट सदर बांदा के न्यायालय में भु०रा०अधि० के 197, ज०वि०अधि० के 277 तथा सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत 802, इस प्रकार कुल 1276 वाद लम्बित हैं ।

शासनादेश संख्या–1059/ रा०वि०/प्र०स०रा०, दिनांक 31 जुलाई, 2002 द्वारा वादो के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये हैं ।

जनपद कानपुर नगर के पूर्व में स्वीकृत बरीपाल से अमौली मार्ग का शीघ्र निर्माण कराये जाने की मांग

137–श्री राकेश सचान–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद कानपुर नगर में बरीपाल से अमौली मार्ग लगभग 6 कि०मी० वर्ष 1994-95 में स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का निर्माण कार्य कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर के भीतर गांव से खदरी सतरौहली, पडरी लालपुर से धरमपुर बम्बा मार्ग के शेष भाग का शीघ्र निर्माण कराये जाने की मांग

138–श्री राकेश सचान–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि भीतर गांव से खदरी सतरौहली, पड़री लालपुर से धरमपुर बम्बा मार्ग जो लगभग 8 किमी० है, का वर्ष 93-94 में मात्र 5 कि०मी० निर्माण कार्य कराया गया तथा अगले वर्ष (94-95) में 2 कि०मी० निर्माण कार्य हुआ ? यदि हां, तो मात्र 1 कि०मी० मार्ग का निर्माण कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

मार्ग का 1 कि०मी० (वास्तविक लम्बाई 0.65 कि०मी०) का निर्माण किसी योजना में स्वीकृत न होने के कारण निर्माण कार्य सम्प्रति सम्भव नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद कानपुर नगर में भीतरगांव से तिवारीपुर उदईपुर गुगुरा, बेरी खेड़ा इटहरा, बिरहर मार्गों के शेष भाग का निर्माण-कार्य शीघ्र कराने की मांग

139–श्री राकेश सचान–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–कानपुर नगर में भीतरगांव से तिवारीपुर उदईपुर गुगुरा, बेरी खेड़ा इटहरा, बिरहर मार्ग लगभग 6 कि०मी० वर्ष 1994-95 में स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

वर्ष 1994-95 में 6.00 कि०मी० नहीं अपितु 5.00 कि०मी० लम्बाई का मार्ग स्वीकृत हुआ था ।

उपरोक्त कुल 5.00 कि०मी० स्वीकृत मार्ग में से 3.00 कि०मी० मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है । शेष कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद–कानपुर नगर के परास बरीपाल मार्ग से खाईपुर गोपालपुर घाटमपुर मार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने की मांग

140–श्री राकेश सचान–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–कानपुर नगर के परास बरीपाल मार्ग से खाईपुर गोपालपुर घाटमपुर मार्ग वर्ष 1994 में स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड मऊ माइनर के ग्राम–पिलखुआ की आबादी भूमि संख्या–55 पर किये गये अवैध अतिक्रमण को शीघ्र हटवाने की मांग

141–श्री शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम–पिलखुआ (मोलवी का पूरा), वि०ख० मऊ आइमा, तहसील सोरांव, जनपद–इलाहाबाद के ग्राम सभा की सम्पत्ति श्रेणी 6(2) जो आबादी (सं०–55) की भूमि का अतिक्रमण श्री मूलचन्द्र पुत्र श्री महादेव व श्री सुरेश चन्द्र पुत्र श्री बद्री प्रसाद द्वारा करने के सम्बन्ध में उक्त ग्राम के ही श्री राम लखन पुत्र श्री बृजलाल द्वारा उप-जिलाधिकारी, सोरावं, इलाहाबाद को तहसील दिवस के अवसर पर अतिक्रमण हटवाने के सम्बन्ध में दि० 18-6-2002 को प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद शाहजहांपुर की मण्डी परिषद् पुवांया एवं उप मण्डी समिति बण्डा के आन्तरिक मार्गों के सुधरीकरण के कार्यों हेतु मानक से अधिक धन आहरित करने वाले अभियन्ताओं को दण्डित किये जाने की मांग

142–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि मण्डी परिषद के निर्माण खण्ड शाहजहाँपुर के अन्तर्गत वर्ष 1999 में मंडी समिति पुवांया एवं बन्डा के आन्तरिक मार्गों के सुद्धरीकरण के कार्यों की आर०एम०आर० में अवर अभियन्ता द्वारा अधिक दूरी दर्शाकर परिषद् को वित्तीय हानि पहुंचायी गयी ? क्या उपरोक्त प्रकरणों की जांच गुणवत्ता नियन्त्रण खण्ड मुख्यालय मण्डी परिषद्, लखनऊ द्वारा मई, 2002 में की गयी ? क्या उपरोक्त प्रकरणों में क्रमशः 2.00 लाख एवं 1.09 लाख से अधिक की वित्तीय अनियमितता सिद्ध पायी गयी ? यदि हां, तो उपरोक्त आर०एम०आर० तैयार करने वाले सम्बन्धित अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

मण्डी समिति पुवांया की जांच माह जुलाई/अगस्त 2002 में तथा उपमण्डी समिति बण्डा की जांच माह अप्रैल, 2002 में की गयी है ।

जी हां ।

प्रकरण में दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध निदेशक, मण्डी परिषद् द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद झांसी की मण्डी परिषद् के निर्माण खण्ड, झांसी द्वारा 16 सम्पर्क मार्गों के निर्माण में अभियन्ताओं द्वारा की गयी लाखों रुपयों के धन की हेराफेरी की रिकवरी/अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग

143–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या कृषि मंत्री को जानकारा है कि मण्डी परिषद के निर्माण खण्ड झांसी के 16 सम्पर्क मार्गों की जांच 6-7 वर्ष पूर्व श्री अशोक कुमार कपूर एवं श्री बी० आर० सिंह, उप निदेशक (निर्माण) द्वारा की गयी थी ? क्या उपरोक्त की जांच कार्यवाही के आदेश तत्कालीन मा० मुख्य मंत्री ने अपने पत्रांक एम–2/53678/2001 दिनांक 22-10-01 एवं एम०एम०–54568/2001 दिनांक 12-11-2001 द्वारा शासन स्तर से कार्यवाही के आदेश दिये गये थे ? क्या उक्त प्रकरण में मुख्य अभियन्ता के पत्रांक–सा०नि०नि०/जांच 266/02–2418 दि० 11-2-2002 द्वारा फाइनल रिकवरी रुपये 21.08 लाख की रिकवरी का चार्ट संयुक्त निदेशक निर्माण द्वारा तैयार किया गया ? इतनी भारी वित्तीय अनियमितता पाये जाने एवं इतना अधिक समय व्यतीत हो जाने की स्थिति में क्या सम्बन्धित दोषी जनों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

निदेशक, मण्डी परिषद् द्वारा दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य बीज–प्रमाणीकरण संस्था बीज प्रभावीकरण भवन, आलमबाग, लखनऊ में व्याप्त अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में मा० सदस्य के पत्र पर कृत कार्यवाही

144–श्री रामजीत राजभर–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31-8-2001 को सचिव, कृषि उ० प्र० शासन को एक पत्र मा० विधायक श्री भीम प्रसाद सोनकर द्वारा उ० प्र० राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था बीज प्रमाणीकरण भवन, करियप्पा मार्ग, आलमबाग, लखनऊ में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में भेजा था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

माननीय विधायक श्री भीम प्रसाद सोनकर का शिकायती पत्र दिनांक 31-8-2001 प्राप्त नहीं हुआ । माननीय विधायक का एक शिकायती पत्र दिनांक 30-8-2001 प्राप्त हुआ है ।

शिकायती पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच करायी जा रही है । जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के चंदूवारा सवादा सम्पर्क मार्ग के निर्माण में धन के दुरुपयोग एवं निर्माण कार्य मानक के अनुरूप न कराये जाने के सम्बन्ध में मा० सदस्य के शिकायती पत्र पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही

145–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र जो जनपद बांदा के चंदूवारा सवादा सम्पर्क मार्ग में की गयी अनियमिततायें एवं मानक के अनुरूप निर्माण कार्य न कराये जाने की जांच टी०ए०सी० से कराये जाने के सम्बन्ध में था, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग उ० प्र० शासन को दि० 26-3-2002 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, झांसी को जांच के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया में वर्ष 2000 एवं 2002 में सिकन्दरपुर विधान सभा क्षेत्र में विधायक निधि के अन्तर्गत स्वीकृत/निर्मित/निर्माणाधीन सड़कों की जानकारी

146–श्री जियाउद्दीन रिजवी

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद में पिछले वर्ष 2000 एवं 2002 में सिकन्दरपुर वि०स० क्षेत्र में लो० नि० वि० से विधायक निधि राज्यांश एवं जिलांश से कितनी सड़कें स्वीकृत हुई है ? क्या सभी सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त निर्माण कार्य कब तक पूर्ण किया जायेगा ।

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

विधायक निधि के अन्तर्गत कोई सड़क स्वीकृत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला बलिया में बिल्थरा रोड स्थित निर्मित मंडी भवन को उपयोगी बनाये जाने हेतु बाजार लगवाने एवं रेलवे स्टेशन से माल गोदाम होते हुए मण्डी तक शीघ्र सम्पर्क मार्ग का निर्माण करवाये जाने की मांग

147–श्री शारदानन्द अंचल

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि उत्पादन मंडी समिति, बिल्थरा रोड, जि० बलिया के निर्मित मंडी भवन में बाजार कब से लगाई जाएगी ? सरकार मंडी को उपयोगी बनाने के लिए मंडी से रेलवे स्टेशन होते हुए माल गोदाम तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण करवायेगी ?

श्री हुकुम सिंह–

मण्डी स्थल का मरम्मत कार्य पूर्ण होने के उपरान्त यथाशीघ्र व्यापार स्थानान्तरण की कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी बलिया/सम्बन्धित समिति से प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार विचार किया जायेगा।

जनपद बलिया की तहसील बिल्थरा रोड मुख्यालय में लोक निर्माण विभाग का निरीक्षण गृह बनाये जाने विषयक शासन की विचाराधीन योजना

148–श्री शारदानन्द अंचल

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद के तहसील मुख्यालय बिल्थरा रोड पर लोक निर्माण विभाग का निरीक्षण गृह बनाये जाने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में न्याय पंचायत सौदमा, वि०ख० पवई में राजस्व विभाग के कई वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मचारियों को अन्य स्थानों पर स्थानान्तरित किये जाने की मांग

149–श्री राम करन आर्य–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि न्याय पंचायत सौदमा वि०ख० पवई जनपद आजमगढ़ में राजस्व के कौन-कौन ऐसे कर्मचारी है जो विगत कई वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत है ? क्या उपर्युक्त कर्मचारियों का स्थानान्तरण अन्यत्र किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

न्याय पंचायत सौदमा वि०ख० पवई जनपद आजमगढ़ में कुल 04 राजस्व कर्मचारी (लेखपाल) तीन वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत थे, जिनका स्थानान्तरण दिनांक 20-8-2002 को किया जा चुका है।

कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के रिसर्च असिस्टेंट्स के पुनरीक्षित वेतनमानों के सम्बन्ध में जानकारी

150–श्री राकेश सचान

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के असिस्टेंट्स प्रोफेसरों के पुनरीक्षित वेतनमान को लागू करने हेतु मा० उच्च न्यायालय लखनऊ खण्ड पीठ द्वारा दिये गये निर्णय दि० 18-8-99 का अनुपालन कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त आदेशों का अनुपालन कब तक करा दिया जायेगा ?

कृषि शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू)–

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण रिसर्च असिस्टेंट्स के वेतनमान पुनरीक्षण से संबंधित है न कि असिस्टेंट प्रोफेसर।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कृषि विभाग के बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ में वर्ष 1994 से चयनित दैनिक वेतन कर्मचारियों की संख्या एवं उक्त कर्मचारियों के नियमितीकरण पर विचार करने की शासन से मांग

151–श्री राकेश सचान

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि विभाग के बीज प्रमाणीकरण संस्था लखनऊ में वर्ष 1994 से कितने अभ्यर्थियों को चयनित करके दैनिक वेतन कर्मचारी के रूप में रखा गया है ? क्या सरकार उक्त कर्मचारियों के नियमितीकरण पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

वर्ष 1994 से उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ में 09 व्यक्तियों को दैनिक वेतन पर रखा गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अधिसूचना दिनांक 9 जुलाई, 1998 के अन्तर्गत केवल 29 जून, 1991 तक के दैनिक वेतन पर नियुक्त व्यक्ति के ही विनियमितीकरण पर विचार किया जा सकता है । उक्त तिथि के बाद की किसी तिथि के दैनिक वेतन पर नियुक्त व्यक्ति विनियमितीकरण के लिए पात्र नहीं हैं ।

जिला देवरिया के परगना शाहजहांपुर तप्पा–पटना, ग्राम–देवरिया बुद्धु खां के आराजी नं० 308 व 309 पर वास्तविक पट्टा धारियों को कब्जा दिलाये जाने की शासन से मांग

152–श्री अब्दुल कलाम तथा श्री कैलाश–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजस्व ग्राम–देवरिया बुद्धु खां, तप्पा–पटना, परगना–शाहजहांपुर, तहसील व जिला–देवरिया के किन-किन लोगों को उक्त ग्राम के आराजी नम्बर–308 व 309 पर आवास बनाने हेतु पट्टों की स्वीकृति दिनांक 18-1-1992 को, तत्कालीन परगनाधिकारी देवरिया सदर द्वारा दी गयी थी ? क्या उक्त आवास आवंटन हेतु शासन द्वारा भी आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो वह आदेश क्या था तथा उक्त वावत भूमि प्रबन्धक समिति की संस्तुतियों के अनुरूप कार्यवाही कर, पट्टों का आवंटन नहीं किया गया था ? यदि हां, तो क्या नियमानुसार सरकार कार्यवाही कर पट्टा आवंटियों को, उनके पट्टों पर कब्जा दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम –

ग्राम सभा देवरिया बुद्धु खां की आराजी नं०–308 रकबा०–73 राजस्व अभिलेख में श्रेणी 6(2) के अन्तर्गत रास्ता के रूप में अंकित है जिसमें तत्कालीन परगनाधिकारी द्वारा दिनांक 18-1-1992 को भू०प्र०स० के प्रस्ताव के अनुरूप 10 व्यक्तियों को आवास आवंटन अनुमोदित किया गया । वह नाम निम्नवत् है :–

1–अरब पुत्र मोहर्रम	01डि०
2–रऊफ पुत्र मोहर्रम	01डि०
3–समतुल्लाह पुत्र मोहर्रम	01डि०
4–अब्दुल गफ्फार पुत्र रहीम	01डि०
5–अफलातून पुत्र सलमी०	01डि०
6–नगई पुत्र लगन	01डि०

7–कुलसुमनिशा पत्नी ईसा	01डि०
8–दरोगा पुत्र रज्जाक	01.5डि०
9–बिस्मिल्लाह पुत्र रज्जाक	01.5 डि०
10–मुस्ताक पुत्र इस्लाम	01.5 डि०

आराजी संख्या 309 रकबा 0.295 हे० राजस्व अभिलेख श्रेणी 5(1) के अन्तर्गत अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में अंकित है। इसमें 16 व्यक्तियों को आवास आवंटन दिनांक 16-12-91 को किया गया। जिनके नाम निम्नवत् है :–

1–अलाउद्दीन पुत्र निजामुद्दीन	1/4 डि०
2–सराजुद्दीन पुत्र नत्थू	1/4 डि०
3–जन्नत हुसैन पुत्र रज्जा	1/0 डि०
4–जैनुल पुत्र अमीन	0/2 डि०
5–जुलूम पुत्र रसूल	1/2 डि०
6–अब्दुल सत्तार पुत्र बक्स	3/4 डि०
7–मुह० मुर्तजा पुत्र बक्स	1/2 डि०
8–महमूद पुत्र मु० ईशा०	0/1 डि०
9–अब्दुल जब्बार पुत्र मुह० इसहाक	3/8 डि०
10–मुह० इब्राहिम पुत्र मुह० इसहाक	3/8 डि०
11–शमो उल्लाह पुत्र इसहाक	3/8 डि०
12–मुह० हासन पुत्र रज्जाक	1/4 डि०
13–मुह० फारूक पुत्र रज्जाक	1/2 डि०
14–नजरूल हसन पुत्र बशीर	01डि०
15–मुह० खलील पुत्र रसूल बक्स	01 डि०
16–मुनीर हैदर पुत्र इस्माइल	1.5 डि०

उक्त आवास आवंटन हेतु शासन द्वारा कोई आदेश नहीं दिया गया था।

आराजी सं०–308 के आवंटियों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय द्वारा दिनांक 22-7-97 को पट्टा निरस्त कर दिया गया है।

अतः कब्जा दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है। आराजी सं०–309 में आवंटित सभी 16 पट्टेदार अपना आवंटित भूमि पर काबिज हैं।

153–श्री कैलाश तथा श्री अब्दुल कलाम

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद देवरिया की ग्राम सभा देवरिया के सार्वजनिक कब्रिस्तान पर अनधिकृत लोगों का कथित कब्जा

154–श्री कैलाश तथा श्री अब्दुल कलाम–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व ग्राम सभा देवरिया तहसील व जिला–देवरिया के वर्तमान आराजी नम्बर–115 एकड़ 33 डिसमिल, 130–63 डिसमिल व 141–56 डिसमिल, 1292 व 1343 फसली वर्ष में किन-किन लोगों के नाम दर्ज था ? क्या यह सही है कि उक्त आराजी नम्बरान में उक्त ग्राम का पुस्तैनी सार्वजनिक कब्रिस्तान है ? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि पर अनधिकृत लोगों के नाम दर्ज कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

प्रश्न में उल्लिखित ग्राम सभा देवरिया कोई ग्राम सभा तहसील देवरिया में नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–मेरठ के ग्राम–शाहजहांपुर, ब्लाक–माछा की पुरानी मण्डी को अन्यत्र स्थानान्तरित करने विषयक शासन के विचाराधीन प्रस्ताव

155–श्री शाहिद मंजूर–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–मेरठ के ग्राम शाहजहांपुर ब्लाक–माछा की पुरानी मण्डी को स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त मण्डी को कब तक स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सन्त कबीर नगर (भदोही) में तहसील औराई के ग्राम सरवत–खानी स्थित खेल के मैदान के लिये सुरक्षित दो बीघा जमीन पर दबंग लोगों द्वारा किये गये अनधिकृत कब्जे को हटाने की मांग

156–श्री मूल चन्द–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम सरवत खानी तहसील औराई जनपद सन्त कबीर नगर (भदोही) में खेल के मैदान के लिए सुरक्षित दो बीघा जमीन पर दबंग लोगों द्वारा अतिक्रमण कर मकान बना लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटाकर मुक्त कराने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

1 बीघा 16 बिस्वा जमीन पर मकान एवं सेहन के रूप में अतिक्रमण किया गया है । शेष 4 बिस्वा में सम्पर्क मार्ग निर्मित है ।

जमीन विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 122–बी के अन्तर्गत वाद पंजीकृत कर बेदखली की कार्यवाही प्रक्रिया में है ।

न्यायालय से आदेश प्राप्त होने पर यथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद वाराणसी के लोक निर्माण विभाग के अभियन्ताओं द्वारा बिना कार्य कराये फर्जी भुगतान किये जाने से सम्बन्धित मुख्य मंत्री को सम्बोधित शिकायती-पत्र दि० 16-7-2002 पर कृत कार्यवाही

157–श्री रामजीत राजभर–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दि० 16-7-2002 जो मुख्य मंत्री एवं प्रमुख सचिव लोक निर्माण को भेजा गया था और जो जनपद वाराणसी के लोक निर्माण विभाग के अभियन्ताओं द्वारा बिना कार्य कराये भुगतान किये जाने से सम्बन्धित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

प्रकरण की टी०ए०सी० से जांच करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत घाटमपुर मुगल रोड से बौहारा तक 3 कि०मी० लम्बे क्षतिग्रस्त एवं जर्जर सम्पर्क मार्ग का पुनः निर्माण

158–श्री राकेश सचान–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत घाटमपुर मुगल रोड से बौहारा तक 3 किमी० सम्पर्क मार्ग जर्जर हो गया है ? यदि हां, तो सरकार उसका निर्माण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद गाजीपुर के सादात विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पचरासी कारगिल युद्ध में शहीद स्व० राजपत राम की मूर्ति लगाने की मांग

159–श्री बीजू पटनायक–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के सादात विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कारगिल युद्ध में शहीद ग्राम पचरासी के स्व० राजपतराम जो अनुसूचित जाति के हैं के सम्मान में पचरासी गांव को शहीद राजपत राम का नाम देते हुए उनकी भव्य मूर्ति लगाने का काम करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राव गौतम–

जनपद गाजीपुर में कारगिल युद्ध में शहीदों की सूची में राजपत राम नाम का कोई व्यक्ति नहीं है ।

अतः प्रश्न नहीं उठता ।

विधायक निवास--दारुलशफा--बी--ब्लाक (नया), लखनऊ में, लगा सबमर्सिबुल--पम्प की मरम्मत कराकर सुचारु--जलापूर्ति--व्यवस्था शीघ्र कराये जाने की मांग

160-श्री राम विशुन आजाद--

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधायक निवास दारुलशफा-बी० ब्लाक नया, लखनऊ में लगा सबमर्सिबुल पम्प लगभग तीन वर्षों से खराब पड़ा है ? यदि हां, तो सरकार उक्त पम्प को कब तक चालू करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी--

विधायक निवास दारुलशफा--बी--ब्लाक स्थित नलकूप में सबमर्सिबुल पम्प स्थापित नहीं हैं । यह नलकूप पूर्णतया निष्प्रयोज्य हो गया है ।

उक्त नलकूप मरम्मत योग्य नहीं रह गया है । इसीलिए दारुलशफा के--बी--ब्लाक के परिसर में स्थापित नलकूप से जलापूर्ति की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 2001 में बाढ़ से पूर्वांचल के बस्ती एवं गोरखपुर मण्डल में होने वाली जान-माल की हानि एवं प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने/विस्थापित किये गये परिवारों की संख्या

161-श्री जगदम्बिका पाल--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष 2001 में बाढ़ से पूर्वांचल के बस्ती एवं गोरखपुर मण्डल में करोड़ों रुपये की सम्पत्ति नष्ट हो गयी थी तथा सैकड़ों लोगों की जाने गयी थी ? यदि हां, तो बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिए कोई कार्यवाही की गयी तथा अब तक कितने लोगों को विस्थापित किया गया ?

श्री रवि गौतम--

जी हां ।

बस्ती एवं गोरखपुर मण्डल के जनपदों के जिलाधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार गोरखपुर मण्डल में कुल रु० 93.06 करोड़ तथा बस्ती मण्डल के जनपद सिद्धार्थनगर में रुपये-12.72 करोड़ की सम्पत्ति (फसलों सहित) की हानि हुई थी । गोरखपुर मण्डल में 99 व्यक्तियों व 142 पशुओं तथा बस्ती मण्डल में 18 व्यक्तियों व 08 पशुओं की जाने गई थी ।

राहत पहुंचाने के लिए बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को अहेतुक सहायता, अनुग्रह अनुदान व गृह अनुदान का वितरण कराया गया, गोरखपुर मण्डल में अहैतुक सहायता, गृह अनुदान व अनुग्रह अनुदान के रूप में कुल रु० 11.79 करोड़ तथा बस्ती मण्डल में उक्त मदों में कुल रु० 1.28 करोड़ का वितरण कराया गया । अहेतुक सहायता के रूप में नगद धनराशि के साथ-साथ खाद्य सामग्री, मिट्टी का तेल, माचिस व पालीथीन का वितरण भी कराया गया । यथावश्यकता बाढ़ से प्रभावितों के लिए अस्थाई शिविर लगाये गये तथा हेलीकाप्टर से भी आवश्यक सामग्री के पैकेट गिराये गये । पशुओं के लिए भूसा एवं अन्य पशु आहार का वितरण भी कराया गया । राहत शिविरों में निःशुल्क भोजन व दवायें उपलब्ध कराई गई । सचल चिकित्सीय दल गठित किए गये । स्वच्छ पेयजल हेतु आवश्यकतानुसार हैण्डपम्प भी लगवाये गये । यथावश्यकता नावें व मोटर बोट चलाई गई ।

केवल गोरखपुर मण्डल के जनपद कुशीनगर की तमकुही राज तहसील में वर्ष 2001 में गण्डक नदी की कटान से प्रभावित 900 परिवारों को अन्यत्र विस्थापित किया गया। अन्य जनपदों के परिवारों को विस्थापित किये जाने की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई।

162-श्री सिद्ध गोपाल साहू-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद आजमगढ़ में फूलपुर रजबहा की पटरी के 800 मी० के अवशेष भाग के कार्य को लेपन स्तर तक शीघ्र सम्पूर्ण कराये जाने की मांग

163-श्री राम नरेश यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में फूलपुर रजबहा की पटरी का 800 मीटर अवशेष लेपन स्तर तक का कार्य क्या सरकार कराने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी-

जी नहीं।

वित्तीय वर्ष 2000-2001 से नहर की पटरियों को पक्का किये जाने की योजना लोक निर्माण विभाग में समाप्त हो गई है।

जनपद कानपुर नगर के मुगलरोड घाटमपुर से कतिपय सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने की मांग

164-श्री राकेश सचान-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1994-95 में स्वीकृत कानपुर नगर के मुगल रोड, घाटमपुर से सन्तपुरवा भट्टपुरवा-मोहम्मद-लोली-भोजेपुर अम्बरपुर-डिबरी सम्पर्क मार्ग का निर्माण कब तक कराया जायेगा ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी-

कानपुर नगर में सन्तपुरवा-भट्टापुरवा-मोहम्मदपुर-लौली-अम्बरपुर-डिबरी मार्ग पर कोई धनराशि स्वीकृत नहीं है। वित्तीय वर्ष 1994-95 में मुगल रोड से सन्तपुरवा-भट्टापुरवा-मोहम्मदपुर-लौली नाम के मार्ग के लिए राज्य सेक्टर से 31.15 लाख रु० की स्वीकृति के सापेक्ष, स्वीकृत 4.5 कि०मी० में से 3.00 कि०मी० तक लेपन कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

राजकीय कोषागार जिला बांदा के निलम्बित नायब नाजिर-सदर श्री सईद अहमद द्वारा की गयी अनियमितताओं की केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने की मांग

165-श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कोषागार जिला बांदा की फर्जी मोहर लगाकर 27 लाख रुपये के नकली स्टाम्प पेपर बेचने के आरोप में जांचोपरान्त दिनांक 5-7-1992 को निलम्बित किये गये तत्कालीन नायब नाजिर सदर सईद अहमद को अभी तक नियमानुसार आरोप-पत्र न दिये जाने के क्या कारण हैं ? उक्त आरोप-पत्र उन्हें कब दिया जाएगा ? क्या यह सत्य है कि प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय बांदा में उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो सन्दर्भित प्रकरण की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कराये जाने के आदेश निर्गत किये जायेंगे ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

श्री सईद अहमद, नायब नाजिर प्रथम कलेक्ट्रेट बांदा को राजकीय कोषागार जिला बांदा की फर्जी मुहर लगाकर 27 लाख रुपये के नकली स्टाम्प पेपर बेचने के आरोप में निलम्बित नहीं किया गया था बल्कि दिनांक 19-6-91 को पुराने रजिस्ट्रार को बिना जमा कराये दिनांक 19-6-91 को अपर जिलाधिकारी, वित्त के हस्ताक्षरयुक्त नये रजिस्ट्रार उपलब्ध कराने के आरोप में दिनांक 04-7-92 को निलम्बित किया गया था ।

संदर्भित प्रकरण में दिनांक 23-10-92 को आरोप-पत्र दिया गया है ।

सम्बन्धित कर्मचारी के निलम्बन प्रकरण सम्बन्धी पत्रावली जिला कलेक्ट्रेट बांदा में उपलब्ध है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुराना विधायक निवास नं०–3 (ओ०सी०आर०) लखनऊ के परिसर स्थित बरगद के वृक्ष का चबूतरा बनवाने एवं उसके ऊपरी भाग की छटाई का कार्य शीघ्र कराने की मांग

166–श्री अरविन्द गिरि–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुराना विधायक निवास नं०–3 (ओ०सी०आर०) लखनऊ के परिसर में बरगद के वृक्ष का चबूतरा बनवाने एवं उसके ऊपरी भाग की छटाई कराने के सम्बन्ध में राज्य सम्पत्ति अधिकारी का पत्र संख्या–3571 (1)/32-3-2002-6(1)/2001 दिनांक 21 जून, 2002 अधिशासी अभियन्ता (सिविल) अनुरक्षण खण्ड–3, लोक निर्माण विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो क्या प्रश्नगत कार्य कस दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हाँ ।

जी नहीं ।

प्राप्त आगणन का परीक्षण किया जा रहा है । परीक्षणोपरान्त यथोचित कार्यवाही की जायगी ।

लखनऊ जनपद के ग्राम–मकदूमपुर की दि० 5-9-2000 को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत भूमि को शीघ्र स्थानान्तरित किये जाने की माँग

167–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ जनपद के ग्राम–मकदूमपुर की भूमि जो लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अधिसूचना संख्या–2992/9–आ–3–2000–74 एल०ए०/96 लखनऊ दिनांक 5-9-2000 द्वारा अधिगृहीत की गई थी ? क्या उक्त भूमि प्राधिकरण को स्थानान्तरण कर दी गई है ? यदि नहीं, तो भूमि के स्थानान्तरण में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा उक्त भूमि कब तक स्थानान्तरित कर दी जायेगी ?

श्री रवि गौतम–

जी हाँ ।

लखनऊ जनपद के ग्राम–मखदूमपुर के 570–7–0–8 बीघा में से 351–4–18–12 बीघा भूमि का कब्जा हस्तानान्तरित कर दिया गया है । अवशेष 219–2–1–16 बीघा भूमि का कब्जा अध्यापित निकाय

को दिया जाना है । इस भूमि पर भवनों का निर्माण है जिनका मूल्यांकन आंशिक रूप से लखनऊ विकास प्राधिकरण से प्राप्त हुआ था । शेष भवनों/पेड़ों का मूल्यांकन जैसे ही अध्यापित निकाय से प्राप्त होगा 80 प्रतिशत अग्रिम प्रतिकर वितरित करके अवशेष भूमि का कब्जा अध्यापित निकाय को हस्तानान्तरित कर दिया जायेगा ।

जनपद आजमगढ़ में वर्ष 2001-2002 में बाढ़ से निपटने हेतु व्यय धनराशि एवं नाविकों की मजदूरी हेतु अवशेष धनराशि को शीघ्र भुगतान किये जाने की माँग

168–श्री राम नरेश यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के लिए कितनी धनराशि गतवर्ष बाढ़ से निपटने के लिए व्यय की गई ? उनमें से कितनी धनराशि नाविकों को उनकी मजदूरी के लिए दी गयी और कितनी धनराशि अवशेष है ? उक्त अवशेष धनराशि का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री रवि गौतम–

गत वर्ष 2001-2002 में बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु अहैतुक सहायता, गृह अनुदान व अनुग्रह अनुदान के रूप में जिलाधिकारी, आजमगढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार रु० 21,58,700/- की धनराशि व्यय की गई है । उक्त धनराशि में से नाविकों को मजदूरी के लिए कोई धनराशि नहीं दी गई । जिलाधिकारी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार नाविकों की मजदूरी रु० 81,894/- का भुगतान अवशेष है ।

जनपद से शासन को स्पष्ट माँग प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है । मांग प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

कार्य सूची की नत्थी (ग) में तारांकित प्रश्न संख्या-5 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम विशुन आजाद–

माननीय अधिष्ठाता जी, प्रश्नों के विषय में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का 10 हजार रुपये तक का कर्ज माफ करने की कोई व्यवस्था सरकार कर रही है ? यदि हाँ, तो उसकी रूप रेखा क्या है ? सरकार की तरफ से जवाब आया है, जी नहीं । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब माननीय मुलायम सिंह की सरकार थी, गरीबों के लिए 10 हजार के कर्जे माफ किए थे जिससे समाज के सभी वर्गों को इसका लाभ मिला था । गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं वे दलित अनुसूचित जाति के लोग हैं । यह सरकार यहाँ पर उनके नाम की फर्जी दुहाई देती है उनके कर्जे क्यों नहीं माफ करती ?

श्री रवि गौतम–

मान्यवर, प्रश्न समझ में नहीं आया ।

श्री अधिष्ठाता–

आप प्रश्न नहीं करते हैं, भाषण देने लगते हैं ।

श्री रामविशुन आजाद–

मान्यवर, मैंने कहा था कि जब मा० मुलायम सिंह की सरकार थी, सभी वर्गों के लिए 10 हजार के कर्जे माफ किए थे । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि गरीबी रेखा से नीचे अधिकांश लोग

अनुसूचित जाति के है और इस समय सूखे की स्थिति में सबसे ज्यादा वसूली अनुसूचित जाति के लोगों से हो रही है। क्या जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनके दस हजार के कर्जे माफ करने की योजना सरकार बनायेगी।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति के लोग जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं उनके 10 हजार के कर्जे माफ करने की योजना बनाएंगे ?

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

प्रश्नों के काल में भी इस तरह से व्यवस्था होगी तो न कोई सुन पायेगा और न कोई उत्तर आ पायेगा। प्रश्नों का समय समाप्त हो गया था। रामविशुन आजाद जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। मैंने इस पर उनकी बात सुन ली। प्रश्नों का समय समाप्त हो चुका है।

श्री रामकरन आर्य–

मान्यवर, सरकार गलतबयानी कर रही है। कह रहे हैं कि वसूली नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वसूली जारी है। आपको दिखाना चाहता हूँ मेरा निवेदन सुन लिया जाय। वसूली के लिए सरकार वारन्ट भेज रही है। यह देखिए मेरे पास है। सरकार सदन में कहती है कि वसूली नहीं की जा रही है।

(व्यवधान)

यह सरकार झूठ बोलती है किसानों और गरीबों के सवाल पर अकाल पड़ा है लेकिन यह गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही है। किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है।

श्री अधिष्ठाता–

समय समाप्त हो गया है। अगली मद लेने दीजिये।

श्री राम करन आर्य–

यह देश कैसे चलेगा ? प्रदेश कैसे चलेगा ? सदन कैसे चलेगा ?

श्री अधिष्ठाता–

देश चलाने के लिए ही सदन में हम लोग बैठते हैं। इस सदन को ठीक से चला लिया जाये तब देश भी चल जायेगा। नियमों के अन्दर ही जो बात होती है उसे होने दीजिये। काम बन जायेगा।

(व्यवधान)

कार्यवाही में अवरोध न डालें शान्ति बनाये रखें।

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 5 सितम्बर, 2002 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत कुल 30 सूचनायें प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए श्लाका के आधार पर निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकृत की गयी है। जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकृत की गयी हैं उनके नाम हैं श्री उमाशंकर कुशवाहा, डा० शिव प्रताप यादव, श्री अम्बिका चौधरी, श्री काली चरन राजभर, श्री यशपाल चौधरी, डा० बकर अहमद खान एवं श्री राम किशुन, श्री अम्बिका चौधरी की अनुपस्थिति में प्रतीक्षा सूची से श्री देवेन्द्र नागपाल की सूचना स्वीकार की जाती है।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयी हैं उनके नाम निम्नलिखित हैं--श्रीमती अम्बेश कुमारी, श्री सिद्ध गोपाल साहू, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा० विनोद तिवारी, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री बाबू लाल, डा० अरुण कुमार मेहरोत्रा, श्रीमती विद्या चौधरी, श्री राजेन्द्र सिंह राणा, श्री मिथिलेश कुमार, श्री शिव तपस्वी पासवान, श्री प्रेमपाल सिंह, श्री विश्राम सिंह यादव, श्री शारदा नन्द अंचल, श्री राकेश सचान, श्री राकेश पाण्डेय, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री कौशल किशोर, श्री रामजीत राजभर, श्री राजेन्द्र सिंह चौहान तथा श्री पारसनाथ यादव । स्वीकार की गयी सूचनायें पढ़ी हुई मानी जाती हैं ।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं ।)

जनपद गाजीपुर में कलेक्ट्रेट बार एसोसियेशन के निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध कराने तथा निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर कुशवाहा–

[जनपद गाजीपुर के कलेक्ट्रेट बार एसोसियेशन गाजीपुर के नाम से कोई भवन नहीं है । यहाँ पर जिस भवन में कार्य होता है वह भी जर्जर हो चुका है । जिससे यहाँ पर काफी परेशानी होती है क्योंकि जनपद गाजीपुर मुख्यालय पर लगभग 1000 (एक हजार) अधिवक्ता कलेक्ट्रेट बार में प्रेक्टिस करते हैं ।

अतः आपसे अनुरोध है कि कलेक्ट्रेट बार एसोसियेशन गाजीपुर के निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध कराकर निर्माण कराने की आवश्यकता जैसे लोक महत्व की सूचना को स्वीकार करने का कष्ट करें ।]

जनपद बलरामपुर के गैसड़ी क्षेत्रान्तर्गत क्षेत्र एवं नगर पंचायत पचपेड़वा में विद्युत आपूर्ति के समय में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा० शिव प्रसाद यादव–

[मान्यवर, आपके संज्ञान में लाना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत पचपेड़वा एवं गैसड़ी का अधिकांश क्षेत्र माओवादी गतिविधियों से प्रभावित नेपाल सीमा से जुड़ा है परन्तु इस क्षेत्र पंचायत के गांव एवं नगर पंचायत पचपेड़वा में विद्युत सप्लाई रात्रि में 2.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक दी जाती है जिससे क्षेत्र वासियों को सुरक्षा हेतु पूरी रात जगना पड़ता है तथा घोर कठिनाई का सामना करना पड़ता है । नगर पंचायत पचपेड़वा एवं क्षेत्र पंचायत पचपेड़वा विद्युत सप्लाई के समय में परिवर्तन करके रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक विद्युत सप्लाई कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए समय परिवर्तित करने हेतु समुचित आदेश देने की कृपा करें ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत मठिया पोखरा से हरिकरनपुर पोखरा तक ड्रेन की खुदाई कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री काली चरन राजभर–

[मान्यवर, ग्राम मठिया पोखरा से ग्राम हरिकरनपुर पोखरा तक किसानों की हजारों एकड़ भूमि जो बहुत ही उपजाऊ है लेकिन कुछ गहरी होने के कारण पानी नहीं निकल पाता है जिससे धान की सारी फसल डूब जाती है साथ ही साथ रबी की बुआई भी समय से नहीं हो पाती है ।

आपसे निवेदन है कि इस लोक महत्व की अविलम्बनीय माँग को ध्यान में रखते हुए मठिया पोखरा से हरिकरनपुर पोखरा तक ड्रेन खुदवाने का आदेश पारित किया जाये ।]

जनपद खीरी के धौरहरा क्षेत्रान्तर्गत शारदा नदी पर शारदा नगर बन्धे से शारदा पुल पर बन्धा बनाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री यशपाल चौधरी–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में एक अत्यन्त ही लोक महत्व का मामला लाना चाहता हूँ कि जनपद लखीमपुर खीरी तहसील धौरहरा में हर वर्ष शारदा नदी की बाढ़ के कारण हजारों एकड़ भूमि जलमग्न हो जाती है । किसानों की फसलें नष्ट हो जाती हैं तथा सड़के टूट जाती हैं तहसील मुख्यालय का सम्पर्क मार्गों से टूट जाता है, आवागमन अवरूद्ध हो जाता है हर वर्ष लाखों रुपये की सहायता सरकार को करनी पड़ती है । अपूर्णनीय क्षति होती है । शारदा नदी के किनारे पर बंधे के निर्माण हेतु कार्य योजना भी सरकार द्वारा बना ली गयी है । तकनीकी स्वीकृति भी मिल गयी है । उक्त शारदा नदी पर शारदा नहर बंधे से शारदा पुल पर बांध शीघ्र ही बनने की आवश्यकता है ताकि हर वर्ष बाढ़ के कारण हो रही विभीषिका को रोका जा सके इस बंधे का निर्माण लोक महत्व की अविलम्बनीय समस्या है । इसका निराकरण शीघ्र कराया जाय ताकि हर वर्ष हो रही बरबादी को रोका जा सके ।

इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न के विषय पर सदन में वक्तव्य कराये जाने की माँग करता हूँ ।]

जनपद बहराइच में यू०पी० प्रोजेक्ट सिविल लाइन द्वारा बनवाए जा रहे पशु सेवा केन्द्र के घटिया निर्माण कार्य को रोककर जांच कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा० वकार अहमद शाह

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र बहराइच में यू०पी० प्रोजेक्ट सिविल लाइन द्वारा पशु सेवा केन्द्र तीन स्थानों पर बनाया जा रहा है । जिसमें घटिया सामग्री व गुणवत्ता से हटकर कार्य कराया जा रहा है । इस संबंध में, मैंने यू०पी० प्रोजेक्ट मैनेजर को दिनांक 31-7-2002 को पत्र लिखा है । सी०डी०ओ० बहराइच को 9-8-2002 को भी पत्र लिखा । मैंने उनके अधिकारियों को अनेकों बार मौखिक एवं

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

लिखित रूप से मेरे विधान सभा क्षेत्र में निर्माण कार्य की सूची सहित निरीक्षण करवाने को कहा परन्तु उनके द्वारा कोई भी उत्तर नहीं दिया गया बल्कि निर्माण कार्य घटिया स्तर का चल रहा है । ऐसी स्थिति में इनके द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों को तुरन्त रुकवाया जाय एवं समस्त भुगतानों को रोक लगाकर उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही किया जाय । तथा साथ ही साथ तत्काल जाँच कराकर प्रभावी कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से कार्यवाही करने की मांग करता हूँ ।]

जनपद चन्दौली के मिल्कीपुर लघु कैनाल को विद्युत आपूर्ति हेतु औद्योगिक नगर राम नगर को विद्युत सब स्टेशन से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम किशुन–

[महोदय, आपसे निवेदन करते हुए संज्ञान में लाना है कि मिल्कीपुर पम्प कैनाल से कई दर्जन गांव की सिंचाई के लिए प्राविधान है लेकिन विद्युत आपूर्ति न होने के कारण इन गांवों के किसानों की हजारों एकड़ भूमि इस भीषण सूखे से बरबादी के कगार पर पहुंच गयी है तथा प्रतिवर्ष सिंचाई रेट भी यहाँ के लोग देते आ रहे हैं परन्तु सिंचाई हेतु पानी नहीं मिलता, इस पम्प कैनाल की नारायण विद्युत सब स्टेशन को जनपद मिर्जापुर में ही से जोड़ा गया । इस विद्युत सब स्टेशन से मिर्जापुर जनपद के जमालपुर ब्लाक के गांवों की विद्युत भी उपलब्ध करायी जाती है ऐसे में जिस भी स्थान पर विद्युत फाल्ट हो जाने से इस पम्प कैनाल को मिल रही विद्युत प्रभावित हो जाती है जिससे पम्प बन्द हो जाता है । विद्युत फाल्ट ठीक करने में लगभग 4-5 घण्टे से कम समय नहीं लगता । ऐसी स्थिति में पम्प बन्द हो जाता है । इस पम्प कैनाल से मात्र 1.5 कि०मी० दूरी पर औद्योगिक नगर रामनगर का विद्युत स्टेशन है । जिसे 24 घण्टे विद्युत उपलब्ध रहती है यदि मिल्कीपुर पम्प कैनाल को इस सब स्टेशन से जोड़ दिया जाय तो इसे 24 घण्टे विद्युत उपलब्ध हो जायेगी । जिससे किसानों को बिजली उपलब्ध करायी जा सकती है और प्रतिवर्ष हजारों एकड़ जमीन की फसल को पानी देकर किसानों को दोहरी मार से बचाया जा सकता है ।

अतः आपसे निवेदन है कि इस लोक महत्व के विषय पर चर्चा कराकर जनपद चन्दौली के मिल्कीपुर पम्प कैनाल की विद्युत आपूर्ति हेतु औद्योगिक नगर के राम नगर के विद्युत सब स्टेशन से संयोजित करने हेतु आदेश देने की कृपा करें ।]

जनपद झाँसी के थाना मऊरानीपुर के ग्राम चितावद में दबंगों से धीवर समाज के उत्पीड़न को रोकने एवं दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र नागपाल–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान अत्यन्त लोक महत्व के प्रश्न की तरफ दिलाना चाहता हूँ । जनपद झांसी थाना मऊरानीपुर के ग्राम चितावद के दबंगों द्वारा धीवर समाज का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न किया

नोट — [ ] से अंकित पंक्ति हटाई गयी मानी गयी ।

जा रहा है तथा उन्हें फर्जी केसों में फंसाया जा रहा है जिससे गांव छोड़ने के लिए मजबूर हैं । तथा बाहर पलायन कर रहे हैं, वर्ष 1999 में राम प्रकाश आदि ने रघुनन्दन आदि के ऊपर जान लेवा हमला किया गया था जिसमें मुकदमा अ०सं०–16/99 धारा–147/148/149/326/307 आई०पी०सी० थाना मछलीपुर में दर्ज हुआ था, तब से लगातार आज भी उत्पीड़न हो रहा है ।

धीवर समाज के लोग अपनी परम्परागत व्यवसाय मछली-पालन सिगारा एवं पत्थर तोड़ने की मजदूरी करके अपने जीवन का भरण-पोषण का पालन कर रहे हैं । गांव के प्रभावशाली व्यक्ति राम प्रकाश, अशोक प्रतिपाल, प्रह्लाद, दीपक, रामनरायन, हल्के, रणधीर, प्रताप सिंह एवं प्रताप सिंह आदि निवासीगण चितावद द्वारा आये दिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना तथा देवरिया मछली एवं सिगरा निकलवाने का काम किया जा रहा है । चितावद एवं सिगारा गांव के लोग दहशत में है पुलिस की मिली भगत से फर्जी केस भी लगाने का काम किया जा रहा है । इसलिए उच्च स्तरीय शासन से जाँच कराकर दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करना आवश्यक है । तथा गरीब लोगों को न्याय दिलाना आवश्यक है ।

अतः मैं लोक महत्व के इस विषय की सूचना सदन में स्वीकृत कराने की माँग करता हूँ । ।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 5-9-2002 को नियम–300 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनायें प्राप्त हुई–पहली सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय व श्री किरन पाल सिंह की है इन्होंने प्रदेश में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाये जाने सम्बन्धी मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु वित्तीय प्रबन्ध किये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है । दूसरी सूचना डा० अशोक बाजपेयी व कुंवर रेवती रमण सिंह जी की है इन्होंने प्रदेश में मानवाधिकार आयोग गठित किये जाने के संबंध में सूचना दी है । तीसरी सूचना श्री प्रमोद कुमार की है, चौथी सूचना श्री संजय गर्ग की है इन्होंने भी प्रदेश में मानवाधिकार आयोग गठित किये जाने के संबंध में सूचना दी है । पांचवीं सूचना श्री जटा शंकर सिंह ने पारा कालोनी के विद्युत अनुरक्षण का कार्य राजाजीपुरम् विद्युत उप–केन्द्र से ही कराये जाने के संबंध में सूचना दी है जिसको नियम–51 में परिवर्तित कर दिया गया है । जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें निरस्त की गयी हैं उनके नाम निम्नलिखित है–श्री शारदानन्द अंचल, डा० विनोद तिवारी, श्री राम लाल अकेला, श्री महबूब अली, श्री राम करन आर्य व श्री राम विशुन आजाद ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, इसमें वित्तीय अनियमितता हुई है 6 हजार करोड़ का मामला है । मेरा निवेदन है अभी इसको स्थगित कर दिया जाये ।

प्रदेश में मानवाधिकार–आयोग गठित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो औचित्य का प्रश्न हमने दिया है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने तमाम प्राविधान किये हैं और मानवाधिकार आयोग ने एक बार नहीं अनेक बार उत्तर प्रदेश सरकार को यह निर्देशित करने का काम किया है कि उत्तर प्रदेश में तत्काल मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाय। लेकिन बार-बार कहने के बावजूद आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने मानवाधिकार आयोग का गठन नहीं किया। मान्यवर, देखें तो ज्यादातर प्रदेशों में मानवाधिकार आयोग का गठन हो चुका है। दुनिया के जितने भी विकसित देश या विकासशील देश हैं, हर देशों में इसका गठन हो चुका है। इतने बड़े प्रदेश में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि मानवाधिकार आयोग के साठ प्रतिशत मामले केवल उत्तर प्रदेश के सुने जाते हैं। यह सरकार जो गरीबों की हिमायती बताती है, सबसे ज्यादा उत्पीड़न दलितों और महिलाओं के पूरे देश में हुए तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा इसके उत्पीड़न हुए हैं। मान्यवर, यह एक गम्भीर चिन्ता का विषय है लेकिन मेरी यह समझ में नहीं आता कि केवल फर्जी आंकड़े यह देते रहते हैं कि हमने कानून सुधार लिया, दलितों और महिलाओं के उत्पीड़न को रोक लिया है लेकिन बात इसके विपरीत है। मान्यवर, सभ्य समाज में इस तरह की व्यवस्था है तो फिर हम क्यों इंकार कर रहे हैं। इसमें कहीं न कहीं शंका पैदा होती है। यह उत्पीड़न लगातार बढ़ता जा रहा है और यह उत्पीड़न तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि मानवाधिकार आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में नहीं करेंगे और उसके दिये गये सुझाव का अमल करेंगे। मान्यवर, दारुलशफा में कुंज बिहारी, पी०यू०सी०एल० के अध्यक्ष हैं वह भूख हड़ताल पर बैठे हैं लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। इक्कीसवीं सदी में इसको नहीं माना तो कब गठन करेंगे। मेरा आपसे यह आग्रह है कि आप माननीय मंत्री जी को निर्देशित करें कि आज ही सदन में इसकी घोषणा करें। अगर यह गरीबों और दलितों तथा महिलाओं के हिमायती हैं और उत्पीड़न को रोकना चाहते हैं तो इसका गठन आज ही करने की घोषणा करें।

* श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक अत्यंत संवेदनशील परन्तु बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपके माध्यम से औचित्य के इस प्रश्न पर व्यवस्था चाहता हूँ। मानवाधिकार आयोग का गठन इसलिए हुआ था कि जो भारतवर्ष के नागरिक या दुनिया में कोई भी नागरिक स्वतंत्रता में जीते हैं, स्वतंत्र वातावरण में जीते हैं अगर उनके अधिकारों पर अंकुश लगता है, निरपराध लोगों को यातनाएं दी जाती हैं, किसी जाति, धर्म के नाम पर यातनाएं दी जाती हैं तो मानवाधिकार का गठन संवैधानिक है और इससे जो लोग दोषी है उनको कटघरे में खड़ा कर दिया जाय। मान्यवर, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार का दायित्व है कि नागरिक की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की रक्षा करे। मगर यहां तो शर्म हो गयी। मान्यवर, मा० सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायपालिका और विधायिका दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण हैं और दोनों एक दूसरे का निर्देशन करती हैं। एक दूसरे की पूरक होती हैं। जहाँ विधायिका अपने कार्यों में ढील देने लगती है वहीं न्यायपालिका सामने आती है और निर्देश देने लगती है। मान्यवर, न्यायापालिका को स्वयं कुछ करने का अधिकार नहीं है लेकिन यहां

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो स्थिति यह उत्पन्न की गयी है कि न्यायपालिका और विधायिका में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। मान्यवर, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में मानवाधिकार आयोग के गठन का निर्देश दिया वह निर्देश स्वयंमेव नहीं दिया है, वह संविधान में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग उल्लंघन करते हुये दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी स्थिति में मानवाधिकार आयोग का गठन नहीं करना चाहती है। आखिर क्यों ? मान्यवर, पत्रकारों का उत्पीड़न होता है तो मान्यवर, वहीं थानेदार और दूसरे कर्मचारी कहते हैं कि तुम स्वतंत्र रूप से अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकते हो। मान्यवर, मानवाधिकार आयोग न सिर्फ पत्रकारों की रक्षा करता है, दलितों की रक्षा करता है और जो मजबूर हैं उनकी रक्षा करने का काम करता है। मान्यवर, इतिहास साक्षी है गुजरात में चुनी हुई सरकार खुद ही अपराध करने वाली सरकार बन गयी थी, मान्यवर, वहाँ मानवाधिकार आयोग ने ऐतिहासिक भूमिका का निर्वहन किया वहाँ की चुनी हुई सरकार ने लोगों का कत्लेआम किया अगर वहाँ मानवाधिकार आयोग भूमिका न निभाता तो उनका हित सुरक्षित न रहता। मान्यवर, कश्मीर में निर्दोष लोगों की हत्या होने लगी, मानवाधिकार आयोग ने वहां अपनी भूमिका का निर्वहन किया। मान्यवर, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिये, लोकतन्त्र की रक्षा के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार मानवाधिकार आयोग के गठन की तिथि घोषित करें। मान्यवर, उसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष होंगे। मान्यवर, इस सदी का सबसे बड़ा अपराध है कि निर्वाचित गुजरात सरकार ने वहां के बेगुनाह लोगों को मारने का काम किया कत्लेआम किया जो शर्मनाक है। इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता कि चुनी हुई सरकार खूनी कातिल बन जाय। मान्यवर, मैं यह नहीं कहता कि यहाँ का आयोग गुजरात जाये। मान्यवर, गुजरात का उदाहरण देते हुये यहाँ मानवाधिकार आयोग के गठन की घोषणा सदन उठने के पहले अवश्य कर दी जाये।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, राज्य में मानवाधिकार आयोग के गठन का यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। मान्यवर, मानव सभ्यता के इस युग में हम एक दूसरे के हकों का संरक्षण करते हुये उनका हित संवर्धन कैसे कर सकें ? मान्यवर, मौजूदा लोकतान्त्रिक व्यवस्था में संसदीय मूल्यों का संरक्षण रहते हुये यदि मानवीय मूल्यों का उल्लंघन रोक न पाये और लोकतान्त्रिक प्रणाली में मानीटरिंग व्यवस्था करने की जो बात है तो उस पर लोकतान्त्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत जो चयनित राजनैतिक पार्टियां हैं उन लोक हितों से मुंह मोड़ने का काम करें, तो निश्चित रूप से चिन्ता की बात है। मान्यवर, एक [illegible] और पशु में संवाद और संवेदना का फर्क है। मानव सभ्यता के सतत् विकास में विभिन्न पड़ावों के दौरान आदिम-साम्यवाद, दास प्रथा, सामन्तवाद, पूंजीवाद के बाद हम आज 21वीं सदी में पहुंचे हैं। आज मान्यवर, इस सभ्यता के युग में हमने संवेदनशीलता का पूरा परिचय देते हुये 21वीं सदी में कदम रखने का काम किया है और आज अपने संविधान में अपने मौलिक अधिकारों के तहत अपने अधिकारों को संरक्षित करने का काम किया है। पहिले एक कबीला दूसरे कबीले पर हमला करके बाहुबल के आधार पर कमजोर पर कब्जा करता था और दास बना कर रखता था। सभ्यता के सतत विकास की प्रक्रिया में भारत में आध्यात्मिक प्रभाव से अनेकान्त, अपरिग्रह और अहिंसा के मानवीय मूल्यों पर चलते हुये हमने वसुधैव कुटुम्बकम् की परिकल्पना की। आज आजाद भारत के संविधान के अनुच्छेद–12 से अनुच्छेद–35 तक मूल अधिकारों का प्राविधान किया गया। परन्तु आजादी के 54 साल बाद भी उनका हनन जारी है।

मान्यवर अधिष्ठाता जी, पूरी दुनिया में अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 93 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ,

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने निर्देश दिया कि इसके अन्तर्गत विभिन्न प्रदेशों को निर्देशित किया गया कि वह अपने-अपने प्रदेशों में मानवाधिकार आयोग का गठन करें । मान्यवर, उ० प्र० में 4 अप्रैल, 1996 को उ० प्र० मानवाधिकार आयोग के गठन की मंजूरी दे दी गयी । अगस्त, 98 में सरकार ने मा० उच्च न्यायालय में हलफनामा दिया कि हम जल्द ही राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन करेंगे 13 जनवरी, 2001 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देशित किया कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 3 महीने के अन्दर कर लिया जाय । इन तमाम चीजों के बावजूद राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन नहीं हुआ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जितनी शिकायतें दर्ज होती हैं उसमें साठ फीसदी से ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश के होते हैं । 2000-2001 में 71685 मामले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में गये जिसमें से 41984 अकेले उत्तर प्रदेश के थे । जो वास्तव में चिन्ता की बात है परन्तु इस सबके बावजूद हाई कोर्ट में हलफनामा देने के बाद भी अभी तक इसमें कुछ नहीं किया गया यहां प्रदेश में पुलिस जिस तरह से निरंकुश हो रही है जिस तरह से लोगों को फर्जी मुठभेड़ों में मारा जा रहा है जिस तरह से बाल मजदूर और बंधवा मजदूरों का शोषण हो रहा है । नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा है उस सबके बावजूद सरकार मूक दर्शक होकर राज्य मानवाधिकार गठन की बात नहीं कर रही है अभी पिछले वर्ष जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री जे० एस० वर्मा जी लखनऊ आये थे तो एकदम हलचल मची थी और उम्मीद थी कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कर दिया जायेगा मान्यवर, गृह विभाग ने पिछले वर्ष अध्यक्ष व सदस्यों के चयन के लिये न्यायाधीशों का पैनल हाई कोर्ट से मांगा था एक महीने के भीतर न्यायाधीशों के नाम मिल गये और आयोग के लिये तीन कमरे भी जवाहर भवन में आवंटित कर दिये गये और आयोग ने कार्य करने वाले कर्मचारियों के 50 पद भी स्वीकृत कर दिये गये थे परन्तु इस सबके बावजूद भी अभी तक कुछ नहीं हो पाया ओर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के दिल्ली जाने और वर्तमान सरकार के आने के बाद राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के मामले को रद्दी की टोकरी में डाल दिया । मान्यवर, उधर कोर्ट ने राज्य में मानवाधिकार आयोग के गठन न होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए आयोग के गठन तक सेवानिवृत्त जज श्री अचल बिहारी श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गृह विभाग के माध्यम से मानीटरिंग कमेटी बनी और वह मानवाधिकार हनन के मामलों को देख रही है परन्तु उसका कोई न्यायिक अस्तित्व नहीं है, न ही उसे कोई अधिकार प्रदत्त है । मान्यवर, दस प्रदेशों में पहले से मानवाधिकार आयोग गठित हो चुका है । जम्मू कश्मीर, हिमांचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडू, बंगाल, आसाम, मणिपुर और दो प्रदेशों में छतीसगढ़ और महाराष्ट्र में इसके गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है मगर 17 करोड़ की आबादी के 70 जिलों को लेकर चलने वाली इस सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है और वह हलफनामा देने के बाद भी मानवाधिकार आयोग के गठन का कार्य नहीं कर पा रही है । मान्यवर, 16-2-2002 को उच्चतम न्यायालय ने यू०पी०, एम०पी० और पंजाब सरकारों को निर्देश दिया कि वह हलफनामा दाखिल करें कि बड़े पैमाने पर मानवाधिकार हनन के जो आरोपी अधिकारी हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी । मान्यवर, पुलिस प्रशासन निरंकुश हो गया है । पुलिस कातिल और थाने कत्लगाह बन गये हैं । राजनैतिक बदले की भावना से सरकार लोगों का उत्पीड़न कर रही है ।

मान्यवर, पिछले वर्ष जिला सोनभद्र के भवानीपुर में शादी में भाग लेने आये 16 दलितों को नक्सली बताकर चारों ओर से घेर कर गोलियों से भूनकर मार डाला । माननीय अधिष्ठाता जी, पूर्व मुख्य मंत्री राजनाथ सिंह ने पुलिस अधिकारियों एवं पूरे दलबल को इनाम दिया तथा प्रोत्साहित किया, बाद में पता चला कि वे गांव के आम नागरिक थे तथा उनमें कोई नक्सली नहीं था । अधिष्ठाता महोदय, मौजूदा मा० मुख्य मंत्री ने तो उस समय घोषणा की थी कि जब मेरी सरकार होगी तो मैं उनके खिलाफ मुकदमा

चलाउंगा । 16 दलितों की हत्या हुई परन्तु भवानीपुर हत्याकाण्ड की जाँच कराने का काम सरकार नहीं कर पा रही है । अभी हाल में सोनभद्र में जिस तरह से विवाद चला और दुद्धि थाने में पोटा लगाने का काम दलित लोगों के ऊपर हुआ । 19-20 अप्रैल, 2002 को दुद्धि थाने में मु०सं०–36/02 में जिन 12 लोगों के ऊपर पोटा लगाने का काम किया गया, यह सभी लोग आदिवासी लोग थे और दलित तथा पिछड़े लोग थे । थाना चोपन में भी 5 जुलाई, 2002 को मुकदमा सं० 48/2002 के अन्तर्गत 14 लोगों के ऊपर पोटा लगा दिया गया । पोटा लगवाकर पुलिस को निरंकुश करते हुए यह सरकार एक अघोषित इमरजेंसी लागू कर देना चाहती है । इन तमाम घटनाओं पर कोई मानीटरिंग करने की बात हो सके, मानवाधिकार आयोग के गठन की बात हो सके । मैं इस नजरिये से आपसे कहना चाहता हूँ कि मौजूदा समय में आज भी विधान भवन के सामने पी०यू०एच०आर० के महासचिव तथा एशिया टूडे के सम्पादक डा० ब्रज बिहारी पी०यू०सी०एल० के अध्यक्ष चितरंजन सिंह, प्रगतिशील लेखक संघ के लोगों के साथ आमरण अनशन पर बैठे हैं । आज पूरी 17 करोड़ निरीह जनता राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन चाहती है । अधिष्ठाता जी, इसकी गम्भीरता का एहसास करते हुए मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि मौजूदा सरकार आज इस बात की घोषणा करे । आज राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की घोषणा करने का काम इस सदन में करें । हम उन शोषित, वंचित और निरीह लोगों का संरक्षण नहीं कर पायेंगे तो मुझे समझ में नहीं आता कि व्यक्तिगत रूप में इस सदन में आकर हम किस तरह से उस जनता को मुंह दिखायेंगे । लोगों के अधिकारों का संरक्षण सबसे पहले आता है । आपने अधिनायकवादी चेहरों को दबाने का काम यह फासिस्टवादी सरकार करना चाहती है और इसलिए उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की नितान्त आवश्यकता है । मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द आज सरकार निश्चित रूप से इस बात की घोषणा करे कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब तक किया जायेगा ।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, यह ऐसा कोई विषय नहीं है, यह नियमावली के अन्तर्गत नहीं आता है, अतः इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, यह नियम–300 में ग्राह्य नहीं है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मा० सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय ने इनको डायरेक्शन दे रखा है । अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग बना हुआ है । यह दूसरी चीज है । यहाँ पर 60 फीसदी मामले आज भी भारत सरकार में हैं उसमें उत्तर प्रदेश के मामले लम्बित हैं । तो यह माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि यह नियमावली के अन्तर्गत नहीं आता है । यह स्पष्ट बात कही गयी है और मा० सर्वोच्च न्यायालय का डायरेक्शन भी है तो माननीय मंत्री जी यह बता दें कि यह आयोग बनायेंगे या नहीं ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, व्यवस्था देने से पहले संसदीय कार्य मंत्री ने जो कहा है, मैं चाहूँगा कि कृपया फिर से अनुरक्षण कर लें जिससे मा० सर्वोच्च न्यायालय का गठन होता है । मान्यवर, इससे आप पूरी तरह से भिज्ञ हैं । आप जैसे विद्वान आदमी को समझाने की आवश्यकता नहीं है । मान्यवर, हमारे संविधान में चार प्रमुख स्तम्भ माने गये हैं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, और चौथी जिसे हम पत्रकार जगत कहते हैं । मान्यवर, हम यहाँ जो बैठे हुए हैं वह संविधान के अनुच्छेद 164 के अन्तर्गत बैठे हैं और यह सरकार 164 (2) के अन्तर्गत यहाँ मौजूद है । संविधान के अन्तर्गत ही उच्चतम न्यायालय का

गठन होता है । उच्चतम न्यायालय में जब कोई वाद जायेगा और उस पर उसके द्वारा कोई निर्णय होगा तो वह बाध्यकारी होगा । सार्वभौमिक तौर से सम्पूर्ण क्षेत्र में जो भी सरकार निर्वाचित होगी उस पर वह लागू होगा । पिछली बार एक सरकार का पतन हुआ, महामहिम राज्यपाल ने दूसरी सरकार का गठन कर दिया, उच्च न्यायालय ने इस प्रक्रिया को नहीं माना अन्ततः श्री कल्याण सिंह इस सदन में मुख्य मंत्री बने । इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि विश्वास का मत हासिल किया जाय , इसको आपने भी देखा, मैंने भी देखा, और पूरे सदन ने देखा । मेरे कहने का आशय यह है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किसी भी सरकार पर बाध्यकारी होता है और सरकार ही सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के निर्णय को नहीं मानेगी तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि संविधान का उल्लंघन करने वाली और न्यायालय के आदेशों को न मानने वाली इस सरकार को एक मिनट भी बने रहने का अधिकार नहीं है । संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया कि इससे कार्यवाही विनियमित नहीं होती है । मेरा कहना यह है कि यह सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है और वह प्रदेश सरकार को कोई संवैधानिक दायित्व का निर्देश देता है और यदि वह सरकार उसका निर्वहन नहीं करती है तो ऐसी सरकार एक मिनट भी कैसे बैठ सकती है ? इस बात से पूरी सरकार के औचित्य पर ही प्रश्न लग जाता है । अधिष्ठाता महोदय, आप नीचे न देखिये, आप ऊपर देखिये, और स्वयं अपने विवेक से निर्णय लें कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय बाध्यकारी है या नहीं ? सरकार की ओर से यह उत्तर भी आ सकता था कि हम उसे शीघ्र करेंगे, हम विचार करेंगे परन्तु तकनीकी आधार पर यह कहना, कि इससे कार्यवाही विनियमित नही होती है, यह सुप्रीम कोर्ट का मखौल है और कोई सरकार सुप्रीम कोर्ट का संविधान का मखौल करे और संविधान निर्माता का नाम ले उसको सरकार में बने रहने का अधिकार नहीं है । मैं आपसे चाहूँगा कि आप यह बताने की कृपा करें कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश और निर्देश इस शासन पर बाध्यकारी है अथवा नहीं, इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूँ ।

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती अतः इसे अग्राह्य किया जाता है ।

(श्री जटाशंकर सिंह का नाम पुकारे जाने पर वह अनुपस्थित थे)

(श्री रामकरन आर्य के खड़े होने पर)

पारा कालोनी का विद्युत अनुरक्षण कार्य राजाजीपुरम् विद्युत उपकेन्द्र से कराये जाने विषयक औचित्य के प्रश्न की सूचना

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना नियम–51 के अन्दर परिवर्तित कर दी गई है । शेष सूचनाएं निरस्त की जाती हैं ।

श्री राम स्वरूप सिंह–

मान्यवर, [x x x] [xxx] [x x x]

(श्री राम करन आर्य के पुनः खड़े होने पर)

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेसानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

प्रदेश में भयंकर सूखे के कारण किसानों से वसूली न किये जाने विषयक औचित्य के प्रश्न की सूचना

श्री अधिष्ठाता–

मैंने आपके कागज को पढ़कर आवश्यक कार्यवाही के लिए मंत्री जी के पास भेज दिया है ।

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2002

सचिव–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2002 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने दिनांक 20 अगस्त, 2002 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 24 अगस्त, 2002 के उपवेशन में पारित किया था, श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 31 अगस्त, 2002 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2002 का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया ।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता–

सब लोग एक साथ बोल रहे हैं कृपया एक-एक करके बोलिए ।

प्रदेश में भयंकर सूखे के कारण किसानों से वसूली न किये जाने विषयक औचित्य के प्रश्न की सूचना (क्रमागत)

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, इसी सदन में सरकार द्वारा यह कहा गया था कि सूखा और अकाल को देखते हुए किसानों से वसूली नहीं की जायेगी लेकिन एक ट्रैक्टर की वसूली के लिए सात दिन के अन्दर नोटिस आ गई तो यह इस पीठ का अपमान हो रहा है । माननीय मुख्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री ने भी कहा था । यह सदन कोई चौराहा या बाजार नहीं है कि कोई भी बात कह दी जाय और उस पर अमल न किया जाय । पीठ से भी निर्देश हुए थे, उनका पालन न हो, इससे पीठ का अपमान हुआ है और भारतीय संविधान का अपमान हुआ है । मैं कहना चाहता हूँ कि जो ट्रैक्टर नीलामी को है उसको समाप्त करके वसूली बन्द करायी जाय । यह राजस्व का मामला है, एक तरफ अकाल पड़ा है और आपने स्वयं कहा कि प्रदेश में सूखा है, अन्न पैदा होने की स्थिति नहीं है लोग भूखों मर रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में जबरदस्ती वसूली की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जाइये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ । देखिये जो आपने कागज दिया मैंने उसको देख लिया और सचिव के माध्यम से मैंने मा० मंत्री जी के पास आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया है । आपने तीन बार अपनी बातों को कहा और अब फिर बोल रहे हैं और मैं शान्ति से सुन रहा हूँ । आपने अनुसूचित जाति के लोगों के बारे में जो कुछ कहा है उस पर कार्यवाही के लिए मैंने आदेश दे दिये, इस सदन से इतना ही हो सकता है ।

श्री शारदानन्द अंचल–

मैंने नियम–300 के अन्तर्गत एक सूचना दी है।

श्री अधिष्ठाता–

नियम–300 हो चुका है और वह निरस्त हो चुकी है।

आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर तहसील निजामाबाद ब्लाक तहबरपुर के अन्तर्गत मंझारी बाजार में 33/11 के०वी०ए० विद्युत सब-स्टेशन स्थापित किये जाने विषयक श्री रामनाथ यादव आदि निवासीगण जनपद–आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर तहसील निजामाबाद ब्लाक–तहबरपुर के अर्न्तगत मंझारी बाजार में 33/11 के०वी०ए० विद्युत सब-स्टेशन स्थापित किये जाने विषयक श्री रामनाथ यादव तथा श्री ललई यादव व निवासीगण जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्र सदर ब्लाक तहबरपुर तहसील निजामाबाद में सौफीपुर पंडिताइन पुरवा की पुलिया से गढ़वा तक मार्ग का निर्माण लेपन स्तर तक कराये जाने विषयक श्री गुलाब यादव आदि निवासीगण जनपद–आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर ब्लाक तहबरपुर तहसील निजामाबाद के अन्तर्गत सौफीपुर से पंडिताइन पुरवा की पुलिया से गढ़वा तक के मार्ग का निर्माण लेपन स्तर तक कराये जाने विषयक श्री गुलाब यादव तथा श्री झीनकारी यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(याचिका उपस्थित करने के मध्य श्री शारदानन्द अंचल अपनी बात कहने का प्रयास करते रहे)

प्रदेश में दलित ऐक्ट का दुरुपयोग किये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री शिव कुमार बेरिया–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस सदन में सरकार की ओर से जो वक्तव्य आते हैं, यह माना जाता है कि सरकार अपने वक्तव्यों को अपने जिले के जो अधिकारी हैं, उनसे पूरा करायेगी। इस सदन में आश्वासन दिया गया कि दलित ऐक्ट के मुकदमें, हत्या और बलात्कार को छोड़कर अगर हुए हैं तो कायम कराये जायेंगे। झूठे मुकदमें, फर्जी मुकदमें रंजिश के आधार पर कायम नहीं कराये जा सकते हैं। लेकिन कल हमारे क्षेत्र में थाना रसूलाबाद के अन्तर्गत मजरिया गांव में जानवर चराने को लेकर दलित वर्ग और यादव समुदाय के लोगों में कहासुनी हुई और यादवों के खिलाफ फर्जी मुकदमा कायम किया गया। मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री से कहना चाहता हूं कि वह कम से कम जिलाधिकारी,

---

† छायी नहीं गयी।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कानपुर देहात को इस बात के लिए निर्देशित करें कि जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है उसे तत्काल खत्म कर दें और केवल कहासुनी का मुकदमा कायम किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री अंचल जी और माननीय विधायक बेरिया जी, जो आप लोग बोल रहे हैं, उसे आप लिखित रूप में दे दीजिएगा । मैं उसकी व्यवस्था करा देता हूँ ।

(श्री शिवकुमार बेरिया के पुनः खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आप किसी संगत नियम में नहीं रखेंगे तो कैसे होगा ? आप लिखित रूप में दे दें, मैं आवश्यक कार्यवाही के लिए शासन में भेज दूँगा ।

(मद संख्या–6 तथा 7 पुकारे जाने पर)

(मद संख्या-7 के याचिका रखने वाले माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार सदन में उपस्थित नहीं थे)

जनपद मेरठ के शास्त्रीनगर में राजकीय डिग्री कालेज स्थापित किये जाने विषयक श्रीमती रेखा त्यागी आदि निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद मेरठ के अन्तर्गत शास्त्रीनगर में राजकीय डिग्री कालेज स्थापित किये जाने विषयक श्रीमती रेखा त्यागी तथा श्री प्रदीप रस्तोगी निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ ।

जनपद रायबरेली की तहसील लालगंज के बिलग्राम उन्नाव रोड से सिमरी की पुलिया तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने विषयक श्री मुन्ना लाल गुप्ता आदि निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद रायबरेली की तहसील लालगंज के बिलग्राम उन्नाव रोड से जगन्नाथ होते हुए सिमरी की पुलिया तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने विषयक श्री मुन्ना लाल गुप्ता तथा श्री रमेश बहादुर सिंह निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ ।

जनपद रायबरेली की लालगंज तहसील के सिमरी सरैनी मार्ग पर ग्राम भितरी के पास के लोन नदी पर पुल निर्माण एवं निकट गांव से सैनी मिठौली मार्ग स्थित नाले पर पुल निर्माण कराने विषयक श्री महेन्द्र प्रताप सिंह आदि निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद रायबरेली की लालगंज तहसील के सिमरी सरैनी मार्ग पर ग्राम भितरी के पास लोन नदी पर पुल निर्माण एवं भिटर गांव से सैनी मिठौली मार्ग स्थित नाले पर पुल

---

† छापी नहीं गयी ।

निर्माण विषयक श्री महेन्द्र प्रताप सिंह तथा श्री मोहम्मद शहीद प्रधान निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद कुशीनगर की चकदहवा ड्रेन की सफाई कराने विषयक श्री अशोक कुमार मिश्र आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री जगदीश मिश्र (बाल्टी बाबा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर की चकदहवा ड्रेन की सफाई कराये जाने विषयक श्री अशोक कुमार मिश्र तथा श्री आधा सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद कुशीनगर के ग्रा० अमवाँ बुजुर्ग स्थित चकदहवा ड्रेन पर आर०सी०सी० पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अशोक कुमार मिश्र निवासीगण जनपद कुशीनगर आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री जगदीश मिश्र (बाल्टी बाबा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद कुशीनगर के ग्राम अमखां बुजुर्ग स्थित चकदहवा ड्रेन पर आर०सी०सी० पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री अशोक कुमार मिश्र तथा श्री आधा सिंह द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड तमकुहीग्राम के पहरवहां व करजहां में केसवा नाले पर पुल बनाये जाने विषयक श्री ध्रुव नारायण मिश्र आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री जगदीश मिश्र (बाल्टी बाबा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड तमकुही के ग्राम पहरवहां व करजहां में केसवा नाले पर पुल बनाये जाने विषयक श्री ध्रुव नारायण मिश्र तथा श्री तेजबहादुर राव व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड सेवरही स्थित कचमा घाट पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री सुरेश सिंह आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री जगदीश मिश्र (बाल्टी बाबा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड सेवरही स्थित कचमा घाट पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री सुरेश सिंह तथा श्री राम बली यादव व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य उपस्थित नहीं है, इसलिए मैं अगली मद ले रहा हूँ।

---

† छापी नहीं गयी।

जनपद लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र के कांकराबाद में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना किये जाने विषयक श्री रामेश्वर शुक्ला आदि निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

* श्री कौशल किशोर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र के ग्राम कांकराबाद में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना किये जाने विषयक श्री रामेश्वर शुक्ला तथा श्री शिव बालक पूर्व प्रधान निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद लखनऊ के माल कस्बे में 300 शैय्या का अस्पताल खोले जाने विषयक श्री राकेश चन्द्र मिश्र आदि निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री कौशल किशोर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद लखनऊ के माल कस्बे में 300 शैय्या का अस्पताल खोले जाने विषयक श्री राकेश चन्द्र मिश्रा तथा श्री रमेश कुमार निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद मेरठ के परीक्षितगढ़ मार्ग को उच्चीकृत कराये जाने विषयक श्री सुनील कुमार गर्ग आदि निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

*श्री शाहिद मंजूर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से (1) जनपद मेरठ के अन्तर्गत परीक्षितगढ़ मार्ग को उच्चीकृत एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक श्री सुनील कुमार गर्ग तथा श्री अफजाल अहमद व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

जनपद मेरठ की तहसील मवाना के ग्राम छुछाई में बिजलीघर का निर्माण कराये जाने विषयक श्री धर्मेन्द्र कुमार आदि निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री शाहिद मंजूर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद मेरठ की तहसील मवानी के ग्राम छुछाई अलसीपुर में बिजलीघर का निर्माण कराये जाने विषयक श्री धर्मेन्द्र कुमार तथा श्री इकरार अहमद व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

मेरठ महानगर में पशुबधशाला की दुर्गन्ध से छुटकारा दिलाने विषयक श्री अब्दुल जब्बार आदि निवासीगण जनपद–मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री शाहिद मंजूर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद मेरठ महानगर में पशुबधशाला की गन्दगी से फैल रही दुर्गन्ध से छुटकारा दिलाये जाने विषयक श्री अब्दुल जब्बार खां तथा श्री मोहम्मद जावेद व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† छापी नहीं गयी।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य उपस्थित नहीं है, इसलिए मैं अगली मद ले रहा हूँ ।

जनपद चन्दौली में सिंचाई विभाग के चन्द्र प्रभा खण्ड के बांधों की मरम्मत कराये जाने विषयक नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना का भ्रामक उत्तर देकर सदन को गुमराह किये जाने पर सिंचाई मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना

* श्री रामकिशुन–

मान्यवर, मैंने 16 अगस्त, को सूचना दी थी, इसमें 24 अगस्त को माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह उत्तर बहुत ही संदेहास्पद है । मैंने जून और अप्रैल में पानी बहाने की बात कही थी और माननीय मंत्री जी ने मई के महीने का हवाला दिया है । सरकार का उत्तर यह है कि वह पानी नहीं बहाया गया, जबकि वक्तव्यों के खण्ड (3) में उन्होंने स्वीकार किया है कि मछली के ठेकेदार ने पानी बहाया । इसकी सूचना जब जनपद चन्दौली के अधिकारियों को दी गई, तब भी उन्होंने नहीं सुना । 22-6-2002 को अधिशासी अभियन्ता चन्द्र प्रभा ने पानी बहाने का आदेश दिया था, उस आदेश को छिपाकर सरकार ने उत्तर दिया । मैं माननीय मंत्री जी से चाहूँगा कि वह इस सूचना की विधिवत्, सत्यता सहित जानकारी कृपया देने का कष्ट करें और इस पर उचित कार्यवाही करें । उन्होंने अपना प्रस्ताव किया, एक महीने तक पानी बहेगा । इतना ही नहीं बल्कि अधिशासी अभियन्ता चन्द्र प्रभा ने 22-6-2000 को भी नदी में पानी बहाने का आदेश अपने माध्यम से दिया था जिसका उल्लेख इस वक्तव्य में नहीं है इसलिए लोक महत्व का विषय है । मुझे सत्य बातों से अवगत नहीं कराया गया । इसलिए मैं चाहूंगा कि विशेषाधिकार का मामला है इसको सुन लें और उन अधिकारियों को जिन्होंने सदन को गुमराह किया है और सरकार को गलत सूचना दी है और मंत्री जी मैं उस सूचना के आधार पर सदन में गलत उत्तर दिया है । इसलिए मेरा अनुरोध कि मेरे विशेषाधिकार नोटिस को स्वीकार करें ।

श्री अधिष्ठाता–

आपने जो सूचना दी है वह कहाँ है ? उसकी एक कापी मुझे दे दें ।

श्री राम किशुन–

मान्यवर, विशेषाधिकार की नोटिस मैंने विधान सभा सचिव के नाम से दिया है ।

मान्यवर, विशेषाधिकार हनन की सूचना मैंने दिया है ....

श्री अधिष्ठाता–

विषय आपका आ गया है अगर कापी हो तो दे दीजिए ।

श्री राम किशुन–

मान्यवर, गलत उत्तर आया है, मैं चाहूँगा कि इसको आप स्वीकार करें । नियम–51 के तहत जो सूचना दी थी उसी आधार पर सिंचाई मंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया है लेकिन वहाँ के अधिकारियों ने

---

* [illegible] किया ।

गलत सूचना दी और उस गलत सूचना के आधार पर मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है जिससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है ।

श्री अधिष्ठाता–

जिस पर आपत्ति है तो क्या आपने आपत्ति पत्र लिखा ? अगर लिखा तो वह कहाँ है ?

श्री राम किशुन–

मान्यवर, सचिव विधान सभा के नाम से मैंने नियम–63 में सूचना दिया है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इसको दिखवा लूँगा और आवश्यक कार्यवाही करुँगा ।

दिनांक 29 अगस्त, 02 को नियम–51 के अन्तर्गत मड़हा नदी का जल प्रदूषित होने विषयक श्री सीताराम निषाद की सूचना का भ्रामक उत्तर देकर सदन को गुमराह किये जाने पर पर्यावरण मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना

श्री सीताराम निषाद–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैंने भी नियम–63 के अन्तर्गत सूचना दिया है और उसकी प्रतिलिपि पहुँचा दिया है । नियम–51 के अन्तर्गत 29-8-2002 की सूचना पर कल माननीय पर्यावरण मंत्री जी ने उत्तर दिया है, वह सत्य नहीं है । मान्यवर, मैंने 29-8-2002 को नियम–51 के अन्तर्गत जनपद फैजाबाद में मड़हा नदी (तमसा) का पानी विषैला होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी थी । माननीय अध्यक्ष जी ने सूचना स्वीकार कर पर्यावरण मंत्री को वक्तव्य देने का निर्देश दिया था । कल दिनांक 4-9-2002 को पर्यावरण मंत्री जी ने वक्तव्य में कहा है कि "आसवनी इकाई से शून्य उत्प्रवाह निस्तारित होने के कारण तमसा नदी में किसी प्रकार का औद्योगिक विषैला उत्प्रवाह निस्तारित नहीं किया जा रहा है । इस क्षेत्र में बीमारी फैलाने की कोई सूचना प्राप्त नहीं है ।" वह कथन बिल्कुल असत्य व निराधार है, बल्कि सच्चाई यह है कि आसवनी का औद्योगिक विषैला व प्रदूषित उत्प्रवाह मड़हा नदी के पानी में निरन्तर निस्तारित कर प्रवाहित किया जा रहा है, जिससे मड़हा नदी का पानी विषैला हो गया है और नदी के जीव-जन्तु व मछलियां मर गयी हैं । नदी में घुसने व पानी पीने से जानवर मर रहे हैं और नदी में नहाने से व नदी का पानी प्रयोग करने से नदी के किनारे के गांव वाले भयंकर चर्म रोग के शिकार हो रहे हैं । पर्यावरण मंत्री जी ने उपरोक्त सत्य तथ्यों को छिपाकर सदन में गलत वक्तव्य देकर सम्मानित सदन को गुमराह किया है और मेरे विशेषाधिकार का हनन किया है । यह सदन की अवमानना का प्रश्न है । इसलिए अनुरोध है कि नियम–63 के अन्तर्गत विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन की अवमानना के लिए पर्यावरण मंत्री के विरुद्ध उचित कार्यवाही की माँग करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी सूचना मेरे पास पहुंच गयी है । उसका परीक्षण कराकर आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

सहारनपुर शहर में प्राथमिकता के आधार पर बाई पास मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री इलियास जौहर आदि निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद सहारनपुर शहर में प्राथमिकता के आधार पर बाई पास मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री इलियास जौहर तथा श्री आर०पी० गुप्ता व निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ ।

जनपद सहारनपुर स्थित ढमोला नदी के दोनों ओर पेचिंग लगाये जाने विषयक श्री राजीव सोनकर आदि निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद सहारनपुर स्थित ढमोला नदी के दोनों ओर पेचिंग लगाये जाने विषयक श्री राजीव सोनकर तथा श्री रमेश छाबड़ा निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद सहारनपुर के उत्तर में शिवालिक पर्वत स्थित माँ शाकुम्बरी देवी मन्दिर हेतु ट्रस्ट की स्थापना करने विषयक श्री अशोक चौधरी आदि निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद सहारनपुर के उत्तर में शिवालिक पर्वत स्थित सिद्ध पीठ माँ शाकुम्बरी देवी मन्दिर हेतु ट्रस्ट की स्थापना कराये जाने विषयक श्री अशोक चौधरी तथा श्री गणेश प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज जो नियम–56 की सूचनायें प्राप्त हुई हैं उसमें पहली सूचना माननीय प्रमोद तिवारी जी की है जो प्रदेश में आर्थिक तंगी से हो रही मौतों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

श्री उदय राज–

मान्यवर, मुझे सुन लें। पहली सूचना कौन सी है।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी सूचना पहली नहीं है। मैंने तिवारी जी को बुला लिया है जब आपका नम्बर आयेगा तब बोलियेगा।

श्री राजेश कुमार–

मान्यवर, मेरी याचिका छूट गयी थी, इसको ले लें।

श्री अधिष्ठाता–

अपनी याचिका प्रस्तुत करें।

जनपद लखीमपुर की तहसील गोला के कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण कराने विषयक श्री ब्रह्मा प्रसाद बौद्ध आदि निवासीगण जनपद लखीमपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

* श्री राजेश कुमार–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील गोला के ग्राम हरिहरपुर व बगुही आदि ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने विषयक श्री ब्रह्मा प्रसाद बौद्ध तथा श्री राम गोपाल निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

---

† छापी नहीं गयी।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद लखीमपुर की तहसील पलिया में पिपरियागंज के पास शारदा नदी पर पत्थर की ठोकरें बनाए जाने विषयक श्री यादराम चौधरी आदि निवासीगण जनपद–लखीमपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री राजेश कुमार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद लखीमपुर की तहसील पलिया के ग्राम बरूआ एवं रैनागंज, पिपरियागंज के पास शारदा नदी पर पत्थर की ठोकरें बनाए जाने विषयक श्री यादराम चौधरी तथा श्री हरि किशन निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

* श्री प्रमोद कुमार–

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे अत्यन्त संवेदनशील और ज्वलन्त मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। इन्सान की जिन्दगी में सबसे ज्यादा प्रेम उसको अपनी औलाद से होता है। यह इन्सान की फितरत है और स्वभाव है कि वह अपनी जान से बढ़कर अपने बच्चों की जान समझता है और इसी मानवीय अनुभूतियों के कारण अपनी जान कुर्बान कर देता है पर अपने बच्चों पर आंच नहीं आने देता लेकिन जब से यह मौजूदा सरकार आई है प्रदेश और केन्द्र में, इनकी नीतियाँ ऐसी हैं कि आम जनता मौत को गले लगा रही है। जिन्दगी से ज्यादा उसको मौत प्यारी है। तब आदमी देखता है कि अपने बच्चों की परवरिश करने में कठिनाई हो रही है, जब उसे अपने लाडलों का भविष्य अन्धकारमय दिखाई देता है तो वह उन मासूम जानों का मौत के आगोश में सुला देता है। मान्यवर अभी 3–3 मौते भुखमरी से हुई है जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़ में हुई मौतों की बात यहां पर आई लेकिन सरकार ने उस समय कोई न कोई बात कह कर अपना पल्ला झाड़ लिया। मान्यवर, अभी फैजाबाद में एक पिता ने तीन बच्चों को कुएं में इसलिए फेंक दिया कि वह उनकी परवरिश करने में असमर्थ था वह अपने बच्चों को दो जून की रोटी और दूध देने में असमर्थ था। फैजाबाद की घटना हम भूल नहीं पाये हैं। उस घटना में सरकार ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया था कि बच्चों का पिता नहीं मिला है हो सकता है कि बच्चों के हत्यारे दूसरे रहे हों। सदन परसों उठ जाएगा सरकार अभी तक सिद्धार्थनगर की घटना के बारे में नहीं बता पाई। एक हृदय विदारक घटना पर सारे प्रदेश का ध्यान आकर्षित हुआ 31 अगस्त को झूंसी इलाहाबाद में संगम के करीब एक घर में एक पिता ने पहले अपनी पत्नी को पिता का नाम रतन दीप सिंह उम्र 35 वर्ष जो कि ज्यादा उम्र नहीं होती है। उसने अपनी पत्नी रीमा को पहले जहर खिलाया जिसकी उम्र 30 वर्ष थी, पुत्री रिया जिसकी उम्र सिर्फ चार साल थी, पुत्र ऋतु तीन साल की उम्र और अंकित की उम्र 2 साल थी इन सबको पहले सल्फास खिलाया उसके बाद खुद सल्फाज खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उसने मरने से पहले एक सोसाइड नोट लिखा जिसमें अपनी हत्या का कारण बताते हुए लिखा कि मेरे घर वालों को परेशान न किया जाए यह जो पाँच मौते हुई हैं यह हमने इस मौजूदा सरकार, मौजूदा हालात, मौजूदा समाज, आर्थिक बदहाली के चलते हुई

---

† छापी नहीं गयी।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है । मुझे अपनी मौत तो देखी जाती है लेकिन अपने बच्चों के सिसकना नहीं देखा जाता है । आप ऐसे बाप की कल्पना करें जिसने अपने दो साल के बेटे तीन साल की बेटी चार साल की बेटी को अपने हाथों से जहर खिलाया होगा । जिन बच्चों के लिए उसने क्या-क्या सपने देखे होंगे, क्या-क्या ख्वाब बुने होंगे उसने अपने हाथों से जहर खिलाया उससे इस सरकार के ऊपर उसकी कार्य प्रणाली पर एक सवालिया निशान लग जाता है । इस सरकार के राज्य में आज लोग अपने परिवार के पांच-पांच लोगों की हत्या करने पर मजबूर हैं । जीने की इच्छा नहीं रह जाती है मैं यह भी नहीं कह सकता कि इस सरकार को ऐसे में चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए क्योंकि उससे वह पांच जानें तो वापस नहीं आ सकती हैं । कहीं न कहीं सरकार को अपनी नीतियों के बारे में चिन्तन करना पड़ेगा । आखिर वह कौन से कारण हैं कि पहले फैजाबाद में फिर इलाहाबाद में इस तरह की आत्म हत्याएं हुई जिसमें पहले परिवार के चार लोगों को सल्फाज खिलाकर खुद आत्म हत्या कर ली । यह सरकार के दामन पर ऐसा कलंक है जिसमें अगर सरकार को जरा सी शर्म है तो तुरन्त श्री राज्यपाल के पास जाकर इस्तीफा सौंप देना चाहिए । जो इंसानी जिन्दगी की हिफाजत न कर सके उसको सरकार में रहने का हक नहीं है । यह पांच लाशें इस सरकार के कफन की कील साबित होंगी । यह कहते हुए मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा हो । यह अविलम्बनीय है, लोक महत्व का है यह जो मौतें हुई हैं वह आर्थिक तंगी के कारण हुई हैं । मैं आग्रह करूंगा कि सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाए ।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम, उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, 31-8-2002 की जिस घटना का उल्लेख प्रमोद तिवारी ने किया है और जो आत्महत्या की दुःखद घटना हुई है । वास्तव में यह संवेदनशील है और हम सभी लोग बराबर इस तरह की अपेक्षा और निवेदन करना चाहेंगे कि इस तरह की मजबूरी प्रदेश के किसी परिवार या किसी घर में न आए । साथ ही साथ हर इंसान की तमाम श्रेणी हैं, गरीब, अमीर, मजदूर आदि और आत्महत्या के भी तमाम सिलसिले हैं । गरीब भी आत्म हत्या करता है और अमीर भी आत्महत्या करता है । कुछ लोग गरीबी से संघर्ष करने के लिये तैयार हैं कि नंगे बदन भी रहेंगे, जाड़ों में बगैर कपड़े के रहकर भी वे जिन्दगी में संघर्ष करते हैं, वह आत्महत्या के लिये फैसला नहीं लेते हैं, यह उनके आत्मबल का मसला है लेकिन मान्यवर, यह जो घटना हुई है, दुःखद है । माननीय प्रमोद जी कह रहे थे कि इस सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए । यह इसी तरह से प्रोत्साहित किया जाता है जो लोग कभी-कभी आत्महत्या कर लेते हैं । इस दुःखद घटना के सम्बन्ध में परिवार के मुखिया ने जो पत्र लिखा है उसमें उसने लिखा है कि आर्थिक तंगी और पारिवारिक कलह की वजह से वह ऐसा कर रहा है मेरे परिवार के किसी सदस्य को इसके लिये तंग न किया जाय । मैं फिर कह रहा हूँ कि यह दुःखद घटना है । आप इसको सरकार से जोड़ रहे हैं । ठीक है, आपका हक है । जिम्मेदारी हर सरकार की होती है कि कोई भूखा न मरे, कोई नंगा न रहे । संविधान में भी व्यवस्था है कि इस प्रकार की व्यवस्था सरकार करे । आज सरकार, तमाम गरीबों के लिये रोजगार देने की व्यवस्था कर रही है, ताकि ऐसी परिस्थिति न पैदा हों । मैंने कहा कि आत्महत्या का जो निर्णय लिया गया वह आर्थिक संकट या पारिवारिक कलह का, जो भी रहा हो, घटना दुःखद है । उन छोटे-छोटे मासूम बच्चों ने क्या बिगाड़ा था । अकर्मण्य होकर लोग इस तरह का फैसला ले लेते हैं । तमाम जिन्दगी में ऐसा समय आता है जब संघर्ष करना पड़ता है । जरूरत होती है, उससे संघर्ष करने की, न कि पीछे हटने की । इसलिये मान्यवर, मैं इस प्रकरण के सम्बन्ध में

कहना चाहता हूं कि घटना दुःखद है । जहरीला पदार्थ खिलाकर छोटे मासूम बच्चों को भी मार दिया गया । सरकार इस पर दुःखी है । जो भी सरकारें हैं, सभी यह चाहती हैं और प्रयास करती हैं कि सबके शरीर पर कपड़ा हो, पेट में रोटी और अनाज हो । इस मामले में जब परीक्षण कराया गया तो पाया गया कि सल्फास खाने से मौत हुई थी और आत्महत्या अपने विवेक से की थी । अपनी जिन्दगी से हताश होकर आत्महत्या करने का फैसला लिया । इस पर सरकार संवेदना व्यक्त करती है, और दुःखी है । अनेकों गरीब लोग ऐसे हैं जिनके पास एक कौड़ी जमीन नहीं है, हजार फिट ऊंची बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं और एक मढ़ई में रहने का काम करते हैं । उस बिल्डिंग में एक कमरे की माँग नहीं करते । इस प्रकरण में उसने अपने सोसाइड नोट में लिखा है कि उसकी आत्महत्या का कारण पारिवारिक कलह और आर्थिक संकट है और अपने विवेक से उसने यह फैसला लिया । सरकार इसकी जाँच कर रही है कि ऐसी परिस्थितियाँ न पैदा हों । मान्यवर, यह प्रकरण नियम–56 में नहीं आता है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया कि आर्थिक तंगी के कारण ही आत्महत्या की गई आपत्ति चुल्लू भर पानी पर है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो मौतें हुई हैं इसके लिये कोई न कोई जिम्मेदार तो है । आप उस पीठ पर बैठे हों या इस पीठ पर जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है । मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका वह मंत्रालय क्या कर रहा है जो आप कहते हैं कि गरीब लोगों को हम राशन सस्ते दाम पर उपलब्ध करा रहे हैं । कहीं न कहीं तो आपकी वह वितरण प्रणाली ध्वस्त हुई आपका यह वादा क्या हुआ कि जिसके पेट में दो जून का खाना नहीं है उसको आप भूख से मरने नहीं देंगे । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिनके हाथ वितरण व्यवस्था है, क्या वह इसके लिये जिम्मेदार नहीं हैं । इन पांच मौतों के बारे में आपने स्वीकार किया है कि यह आर्थिक तंगहाली के कारण हुई हैं । आपकी वितरण व्यवस्था कहीं न कहीं ध्वस्त है कि नहीं ? उनकी वितरण व्यवस्था भ्रष्टाचार में डूबी है या नहीं । मान्यवर, इलाहाबाद में झूंसी जैसे ऐतिहासिक स्थल में जो रह रहा था वहां आपकी वितरण व्यवस्था काम नहीं कर रही है इसलिए मैंने इस सरकार को कहा कि "चूल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए । अरे आपकी सरकार तो इतनी बेहया और बेशर्म है कि आत्महत्या भी नहीं कर सकती है, पाँच-पाँच लोग मर गए हैं इसीलिए मैंने चूल्लू भर पानी की बात कही । अगर आपके खाद्य मंत्री ने इस पर ध्यान दिया होता तो वितरण व्यवस्था सही हो गई होती । अगर आपका समाज कल्याण विभाग सही काम करता तो यह लोग न मरे होते, अगर उनको एक जून की रोटी मिल जाती तो क्या कोई बाप चार बच्चों को मारता । इसमें किसी की जिम्मेदारी तय करनी होगी, अगर यह सरकार जिम्मेदार नहीं है तो मान्यवर, आप इसमें व्यवस्था दे दें । फैजाबाद में चार लोग और इलाहाबाद में पाँच लोग, नौ लोग मर जाएं, इस सरकार को और कितनी लाशों का इन्तजार है, सरकार चलती रहे और लोग मरते रहें दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रमोद तिवारी जी और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि यह नियम–56 में नहीं आती है, इस सूचना को अग्राह्य किया जाता है ।

श्री प्रमोद कुमार–

पाँच-पाँच मौतों पर सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, सरकार के भ्रष्टाचार पर मैं दुःखी मन से कहना चाहता हूं कि पांच-पांच मौतों पर सरकार ने जो जवाब दिया है, मुझे इस सरकार के कार्य पर विश्वास नहीं है, आप पीठ से निर्देशित करें कि सरकार ऐसी नीतियां बनाए कि कोई भविष्य में भूख से न मरने पाए ।

श्री सुखदेव राजभर–

यह बचनबद्धता है समाज की, सरकार की, पुरानी परम्परा है जब बड़े-बड़े जमींदार रहते थे तो वह आदमी लगाते थे कि शाम को देखें किसके घर से धुँआ नहीं निकल रहा है, किसके घर चूल्हा नहीं जला है, उसकी रोटी की व्यवस्था की जाती थी । यह पुरानी परम्परायें रही हैं, सामाजिक ढांचा रहा है और अब उन्हीं के पेट में गोली मार कर रोटी निकाली जाती है । यह पुरानी परम्परायें रही हैं कि हर घर में धुंआ देखा जाता था, तिवारी जी भी अपने पड़ोसियों का धुंआ देखें ।

श्री प्रमोद कुमार–

आज कौन जिम्मेदार है ? जमींदार ?

श्री सुखदेव राजभर–

मैंने सम्पन्न लोगों की बात कही, जमींदार नहीं कहा, पहले यह परम्परा थी कि कोई भूखा नहीं रहेगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

पाँच-पाँच मौतें हो गई, खाद्य मंत्री की वितरण व्यवस्था पर कोई जवाब सरकार नहीं दे रही है इसलिये मैं और मेरा दल दुःखी मन से सदन का त्याग करता है ।

(श्री प्रमोद कुमार ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

श्री अधिष्ठाता–

जनपद फैजाबाद स्थित डा० राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय के निकट दिन दहाड़े दो युवकों की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सीताराम निषाद जी की सूचना है । निषाद जी बोलें ।

श्री सीताराम निषाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, समूचे उत्तर प्रदेश में जब से बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की गठबन्धन की सरकार सत्तारूढ़ हुई है कानून की व्यवस्था खत्म हो गई है, प्रदेश में जंगल राज्य कायम हो गया है । अपराधी भयमुक्त हो गए हैं जिनके सामने पुलिस प्रशासन लचर साबित हो रहा है किसी की जिन्दगी सुरक्षित नहीं है, मान्यवर, सितम्बर माह की दो तारीख को जनपद फैजाबाद में राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय स्थित इंजीनियरिंग कालेज के परिसर में शहर नाका के निवासी अयोध्या प्रसाद यादव आयु लगभग 39 वर्ष तथा उनके सहयोगी व पड़ोसी ओम प्रकाश जायसवाल आयु लगभग 40 वर्ष दोनों लोग परिसर में निर्माण कार्य देख ही रहे थे कि अचानक दिन दहाड़े लगभग 1 बजे उन दोनों पर ताबड़तोड़ गोलियां, जान से मारने के इरादे से चलायी गई फलस्वरूप अयोध्या प्रसाद

उर्फ लोढ़ी यादव की मौत जिला अस्पताल ले जाते हो गई और ओम प्रकाश जायसवाल की मृत्यु मेडिकल कालेज लखनऊ ले जाते समय रास्ते में हो गई । मान्यवर, जहां पर घटना हुई है वह इलाका ऐसा है जहां पर पुलिस की पिकेट चौराहे पर तैनात रहती है और शहर से लगा भीड़-भाड़ का इलाका है । अभी थोड़े दिनों के अन्तराल में शहर फैजाबाद में कई लोमहर्षक, हृदय विदारक घटनायें हुई हैं जिनमें वजीरगंज की घटना, जिसमें दो वर्ष के मासूम बच्चे समेत छः लोगों की सामूहिक हत्या व लूट हुई थी, 11/12 मई को जहां कल घटना हुई है उसी के पास दुर्गापुरी कालोनी में एक ठाकुर परिवार के 6 लोगों की जिनमें बच्चे, बूढ़े व महिलायें शामिल थीं, सामूहिक हत्या व लूट हुई थी । 1/2 अगस्त की रात को बबलू यादव निवासी शहादत गंज की दुस्साहसिक हत्या की गई । थाना इनायतनगर में दलित महिला प्रधान श्रीमती ललिता चौधरी पासवान की हत्या दिन दहाड़े की गई । मोहम्मद अहमद पूर्व प्रधान, विधान सभा क्षेत्र रुदौली की हत्या की गई । एक सप्ताह पहले थाना रौनाही में दक्षिण पारागांव में चार मासूम बच्चों की हत्याएँ कुएँ में डालकर की गई । हौसिलानगर शहर फैजाबाद में एड़ी भीषण डकैती दिनांक 29 अगस्त को ब्लाक प्रमुख मिल्कीपुर, श्री कमलेश यादव का ग्राम सिड़सिड़ थाना खण्डासा में बल्लम से प्राण घातक हमला, श्री जय प्रकाश सिंह, प्रिंसिपल, राम विद्यालय, गुन्धौर, कोतवाली बीकापुर पर 23 अगस्त को दिन दहाड़े गोली चलाकर जानलेवा हमला, लगभग 10 दिन पूर्व कृषि उत्पादन मंडी, नाका फैजाबाद में दिन दहाड़े गोली चलने से दो की मौत तथा एक गम्भीर रूप से घायल आदि घटनायें एक तरफ जहां कानून व्यवस्था की पोल खोलती हैं, वही दूसरी तरफ जनमानस पर भय व दहशत पैदा करती हैं । मान्यवर, यह बहुत ही दर्दनाक लोमहर्षक हृदय विदारक घटनायें हैं, इससे जनपद के सभी लोग भययुक्त हुए हैं, सभी लोग आतंक भय व खौफ के साये में जी रहे हैं, पता नहीं कब क्या हो जाय । यह विषय तात्कालिक, अविलम्बनीय एवं लोक महत्व की घटना का है । अतः सदन के संज्ञान में लाकर हम मांग करते हैं कि समस्त कार्यवाही रोक कर नियमों को शिथिल कर इस गंभीर घटना पर चर्चा करायी जाय ।

* श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, नियम–56 के अन्तर्गत आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । इसके लिए आपको धन्यवाद । मान्यवर, 2 सितम्बर को जिसमें लोढी यादव जिसकी उम्र 40 साल है और उनके सहयोगी ओम प्रकाश जायसवाल जिनकी उम्र 39 साल है के साथ घटना घटी । यह दिन दहाड़े डेढ़ बजे होती है । यह हमारे जनपद फैजाबाद में, जहाँ पर अवध विश्वविद्यालय स्थित है, उसी विश्वविद्यालय में निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कालेज भवन परिसर में हुई । मान्यवर, जो आचार्य नरेन्द्र देव तथा राम मनोहर लोहिया जी की धरती है जहाँ पर राम राज्य की कल्पना की गयी थी मान्यवर, आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछली अगस्त का जो महीना बीता है उस महीने फैजाबाद जैसे शांतिप्रिय शहर में एक को छोड़कर दूसरे दिन हत्याएं हो रही हैं । अब तक फैजाबाद जनपद में 18 हत्याएँ हो चुकी हैं । दो तारीख को और 30 तारीख को कमलेश यादव पर हमला हुआ और 25 तारीख को मेरे विधान सभा क्षेत्र सोहावल दखिनपार में 4 मासूम बच्चों जिनकी उम्र 2 साल, 4 साल, 6 साल और 8 साल थी चारों बच्चों की लाश मिली । हमने शासन में मांग की कि उसकी जाँच करवा ली जाय तो कम से कम उनके बाप का तो पता चल जाय । इस पर सरकार की तरफ से जवाब आता है कि बाप ने भाँग खाकर बच्चों को मार दिया है । मैं कहना चाहता हूँ कि भाँग खाकर यह सरकार चलाई जा रही है । आज 10 दिन हो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गये हैं उन बच्चों के बाप का पता नहीं चल पाया है । मान्यवर, फैजाबाद में सरस्वतीपुरम् है जहाँ पर भीड़-भाड़ होती है । इस इलाके में 7/8 तारीख को 6 लोगों की हत्या कर दी गयी । जिसमें 2 साल की बच्ची और 12 साल की लड़की और मकान मालिक तथा एक रिक्शा चालक था । इस हत्या के बारे में सरकार की तरफ से जवाब आता है कि इन हत्याओं में बावरिया गिरोह का हाथ है, इसके संबंध में सरकार कुछ नहीं कर पायी है । मान्यवर, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि फैजाबाद में एक जगह दुर्गापुर है । जहां पर त्रिभुवन सिंह का परिवार रहता था । वहां पर 6–6 हत्याएं हो जाती हैं । जिसमें त्रिभुवन सिंह की पत्नी श्रीमती शोभा सिंह, सहित प्रीति सिंह, सुशीला सिंह, अलका सिंह और गरिमा सिंह, हैं । इस तरह से 6 हत्याएं हो जाती हैं । यही पर हौसला नगर है वहां पर एक अवर अभियंता का परिवार रहता था । उसके परिवार में उसका बेटा जिसने एम०एस०सी० टाप किया था तथा इसकी लड़की जिसका सेलेक्शन एम०बी०बी०एस० में हो गया था दोनों को काटकर बाथरूम में डाल दिया जाता है । यही नहीं अगस्त के महीने में ही बबलू यादव जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था । सआदतगंज पोलिंग का काम करता था 9 बजे उसकी हत्या हो गयी । इसी तरह 30 तारीख को कमलेश यादव मिल्कीपुर के रहने वाले हैं उनके ऊपर रास्ते में बम डाल दिया गया । नवीन मंडी में जहाँ पर सी०आर०पी०एफ० है वहाँ गोली चलती है । यह घटना एक बजे दिन में होती है । 20 अगस्त को । इसमें दो लोगों की मौत हो जाती है और एक आज भी मेडिकल कालेज में जिन्दगी और मौत से जूझ रहा है । अभी प्रमोद तिवारी जी कह रहे थे कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए लेकिन यह सरकार यह करने को तैयार नहीं है । मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इस सरकार में जरा भी शर्म हो तो आज मुख्य मंत्री को सरकार चलाने का कोई हक नहीं है । मान्यवर, दो-दो साल के बच्चे-बच्चे होते हैं बच्चों की ईश्वर की कल्पना कहा जाता है और बच्चों से किसी की कोई दुश्मनी नहीं हुआ करती है । यह क्या हो रहा है । उसके बाद ताल ठोक कर यह कहते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि चुल्लू भर पानी में नहीं तो सरयू नदी बह रही है वहां डूब जाये । आपको हया नहीं है जनता आपको माफ नहीं करेगी । आप उत्तर प्रदेश में साफ हो जायेंगे । आपने सत्ता की कुर्सी के लिये जो बेमेल गठबंधन किया है यह बड़ा मंहगा पड़ेगा, यह बड़ी गंभीर और दुखद दुर्घटना है । मान्यवर, एक रिक्शा चालक की हत्या हो गयी और उससे पहले 2 अगस्त को एक प्रधान की हत्या हो गयी । मान्यवर, 30 दिन का महीना होता है और 18–20 हत्यायें हुयीं हैं जिनको गिनाने का काम किया है । स्वाभाविक तौर से एक अल्टरनेट दें मान्यवर, एक हत्या होती है और सरकार की ओर से आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी । यह बावरिया ग्रुप का हाथ है या कच्छा बनियाइन पाण्डेय का हाथ है, बहन जी ने, मुख्य मंत्री जी ने लगता है कि बावरिया ग्रुप को लाइसेंस दे दिया है । मासूम बच्चों को काट-काट करके मारा गया और कोई कार्यवाही नहीं हुयी है । किसी भी मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की है । मुल्जिमों ने स्वयं अदालत में आत्म समर्पण किया है । पुलिस की यह व्यवस्था है यह इनकी सरकार है आप कहते हैं कि हमारी प्राथमिकता है, कानून का राज्य होगा लेकिन यह तो जंगल का राज हो गया है निश्चित रूप से सरकार में अपराधी पूरी तरह से भय मुक्त हैं और अगर भय है तो आम लोगों में है, और गांव के लोगों में भय है लेकिन गुण्डों और अपराधियों को कोई भय नहीं है इस सरकार में उन्हें पूरा-पूरा संरक्षण है और जिसका नतीजा है कि आज यह बड़े अपराधी बढ़ रहे हैं और दिन दूनी रात चौगुनी फैल रहे हैं । यह बड़ी ही दुखद और लोमहर्षक घटना है । समस्त सदन की कार्यवाही को रोक कर इस दुखद घटना पर चर्चा करायी जाये । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि आज उनकी इस नैतिकता का यही तकाजा है कि वह इस आदरणीय सदन में आकर इस्तीफा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

दो युवकों की हत्या के संबंध में यह सूचना है, उसी पर अपनी बात केन्द्रित करें ।

* श्री बलराम यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि कार्य-स्थगन की इस महत्वपूर्ण सूचना पर आपने हमें सुनने का और अपनी बात कहने का अवसर दिया । मान्यवर, कार्य-स्थगन जिन कारणों से किया जाता है उन कारणों के अनुसार मैं समझता हूँ कि कार्य-स्थगन का यह प्रस्ताव, यह सूचना अपने में पूर्ण है, तात्कालिक है और लोक महत्व की भी है और जितने भी कार्य-स्थगन के मानक हैं उसको यह पूरा करती है । यह फैजाबाद की घटनाओं का काम दो तारीख को दिन में 1.00 बजे अवध विश्वविद्यालय के परिसर में यह घटना घटी है उस घटना के पूर्व वहां पर राष्ट्रीय निर्माण निगम के बड़े अधिकारी जो यहां प्रदेश से गये थे वहाँ के निर्माण कार्यों को देखने के लिये, वह देखकर बाहर ही नहीं आये थे कि अयोध्या प्रसाद यादव और ओम प्रकाश जायसवाल जिनकी उसमें वह कार्य कराने की जिम्मेदारी थी, जैसे ही उन अधिकारियों का दल बाहर निकला है असामाजिक तत्वों द्वारा हमला इन नवजवानों के ऊपर किया गया सार्वजनिक स्थान पर नाका चौराहे के पास जहां सैकड़ों लोग रहते हैं, थाना पुलिस की पिकेट रहती है, निर्मम ढंग से गोली चलायी गयी जब तक कि अयोध्या यादव का भेजा नहीं निकल गया । तब तक गोलियां चलती रहीं और जायसवाल को भी गोली मारी गयी जब उन्हें मेडिकल कालेज लाया जा रहा था तो उनकी मृत्यु हो गयी मान्यवर, यह हो क्या रहा है घटनाएं घटती थीं अपराधी पकड़े जाते थे लेकिन आज एक भी अपराधी जो घटना फैजाबाद में हुई हैं एक भी मुल्जिम की गिरफ्तारी नहीं हुई है माननीय सीताराम जी व अवधेश प्रसाद जी ने जिस ढंग से इन घटनाओं के सिलसिले में जिक्र किया है एक महीने में हत्या और लूट का जिक्र किया है उस किसी घटना में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है इस घटना में पुलिस अधिकारी हाथ पर हाथ रखकर बैठ गये क्योंकि जिन लोगों के नाम प्रकाश में आये हैं वह कहीं न कहीं राजनीतिक और सरकारी संरक्षण प्राप्त हैं । जिसके कारण कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है । दिन में 1.00 बजे की घटना है और सब लोगों ने देखा है कि किसने मारा है इसके बाद भी गिरफ्तारी न हो यह बहुत दुख की बात है हमे दुख इस बात का है कि अयोध्या प्रसाद यादव हमारी पार्टी के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता और उसके पहले नगर के अध्यक्ष भी रहे हैं । मान्यवर, ऐसी घटनाओं पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही न करना सरकार द्वारा अपराधियों को संरक्षण देना बावरिया गिरोह के नाम पर छः–छः लोगों की हत्या, उसके एक हफ्ते पहले दो ठेकेदारों की हत्या जिस दिन मण्डी परिषद् के टेण्डर हो रहे थे, कर दी गयी और एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई यह सब फैजाबाद कोतवाली की घटना है इसलिए मान्यवर, यह बहुत ही तात्कालिक प्रश्न है, अविलम्बनीय है, मनुष्य के जनजीवन से जुड़ा हुआ मामला है इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करवाये इससे और ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं हैं इस पर चर्चा कराये माननीय संसदीय कार्य-मंत्री अपराधियों को पकड़ने और उनको सजा दिलवाने की कार्यवाही करे ताकि अपराध रूके तथा जंगल राज जो पहले से हो चुका है, समाप्त हो सके ।

श्री शारदा नन्द अंचल–

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय सीता राम निषाद, अवधेश प्रसाद जी तथा बलराम यादव जी की बातों के साथ अपने को जोड़ते हुए निवेदन करता हूँ कि यह मामला बहुत ही अविलम्बनीय है । फैजाबाद में हत्याओं का सिलसिला बहुत चला और सरकार ने अपने निकम्मेपन का परिचय दिया । मान्यवर, कई बार कार्य-स्थगन के प्रस्ताव दे करके इस पर चर्चा हुई और चर्चा के बावजूद सरकार ने कोई कारगर कदम नहीं उठाया । जैसे लगता है कि अगर सरकार की मंशा थी कि अपराधियों को पकड़ा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जाये तो क्या यह सच है कि वहाँ का प्रशासन सरकार की बात नहीं मानता । यदि सरकार की बात को मानता तो अपराधियों को पकड़ता अंकुश लगाता मान्यवर, एक ही चीज इस सरकार से मिली है कि अखबारों में छप जाता है, घर लूट लिया गया, हत्या हो गयी, पूरे परिवार के लोग मार दिये गये और बावरिया गिरोह आ गया, कच्छा बनियाइन गिरोह आ गया जैसे लगता है कि सरकार के सामने कोई स्टेप लेकर बदमाश आये हुए हैं तो सरकार कान में तेल डालकर बैठ जायेगी, कोई काम नहीं करेगी, किसी को नहीं पकड़ेगी । अगर उनका नाम आया तो पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है । फैजाबाद की घटना में हमारी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों के साथ जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं में क्रूरता का परिचय ही इस सरकार ने दिया है । मानवाधिकार आयोग का हनन हुआ है । सरकार के अन्दर संवेदनशीलता है ही नहीं, सोचने की भी क्षमता नहीं है । फर्जी बोलते हैं दलितों के, पिछड़ों के हम हितैषी हैं । लोग मारे जा रहे हैं आप तमाशा देख रहे हैं, अधिकारियों को डांट भी नहीं लगा रहे हैं । यह अविलम्बनीय महत्व का मामला है । घटना तात्कालिक है इस पर सदन की कार्यवाही रोक करके चर्चा करायी जाये, दोनों पक्षों के विचार आ जायें । माननीय मंत्री जी भी जो सूचना लाये होंगे । सूचना देने के पक्ष में जो लोग हैं जो तमाशा देखते हैं, परदा डालते हैं हत्याओं पर, वह भी अपनी बात रखेंगे । मैं चाहता हूँ कि इस पर चर्चा कराने का काम करें ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, नियम–56 के अन्तर्गत जिन दो विशेष घटनाओं का उल्लेख किया गया है । इसके अलावा माननीय निषाद जी और अवधेश प्रसाद जी ने भी घटनाओं का जिक्र किया, कोतवाली थाने के अन्तर्गत क्रमवाइज दो घटनाएं हुई हैं । जहां तक पहली घटना का संदर्भ रहा–दो तारीख को 9वें महीने में डेढ़ बजे के लगभग अयोध्या प्रसाद यादव, लोढ़ी यादव अपने साथी ओम प्रकाश जायसवाल, मनोज कुमार श्रीवास्तव, रमापति यादव व राजेश श्रीवास्तव के साथ इंजीनियरिंग कालेज के मुख्य गेट के सामने, जहां उसका ठेकेदारी का कार्य चल रहा था, बैठे थे । मोटर साइकिल से लोग आते हैं,हमला करते हैं, उन्हें उपचार हेतु ले जाते समय ही लोढ़ी यादव की और कुछ समय के बाद ओम प्रकाश जायसवाल की मृत्यु हो गयी । इस घटना के सन्दर्भ में दो अभियुक्त हैं जिनके विरुद्ध अपराध सं०–193/2002, 302,307 का मुकदमा दर्ज किया गया है । दोनों अभियुक्त राजेश सिंह निवासी सरियावां व कल्लू पहलवान ग्राम जनौरा के हैं । घटना दिन में हुई, इनको लोगों ने पहचाना भी है । इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है । गिरफ्तारी का जहां तक सवाल रहा है अभी इनके संबंध में पूछताछ की जा रही है । एक टीम बना ली गयी है । इस बात का मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोतवाल और एस०आई० की टीम बनायी गयी है । इस घटना में जो भी लिप्त हैं । मान्यवर, उनका जो भी मसला रहा हो, उनके प्रापर्टी और बिजनेस के आपसी झगड़े रहे हैं । मुल्जिमों के खिलाफ पुलिस टीम कार्य कर रही है, गिरफ्तार करने के लिए उनको । मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि उनको बख्शा नहीं जाएगा और साथ ही साथ 82 और 83 की कार्यवाही के लिए भी कार्यवाही हो रही है । पुलिस टीम सक्रिय रूप से कार्य कर रही है, जो मुकदमा दर्ज है, उसके तहत कोई भी मुल्जिम, बचने नहीं पाएगा । मान्यवर, यह तात्कालिक नहीं, लोक महत्व का नही है, इसलिए यह निरस्त करने योग्य है, इसे निरस्त किया जाय ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, नियम–56 और 311 में लिखा है, तारीख वाईज लिखा है, तो मान्यवर, माननीय मंत्री जी से इस पर भी जवाब दिला दिया जाय ? 25-8-2002 को चार बच्चों की, जिनकी आयु 10 वर्ष, आठ वर्ष, 4 वर्ष व डेढ़ वर्ष थी, कुएं में लाश मिली । सरकार ने कहा कि बाप ने भांग खाकर बच्चों को कुएं

में डाल दिया, मान्यवर, इसकी उच्च स्तरीय जाँच करा दें। अगर बाप ने डाला था तो उसे ही गिरफ्तार कर लेते ? मान्यवर, यह मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी घटना है, पूरे जिले में मातम व्याप्त है। स्कूल कालेज में लोगों ने अपने बच्चों को जाने से रोक दिया है। कृपा पूर्वक अपना संरक्षण दें। माननीय मंत्री जी इसके बारे में सही-सही जानकारी बता दें।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, अभी माननीय प्रमोद तिवारी जी ने नियम–56 में इसे उठाया और इस पर विस्तार से चर्चा हुई। मान्यवर, उस घटना का क्रम यह था– एक बाप अपने छोटे-छोटे बच्चो को जिनकी संख्या चार थी, को लेकर के खेत में खाद डालने गया, जब दो बच्चे जो ठीक से चल नहीं सकते थे, को उसने साईकिल पर बैठा कर ले गया था, और दो बच्चे पैदल-पैदल उसके साथ गए थे। दोपहर बाद तक जब बच्चे घर नहीं आए तो तलाश करने पर बच्चों की लाशें कुए में दिखाई पड़ीं। बच्चों का बाप यानी सुनील कुमार तिवारी वहीं से गायब हो गया, उसकी साईकिल भी नहीं मिली है। मान्यवर, उसकी तलाश जारी है। जिस घटना की ओर माननीय अवधेश प्रसाद ने इंगित किया, जिसमें पूरे परिवार के लोगों की हत्या हुई थी, उसमें घटना स्थल पर डाग-स्क्वायड और फील्ड यूनिट की विवेचना में सहयोग लिया गया और विवेचना के दौरान 16 अभियुक्त प्रकाश में आये, जिसमें से अभियुक्त महावीरा बावरिया दिनांक 21-5-02 को पुलिस मुठभेड़ में थाना सदन जिला आगरा में मारा गया। अभियुक्त राकेश उर्फ राम यज्ञ मिश्र निवासी पूरेकाली-पाण्डेय, थाना कूड़ेभार, जनपद सुल्तानपुर में दिनांक 8-7-02 को थाना जगदीशपुर, जनपद सुल्तानपुर में गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त ओमी व बृजेन्द्र की दिनांक 9-8-02 को 82 सी०आर०पी०सी० की कार्यवाही की गयी। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी हेतु कई टीमें गठित कर प्रयास जारी है। जहाँ मान्यवर, एक घटना का सन्दर्भ बताया गया, जिसमें लोग आत्मसमर्पण कर दिये हैं। 19-8-02 को संदीप गुप्त और दीनू सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिये। जो बब्लू यादव का हत्या प्रकरण रहा उसमें तीन आदमी सरेण्डर कर चुके हैं। इसके लिए जो अन्य कार्यवाही सी०आर०पी०सी० की धारा–82 व 83 की, की जा रही है, 6 में से एक मुठभेड़ में मार दिया गया है। 4 बच्चों को कुएं में डालने की जहाँ तक बात है तो उसका पिता अपने बच्चों को साइकिल पर बैठाकर ले गया और उन्हें कुएं में डाल दिया। अभी न साइकिल बरामद हुई है न वह मिला है। तलाश जारी है, हम पूरी तरह से सचेष्ट हैं कि इसका पर्दाफाश हो।

माननीय निषाद जी और बलराम यादव जी ने जिसका उल्लेख किया। दिनांक 29-8-2002 को ब्लाक प्रमुख मिल्कीपुर श्री कमलेश यादव की ग्राम सिड़सिड़, थाना खण्डासा में गम से प्राणघातक हमला, इसमें यह घटना लगभग 9.30 बजे रात में श्री कमलेश यादव प्रमुख क्षेत्र पंचायत मिल्कीपुर पुत्र श्री राम तीरथ यादव निवासी ग्राम–भिटौरा, थाना खण्डासा की लिखित सूचना के आधार पर मु०अ०सं०–100/02 धारा 147/149/307/504/506/427 भा०द०वि० थाना खण्डासा पर बनाम राम सजीवन मिश्र पुत्र राम नरेश, राम गनेश पुत्र राम नरेश, अजय तिवारी पुत्र बच्चू लाल तिवारी व दो अन्य अज्ञात नि० सिरसिर थाना खण्डासा फैजाबाद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और विवेचना उप निरीक्षक आर० डी० सिंह द्वारा की जा रही है विवेचक द्वारा वादी मुकदमा व अन्य गवाहों के बयानात तथा निरीक्षण घटनास्थल पर किया गया। वादी मुकदमा व अन्य व्यक्ति जो घटना के समय साथ में थे उन्हें किसी प्रकार की कोई चोटें नहीं पायी गयी तथा उनका डाक्टरी मुआयना भी नहीं हुआ है। मार्शल जीप का पीछे का शीशा टूटा पाया गया। कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है, न ही किसी के द्वारा घटना की पुष्टि ही की गयी है। 31-8-2002 को वादी श्री राम सजीवन मिश्र पुत्र श्री राम नरेश मिश्र नि० सिरसिर थाना खण्डासा द्वारा रात्रि 9.30 बजे की लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या–101/2002 धारा 147/149//504/506/323/427/307 भा०द०वि० बनाम राम चन्द्र

यादव, पूर्व विधायक, हरिश्चन्द्र यादव, कमलेश यादव ब्लाक प्रमुख व उनके कई अन्य साथियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। इसकी विवेचना हो रही है।

श्री अवधेश प्रसाद–

माननीय अधिष्ठाता जी, 7-8 तारीख की सरस्वतीपुरम् की घटना के बारे में मंत्री जी का बयान आ जाये। जिसमें नेता प्रतिपक्ष भी गये थे। इतनी बड़ी घटना हुई क्या उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रि-मण्डल का कोई मंत्री वहां गया, 6-6 लोगों की मौत हुई। डकैती में 16 लोगों की मौत हुई तीन घरों में। क्या आप इतने भी संवेदनशील नहीं है कि कोई आपका वरिष्ठ मंत्री वहां पर गया ?

श्री सीताराम निषाद–

अयोध्या में तो बहुत से मंत्री जाते हैं लेकिन जहां पर घटना हुई वहाँ कोई नहीं गया।

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, अयोध्या में यह आग लगाने जाते हैं।

(शोर/व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आपकी सूचना में ये सारी बातें नहीं थीं फिर भी आपको संरक्षण मिला। जिन घटनाओं का उल्लेख हुआ उसे सुना गया।

श्री अवधेश प्रसाद–

इस प्रश्न पर आपसे न्याय नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा ?

श्री अधिष्ठाता–

आप सूचना दे दीजिये।

श्री अवधेश प्रसाद–

मैंने तारीख सहित लिखा है। वहाँ पर आज तक कोई मंत्री नहीं गया। इससे ज्यादा शर्म की क्या बात होगी ?

श्री अधिष्ठाता–

नियम–56 के अन्तर्गत दी गयी इस सूचना पर मैंने सीताराम निषाद, अवधेश प्रसाद, बलराम यादव एवं शारदानन्द अंचल के साथ-साथ संसदीय कार्य मंत्री को सुना यह सूचना नियम–56 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिए अग्राह्य की जाती है।

(इसी मध्य श्री अवधेश प्रसाद व सीताराम निषाद सदन के वेल में आ गये)

श्री अधिष्ठाता–

यह जो सूचना दी गयी इसमें संसदीय कार्य मंत्री जी देख लें व जो अतिरिक्त कार्यवाही हो, की जाए। जो कार्यवाही शेष हो वह कार्यवाही की जाए। अगर कोई मौके पर न गया हो तो मौके पर कोई अधिकारी जाकर देखे।

(श्री अवधेश प्रसाद व श्री सीताराम निषाद वापस अपने आसन पर चले गये)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अवधेश प्रसाद–

कोई मंत्री जाए मौके पर ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने व्यवस्था दे दी । अब आप बैठ जाएं । अगली सूचना अजीम भाई की मदरसों के शिक्षकों को पेंशन न देने तथा राजकीय अरबी कालेज, रामपुर को विश्वविद्यालय का दर्जा न देने के सम्बन्ध में है ।

*श्री अजीम भाई–

अधिष्ठाता महोदय, 12 जून, 2001 को तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने पंचायत बुलाई थी । वह पंचायत मदरसों के शिक्षकों के लिए उनसे वायदे के लिए उनकी समस्याओं को जानने के लिए, उनकी परेशानी जानने के लिए पंचायत का आयोजन किया गया था । उस पंचायत में तत्कालीन मुख्य मंत्री राजनाथ सिंह ने मदरसों के शिक्षकों से यह वायदा किया था कि मदरसों में एजूकेशन-ऐक्ट बनायेंगे, मदरसों के शिक्षकों, कर्मचारियों को वेतनमान, पेंशन देने, राजकीय अरबी कालेज, रामपुर को विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए जी०पी०एफ० नियमावली बनाने के लिए तत्कालीन मुख्य मंत्री ने वायदा किया था । आज एक वर्ष, दो माह 24 दिन हो गये वह वायदा पूरा नहीं हुआ । दूसरे तत्कालीन मुख्य मंत्री जिस पार्टी के थे वह आज सहयोगी दल के रूप में सत्ता में है । कुर्सी पर बैठने के लिए लोग असत्य कैसे बोलते हैं, अपने वायदे को कैसे पूरा नहीं करते हैं । मान्यवर, यह कह देना कि मुसलमानों के हिमायती हैं इससे कुछ नहीं होता है । जब उनको हिम्मत देने की बात आती है तो उनके लिए कुछ करना चाहिए । माननीय मुलायम सिंह ने कहा था कि हम उर्दू के हिमायती हैं और उन्होंने उर्दू को रोजी-रोटी से जोड़ा था । सन् 94-95 में 7999 उर्दू टीचर्स तथा 7 हजार उर्दू अनुवादकों को नियुक्त किया था और यह साबित किया था कि उर्दू को रोजी रोटी से जोड़ा है । बी०एस०पी० की मुख्य मंत्री 3 बार हुई हैं लेकिन एक भी उर्दू टीचर की नियुक्ति नहीं की गयी और एक अनुवादक को नियुक्त किया गया है । जो सच्चाई है उसको आप सुन लें । मान्यवर, मदरसा पंचायत में वादा हुआ था कि मांगों को माना जायेगा, पूरा किया जायगा लेकिन मांगों को आज तक माना नहीं गया है । मदरसों के शिक्षक 2-3 सितम्बर से विधान सभा के सामने धरना दे रहे हैं लेकिन उनसे कोई उनकी बात पूछने नहीं गया है । अगर यह सरकार मदरसों के शिक्षकों की हिमायती है या उनकी समस्याओं को खत्म करना चाहती है तो जो वादा किया उसको पूरा करें । किसी को भीख में रोटी देने से मना करना इतना पाप नहीं है जितना उसको रोटी देकर उसके हाथ से रोटी छीन लेना पाप है । उनको रोटी दिखाने का काम किया गया लेकिन उनको रोटी देने का काम नहीं किया गया । हजारों लोग जो मदरसों से जुड़े हैं यह उनकी जिन्दगी का सवाल है । इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हजारों लोगों की भलाई करने का काम करें और उनकी मांगों को मान लें । 67 मदरसों की जो ग्रान्ट लिस्ट है उसको जारी करने का काम करें । 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय अध्यापकों के बराबर वेतन दिलायें । 27 फरवरी की रिपोर्ट को मंजूर करके उनके वेतन का भुगतान किया जाय । उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक पेंशन पालिसी बनायी जाय । मदरसा एजूकेशन ऐक्ट को लागू किया जाय । जी०पी०एफ० की नियमावली बनायें । पूर्णकालिक रजिस्ट्रार और निरीक्षकों की नियुक्ति की जाय । उर्दू विश्वविद्यालय बनाया जाय । नया पाठ्यक्रम लागू किया जाय । यह जो सारी मांगें रखी गयी हैं उनको पूरा किया जाय । यह अविलम्बनीय लोक महत्व का सवाल है । यह प्रदेश के इंसानों की जिन्दगी से जुड़ा सवाल है । यह उत्तर प्रदेश के हजारों-हजार लोगों जो शिक्षक हैं उनसे जुड़ा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सवाल है । यह मासूम बच्चों और कुंवारी बहनें जो शादी के लिए बैठी हैं उनसे जुड़ा सवाल है । यह बहुत जरूरी सवाल है । इस पर मैं चर्चा कराने की मांग करता हूं । आपसे मांग करता हूं कि नियम–56 के अन्तर्गत मैंने और माननीय राम करन आर्य जी ने सूचना दी है उस पर चर्चा कराने का काम करें ।

श्री राम करन आर्य–

अधिष्ठाता महोदय, आपने मेरे ऊपर विशेष कृपा किया और श्री अजीम भाई पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने किया और उसके अनुसार आपने भी किया । मान्यवर, यह महत्वपूर्ण सवाल है । राजनीति में अगर झूठ की परम्परा पड़ जायेगी और झूठ ही बोला जाने लगे तो लगता है कि समाज में झूठ ही बोला जाने लगेगा । मान्यवर, वोट के लालच में आदमी को इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए । हमारे पूर्व मुख्य मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने मदरसों के शिक्षकों की एक पंचायत की । पंचायत को बुलाकर कहा कि "ए मुसलमान भाइयों, हमको वोट देना ।" हम एक एजूकेशन ऐक्ट मदरसों के लिए बनायेंगे, आपके लिए जी०पी०एफ० की व्यवस्था करेंगे, आपके वेतनमान की व्यवस्था करेंगे, आपके लिए पेंशन की व्यवस्था करेंगे । इसके साथ-साथ रामपुर के अरबिया कालेज को विश्वविद्यालय का दर्जा देने की बात भी कही थी । मान्यवर, यदि यह कह दिया जाय कि वह मुख्य मंत्री नहीं हैं, लेकिन उनकी सरकार तो है । तो मुझे कोई कष्ट नहीं होता । अगर वे सत्ता में नहीं आ पाते, यह सोचकर कि उनकी सत्ता नहीं है । लेकिन मान्यवर, जब आधे-आधे की हिस्सेदारी है । यहां पर लालजी टण्डन जी नहीं हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं । लेकिन वे हृदयहीन हैं । मैं नहीं जानता था कि यह इतने हृदयहीन हैं । यह गरीबों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं । एक अच्छे वकील भी हैं । सारी चीजें हैं लेकिन जब व्यक्ति हृदयहीन हो जाय तो उसको अगर कुबेर के खजाने पर बैठा दिया जाय तो वह नष्ट भ्रष्ट हो जायेगा । अगर वादा किया था तो उसको पूरा करना चाहिए था । श्री अजीम भाई ने बहुत अच्छी बात कही । उन्होंने कहा कि इसका सम्बन्ध एक परिवार से नहीं है, इस प्रदेश के करोड़ों लोगों से है । मदरसों से मतलब हैं । मैं मुलमान भाइयों को दाद देता हूं कि एक मुट्ठी अनाज निकालकर अपने स्कूल को देते हैं । उनके मौलवी जो पढ़ाने वाले हैं घर-घर जाकर भोजन करते हैं । वह लोग अपने मदरसे और तालीम के लिए जिन्दगी कुर्बान करते हैं । अभी हमारे श्री अजीम भाई ने ठीक कहा था कि किसी को आप रोटी न दें तो कोई पाप नहीं, लेकिन उसके हाथ में रोटी देकर छीन लें, वह पाप है । किसी के हाथ में रोटी रखें और फिर ले लें कोई कहे कि शाम को मेरे घर आना । जब वह व्यक्ति शाम को उसके घर जाये और पूरा परिवार खाना खा चुके जो व्यक्ति बुलाया गया है उसको भोजन न मिले, तो वह क्या सोचेगा यह बहुत बड़ा पाप है । सार्वजनिक जिन्दगी में, राजनीति में झूठ बोला जा रहा है । अभी शिक्षा का बजट आया था तमाम नये-नये स्कूल खोले गये हैं । जो बूढ़े हो गये हैं, रिटायर होने की स्थिति में हैं, उनको एड नहीं मिल पा रही है । बाल सफेद हो गये हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गयी हैं, उनको आज पैसा नहीं मिल रहा है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने वायदा किया था तो उसको पूरा करना चाहिए था । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप किसके साथ सदन में बैठे हैं । वायदा किया था तो पूरा करना चाहिए था । आप कहते हैं कि ये अलकायदा के सेन्टर है का आप सब प्रचार करते हैं और इन संस्थाओं को आई०एस०आई० का कारखाना बताते हैं । यहां आतंकवादियों का सेण्टर है । दरवाजे पर जाने के बाद यह कह दें कि चोर है इसलिए रोटी नहीं दी गयी । मान्यवर, मेरे पास सुबह दस बच्चे शिड्यूल कास्ट के आये । मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह कहा जा रहा है कि पूरा प्रदेश दलितों के नाम लिख दिया जा रहा है लेकिन मान्यवर, दस बच्चे शेड्यूल कास्ट के बीस साल से नौकरी कर रहे हैं उनको जून में निकाल दिया गया, मान्यवर, विभाग में 600 जगह खाली हैं, 400 बच्चों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं जो 40 साल के हो गये हैं । जो ओवर एज हो गये हैं उनको नौकरी कहां मिलेगी ? जो हम लोग चुनाव लड़ते हैं, एक बार हार जाते हैं तो दुबारा जीत कर आ जाते हैं । दूसरी बार भी हार गये तो तीसरी बार जीत कर आ जायेंगे । लेकिन जिनकी उम्र हो गयी है जो ओवर एज हो

गये हैं उनको नौकरी कहां से मिलेगी ? मैं माँग करता हूँ कि जो मदरसों के साथ पूर्व मुख्य मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने वायदा किया था कि मदरसा एजूकेशन ऐक्ट बनायेंगे । रामपुर में अरबिया कालेज को विश्वविद्यालय का दर्जा देंगे । उनकी जिन्दगी को संवारेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ । मैं कुछ नहीं कहता अगर उनकी सरकार न होती । भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदन में न होती, गठबन्धन की सरकार न होती तो कोई बात नहीं थी लेकिन आप सरकार चला रहे हैं इस नाते मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हम भोजन करते हैं अगर मैं भोजन करूं और मेरा बेटा भोजन के बगैर रोने लगे तो ऐसा लगता है कि आत्महत्या कर ली जाये । उनसे जुड़ी बूढ़ी आंखें होती हैं, बच्चों का भविष्य होता है, बच्चों की शिक्षा होती है, बच्चों की जिन्दगी होती है हिन्दुस्तान की सभ्यता और संस्कृति उनसे जुड़ी होती है इस नाते मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पापी सरकार को जो इन्सानों का कत्ल कराती है, लोगों को भूखा मारती है, पूरे उत्तर प्रदेश में अपराधियों के अड्डे बनाकर कत्ल कराती है जो दलित विरोधी हैं, जन विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है ऐसी सरकार के सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ । इस लोक महत्व और अविलम्बनीय सवाल पर चर्चा करायी जाये ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, श्री राम करन आर्य जी ने जोशीले शब्दों में और तगड़ी आवाज में अरबी मदरसों के अध्यापकों की दुख तकलीफ को रखा । श्री अजीम भाई ने भी इस बारे में कहा । मान्यवर, इन अरबी मदरसों के जो हमारे अध्यापक हैं उनका चिन्तन नहीं करेंगे और यह कहने लगे अल्पसंख्यक विरोधी, सवर्ण विरोधी, पिछड़ा वर्ग विरोधी सरकार है, अब पता नहीं कौन बचा रह गया ?

श्री अधिष्ठाता–

श्री राम करन आर्य जी जोश में बोलते हैं ।

श्री सुखदेव राजभर–

हमने कहा है अल्पसंख्यक समाज को हर तरह से बहुजन समाज का एक अंग मानेंगे उनको हम अपना भाई मानकर चलते हैं, यह पूर्वजों ने और पैगम्बर ने कहा है । इसलिए हम उस अल्पसंख्यक समाज को प्राथमिकता देते हैं अपने देश से ही नहीं, बाहर से भी पैसा लाकर हिन्दुस्तान को मजबूत कर रहे हैं उनको तमाम कारोबार में लगाकर रोजी रोटी की व्यवस्था कर रहे हैं । जब गठबन्धन की सरकार थी, आपके साथ उस समय शिक्षकों की नियुक्ति, अध्यापकों की नियुक्ति के लिए कांशीराम जी ने दबाव डाला था नियुक्तियाँ हुई हमारी सरकार बार-बार कोशिश कर रही है । अल्पसंख्यक समाज को बचाने के लिए, अल्पसंख्यक आयोग का गठन करेंगे । जिस तरह से अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का आयोग गठित किया गया है । हम उन्हें तालीम से मजबूत करेंगे । जहाँ पहले 40 प्रतिशत अल्पसंख्यक थे वहाँ अब 2 प्रतिशत हो गये क्योंकि तालीम से हटाकर उनको दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की गयी । हमने इनकी शिक्षा के लिए वजीफे का इन्तजाम किया है, यह कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया है । जहां तक सवाल है ऐसे अरबी मदरसों का, वास्तव में जो हमारे तालीम देने के लिए अध्यापक लगे हैं, कुछ अनियमितताएं रही हैं जिसके संदर्भ में 12-6-2001 को तत्कालीन मुख्य मंत्री ने अरबी मदरसों के उन अध्यापकों को बुलाकर एक पंचायत की और उनकी समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं को सुनने के बाद जो उनकी मांग थी, पेंशन भुगतान का प्रकरण है, संस्कृत विद्यालय के समतुल्य वेतन देने का प्रकरण है उसमें 11 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया और अल्पसंख्यक एवं कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में यह समिति गठित हुई और उस समिति ने अपनी संस्तुति देने के बाद एक विशेषज्ञ समिति गठित कर दी उसमें परीक्षण किया और पूरा परीक्षण कराकर वित्त विभाग को दे दिया है, हम लोग भी मदरसों के पक्षधर हैं । जो उनके अध्यापक हैं वह एक अच्छी तालीम दे रहे हैं । तो, जैसे ही वित्त

विभाग की रिपोर्ट आयेगी जो उसकी संस्तुति होगी, उसके अनुसार उनके हित में निर्णय लेंगे । यह नियम–56 में नहीं आता है अतः इसे अग्राह्य किया जाता है ।

(व्यवधान)

श्री अजीम भाई–

मान्यवर, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने पन्द्रह हजार लोगों को नौकरियाँ दीं । मायावती जी तीन बार मुख्य मंत्री बनीं लेकिन एक को भी नौकरी नहीं दीं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने नियम–56 की सूचना के अन्तर्गत श्री अजीम भाई, श्री राम करन आर्य तथा संसदीय कार्य मंत्री को सुना । यह नियम–56 के अन्तर्गत नहीं आती इसलिए इसको अग्राह्य घोषित करता हूँ । अब मैं अगली सूचना ले रहा हूँ । माननीय उदयराज जी बोलें ।

श्री उदयराज–

मान्यवर, पहले सदन तो व्यवस्थित करायें ।

(शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर विपक्ष के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे)

(व्यवधान के मध्य)

(श्री रामकरन आर्य के साथ श्री अजीम भाई, श्री नियाज अहमद आदि विपक्ष के कई सदस्य सदन के वेल में आ गये और नारेबाजी करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन की कार्यवाही को 15 मिनट के लिए सथगित करता हूँ ।

(समय 2 बजकर 30 मिनट)

(घोर व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 2 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही 2 बजकर 45 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी ।)

2 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री हरिचन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी' के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री वसीम अहमद–

मान्यवर, आजमगढ़ में उर्दू शिक्षकों की पदोन्नति रोक दी गयी है । बी० एस० ए० आजमगढ़ ने रोकी है । यह पूरे प्रदेश की स्थिति है । मान्यवर, श्री काशी राम जी ने श्री मुलायम सिंह यादव जी पर दबाव डाला था तब उन्होंने वह नियुक्तियां की थी । मान्यवर, बी०एस०पी० के लोग अब क्यों नहीं कराते थोथे बयान देते हैं और उसके आधार पर सरकार बनाने का काम करते हैं । मान्यवर, पदोन्नति उनका मौलिक अधिकार है, उसको न रोका जाय ।

* श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस मानते समय उनको बड़े उपहार व सम्मान दिये जा रहे हैं। लेकिन वही शिक्षक उर्दू के आज उपेक्षित हैं। जो मदरसों के शिक्षक हैं वे उपेक्षित हैं और इस सरकार का जो दृष्टिकोण है वह सम्प्रदायिक दृष्टिकोण है। मान्यवर, उर्दू इनकी अकेली भाषा नहीं है। इन उर्दू मदरसों के शिक्षकों को आज शिक्षक दिवस के दिन सम्मान न मिले तो उचित नहीं है। हम चाहेंगे कि सरकार अपने दृष्टिकोण को पूरी तरह से उस मामले में रखते हुये जब तक उनकी सभी मांगों को स्वीकार करने की घोषणा नहीं करती तो यह शिक्षक दिवस मनाने का क्या औचित्य रह जायेगा। जो मांगें इस सदन के माननीय सदस्यों ने उठायी है उनको सरकार स्वीकार नहीं कर लेती तब तक दूसरी मदों को लिये जाने का औचित्य नहीं है। मान्यवर, इन मदरसों में जो उर्दू शिक्षकों की पदोन्नति का मामला है उनको अनुदान सूची में लिये जाने का मामला है। इस मामले में भारी भेद-भाव को दूर करते हुये मा० मुलायम सिंह जी ने उर्दू को दूसरी जबान बनाने का काम किया। उनको उर्दू अनुवादकों के रूप में, उनकी रोजी रोटी से उसे जोड़ने का काम किया और आज उस पूरे समाज से यह सरकार दुश्मनी करने का काम कर रही है। जो उनका अनुदान था उसको पूरी तरह से रोक दिया गया है इसलिए सबसे पहले घोषणा यह करिये कि जो उर्दू के मदरसों को पहले से ग्रान्ट मिल रही थी उसको जारी कर देंगे और उनको दे देंगे इसके बाद कोई कार्यवाही सदन की चलायें।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अजीम भाई–

मान्यवर, यह लाखों लोगों का सवाल है इससे जरूरी और कोई बात नहीं हो सकती है इस पर आप चर्चा कराने का कष्ट करें।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, एक प्रश्न उपस्थित हुआ और आपने देखा सदन की भावना और यह भावना अनर्गल नहीं है यहाँ पर आश्वासन दे कर उसको पूरा नहीं किया जा रहा है यह हजारों लोगों के जनजीवन से जुड़ा हुआ सवाल है। मैं आग्रह करूँगा सरकार की तरफ से कोई समुचित उत्तर नहीं आ रहा है। तो इसकी चर्चा स्वीकार कर लें और एक घन्टे की चर्चा इस पर करवा लें।

(व्यवधान)

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, उर्दू भाषा का सम्मान है, चौधरी साहब ने जो कहा कि यह मुसलमान के विरोधी हैं, यह इनको नहीं कहना चाहिए। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि मान्यवर, हम लोगों ने भारत के सर्वोच्च पद पर जिसको कहते हैं कि इनको नागरिक नहीं मानते हैं, उनको प्रथम नागरिक राष्ट्रपति के पद पर बैठाया है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

पहले बात तो सुन लीजिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक वरिष्ठ माननीय सदस्य माननीय रेवती रमण जी ने एक बात रख दी अब संसदीय कार्य मंत्री जी स्वयं अपनी बात रख रहे हैं। अच्छा होगा कि पहले उनकी बात सुन लें फिर कोई बात कहें।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैंने अनुरोध किया था कि वह घोषणा कर दें कि जितनी ग्रान्ट थी वह जारी कर दी जायेगी और उनकी पदोन्नति की जायेगी। हमारी मांग बहुत स्पष्ट है और संसदीय कार्य मंत्री भारत के सर्वोच्च पद की बात करते हैं सर्वोच्च पद पर हमें गर्व है, हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव ने ऐसा प्रस्ताव रखा जिस पर यह सरकार भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी इन सभी पार्टियों ने कांग्रेस पार्टी और सभी दलों ने इस पर समर्थन किया हमें गर्व है कि हमारे नेता ने ऐसा प्रस्ताव किया। अब मान्यवर, हमारी इस बात को स्वीकार कीजिए जो उनका अनुदान बताया है उसको देने की घोषणा कीजिये, पदोन्नति करने की घोषणा कीजिए और मुदर्रिस की घोषणा कीजिए।

श्री अधिष्ठाता–

मैं उप नेता विरोधी दल से कहना चाहता हूँ कि वे संसदीय कार्यों के विषय के बहुत ज्ञाता हैं, जानकार है सब समझते हैं, आपने अपनी बात कह दिया, आह्वान कर दिया, अब संसदीय कार्य मंत्री जी जो कह रहे हैं उसको कृपया सुन तो लें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री इकबाल महमूद–

जो उर्दू अनुवादक गये थे कश्मीर के अन्दर जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ सिर्फ अल्पसंख्यकों की ड्यूटी लगाई गयी है। इससे बात साफ जाहिर होती है कि बहुजन समाज पार्टी अल्पसंख्यक विरोधी है। यह वह पार्टी है जो 14 मुसलमानों पर चल रही और वह मुसलमान देख रहे हैं।

श्री अजीम भाई–

कश्मीर जबान अलग है, उर्दू जबान अलग है तो उर्दू जानने वालों को वहाँ क्यों भेजा जा रहा है। उर्दू की भाषा अलग है काश्मीर की भाषा अलग है।

श्री अधिष्ठाता–

श्री अम्बिका चौधरी ध्यान रखें। कुंवर रेवती रमण सिंह जी सदन के सम्मानित सदस्य हैं उन्होंने अपनी बात रखी मैंने उसे सुन लिया। अब संसदीय कार्य मंत्री को सुन लिया जाये।

श्री अम्बिका चौधरी–

हम सुनना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आप सुनना चाहते हैं लेकिन कोई आपको सुनने दे तभी तो। यह प्रश्न नियम–56 में आया था। नियम–56 में जो मूल प्रस्ताव था उनको सुन लिया गया सुनने के बाद नियम–56 में अग्राह्य कर दिया गया। इसके बाद भी अगर कोई बात रह गयी हो तो मैं यहां अवसर दे रहा हूँ कि मैं उसे सुन रहा हूं। सुनने के बाद संसदीय कार्य मंत्री उत्तर भी दे रहे हैं तो आप लोग सुन नहीं रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी–

आपने अभी एक व्यवस्था दी है, हम एक अनुरोध करना चाहते हैं । जो भी विषय तत्कालीन पीठ द्वारा निर्देश किया जायेगा और उस पर अपने विचार रखे जायेंगे । उससे अलग कोई अपनी इच्छानुसार अपनी बात नहीं रख सकेगा । कार्य-स्थगन में जो विषय लिया गया था मैंने सिर्फ उस विषय पर अपनी बात रखी है और जब उसका उत्तर देने के लिए संसदीय कार्य मंत्री खड़े हुए तो उनको भी इसी विषय पर अपनी बात को सीमित करते हुए अपना दृष्टिकोण रखना चाहिए । उससे सम्बन्धित दृष्टिकोण रखने के बजाय मंत्री जी राष्ट्रपति के चुनाव की बात रखना चाहते हैं । मैं अनुरोध करता हूँ कि यह नियमावली के नियमों के अनुरूप नहीं है और इसीलिए सदस्यों को एतराज हुआ । कार्य-स्थगन के प्रस्ताव पर यह विषय उठाया गया । उस पर हम संसदीय कार्य मंत्री के विचार जानना चाहते हैं और मांग करते हैं कि उर्दू अध्यापकों की पदोन्नति का मामला जो जानबूझ कर लटकाया गया है उस पदोन्नति को जारी किये जाने का आदेश करें, जिनकी तनख्वाह बाकी है उसको देने का काम करें । भेद-भाव करके सिर्फ मुसलमानों को काश्मीर में भेजने की जो कोशिश है उसे समाप्त करें । इस भेद-भाव को समाप्त करें । सरस्वती शिशु मन्दिर और मदरसों के मुदर्रिस दोनों मिलकर काश्मीर जायें, इसमें कोई एतराज नहीं है । लेकिन भेद-भाव नहीं होना चाहिये । अगर हाजी याकूब साहब के रिश्तेदार भेजे जा रहे हैं तो बाजपेयी जी के रिश्तेदार क्यों नहीं भेजे जा रहे हैं । दोनों को मिलाकर भेजें ।

(समय 3 बजकर 1 मिनट)

श्री सुखदेव राजभर–

हमारे चौधरी साहब या अन्य माननीय सदस्य जब बोलते है, मैं सुनता हूँ । मैंने इसलिये उल्लेख कर दिया था कि हम भी बड़े पदों पर आसीन रहे उनको बनाने के समय, हमारी भी सरकार थी, आपकी भी सरकार थी । तो जब मैं कहता हूँ कि उर्दू अध्यापकों को बनाने में हमारा भी सहयोग है, तो हमें सुनने को तैयार नहीं हैं । इसी तरह राष्ट्रपति को बनाने में हमारा सहयोग रहा है । जहाँ तक चौधरी साहब ने कहा और माननीय रेवती रमण सिंह ने कहा, वह अच्छे पार्लियामेन्टिरियन हैं, हर चीज को जानते हैं, सरकार में भी रह चुके हैं । जहाँ तक उर्दू अध्यापकों की बात है, मदरसों की बात है, उसके संबंध में पूर्व मुख्य मंत्री ने खुद न्योता दिया और कहा कि हम आपकी समस्याओं को सुनना चाहते है, फिर पंचायत हुयी और एक 11 सदस्यीय समिति गठित हुई, इसके बाद जो विशेषज्ञ थे, उनकी एक समिति गठित हो गयी । अब चाहे मुदर्रिसों के पेंशन भुगतान का मसला हो, पदोन्नति का प्रकरण हो । बताना चाहता हूँ कि पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेकर वित्त विभाग को भेज दिया गया है क्योंकि यह वित्त से जुड़ा मसला है और इसमें उनकी सहमति आवश्यक है । हम लोग भी इसमें कोशिश करेंगे कि अध्यापकों का अहित न होने पाये, हम लोग भी चाह रहे हैं कि किसी तरह का अन्याय न होने पाये । इसे आप लोग राजनीतिक मुद्दा न बनावें, मैं व्यावहारिक रूप में ले रहा हूँ । वित्त विभाग की सहमति से शीघ्र किया जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

इसे जल्दी करा दें ।

(विपक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

चौथी सूचना श्री उदयराज यादव जी की है ।

श्री वसीम अहमद–

मान्यवर, सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है ।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता–

सदन की कार्यवाही नियमों से चलती है । आपकी बात का उत्तर संसदीय कार्य मंत्री ने दिया है । अगली कार्यवाही चलने दीजिये ।

(शोर)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, अभी आपने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना । संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो बात कही है उससे ऐसा लगता है कि इनको पूरे तथ्य मालूम नहीं हैं । विधिक राय आ चुकी है और वित्त विभाग ने मना कर दिया है कि वह एड नहीं देंगे और न उनको पदोन्नति दी जायेगी । मान्यवर, दूसरी मांग जो की गयी कि काश्मीर में सब लोग भेजे जायं यह नहीं है कि उर्दू जानने वाले मुसलमानों को ही भेजा जाय । इस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा है । जब माननीय मंत्री जी पूरी जानकरी नहीं दे पा रहे हैं तो मैं आग्रह करूंगा कि एक घण्टे की चर्चा इस पर करवा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप नियम 49 में लिखकर दे दें ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैंने स्पष्ट बता दिया है अब इसमें चर्चा की क्या आवश्यकता है ?

* श्री जगदीश नारायण राय–

मान्यवर, काश्मीर में जो लोग भेजे जा रहे हैं वह निर्वाचन आयोग के निर्देश पर भेजे जा रहे हैं । यह स्टेट गर्वनमेंट का मैटर नहीं है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, जो हमने आग्रह किया है उस पर संसदीय कार्य मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा । वहां हमारे मुसलमान भाइयों को इसलिए भेजा जा रहा है कि वे उर्दू जानते हैं । जैसा हमारे उपनेता अम्बिका चौधरी जी ने कहा है, वहां हिन्दू भी जायें ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

अभी आप लोग बैठ जाएं, कुंवर रेवती रमण जी को सुन लिया जाय । आप लोग शान्त रहें, उन्हें बोलने दें ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(सत्तापक्ष और विपक्ष के कई सदस्य अपनी जगह पर खड़े होकर वाद-विवाद करने लगे)

*श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, पीठ से निर्देश आने के बाद, दोबारा इस बात को सुनने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। जब इसको नियम–56 में अग्राह्य कर दिया गया, तो फिर बार-बार इसको क्यों उछाल रहे हैं। यह नई परिपाटी हम नहीं डालने देंगे।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना नियम–56 की अग्राह्य हो चुकी है, सम्बन्धित लोगों को सुनने के बाद। अब आप इसको क्यों उठा रहे हैं ? अब दूसरा मुद्दा उठ गया था, उस पर चर्चा हो रही है। संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर दे दिया, आपको उससे सन्तुष्ट होना चाहिए। रेवती रमण जी कुछ कह रहे हैं, उसको सुनें।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, पीठ सुरक्षित है, मान्यवर, पीठ पर दी गयी व्यवस्था के मामले में अगर माननीय दद्दू प्रसाद जी पीठ को भी धमकाने का काम करेंगे। तो यह परम्पराओं को नष्ट करने वाले लोग हैं। मान्यवर, उनको परम्पराओं से कोई लेना-देना नहीं है। अगर वह पीठ को धमकाने का काम कर रहे हैं तो हम उनसे इस बात की अपेक्षा भी नहीं करते कि वह परम्पराओं का ध्यान रखेंगे। मान्यवर, इस गम्भीर विषय पर संसदीय कार्य मंत्री जी दूसरी बातों को ध्यान रखते हुए, तीन-चार बातें जो और कही गयी थीं, मैं पुनः आपसे अनुरोध करता हूं कि या तो उन्हें निर्देशित करें या संसदीय कार्य मंत्री ये स्पष्ट करें कि अध्यापकों की जो चुनाव में ड्यूटी लगायी है, उससे धार्मिक आधार पर भेद-भाव नहीं किया जाएगा कश्मीर में ; मान्यवर, सरस्वती शिशु मन्दिर और मदरसों के अध्यापकों को बिना किसी भेद-भाव के चुनाव ड्यूटी में भेजे जायेंगे। उर्दू विद्यालयों में, मदरसों में जो उनका ग्राण्ट है उसको तत्काल देने का काम करेंगे। पदोन्नति का मामला आजमगढ़ में था, उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया है और वह फाइनल हो चुका है। उसमें भी बेसिक शिक्षा अधिकारी, माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना करते हैं। चूंकि उर्दू अध्यापकों का मामला है इसलिए उनकी पदोन्नति नहीं कर रहे हैं, उसकी घोषणा सरकार कर दे। जो तनख्वाह रुकी हुई है उसकी घोषणा कर दें। मैं सरकार का दृष्टिकोण जानना चाहता हूं वह वित्त विभाग में है या कहां है ? संसदीय कार्य मंत्री जी अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दें फिर उसके बाद आगे बढ़ाइये इसके बिना उसका पटाक्षेप कैसे होगा ?

श्री घूरा राम–

माननीय अधिष्ठाता जी, अगर कोई व्यवस्था की बात कहना धमकाना है तो अब व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठना चाहिए। अम्बिका चौधरी जी ने कहा कि दद्दू प्रसाद जी पीठ को धमका रहे हैं जबकि उन्होंने एक व्यवस्था की बात कही थी।

* श्री राम स्वरूप सिंह–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के लोगों को बलि का बकारा क्यों बनाया जा रहा है जबकि हिमांचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के लोग यहां से ज्यादा उर्दू जानते हैं। हमारी सरकार को कहना चाहिए कि यहां के लोगों की ड्यूटी जम्मू कश्मीर के चुनाव में नहीं लगायी जाये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्य मंत्री जी के बोलने के बाद यह प्रकरण अब समाप्त होगा ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, जहाँ तक कुंवर रेवती रमण सिंह जी और चौधरी साहब ने यह उल्लेख किया कि यह वित्त विभाग से निरस्त हो चुका है, ऐसी बात नहीं है । शासनादेश जारी हुआ था कुछ जनपद छूटे थे । मान्यवर, मुअल्लिम को बी०टी०सी० के समकक्ष माना जायेगा । कुछ जनपदों में अनियमिततायें थीं । हमने शिक्षा सचिव से कहा कि अनियमितताओं को दूर कर दें । अब बहुत से जनपदों में उनको वेतनमान मिलना शुरू हो गया है । हमने इसका परीक्षण खुद व्यक्तिगत तौर पर कराया था । अभी बात आयी कि रेवती रमण सिंह जी ने कहा कि खारिज कर दिया पेंशन प्रकरण में ऐसा हुआ है । हम इन मदरसों को ग्राण्ट पर लेंगे और जो विसंगतियां हैं संस्कृत विद्यालय के तुल्य वेतनमान देने का परीक्षण किया । इसके लिए समिति बनायी गयी है, समिति की रिपोर्ट के आधार कर निर्णय लेंगे ।

जहाँ तक चुनाव के संचालन और व्यवस्थाओं के सन्दर्भ में बात आयी यह भारत निर्वाचन आयोग के हाथ में रहता है उसके गाइड लाइन के आधार पर जो प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं यह कार्य करते हैं । कहीं भी जाति के आधार पर भेद-भाव नहीं किया गया है । चुनाव की पूरी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है ।

श्री इकबाल महमूद–

आप गाइड लाइन तो बता दीजिये ?

श्री सुखदेव राजभर–

भारत सरकार के चुनाव आयोग के निर्देश के खिलाफ हम नहीं बोलेंगे । आयोग एक स्वायत्त संस्था है । गुजरात के सन्दर्भ में उसने निर्णय लिया सरकार को स्वीकार करना पड़ा । चुनाव आयोग स्वतन्त्र संस्था है, चुनाव के व्यवस्थाओं के संचालन या प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में चुनाव आंयोग स्वयं निर्णय लेता है और तद्नुसार मुख्य चुनाव अधिकारी जो राज्यों में हैं उसका संचालन करते हैं । जाति और धर्म के आधार पर कहीं किसी कर्मचारी की ड्यूटी नहीं लगायी जाती है । यह चुनाव आयोग के अधीन है इसलिए इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अगली सूचना श्री उदयराज यादव की ।

श्री अम्बिका चौधरी–

भारत के निर्वाचन आयोग का नाम लेकर यह सरकार मुसलमानों के साथ एक तरफ भेद-भाव करके उनकी ड्यूटी लगाने का काम कर रही है । उर्दू अध्यापकों को तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं । उर्दू विद्यालयों की ग्राण्ट रोकी जा रही है, इस सरकार की मंशा साफ है यह बहुजन समाज पार्टी सरकार भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर चलने वाली सरकार है । यह आर०एस०एस० के इशारों पर चलकर मुसलमानों के साथ भेद-भाव कर रही है । इस सवाल पर सरकार का चेहरा साफ हो गया है । इसके विरोध में मैं और मेरा दल बहिगर्मन करता है ।

(शासन के उत्तर से असन्तुष्ट होकर श्री अम्बिका चौधरी ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया ।)

श्री राम स्वरूप सिंह–

यह सरकार केवल उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को ही भेज रही है । एक सम्प्रदाय के साथ भेद-भाव कर रही है । सरकार की इस नीति के विरोध में मैं सदन का त्याग रहा हूं ।

(श्री राम स्वरूप सिंह भी सदन त्याग कर चले गये)

श्री अधिष्ठाता–

अगली सूचना श्री उदयराज की लखनऊ विश्वविद्यालय में टैगोर पुस्तकालय के पास छात्रा द्वारा छेड़-छाड़ का विरोध करने पर उसे सरेआम सड़क पर घसीटे जाने एवं अपमानित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

* श्री उदयराज–

अधिष्ठाता महोदय, अभी तक पूरे उत्तर प्रदेश में जंहां पर भी कोई बड़ी घटना घटित होती थी कहीं पर बड़े पैमाने पर नर संहार होता था बड़े पैमाने पर लूट की घटनायें होती थीं तो सरकार द्वारा एक ही जवाब आ जाता था कि यह बावरिया गिरोह का काम है, यह कच्छा-बनियान गिरोह का काम है । मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस घटना की ओर ले जाना चाहता हूँ । शायद हिन्दुस्तान की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के अन्दर इस तरह की घटना घटित नहीं हुई है । जब इस प्रदेश का कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाने के लिए भेजता है तो निश्चित रूप से उम्मीद करता है कि उसका लड़का या लड़की जब विद्यालय, विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए जाएगा तो उसे शिक्षा मिलेगी । निश्चित रूप से सुरक्षा की गारन्टी होगी लेकिन आज से दो दिन पहले तीन सितम्बर, 2002 को राजधानी लखनऊ में विश्वविद्यालय के अन्दर जो घटना घटती है उससे आप अच्छी तरह से परिचित होंगे । लखनऊ विश्वविद्यालय के अन्दर एक छात्रा टैगोर पुस्तकालय के अन्दर शिक्षा अध्ययन का काम कर रही थी । कुछ लड़के उस लड़की से छेड़-छाड़ का प्रयास करते हैं । जब लड़की विरोध करती है तो वह उसे पुस्तकालय से घसीटते हुए बाहर लाते हैं सड़कों पर उसको घसीटने का काम करते हैं कपड़े फाड़ने का काम करते हैं । मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से, आज करोड़ों रुपये की लागत से पूरे लखनऊ शहर के अन्दर तमाम बोर्ड लगाने का काम किया गया है । भयमुक्त समाज होगा, अपराधमुक्त समाज होगा, अन्यायमुक्त समाज होगा । क्या इसी तरह का अन्याय मुक्त समाज होगा ? मान्यवर, लखनऊ विश्वविद्यालय की यह पहली घटना नहीं है । पहले भी कई घटनायें हो चुकी हैं । वहां पर जो पुलिस चौकी है, पुलिस के कर्मचारी हैं, वहां पेट्रोलिंग की जो व्यवस्था है उसके कानों में जूं नहीं रेंगती है । जब कोई अप्रिय घटना घट जाती है उसके बाद वहां पर जो लड़के पढ़ाई का काम करते हैं जिसे गिरफ्तार करने का काम यह करते हैं । जो अराजक तत्व हैं उनको नहीं पकड़ते हैं । पढ़ने वाले लड़कों को पकड़कर मुर्गा बनाने का काम किया है । इस सरकार में लोगों को न्याय मिल पाना मुश्किल है । छात्र-छात्राएं वहां पर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं क्या उनके साथ इसी तरीके से व्यवहार होगा ? मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर यह सरकार क्यों फेल है ? हर जगह पर पुलिस रहती है । पढ़ने वाले छात्रों के अलावा दूसरे लोग कैसे प्रवेश करते हैं ? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का छात्र संगठन हो, बहुजन समाज पार्टी का छात्र संगठन हो, ये जाकर इस तरह का काम करते हैं । मैं ज्यादा न कहकर केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह अत्यन्त गम्भीर और लोक महत्व का प्रश्न है सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाय ।

(कुंवर रेवती रमण सिंह और डा० अशोक बाजपेयी के खड़े होने पर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका इस सूचना पर नाम नहीं है। राम लाल अकेला जी का नाम है।

डा० अशोक बाजपेयी–

हमने नियम 311 में दिया था। नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इसी विषय पर है।

श्री अधिष्ठाता–

पहले राम लाल अकेला जी बोल लें उसके बाद आप लोग कहियेगा।

श्री राम लाल अकेला–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे कार्य-स्थगन के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, आज समूचा उत्तर प्रदेश साम्प्रदायिकता, अराजकता, गुण्डागर्दी और भय की लपटों में धूं-धू करके जल रहा है। कानून व्यवस्था, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में समाप्त हो चुकी है। चाहे किसान हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, चाहे छात्र हो आज समूचा जन-जीवन अन्याय का शिकार है। अत्याचार का शिकार है। जिस तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय के अन्दर घर की एक बेटी, उसके मां-बाप के दिल में अरमान हैं उसे विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजते हैं और जब हमारे समाज की अरमान, हमारे घर की अरमान वह बेटी उस विश्वविद्यालय में शिक्षा अर्जित करने के लिए जाती है तो कुछ अराजक तत्वों द्वारा उस बालिका के साथ छेड़-छाड़ की जाती है। जब उस लड़की ने छेड़-छाड़ का विरोध किया तो उस छात्रा को सड़क पर घसीटने का काम नहीं किया गया बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश की छात्राओं को अपमानित करने का काम किया गया है। जिस तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय के अन्दर उस छात्रा को सड़क पर लाकर उसे घसीटकर उसे अपमानित करने का काम किया है। एक छात्रा नहीं उत्तर प्रदेश की हजारों-हजार छात्राओं, बहनों का अपमान हुआ है। इस सरकार ने बड़े-बड़े नारे दिये कि हम भयमुक्त समाज बनायेंगे। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठायेंगे। लेकिन जिस तरीके से विश्वविद्यालय, इंटर कालेज में अव्यवस्था है। इस प्रकार से उनका ध्यान केवल अराजकता को बढ़ावा देना है क्योंकि अपराधियों से मिलकर यह सरकार चला रहे हैं। इस सरकार के रहते हुए समाज के किसी वर्ग को इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं रह गयी है। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक दरख्वास्त करना चाहता हूं आज लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्रायें सुरक्षित नहीं हैं। उन छात्रों के माता-पिता के अरमान होंगे कि उनकी बेटी उच्च शिक्षा लेकर किसी लायक बनायेंगे, उसके बाद उनके हाथ पीले करने का काम करेंगे, आज जिस तरह से उनके भविष्य को अंधेरे में ढकेलने का काम किया गया है क्या बीत रही होगी उनके परिवार के ऊपर यह अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला है इसलिए इसकी अविलम्बनीयता पर प्रकाश डालते हुए इस पर चर्चा कराने का काम करें।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, नियम–311 में एक सूचना इस संबंध में दी है उसको इसी के साथ सलंग्न करके उसको सुन लिया जाए।

श्री अधिष्ठाता–

नियम–311 में अस्वीकार कर दी गई है लेकिन आप एक मिनट में अपनी बात कह दें।

* डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, यह विषम स्थिति है कि उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री महिला हो, कुमारी मायावती हों, पूरे प्रदेश की बागडोर एक महिला मुख्य मंत्री के हाथ में हो और प्रदेश की छात्राओं में इतनी असुरक्षा की भावना व्याप्त हो जाए, आज लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्राओं को भेजने के लिए लोग चिन्तित हैं, वहाँ कैसे उनकी अस्मिता सुरक्षित रहेगी, छात्रायें सुरक्षित रह पाएंगी या नहीं, सुरक्षित घर वापस आ पाएंगी या नहीं ? जहां सारे प्रशासन की मुखिया बैठी हो, पूरी सरकार बैठी हों, लखनऊ विश्वविद्यालय में जहां दैनिक रूप से छात्राओं के साथ अभद्र आचरण हो रहा है । आज शिक्षा जरूरी हो गई है और आप विद्यालयों में अस्मिता सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, आप वहाँ से अराजकता को समाप्त नहीं कर सकते हैं, तो कैसे घरों की लड़कियां सुरक्षित हो सकेंगी ? चाहे टैगोर लाइब्रेरी के पास हों, चाहे रजिस्ट्रार आफिस के पास हों, जहां छात्रायें जाती हैं वहां 8–10 लड़कों के ग्रुप, अराजक लड़के लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं, लड़कियां टैम्पों में सवार होकर कहीं जाती हैं तो लड़के उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, बस में सवार होकर कहीं जाती हैं तो उनके साथ अभद्र व्यवहार होता है । विश्वविद्यालय में लड़कियां ग्रुप बनाकर समूह बनाकर निकलती हैं उसके बाद भी उनके साथ अभद्र व्यवहार, अनाचार हो रहा है किसी सभ्य सामज में यह अनुमति नहीं दी जा सकती है । लखनऊ विश्वविद्यालय में थाना है, महिला पुलिस थाना बनाया गया है, वहाँ कुछ नहीं किया जाता है । प्राक्टर सूचना दर्ज नहीं करते हैं वह भयभीत रहते हैं इसी कारण घटना दर्ज नहीं करते हैं । टैगोर लाइब्रेरी में अभद्र व्यवहार हुआ, जब छात्रा ने विरोध किया तो उसके बाल पकड़कर घसीटा जाए, जब उसने प्राक्टर से शिकायत की वह मौके पर जांच करने गए, तमाम लाइब्रेरी के लोग थे और तमाम छात्र थे लेकिन कोई नहीं बोला, शेष छात्रायें खून का घूंट पीकर घर में बैठ गई हैं बहुत से लोगों ने अपनी लड़कियों को विश्वविद्यालय में भेजना बन्द कर दिया है उन्होंने तय कर लिया है कि घर में बैठकर परीक्षा देंगे, और आप कहते हैं भयमुक्त समाज बनायेंगे । भयमुक्त वातावरण विश्वविद्यालयय में नहीं बना सकते हैं आप पूरे प्रदेश को कैसे भयमुक्त बनाने का काम करेंगे ? आज प्रदेश की मुख्य मंत्री महिला हैं, एक महिला मुख्य मंत्री छात्रों के शील और सम्मान की उसकी अस्मिता की रक्षा नहीं कर सकती हैं, कैसे प्रदेश भयमुक्त रहेगा ? छात्रायें अपमान का घूँट पीकर घर बैठी हुई हैं यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है । मैं माँग करता हूं कि सारी कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें ।

* श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

आज जैसे ही सदन शुरू हुआ अध्यक्ष जी ने शिक्षक दिवस की बधाई दी । जब शिक्षकों की बात कही, माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी इसको गम्भीरता से लें ऐसे ही महिला दिवस मनाते हैं और यह प्रतीकात्मक है । यह दिवस संदेश देते हैं कि हम इनका सम्मान करते हैं । सरकार सम्मान करती हैं हम चाहते हैं कि यह आगे बढ़े लेकिन जो घटनाएं घटती हैं उसमें कड़ाई नहीं करते तो यह दूसरा रूप ले लेती है । मान्यवर, मैं यह कहना चाहूँगा कि सरकार इकबाल से चलती है । पी०ए०सी० लगी है, पुलिस का थाना है लेकिन सरकार का इकबाल नहीं है । जब तक यह सरकार मंत्री अपराधियों को संरक्षण देंगे जब तक अपराधी मंत्री यहां पर बैठेंगे तो क्या होगा ? मान्यवर, रायबरेली रोड पर इन्काउन्टर हुआ उसमें तमाम नाम आये । हम इनसे कहना चाहते हैं कि इन चीजों को गम्भीरता से लिया जाय । मा० मायावती जी महिला की प्रतीक हैं, दलित महिला को उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री बनाया है उनके जमाने में महिला का सम्मान सुरक्षित नहीं है । पुरुषों के जमाने में तो पुरुषों पर मढ़ दिया जाता है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लेकिन महिला मुख्यमंत्री के होते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय में हुआ यह शर्मनाक है । हम लोग भी वहां के पढ़े हैं । हमने भी वहाँ से शिक्षा ग्रहण की है । हम लोगों के जमाने में यह नहीं होता था । वहां के छात्र महिला और पुरूष एक दूसरे को भाई बहन के रूप में देखते थे । लेकिन आज वह शैक्षिक माहोल खत्म हो गया है इस मारे यह स्थिति खड़ी हो गयी है ।

मान्यवर, मैं तो लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ को बधाई दूँगा कि उन्होंने इसे कन्डेम किया । अगर इसी तरह से राय आयी तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी । छात्र चाहे जो भी हो उसके खिलाफ कार्यवाही करें जिससे लखनऊ विश्वविद्यालय में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो । सरकार में लगे कि महिला का सम्मान है । यह जोड़-तोड़ की सरकार है इसमें इकबाल कैसे रह जायेगा । आप इसको गम्भीरता से लें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस घटना के बारे में जो माननीय सम्मानित सदस्यों ने कही है इसके बारे में विस्तार से नहीं कहना चाहूँगा । मान्यवर, एक बात जरूर कहूँगा कि इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालय जो हैं वह इतना महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय तो राजधानी में स्थित है । यहीं पर मुख्य मंत्री जी बैठती हैं, मुख्य सचिव बैठते हैं, गृह सचिव बैठते हैं और डी०जी०पी० बैठते हैं और यहीं के विश्वविद्यालय में यह घटना हो रही है । अगर आप देखें तो दो दर्जन से ज्यादा घटनाएं इस साल घटित हुई हैं । विगत वर्षों में आप देखें तो इससे भी गम्भीर घटनाएं हुई हैं । मान्यवर, आज सुबह जब हम लोगों ने कहा कि यहाँ पर मानवाधिकार आयोग बनाया जाय तो संसदीय कार्य-मंत्री जी ने जवाब दिया कि उसकी जरूरत नहीं है । यहाँ पर अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग पहले से बना हुआ है । मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि महिला आयोग भी तो पहले से बना था । पी०ए०सी० भी लगी हुई है, पुलिस का थाना है, प्राक्टर भी बैठते हैं फिर भी यह घटना घट रही है और पूरे विश्वविद्यालय में अराजकता का वातावरण है । सरकार लखनऊ में रहती है और कई दर्जन मंत्री हैं...

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आखिर क्या इन लोगों में संवेदनशीलता नाम की चीज है या खत्म हो गयी है ? मैं संसदीय कार्य-मंत्री जी से माँग करना चाहता हूं कि जब वह इस पर उत्तर दें तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की बात कहें । मैं यह माँग करता हूं कि विश्वविद्यालय में एक महिला सी०ओ० के अंडर में एक दस्ता बना दिया जाये जो पूरे परिसर में नजर रखें । अगर इस तरह की कोई घटना होती हैं तो इसकी जिम्मेदारी उसकी होगी । मान्यवर, जिस लड़के ने यह कार्य किया है सरकार को उस पर इनाम घोषित करना चाहिए । वह चाहे जहाँ हो उसे पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, यह संस्कृति हमारी है और हमारी प्रतिबद्धता है कि किसी महिला का अपमान नहीं होने दिया जाएगा । इसलिए हम महिलाओं के सम्मान और उनकी सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हैं । यह प्रकरण नियम–56 के अन्तर्गत उठाया गया है । मैं कहना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय का जो प्रोक्टोरियल बोर्ड हैं वह इसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है । यह इसी के लिए बनाया गया है । यह वहाँ की व्यवस्था देखता है । मान्यवर, इस घटना के संदर्भ में किसी भी अभिभावक ने शिकायत नहीं दर्ज करायी है । न ही विश्वविद्यालय की तरफ से इस तरह की बात आई है । अगर है तो जो प्राक्टोरियल बोर्ड है उसी के अन्तर्गत कार्यवाही होती है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य-मंत्री कितनी गैर जिम्मेदारी के साथ बयान दे रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के बयान से इस सदन की गरिमा नहीं बढ़ेगी ।

श्री सुखदेव राजभर–

आप यह मामला अखबारों के माध्यम से उठा रहे हैं और उस लड़की का एक तरह से अपमान कर रहे हैं । आप एक लड़की की इज्जत को इस तरह से सदन में लाने का काम कर रहे हैं । यह ठीक नहीं है ।

(व्यवधान)

(श्री शारदानन्द अंचल, डा० अशोक बाजपेयी, श्री उदय राज सहित कई सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गये ।)

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, यह सरकार लोगों की सुरक्षा करने में अक्षम है । यह सरकार लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकती । यह महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, हमें आशा थी कि सरकार इस मामले को हल्के ढंग से नहीं लेगी क्योंकि यह मामला किसी एक राजनीतिक दल का नहीं बल्कि पूरे समाज, पूरी महिला समाज का मामला हैं तथा पूरे लखनऊ का मामला है । सरकार को इस मामले में संवेदनशीलता दिखलानी चाहिए और इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो ।

मान्यवर, हम यह आशा करते थे कि माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी इसमें प्रभावी कार्यवाही की बात करेंगे लेकिन उन्होंने कहा कि अभिभावक ने इसमें शिकायत नहीं की, वहां पर प्राक्टोरियल बोर्ड है मान्यवर, लेकिन वह कोई पुलिस का दफ्तर तो नहीं है, विश्वविद्यालय के अध्यापक उन अराजक लड़कों से डरे हुये हैं, वे कोई सूचना दर्ज नहीं करते हैं । मान्यवर, शासन की निरंकुशता इतनी बढ़ गयी है कि अपराधी स्वतंत्र घूम रहे हैं । अगर इस सवाल को इतने हल्के ढंग से लेंगे तो कोई संवेदनशीलता का परिचय हमें नहीं मिलेगा । सरकार की महिलाओं के सम्मान में कोई अभिरूचि नहीं है । मा० टण्डन जी के पास शिकायतें पहुंची हैं वे यहीं का प्रतिनिधित्व करते हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय यहीं पर स्थित है, वहां आये दिन लड़कियों के साथ छेड़-छाड़ की घटनायें हो रही हैं उनका अपमान हो रहा है । मान्यवर, हम लोगों ने दलों से ऊपर उठ कर निष्पक्ष भाव से यह बात रखी है । आप ऐसे तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेंगे ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, बहन मायावती जी की सरकार कटिबद्ध है महिलाओं के सम्मान के लिये, मान्यवर, जो प्रक्रिया है उसमें प्राक्टोरियल बोर्ड बना है । किसी लड़की का अपमान नहीं होने दिया जायेगा ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर काम करती है । आप कह रहे हैं कि उसके अभिभावक ने शिकायत नहीं की है । टण्डन जी बैठे हैं, वे जवाब दे दें । मान्यवर, आपके एस०एस०पी० ने इन्सपेक्टर बदल दिया लेकिन कोई एरेस्ट नहीं हुआ । हम लोगों ने किसी लड़की का नाम नहीं लिया, न माता-पिता का नाम लिया ताकि वह कहीं समाज में सिर नीचा करके न चले । मान्यवर, अगर इस तरह की घटनायें बढ़ेंगी तो फिर अपनी लड़की को विश्वविद्यालय भेजने में डरेगा ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना नियम–56 में नहीं आती है इसलिये मैं इसे अग्राह्य करता हूँ फिर भी सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ , इस सूचना पर ।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा सूचना को अग्राह्य किये जाने पर श्री उदयराज व श्री रामलाल अकेला सदन के फ्लोर पर आ गये और कार्यवाही की माँग करने लगे ।)

(श्री अम्बिका चौधरी के प्रयास से सदन के फ्लोर पर आये सदस्य वापस चले गये ।)

* श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय उदयराज जी, मा० नरेश चन्द्र अग्रवाल जी और डा० अशोक बाजपेयी जी ने जिस घटना का जिक्र किया है, टण्डन जी उपस्थित हो गये हैं, नरेश जी ने उनका नाम लेकर कहा कि वह उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय स्थित है, उस लखनऊ विश्वविद्यालय में इतनी शर्मनाक घटना घटी है यह हम लोगों के लिए इतनी शर्मनाक है कि इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है । मान्यवर, उसमें एक लड़की को चोटी पकड़कर, गिराकर उसको सड़क पर घसीटा जाय इतना अपमानित किया जाय, मान्यवर, एक नारी की अस्मिता का सवाल है, वह भी उस परिस्थिति में जब एक महिला कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री हैं । मान्यवर, एक द्रोपदी के साथ छेड़खानी होती है तो महाभारत हो जाता है, सीता का अपहरण होता है तो इतने बड़े बलशाली आदमी का नाश हो जाता है । एक बालिका के साथ जो हम लोगों के घर की बेटी है उसके साथ इस तरह का कृत्य हो और वहाँ का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय टण्डन जी बैठे हों उसमें स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेंगे उस पर कड़ी कार्यवाही करेंगे ।

मान्यवर, इस दुर्दशा को रोकने के बजाय उनको संरक्षण देने का काम यह सरकार करेगी और टेक्निकल जवाब देने का काम करेगी ? प्राक्टोरियल बोर्ड बना हुआ है, वह देखेगा तो आप क्यों सरकार में हैं ? एक झूठे आरोप में एक महिला के साथ लोगों ने अभद्र व्यवहार किया । दो दिन की यह घटना है उस पर सदन में मैंने कहा था कि परस्पर विरोधी प्रतिनिधियों का राजपाट परिवर्तन हो गया है एक नई तरह का समीकरण प्रदेश में बना सकता है । एक लड़की लखनऊ विश्वविद्यालय की सार्वजनिक तौर पर अपमानित की जाती है हम भारी मन से आग्रह करना चाहते हैं कि टण्डन जी से उम्मीद थी कि जब लखनऊ विश्वविद्यालय का सवाल आयेगा तो वह एक अभिभावक की भूमिका में होंगे प्राक्टोरियल बोर्ड पर जिम्मेदारी डालकर हम लोग निश्चिन्त नहीं हो सकते हैं हम तो टण्डन जी की अभिभावक के रूप में उनसे संरक्षण चाह रहे थे । हमें घोर निराशा हुई है । मुझे दुख है कि सरकार ने एक दरोगा के अधीनस्थ

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

होने का परिचय दिया है लगता है कि उस इलाके का पुलिस इन्स्पेक्टर के अधीनस्थ हैं इनसे नाराज हो जायेगा इसलिए आप उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं और वही रटी रटायी भाषा कि हम दिखवा लेंगे हमारा दृष्टिकोण बहुत साफ है आपका दृष्टिकोण बहुत साफ है और मन गन्दा है तो कैसे चलेगा, मन साफ है और दृष्टिकोण से नजर न आये तो कौन सा तरीका निकलेगा । टण्डन जी हैं इसलिए नहीं कि वह एक मंत्री है बल्कि इसलिए कि देश के प्रधान मंत्री के इस लोक सभा क्षेत्र में उनके प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं और ऐसी जगह लखनऊ विश्वविद्यालय में एक बालिका के साथ जो उसको अपमानित करने की घटना हुई है उसके ऊपर मैं टण्डन जी से चाहता हूं कि उनका क्या दृष्टिकोण है । लड़की के साथ जो घटना हुई है सरकार का तो दृष्टिकोण संसदीय कार्यमंत्री ने बता दिया, क्या इस सरकार को आप अपने मौन समर्थन से चलाना चाहते हैं । मान्यवर, पुस्तकालय से उस लड़की को घसीट कर ले जाया गया । यह सड़क पर गिरा कर घसीटकर ले जाने की घटना है वह चीत्कार करती रही और उसकी मदद के लिये कोई नहीं आया, इतना आतंक हो गया अपराधियों का, कि उसको बचाने के लिये कोई नहीं आया ।

मान्यवर, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है इसलिए इतना भय का वातावरण बना हुआ है । इसलिए मैं इस सरकार से संवेदनशीलता की अपेक्षा करना चाहता हूं इस सवाल पर सिर्फ चर्चा करा लें । अपराधियों को न सिर्फ दंडित करें, सरकार का दृष्टिकोण भी साफ हो, यह मांग करते हुए मैं इस पर बल देना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

टण्डन जी कुछ कहना चाहेंगे इस पर ।

*आवास, नगर विकास, पर्यटन, श्रम, संस्थागत वित्त, दुग्ध विकास, पशुधन, वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

मान्यवर, वक्त को बदलते हुए मैं देख रहा हूं, एक समय था जब इस विश्वविद्यालय के अन्दर पुलिस तब तक नहीं जा सकती थी जब तक वाइस चांसलर की परमीशन न हो । बहुत दिनों तक यह स्थिति चली है । हास्टल के अन्दर कोई बाहरी व्यक्ति इन्ट्री नहीं कर पाता था । आज हास्टल में विद्यार्थी कम रहते हैं और अन्य लोग अधिक रहते हैं । जैसी आपने अपेक्षा की है मुझसे, मैं दलगत बात नहीं करता हूं । विभिन्न दलों के ऐसे लोग हैं जो अपराध कर रहे हैं । मैं एक मंत्री की हैसियत से नहीं बोल रहा हूं न यह मेरा विभाग है न इससे मेरा कोई लेना देना है यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है । यह भी उस विद्यालय के छात्र और छात्र नेता रहे हैं । उसके बाद मुझे कुछ नहीं कहना है कहीं न कहीं अपराध का संज्ञान लेना पड़ता है । मैं यह नहीं कह रहा कि संसदीय कार्य-मंत्री ने क्या कहा, विषय क्या था लेकिन सरकार इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती । जो अपराधी हैं उन पर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाये । कार्यवाही के दो तरीके हैं एक तो यह कि पुलिस स्वयं उस घटना का पता लगाये और दूसरा कि कोई जाकर रिपोर्ट लिखा कर आये और मैंने सुना है कि इस तरह की रिपोर्ट आई ही नहीं है । हमारे समाज में किसी कन्या के साथ कोई वारदात हो जाये तो उसके अभिभावक आम तौर से उसके सम्मान को बचाने के लिए बात को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते हैं । वहीं दबा देते हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

डा० अशोक बाजपेयी–

यह मामला संवेदनशील मामला है गम्भीर मामला है । मैं चाहता हूं कि सरकार वाइस चांसलर, लखनऊ के जिलाधिकारी, उपमहानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक और विश्वविद्यालय से जुड़े अन्य लोग इनकी एक संयुक्त बैठक बुलाकर लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में छात्राओं के सम्मान को बरकरार रखने के लिए क्या कदम उठाये जा सकते हैं इस पर विचार करे । छात्राओं का सम्मान बचा रहे इसके लिए कठोर कदम उठाये जाने की जरूरत है ।

श्री लालजी टण्डन–

मैं बाजपेयी जी को भी आमंत्रित करूंगा यह छात्र नेता रहे हैं, वहीं से इनका उदय हुआ है । जिन अधिकारियों को कहा है उन सबको बुलाकर, उन सभी अपराधियों के खिलाफ दंडित करने की कार्यवाही करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं अनुरोध करूंगा कि बहुत चर्चा हो चुकी है अभी बहुत आवश्यक बजट आने हैं तो इसमें दो-दो, तीन-तीन मिनट का ही समय लें । इसलिए कि आवास का बजट, नगर विकास का बजट और फिर जहां 12–1 बजते हैं । माननीय सदस्यों को काफी तकलीफ होती है, इसलिए बहुत कम समय में अपनी-अपनी बात कहें ।

श्री राम नरेश यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक बहुत ही अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को उठाकर चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही स्थगित करके चर्चा करायी जाय । वह प्रश्न है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती नगर में इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान के नाम से जमीन को अम्बेडकर उद्यान में परिवर्तित किया जाना । मैं चाहूंगा कि यह सदन दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर विचार करे । जहां तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सवाल है सबके मन में उनके प्रति श्रद्धा है और सम्मान है । हम यह भी जानते हैं कि बाबा साहब भारत के संविधान निर्माताओं में से एक थे ।

(समय 4 बजकर 02 मिनट)

अन्तरिम सरकार जब बनी थी पण्डित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में तो वह विधि मंत्री थे । 29 अगस्त, 1947 को एक संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी बनायी गयी थी और 30 अगस्त, 1947 को उसकी जब पहली बैठक हुई तो डा० अम्बेडकर उसके चेयरमैन बनाये गये । उससे आगे चलकर जब भारत का संविधान बन रहा था तब भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, उससे कोई इंकार नहीं कर सकता । 25 नवम्बर, 1949 को संविधान बन गया था इसके बाद उन्होंने एक बात और कही थी कि मैं तो आया था और सोचा था कि मुझे संविधान सभा में दलित समाज की समस्याओं को लेकर चिन्तन करना पड़ेगा । उनकी समस्याओं को उठाना पड़ेगा और निराकरण की दिशा में कदम उठाना पड़ेगा, मैं नहीं सोचता था कि ड्राफ्ट समिति का सदस्य बन जाऊंगा और मुझे बाद में चेयरमैन बनाया गया । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अम्बेडकर जी के नाम पर उद्यान बने, जो भी सरकार चाहे करे, मैं चाहूं रोकना, तो रोक नहीं सकता लेकिन जहां हम उनका सम्मान करते हैं और उसी सम्मान को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने अम्बेडकर विश्वविद्यालय की नींव रखी थी बाद में इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय कर दिया था । वर्ष 1983-84 में एक परिकल्पना की गयी थी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की । 1989 में कार्यरूप में बनने हेतु कदम उठाया गया और इसके लिए 25 एकड़ जमीन दी गई और सात करोड़ से ज्यादा पैसा निर्गत भी हुआ । जिसमें करीब 3 करोड़ रुपया उस जमीन का मूल्य होना चाहिए था, वह दिया गया । आज भी वहां शिलान्यास का पत्थर लगा हुआ

है । इस तरह की यह एक योजना है । यह सरकारें तो आती जाती रहती हैं । कोई सरकार हमेशा बनी रहे, ऐसा नहीं होता । सरकार में भी नैतिकता होती है । सरकार के ऐसे कुछ काम होते हैं जिनके आधार पर सरकार के बारे में निश्चित राय बनायी जाती है । टण्डन जी यहां भाई की तरह बैठे हैं और बहन की तरह मायावती जी भी हैं लेकिन दोनों भाई-बहन ने जिस तरह 25 एकड़ जमीन को अम्बेडकर उद्यान में रखने का काम किया है, यह अच्छा नहीं हुआ है, बहुत निन्दनीय काम है । आज आपकी सरकार है, कल दूसरे की सरकार आयेगी अगर इस तरह से लेने-देने का काम होता रहेगा तो फिर कहीं इसका अंत नहीं होगा यह बहुत शर्मनाक बात हैं । अभी जापान ने बौद्ध–परिपथ के लिए पैसे देने के लिए मना कर दिया । इसी तरह अभी वर्ल्ड-बैंक का पत्र आया था उसको लेकर काफी हलचल मचा हुआ है कि कैसे लीक हो गया । उन्होंने चेतावनी भी दे दी कि हमें अम्बेडकर ग्राम्य विकास योजना के बारे में सोचना पड़ेगा, पैसा दें कि न दें । 314 मिलियन डालर मिल रहा था इस पर तो चिन्ता करने की उनको फुर्सत है, लेकिन जब प्रदेश के विकास की बात करते हैं, तो उस पर चिन्ता नहीं करते । इस बात को ध्यान में रखते हुए एक परम्परा का निर्वहन होना चाहिए, सरकारें तो आती हैं जाती हैं, लेकिन यह तो अनैतिकता की बात है कि इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान की जमीन को अम्बेडकर उद्यान बनाने के लिए ले लिया जाय, यह शर्मनाक है । मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए तो सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिए था कि यह इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान की जमीन है, उस पर वही काम होना चाहिए था और उस काम को पूरा कराने के बजाय, उसकी जमीन को अम्बेडकर उद्यान में ले लिया, इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है । मान्यवर, यह अविलम्बनीय है, लोक महत्व का प्रश्न है और फिर कांग्रेस की प्रतिष्ठा से जुड़ा है, इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान से जुड़ा हुआ है । दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर, इस सदन की कार्यवाही को स्थगित करके इस पर चर्चा कराने की मांग को स्वीकार करें, मान्यवर, जिसने देश के लिए जान तक दिया हो, उसके प्रति ध्यान न रखा जाय, ऐसा करके मैं समझता हूं कि उनके प्रति बहुत बड़ा अन्याय किया गया है, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद ।

* श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, अगर महापुरुषों के नाम पर स्मारक बने, और महापुरुषों की स्मृति को जिन्दा रखने के लिए, जीवित रहने के लिए, गौरवान्वित करने के लिए कोई भी सरकार ऐसा काम करे तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं, हम उससे अपने आपको जोड़ते हैं और हम लोगों ने उसे कभी खण्डित करने का प्रयास नहीं किया । मान्यवर, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उसमें अम्बेडकर उद्यान का निर्माण हो रहा है, कई चरणों में हो रहा है । जब बसपा की मिलीजुली सरकार आती है तो उसमें काम बड़ी तेजी से होता है और जब बसपा की सरकार हट जाती है और सिर्फ भाजपा की सरकार आती है तो उसमें काम रुक जाता है । खैर, इससे हमें कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जो महापुरुष, चाहे किसी भी दल, किसी भी आस्था, किसी भी विचार का हो, अगर उनके नाम पर कुछ बनाया जाता है तो यह सराहनीय है । मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना है, मेरे दल की नीति बिल्कुल साफ है । दूसरे ही दल मान्यवर, दलों की सीमाओं से ऊपर उठ गए हैं । जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्योछावर किया हो, उनके लिए इन्दिरा गांधी के नाम को जीवित रखने के लिए किसी स्मारक की जरूरत नहीं है , किसी प्रतिष्ठान की जरूरत नहीं है । इन्दिरा गांधी जी ने ही 1971 में चौदह दिन के अन्दर दुनिया का भूगोल बदल करके बांग्लादेश का निर्माण कर दिया, क्या इस बात के लिए सरकार को प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है, 1971 से पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके, करोड़ों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनता का विश्वास जीता, क्या इसके लिए प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है, क्या इस बात के लिए प्रमाण की आवश्यकता है कि उन्होंने प्रिवीपर्स को समाप्त करके राजाओं की उस आखिरी निशानी को भी मिटा दिया था । आप इन्दिरा गांधी को मानें या न मानें लेकिन देश उनका सम्मान करता है । सरकारें तो आने-जाने वाली हैं आपकी सरकार भी आक्सीजन पर चल रही है पता नहीं कि यह आक्सीजन कब खत्म हो जाये, आपकी सरकारों की सच्चाई का अहसास नहीं है । इन्दिरा गांधी को केवल इस देश की नहीं एशिया की ओर इस शताब्दी की प्रथम महिला माना गया है, उसका खिताब मिला है । इण्डिया टुडे ने एक आकलन कराया था उसमें इन्दिरा गांधी को सर्वोत्तम प्रधानमंत्री माना गया । हमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है लेकिन इनकी नीयत की बात करना चाहता हूं । 25 एकड़ भूमि जिसका 1989 में शिलान्यास हुआ या उसे इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान के लिए छोड़ी जाये । मुझे बताया गया है कि वह भूमि भी अम्बेडकर उद्यान के लिए ले ली गयी है । मान्यवर, अगर यह सत्य है तो यह अपराध है । अगर आज आपने यह किया तो आपके न रहने पर आपके महापुरूषों के नाम पर बने स्मारकों से जमीन निकाल ली जायेगी तो यही नजीर पेश की जायेगी कि आपकी सरकार थी तो आपने दूसरे महापुरूषों के साथ ऐसा किया था । तो मान्यवर, आने वाली पीढ़ियाँ आपकी बख्शेंगी नहीं । कांग्रेस पार्टी इसकी निन्दा करती है । सरकार के जोर पर अगर उस जमीन को लेने का प्रयास करेंगे तो सिर्फ विधान सभा में ही यह आवाज नहीं उठेगी, राजनीतिक आन्दोलन चलाकर आपकी सरकार का जीना मुश्किल कर देंगे । इन्दिरा गांधी का अपमान देश का अपमान होगा, महिला शक्ति का अपमान होगा और इस देश की आजादी की लड़ाई का, जिसमें इन्दिरा गांधी ने शिरकत की थी उसका अपमान होगा । चाहे सूखा पड़ जाय या अकाल आ जाये 3 साल तक भारत में किसी को भूख से नहीं मरने देंगे, यह जो कहा गया, इसका श्रेय अगर जाता है तो स्व० श्रीमती इन्दिरा गांधी को जाता है । उत्तर प्रदेश का नाम श्वेत क्रान्ति के रूप में दुनिया में है तो निःसन्देह उसके पीछे इन्दिरा गांधी जी का योगदान है और उनके इस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता । बहुत से कायर और बुजदिल नेता हैं जो बन्दूक के साये में कश्मीर जाते हैं और जब वह लाल चौक पर झण्डा फहराते हैं तो झण्डे की तरह उनके नेता भी लहराते रहते हैं । इन्दिरा जी ने मरने के 24 घण्टे पहले कहा था कि मैं जिन्दगी भर हिन्दुस्तान की सेवा करूंगी और अगर मर भी गयी तो खून का एक-एक कतरा नींव का पत्थर बनेगा । मान्यवर, उनकी सहादत पर गर्व है । हमें शर्म आती है ऐसी सरकार पर । डा० भीमराव अम्बेडकर का हम सम्मान करते हैं, अम्बेडकर जी के लिए कुछ किया जाय मैं प्रशंसा करूंगा, उनकी जन्म स्थली महाराष्ट्र थी लेकिन इन्दिरा जी की जन्मस्थली व कर्मस्थली उत्तर प्रदेश है । उनके प्रतिष्ठा की एक इंच जमीन लेकर उसे मिलाने की कोशिश की तो शहीदों का जो अपमान करते हैं उन सरकारों को प्रदेश और देश में बने रहने का न नैतिक अधिकार होता है, न कानूनी अधिकार होता है । मैं इसे कार्य-स्थगन के माध्यम से नहीं लाया हूं । सरकार से बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि अगर स्पष्ट आश्वासन सरकार ने नहीं दिया और इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान के 25 एकड़ जमीन की एक इंच भी छीनने की कोशिश की तो मैं नहीं समझता टण्डन जी कि क्या हम अपनी भावनाओं को रोक पायेंगे जिनके नाम पर सारा देश नाज कर रहा है और आप सिर झुका रहे हैं । आप नियमानुसार कुछ भी करें लेकिन दो आश्वासन इस सरकार से चाहिये । एक इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान का कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा दूसरे इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान की एक इंच भूमि आप नहीं छुयेंगे । अगर इसका आश्वासन नहीं मिला तो मैं बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी ।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, यह सही है कि जब गोमती नगर योजना बनी थी तो 25 एकड़ भूमि सरकार की ओर से वहां रखी गयी थी कि वहां पर कोई एक प्रतिष्ठान बनेगा और उसका नामकरण इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान हुआ था । इतने वर्ष बीत गये उसमें किसी ने कुछ नहीं किया । बीच में मैंने एक बार प्रयास किया था

कि वहां पर कुछ निर्माण हो जाये । दिल्ली में जैसे हैबीटेट सेण्टर बना हुआ है वैसे हुड़कों को सहायता से बनाया जाय । बीच में चुनाव हो गये और विलम्ब हो गया । जो यह जमीन पड़ी थी उसकी अम्बेडकर पार्क से नहीं मिलाया गया बल्कि एक अन्तर्राष्ट्रीय रिसर्च सेण्टर, अम्बेडकर के नाम पर बन रहा है । लेकिन हैबीटेट सेण्टर की बात समाप्त नहीं हुई है उसके लिए रिंग रोड के पास दूसरी जमीन दे दी गयी । अभी हुडको से बात हो रही है उसका परीक्षण हो रहा है कि उस जमीन पर जैसा दिल्ली में बना है वैसा हैबीटेट सेण्टर बनाया जाये । अभी इन्दिरा गांधी जी की बात की गयी । मैं विश्वास करता हूं कि इस देश के निर्माण में जिनका भी योगदान है उनके नाम से कोई चीज है तो कायम रहनी चाहिए । व्यवस्था तो आप लोगों ने बिगाड़ी । मुझे याद है कि इमरजेन्सी में जिस समय लोग जेल गये थे तो राम सागर मिश्र जी जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, हां वह बड़े परिवार में पैदा नहीं हुए थे जिनके नाम के ऊपर लोग कूद जाते है क्यों ऐसा हो रहा है, तो राम सागर मिश्र की मृत्यु हुई थी उनके नाम पर राम सागर मिश्र नगर बनाया गया । इतिहास साक्षी है कि जैसे ही सरकार बदली उसका नाम बदल कर इन्दिरा नगर कर दिया गया । परम्परा कोई एक डालता है पर देश में ना जाने कब वो काम आती है ।

एक समाजवादी पार्टी के नेता जो गरीब थे अगर उनके नाम पर शहर के एक हिस्से का नाम हो जाता तो क्या दिक्कत थी ? क्यों नाम बदल कर इन्दिरा नगर किया गया ? इन्दिरा गांधी के नाम पर अगर कोई चीज अगर दूसरे स्थान पर बन जाती है तो क्या दिक्कत है हम तो बनाने की बात कर रहे हैं । आपने तो नाम ही खत्म कर दिया था । मान्यवर, जो आउटर रिंग रोड बन रहा है उसके बाद एक नया शहर निकल कर सामने आयेगा उसी के मुहाने पर जगह है जहां हेबीटेट सेण्टर की योजना को प्रस्तावित कर रहे हैं । मुझे नाम में कोई आपत्ति नहीं है उसका नाम इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान रख दिया जाये । नैतिकता की बात आप हमें मत सिखायें, नैतिकता को हमने बहुत नजदीक से देखा है । अभी अपना बजट प्रस्तुत करूंगा, शायद उसमें मैं जो शब्द कह रहा हूं उसका आभास आपको मिल जाये जायेगा । यह बात विवाद की नहीं है । इतिहास को हम झुठला नहीं सकते हैं । कई बार यहां पर अम्बेडकर पार्क और अम्बेडकर प्रतिष्ठान की बात आई है । ऐसा लगता है कि अम्बेडकर न हुए वह माओत्से-तुग हो गये । जिन्होंने इस देश की जमीन हथिया ली हो । अम्बेडकर राष्ट्रीय नेता रहे हैं राष्ट्रीय नेताओं को एक स्थान से नहीं बांधा जा सकता । इतिहास में जाइए आजादी की लड़ाई के समय तीन धाराएं साथ-साथ चल रही थीं । एक राष्ट्रवादी, एक अध्यात्मिक, एक दलित चेतना की धारा । इन तीनों को मिलाकर महात्मा गांधी थे जिनमें यह सभी चीजें समाहित थीं, एक राष्ट्रीय स्वरूप इससे उभरकर आ जाता है । कांग्रेस ने उस स्वरूप को छोड़ दिया । जिससे आज समाज बिखर रहा है । समाज को जोड़ने का काम किया जा रहा है । यह काम यह लोग करें तो हमें क्या ऐतराज होगा ? जो तथ्य थे मैंने रख दिए ।

श्री नारद राय–

एक धारा और चल रही थी गांधी के हत्यारों की ।

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है इसलिए अग्राह्य करता हूं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

इन्दिरा नगर का नाम पहले कांग्रेस ने ही रखा था । यह जो इन्दिरा ट्रस्ट मेमोरियल ट्रस्ट बन रहा है उस पर बात करते हुए मंत्री जी ने अम्बेडकर का नाम लिया वह देश के नेता थे इसमें किसी को ऐतराज नहीं है । लेकिन जो अम्बेडकर पार्क बन रहा है वह इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान की जो जमीन है उस जमीन को लिया जा रहा है । तो उस जमीन को बदलने की कौन सी जरूरत पड़ गयी । इनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आए तो फिर नाम बदल सकते हैं । मंत्री जी घोषणा कर दें कि जो इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान है । वह इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान वहीं रहेगा । चाहे यह उसको विकसित करें या कांग्रेस पार्टी विकसित करे ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसके बारे में दो स्पष्टीकरण चाहता हूं । उन्होंने बड़ी मासूमियत से कहा । बताइए इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान का शिलान्यास 1989 में यहां हुआ था ? मैं ऐसा कहता हूं कि सदन स्थगित कर दिया जाए । मैं चला चालूंगा और टण्डन जी चले चलें । अगर इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान के नाम पर 1989 में शिलान्यास न हुआ होगा तो मैं लौटकर नहीं आऊंगा अगर हुआ हो तो आप लौटकर न आइएगा । जब मंत्री वह भी इतने वरिष्ठ मंत्री बोलें और बिना जानकारी के बोलें तो क्या उचित होगा ? दो पाटों के बीच टण्डन जी फंसे हैं इसलिए उनकी याददाश्त गड़बड़ हो जाती है । जब भाजपा की अकेली सरकार थी तो आप नगर विकास मंत्री थे उस समय काम रुक क्यों जाता है । मैं आपसे मुखातिब हूं टण्डन जी, क्यों रुक जाया करता है । जब बहिन जी यहां होती हैं तो सब ठीक, नहीं होती हैं तब आप कहते हैं कि मैं तो पोस्टमैन था । मैं तो जो मुख्य मंत्री कहती थीं, वह खर्च कर दिया करता था । मान्यवर, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं । आप एक बात बता दें, राखी हर साल आती है । आप तब ही राखी बंधवाते हैं जब बहिन जी मुख्य मंत्री होती हैं । हर बार क्यों नहीं बंधवाते हैं । अच्छा छोड़िये, इसमें पड़ने से क्या फायदा ? मेरा प्रश्न आप समझ रहे होंगे । मैंने एक विनम्र निवेदन किया । मैंने कहा कि अम्बेडकर जी के लिए जो कुछ किया जा रहा है या किया जाता है और कुछ करता है, बड़ी अच्छी बात है । वे महापुरुष थे, उनके प्रति सबके मन में सम्मान है । आप और कुछ ज्यादा बनाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, अपने विभाग का पूरा पैसा लगा दीजिये, किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा । यह 25 एकड़ भूमि जो इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान के नाम से रखी गयी । 1989 के बाद से हमारी सरकार नहीं है । आपकी सरकार थी (प्रधान मंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है । हम सरकार में नहीं कि उसके लिए कुछ खर्च कर दें । लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, बाजपेयी जी यहां मौजूद हैं । बाजपेयी जी से पूछ लीजये कि उसके लिए धन आवंटित हुआ था कि नहीं ? कहां चला गया वह पैसा ? मेरा सीधा-सीधा सवाल है टण्डन जी । आप कुछ डर के मारे ऐसा न बोलिये जो गलत हो और जो तस्वीर आपकी मेरे दिल में बनी है वह बदल जाये । इस समय आप मुख्य मंत्री जी से इतनी डरें हैं कि इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान का शिलान्यास हुआ उसको भूलकर इण्डियन हैबिटेट सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं । इतना बड़ा लखनऊ है, आपका शहर है, आप इसको और भव्य बनाइये लेकिन इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान के नाम पर जो जमीन है, उस पर यदि बना देंगे तो झगड़ा पैदा होगा । आप क्यों झगड़ा पैदा करना चाहते हैं । दो महापुरुषों की स्मृतियों को क्यों बिगाड़ना चाहते हैं ।

(श्री अम्बिका चौधरी के कुछ कहने पर)

यह कह रहे हैं कि राजभर जी इतना नहीं डरते हैं जितना टण्डन जी डरते हैं। बहन मायावती जी लगता है बीच-बीच में इलेक्ट्रानिक शांक जैसे दिये जाते हैं उसी तरह से इनको देती हैं महीने डेढ़ महीने बाद जिससे टण्डन जी ठीक चलते हैं। टण्डन जी यह सब चलता है लेकिन यह नहीं कि सरकार में मंत्री बने हैं, फिर बने न बनें, मिले न मिले, इस उम्र में फिर दोबारा क्या पायेंगे ? मैं आपके प्रति बहुत श्रद्धा के साथ दो बातें दोहराना चाहता हूं कि अम्बेडकर के नाम पर आप जो कर रहे हैं अच्छा है करिये, हम सबको उनके प्रति श्रद्धा है लेकिन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के नाम से जो जमीन है उसकी एक इंच जमीन नहीं ली जायेगी इसकी आप घोषणा करें। निर्माण कार्य प्रारम्भ करायेंगे तो बड़ी कृपा होगी। आपका बजट आ रहा है। उसमें कुछ इसके लिए किया होगा तो बड़ी खुशी होगी। आप हमारी मजबूरी समझेंगे, अगर हमारी नेता इस शताब्दी की प्रथम महिला, देश की प्रथम प्रधान मंत्री के नाम पर जो जमीन है, उसको अगर किसी और को देने का प्रयास करेंगे तो हमारी मजबूरी होगी कि हम मुखर विरोध करेंगे। और यह जायज विरोध होगा। अधिष्ठाता महोदय, हम वह विरोध इसी सदन से प्रारम्भ करेंगे और सभी जगह ले जायेंगे। इण्डियन हैबीटेट सेंटर बनाने के लिए दक्षिणी क्षेत्र है। लखनऊ कानपुर मार्ग है, कहीं भी ले जायें। कहीं आपको उसके लिए जमीन नहीं मिल रही है जो इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान की जमीन पर ही बनाना चाहते हैं। यह कहां का इंसाफ है, वह कहां का न्याय है, कहां, की सरकार की निरन्तरता है। 1989 में इसका शिलान्यास हुआ था, पत्थर लगा था, हम सब उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की स्थापना 1989 में हुई इसके लिए धनराशि आवंटित हुई। उस धनराशि से जमीन अध्याप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। अग्रिम धनराशि न स्वीकृत होने से इसका कार्य रुक गया। यह जमीन लगातार इदिरा गांधी प्रतिष्ठान के लिए मार्क रही, उस भूखण्ड पर कुछ ऐसा नहीं बनना था, वह विज्ञान, टैक्नोलाजी से संबंधित था। मोस्ट मार्डन टैक्नालाजी के संबंध में इसकी स्थापना होनी थी। इस प्रतिष्ठान के बनने के बाद विज्ञान तकनीकी की विशिष्ट खोज हो, लखनऊ में अभूतपूर्व प्रतिष्ठान की स्थापना हो, यह सोचा गया था। मान्यवर, कभी महापुरूषों की तुलना नहीं की जाती है अपने क्षेत्र में इनकी विशिष्ट सेवा होती है। अम्बेडकर साहब के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है लेकिन स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी का योगदान अपने क्षेत्र में है उसको भुलाया नहीं जा सकता है। देश में उनके सम्मान और गौरवपूर्ण इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता है। पाकिस्तान को दो भागों में बांटने के लिए हमेशा इन्दिरा गांधी जी को याद किया जाएगा। एक महापुरूष के नाम से एक प्रतिष्ठान की स्थापना हुई, उसका कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया इसके लिए तो इस सरकार की निन्दा की जानी चाहिए। एक तरफ तो आप उद्यान के लिए 100 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च कर चुके हैं, उससे नई पीढ़ी को क्या मिलेगा जबकि इन्दिरा गांधी संस्थान जो, विज्ञान और टैक्नालाजी संस्थान विशिष्ट कार्यों के लिए स्थगित किया जा रहा है। उससे नई पीढ़ी को लाभ होगा। उसको अम्बेडकर उद्यान में दिया जाए यह सही नहीं है। सरकारें आती हैं जो महापुरुष हमारे बीच नहीं हैं, जिनका आदर करते हैं उनको इस तरह से अपमानित न करें। स्वर्ग में बैठकर वह महापुरुष देखें उनकी आत्मा दुखी हो ऐसा काम न करें। इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान की स्थापना होनी चाहिए एक दूसरे को अतिक्रमित नहीं होना चाहिए।

श्री राम नरेश यादव–

अधिष्ठाता जी, इसमें निर्देश दें कि उत्तर आ जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

टण्डन जी ने कह दिया है ।

श्री प्रमोद कुमार–

क्या कह दिया है ? इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान कोई थाने का दरोगा नहीं है कि ट्रांसफर कर दिया जाएगा । कांग्रेस का एक-एक आदमी आपके सामने मर जाएगा, डरिये मत, सहमिए मत, सरकार की साख बचाने के लिए, शहीद के नाम से कोई सरकार कोई घोषणा करे, उस 25 एकड़ जमीन में से अगर एक इंच भी जमीन लेने का काम किया तो आप मजबूर करेंगे कांग्रेस को कि हम इसको लोकतांत्रिक ढंग से इसको उठाने के लिए मजबूर हों ।

(कांग्रेस के सदस्य अपने स्थान से नारे लगाने लगे ।)

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मैं आक्षेप नहीं लगा रहा हूं आप भावनाओं को समझें इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का एक कतरा, एक इंच जमीन अगर सरकार ने लेने की कोशिश की, यह शासन, सरकार, फोर्स तो कर सकती है...

सब कर सकते हैं लेकिन हमारे पास भी आत्मबल है और इन्दिरा गांधी जी के लिए अगर कुछ करना पड़े तो हमारे अन्दर दम है और हम दृढ़तापूर्वक करेंगे ।

(श्री आर० के चौधरी का नाम पुकारे जाने पर)

(शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर श्री दिनेश सिंह, श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल आदि कांग्रेस के सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपने स्थान पर जायें ।

(कांग्रेस के सदस्य सदन के फ्लोर पर नारे लगाते रहे)

मैं सदन की कार्यवाही दस मिनट के लिए स्थगित करता हूं ।

(श्री अधिष्ठाता ने 4 बजकर 37 मिनट पर सदन की कार्यवाही 4 बजकर 47 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी । 4 बजकर 47 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 5 बजे तक बढ़ा दिया है । 5 बजे डिप्टी मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 5 बजकर 10 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है । 5 बजकर 10 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने पुनः सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 5 बजकर 20 मिनट तक और बढ़ दिया है । 5 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता डा० सुरेन्द्र पाल वर्मा के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री अधिष्ठाता–

बैठिये, कमाल साहब बैठिये क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री कमाल यूसुफ मलिक–

प्रश्न यह है कि जैसे-जैसे सदन के उठने का समय नजदीक आ रहा है । नियम–51 पर एक बार स्थगन, दो बार स्थगन, तीन बार स्थगन, चार बार स्थगन । यह सरकार उसका जवाब देने के लिए बिलकुल गम्भीर नहीं है । नियम–51 पर चार बार स्थगन ले रही है । कल स्थगन, परसों स्थगन, आज स्थगन । आज हम आपसे व्यवस्था चाहते हैं कृपया पीठ से निर्देश जारी कीजिए ।

* श्री प्रमोद कुमार–

मैं आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चहाता हूं और आपके माध्यम से सरकार से भी अनुरोध करना चहाता हूं कि इस देश की एक गौरवशाली परम्परा रही है । हर धर्म, जाति, आस्था के लोग महापुरूष होते रहे हैं और दूसरे लोग भी उनको आदर सम्मान देते रहे हैं । मान्यवर, जैसा मैंने अभी पहले कहा था कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को देश ने भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है । वह महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व भी करती हैं और इस शताब्दी की सर्वश्रेष्ठ महिला के रूप में कई बार देश की प्रधानमंत्री रहीं हैं । मैं आपके माध्यम से, आपकी पीठ से आग्रह करूंगा और संरक्षण चाहूंगा कि यदि वह जमीन इंदिरा प्रतिष्ठान के नाम से है तो उसके एक-एक कतरे का सम्मान इंदिरा जी की आस्था सआदत का सम्मान होगा । इस पर सरकार पूरी स्थिति स्पष्ट करे आप सरकार को निर्देशित करें कि समस्त तथ्यों को आपके सामने, सदन के सामने प्रस्तुत करें और आश्वासन दें कि वह जमीन जो इंदिरा प्रतिष्ठान के नाम से है उसे किसी भी हालत में परिवर्तित नहीं किया जायेगा, यह मैं आपसे आग्रह करूंगा ।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, इस सरकार का किसी तरह का इरादा नहीं है कि किसी महापुरुष की आस्था को बिगाड़ा जाये । इसके सारे पहलुओं को देखकर कल स्थिति स्पष्ट कर दी जायेगी । जो बिन्दु उठाये गये हैं उसकी विस्तृत जानकारी जो होगी वह आपके सामने रख दी जायेगी ।

श्री प्रमोद कुमार–

सब महापुरुषों में, मैंने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का जिक्र किया था । इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के लिए जो आवंटित भूमि है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा यह आश्वासन दें । मैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की बात कर रहा हूं सबकी नहीं ।

श्री लालजी टण्डन–

जो भी यहां चर्चा हुई प्रतिष्ठान के बारे में हुई उसके लिये जब मैं वक्तव्य दूंगा सारी बात आ जायेगी । रात में तो कुछ हो नहीं जायेगा । कल वक्तव्य आ जायेगा ।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होने पर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय टण्डन जी ने कल के लिये कह दिया । कल तक के लिये यथास्थिति रहेगी । कल पूरी तरह से इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान के सम्बन्ध में माननीय टण्डन जी स्थिति स्पष्ट करेंगे और कल तक कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

* श्री आर०के० चौधरी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे विषय की ग्राह्यता पर बोलने का मौका दिया । लखनऊ जनपद में गोसाईंगंज थाने के काजी खेड़ा गांव में 4 तारीख को सुक्खा उर्फ सुक्खा रैदास के परिवार पर 4-5 बदमाशों ने धावा बोला उस समय पूरा परिवार सो रहा था । सुक्खा रैदास को बदमाशों ने घर के बाहर मारना शुरू किया । परिवार के लोग जागे और जाग कर बाहर आये और बदमाशों को पकड़ना चाहा, हल्ला मच गया । बदमाशों ने हथगोला फेंककर और धारदार हथियार से तथा गोलियों की बौछार करके सुक्खा रैदास को बुरी तरह से मारा पीटा जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गये । जब उनकी पत्नी सावित्री देवी बचाने के लिये दौड़ी तो उनको भी मारा जिससे उनको चोटें आईं । बाद में गम्भीर चोटों के कारण सुक्खा रैदास की मृत्यु हो गयी उनकी पत्नी सावित्री बलरामपुर में जीवन मृत्यु के बीच जूझ रही है । यह अत्यन्त दुःखद घटना है इस प्रदेश की मुख्य मंत्री बहन मायावती दलित समाज से हैं जबसे वह मुख्य मंत्री हुई हैं पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ी है, दलितों पर अन्याय, अत्याचार बढ़ा है । बड़ी-बड़ी घटनायें हो रही हैं, कत्ल हो रहा है , हत्यायें हो रही, लूट हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं और सरकार का कोई अंकुश पुलिस पर नहीं है । फैजाबाद में कई घटनायें घटी । लखनऊ में माल थाने में, बख्शी का तालाब थाने पर, मोहन लालगंज थाने पर और नगराम थाने के अन्तर्गत घटनायें हुईं । जब से यह सरकार बनी है इतनी घटनायें हो चुकी हैं, उत्तर प्रदेश का जब से इतिहास है इतनी हत्यायें और बलात्कार की घटनायें कभी नहीं हुई हैं । इसी तरह दलितों पर अन्याय और अत्याचार की इतनी घटनायें कभी नहीं हुईं । अगर प्रदेश की कुल घटनाओं को गिना जाये जो पूरे समाज में घटी हैं तो उसकी 80 प्रतिशत केवल दलितों पर घटी हैं । वर्तमान शासनकाल में 80 प्रतिशत घटनायें दलितों के साथ हुई हैं । घटनायें घटती हैं और पुलिस कुछ नहीं करती है और सरकार कुछ नहीं करती है । गांव-गांव में घटनायें घट रही हैं पहले मुंहनुचुआ की घटनायें हुईं, लेकिन थानों की पुलिस ने कुछ नहीं किया, लखनऊ में नगराम थाने के अन्तर्गत तीन-तीन दलितों की हत्यायें हुईं, गोसाईंगंज में दलित मारा गया और कह दिया जाता है कि मुंहनुचुआ का आतंक है, बाहर से गिरोह आया है, बावरिया गिरोह है, कच्छा बनियान गिरोह है, इसको देखना सरकार का काम है, पुलिस का काम है । इसी लखनऊ जनपद अमेठी में रात एक बजे कई बदमाश देखे गये पुलिस को ग्रामीणों ने सूचना दी और सूचना देने गए ग्रामीणों को पुलिस ने थाने से मार कर भगा दिया । मान्यवर, गारगोटी एक गांव है, जहां बदमाश आये, फायरिंग किया और उस फायरिंग का जवाब वहां के ग्रामीणो ने दिया और संतोष सिंह नाम के एक एडवोकेट ने पुलिस को इत्तला दिया और पुलिस ने उसे धमकाया और गाली दिया कि आइन्दा से हमें इत्तला मत देना । गांव के लोगों को पुलिस सोने नहीं देती है, गांव के लोग रात भर जग कर पहरा देते हैं और पुलिस कुछ नहीं करती है । आज सरकार का पुलिस पर कोई अंकुश नहीं है । मान्यवर, यह गम्भीर मामला है लोक महत्व का तात्कालिक है, मान्यवर, हम चाहते हैं कि सदन की सम्पूर्ण कार्यवाही को रोक करके इस पर कार्यवाही की जाय और सुक्खा लाल का परिवार सुक्खा पर आश्रित परिवार है,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उसको दस लाख का मुआवजा दिया जाय और संसदीय कार्यमंत्री इस पर तत्काल कार्यवाही करें और सदन में वक्तव्य दें और उस परिवार को राहत दें।

श्री अधिष्ठाता–

यह नियम-56 में नहीं आता है इसलिए इसे अग्राह्य करता हूं और इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता–

बाजपेयी जी दो मिनट में अपनी बात रखें, आप विद्वान हैं कृपया गागर में सागर भरिये।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, यह मामला ऐसा लोक सेवक का है, जो संविधान चालक है और पूरे लोकतंत्र का संविधान पर अटूट विश्वास है और हम विश्वास करते हैं कि वह भारतीय संविधान के अन्तर्गत उसे अंगीकृत करने की जिसने शपथ ली हो, वह नियमों और कानूनों के अन्तर्गत रहकर अपने पद और प्रतिष्ठा का दुरुपयोग नहीं करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश शासन में ऐसा लोक सेवक है, प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी जो अभी गत दिनों तक प्रमुख सचिव, राजस्व रहा हो, और आज तक अनेक प्रमुख वरिष्ठ पदों पर रहा हो, उसने 130 बीघा जमीन गरीब किसानों की, अनुसूचित और दलित जाति की, पिछड़ी जाति की जमीन को जबरदस्ती धीरे-धीरे उनके नाम को हटाकर के अपने फार्म से जोड़ने का काम किया। जब वह भूमि विकास बैंक में प्रबन्ध निदेशक थे तब उनकी जमीनों को बिना किसी पूर्व नोटिस के नीलाम कर दिया और सात-सात हजार रुपये बीघा उन गरीबों की जमीन को नीलाम करके, अपने पिता के नाम और जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो, अपने बेटों के नाम उनका स्थानान्तरण करने का काम किया। जब वह प्रमुख सचिव राजस्व थे, तो ग्राम समाज की जमीन को अपने सगे-सम्बन्धियों के नाम पट्टा करके उसके बाद उस जमीन को अपने फार्म से जोड़ने का काम किया। मान्यवर, यह किसी तहसीलदार, परगना अधिकारी का काम नहीं बल्कि शासन के उच्च पद पर आसीन प्रमुख सचिव का है। यह मामला बहुत गम्भीर है। जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश शासन में राजस्व का प्रमुख सचिव हो और वह स्वयं अपने आस-पास की सारी जमीन, वह भी गरीबों की, दलितों की जमीन, अपने फार्म में जोड़ने का काम करे। वह भी एक-आध बीघा नहीं पूरे 130 बीघा जमीन अपने फार्म में कर ली। मान्यवर, गरीबों की दो-दो तीन-तीन बीघा जमीन थी, उनकी जमीन के बीच से सड़क निकाल कर अपने फार्म तक आवागमन का रास्ता बना लिया। इसने इतने उच्च पदों की प्रतिष्ठा का प्रयोग अपने परिवार के लिए जमीन अर्जित करने के लिए किया है। जब वहां के विधायक माननीय राजेन्द्र यादव ने उसके लिए आपत्ति की तो उनको उसने अपमानित किया क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो हरिजनों की जमीन कब्जा रखी है उनका दलितों और गरीबों के नाम पट्टा किया जाय। जब भगवती सिंह ने उस अधिकारी के विरुद्ध आवाज उठाई तो उन्होंने अपने नौकर जो हरिजन था उसको मिला करके उनके खिलाफ हरिजन ऐक्ट का मुकदमा कायम करा दिया। मान्यवर, अगर कोई जनप्रतिनिधि गरीबों की आवाज उठाने का काम करे, उसके विधान सभा क्षेत्र की ग्राम समाज की जमीन प्रमुख सचिव राजस्व द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर ली हो और वह मांग करे कि नाम करा कर गरीबों में बांट दी जाय

तो उसके ऊपर एस०सी०एस०टी० ऐक्ट लगा दिया जाता है । अधिष्ठाता महोदय, भगवती सिंह जी और राजेन्द्र प्रसाद यादव इन दोनों मा० सदस्यों पर अभियोग लगा दिया गया, रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी, यह प्रकरण विधान परिषद् में उठा, विधान परिषद् ने निर्णय लिया कि सारे प्रकरण की जांच अध्यक्ष राजस्व परिषद् द्वारा करायी जाये । जांच करायी गयी, रिपोर्ट भी आ गयी । हालांकि एक-एक बिन्दु पर जांच हुई लेकिन अध्यक्ष राजस्व परिषद् दबाव में थे और उन्होंने सम-अप कर दिया क्योंकि मुख्य मंत्री जी का डर था और वह सरकार का चहेता अधिकारी था । अध्यक्ष राजस्व परिषद् ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो जमीनें सहकारिता से नीलाम करा कर ली गयी ....

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करिये ।

डा० अशोक बाजपेयी-

अधिष्ठाता जी, जल्दी न करें, यह सामान्य मामला नहीं है एक वरिष्ठ लोक सेवक का मामला है । जो जमीन सहकारिता से ली गयी उसकी सहकारिता सचिव, जांच करें तथा जो उद्यान विभाग से ली गयी है उसकी जांच सचिव, उद्यान करें । मान्यवर, हम जनप्रतिनिधियों पर लोग उंगलियां उठाते हैं सार्वजनिक जीवन में जो जनता के लिये काम करते हैं, लोक सेवक जो वातानुकूलित कक्षों में बैठता है, वह क्या-क्या करता है उसकी चर्चा जनता में नहीं होती, हमारी हर चीज देखी जाती है । एक लोक सेवक की चर्चा आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसका इतना बड़ा दायित्व है । पूरी कार्य पालिका का और इस तरह का आचरण लोक सेवकों का हो जायेगा तो कैसे लोकतंत्र जीवित रहेगा ? कोई ऐसा कार्य स्थगन प्रस्ताव नहीं है जिस पर हल्ला करना है । इसको गंभीरता पूर्वक सुन लेंगे तो किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में सहयोग कर सकेंगे, धैर्य पूर्वक सुन लें, मैं ज्यादा समय जाया नहीं करूंगा, पुनरावृत्ति नहीं करूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

थोड़ा जल्दी करिये क्योंकि आज बहुत आवश्यक विभागों के बजट हैं ।

डा० अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव श्री हरिश्चन्द्रा ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हुये लखनऊ जनपद के ग्राम रैंथ, धतिंगरा, किशुनपुर, मदारीपुर तहसील बक्शी का तालाब में गरीब किसानों, दलितो और ग्राम समाज की 130 बीघा जमीन पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है जिसको उनसे मुक्त कराने और पात्रो में वितरित कराने की बात भगवती सिंह जी ने कही थी तो इनके विरुद्ध श्री हरीशचन्द्रा ने अपने नौकर से हरिजन उत्पीड़न का फर्जी मुकदमा थाना बक्शी का तालाब में दर्ज करा दिया । मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि इन किसानों के खेतों के बीच से सड़क का निर्माण कराया गया जबकि उन गरीब किसानों के पास 2 बीघा किसी के पास 1.5 बीघा जमीन है । उन गरीब किसानों, दलितों के खेतों से 11 मीटर चौड़ी रोड निकाली गयी जबकि न तो वहां कोई गलियारा था न रास्ता था, बेचारे गरीब किसानों की आधी-आधी जमीन चली गयी जब उन किसानों ने शिकायत की तो श्री हरीशचन्द्रा ने कहा कि जेल में बन्द करवा दूंगा, किससे टक्कर ले रहे हों, मैं प्रमुख सचिव हूं । मान्यवर, उस समय वह प्रमुख सचिव राजस्व थे, चकबन्दी आयुक्त उनके अधीन थे । मान्यवर, मैं पूरी बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं क्योंकि इन सारी चीजों से आपको स्थिति की जानकारी हो

जायेगी । नन्हीं देवी पत्नी रूपन, जाति रैदास ने कहा कि हमारी जमीन चक नम्बर-2488 जो 20 वर्ष से अधिक समय से हमारे कब्जे में है और मेरे पुत्रों श्री पुत्ती लाल, रामकिशन, चन्दर के नाम है । हरिशचन्द्रा के लोगों ने बन्दूक दिखा कर कब्जा कर लिया है, विरोध करने पर उनके आदमियों ने घर फूंक दिया और हम लोगों को 3 दिन जेल में बन्द रखा, ए०सी०एम०-II के यहां केस चल रहा है, पेशी हो रही है, हम लोग परेशान हैं, हरिशचन्द्रा का भय है, आने-जाने का रास्ता नहीं है, हरिशचन्द्रा कहते हैं कि ज्यादा बोलेगे तो जेल में रहना पड़ेगा । इसी तरह से बृजेन्द्र यादव पुत्र नन्द किशोर यादव धतिंगरा, मजरा समाधनपुर ने खुद बताया कि जून 2000 में जब यह तालाब खुदवा रहे थे तो फार्म हाउस में, उस समय पंचायत के चुनाव हो रहे थे, हम लोग उसमें व्यस्त थे, बाद में हम लोगों ने मुख्य मंत्री के नाम प्रार्थना पत्र दिया, तहसील दिवस में भी दिया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है । रैथा बाद धतिंगरा, गोपरामऊ आदि 4 ग्राम पंचायतें हैं, 100 बीघा के करीब नदी का रकबा है । शेष 15 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा किया है । नदी के किनारे चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के एम०डी० के माध्यम से हजारों बोरी सीमेंट मंगा के लगवाया गया है । अस्तल ग्राम तक के लिए 300 मी० की दूरी तक के लिए सड़क मंजूर थी जिसको न बनवाकर मण्डी परिषद् द्वारा खेतों के बीच से सड़क बनवायी जा रही है । हरीशचन्द्रा के फार्म हाऊस पर राम दुलारे नामक नौकर जो कि संभवतः मऊ जनपद का रहने वाला है और सरकारी कर्मचारी है उसको लखनऊ जनपद के बन्दूक का लाइसेन्स दिया गया है ।

मान्यवर, इसी तरह से राना एम०पी० सिंह पुत्र श्री इन्द्रपाल सिंह ग्राम वहरौरा का कहना है हरीशचन्द्र का इतना बड़ा आतंक है कि उसके डर की वजह से कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता । कोई अधिकारी उनके विरुद्ध सुनने को तैयार नहीं होता, डी०एम०, एस०पी० उसके पीछे कुत्ते की तरह दौड़ते हैं । आजमगढ़ से आकर यहां जमीन कब्जा किया है बहुत टेरर फैला रखा है । शिवराम के ऊपर एस०सी०एस०टी० ऐक्ट लगा दिया दिया है, स्थानीय पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के बजाय सभी को इनके इशारे पर उत्पीड़ित करती है । इसी तरह सुरेश कुमार श्रीवास्तव, पुत्र बंशीधर श्रीवास्तव, पूर्व प्रधान मदारीपुर का कहना है कि चकबंदी में चकरोड छोड़ी गयी थी । उसको फार्म में मिला लिया । चकबंदी में बचत की भूमि छोड़ी गयी थी । उसे भी एवं सिंचाई के लगभग एक मीटर चौड़ी सार्वजनिक नाले को अपने फार्म हाउस में मिला लिया है । तार घेरवा कर उसमें गेट लगा दिया है । तहसील दिवस में एस०डी०एम० को एक प्रार्थना पत्र दिया भी । मौके पर कोई कार्यवाही नही हुयी । ग्राम समाज की लगभग 100 एकड़ जमीन पहले से कब्जे में है, चकरोड एवं रास्ता बंद करके अपने निजी घेरे में लगा दिया है । आम आदमी का निकलना मुश्किल है कटीले तार लगा दिये हैं । डर के मारे कोई आदमी गवाही देने को तैयार नहीं है । मुझे भी डर है कि आपको बताने के उपरान्त कहीं मेरा ही उत्पीड़न न प्रारम्भ कर दिया जाये ।

मान्यवर, इसी तरह से उदयभान सिंह, पुत्र इन्द्रपाल सिंह ग्राम किशुनपुर का कहना है कि हमारे चक पर हमारे पेड़ खड़े थे । नियमानुसार चकबंदी में उसकी मालियत नहीं लगनी चाहिए किन्तु हरीशचन्द्र के दबाव में मालियत लगवाकर चक अपने कब्जे में लेकर फार्म हाउस में मिला लिया गया उस पर पेड़ कटवा लिये गये और चकबंदीकर्ताओं द्वारा हमको उड़ान चक दे दिया गया है ।

मान्यवर, इसी तरह से विशुन देवी, पत्नी श्री कीन्हा, मदारीपुर (कुरील जाति) ने कहा है कि 3 हजार रुपया भूमि विकास बैंक से लोन लीन रहाए । हमारी जमीन पर हीरश्चन्द्रा कब्जा कर लीन है, हमरी जमीन 7 हजार रुपया में नीलाम करा कर अपने कब्जा में ले लिये हैं । हम कर्जा अदा कर दिये थे तब भी हमरी जमीन नीलाम कराकर अपने पिता के नाम करा ली है । हमारी जमीन पर बाग धरा रहा,

सब कब्जा कर लिया हम दर-दर की ठोकरे खाते भीख मांगती जान बचाते हुए घूम रही है। जमीन मांगों तो हमें मारने पीटने के लिए दौड़ते हैं, हमारा सब कुछ हरीशचन्द्रा ने लूट लिया है, पुलिस हमारा लगातार उत्पीड़न कर रही है कहती है मुंह खोलेगी तो मार दी जाओगी।

मान्यवर, इसी तरह श्री देवी बक्श सिंह, एडवोकेट ने कहा है कि विशुन देवी ने 3 हजार रुपया भूमि विकास बैंक से लोन लिया था। यह ब्याज सहित बढ़कर 7 हजार रुपया हो गया। भूमि विकास बैंक के एम०डी० की हैसियत से श्री हरीशचन्द्रा ने अपने पिता खेदनदास के नाम से भूमि 20 हजार में नीलाम करवा ली जबकि उस समय इस भूमि की कीमत लगभग 6 लाख रुपए थी। श्रीमती विशुन देवी नीलामी के विरुद्ध हाईकोर्ट गयी तो वहां से यह आदेश जारी हुआ कि भूमि से इन्हें बेदखल किया जाय और नीलामी पर रोक लगायी गयी किन्तु श्री हरिश्चन्द्रा के प्रभाव में नीलामी की पुष्टि कर दी गयी।

मान्यवर, मैं केवल कुछ दृष्टांत आपके सामने रख रहा हूं। जब तक आपके सामने यह विषय न रखे जायं तब तक आप निष्कर्ष पर कैसे पहुंचेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

आप संक्षेप में कहें।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, इस संबंध में जो जांच रिपोर्ट आयी है उसमें जांच अधिकारी अध्यक्ष, राजस्व परिषद् ने अपनी आख्या में कहा है कि यह जांच केवल राजस्व विभाग से संबंधित नहीं है, क्योंकि इसमें जो बिन्दु आये हैं उसमें कई विभागों की नीतियां एवं उस पर शासन के मत की आवश्यकता होगी। उदाहरणार्थ, मछली पालन हेतु बनाये गये तालाबों का निर्माण तथा उस पर मत्स्य पालन हेतु प्राप्त ऋण की धनराशि की स्वीकृति के संबंध में नियमों का पालन विवादित फार्म के लिए प्राप्त भूमि, जो भूमि विकास बैंक के माध्यम से नीलामी में प्राप्त हुई, की वैधानिकता, नैतिकता इत्यादि के विषय में विभागीय मत भी आवश्यक होगा, क्योंकि श्री हरीश चन्द्र के बैंक प्रन्धक निदेशक के समय में ही इस नीलामी को स्वीकार किया गया तथा इस संबंध में उनके मौखिक निदेशों से संबंधित अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कुछ ऐसी टिप्पणी की गयी हैं, जो इस स्तर के अधिकारी के लिये उचित नहीं है। इससे अखिल भारतीय आचरण सेवा नियमावली के अन्तर्गत कार्यवाही का प्रश्न भी उठता है, जिस पर नियुक्ति विभाग की राय लेना आवश्यक होगा। यह जानकारी भी आवश्यक होगी कि समय-समय पर इस संबंध में विभिन्न सूचनायें उनके एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अर्जित भूमि आदि के संबंध में उनके द्वारा नियुक्ति विभाग को भेजी गयी अथवा नहीं। यह भी प्रश्न उठता है कि अधिकारी जिस विभाग में कार्य कर रहा है उस विभाग से लाभ प्राप्त करना चाहिए अथवा नहीं। इसका सिद्धान्त यह है कि अपने ऊपर के स्तर के अधिकारी से इस संबंध में अनुमति प्राप्त करनी होती है। श्री हरिश्चन्द्र ने किसी अधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं की। जो अधिकारी लोक सेवा में इतने वरिष्ठ पदों पर बैठकर संविधान की शपथ लेकर हमारी लोक सेवा में आता है। लोक सेवा की आचरण नियमावली है उसका गम्भीर रूप से उल्लघंन करे। कोई जनप्रतिनिधि अगर प्रतिवाद करे तो उसके ऊपर हरिजन ऐक्ट का मामला कायम किया जाए। इससे गम्भीर कोई मामला और क्या हो सकता है। लेकिन आज उस वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई। अभी खेल विभाग के प्रमुख सचिव पर रहते हुए उनसे मुख्य मंत्री जी नाराज हो गई इसलिए उनको निलम्बित कर दिया गया। लेकिन इतना बढ़ा कदाचार, इतनी बड़ी अनैतिकता और उसके विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने जांच भी कर ली वह

पूरी भी हो गई । यह बहुत गम्भीर मामला है । सदन द्वारा इस निरंकुश कार्यपालिका पर अंकुश लगाया जाए ताकि आगे के लिए नजीर बन जाए व भविष्य में कोई लोक सेवक अपने पद का दुरुपयोग करके जनता की जमीन न हथियाए । आज इस प्रकरण की जांच के लिए सदन की एक सर्वदलीय समिति बना दें । वह सारे प्रकरण की जांच कर ले व अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे या मा० उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा इसकी जांच करा ली जाए । चूंकि लोक सेवक इतने बड़े पद पर हैं कि उनके विरुद्ध मजिस्ट्रेट या कमिश्नर जांच नहीं कर पाएगा । इसलिए या तो सदन की समिति बना दें या उच्च न्यायालय के कार्यकारी जज से इसकी जांच करा लें । इस पर तत्काल चर्चा कराए जाने की अनुज्ञा प्रदान करने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता–

अम्बिका जी, दो मिनट में अपनी बात रखें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने कार्य स्थगन के इस प्रस्ताव पर मुझे अपने विचार रखने की अनुमति दी । मान्यवर, अभी जो तथ्य अशोक बाजपेयी जी ने इस कार्य स्थगन के सम्बन्ध में रखे हैं मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं यह ऐसे व्यक्ति से सम्बन्धित प्रकरण है जिसके हाथ में समस्त अधिकार थे । शासन का सचिव, प्रमुख सचिव रहते हुए कोआपरेटिव बैंक में प्रबन्ध निदेशक रहते हुए अपने विभाग के सर्वोच्च अधिकार होने के नाते उनके पास असीमित अधिकार थे एक्जीक्यूटिव के और उस अधिकार का प्रयोग उन्होंने किस सीमा तक किया है इस सम्बन्ध में हमारे जो बिन्दु हैं उनकी ओर ले जाना चाहता हूं । विधान परिषद में इस प्रकरण की जांच के आदेश दिए गए थे । उस जांच में व राजस्व परिषद् ने जिन बिन्दुओं को सत्य पाया है उनके विरुद्ध जितने आरोप लम्बित हैं उसके लिए समय कम पड़ेगा लेकिन जो आरोप राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने अपनी जांच में सत्य पाए हैं सिर्फ थोड़ा सा मैं उनका उल्लेख करना चाहूंगा । कई तरह की भूमि है उनके पास कुछ भूमि ऐसी है जो मौके पर नदी दर्ज है लेकिन उस पर पूरी तरह से उनका कब्जा है । सिर्फ कब्जा ही नहीं है एक भाग में रेवेन्यू के रिकार्ड में नदी है और खतौनी में इनका कब्जा और नाम दर्ज नहीं है । उनकी स्वयं की खेती में उनके पुत्र और उनके पिता का नाम है । यह भी नहीं पता चलता है कि किस न्यायालय ने किस स्तर पर कब आदेश कर दिए और इनका नाम कैसे आ गया । जो गरीबों की जमीन हड़पी है उनको आतंकित करके जबरिया चकबन्दी के नाम से अपने नाम कराने का काम किया है । मैं थोड़ी सी पक्तियों का उद्धरण कर रहा हूं । हरिश्चन्द्र की भूमि इस प्रकार की है कुछ भूमि ऐसी है जिसकी चकबन्दी हुई । यह भूमि इनके पास कैसे आई । चकबन्दी विभाग सीधे राजस्व विभाग के अन्तर्गत आता है राजस्व परिषद से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । इसलिए कार्यवाही नहीं हो सकती है । कुछ भूमि, भूमि विकास बैंक से नीलामी के द्वारा इनके पिता द्वारा क्रय की गई । यह उस समय क्रय की गई जब यह भूमि विकास बैंक में एम०डी० थे । इसकी जांच सहकारिता से करानी होगी और उससे भी बड़ी बात है कि उनके पास कुल भूमि जो आयी है इसका अपना फार्म हाउस जिसे किस प्रकार से प्राप्त किया गया है, उस भूमि का मूल्यांकन कर लिया जाय । मूल्यांकन करेंगे तो आज स्थिति यह है कि वह करोड़ों में नहीं है अरबों रुपयों में है । एक लोक सेवक के बारे में उसके जो निर्धारित स्रोत हैं उससे एक रुपये से अधिक सम्पत्ति पायी जाती है तो उसे सलाखों के पीछे होना चाहिए । हम जहां एक ओर यह मांग करना चाहते हैं कि राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के आधार पर जायज और नाजायज तरीके से सम्पत्ति अर्जित करने का जो मामला है वह सम्पत्ति कितने की है, उसके मूल्यांकन करने का काम सरकार करे । अपनी

तनख्वाह के अलावा अगर अधिक मूल्यांकन की सम्पत्ति पाया जाना स्पष्ट होता है तो उन पर मुकदमा चलाने का काम करें और जेल भेजने का काम करें । खेल सचिव से उनको हटा दिया है । आरोप यह था कि मुख्य मंत्री, जिसके पास वह विभाग था, उन्होंने फाइल को हस्ताक्षरित नहीं किया था । बिना उनके दस्तखत के आरक्षण को जारी कर दिया गया । हालांकि मीडिया के दूसरे स्रोतों ने मुख्य मंत्री के हस्ताक्षर को पत्रावली पर प्रदर्शित किया है कि मुख्य मंत्री की सहमति ली गयी थी । उस विवाद का इससे कोई रिश्ता नहीं है । इस सरकार के वे अधिक विश्वासपात्र हैं और सिर्फ दिखावे के लिए तीन दिन, पांच दिन, आठ दिन के लिए निलम्बित किया गया हो और जो बड़े-बड़े लाभ के पद उनके सम्वर्ग में हैं उन पर विशेष तौर पर उनको भेजे जाने की कोई योजना तो नहीं कि खेल सचिव के पद से चार दिन के लिए निलम्बित करके हटा दिया जाय और उसके बाद मुख्य मंत्री उन्हें किसी दूसरे बड़े स्थान पर भेज दें । हमारा यह आरोप नहीं है, यह आरोप तो सिद्ध है । मैंने उदाहरण के लिए कहा है । ग्राम गोकरामऊ में गाटा संख्या–2488 का कुल रकवा 25.874 हेक्टेयर है जिसमें से 4.804 हेक्टेयर हरिश्चन्द्र पुत्र खेदनदास तथा 1.012 हेक्टेयर श्री अभिमन्यु पुत्र श्री हरीश्चन्द्रा के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है इसी गाटा संख्या में 13.133 हेक्टेयर यह भूमि नदी के खाते में दर्ज है । नदी पर भी पूरी तरह से इनका कब्जा है । अन्य मामलों में भी । मान्यवर, इसमें संस्तुति आयी है अध्यक्ष राजस्व परिषद् की कि जितना तालाब, पोखर, नदी ग्राम सभा की जमीन पर इनका कब्जा है तत्काल प्रभावी ढंग से उस पर कब्जा हटाया जाय । इन पर कब्जा होने से पूरे समाज पर दुष्प्रभाव है । इस तालाब का पानी जानवर पीने की दृष्टि से इस्तेमाल करते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मैं अभी खत्म कर दूंगा । मान्यवर, इसी तरह से ग्राम रैथा में गाटा संख्या–1570 के रकबे की स्थिति में उप जिलाधिकारी सदर एवं बक्शी का तालाब की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम रैथा की भूमि सं०–1570 जो पुरानी नदी का स्थान बताया गया है इसका क्षेत्रफल 25.233 हेक्टेयर है पूरी तरह से इनके कब्जे में है । अपना फार्म हाउस की भूमि को बढ़ाने के लिए गांव की जमीन पर अलग से कब्जा कर रखा है । यहां तक स्थिति यह है कि श्रीमन्, इन्होंने ग्राम सभा की जमीन पर भी कब्जा कर रखा है । यह स्वीकार किया है कि हमने ग्राम सभा की जमीन पर पेड़ लगा दिये हैं इस पर हमारा कब्जा होना चाहिए । ऐसी सैकड़ों एकड़ भूमि जिसकी कीमत अरबों रुपये है की जायज और नाजायज तरीके से अपने कब्जे में कर रखा है । ग्राम सभा की जमीन का लूटना, अपने पद का दुरुपयोग करके इस जमीन को अपने लिए रखना एक अपराध है । गरीब लोगों को उनकी भूमि से बेदखल करना दूसरा अपराध है । पर्यावरण को पूरी तरह से नष्ट कर देना तीसरा अपराध है । जन सुविधा के केन्द्रों को पूरी तरह से नष्ट कर देना चौथा अपराध है । आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करना पांचवां अपराध है । मामला ऐसा है जिसको इन्होंने स्वतः अपने बयान में दिया है । एक जनप्रतिनिधि मान्यवर, राजेन्द्र यादव, विधायक, महोना, दूसरे विधायक भगवती सिंह हैं यह ऐसे आचरण के व्यक्ति हैं जिनको दल की सीमाओं से ऊपर उठकर, संसदीय कार्यमंत्री जी से कहूंगा, जिनका लोग उदाहरण दिया करते हैं, जिनका सारा जीवन ईमानदारी का रहा है अगर वह लोग ऐसे लोग ऐसे मामले उठाते हैं कि लूटपाट न की जाए, विरोध करते हैं तो उनके ऊपर 504, 506 आदि का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, उनके घर पर दबिश पड़ाई जाती है । यह सरकार बड़े अधिकारियों को संरक्षण देने का काम कर रही है । भगवती सिंह के यहां छापा मारने का काम किया गया, कई मुकदमें उनके ऊपर दर्ज किये गये हैं । एक ऐसा

आई०ए०एस० अधिकारी जो दलितों की भूमि पर कब्जा कर रहा है उसको बजाय दंडित करने के, जो व्यक्ति अपने संवैधानिक अधिकारें का निर्वहन नहीं कर रहा है, आपने एक जनप्रतिनिधि को जो जनता की आवाज उठाता है उसको दोषी बना दिया ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

जो जनप्रतिनिधि देश की सम्पत्ति, ग्राम सभा की सम्पत्ति को लूटने से रोकने का काम कर रहा है, जो लूट रहे हैं उनका पर्दाफाश कर रहा है उसको उत्पीड़ित किया जा रहा है, उसको आतंकित करने का काम किया जा रहा है अगर आप ऐसे लोगों को आस्तीन में पालने का काम करेंगे तो यह आपको भी डंक मारने का काम करेंगे । मैं जानना चाहता हूं यह सरकार किस दलित का भला करना चाहती है ? वह दलित जो संयोग से दलित बिरादरी में पैदा हो गये और सबसे ज्यादा दलितों का उत्पीड़न कर रहे हैं.....

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

जो लोग इस प्रदेश की सम्पत्ति को लुटने से बचाना चाहते हैं उनका यह सरकार उत्पीड़न करती है उनके ऊपर मुकदमें दर्ज किए जाते हैं और जिसकी कई लाख दलितों की सम्पत्ति मिलाकर जितनी सम्पत्ति होगी, उस पर कार्यवाही नहीं की जाती है क्या यही दलितों की सरकार है ? यह उस दलित की सरकार नहीं है जिसको पट्टे तालाब में मछली मारने के लिए मिले थे यहां तो नदी पर कब्जा करने की बात हो रही है, यह अपराधियों और लुटेरों की सरकार है । जो आरोप लगाये हैं उस अपराधी अधिकारी पर मुकदमा चलाने का काम करें, उसे जेल के सीखचों के पीछे भेजने का काम करें । यह आप निर्देश दे दें जो कमेटी बनेगी वह सदन की समिति होगी या माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश हों । मैं मांग कर रहा हूं जो समिति को बिन्दु जांच के लिए दिये जायें.....

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

जितने आरोप मैंने रखे हैं उसमें सदन की समिति बनाई जाये या उच्च न्यायालय की समिति बनायी जाये मैं इसकी मांग करता हूं । उनको सब बिन्दु बताकर दिये जायें और जिसकी जमीन लूटी गयी हो उसको उसकी जमीन वापस की जाये इसी के साथ मैं अपने कार्य-स्थगन के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्य मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री सुखदेव राजभर–

ध्यानाकर्षित कर दिया गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह नियम–56 में नहीं आता है । इसको अग्राह्य करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आप भी जब इस पीठ से उतर कर सदन से बाहर जायेंगे, अपने क्षेत्र में जायेंगे तो किसी भी जनप्रतिनिधि को उस इलाके का थानेदार, एस०डी०एम० रहने नहीं देगा । इतना गम्भीर प्रकरण है और आपने कह दिया कि समाप्त ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने इसमें शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है ।

(श्री दिनेश सिंह के खड़े होकर बोलने पर)

आप बैठ जायें । मैंने इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करा दिया है ।

(व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह–

मान्यवर, हम नये सदस्य हैं और हमको बोलने नहीं दिया जाता है [× × ×]

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, एक गम्भीर मामला यहां पर उठाया गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने इसमें शासन का ध्यान आकृष्ट करा दिया है ।

(समय सायंकाल 6 बजकर 2 मिनट)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, एक अत्यन्त गम्भीर प्रकरण विचाराधीन है माननीय वर्मा जी, मा० भगौती सिंह एक वरिष्ठ सदस्य हैं जो इस सदन के और सम्प्रति विधान परिषद् में मौजूदा सदस्य हैं और मंत्री भी रहे हैं उनके बारे में चर्चा हुई ।

मान्यवर, एक गम्भीर आरोप लगाया गया । एक वरिष्ठ आई०ए०एस० के खिलाफ लगाया गया ।

(व्यवधान)

मान्यवर, यही होगा तो सदन को चलाने की जिम्मेदारी हम लोगों से ज्यादा सत्तापक्ष की है ।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

मान्यवर, अभी एक माननीय सदस्य ने पीठ के ऊपर आरोप लगाया है ।

(व्यवधान)

नोट :–[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

* श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इस सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने तीन दिन पहले कहा था कि फलां यादव दरोगा ने मारा ।

मान्यवर, अगर जनप्रतिनिधियों की अवकात को हम कम करेंगे तो वह जूतों से मारेगा । तो मेरा आप से अनुरोध है कि आप जनप्रतिनिधियों को कमजोर न बनाये । अगर कमजोर बनायेंगे तो वह सचमुच में गिरा कर जूतों से मारेगा ।

(श्री दद्दू प्रसाद के खड़े होकर बोलने पर)

मैं दद्दू प्रसाद जी से एक विनम्र अनुरोध कर रहा हूं । दरोगा सचमुच में जूतों से मारेगा । संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि यादव दरोगा ने जूतों से मारा कार्यवाही लिखवालें ।

(व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि एक जनप्रतिनिधि के मुकाबले एक बेईमान अधिकारी को अधिक ताकतवर नहीं बनाना चाहिए । आप यह कैसे कर सकते हैं ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, यह बात किसने कही थी ?

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यह संसदीय कार्य-मंत्री जी आपने ही कहा था । आप कार्यवाही निकलवा कर देख लीजिए । अगर कार्यवाही में ऐसी कोई बात न हो तो मैं एक मिनट में माफी मांग लूंगा ? लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जनप्रतिनिधि की औकात इतनी छोटी मत कीजिए । हम ऐसी स्थिति में अपने लोगों को छोड़कर नहीं जाऐंगे ।

(श्री दद्दू प्रसाद सहित सत्ता पक्ष के कई सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गये ।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं । मैं यह कह रहा हूं कि यह संसदीय कार्य-मंत्री जी ने कहा । आप कार्यवाही निकालकर देख लीजिए । अगर यह नहीं होगा तो मैं क्षमा मांग लूंगा । अगर दद्दू प्रसादजी की पीठ पर एक डण्डा भी पड़ेगा तो एक तरह से मुझे लगता है कि यह मेरी पीठ पर पड़ा है ।

श्री दद्दू प्रसाद–

आप सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

देखिए मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अगर आप लोग सीधे-सीधे आपस में नोंक-झोंक करेंगे तो सदन का महौल गरमाएगा । इसलिए आप लोग जो भी बातें करें वह हमारी ओर रुख करके हमारे माध्यम से करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कुं० रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, वह एक गम्भीर प्रकरण है। श्री भगवती सिंह कोई साधारण या आम व्यक्ति नहीं हैं। वह इस विधान सभा के कई बार सदस्य रहे हैं, वह विधान परिषद् के 2 बार सदस्य रहे हैं। वह मंत्री भी रहे हैं। उनके खिलाफ हरिजन ऐक्ट में मुकदमा लगा दिया गया है।

मान्यवर, जैसा इन्होंने देखा होगा, आपने देखा होगा वे विधवा दलित की भूमि अपने नाम करवा लिए सैकड़ों एकड़ जमीन।

(व्यवधान)

मान्यवर, माननीय अमरमणि त्रिपाठी जी से कहूंगा कि मैं काफी समय से विधायक हूं।

* श्री अमरमणि–

आपकी वरिष्ठता पर मैं कुछ नहीं कह रहा हूं लेकिन उसकी आड़ में बार-बार बोलना, अब एक ही नोटिस में इनका नाम है बाजेपयी जी ने उठाया अब उसमें व्यवस्था भी आ गयी। अब दिनेश सिंह जी ने उठाया कि भेदभाव किया जा रहा है हमारी बात सुनी नहीं जा रही है अब वरिष्ठता की आड़ लेकर सब बोलने लगेंगे तो सदन में दूसरे कार्य हैं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी का उसमें नाम है, इसलिए उनको बुलवा लिया है। माननीय आजम साहब नहीं थे इसलिए दल के उप नेता अम्बिका जी को बुलाया।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

नोटिस में जिसका नाम रहता है उसको बोलना अनिवार्य रहता है इस सदन में, मैं अनर्गल प्रलाप नहीं करता हूं। जब श्री भगवती सिंह जी जैसे वरिष्ठ सदस्य का मामला आ गया है उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया है आपने कह दिया कि वरिष्ठता का सहारा लेते हुए बोल रहा हूं। नोटिस में आप नाम दे दें और आप अपने दल से बोल लें। लेकिन इस तरह की बात करना कि जब कोई बात मन में आये वह कह दें एक गम्भीर प्रकरण पर चर्चा चल रही है कोई हल्का-फुल्का प्रकरण नहीं है। श्री भगवती सिंह के मामले में बार-बार यह दोहराया गया कि उसकी जांच हो और राजस्व परिषद् के चेयरमन से इसकी जांच करवाई जाय और जब प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ जब मामला बन गया है तो मेरा आरोप है सरकार पर कि कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और एक दूसरे मामले में उनको निलम्बित कर दिया गया है। मान्यवर, प्रशासनिक अधिकारी चाहे कितना बड़े से बड़ा हो, क्या वह नियमकानून को तोड़कर मनमाने ढंग से जो चाहे वह कर ले ? मान्यवर, यहां जमींदारी विनाश अधियिम है, नजूल अधिनियम है, हमारा संविधान है, और उससे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है ? मान्यवर, आप अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार करें। माननीय संसदीय कार्य-मंत्री से आग्रह करूंगा कि इस तरह से भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने का काम कम कीजिए। जो आपका पक्ष है उसको आप सदन में रखने का काम करें, परोक्ष रूप से इन अधिकारियों को बचाने का काम न करें, कि आपको उसको निलम्बित करना पड़ा है। इससे संसदीय प्रणाली और उसकी मर्यादा कितनी बचेगी ? तो अधिकारी, जो चाहे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह कर लेगा, आप उस पर पुनर्विचार करें और संसदीय कार्य-मंत्री जी को निर्देश दें कि उस पर अपना जवाब स्पष्ट करें।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, आपने ध्यान आकृष्ट कर दिया है, जांच करवा लूंगा। मैंने कहा कि जांच हो रही है।

मान्यवर, एक प्लाट है जिसके सन्दर्भ में एक शिकायत उन्होंने किया कि आराजी नं०–2488 इसमें फर्जी इन्द्राज कराकर विधवा की जमीन नीलाम कराकर उन्होंने करा लिया। इसका पूरा रकबा है 25.874 हैक्टेयर जमीन है इसमें से 4.804 हैक्टेयर हरिश्चन्द्र पुत्र खेदनदास के नाम दर्ज है। (व्यवधान) इस संबंध में कहा गया कि एक विधवा है अनुसूचित जाति की जमीन को नीलाम कराकर ले लिया। मान्यवर, पहली जमीन खेदनदास के द्वारा पैदा की गयी थी। 1.012 हैक्टेयर भूमि उनके लड़के अभिमन्यु के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। मान्यवर, यहां स्थिति यह पैदा हुई कि श्री हरिश्चन्द्र राजस्व सचिव जब थे तो एक दलित ने दरख्वास्त दिया कि श्री भगौती सिंह ने उस पर कब्जा किया उसे दिलाया जाय उस पर उन्होंने आर्डर किया, मान्यवर, यहां पर दलितों और भगौती सिंह का मुकदमा चलता रहता है। बहुत [illegible] तरह के मामले हैं आप क्षेत्र के विधायक हैं, भगौती सिंह के ऊपर कितने मुकदमें हैं कितना वह किये हैं दलितों पर, मैं आपको कहता हूं कि भगौती सिंह ने दलितों की भूमि पर कितना कब्जा और मुकदमा किये हैं आप इसको दिखवा लीजिए, कल इस पर चर्चा करवा देंगे।

मान्यवर, विधान परिषद् में भी यह प्रकरण आया था और विधान परिषद् में जिसका उल्लेख भी नोटिस में हैं, विधान परिषद् में, राजस्व परिषद् के अध्यक्ष जी से जांच का आदेश हुआ था, वह एक वरिष्ठ आई०ए०एस० हैं मान्यवर, आई०ए०एस०, पी०सी०एस० या जन प्रतिनिधि बन जाना अपराध नहीं है, कोई भी नाजायज काम करेगा, जो गलत काम करेगा उसकी जांच होगी और सजा भी मिलेगी, केवल यह चिन्हित करना कि आई०ए०एस० भ्रष्ट हो गया है अंकुश लगाया जाय, जब आई०ए०एस० को कहा गया है। मान्यवर, लोग चिहिन्त हुए हैं लेकिन बराबर यह कहना कि पर अंकुश लगाना चाहिए तो सब लोगों पर अंकुश लगेगा ? लेकिन डिपार्टमेन्ट इसमें एक जांच कर रहा है राजस्व परिषद् के चेयरमैन ने जिसका उल्लेख किया है तो जब एक जांच हो रही है और एक जांच और वहां बैठा दें दोनों जांचों की कन्ट्रावर्सी है। एक आपने आदेश कर दिया आप चाहते हैं उस पर सजा मिले तो उसकी जांच हो गई सजा मिलेगी।

श्री अम्बिका चौधरी–

मैं मान्यवर, पटल पर यह कागज समर्पित करता हूं जिसका उल्लेख किया गया। एस०डी०एम० बख्शी का तालाब ने जांच कर लिखा है कि भगौती सिंह ने किसी जमीन पर कोई इन्क्रोचमेन्ट नहीं किया है। एस०डी०एम० की रिपोर्ट है मैं समर्पित करता हूं और यह अनर्गल बात कह रहे हैं अब भी यह अधिकारी को बचाने में लगे हुए हैं। जिसने अरबों रुपये की लूट की है।

मान्यवर, ऐसे-ऐसे मामलों पर भी श्रीमन्, जिसमें सरकार को अपना संवेदनशील रवैया अख्तियार करना चाहिए। यह उसका संवैधानिक उत्तरदायित्व है उस उत्तरदायित्व को पूरा करने के बजाय राजनीतिक आधार पर जो लोग सरकारका विरोध करते हैं उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा करना, प्रताड़ित करना, उत्पीड़ित करना, प्रदेश की जनता का धन लूटना फर्जी हरिजन ऐक्ट के मुकदमें चलाये जाते हैं। इस सरकार के रवैये के विरोध में हम और हमारा दल सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने श्री अम्बिका चौधरी के नेतृत्व में सदन का त्याग किया ।)

श्री अधिष्ठाता–

विशेष उल्लेख में ये सूचनायें सुन रहा हूं और तीन मिनट का समय निर्धारित कर रहा हूं तीन मिनट से ज्यादा बोलेंगे तो लिखा नहीं जायेगा । अगली सूचना श्री राम किशुन की ।

*श्री राम किशुन–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने नियम–56 में मुझे बोलने का अवसर दिया है । मैं अपनी सूचना पर बल देता हूं जिसे आपके माध्यम से सदन में रखना चाहता हूं । चंदौली जनपद में जो सरकारी पुस्तकें प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल के बच्चों को उपलब्ध कराई जाती हैं उन पुस्तकों को बेसिक शिक्षा अधिकारी चंदौली द्वारा खुलेआम मार्केट में बिकवाया गया और फिर अभिभावकों द्वारा उन्हें खरीदा गया । यह गम्भीर प्रकरण है इस पर बल देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । चंदौली के डी०एम० ने तथा बी०जे०पी० के जिलाध्यक्ष श्री राम लाल ने एक पत्र लिखा और उस मामले की जांच भी कराई गयी और पाया गया कि सरकारी किताबें, जो निःशुल्क किताबें दलितों, पिछड़ों को बांटने के लिए उपलब्ध करायी गयी थीं । वह सरकारी किताबें बाजारों में चली गयीं और दुकानदारों के माध्यम से खरीदी गयीं । इस पूरे प्रकरण में बेसिक शिक्षा अधिकारी चन्दौली पूरी तरह से लिप्त हैं । इतना ही नहीं जो समाज कल्याण विभाग है, जो विद्यालय चलाता है, उसे विद्यालय के बच्चों को जो पुस्तकें निःशुल्क देनी चाहिए वह भी उन्हें उपलब्ध नहीं करायी गयीं और जब बी०जे०पी० के जिला अध्यक्ष ने डी०एम० को एक पत्र लिखा तो डी०एम० ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को जो पत्र लिखा वह भी पत्र संलग्न है, और मेरे पास है । आपने 3 मिनट का समय दिया है यदि समय बढ़ा दें तो इस पत्र को पढ़ दूं । बेसिक शिक्षा अधिकारी को जिलाधिकारी ने जो पत्र लिखा वह है–जिला समाज कल्याण अधिकारी, चन्दौली ने अवगत कराया है कि इस जनपद में समाज कल्याण विभाग द्वारा आदि हिन्दू प्राइमरी पाठशाला के 9 विद्यालय संचालित हैं । इन विद्यालयों के संचालन का मुख्य उद्देश्य जनपद के अत्यन्त निर्धन बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु स्थापित किया गया है, जिसमें अधिकांशतः अनुसूचित जाति के बच्चे ही अध्ययनरत हैं । शासन द्वारा चलाई जा रही "बाल पोषाहार एवं पुस्तक वितरण सम्बन्धी योजना" का लाभ अभी तक इन विद्यालयों को नहीं दिया जा रहा है । उक्त योजना का लाभ इन विद्यालयों को न मिलने के कारण अध्ययनरत छात्रों में काफी क्षोभ उत्पन्न हो गया है । छात्रों द्वारा विद्यालय जाने में रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण इन विद्यालयों की छात्र संख्या में निरन्तर गिरावट हो गयी है । जिससे शासन द्वारा चलायी गयी योजना "स्कूल चलो अभियान" के प्रति भी प्रतिकूल प्रभाव एवं कुठाराघात की स्थिति हो गयी है । यह स्थिति शासन के मंशा के विपरीत है ।

अतः उक्त क्रम में आपको निर्देशित करना है कि अविलम्ब विद्यालयों के छात्रों को बाल पोषाहार एवं पुस्तक वितरण की सुविधा के लाभ से लाभान्वित करना सुनिश्चित करें । निःशुल्क किताबें उनको देने का काम करें । जब इसकी जांच जिलाधिकारी ने कराई तो पाया कि चकिया तहसील में सारी किताबें छपीं और बड़े पैमाने पर छपवाई गयीं । सरकार की पहले मंशा थी दलितों के बालक-बालिकाओं को किताबें देने की, जब बी०जे०पी० के साथियों का दबाव बना कि केवल दलित ही नहीं चाहे पिछड़े

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हों, अगड़े हों उनके भी बच्चों को किताबें दी जायेगी तब बड़ी संख्या में किताबें छपी और छपने के बाद किताबें बच्चों को नहीं दी गयी सारी की सारी किताबें प्रशासन से मिलकर जो किताब बेचने वाले थे उनसे मिलकर किताबें उनकी दुकानों पर गयीं और वहां से अभिभावकों ने खरीदकर अपने बच्चों को उपलब्ध कराई । मान्यवर, मेरे पास अखबार की कटिंग भी है कोई ऐसा अखबार नहीं है जिसमें इनके कारनामों को न लिखा गया हो जब बी०जे०पी० के विधायक जिनके क्षेत्र में यह घटना प्रकाश में आयी किताबों को पकड़ा गया और दुकादारों की दुकानों में किताबें पकड़ी गयीं, उसमें जहां पर निःशुल्क लिखा था तो उस पर कागज चिपका दिया गया था और मूल्य प्रकाशित कर दिया गया था । मान्यवर, जनपद चन्दौली में दलितों, पिछड़ों अल्पसंख्यकों को किताबें उपलब्ध कराई जानी थी, गरीब लोगों के बच्चों के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया क्योंकि बहुत से बच्चे पुस्तकों के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं । यह स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत किताबें छपवाई गयी थीं उस योजना का खामियाजा यह हुआ कि बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई गयीं लोक महत्व के इस विषय पर मैं पूरे सदन से अपील करता हूं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें चर्चा कराने की जरूरत नहीं है । हम जानते हैं कि कितनी गम्भीरता से आप इसे लेंगे । केवल इतना चाहते हैं कि इस घटना की बी०जे०पी० के किसी भी विधायक से जांच करा ली जाय । घटना यदि सिद्ध न हो तो मैं आपके माध्यम से जो समय ले रहा हूं उसके लिए क्षमा मांगने का काम करूंगा । लेकिन यह भी कहना चाहता हूं कि ऐसा अधिकारी जिसने एक स्कूल में जाकर पढ़ा रही अध्यापिका को जाकर के कहा, आप लोग माफ कीजिएगा, क्या तुम [xxx] हो, यह महिला अनुसूचित जाति की दलित महिला थी । जब उसने फरियाद की, एस०पी० से कहा लेकिन उसकी नहीं सुनी गयी । तब उस महिला ने 156(3) में न्यायालय में मुकदमा कायम कराया । आज बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ हरिजन एक्ट में मुकदमा कायम है । इस घटना के बारे में सत्ता पक्ष के विधायक ने भी लिखकर दिया । इस बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जितने अध्यापकों को निलम्बित किया जो समय से आते थे, उन्हीं को किया और जो माल पहुंचाते थे उनको वह कुछ नहीं बोलेगा । जितने लोगों को उसने ससपेंड किया है उसमें अधिकांश पिछड़ी और दलित जाति के हैं । अधिष्ठाता महोदय मैं आपसे निवेदन करता चाहता हूं कि ऐसे गम्भीर सवाल पर आपको ध्यान देना चाहिए । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहां बैठे हैं चर्चायें होती हैं संसदीय कार्य मंत्री भी इस पर चर्चा करायें ये लोक महत्व का विषय है मैं अपने दल के नेता से भी मांग करता हूं कि आप भी चर्चा कराने की मांग करें लेकिन चर्चा कराने से पहले एक बात कहना चाहता हूं । इस गम्भीरता को सरकार ले और ऐसे अधिकारी को जिसका स्थानान्तरण हो चुका है, दण्डित करें । सत्ता में बैठे कुछ लोग उसका संरक्षण कर रहे हैं ऐसे अधिकारी को जनपद चन्दौली में लूटने के लिए भेजे हैं ? चन्दौली के गरीब दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चों को जिनको निःशुल्क पुस्तकें मिलती हैं उन पुस्तकों को बेचकर वह अपने घर के लिए सुविधाजनक सामान जुटाना चाहता है ?

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अब समाप्त करें ।

नोटः– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राम किशुन–

ऐसे गम्भीर मामले पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री से कहना चाहता हूं कि यह गम्भीर मामला है अगर आप हरीश चन्द्र को बचाते हैं तो बचा लें लेकिन इस अधिकारी को कतई न बख्शें ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठ जायं । अब आपका समय समाप्त हो चुका है ।

(व्यवधान)

श्री राम किशुन–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं नया आया हूं इसलिए हमें कुछ दिक्कतें होती हैं मैं बहुत कमजोर हूं, इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री से कहें कि इसे गम्भीरता से लें ।

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं और इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री राम किशुन–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह तरीका सही नहीं है हमारे जनपद चन्दौली में किस तरह की हुकूमत एक अधिकारी कर रहा है, उस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी एक मिनट के लिए भी जवाब नहीं दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, नियमों को तोड़कर के कोई कार्यवाही नहीं चलती, आप कृपा करके कोई व्यवस्था दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस सूचना को अग्राह्य कर चुका हूं यह नियम–56 में नहीं आती है ।

* श्री श्याम नारायण–

मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं उसके दो बिन्दु हैं, पहला बिन्दु तो यह है कि आप स्वयं जानते हैं माननीय सदन परम्पराओं से चलता है नियमों से बंध करके चलता है । एक बार कहते हैं तीन मिनट और चलती है दो घण्टे । आप इंगित नहीं करते हैं, यह ठीक नहीं है, आपकी दरियादिली है, चलता है । दूसरा बिन्दु यह है कि अगर चलाते हैं तो उसकी दो दृष्टि नहीं होनी चाहिए बल्कि एक दृष्टि होनी चाहिए । आप भी चुनाव लड़कर जीत कर आते हैं हम भी चुनाव लड़कर जीत कर आते हैं । मान्यवर, आप हमें इंगित कर सकते हैं निकाल सकते हैं लेकिन हम यहां जनता की समस्याओं को रखने आते हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

आप नियमों का नाम ले करके हमें प्रतिबन्धित नहीं कर सकते हैं। [xxx] और इस सदन में हमारे रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा और हम इस सदन को हमेशा के लिए त्याग सकते हैं। [xxx] और आप कहते हैं कि हम आक्षेप कर रहे हैं। मान्यवर, इसकी व्यवस्था दें, रोज-रोज माननीय सदन का समय बरबाद करने का अधिकार न आपको है और न हमें है। मान्यवर, इस सदन के कुछ सिद्धान्त हैं लक्ष्य हैं, हम उन सिद्धान्तों के लिये चुनाव लड़ते हैं यहां आते हैं उनकी चर्चा होनी चाहिए। [xxx]

श्री दिनेश सिंह–

अधिष्ठाता जी, हर क्षेत्र की अपनी समस्यायें होती हैं।

श्री अधिष्ठाता–

कृपा करके बैठिये।

श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, [xxx] सदन का परित्याग कर रहा हूं।

(श्री श्याम नारायण ने सदन का परित्याग किया)

श्री अधिष्ठाता–

देखिये अभी महत्वपूर्ण विभागों के बजट आने हैं उससे पहले 6 सूचनायें कार्य-स्थगन की विशेष उल्लेख के अन्तर्गत हैं इसलिये समय सीमा बांध दी थी, इसके तुरन्त बाद बजट प्रस्तुत होगा। इसीलिये 3 मिनट का समय रखा था।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, राम किशुन जी ने जो सूचना दी थी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उस पर सरकार का दृष्टिकोण रख दें ताकि लगे कि सदस्य ने गंभीरता से कोई बात कही है।

श्री सुखदेव राजभर–

माननीय राम किशुन यादव जी ने जिस संदर्भ में सूचना दी वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं न कहीं अनियमिततायें मिली हैं उनकी ही सूचना का प्रतिफल है समस्त जिलाधिकारियों और बेसिक शिक्षा निदेशक को निर्देश दिये गये हैं कि हर जनपद में जांच करा लें। आपने विशेष रूप से चन्दौली की बात कही है। छात्रों के किताबों के वितरण में अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जायेगी, अगर इस तरह से कर रहे हैं तो कड़ी कार्यवाही की जायेगी। समस्त जिलाधिकारी और शिक्षा निदेशक बेसिक को निर्देशित कर दिया गया है कि किताबों के वितरण में गड़बड़ी न होने पाये।

श्री अधिष्ठाता–

अगली सूचना श्री राम विशुन आजाद की है। आजाद जी मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि आपको विशेष उल्लेख में मै सुन रहा हूं समय सीमा 3 मिनट की बांध दी है। इसलिये कृपा करके 3 मिनट में ही अपनी बात समाप्त करें।

नोटः– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

* श्री राम विशुन आजाद–

माननीय अधिष्ठाता जी मैं आपके माध्यम से जो समस्या उठा रहा हूं वह बहुत ही लोक महत्व की, अविलम्बनीय और तात्कालिक है । जब से उत्तर प्रदेश में सरकार आयी है यह केवल अभियान चला रही है । इसके सारे अभियान पूरी तरह से असफल हो चुके हैं चाहे परिवार कल्याण का अभियान हो, चाहे जनसंख्या नियंत्रण का अभियान हो पल्स पोलियों का अभियान हो । यह उत्तर प्रदेश सरकार विगत 5 सालों से पल्स पोलियों का अभियान चला रही है इस अभियान में करोड़ों रुपया खर्च किया गया लेकिन उनका अभियान पूरी तरह से नकामयाब हो गया क्योंकि इनके अभियान के बाद भी पल्स पोलियों के तमाम मामले प्रकाश में आये । इन्होंने बहुत ढिंढोरा पीटा कि पोलियो को खत्म कर दिया जायगा । करोड़ों रुपया भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर खर्च किया और यह कहा गया कि हिन्दुस्तान और उत्तर प्रदेश पोलियों मुक्त हो जायेगा । मान्यवर, पूरे देश में 370 केस पल्स पोलियों के प्रकाश में आये हैं जिनमें से उत्तर प्रदेश में 313 केस 4 सितम्बर, 2002 तक प्रकाश में आये हैं और सरकार कह रही है कि पल्स पोलियो कार्यक्रम सफल है । पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश में कई जिलों में ऐसे केस आये हैं । आजमगढ़ में 34 अम्बेदकरनगर में 24, मुरादाबाद में 15, सीतापुर में 15, ज्योतिबाफूलेनगर में 14 तथा फैजाबाद, रायबरेली, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर खीरी, हरदोई में केस प्रकाश में आये हैं । पल्स पोलियो का कार्यक्रम फ्लाप हो गया है । स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से करोड़ों रुपया बेकार चला गया । अभी केन्द्रीय सरकार के स्वास्थ्य मंत्री यहां आये थे और उन्होंने प्रदेश के मुख्य मंत्री जी से बात की थी । उन्होंने चिन्ता प्रकट की और कहा कि साढ़े 4 सौ करोड़ रुपया बजट में दिया है लेकिन यह चिन्ता का विषय है कि यह पैसा कहां जा रहा है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह राष्ट्रीय प्रोग्राम है अगर यह फ्लाप हो गया तो इसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी । यह निकम्मी सरकार है और संवेदनहीन है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करिये ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, इस विषय को संवेदनशील होकर सुनें संवेदनहीन होकर न सुनिये । भारत के संविधान के अनुच्छेद-6 में कहा गया है प्रत्येक बच्चे के लिए अपने जीवन का अधिकार है और जन्म सिद्ध अधिकार इसको माना गया है । इस सरकार में बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है । पल्स पोलियों कार्यक्रम को चार चरणों में चलाये जा रहे हैं और करोड़ों रुपया विश्व बैंक से, भारत सरकार से मिला है और उत्तर प्रदेश सरकार का भी पैसा खर्च हो रहा है लेकिन यह कार्यक्रम फ्लाप हो रहा है । इस प्रोग्राम को घर-घर जाकर जमीन से जोड़कर जब तक नहीं चलायेंगे तब तक यह कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है । यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है, तात्कालिक है । मैं चाहूंगा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु जवाब दें और मान्यवर, इस पर एक घण्टे की चर्चा कराने की कृपा करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, आपने निर्देश दे दिया । पल्स पोलियो की ओर आपने शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया बहुत बड़ी बात हो गयी ।

श्री राम विशुन आजाद–

[xxx]

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें, यह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री राम विशुन आजाद–

[xxx]

*श्री श्याम नारायण–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने अत्यन्त महत्वपूर्ण और गम्भीर प्रकरण के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, हमारे जनपद महराजगंज का सबसे बड़ा नगर फरेंदा है । यहां जिला हेडक्वार्टर है । सरकारी विभाग के दफ्तर हैं । केन्द्रीय रेलवे एन०ई० का जंक्शन है । यहां दो कार्यशालायें रेलवे और सिंचाई विभाग की दो कार्यशालायें हैं । वह यहां का सबसे बड़ा नगर है । फरेंदा में बेहिसाब बिजली कटौती चल रही है । जिसकी वजह से यहां के लोगों ने त्रस्त होकर आहत होकर 17 तारीख को पूरा नगरबन्द करा दिया । विद्यार्थियों के नेतृत्व में 25 हजार से ज्यादा लोग जुटकर बिजली केन्द्र पर जाकर यहां धरना शुरू कर दिया । नेपाल को जाने वाली जो लाइन की बिजली थी, उसको काट दिया । पूरा नेपाल अंधेरे में डूब गया । अमरमणि जी बैठे हुए हैं उनको जानकारी है । वहां पर सुबह से लेकर शाम तक धरना चलता रहा तो बिजली विभाग के अधिकारी और उप जिलाधिकारी ने आकर समझौता किया कि 15 दिन 18 घण्टे बिजली देंगे । इस स्तर पर धरना हट गया अब 15 दिन हो रहे हैं । हमने एक सूचना दी थी कि नियम 301 में उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है । नियम 301 में हमारी सूचना मंजूर हो गयी थी लेकिन इस सम्बन्ध में हमें कोई प्रपत्र नहीं मिला । उधर से कोई सूचना नहीं मिली । इसकी वजह से वहां लोग नाराज थे । मेरे अगल बगल नारे लगाये गये । इस तरह से वहां बिजली कटौती हो रही है कभी-कभी तो हफ्ते भर बिजली नहीं आती है । कोई पूछने वाला नहीं है यहां लोग त्रस्त हैं । जब सवाल उठता है तो उसको भी संज्ञान में नहीं लिया जाता है । इसलिए नहीं लिया जाता कि आपने मेरा पता ही दर्ज नहीं किया है । मेरे पते की जगह पर दूसरा पता है इसलिए दूसरी जगह सूचना भेज देते हैं । सूचना के माध्यम से वह लोग समझ लेते हैं कि उनकी मांग इस फोरम से करते हैं । वह लोग आन्दोलित हैं । इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं 6 दिन से लगातार लिख रहा हूं ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सूचना दे रहा हूं। आपने विशेष उल्लेख में इसको आपने मंजूर किया है। कार्य यहां बहुत रुका हुआ है सुबह से चर्चा चल रही है। मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं। मंत्री जी से हमारी बात हुई उन्होंने नियमित करने के आदेश भी दिये। सम्बन्धित अधिकारियों से मेरी बात भी हुई। उसका मैं अनुरोध कर रहा हूं। हमारे फरेंदा नगर को पहले एच०बी०–2 की सुविधा मिलनी चाहिए पहले मिल रही थी कुछ दिन पहले से यह काट दी गयी। यह सुविधा उनको मिलनी चाहिए। यह उनका अधिकार है। सन् 2001 की जनगणना के हिसाब से वहां पर्याप्त जनसंख्या है। यह सबसे बड़ा नगर है। हमारी विधान सभा भी है। उसको यह सुविधा मिलनी चाहिए। फरेंदा नगर यह सुविधा पाने का अधिकारी है। उस नगर को यह सुविधा नहीं मिल रही है। जबकि उसके अगल बगल छोटे-छोटे गांव हैं उन गांवों व कस्बों तक यह एच०बी०–2 की सुविधा मिल रही है। इस भेदभाव से लोग उत्तेजित हैं। मैं अनुरोध कर रहा हूं विनम्र निवेदन कर रहा हूं। मंत्री जी से इस सम्बन्ध में सम्पर्क में हूं। मैं अधिकारियों से सम्पर्क में हूं, मेरा निवेदन है कि आज यह चर्चा तो चल रही है और कार्य भी आपने रोका है। हमको बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। यह ग्राह्यता पर माने न माने लेकिन मेरे निवेदन पर मेरी तरफ से कह दें कि उनको सुविधा दिलवाने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता–

यह नियम–56 में नहीं आती इसलिए अग्राह्य की जाती है। इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

श्री प्रभु नारायण सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नियम–56 की सूचना पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं आपका ध्यान चन्दौली जनपद में हो रहे गरीबों को मिलने वाले खाद्यान्न की लूट की तरफ दिलाना चाहता हूं। आज खाद्यान्न की लूट इस तरह मची है जबकि गरीब, भूखे लोग भोजन के अभाव में मर रहे हैं। नागढ़, कुबराडीह में विश्वनाथ राम, मंगिया की मौत हुई। अभी एक हफ्ते पहले कुबराडीह गांव में भूख से तड़प-तड़प कर सिधारी नाम की दलित महिला की मौत हो गयी। हमने कई बार जिलाधिकारी के माध्यम से शिकायत की कि चन्दौली जनपद में जो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए बी०पी०एल० योजना एवं अन्त्योदय योजना है, उसमें बनारस से बड़े गोदाम से, ब्लाक स्तर पर खाद्यान्न आता है लेकिन वह गांव में नहीं पहुंचने पाता है। अधिकारियों की मिलीभगत से सीधे बाजार में बेच दिये जाने का काम होता है। जिलाधिकारी से शिकायत की, बनारस के आर०एफ०सी० से शिकायत की। उस पर कार्यवाही करने का काम शुरू किया गया तो शासन सत्ता में बैठे लोग, ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं जो लूट-खसोट कर रहे हैं। जब उन लोगों का स्थानान्तरण किया गया तो वहां के सम्बन्धित मंत्री ने पत्र भेज कर उनका स्थानान्तरण रुकवा दिया। आर०एफ०सी० और जिलाधिकारी ने वहां पर मौके पर जाने का काम किया तब भी गोदाम में अनाज नहीं आया। उदाहरण के तौर पर चहनियां, धानापुर गोदामों का ताला भी लगवाने का काम किया। सत्ता में बैठे लोगों ने इस ताले को भी खुलवाने का काम किया। मैं आपके माध्यम से बहुत बड़ी समस्या खाद्यान्न की जो सामने है उसके बारे में कहना चाहता हूं। 2001-2002 अगस्त तक का जो गरीबों की रेखा से नीचे के लोगों के लिए खाद्यान्न वितरण के लिए आता है वह अभी नहीं मिल पाया। अधिकारियों की मिलीभगत से खुले बाजार में बेचने का कार्य किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से जरूर यह मांग करता हूं कि ऐसे प्रकरण की जांच करायी जाय। जो भी भ्रष्ट अधिकारी, दोषी कर्मचारी हैं, मैं समझता हूं कि मैं खुद खाद्य एवं रसद मंत्री जी को धन्यवाद देता अगर वे ऐसे

लोगों को दण्डित करने का काम करते । मेरे पास ऐसे प्रमाण हैं जिसमें उन भ्रष्ट अधिकारियों को, जिनके खिलाफ कार्यवाही करके स्थानान्तरण किया गया, स्वयं पत्र भेजकर आपने मंत्री जी ने उनको रुकवा दिया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से हमको उम्मीद नहीं है, आपकी पीठ से उम्मीद है कि सरकार को निर्देशित करें कि चन्दौली जनपद में खाद्यान्न की लूट की जांच करायी जाय और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाय और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाय । इस महत्वपूर्ण प्रकरण पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

इस सूचना को अग्राह्य पाता हूं और इस पर सदन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं ।

*श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)--

मान्यवर, नियम-56 के माध्यम से मैं अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला उठा रहा हूं । मौजूदा सरकार जब से सत्ता में बैठी है सत्ता के मद में मदान्ध होकर हमेशा ही तानाशाही फैसले लेने का काम कर रही है । श्रीमन्, आप जानते हैं कि लोकतन्त्र में अपनी बात को ध्यान आकृष्ट करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, धरना, प्रदर्शन और अनशन का हथियार और औजार लेकर लोकतन्त्र में विश्वास करने वाले सख्स इस बात को करने का काम करते हैं । इसी सम्बन्ध में, मैं कहना चाहता हूं कि 28 अगस्त, 2002 को गाजीपुर की सरजमीं को 1857 के गदर 1942 और आपातकाल में और आजादी की लड़ाई में अगली कतार में खड़े होकर लड़ने का काम किया । छात्रसंघ अध्यक्ष स्वामी सहजानन्द महाविद्यालय जब अपनी मांग को लेकर बन्द और प्रदर्शन करने के सवाल पर एक हुजूम बनाकर कि हमारा बैक पेपर खत्म कर दिया, केन्द्रीय विश्वविद्यालय में अभी इस बात की सुविधा सुनिश्चित है, राज्य के विश्वविद्यालय में भी यह व्यवस्था सुनिश्चित है । लेकिन बदले की भावना को लेकर पूर्वांचल के जनपद में जहां छात्रों की संख्या 10-15 हजार होगी स्वामी सहजानन्द महाविद्यालय है वहां के 10-15 हजार विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है । मान्यवर, वह अपनी मांग को मनवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस लाइन में यह है कि जब प्रदर्शन करने वाली भीड़ हिंसक हो जाए, बेकाबू हो जाए तो उन पर लाठी बरसाने का काम करो लेकिन मान्यवर, जो नौजवान हिंसा पर चलने वाले हैं जो नौजवान यह कल्पना करते हैं, यह सपना देखते हैं कि आने वाले दिन हमारे होंगे, उन पर जब वह अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं तो उन पर लाठी चार्ज किया जाता है । मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि श्री अखिलेश यादव पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष स्वामी सहजानन्द महाविद्यालय तथा श्री अशोक कुमार सिंह "झब्बल" स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अस्पताल में भर्ती हैं । श्री बजरंगी यादव अध्यक्ष स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर राजू कुशवाहा, इमरान अंसारी, अनुराग सिंह, प्रेमसिंह रतन पूर्व अध्यक्ष स्नातकोत्तर महाविद्यालय आदि तमाम छात्रों को चोटें आई हैं । इनमें न कोई बदमाश है न कोई छात्र ऐसी कोख से पैदा हुआ है लेकिन सरकार ने नौजवानों पर लाठीचार्ज कराने का काम किया है । सैकड़ों नौजवान अस्पताल में भर्ती हैं, छात्र संघ के अध्यक्ष भर्ती हैं इस घटना से छात्रों में बेहद आक्रोश है आज भी छात्र आमरण अनशन पर बैठे हैं बैक पेपर खत्म करने के सवाल पर । मुख्य मंत्री जी भी आ गई हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी हैं ही यह क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि छात्र संघ लोकतंत्र की शिशु संस्था है उन पर लाठी चार्ज करना सही नहीं है । टंडन जी बैठे हैं इनका बजट पेश

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

होगा ही लेकिन मान्यवर, इस बात को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस सरकार का दामन नौजवान के खून से रंगा है, इस सरकार का दामन किसान के खून से रंगा है । यह सरकार इंसाफ नहीं करती है । अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस पीठ ने हमेशा न्याय करने का काम किया है मैं आपसे न्याय चाहूंगा मैं चाहूंगा कि उन अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए जो धरना प्रदर्शन करने वालों पर, जो लोग अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनके साथ जुल्म किया है, जबरदस्ती की है ...

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

सत्येन्द्र सिंह जो छात्र नेता हैं उसने इस बात को कहा है कि यदि हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हमारे साथ जुल्म होगा तो हमें आत्मदाह करने को विवश होना पड़ेगा । माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इसमें आपकी व्यवस्था चाहता हूं । उन नौजवानों को न्याय मिलना चाहिए । जिन लोगों ने उन छात्रों के साथ ज्यादती जुल्म किया है, ज्यादती की है उन पर कठोर कार्यवाही की जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं और सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

श्री चितरंजन स्वरूप–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर इस सूचना पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आभारी हूं । मान्यवर, मुजफ्फरनगर जनपद में एस०डी० डिग्री कालेज में पिछले 20 वर्षों से बी०एस०सी० की होम साइंस की कक्षाएं चल रही हैं और उस कालेज का लगभग शत प्रतिशत परीक्षाफल रहा है । अधिष्ठाता महोदय, पिछले 22-2-2001 को उस विद्यालय के अन्दर बी०एस०सी० की गृह विज्ञान की परीक्षा को प्रतिबन्धित कर दिया है । यह वही स्कूल है जहां छात्रों ने इस देश के प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी जब मुजफ्फरनगर आये तो उन्होंने उनसे मिलने का प्रयास किया और पुलिस ने उनके ऊपर बर्बर लाठी चार्ज किया था और उसके पश्चात् ही कालेज की छात्राओं के परीक्षाफल(प्रथम वर्ष) घोषित किये गये थे । प्रतिबन्ध लगाया । मान्यवर, इस संबंध में कुलपति जी द्वारा एक निरीक्षण मंडल जांच हेतु गठित किया गया । उसने जांच की । निरीक्षण मंडल की आख्या कुलपति के पत्र 30-7-2002 द्वारा प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा के यहां जा चुकी है । मान्यवर, मैं यह पत्र पढ़कर सुना रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

पत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है । आप तथ्य रख दें ।

श्री चितरंजन स्वरूप–

मान्यवर, इसमें लिखा है कि "महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर गृह विज्ञान संकाय में बी०एस०सी० कक्षाओं की सम्बद्धता जुलाई, 1982 से प्राप्त है तथा जुलाई, 2000 से 30जून, 2003 तक अस्थाई सम्बद्धता के विस्तरण की भी अनुमति महामहिम कुलाधिपति महोदय जी से प्राप्त है । सम्प्रति महाविद्यालय में उक्त पाठ्यक्रम के दीर्घकालिक अध्ययन अध्यापन संसाधनों की उपलब्धता एवं संतोषजनक परीक्षा परिणाम को देखते हुए आख्या में वर्णित शैक्षिक-व्यवस्था तथा प्रबन्धतंत्र की स्थिति के आलोक में निरीक्षण मण्डल के सदस्य, पाठ्यक्रम की उपयोगिता एवं छात्राओं के हित में

एस०डी०कालेज, मुजफ्फरनगर में गृह विज्ञान संकाय में बी०एस०सी० कक्षाओं को जून, 2003 तक प्राप्त अस्थाई सम्बद्धता के क्रम में 1 जुलाई, 2003 से स्थाई सम्बद्धता प्रदान करने की सबल संस्तुति करते हैं।

(डा० आर० सी० लाल)
संयोजक एवं प्राचार्य
एम०एफ० कालेज,
मोदीनगर।

(डा० प्रेम कुमारी)
विषय विशेषज्ञ
विभागाध्यक्ष, गृह विज्ञान
राजकीय (पी०जी०) कालेज,
कोटद्वार।

(डा० विजय शंकर)
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
मेरठ।

(अब्दुल कैश)
सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)
चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय
मेरठ।

इसके बाद वी०सी० महोदय ने लिख दिया है कि 30 सितम्बर तक प्रवेश होने हैं अन्यथा वहां छात्रों की स्थिति खराब हो जायेगी।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी पीठ के माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि एस०डी० कालेज, मुजफ्फरनगर जो सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल एवं मुरादाबाद मंडल में एक मात्र महाविद्यालय है जहां छात्राओं एवं महिलाओं के लिए होम-साइंस की शिक्षा उपलब्ध है, कृपया सरकार को निदेश देने का कष्ट करें कि तुरन्त वहां पर बी०एस०सी० होम-साइंस, प्रथम वर्ष में प्रवेश खुलवाने के आदेश सरकार जारी करने का कष्ट करे।

श्री अधिष्ठाता–

सूचना अग्राह्य की जाती है। इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(समय सायंकाल 7 बजकर 3 मिनट)

वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-02 आवास विभाग, अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग, अनुदान संख्या–44 पर्यटन विभाग

आवास एवं नगर विकास, पर्यटन, श्रम, संस्थागत वित्त, दुग्ध विकास पशुधन वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–02 आवास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 83,16,07,000 रुपये से अनधिक धनराशि की स्वीकृति की जाय। मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–37 नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,17,07,63,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–44 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,67.04,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, इस बार जो बजट मैं पेश कर रहा हूँ इसमें कई मूलभूत बातें हैं । इसमें से एक यह है कि यह जो स्थानीय निकाय है, यह जो आवास विभाग के जो स्वायत्तशासी संगठन हैं, विकास प्राधिकरण अथवा आवास विकास प्राधिकरण उनकी निर्भरता सरकार पर कम होनी चाहिए । सरकारी गारन्टी लेकर यह बड़े कर्ज में चलते रहे हैं । इस कारण से उनका जो योजनागत व्यय है वह घटता रहा है । मान्यवर, इस बार मैं ऐसी व्यवस्था करने जा रहा हूँ कि सरकार से गारन्टी लिए बिना उनको इसकी सुविधा मिल जाये । सभी लोगों को मकान मिले यह हमारी महत्वाकांक्षी योजना है । इसके लिए हमने तीन तरह की व्यवस्थाएं की हैं । एक तो जो निराश्रित लोग हैं उनके लिए आश्रय योजना है । और वह जो अभी मकान में हैं और, मकान चाहते हैं उसके लिए भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में जो योजना शुरू की थी उसी के आधार पर महर्षि बाल्मिकी और डा० अम्बेडकर आवास योजना प्रारम्भ की गयी है । जिसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपनी जमीन हो उसको 40 हजार रुपये मिल सकते हैं और वह 20 हजार रुपये का अनुदान है इस अनुदान को 20 साल में अदा करना है । आश्रय योजना की तरह से इसकी भी अदायगी की जायगी और वह व्यक्ति अच्छे मकान का, अपने मकान का मालिक हो सकेगा और एक बात यह है कि जिसके पास जमीन नहीं है उसमें हमारा यह प्रयास है कि शहरों में जो अवैध जमीनें हैं उन पर उनको मकान बनाकर दे दिये जायें जो गरीब हैं जो आरक्षण के हकदार हैं ऐसे लोगों के लिए यह योजना बड़ी लाभदायक योजना है । शायद इस तरह की योजना भारत में पहली बार बन रही है ।

मान्यवर, इसके अलावा एक बात है कि जो व्यक्ति मध्यम वर्ग का है या कम आय वर्ग का है और वह मकान लेना चाहता है या भूमि लेना चाहता है तो उसके लिए अब धन की बाधा नहीं है । अगर उसके पास पैसा नहीं है तो इसके लिए कम्प्यूटराइजड व्यवस्था की जा रही है कि जहां पर जो सम्पत्ति उपलब्ध है वहीं पर कर्ज के लिए बैंक और एल०आई०सी० के लोग होंगे जिसके अगेन्सट लोन मिल सकेगा और वहीं पर उसकी रजिस्ट्री भी हो जाएगी । मेरे पास बहुत से लोग आते थे और कहते थे कि कई-कई वर्ष पहले आवंटन हो गया था लेकिन अभी तक उसकी रजिस्ट्री नहीं हुयी है । इसमें अब लगातार रजिस्ट्री हो रही है । इस महीने 15 हजार से ज्यादा रजिस्ट्री हो चुकी हैं और उसमें 9-10 करोड़ रुपये स्टाम्प के पैसे वसूली हुयी है । मान्यवर, यह बड़े पैमाने पर हो रहा है । जो कठिनाई थी जनता की उसको दूर करने के लिये यह योजना बनायी गयी है । आवास नीति की हम शुरुआत कर रहे हैं । जमीन ले ली जाती है, किसान बेचता रहता है, वहां अट्टालिकायें खड़ी हो जाती हैं जिसकी जमीन ली गयी है उसको लेकर के वहां विकास कार्य हो रहे हैं । उनमें एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है पहली बार वह यह है कि उसे दौड़ना नहीं पड़ेगा । मुआवजे के लिये । उनसे वार्ता के द्वारा हमारी जो अथारिटीज हैं वह तय करेंगी और वहीं चेक देंगी और वहीं कब्जा लेंगी । ताकि उसका वहीं पर डिस्पोजल हो जाये ।

मान्यवर, लखनऊ में वृन्दावन योजना आवास विकास परिषद् की चल रही है । पिछले सप्ताह इस योजना की शुरुआत हो गयी किसानों से बातचीत करके जो मुआवजा दोनों में तय हुआ वहीं पर चेक भेंट कर दिया गया और कब्जा ले लिया गया । मान्यवर, जो प्रोसेस वर्षों से चलता है कोर्ट कचहरी, दलाल, वकील उनमें उस गरीब किसान का जो अंशदान चला जाता था उससे मुक्ति मिल गयी । आगे

जो प्रक्रिया चल रही है उसमें हम यह चाहते हैं कि हम निजी पूंजी का निवेश कराने के लिये लोगों को प्रोत्साहित करें। इसी तरह किसी किसान की भूमि को पूंजी मानकर ज्वाइंट बैन्चर में आवासीय संस्थायें उसमें काम करें ताकि उसका लाभ उसको मिल सकें। हमें आशा है कि यह प्रयोग बहुत सफल होगा जहां विकास प्राधिकरण नहीं है जहां आवास विकास परिषद् नहीं है, वहां हम यह शुरू कर रहे हैं। मान्यवर, महान आकार के शहरों में भी आबादी बढ़ी है। मकानों की जरुरतों को पूरा करने के लिए वहां निजी क्षेत्रों को यह अनुमति दे रहे हैं कि हमारी नीति, हमारा ले-आउट और हमारी मतों के आधार पर जो ऐसे लोग हैं जो पूंजी अपनी लगायेंगे और निर्माण करके उसे बेच कर और उसकी रजिस्ट्री वह वहां के संबंधित विभाग करेगा चाहे नगर निगम उसको स्पान्सर कर रहा हो या आवास विकास परिषद् कर रहा हो तो वह करेगा। ताकि उसमें जो खरीदार के हित हैं उसमें कहीं चोट न पहुंचे इसी तरह से अब यह इतना आसान हो गया है। मान्यवर, आने वाले 5 वर्षों में इतने बड़े पैमाने पर मकानों की आवश्यकता होगी उसे ध्यान में रखकर अभी से योजना की शुरूआत कर दी है, नियोजन इस तरह का हो रहा है कि जो संकट कल हमारे सामने आने वाला है। उससे पहले से ही हम सावधान हो जाय। मान्यवर, उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा कि जिस वक्त गुजरात में भूकम्प आया यह शासनादेश हो गया कि भूकम्प-रोधी मकान बनाने के हमारे निर्देश हैं उनका जो पालन नहीं करेंगे उनका नक्शा पास नहीं होगा, एन०ओ०सी० नहीं देंगे, मकान बन भी जायेगा एन०ओ०सी० प्राप्त नहीं होगी उसमें जब तक व्यवस्था नहीं करेंगे। मान्यवर, कभी ऐसी दुर्घटना ईश्वर न करें हो जाये तो उसके लिये हमें पहले से सावधान रहना चाहिये ताकि जन जीवन के साथ जो हानि होने वाली है उसको पहले से रोकने की कोशिश की जाये।

मान्यवर, इसी तरह भू-गर्भ जल का स्तर नीचे जा रहा है यह बड़ा खतरा है। दोनों तरफ के सदस्यों को इस पर चिन्ता होगी कि 4-5 साल बाद क्या होगा। मान्यवर, जो जमीन के अन्दर वर्षा का पानी जाता था, आज शहरों में तालाब और पोखर बन्द हो गये हैं शहर कन्क्रीट के जंगल हो गये हैं हम बेहताशा पानी का इस्तेमाल करते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरफेस वाटर का ज्यादा उपयोग हो। पहली आवश्यकता है कि नदियों से पानी ले सकें। आज नदियों में प्रदूषण बढ़ रहा है। पानी पीने योग्य नहीं होता जा रहा है। उनकी सफाई का एक बड़ा अभियान शुरू हो रहा है, गंगा, जमुना और गोमती ऐक्शन प्लान्ट, इन नदियों का पानी साफ होने के बाद फिर इन्हीं से ही पानी की आपूर्ति की जाये। मान्यवर, आज ट्यूबवेल पर निर्भरता शहरों में बढ़ रही है। गांव में कृषि के लिये ट्यूबवेल पर निर्भरता बढ़ रही है तो ऐसे में भू-गर्भ जल की स्थिति क्या होगी। इस पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है रेन-वाटर हारवेस्टिंग स्कीम इसको वर्षा का जल संचयन हम कह रहे हैं। मान्यवर, वर्षा का पानी बहकर चला जाता है और उससे शहरों में परेशानी भी होती है कहीं-कहीं पानी इक्ट्ठा हो जाता है। वहां जल भराव होगा, कहीं सड़कों में रुक गया तो सड़के टूटकर बराबर हो जाती है कितना पैसा प्रतिवर्ष इस पर लगता है। इसके बजाय अगर हम उसी तरह के संयंत्र बना दें कि जो पानी छत पर आता है वह पानी सीधे जमीन के अन्दर चला जाय तो यह जो हानियाँ हो रही है यह बचायेंगे तो भूगर्भ जल का स्तर ऊंचा उठेगा। भारत सरकार ने भी इस पर कार्रवाई किया है। बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर यह वर्षा जल संचय की योजना प्रभावी बनायी जाये। तो मान्यवर, यह दूर तक सोचने की बात है अभी से उसकी यह व्यवस्था हो रही है उत्तर प्रदेश में हम सभी लोगों ने एक महत्वपूर्ण कानून इस सदन में बनाया है जिससे मैला ढोने की प्रथा समाप्त होगी कानून से वह संज्ञेय अपराध हो गया लेकिन उसके लिये वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी कानून बना देने से वह मैला कहा जायेगा अगर वह सड़कों पर बहेगा तो बीमारियाँ होंगी, अगर कोई सफाई करेगा तो प्रथा समाप्त नहीं होगी इसलिए जहाँ-जहाँ यह कर

रहे हैं वहाँ वैकल्पिक व्यवस्था भी कर रहे हैं कि उस मैले का सदुपयोग हो जहां सारा मानक मल फेंका जाता था अब उससे जलने वाली गैस पैदा होगी । मान्यवर, जो पैदा होने वाली गैस है उसको पाइप लाइन से खाना बनाने के लिये दिया गया है और आज सैकड़ों परिवार उसका लाभ उठा रहे हैं । पेयजल के लिये जहां तक ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिये, उस पानी निकालने में जमीन के अन्दर वापस देने की गुंजाइश नहीं होती है । वहीं उन कुओं से कर दे उसमें रिचार्जिंग होती रहती है जो सैकड़ों साल पुराने कुएं हैं उसका पेयजल के रूप में उपयोग कर रहे हैं । जहाँ तीस लाख में एक ट्यूबवेल बोर होगा वहीं 2-3 लाख रुपये में उससे ज्यादा पानी दे रहा है । इससे सस्ता सोर्स आफ वाटर नहीं हो सकता है । यह राज्य योजना के रूप में सामने आने वाली है ।

इसी तरह से एक महत्वपूर्ण योजना हम शुरू कर रहे हैं क्योंकि गांव और शहर के बीच में जो एरिया है शहर का कहलाता है वह न्याय पंचायत है जहां न ग्रामीण सुविधा मिल रही है न शहर की मिल रही है । सारे शहर का विस्तार होता जा रहा है । कल एक समस्या खड़ी होगी कब तक लोग इस पर्यावरण में रहेंगे इसलिये पर्यावरण के सम्बन्ध में हमने सब जगह कहा है कि इस पर विकास शुरू करें । पिछले वर्ष में आबादी के हिसाब से जहां आबादी का घनत्व सबसे ज्यादा था । वहां कुछ हो जाय । अब हमें संतोष है कि उन बड़े शहरों में काफी कुछ विकास हो गया है । अब एक सिस्टम बन गया है विकास की गति रूकेगी नहीं लेकिन इसमें विकास की किरण नहीं पहुंची तो इस बार हम दीनदयाल उपाध्याय नगरोदय योजना को प्रारम्भ कर रहे हैं जो टाउन एरिया में उसके अन्दर कम से कम जो जरूरी है वह उसमें पूरा हो जाय । उदाहरण के लिए अगर कोई मुख्य सड़क है तो यह कोशिश होगी कि वह सीमेन्टेड बन जाय । मान्यवर, यह बड़ा शर्मनाक दृश्य है आप जायें कस्बों में, शाम को महिलाएं किनारे बैठी हुई खेत में या सड़क के ऊपर शौच कर रही है । 21वीं सदी का भारत ऐसा नही दिखना चाहिए, ऐसा है भी नहीं । टाउन एरिया में एक सार्वजनिक शौचालय बनवाया जायेगा । यह शौचालय बीस सीटर हो सकता है, जिनको वहां शौच जाना है जायें । इसके अलावा वहां पर विश्राम की भी व्यवस्था होगी । वहां बिजली से भी पानी की व्यवस्था की जा सकती है और सोलर इनर्जी की भी व्यवस्था करने जा रहे हैं । लोगों के जो सार्वजनिक कार्य होते हैं, उसमें एक व्यवस्था यह भी दी जा रही है कि उसमें एक कम्युनिटी सेंटर होगा जो बहुउद्देशीय होगा । जिस गांव या टाउन एरिया में पाठशाला नहीं है तो वह दिन में पढ़ने के लिए काम करेगा । किसी के घर में कोई कामकाज होने पर रात्रि में वह रुकने का काम करेगा । इसलिए मैं आशा करता हूं कि इसमें आपका जनसमर्थन प्राप्त हो क्योंकि यह कार्य कोई राजनेताओं का नहीं है यह कार्य जनता की सेवा का है ।

मान्यवर, इस तरह के कार्यों में विधायकों की भागीदारी धीरे-धीरे कम होती जा रही है । विकास कार्यों में जो नगर में पैसा लगे उसका सदुपयोग हो । जो निकाय है, निकाय के अपने कार्य हैं उनके काम अलग हैं तो हम चाहते हैं कि इसमें विधायकों की भागीदारी हो । सारी योजना वहां से निकल कर जिलाधिकारी के पास धन जायेगा सूडा इसका नोडेल विभाग होगा । और विभाग जो कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे । 600 में से 200 को संतृप्त करने की योजना इस वर्ष है । मा० विधायक अगर कोई नाम अपने क्षेत्र में बतायेंगे तो वह सुविधा वहां भी उपलब्ध करा दी जायेगी । अगले साल तक संसाधन इतने हो जायेंगे कि हम सबको संतृप्त कर देंगे । आई०सी०एम०टी० योजना लागू हो रही है इसमें 5 करोड़ से 10 करोड़ तक भारत सरकार से अनुदान के रूप में लगा और वहां लगाकर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया गया है । 30 जनपदों के लिए स्वीकृति मिल गयी है 80 की स्वीकृति के लिए भेजा गया है । लगभग 250 टाउन्स इस योजना के अन्तर्गत आ जायेंगे और शहर का नक्शा बदलते हुए

दिखाई देगा । गांव से पलायन हो रहा है । उन्हें न्यूनतम आवश्यकताएं पूरा करने के लिए स्थान चाहिए । इसे रोकने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं । यह वर्ष कुछ महापुरुषों की जन्मशती का वर्ष है । यह उनका 100वां जन्म दिन होगा तो हमने बलिया में एक विशेष पैकेज देकर वहां नगरों की जो सुविधाएं हैं उनका जितना विकास हम कर सकें करें, उनकी श्रद्धा के लिए कोई बड़ी सुविधा दे सकते हैं तो दें । उन महापुरुषों के नाम पर कुछ अतिरिक्त सुविधाएं मिल जायें तो मैं समझता हूं कि यह उनकी श्रद्धांजलि होगी । इसी प्रकार चौधरी चरण सिंह जी की जन्म शताब्दी चल रही है उनका भी जो कार्य क्षेत्र है, जन्म स्थान है, को विकास के लिये प्राथमिकता दी जायेगी । बड़े शहरों में उनके नाम से विकसित किया जायेगा, जो वही तक सीमित रहेगा । इसीलिए सभी महापुरुषों के नाम पर काम हो, सबकी यही कल्पना थी, यही उद्देश्य था । इसलिये मान्यवर, हमें किसी से भेदभाव करने की बात नहीं है ? तो मान्यवर, यह सभी क्षेत्रों में आवास का बताया, नगर विकास का संक्षेप में बता दिया ।

अब पर्यटन के बारे में बताना चाहूंगा, बड़ी महत्वाकांक्षी योजनायें बनाई गई हैं । योजना बनाने का अर्थ यह नहीं होता कि सारी पूरी हो जायें । लेकिन एक बुनियाद डालने की कोशिश है और एक साल दो साल, तीन साल में विकसित होकर पूरा क्षेत्र विकसित हो और रोजगार की संभावनायें हों । दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था तो केवल पर्यटन के आधार पर ही चलती है । हमारे पास तो अपार भंडार है,वह दर्शनीय स्थल, वह प्राकृतिक सौन्दर्य, कई बार लोग कहते हैं, कि वह चले गये, उत्तरांचल में । पर्वत भले ही चले गये हों, बदरीनाथ, केदारनाथ के लिये तो कहा जा सकता है, लेकिन इसके अलावा हरिद्वार का विकल्प हम ढूंढने जा रहे हैं, इसके लिये भारत सरकार के योजना आयोग से स्वीकृति मिल गई है, पर्यटन विभाग से स्वीकृति मिल गई है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी स्वीकृति दे दी है । पहले एक एथारिटी बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन चूंकि यह क्षेत्र गाजियाबाद जनपद में स्थिति है, इसलिये इसे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत करके तेजी से उसका काम कराया जायेगा । गढ़ मुक्तेश्वर हरिद्वार का विकल्प हो सकता है । क्योंकि उसका एक महत्व हरिद्वार से भी ज्यादा है । पुराणों में जो वर्णन है, उसमें गंगा का महत्व तीन जगह है । वाराणसी में मृत्युपरान्त मुक्तिदायिनी । प्रयाग में माघ मास में एक मास तक स्नान करने पर और गढ़ में दर्शन मात्र में गंगा मोक्षदायिनी होती है । सब जगह गंगा में पाल्यूशन है, लेकिन वहीं गढ़ से आगे ब्रजघाट में गंगा इतनी निर्मल है, वहां जल भी काफी है, उसको हरिद्वार की तरह विकसित कर दिया जाय तो यह तीर्थ स्थल विकसित हो जायेगा । राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों से लोग प्रतिवर्ष आज भी गढ़मुक्तेश्वर जाते हैं लेकिन गढ़ का जो मूल स्थान है, वहां पर गंगा नहीं है, इस वजह से वहां का महत्व कम हो रहा है । इसके बन जाने से यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तीर्थ हो जायेगा । इसी तरह हमने तीर्थ स्थलों का विकास करने के लिये छोटी-छोटी योजनायें बनाई हैं, जो पहले से चल रही हैं, वह चलती रहेंगी लेकिन इन्हें क्षेत्रों में बांट दिया है । जैसे पूर्वांचल में बौद्ध परिपथ बहुत दिन से इसकी चर्चा है । पहला फेज पूरा हो गया है, बाकी का अभी बाकी है । इसी तरह से नोएडा ताज नगरी के लिये औद्योगिक क्षेत्र है, नया शहर भी है, वहां पर बहुत बड़ी योजना चल रही है । इस योजना के पूरा होने पर ताज जाने वालों की संख्या बहुत बढ़ जायेगी ।

तीसरा हमारे भक्ति और श्रद्धा उन जगहों पर बहुत है, जहां पर भगवान का स्थान है, सब वहीं से निकले हैं । जाने कैसे आप लोग भ्रमित हो गये, कृष्ण के ही सखा संबंधी हैं, उसी ब्रज के लिये अलग से योजना बन रही है ।

(इस समय 7 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, ब्रज के लिए एक नई योजना बन रही है कि जो चौरासी कोसी परिक्रमा है, उसकी सड़क बना दी जाय। हजारों पर्यटक वहां श्रद्धावश जाते हैं, पैदल चलते हैं, उनके पैर छिल जाते हैं, मान्यवर, इस बार वह सड़क बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं और यह भी सही है कि पर्यटन के अलावा भी अगर कहीं से संसाधन उसमें लग सकते हैं, तो जो भी अधूरा काम होगा उसे पूरा किया जा सकता है। मान्यवर, गोकुल, वृन्दावन, मथुरा यह सब क्षेत्र उसमें आते हैं।

श्री अवधेश प्रसाद–

वहां बरसाना भी है, मान्यवर,।

श्री लालजी टण्डन–

बरसाने में तो लाठियां चलती हैं, वहां तो लठ्ठामार होली खेली जाती है, आप तो लठ्ठ खा लेगें, लेकिन हम नहीं खा पायेंगे। उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल अलग होने पर बहुत लोगों ने चिन्ता व्यक्त की उत्तरांचल बनने के बाद हमारे पर्यटन स्थल खत्म हो जायेंगे, ऐसी आशंका लोगों ने जताई, लेकिन यह गलत है। मैं मानता हूं कि केवल दो प्रतिशत पर्यटन स्थल उत्तरांचल गए हैं और 98 प्रतिशत पर्यटन स्थल उत्तर प्रदेश में है। जिस दिन गढ़मुक्तेश्वर बन जायेगा तब देखना कितने पर्यटक वहां आते हैं। जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, उस समय भी मैं इस विभाग का मंत्री था तब वहां पहली बार यह व्यवस्था की गई थी कि हर बार वहां पुल बनाये जाने के और तोड़े जाने से, इससे पैसा बरबाद होता था, मैंने कहा जब वहां आवश्यकता है पांच पुल की तो स्थाई बना दिए जाय। इसी तरह से मैंने हरिद्वार में हरि की पौड़ी के बारे में कहा कि हरि की पौड़ी से लगाकर दोनों तरफ जितने घाट बन सकते हैं, बनायें और आज वह इतना सुन्दर हो गया है कि लाखों लोग वहां पिकनिक मनाने जाते हैं, इसी तरह जब गढ़मुक्तेश्वर विकसित होगा तो लाखों लोग जायेंगे, जिससे वहां का पूरा कलचर चेन्ज हो जाएगा। मैं यह सिर्फ कपोल-कल्पित योजनाएं नहीं बना रहा हूं बल्कि शीघ्रातिशीघ्र यह योजना आरम्भ हो जाएगी।

मान्यवर, हमारा एक अवध क्षेत्र है, लखनऊ भी उसमें आता है, यह हमारे पुरातत्व धरोहर से भरा हुआ है। इन पुरातात्विक स्थलों को सारी दुनिया के लोग देखने के लिए आते हैं यहां पर जो इस प्रकार के दर्शनीय स्थल हैं, उनका भी विकास किया जाएगा। मान्यवर, इस तरह से यह पर्यटन के कुछ स्थल हैं, जहां पर ध्यान देने के बाद हमारे जो सामाजिक समरसता के केन्द्र हैं जैसे बगल में देवां और महादेवा। आप दोनों शब्दों को देखें तो इसमें कुछ समरसता दिखेगी। जो देवा शरीफ जहां पर सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार है और आगे चलकर वहां पर शिव का मंदिर है महादेवा। तो यही हालत वहां होगी गढ़ मुक्तेश्वर में, तो यह हमारे सूब हैं जहां धार्मिक समरसता पैदा होती है, एक दूसरे के लिए आदर पैदा होता है कितने अल्प संख्यक लोग हैं जो कि महादेवा जाते हैं और तमाम हिन्दू लोग देवां में जियारत करने के लिए जाते हैं। तो यह हमारी संस्कृति है इसको बचाने के लिए पर्यटन एक महत्वपूर्ण पहलू है। सिंचाई विभाग, पेयजल के बारे में मैंने कहा था, पहले जब मैं इस विभाग का मंत्री हुआ था उस समय 156 नगर पालिकायें ऐसी थे जहां पर पाइप सप्लाई नहीं थी। आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि मात्र दो तीन स्थान रह गये हैं जहां कुछ जमीन का विवाद है या फिर पानी खारी मिल रही है उसके कारण इन दो को छोड़कर सारे शहरों में पाइप सप्लाई हो गयी है। कितना पानी चाहिए तथा कितना मिल रहा है यह बात अलग है, यह विकास की बात है लेकिन बुनियाद हर जगह रख डाल दी गयी, सभी जगह व्यवस्था हो गयी, उसकी शक्ति बढ़ जाय, पानी का जनरेशन होने लगे, ज्यादा लोगों को लाभ मिले, पर कैपिटा जल सम्पूर्ति का मानक बढ़ जाय। भारत सरकार का जो मानक है उससे

ज्यादा मिले। प्रदेश में आज सारी नीतियां चल रही हैं और मैं उन स्वायत्तशासी संस्थाओं की उपयोगिता अस्तित्व बचाये रखने के लिए, सरकार पर उनकी निर्भरता कम करने के लिए सबसे ज्यादा जोर दे रहा हूं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रदेश की सबसे ज्यादा कर्जदार डेवलपमेंट अथारिटी थी वह गाजियाबाद है। आज यह कहते हुए खुशी हो रही है कि वहां वन टाइम सेटिलमेण्ट करके "हुडको" और सारी एजेन्सीज से 140 करोड़ रुपया देकर जितने पुराने कर्ज है वह रोक दिया जाये, बण्ड ईशू करना था वह नहीं हो पाया। वन टाइम सेटिलमेण्ट की योजना बनायी गयी है। पहले हमारा विभाग भी परेशान होता था और आम जनता भी परेशान होती थी अगर किसी ने एक प्लाट खरीद लिया और बीच में दो-चार किश्तें मिस हो गयी या बाद में दे रहे हैं, उससे ज्यादा अव्यवस्था हो रही है और अन्तिम बिल जो आता है वह दो लाख, चार लाख का आता है। एक नई योजना शुरु की है जो पैसा फंसा है वह निकाल ले, जो लोग परेशान हैं, उनकी परेशानी खत्म हो जाये इसीलिए वन टाइम सेटिलमेंट की योजना शुरु की गयी है। कोई भी ऐसे लोग जिनके पास किसी भी अथारिटी का पैसा बाकी है। तो वह पूरा पैसा जमा कर दे तो मामूली ब्याज पड़ेगा। कम्पाउण्ड और पैनेल ब्याज दोनों माफ हो जायेंगे। जहां पर भी कार्य हो रहा है वहां पर अगर लोगों को पैसा देने में कठिनाई है तो बैंक और एल०आई०सी० के काउन्टर लगे हुए हैं वह पुरानी सम्पत्ति के अगेन्स्ट पैसा ले करके एक मुश्त जमा कर सकते हैं और फिर अपनी सुविधा के अनुसार उस संस्था को किस्तों में सलाना या तिमाही जैसा हो भुगतान कर सकते हैं और इस जंजाल से छुटकारा पा सकते हैं। सारे प्रदेश में त्वरित गति से विकास करने की कल्पना कर रहे हैं उसके लिए इन संस्थाओं के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि होगी वन टाइम कम्पाउडिंग या सरल शमन योजना बनाई गयी है। बड़ी-बड़ी अट्टालिकायें किसने बनवाई यह एक पहेली बनी रहेगी उसे न तोड़ा जा सकता है न छोड़ा जा सकता है तो हमने इनके शमन की योजना शुरू कर दी है। जो इतना ज्यादा गलत कर लिया है किसी भी नियम के अन्तर्गत समाप्त नहीं किया जा सकता है उतना पोर्शन छोड़कर बाकी की कम्पाउंडिंग कर दी जाय और मैं समझता हूं कि सौ करोड़ रुपये इससे इकट्ठा होगा। इससे न जाने कितने को परेशानी से मुक्ति मिलेगी। इस तरह की योजनायें बनाकर आमदनी को बढ़ाने का काम हो रहा है। लगभग 300 करोड़ रुपये इस वर्ष आवास विकास ने पहली बार कमायें हैं वरना हर बार घाटा होता था। सरकार का यह जो पैसा जनरेट हो रहा है इसको विकास में लगना चाहिये। शहरों में जो अवैध कब्जे हैं उनको हटाने के लिये एक सघन अभियान चलायेंगे जिसमें आप सबके सहयोग की जरूरत है। अगर वह सारे कब्जे हटाकर जमीनें वापस हो जायं तो मैं समझता हूं कि 10 वर्ष तक विकास के लिये एक पैसे की जरूरत अलग से नहीं होगी। मैं मानता हूं कि मूलभूत सुविधायें अभी नहीं मिल पायी हैं। जो सफाई का स्टैण्डर्ड होना चाहिये वह नहीं है। अगर आप देखें तो प्रति व्यक्ति जितना खर्च हो रहा है और जितना मिल रहा है सभी संसाधनों से, उसमें करीब 3 गुने का अंतर है। अगर हम अपने रिर्सोसेज को बढ़ायें, भ्रष्टाचार को हटाकर अच्छी तरह से काम करें और जो पैसा हमारा डूब रहा है उसको वसूल कर लें तो हमें दिक्कत नहीं होगी। हमारी कल्पना है, भारत सरकार की बहुत सी ऐसी कम्पनियां हैं, उन्होंने कारपोरेशन बना रखा है जो अवस्थापना सुविधाओं के लिये बहुत सस्ते ब्याज पर पैसे देते हैं।

मान्यवर, हम अपने विभाग के अंदर एक कारपोरेशन बनाने जा रहे हैं जिसमें सब जगह से पैसा एकत्रित करेंगे जिससे शहरों का विकास होगा और सबको मकान की सुविधा मिल सकेगी। मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि इसमें आपके पूरा सहयोग की आवश्यकता है। इसी के साथ मैं अपना यह बजट प्रस्तुत करता हूं।

मान्यवर, इसी के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछली बार मैंने विधायकों के लिये कहा था। हम उनको कोई सब्सिडी नहीं दे सकते हैं लेकिन भूमि या भवन में प्रायरिटी दे सकते हैं। इस संबंध में जितने माननीय सदस्यों ने कहा था, मकान बनवाने के लिये उनको मकान बनवाकर दिया है। जो बिल्डिंग ऐशबाग में थी अगर आप लोग कहते तो सबको एक साथ मकान दिया जा सकता था और बाकी हिस्सा हाउसिंग बोर्ड को बेचना न पड़ता, सबको एक जगह बहुत सुन्दर, सस्ते फ्लैट मिल जाते। मान्यवर, विधायक आवास समिति बनी है। चौधरी साहब उसके उपाध्यक्ष हैं। मैं चाहूंगा कि उसको पुनर्गठित कर लें और सबकी रिक्वायरमेंट ले लें। अगर सब लोग एक जगह मकान बनवाने को कहते हैं तो आप सब लोग जगह देख ले, तय कर ले हम बनवा देंगे। जितना पैसा है वह दे दें, बाकी बैंक से दिलाकर आसान किश्तों पर आप अदा करते रहें। जो सुविधा आम नागरिक को मिलती है उसको विधायक को भी मिलना चाहिये। हम अधिक सुविधा नहीं दे सकते हैं तो कम से कम प्राथमिकता तो दे ही सकते हैं। सदन के सदस्यों के पास मकान न हो मैं इसको स्वस्थ्य परम्परा नहीं मानता। मैं इसमें पाखंड या फेवर नहीं मानता क्योंकि इतना तो हक हमारे विधायकों का है। लखनऊ, राजधानी है, कोई विधायक रहे या न रहे लेकिन उसको यहां आना होता है, उसको अपने लिये स्थान चाहिये। इसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं।

* श्री विवेक बंसल–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या- 02 आवास विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। अध्यक्ष महोदय, यह मेरा सौभाग्य है और यह लोकतांत्रिक प्रणाली की खासियत है कि मैं पहली बार इस सम्मानित विधान सभा में आया हूं और मुझे कटौती प्रस्तुत करने का मौका दिया जा रहा है। आदिकाल से नगर विकास का अपना महत्व रहा है। चाहे हड़प्पा का जमाना हो, सिन्धु घाटी की बात रही हो, मौर्य काल की बात हो नगर विकास का अपना महत्व रहा है। किसी भी सभ्यता का आंकलन वहां की सड़कों, वहां के आवास आदि से होता है। पुरातत्व विभाग उससे इसका आंकलन करता है। नगर विकास विभाग और आवास विभाग द्वारा जो वार्षिक कार्य-कलापों की रिपोर्ट व बजट की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अगर यह कहा जाए कि यह वायदों और आकर्षक स्कीमों का पुलिन्दा है तो अतिशयोक्ति न होगी। नगर विकास मंत्री को इस विभाग से बड़ा लगाव है, 6-7 वर्षों से वह इस विभाग में रहे हैं। वरिष्ठ नेता हैं अपने आप में वह कहानी है। वह यह खुद ही जानते होंगे। मंत्री जी ने अभी बताया कि क्या-क्या स्कीमें इन्होंने आने वाले वर्षों के लिए भविष्य के लिए, हम लोगों के लिए, जनता के लिए समायोजित अपने बजट में की है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। हाउसिंग स्कीम जो चल रही है 1999-2000 में इस स्कीम को चलाया गया था गरीब लोगों के लिए जिसमें वह प्रतिदिन 10-15-20 रुपए देकर उन्हें घर मुहैया कराने की बात कही गई थी। यह अपने आप में बहुत आकर्षक है मैं जानना चाहता हूं कि 1999 से अब तक कितने लोगों को घर मुहैया कराया गया। यहां सदन में आंकड़े प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। लेकिन वास्तविकता दूसरी है। मैं अलीगढ़ जहां से चुनकर आया हूं वहां इस तरह से एक भी मकान लोगों को इस तरह की स्कीम में नहीं दिए गए हैं। एक तरफ बात की जाती है लोगों की, गरीब जनता की, दूसरी तरफ उनको मकान नहीं दिए जा रहे हैं। मैं गृहकर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहता हूं। 25 जुलाई को दैनिक जागरण में लेख निकला था उसमें यह दिया गया था कि जो गृह कर लगेगा वह मकान के सामने सड़क की चौड़ाई देखकर व कई चीजों को देखकर लगेगा। इससे 283 प्रतिशत की उसमें वृद्धि होगी। अलीगढ़ की जनता में इसको लेकर असंतोष है। इस बात की बार-बार दुहाई दी जा रही है। सौभाग्य से नेता सदन भी इस समय हमारे बीच में हैं। इसे भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि यह गृहकर नियमों के अनुकूल नहीं है। जो रिटायर आदमी हैं जो वृद्ध हैं जो अपना मकान किराए पर नहीं देना चाहता है वह कैसे गृहकर देगा। नगर विकास का कार्य है कि लोगों को मकान मुहैया कराए, अच्छी फैसिलिटी मुहैया कराए, यह राजस्व विभाग नहीं है। यह मानदण्ड हमें तय करना होगा। हमें मानवीय दृष्टिकोण अपनाना होगा। तभी आदर्श नगर विकास मंत्रालय की बात हो सकती है। अलीगढ़ में एक विक्रम कालोनी मोहल्ला है। वार्ड नम्बर–3 वहां आता है। आज तक वहां ड्रेनेज फैसिलिटी नहीं है लेकिन ड्रेनेज कर दिया जा रहा है, सीवर फैसिलिटी नहीं है। उसमें यह है कि ड्रेनेज टैक्स तब लिया जायेगा जब सुपर फैसिलिटी प्रोवाईड करेंगे। वहां सीवर फैसिलिटी प्रोवाइडेड नहीं है दूसरी बात मैं आज आवास से जुड़ी हुई जनता के कल्याण से जुड़ी हुई और खास तौर से नेता सदन की तरफ मुखातिब होकर जो जन-कल्याण की सरकार है से कहना चाहता हूं कि हमको यह देखना होगा कि किस तरीके का पानी जनता को मुहैया हो रहा है। वहां पर वाटर टैक्स कितना गुना बढ़ा दिया है। 10 रुपये का 100 रुपये कर दिया है। अलीगढ़ अपने आप में कोई ऐसा अकेला शहर नहीं होगा और जगह भी उसकी पुनरावृत्ति जरूर होगी। गृहकर जो लगाया है वह गाजियाबाद बरेली से भी ज्यादा है। क्या अलीगढ़ जनपद इन शहरों से बड़ा है ? मैं यह पूछना चाहता हूं। दूसरी तरफ आपने यह पढ़ा होगा सत्ताइस तारीख के टाइम्स आफ इण्डिया में यह लेख आया था उसमें बताया गया था कि किस तरीके से पानी प्रदूषित हो रहा है। अलीगढ़ के बारे में लेख था। माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि 60 शहरों में से कितने शहरों में वाटर ट्रिटमेंट प्लाण्ट लगाये हैं।

आज कितना प्रदूषित पानी नलों में नालियों का जा रहा है। आज 5 लाख बच्चे प्रति वर्ष पानी की बीमारी, डायरिया से मर रहे हैं। आज 90 परसेन्ट लोग एमोनियोसिस के शिकार हैं। आज जो बच्चे डायरिया से मर रहे हैं, क्या इस जनकल्याणकारी सरकार का दायित्व नहीं बनता कि उनको मुआवजा दें ? उनके परिवार के लोगों को कुछ राहत पहुंचाएं। मान्यवर, मैं यह बताना चाहूंगा कि पोलियो जैसी जो पानी की बीमारियां पूरे प्रदेश में फैल रही है। पोलियो, जिसका नाम आज नहीं लिया जाता है। उत्तर प्रदेश से बाहर विषय में वह आज उत्तर प्रदेश में आकर सिमट गया है। बच्चे विकलांग हो रहे हैं। वह विकलांग बच्चे इस जन कल्याणकारी सरकार की खिल्ली उड़ा रहे हैं। यह प्रदेश सरकार का दायित्व नहीं बनता कि उनकी शिक्षा का, उनकी जिन्दगी की जिम्मेदारी प्रदेश शासन ले। हमारे नगर विकास मंत्री जी का मैंने एक वक्तव्य पढ़ा था जनवरी 2001 में। उन्होंने कहा था कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, साधनों की कमी नहीं है लेकिन वजह यह है कि डिफरेन्ट एजेन्सीज हैं जो इस कार्य को अंजाम दे रही हैं। इसके कोओर्डिनेशन के लिये एक टास्क फोर्स बनाया। लेकिन आपके अधिकारियों की सांठ-गांठ हो गई और वह एक उद्योग की तरह पनप रहा है। मैं उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं। इलाहाबाद आपकी नगरी है, उसका एक स्थान है। हम हिन्दुस्तानियों और भारत के बहुसंख्यक समाज के लिए वह धार्मिक स्थान है वहां सिविल लाइन्स इतनी खूबसूरत है। वहां जिस तरीके के मल्टी स्टोरीज इमारतें सड़क के किनारे आ गई, इल लीगल हैं। आपने सरल समन योजना बनाई। उससे आपने माफियाओं को जरूर राहत दे दी। लेकिन आम जनता को जो प्रदूषण दे दिया। जिस तरह से बिल्डिंग वहां आ रही हैं और प्रमोद तिवारी जी ने भी इस सिलसिले में एक चिट्ठी लिखी थी, क्या उस पर कोई

ठोस कदम उठाने जा रहे हैं ? दूसरी तरफ मान्यवर, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में 621 स्थानीय निकाय इकाइयां हैं उसमें से 523 में सीवर सिस्टम नहीं है । जो मकान हैं 43 लाख 16 हजार कुछ हैं जिनमें 14 लाख कुछ मकानों में (टायलेट) फैसिलिटी नहीं है । आज जब हम लोग खासतौर से कहा जाता है कि कल्याणकारी सरकार है, जनकल्याण के लिए आयी है आपने पाबन्दी लगा दी है । मलमूत्र उठाने वालों पर । गरीबों की बात करने वाली सरकार ने उनके लिये कभी सोचा ? रिक्शा चालकों के लिए रैन बसेरे के बारे में सोचा ? कितने शहरों में आपने बनवाये । अलीगढ़ में शाजमाल के पास अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के द्वारा कालोनी बनायी गई हैं उसमें मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं । आये दिन कहा जाता है कि वह उस जगह को खाली कर दें । कानून कहता है कि एक दिन भी कोई आपके मकान में बस जाता है आप कहते हैं कि आप कानून से स्टे लाइये । लेकिन उन बेचारे मजदूरों को रोज धमकाया जाता है क्या आपने उनके लिए कुछ सोचा । मुझे कटौती पेश करने का आज मौका मिला है लेकिन पहले जब कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ था 1999 में, तब इस बात को दोहराया गया था कि विकास प्राधिकरण में जनप्रतिनिधि को भी सदस्य बनाया जाना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को विकास प्राधिकरण का सदस्य क्यों नहीं बनाया जाता है , नगर निगम का सदस्य क्यों नहीं बनाया जाता है । मान्यवर, एक सभासद का कोटा होता है उसको सुना जाता है । लेकिन जनप्रतिनिधि को नहीं सुना जाता है ।

(मेंजे थपथपाई गई)

अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने लगभग ढ़ाई करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया है अगर जनप्रतिनिधि उसका सदस्य हो तो वह उसको देखे भ्रष्टाचार व्याप्त है अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से पनप रहा है, सभी विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार पनप रहा है । मेरा नगर विकास मंत्री जी से निवेदन है, मैं उनसे करबद्ध निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि जनप्रतिनिधि को जो आपकी डेवलपमेंट अथारिटी हैं उसका मेम्बर बनायें । इसी तरह से मान्यवर, डूडा और सूडा है । डूडा का काम बहुत खराब है, आप सर्वे टीम भेज दें वह देखें कि वहां क्या हो रहा है । इसी तरह से बाबा साहब के नाम पर जो मकान बनाने की स्कीम है डेढ़ सौ, ढाई सौ मकान देने का काम किया है वह बहुत खराब बने हैं लोग क्यों सरकारी लोगों से मकान बनवाना नहीं चाहते हैं क्यों प्राइवेट बिल्डर्स की ओर भागते हैं कभी इस पर आपने ध्यान दिया है । क्या आपने कोई सेण्ट्रल मानीटरिंग टीम बनाई कि वह इसका सर्वे करे कितने लोगों को आपने दंडित किया । आपने कहा था कि जो सरकारी अधिकारी भू-माफिया के साथ मिलकर कब्जा कर रहे हैं उनको दंडित करेंगे आपने कितने अधिकारियों को दंडित किया । सदन दस-बीस दिन चलता है तब हम यहां पर अपने विचार रखते हैं, अपनी समस्यायें रखते हैं आप लोगों का आश्वासन मिलता है, योजनाओं का अम्बार लगा हुआ है अलीगढ़ में कई योजनायें है, आपने कहा था लखनऊ को स्मार्टसिटी बनायेंगे, मान्यवर 1 जनवरी, 2001 को यह भाषण दिया गया था, आप इसको अन्यथा न लें दिल की वेदना है, सम्मानित सदन में मांग रखने का मौका मिला है हमारे सुझाव पर एक कन्स्ट्रक्टिव सोच बने ....

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ गई है ।

श्री विवेक बंसल–

कहीं ऐसा न हो कि क्षेत्र की जनता सोचे कि हमने ऐसे व्यक्ति को कद्दावर समझा जिससे आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला और इसके साथ ही मैं एक चीज संज्ञान में लाना चाहूंगा कि कुछ तहसीलों में जहां तहसील बन गयी हैं नगरपालिकाएं नहीं बनी है । आज टीचर्स-डे है । नगर निगम के स्कूलों में, मैं गुड़िया बाग और नागला मगला जो हमारे क्षेत्र का है, का उदाहरण देना चाहूंगा । लोग मुझसे बताते हैं कि वहां स्कूल जर्जर स्थिति में है विधायक निधि से पैसा कटा दें । तो क्यों नहीं उनको ठीक कराया जाता है । जो शोषित वर्ग है उसे सुविधा देनी चाहिए जिससे सम्पन्न लोगों के साथ वह कम्पीटीशन कर सके । अंत में मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और अपने भाइयों से कटौती के प्रस्ताव का समर्थन चाहूंगा ।

श्री अरविन्द गिरि–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, माननीय नगर विकास मंत्री जी के बजट भाषण को पूरा सदन बड़े ध्यान से सुन रहा था । दुःख का विषय है कि नगर विकास मंत्री के रूप में माननीय मंत्री टण्डन जी को जाना जाता है । लेकिन उनका भाषण आवास और पर्यटन की चक्की में ऐसा पिस गया कि नगर विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर उनका भाषण चन्द शब्दों में सिमटकर रह गया है । मान्यवर, मैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि में जाना चाहूंगा । वैज्ञानिक दृष्टि

(समय रात्रि के 8 बजकर 02 मिनट)

से पृथ्वी 48 अरब वर्ष पुरानी है । इस पर जीव की उत्पत्ति लगभग 38 अरब वर्ष पुरानी मानी जाती है । जो सबसे पहले इस धरती पर जीव की उत्पत्ति हुई थी वह 72 करोड़ वर्ष तक परिवर्तित नहीं हुई । लगभग साढ़े तीन करोड़ से दो करोड़ पूर्व की अवधि में तीन चार फुट ऊंचा एक कपि समूह बाहर निकलकर आया था । जंगल की सीमा में मंडराते रहने के कारण मैदानी जीवन के लिए अनुकूलित हो गये यह कपि कालान्तर में हाथों के मुक्त प्रयोग, अर्ध उत्तान मुद्रा में चलने और उपकरण के प्रयोग में निपुण होते गये । इस प्रकार आरम्भिक अत्यन्त नूतन काल में विश्व के अनेक भागों में विकसित मानव जाति का आविर्भाव हुआ । "हाथ की मस्तिष्क की सहायता" एक ऐसी शक्ति थी जिसने 10 लाख वर्षों से भी कम समय में मानव को चारा चुनने वाले कपि से चन्द्रमा की यात्रा करने वाले मनुष्य में परिणित कर दिया । सभ्य होने की धीमी किन्तु अनवरत चलने वाली इस प्रक्रिया में समूहों में रहने वाली मानव जाति को सुविधा युक्त आवासों की आवश्यकता अनुभव हुई । गिरिखोह, कन्दराओं, गुफाओं से आगे बढ़कर मनुष्य ने मिट्टी के मकानों का निर्माण शुरु किया । धीरे-धीरे कच्ची तथा पक्की ईंटो का प्रयोग करके मानव ने सुविधा युक्त आवासों वाली मानव बस्तियों में रहना प्रारम्भ कर दिया । ईसा से लगभग 6000 वर्ष पूर्व से आगे क्रमशः विकासशील गताम्य अर्थ व्यवस्था का निरन्तर अनुक्रम देखने में आता है । इस प्रकार हम देखते हैं कि 8000 ईसा पूर्व में ही मानव ने ऐसे घर और चूल्हे बना लिये थे जैसे मध्य प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार का औसत ग्राम वासी आज भी बनाता है । कहा जाता है कि जब आर्य आये तो उन्होंने भारतवर्ष में "सप्तसिन्धु" अर्थात् आधुनिक पंजाब में बस्तियां बनाई । नगरीकरण की युगान्तर-कारी प्रक्रिया भी उत्तर पूर्व भारत से ही प्रारम्भ हुई । हड़प्पा, मोहन जोदड़ों और सिन्धु घाटी

सभ्यता से पहले भी विकसित नगरों का प्रमाण मिलता है। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि ईसा पूर्व 600 से लेकर 300 के बीच देश भर में लगभग 60 नगरों का अस्तित्व मिलता है। पाली ग्रंथों से उस समय मध्य गंगा घाटी में अनेक बड़े नगरों का वर्णन प्राप्त होता है जिनमें चंपा, राजगृह, वैशाली, वाराणसी, कौशाम्बी कुशीनगर, श्रावस्ती तथा पाटलिपुत्र विशेष महत्वपूर्ण हैं। मान्यवर, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि वैदिक काल में ब्रह्मर्षि देश तथा प्राचीन काल में मध्य देश और हिन्दुस्तान कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश का इतिहास अत्यन्त प्राचीन रहा है। हिन्दू कथा और किवदन्ती साहित्य में जितने भी महान व्यक्ति व देवता हैं सभी यहीं हुए हैं। रामायण, महाभारत यहीं के लोगों की कथा है। यहीं के आर्य सुसंस्कृत व्यवहारकुशल और आदर्श माने गये हैं। सम्भवतः इसीलिए उत्तर प्रदेश को आर्यावर्त भी कहा जाता रहा है। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलियुग आदि प्रत्येक युग में सुविधा सम्पन्न, वैभवयुक्त और विलक्षण भवनों से भरे समृद्धशाली नगरों का उल्लेख मिलता है। अधिकांश का अस्तित्व आज भी होने से जिनकी प्रामाणिकता स्वयं सिद्ध है। उज्जैन, मथुरा, इन्द्रप्रस्थ, हस्तिनापुर तथा काशी, प्रयाग, अयोध्या आदि अनेक नगरों का विशद वर्णन तत्कालीन ग्रन्थों में मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास ने राम चरित मानस में, वेद व्यास ने महाभारत में तथा महर्षि बाल्मीकी ने रामायण में इन नगरों के अपूर्व सौंदर्य का विशद वर्णन किया है। गोस्वामी जी ने साकेत और जनकपुरी की सुन्दरता का वर्णन करते हुए कहा है–"अवधपुरी सोहइ एही भांती, प्रभुहि मिलन आई जनु जाती। अथवा पुर सोभा कहु वरिन न जाई, बाहेर नगर परम रूचिराई। देखत पुरी अखिल अध भागा, वन उपवन बाटिका तड़ागा। "और" अन्ततः बनइ न बरनत नगर है निकाई" कह कर नगर सौंदर्य के वर्णन में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह सभी प्राचीन नगर सुविधा और भव्यता की दृष्टि से आज के अत्याधुनिक नगरों से किसी भांति कम नहीं होते थे। समुद्र के गर्त में समाई द्वारिका पुरी के स्वर्ग सदृश आलौकिक सौंदर्य का वर्णन हमें आज भी चमत्कृत कर देता है।

मान्यवर, भारत वर्ष में राजवंशों ने नगरों की व्यवस्था और वैभव में श्रीवृद्धि की, विक्रमादित्य प्रथम, चन्द्रगुप्त मौर्य व सम्राट अशोक तथा मुगल शासन काल में अकबर, जहांगीर आदि ने प्रजा के हितों और नागरिकों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया। अन्ततः लम्बे समय के पश्चात अंग्रेजों के शासन काल में सन् 1837 में जब पूरे देश में भयंकर प्लेग फैला तब म्यूनिसिपल ऐक्ट बना। लगभग 100 वर्ष बीत जाने के बाद सन् 1935 में भारत सरकार अधिनियम से शनैः-शनैः बदलती परिस्थितियों के बाद अन्ततः नगरों की व्यवस्था स्वायत्तशासी संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में आई। मान्यवर, लोकतान्त्रिक मूल्यों की स्थापना में इन स्वायत्तशासी संस्थाओं का विशेष स्थान रहा है। स्वाधीन भारत के प्रायः सभी महान राष्ट्र-नायकों ने इनकी महत्ता को न सिर्फ स्वीकारा है बल्कि पं० मोतीलाल नेहरू, पं० जवाहर लाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री सरीखे राष्ट्र निर्माताओं ने अपने राजनैतिक जीवन की शुरूआत भी इन्हीं के माध्यम से की। तभी तो महामहिम राज्यपाल श्री एस०के० सिन्हा ने कहा था कि यह संस्थाएं भावी संसद हैं जो जन-प्रतिनिधियों के प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्र होती हैं। अमेरिका के सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रपति अब्राहिम लिंकन ने भी ऐसी संस्थाओं को नागरिकों को, नागरिकों के द्वारा, और नागरिकों के लिए कहकर इनकी महत्ता पर प्रकाश डाला। इन स्वायत्तशासी संस्थाओं को स्वावलम्बी बनाने, अपने पैरों पर खड़ा करने की आवश्यकता है। मान्यवर, एक खबर 'भविष्य के शहरों में झांकने का बेहतर प्रयास' पढ़ कर अच्छा लगा, किन्तु मान्यवर, जो सपना मिश्रा जी की 'एक्वेस्ट फार ड्रीम सिटीज' से देखा है। मान्यवर, आपने इस पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी महामहिम राज्यपाल जी ने उस पुस्तक का विमोचन किया था। माननीय मिश्रा जी की पुस्तक "एक्वेस्ट फार ड्रीम सिटीज" को बहुत प्रयास के बाद भी पढ़ने का अवसर नहीं मिला। मान्यवर, उस पुस्तक के बारे में आपने और

महामहिम जी ने अपने विचार व्यक्त किये है । मान्यवर, श्री मिश्रा जी ने जो कल्पना की है नगरों की व्यवस्था को लेकर पूरे प्रदेश में वह कैसे पूरी होगी । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें हम किसी ड्रीम सिटी की कल्पना कैसे कर सकते है ? हमने देखा है प्रदेश की 25% जनता ने देखा है, वह सपना यह बजट पूरा नहीं करता । जो हमारे अधिकारियों ने देखा है । मान्यवर, हमारे 623 निकाय हैं और जो भू-भाग क्षेत्रफल है वह 5129.29 वर्ग किमी० है तो इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल है और उस पर लगभग 3 करोड़ 91 लाख, 35 हजार जनसंख्या है जो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 20 प्रतिशत है और 8504 कर्मचारियों का निकाय परिवार है । इन्हीं निकायों में है । मान्यवर, जो टण्डन जी ने बजट प्रस्तुत किया है, उससे जो मिश्रा जी की कल्पना है, जो आपकी कल्पना है, जो महामहिम की सोच है वह कल्पना, वह सोच वह सपना कैसे पूरा होगा ? मान्यवर, 97-98 में 440.83 करोड़ का प्राविधान था, 1998-99 में 537.33 करोड़ 99-2000 में 573.75 करोड़ और 2000-01 में 622.15 करोड़ व्यवस्था थी । 2001-02 में 668 करोड़ और इस बार 686 करोड़ रुपये की व्यवस्था है । मान्यवर, इस 6 महीने के अन्दर अभी तक मात्र 257 करोड़ रुपये का धन अवमुक्त किया गया है । मान्यवर, जहाँ इतनी सारी समस्यायें मुँह बाये खड़ी हैं तो कैसे सोच लिया जाये कि इस बजट के माध्यम से हम ड्रीम सिटीज का सपना पूरा कर सकते हैं ?

मान्यवर, जो भी इस बजट के अन्दर स्वायत्तशासी संस्थाओं के साथ विश्वासघात किया गया है वह अकल्पनीय है । मान्यवर, 2000-01 की तुलना में हमारे अगले वर्ष जो कटौती की जा रही है वह धोखा है । मान्यवर, यह जो बजट भाषण है कहीं भी जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाला नहीं है । मान्यवर, टण्डन जी ने नगर विकास के सम्बन्ध में विभिन्न मंचों से कई-कई-घोषणायें की हैं चाहे वह प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विकास से सम्बन्धित हों ग्यारह शहरों में 7.5 अरब रुपये खर्च होने की बात हो, 6 अरब की लागत से दो और सम्बबैल लखनऊ में बनाने की बात हो । ग्यारह प्रमुख नगरों में कूड़ा निस्तारण योजना की घोषणा की गयी हो मान्यवर, यह कुछ उदाहरण हैं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी की जो घोषणायें हैं उन्होंने अपने आपको सिर्फ नगर निगम तक में सीमित कर लिया है हो सकता है वो इसलिए कि उन्होंने नगर निगम से ही अपनी राजनैतिक जीवन की यात्रा शुरू की है । मान्यवर, नगर निगम 11 हैं । आपकी कार्य--पद्धति, आपकी सोच वहीं तक दिख रही है उसके अलावा भी आपकी 196 नगर पालिका परिषद् हैं, 417 नगर पंचायत हैं उनके सम्बन्ध में आपने केवल दो लाइन कह कर अपनी बात की इतिश्री कर ली । और फिर पर्यटन की ओर चले गये । मान्यवर, यह इतना महत्वपूर्ण विभाग है मान्यवर, जो आपके स्थानीय निकाय हैं उसके अलावा आपके नगर विकास का बहुत बड़ा परिवार है आपके परिवार में 85,404 सदस्य हैं जो आपके कर्मचारी हैं । इसमें 3,607 केन्द्रीयित कर्मचारी हैं और 81,797 अकेन्द्रीयत कर्मचारी हैं । आपका इतना बड़ा परिवार है लेकिन आपने इस बजट में उनके लिए कोई चिन्ता नहीं की है । जब आपका परिवार सुखपूर्वक नहीं होगा, आपको उनकी चिन्ता नहीं होगी तो आप उनसे क्या अपेक्षा करेंगे कि यह आपका परिवार नगर पालिकाओं से लेकर नगर पंचायतों से लेकर नगर निगमों तक जनता को बेहतर सुविधायें दे पायेगा और उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतर पायेगा । यह जो आपका परिवार है उसके सामने संकट है कैसे आगे चलकर उसका संकट दूर हो अगर दूर नहीं करेंगे तो वह इन नगर पंचायत, नगर निगमों में कैसे अच्छा काम कर सकेगा ? आपका सारा बजट नगर निगम के चारों तरफ घूमता रहता है उससे मुझे कोई गुरेज नहीं है वहां व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए और अच्छी व्यवस्था है लेकिन 611 जो पंचायतें हैं परिषदें है कभी उनकी तरफ आपका ध्यान जायेगा । कभी नगर पंचायतों या नगर परिषदों मे जाकर आप उन नागरिकों, कर्मचारियों का सुख-दुःख बांटने का काम करेंगे । वेतन बैंक से मिले, चतुर्थ व पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियां

निकाय कर्मियों पर लागू हों, निकाय कर्मियों व राज्य कर्मियों की सेवा निवृत्ति सम्बन्धी असमानताओं को दूर करके केन्द्रियत सेवा नियमावली के संशोधन दैनिक कर्मियों की नियुक्ति आदि समस्यायें जो आपके पास और विभाग हैं उनके कर्मचारियों व नगर निगम कर्मचारियों के मध्य विवाद क्यों हैं ? उनके साथ यह भेदभाव क्यों है उदाहरणार्थ दूसरे विभाग के जो बड़े बाबू वरिष्ठ लिपिक हैं और जो नगर विकास के बड़े बाबू और वरिष्ठ लिपिक हैं उनका वेतनमान है 3285-4900 और जो राज्य सरकार के वरिष्ठ लिपिक हैं उनका है 4000-6000 का वेतनमान दिया है, इस विसंगति को दूर करने की आवश्यकता है । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि स्वायत्तशासी संस्थाओं को आत्म-निर्भर बनाने का सपना देखा है तो यह सपना कैसे सच होगा । जो आप धन अवमुक्त करते हैं राज्य विद्युत आयोग की सिफारिशों को नहीं लागू करने के आदेश होने के बाद भी संस्तुति संख्या 33 व 35 जिसमें 94 तक दिये गये ऋण व उसके ब्याज को माफ करने और आपके द्वारा 31-3-97 को मांगें स्वीकृत करने के बाद भी मान्यवर, जो राज्य वित्त आयोग की संस्तुति आई हैं उसके अनुरूप काम नहीं हो रहा है शासन से अभी इस आशय का शासनादेश नहीं निर्गत हुआ है बल्कि उनकी अदायगी को लेकर पंचायतों, परिषदों के सामने जो शासनादेश जाता है अधिकारियों के पत्र जाते हैं उससे एक समस्या नगरपालिका परिषदों के सामने खड़ी होने का काम करती है । मुझे खुशी है कि ड्रीम सिटीज के आधार पर हम सब ऊपर ही काम करें लेकिन जो आपने हमने व जनता ने सपना देखा उसके हिसाब से कहना चाहता हूं कि प्रकाश व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, जलापूर्ति-जलोत्सारण की व्यवस्था या अन्य व्यवस्थाएं हैं उनको कैसे स्वायत्तशासी संस्थाएं पूरा कर पायेगी । प्रकाश के संबंध में कहना चाहता हूं कि बहुत पहले जब नगरों में विद्युतीकरण नहीं हुआ करता था उस समय लैम्प पोस्टों की व्यवस्था हुआ करती थी एक लैम्प लाइटर हुआ करते थे जो शाम को लैम्प जलाया और सुबह को बुझाया करते थे उनसे लोग संतोष कर लिया करते थे किन्तु विद्युतीकरण से नगर जगमगाये, रोशन रहे नगर निगमों को छोड़कर । 612 नगर निकायों की चिन्ता करनी पड़ेगी । आपकी प्रकाश की व्यवस्था समुचित व्यवस्था नहीं है । इसलिए यह कहना चाहता हूं कि आज पूरी तरह से विद्युत संकट के कारण जो नगर पालिकायें, परिषदें, पंचायतें हैं वह आज पूर्ण रूप से ऊर्जा विभाग पर आश्रित हो गयी हैं । महामहिम का अध्यादेश जारी हो गया था कि जिला मुख्यालयों को 16 घन्टे और तहसील स्तर पर 8 घन्टे बिजली आपूर्ति होगी । मान्यवर, 611 निकायों में से कम से कम 500 नगर पंचायतें और परिषदें हैं जो अंधेरे में हैं उन्हें 4-5-6 घन्टे बिजली मिल पा रही है उनकी श्रेणी गांव स्तर की कर दी गयी है लेकिन आपकी चिन्ता उन नागरिकों की तरफ नहीं गयी है जो विद्युत आपूर्ति, आपके नगरों में रहते हैं और उन्हें गांव का दर्जा दे दिया गया है ये सबसे पहली समस्या यह हो जाती है कि मोटर कैसे चालू होगा ? वहां पथ प्रकाश कैसे हो ? मोटर न चलने पर जल आपूर्ति कैसे होगी । जबकि जल आपूर्ति व पथ प्रकाश निकायों की प्राथमिकताएं हैं । यह सारी ऐसी मौलिक महत्वपूर्ण समस्याएं हैं । 612 नगर पंचायतों में रहने वाले हजारों हजार नागरिक प्रतिदिन परेशान होते हैं यह कैसी शासन प्रशासन की परम्परा होती जा रही है । कि कहीं किसी विभाग पर दूसरे विभाग का बकाया है तो उसको मिलने वाली अनुदान राशि से उस बकाये की पूर्ति प्रदेश स्तर पर ही कर दी जाती है । स्वायत्तशासी संस्थाओं के संबंध में हम कहना चाहते हैं कि पथ प्रकाश के अन्तर्गत मुझे दुःख है कि आपका ध्यान अभी तक इस ओर क्यों नहीं गया आपके अधिकारियों ने आपका ध्यान इस ओर क्यों नहीं दिलाया । नगर पालिकाएं और पंचायतें अपने लिए विद्युत का उपयोग नहीं करती बल्कि उपयोग सार्वजनिक हित के लिये करती हैं यह बहुत गंभीर समस्याएं हैं विद्युत नियामक आयोग को निर्देशित करें उनसे कहें कि नगरपालिकाएं और पंचायतों को आपूर्ति होने वाली विद्युत का मूल्य कामर्शियल न हो बल्कि घरेलू मूल्य से भी कम होना चाहिये । विद्युत विभाग से स्वायत्तशासी संस्थाओं का तालमेल नहीं है, कब बिजली

जलेगी, कहां तार लगेंगे, नगर परिषदों के पास इतनी व्यवस्था नहीं है और उनका सामंजस्य ऊर्जा विभाग से नहीं है । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह ऐसी मूलभूत समस्या है आपको ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को नगर विकास के अधिकारियों को बुलाकर एक बैठक करनी चाहिए । उनका संबंध केवल नगरों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि नगर पंचायतों तक जाना चाहिए, और संवादहीनता, आपसी असहयोग को समाप्त करना चाहिए । जो आपने अभी जल आपूर्ति के संबंध में कहा है । मेरे खयाल से एक-डेढ़ मिनट के अन्दर अपनी बात समाप्त कर दी है । कितनी विषम स्थिति है सूखे की स्थिति में पूरा प्रदेश है, नगरों की हालत खराब है चाहे वह झांसी आगरा मंडल के नगर हों उनकी स्थिति अत्यन्त दयनीय है । आपका जो साहित्य है, जलापूर्ति का है , वह 623 निकायों में जल-आपूर्ति नहीं कर सकता । आपने कहा कि सिर्फ दो निकाय रह गये हैं, जो आपकी जल आपूर्ति व्यवस्था है, जिसमें दर्शाया है जो पेयजल डिमांड है कि 55 नगरों में 25 प्रतिशत से कम उपलब्ध करा पा रहे हैं । 117 नगर ऐसे हैं जहां 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत उपलब्ध करा पा रहे हैं । इसी तरह से 175 नगरों को और दिखाया गया है । 75 प्रतिशत मांग के सापेक्ष हम ज्यादा जलापूर्ति कर रहे हैं । किताबों की व आपके इस साहित्य की बात हो सकती है । धरातल पर पंचायतों और परिषदों का आंकलन करेंगे जो जलापूर्ति है उसको देखेंगे तो निश्चित रूप से जिसने इसको लिखा है, शहरों को देखें तो जो विषम स्थिति जल आपूर्ति की है उसको देखकर शायद लिखने का दुस्साहस नहीं करता । जो आपने दर्शाया है जो आपने दिखाया है, आपने बड़े गर्व से कहा है कि दो ऐसी स्वायत्तशासी संस्थाएं रह गयी हैं जिनमें जलापूर्ति करनी है । कुल 621 निकायों में 20 वर्ष पहले जो पाइप लाइनें थीं वह इतनी जर्जर हैं कि जितने में हैं, उतने में ही जलापूर्ति नहीं कर पा रही हैं वहां लिकेज गन्दा पानी की कई ऐसी शिकायतें हैं जिनका आज स्वायत्तशासी संस्थाओं के सामने कोई जवाब नहीं है । इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो व्यवस्था है उसमें आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है, उसी के साथ जलापूर्ति एवं जलोत्सारण की भी बहुत बड़ी गम्भीर समस्या है । जिनसे कई तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं । जन-जीवन को खतरा उत्पन्न होता है ।

मा० मंत्री जी आपने अपने आपको नगर निगम तक ही सीमित कर लिया है, शायद ऐसा इसलिये भी हो सकता है क्योंकि आप सभासद रहे हैं और वहीं से राजनीतिक जीवन शुरू किया है । मगर अभी आपने 194 में से 33 में सीवरेज व्यवस्था की है और 418 नगर पंचायतों में से मात्र 2 में सीवरेज व्यवस्था की है । इसके अलावा जो शेष है उसमें इस बजट के माध्यम से आप कैसे पहुंचाने का काम करेंगे ? आपने 33 नगरों में सीवरेज व्यवस्था को जल निगम की जगह परिषद् को स्थानान्तरित करने की बात कही है, यह स्वायत्तशासी संस्थायें हैं, यह अपना भार वहन नहीं कर पा रही हैं, 20-20 करोड़ रुपये की एक-एक योजना है, यह कैसे इनकी व्यवस्था कर पायेंगी, वहां पर आप कोई पद सृजन की अनुमति नहीं देते हैं तो यह नगरपालिकायें इन भारी भरकम योजनाओं को कैसे निपट सकेंगी । लगभग 500 ऐसी स्वायत्तशासी संस्थायें होंगी जिनमें जलभराव की समस्या है । जिसके कारण बच्चे बीमार हो जाते हैं, अनेकों अनेक समस्यायें उत्पन्न होती हैं । इसलिये हम यह कहना चाहते हैं कि आपने जो साहित्य दिया है, उसके हिसाब से 2910 करोड़ की आवश्यकता होगी, बजट में तो यह कहीं दिखाई नहीं पड़ता । इसके अलावा 33 नगरों में जो व्यवस्था करनी है, उसकी परिकल्पना कैसे हो पायेगी ?

मान्यवर, सफाई व्यवस्था किसी भी नगर निगम का मूलाधार है, मूल मंत्र है, विद्युत जलापूर्ति आदि दूसरी चीजें, इसके लिये तो हम दूसरों पर आश्रित हैं जो नगरपालिकायें, टाउन एरिया है, सफाई व्यवस्था इन्हीं का दायित्व है । आप किसी भी शहर में चले जायें, वहां की सफाई व्यवस्था से आपको पता चल

जायेगा कि वहां की स्वायत्तशासी संस्था की क्या स्थिति है । आप स्वयं वहां की सफाई व्यवस्था देखकर उसका आंकलन कर सकते हैं । सफाई व्यवस्था को लेकर ही 1837 में म्युनिसपल एक्ट की व्यवस्था हुयी थी । यह जो सरकार है, यह अपने को दलितों की सरकार कहती है । उत्तर प्रदेश के जितने भी विभाग हैं, सबसे अधिक दलित कर्मचारी इसी विभाग में हैं, लेकिन इसकी दुर्दशा भी सबसे अधिक है । नगर निगमों को छोड़ दिया जाय, जो परिषदें हैं, उसमें पुरुष सफाई कर्मचारी हैं, उनकी संख्या 30474 है और महिला कर्मचारियों की संख्या 20797 है । आपका जो मानक है, वह 10 हजार के ऊपर 28 सफाई कर्मचारी होगें यह है । आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं, कि आपने निकायों की सफाई व्यवस्था का जो सपना देखा है, जो स्वायत्तशासी संस्थायें हैं, कैसे वह इसको पूरा कर पायेगी । आपने इस साहित्य में यह भी लिखा है कि वह ट्रैक्टर ट्राली, डम्पर, लोडर, ट्रिपर आदि खरीदेंगे, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कहां से खरीदेंगे, कहां से व्यवस्था करेंगे ? यदि इनमें से कोई खरीद भी लें तो कौन इसे चलायेगा क्योंकि ड्राइवर का पद सृजित नहीं है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो स्वप्निल शहरी कार्यक्रम की अध्यक्षता की है, निश्चित रूप से यह बड़ी कठिन समस्या है कि यह सपना कैसे पूरा होगा ।

दूसरी कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ग्राम सभा से नगर पंचायत और नगर पंचायत से नगर परिषद् और नगर परिषद् से नगर निगम में लेंगे । हमने जो देखा है, उसके हिसाब से पूरे उत्तर प्रदेश में स्वायत्तशासी संस्थाओं के माध्यम से कम से कम 500 ऐसी स्वायत्तशासी संस्थायें हैं, जिनके प्रस्ताव अभी तक लम्बित हैं, मैं समझ सकता हूं चाहे वह किसी भी प्रकार जिस तरीके से सब मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पिछला जो आपका 6-7 साल का कार्यकाल है, मान्यवर, इस कार्यकाल में कितने ग्राम-सभाओं को नगर-पंचायतें बनाने का काम, कितने पंचायतों को परिषद् में परिवर्तित करने का काम किया है । परिषद् को नगर निगम आपने जरूर बनाया है और यह आपकी व्यक्तिगत इच्छा थी और है । इसके पीछे जो प्रमुख समस्या है वह नगर विकास प्राधिकरण की हो चाहे विशेष प्राधिकरण की हो, किस तरह से उनको चलने का किस तरह का मौका देंगे, सिर्फ यही होगा कि जिनकी सरकार है, जो सत्ता के लोग हैं, जो सत्ता से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, वही ऐसे स्वायत्तशासी संस्थाओं को अगला कदम बढ़ाने का मौका दे देंगे, तो मान्यवर, निश्चित रूप से उन सैकड़ों स्वायत्तशासी संस्थाओं के प्रति अन्याय होगा । मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज जो तहसील स्तर की हैं पूरे प्रदेश में लगभग 8-10 तहसीलें ऐसी हैं जो आज भी ग्राम सभा स्तर की हैं । हमारे साथी व वरिष्ठतम् सदस्य माननीय प्रमोद तिवारी जी की भी जो तहसील है वह ग्राम सभा स्तर की है । कोई मानक निर्धारित होना चाहिए कि किस तरह से निकाय चयन प्रक्रिया से गुजरेगी और उसका उच्चीकरण होगा । मान्यवर, हमने पहले भी कहा था कि जो आज स्वायत्तशासी संस्थायें हैं, करीब 612 स्वायत्तशासी संस्थाएं जो विषम परिस्थिति में है यह परिस्थिति है जन संख्या घनत्व की । प्रतिदिन गांवों से पलायन की, क्योंकि वहां कोई पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है । असुरक्षा की भावना है । रोजी-रोटी की व्यवस्था नहीं है । अतः शहरों की तरफ आदमी भाग रहा है । जो पंचायतें हैं, परिषदें हैं उन पर जन संख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है । जहां तक मेरी जानकारी है 1960 के बाद कोई स्वायत्तशासी संस्था हो उसकी सीमा बढ़ाने का काम नहीं हुआ । अपवाद हो सकता है 74 में कुछ नगर परिषदों में सीमा बढ़ाने का काम हुआ था । हमारे जनपद में मोहम्मदी-परिषद् की सीमा बढ़ाने का काम हुआ था लेकिन जो सीमांकन के बाद क्षेत्र बढ़ा था जो ग्राम-परिषद् में शामिल किया गया था उसको आज तक परिषद् को हस्तान्तरित नहीं किया गया है । इसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाना खेद का विषय हो सकता है, कष्ट का विषय हो सकता है । जो नगर निगम हैं उनके पास बेशकीमती जमीनें हैं, बिल्डर और सारे लोग मिलकर के सीमा बढ़ाने का काम स्वयं करने के साथ-साथ उन्हें सुव्यवस्थित व ढंग से

बसाने का कार्य हो जाता है, उनका बिस्तार हो जाता है, लाइट लग जाती है, सड़कें बन जाती हैं वहां पर लेकिन ग्राम पंचायतों में कुछ नहीं होता है । 300 परिषद पंचायतें होगी जिसकी पत्रावलियां आज तक लम्बित हैं, जिनका आकार बढ़ रहा है, उसके साथ-साथ उसकी मूलभूत समस्याएं बढ़ रही हैं । अतः हर हाल में सीमा विस्तार होना चाहिए इसके साथ ही नजूल भूमि की जो व्यवस्था है जिसे पिछले वर्ष में नजूल भूमि को जो नगर पालिका की भूमि होनी चाहिए क्योंकि निकायें जो केयर टेकर होती हैं, इस सरकार की एक बीमारी चल रही है इन सभी विभागों में चाहे वह आपके सहकारी विभाग के अन्तर्गत गन्ना मिलें बेचने का काम हो, अथवा ऊर्जा विभाग द्वारा अपनी जमीन बेचने का कार्य हो । अगर नजूल की भूमि पर मकान बना है तो उसका फ्री-होल्ड जरूरी है । इससे एक कदम आगे बढ़कर नगर पालिका की उस जमीन को एक अध्यादेश के तहत मुक्त कराने का काम हो रहा है । जिस पर पालिका काबिज है, और बाजार आदि लगाने का कार्य बरसों से कर रही है, उसे पालिका फ्री-होल्ड कराने का कार्य करे, जबकि उसकी आर्थिक स्थिति यह नहीं है । होना यह चाहिए कि नजूल भूमि का स्वामित्व पालिकाओं को मिले । इन प्लाटों को फ्री-होल्ड कराने का काम नगरपालिका परिषद् करें । उसका लाभ पचास से ज्यादा ऐसी परिषदें हैं जहां तीन-तीन, चार-चार महीनों का वेतन बकाया होगा ऐसी भूमि की रक्षा करने का अधिकार उनको मिल जाता है सार्वजनिक भूमि की जिनकी वह रक्षा करते रहे हैं, जिनमें दुकानें बनाते या पार्क बनाते या और कोई ऐसी योजना बनाते जिससे सार्वजनिक जीवन को लाभ होता । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जितनी भी स्वायत्तशासी संस्थायें हैं उनको मजबूत बनाना चाहते हैं तो जो नजूल की भूमि है, फ्री होल्ड करके अगर उनको नगरपालिका लेना चाहती है तो बिना किसी मूल्य के फ्री–होल्ड करना चाहिए जिससे उम्मीद करें कि योजनायें बनाने का कार्य हो सकेगा । आपने अभी स्वावलम्बी बनाने की बात कहीं थी । जलकर, गृहकर की वसूलीयाबी का जहां तक प्रश्न है उनके सामने विकट समस्यायें हैं, नोटिस देने के अलावा कोई अधिकार है ? अगर है तो उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं लेकिन उसके सापेक्ष आपने वेतन रोकने का काम, अनुदान रोकने का काम किया है उसके लिए आपने अध्यादेश जारी किये हैं । मैं कहना चाहता हूं कि स्वायत्तशासी संस्थाओं की हालत बहुत खराब है । उनके बजट में कटौती का चलन शुरू कर दिया है अगर विद्युत विभाग का बकाया है तो उसको काटने का आदेश जारी किया है । इसी तरह से अनुदान में भी प्रदेश स्तर पर कटौती करने का काम किया है, सबकी हालत खराब होती जा रही है । स्टाम्प शुल्क से आमदनी बढ़ा सकते थे लेकिन उसमें कितना झंझट है किस तरीके से उनको पा सकेंगे । इलाहाबाद से लेकर वहां के जो अधिकारी हैं वह भी बीच में चाहेंगे । सरलीकरण की व्यवस्था के पहलू पर भी कहूंगा कि आज तक कोई काम नहीं हो पाया एक तरफ स्टाम्प की चोरी उसके बावजूद जो शुल्क बनता है, स्वायत्तशासी-संस्थाओं की स्थिति बेहतर हो सकती है लेकिन उस ओर ध्यान नहीं गया है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है । अतिक्रमण की समस्या ऐसी समस्या है जिससे आप भी जूझते हैं, शासन प्रशासन जूझता है । अतिक्रमण की समस्या को लेकर बहू-बेटियों का बाजार जाना मुश्किल हो गया है अतिक्रमण हटाने से पूर्व स्थानीय निकाय को जिलाधिकारी और एस०डी०एम० विश्वास में नहीं लेते, अधिशाषी अधिकारी और अध्यक्ष को मालूम नहीं होता । जिलाधिकारी के निर्देश पर ही तोड़-फोड़ शुरू हो जाती है जो असमंजस्यता की स्थिति है वह बहुत खराब है । मैं आपका ध्यान नामित सदस्यों की तरफ ले जाना चाहता हूं । नामित सदस्यों की जो व्यवस्था की गयी थी इस भावना के तहत की गयी थी कि कोई भी शहर है, उसमें कुछ ऐसे लोग जो विशेष योग्यतायें रखते हैं, विशेष वर्ग के हैं लेकिन चयनित होकर नहीं आये हैं उन लोगों को शासन नामित करने का काम करे । लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि इन सारी बातों को ताक पर रखकर राजनीतिक स्वार्थ के बल पर अपने चहेते लोगों को जिनका नगर परिषद और

टाउन एरिया से कोई मतलब नहीं है । सिर्फ व्यवधान उत्पन्न करना है, कोई योग्यता नहीं है लेकिन उनको नामित किया जा रहा है । मान्यवर, जो आपने नामित सदस्यों की शुरूआत की है इस संबंध में यदि ध्यान देने का काम करें । दो वर्ष हो गये हैं, पूरे प्रदेश के स्थानीय निकाय के चुनाव को लेकिन उपाध्यक्ष की व्यवस्था आपने नहीं की है सदन में उपाध्यक्ष की व्यवस्था नहीं हो पाती है यह अलग बात है परन्तु स्वायत्तशासी संस्थाओं में उपाध्यक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए, कहां पेंडिंग है यह मैं नहीं कहना चाहता । एक और मूलभूत समस्या है, 612 स्वायत्तशासी संस्थाओं के बीच में रहने वाले नागरिक प्रतिदिन जूझते हैं । जो राशन आपूर्ति है शहरों के अन्दर, राशन आपूर्ति का यह आलम है किसी भी योजना के तहत हो, चालीस प्रतिशत से ज्यादा नागरिकों के बीच में पहुंचने का काम नहीं हो रहा है । इससे ज्यादा ग्राम पंचायतों में हो रहा है । जो सजग प्रधान हैं उसके माध्यम से सर्टीफिकेट दिया जाता है लेकिन स्वायन्तशासी संस्थाओं के सभासद और मेम्बर हैं । उनको कोई अधिकार नहीं है कि वह इस योजना के अन्दर हस्तक्षेप कर सकें । मान्यवर, उसके अन्दर कोई व्यवस्था नहीं कर सकते उनको हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है । पहले जो व्यवस्था थी, पूर्ति निरीक्षक टाउन एरिया में एक दिन जाता था लेकिन अब उसकी कोई जरूरत नहीं है । मान्यवर, यह प्राविधान होना चाहिए कि जिस तरीके से ग्राम-प्रधान उन ठेकेदारों को, जो राशन आपूर्ति का काम करते हैं, उनको प्रमाणपत्र देता है । इसी तरीके से जो आपके सदस्य हैं, सभासद हैं उनके द्वारा एक प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिए ताकि उनका हस्तक्षेप बढ़े और जनता से जो लोग चुनकर आये हैं वह अव्यवस्थाओं पर अंकुश लगा सकें । इससे जो हमारी भावना है वह खरी उतरेगी ।

मैंने पिछली बार भी इस सदन में अपेक्षा की थी कि प्रदेश में जितने जिले हैं और उनके जितने विभाग हैं उनमें कोई न कोई व्यवस्था नीचे से ऊपर तक है जैसे लेखपाल के ऊपर कानूनगो, कानूनगो के ऊपर नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार के ऊपर तहसीलदार, तहसीलदार के ऊपर एस०डी०एम० और एस०डी०एम० के ऊपर डी०एम० होता है और जैसे ब्लाक में बी०डी०ओ० और उनके ऊपर सी०डी०ओ० होता है उसी तरह से स्थानीय निकायों में व्यवस्था होनी चाहिए । आपने 612 स्वायत्तशासी संस्थाओं को किसके भरोसे छोड़ रखा है यह एक ज्वलन्त समस्या है । इसकी तरफ मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । इस व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए न तो अलग से बजट प्राविधान की आवश्यकता है और न ही पद सृजन करने की आवश्यकता है । मान लीजिए किसी जिले में अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के बीच में झगड़ा है तो उसको कैसे निपटाया जायेगा । एस०डी०एम० या डी०एम० के पास इतना समय नहीं होता है कि वह नगरपालिका परिषद् के झगड़ों का निस्तारण कर सकें । अगर किसी जिले में चार-पांच पालिका परिषद् या तीन चार टाउन एरिया हैं तो उनके अधिकारियों के पास लखनऊ दौड़ने के अलावा कोई काम नहीं है । निदेशालय में तो अधिकारी हैं वह उनकी बात नहीं सुनते हैं । क्योंकि उनके पास फुर्सत नहीं है । कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं है । इसी तरह से अध्यक्ष की बात कोई सुनने वाला नहीं है । मान्यवर, इसलिए मैं चाहता हूं कि जिले स्तर पर ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए । स्वायत्तशासी संस्थाओं की समस्याओं को सुनने और निष्पक्ष रूप से तथा स्वतंत्र रूप से निराकरण करने के लिये कोई व्यवस्था होनी चाहिये । आशय है कि जनपद स्तर पर निकायों के लिये व्यवस्था निश्चित हो । सक्षम अधिकारी, कार्यालय व गाड़ी आदि की व्यवस्था की जाय ।

मान्यवर, जो आपका सूडा है जो राज्य नागर विकास प्राधिकरण है तथा जो जिला नगरीय विकास प्राधिकरण हैं, उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । मान्यवर, मंत्री जी ने कहा है कि उसमें

सम्मानित सभासदों को स्थान मिलेगा । राज्य नागर विकास प्राधिकरण के अन्दर जो सूचनायें प्रकाशित होती हैं उनको प्रत्येक महीने अध्यक्ष स्थानीय निकाय सांसदों और विधायकों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है और उनके विचार लिये जाने की व्यवस्था है । लेकिन मैं सम्मानित सदस्यों से पूछना चाहता हूं, कम से कम 70 प्रतिशत हमारे सदस्य होंगे जिनके क्षेत्रों में टाउन एरियाज और नगर परिषदें होंगी । क्या आपको उक्त किसी योजना की कार्यान्वियन से पूर्व आपके प्रस्ताव लिये गये या सूचना मात्र दी गयी । मेरा निश्चित मत है कि कार्य की किसी को सूचना तक नहीं दी जाती है । कहीं भी जो योजनाएं चल रही हैं उनमें स्वायत्तशासी संस्थाओं का हस्तक्षेप नहीं हैं । चाहे नाली बन रही हो, चाहे कोई कार्य हो रहा है इन स्वायत्तशासी संस्थाओं के अधिशासी अधिकारी को पता नहीं रहता है कि कैसे कार्य होगा कहां कार्य हो रहा है । नगर पालिका परिषदों का पंचायतों का कोई हस्तक्षेप नहीं रह गया है । तो जो आपने ड्रीम-सिटी की कल्पना की है वह कैसे पूरी होगी । चाहे सूडा की योजनाएं हों, डूडा की योजनाएं हों, हुडको हो तो जिन नगर पालिका परिषदों, स्वायत्तशासी संस्थाओं में सत्ता पक्ष से लोग जुड़े रहते हैं वह तो इन योजनाओं का लाभ उठा लेते हैं बाकी लोग इनका लाभ नहीं उठा सकते हैं । इसमें पूरी तरह से आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है । डूडा के अन्तर्गत जो योजनाएं चल रही हैं उनका नगर पालिका परिषदों में कोई मतलब नहीं है । किताब में चाहे जो कुछ छप जाय । दो तीन बातें जो रह गई हैं उनको बाद में रख दूंगा । इस विभाग में मा० मंत्री जी श्री मिश्रा जी की तरह बहुत से लोगों ने कल्पना की है लेकिन उन सपनों की ओर आपका बजट ले जाने का काम नहीं कर रहा है । इसमें बहुत सी सुधार की आवश्यकता है । मैं इस कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए कहना चाहता हूं कि अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें ।

श्री अध्यक्ष–

एक बजट और रह गया है उस पर कोई सदस्य कटौती प्रस्तुत करें । अभी तक हमारे पास 62 सदस्यों की सूची आ गई है जो इन बजटों पर अपनी बात रखेंगे । मेरा अनुरोध है कि 4-4 मिनट में अपनी बात रख देंगे, तो ठीक रहेगा ।

* श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो पर्यटन का बजट पेश किया है उसको पढ़ने के पश्चात् एवं विगत तीन साल के बजट को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसमें काफी उतार चढ़ाव आया है । वर्ष 2000-2001 में 9 करोड़ 64 लाख का प्राविधान किया गया था । उसके पश्चात् वर्ष 2001-2002 में 37 करोड़ 85 लाख का प्राविधान किया गया । वर्ष 2002-2003 में 28 करोड़ 29 लाख का प्राविधान किया गया । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी जो योजनाएं बनाई गई वह सुचारु रूप से नहीं बनाई गई, कुछ उछल कूद जैसी हुई हैं । कोई निश्चित मापदण्ड आपका नहीं रहा है, कोई निश्चित नीति नहीं रही है आपकी । आपने अनुदान में 23 करोड़ 67 लाख रुपये की मांग की । मैं आपके माध्यम से जानना-चाहता हूं कि 4 करोड़ 62 लाख का जो लेखानुदान लिया गया है जो खर्च हुआ है श्रीमन् वह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किस मद में खर्च किया गया है, वह कतई इसमें प्रदर्शित नहीं हुआ है । मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अपने बजट भाषण में कहा उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । उन्होने कहा कि जिन कार्यक्रमों में विशेष बल दिया जायेगा वह पुराने कार्यक्रमों को पूरा करने की ओर है । श्रीमन, इसके आगे इन्होंने निजी क्षेत्र में सहभागिता और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही है । मैं कुछ वर्ष पूर्व आपको ले जाना चाहता हूं । 12 मार्च, 1999 में जब कलराज मिश्र जी ने जब वे लोक निर्माण और पर्यटन के मंत्री रहे, उन्होने सदन में कहा था कि पर्यटन के दृष्टिकोण से पर्यटन को और मजबूती देने के लिए 10 परिपथों में प्रदेश को बांट दिया जायेगा । श्रीमन् जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपना भाषण दिया बौद्ध परिपथ, बुन्देलखण्ड परिपथ और अवध परिपथ की बात कही । शेष सात परिपथों के बारे में कोई भी ब्यौरा नहीं दिया । आपके व्ययों के जो मानक हैं, जो आपने प्रस्तावित किया है उसमें बौद्ध परिपथ के लिए एक करोड़ 60 लाख की योजना है । 6 आपके परिपथ बचते हैं यह नहीं समझ में आ रहा कि वह कौन से परिपथ है । जो आपकी नीति रही, जो मार्ग दर्शन दिया है अपने अधिकारियों को, जो आपके बजट में है उससे स्पष्ट हैं कि जब उत्तरांचल आपका एक हिस्सा था, प्रदेश का । उस समय में और अब में कोई फर्क नहीं है ।

उत्तरांचल एक अलग प्रदेश बन गया है परन्तु वही नीति आज भी चल रही है । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आखिरकार कौन सी नयी पर्यटक नीति आपने बनाई । कहीं प्रदर्शित नहीं है, कहीं लिखी नहीं है । इसमें हमको एक शंका है कि आपकी नीति क्या है ? हमारा प्रदेश सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आद्यात्मिक, धार्मिक दृष्टिकोण से एक महान धरोहर रहा है । वेद यहां लिखे गये, उपनिषद यहां लिखे गये राम भी यहीं जन्मे तो श्रीमन् यह एक शंका है कि आपकी जो नीति है, आप पर्यटन के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहते । आपने एक बजट अवश्य बनाकर दे दिया उसके बारे में दृढ़तापूर्वक कोई इंकार नहीं करना चाहता हूं । श्रीमन्, यहां तक कि आपके अधिकारी इतने उदासीन है कि जब मैंने आर्थिक समीक्षा के ब्यौरे को देखा तो उसमें पर्यटन का नाम नहीं है यहां तक कि आपका जो अर्थ संख्या प्रभाग है, जिला नियोजन संस्थान द्वारा लिखी गयी है, प्रसारित की गई है, उसमें भी कहीं पर्यटन का नाम नहीं है इसलिए स्पष्ट है कि आप पर्यटन को अहमियत देना नहीं चाहते । उस विषय में आपकी सोच कुंठित है और सही मायने में आप पर्यटन का विकास नहीं करना चाहते । इनकी प्रस्तावना में जो सांख्यकीय विभाग की प्रस्तावना रही है उसमें कहा गया है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों से संबंधित मुख्यतः राज्य स्तरीय आधारभूत तथ्यात्मक सूचनायें संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत की गयी हैं ।

श्रीमन्, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह एक आर्थिक खण्ड नहीं है ? पर्यटन अगर है तो उसको खंडित नहीं किया गया है वरन् उसको एकदम समाप्त कर दिया गया है । इसमें आपको गौर करना होगा कि यह कैसे हुआ ? मात्र आपने अपनी आय में अनुदान संख्या-0023 और 3452 में यह दिखाया है कि होटलों से 5 करोड़ मिला और लक्जरी टैक्स द्वारा 50-50 हजार रुपए कुल प्राप्त हुए । यह तो अपने प्रदेश के पर्यटन का हाल है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे तमाम छोटे-छोटे देश हैं एशिया के राष्ट्र हैं फिलीपीन्स, इण्डोनेशिया सिंगापुर, कोरिया, जापान यहां पर पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया जाता है । पर्यटन के संसाधनों को इन्होंने सही किया है । यहां पर विदेशी और स्वदेशी पर्यटकों की भरमार रहती है । आपकी कोई ऐसी कार्य-योजना नहीं है कि आप स्वदेशी पर्यटक, विदेशी पर्यटक का खिंचाव कर सकें । श्रीमन्, इसके पहले कि हम विदेशों के बारे में देखें हमें आत्म-अवलोकन करना पड़ेगा हमको अपने आंगन में झांकना पड़ेगा । आपने प्रस्ताव रखा है 22 लाख, 78 हजार रुपये का कि आप रेलवे स्टेशन का विद्युतीकरण करायेंगे जहां रोशनी है वहां चकाचौंध की क्या आवश्यकता है ?

मान्यवर, हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, हुसैनाबाद टावर यह सब वक्फ की सम्पत्ति है । क्या आपका दायित्व नहीं है अतिक्रमण हो रहा है गंदगी फैली है उसको हटवायें । आप देखें नीबू पार्क, हाथी पार्क में कितना अतिक्रमण है कितनी गन्दगी है ? केवल लाइट लगाने से रोशनी मिलेगी लेकिन उस रोशनी से गंदगी साफ नहीं हो सकती है । मान्यवर, स्टेडियम के सामने जो पार्क है आपके सरकारी अधिकारी ने उसका अतिक्रमण कर लिया है । क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही हुई है ? आपको उसे महफूज करना है । सुरक्षित करना है तो इन विषयों पर ध्यान देना होगा । यह सही है कि अम्बेडकर उद्यान एक पर्यटक स्थल होगा । लेकिन श्रीमन् हमें अन्य जगहों पर भी ध्यान देना होगा । यह उत्तर प्रदेश गंगा-यमुना संस्कृति का प्रतीक रहा है । अगर आप छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा का सुदृढ़ीकरण करायेंगे तो बेहतर होगा । इतिहास में आसिफउद्दौला, वाजिद अली शाह जो अवध के नवाब रहे हैं जिनके यहां से कथक, बना उनको हम नकार नहीं सकते हैं वह जीवन और इतिहास का हिस्सा हैं । इतिहास को कभी भुलाया नही जा सकता है । एक हैरिटेज प्लान कैसरबाग में बना । अच्छी योजना है एक सफेद बारादरी है पुराने रजवाड़ों की संस्था है ब्रिटिश-इण्डिया एसोशियेशन ने इसको लेने के लिए हैरिटेज प्लान में लेने के लिए इसकी पूरी सम्पत्ति को लेने के लिए प्रयास किया । आप उनकी मैनेजमेंट कमेटी को बुलाते उनके पास धन है किस प्रकार उसका लाभ उठायें ? मगर उस तरफ कतई ध्यान नहीं दिया गया है । आज वह ठंडे बस्ते में पड़ गयी है और कोर्ट में मामला लम्बित है । इसी तरह से और क्रान्तिकारी धरोहर हैं जिसे हम लोगों ने दबा लिया है उसे मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा । बेगम हजरत महल जिन्होंने अंग्रेजों के सामने सर नहीं झुकाया उनका राज्य चला गया परन्तु उन्होंने सर नहीं नवाया । इसी तरह से राणा बेनी माधव एक क्रान्तिकारी पुरुष थे, वीरा पासी पश्चिम में रावराम बक्शी गौरियाखेड़ा उन्नाव में उनकी याद नहीं कर सकते । आप उनकी स्मृति में एक उद्यान या पार्क नहीं बना सकते । मान्यवर, मैं मानता हूं कि गंगा, बनारस और गढ़ मुक्तेश्वर पवित्र हैं । वहां पर पर्यटन का विकास होना चाहिये । अब मैं दक्षिण की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं । हमारी तरफ गंगाजी तपोभूमि के नाम से मशहूर है । इस ओर रायबरेली बीच में गंगा जी और उस ओर फतेहपुर है । वहां पर ऋषियों और मुनियों का घर रहा है । उन्होंने घर बनाया । राजा भरथरी के नाम से गौरी मुनि, गिगास, अश्वनि वहां से उत्तर वाहिनी बहती है । इसे छोटी काशी भी कहा जाता है उसके बारे में आपने सोचा । क्योंकि आपके अधिकारियों के पास समय नहीं है कि वह वहां जाकर देखें । इतनी विशाल धरोहर है और वह कौन-कौन सी हैं इसका विकास होना चाहिए यह सोचा । लखनऊ में दो मकबरे हैं और उसके सामने एक परिवर्तित युग का प्रतीक लाट खड़ा कर दिया है । श्रीमन्, ऐसा प्रतीत होता है कि आपके अधिकारियों ने उस पर्यटन के वातावरण को समझा ही नहीं है । ऐसा लगता है कि जैसे मान न मान मैं तेरा मेहमान । अब मैं इलाहाबाद की ओर आपको ले जाना चाहता हूं । पुराना किला मुगल सम्राट अकबर ने बनाया था मैं उसका संज्ञान लेना चाहता हूं । वह ऐतिहासिक स्थान के साथ-साथ सुरक्षा की दृष्टि से बनाया है । वह आज भी गंगाजी के बहाव को नियंत्रित करता है अन्यथा वह गंगा जी इलाहाबाद को प्रभावित कर सकती थीं । गंगा जी का तेज इतना विशाल लम्बा समतल है । त्रिवेणी तो हैं परन्तु कुछ समय पूर्व मेरिन ड्राइव बनाने की योजना चली थी । इतना बढ़िया स्थल है परन्तु क्या हुआ ? मान्यवर, 150 करोड़ की लागत से हर वर्ष कुम्भ मेले का अयोजन होता है और यह अस्थाई व्यवस्था है । 150 करोड़ जो साढ़े पांच गुना बजट का है । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप उसको स्थायी कर दें तो क्या आपको फायदा नहीं मिलेगा ।

श्री अध्यक्ष–

देवेन्द्र जी, कुम्भ का मेला 12 वर्ष के बाद आता है । 150 करोड़ रुपये प्रति वर्ष व्यय नहीं होते ।

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह–

मान्यवर, मैं आपको विन्ध्य परिपथ के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। मान्यवर, विन्ध्य परिपथ में मिर्जापुर, चुनार और सोनभद्र आदि आते हैं। मान्यवर, यह प्राकृतिक सौंन्दर्य की बड़ी अच्छी जगह है। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तरांचल के बाद सबसे सुन्दर स्थान हैं, श्रीमन्, आप लोगों ने वाह-वाही नहीं की।

(विपक्ष की ओर से मेजें थपथपायी गयी)

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर सुन्दर गुफायें हैं, सुन्दर वाटर फाल्स हैं और अगर उत्तरांचल के बाद किसी स्थान का विकास हो सकता है तो वह विन्ध्य परिपथ का ही हो सकता है। लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि बजट में इसका कोई प्राविधान नहीं किया गया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह पर्यटन के मामले में इस मामले में दृष्टिहीन जैसे हैं। मान्यवर, आपने चुनार के लिये 50 लाख की योजना में जैसी बनाने की बात कहीं है। श्रीमन्, यह बात समझ में नहीं आती। मान्यवर, बुन्देलखण्ड परिपथ प्राचीन काल में देवताओं के राजा इन्द्र का देश कहलाता था। मान्यवर, यहीं पर राजा ऊदल और झांसी की रानी का जन्म स्थान है। मान्यवर, आज भी हमारे रायबरेली में पहले राजा ऊदल की वीरता की गाथायें गायी जाती हैं। मैं अपने बुन्देलखण्ड के भाइयों को बताना चाहता हूं कि यह जो क्षेत्र राजा उदल और झांसी की रानी का जन्म स्थान है उसके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसके लिये इस बजट में केवल 1 करोड़ 20 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है।

(विपक्ष की ओर से शेम-शेम कहा गया)

मान्यवर, बजट में बौद्ध परिपथ के बारे में बहुत कुछ कहा गया। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि इसमें जापान से 226 करोड़ रुपये की सहायता मिल रही थी, उसमें 20 करोड़ रुपया सड़कों के लिये रखने का प्राविधान किया गया था। माना। माना कि आप लोग एक करोड़ 75 लाख रुपये लगा रहे हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह आपने बहुत बड़ा तमाचा मारा आपने सारनाथ, कपिलवस्तु के लोगों पर बहुत बड़ा तमाचा मारा है। केवल आप अपने अधिकारियों की उदासीनता की वजह से इस बारे में कोई सार्थक कदम नहीं उठा पाये हैं। यह सब अधिकारियों की उदासीनता के कारण हुआ है। श्रीमन्, भगवान बुद्ध हमारे पूर्वज हैं और यह सरकार रोज उनका नाम लेती है, हम भी नतमस्तक हैं लेकिन आपने भगवान का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं रखा और उस क्षेत्र की जनता का उपहास किया है बहुत खराब काम किया है। आप बौद्ध परिपथ का विकास करते हैं तो कोरिया, जापान, थाइलैंण्ड, मंगोलिया, चायना से लोग यहां आते हैं। मान्यवर, हमारे यहां बौद्ध धर्म चला और हमारे यहां समाप्त हो गया। वहीं नेपाल, जापान, चायना, मंगोलिया आदि में एकदम छा गया। कितने हजारों लाखों विदेशी पर्यटक आपके यहां आ सकते थे। आज आप वंचित हो गये हैं। मान्यवर, जो आपके विदेशी पर्यटक आते हैं मान्यवर, उनके संबंध में इस बजट में कहीं जिक्र नहीं किया है। मान्यवर, जब तक आपका संस्कृति विभाग, विद्युत विभाग और लोक निर्माण विभाग से समन्वय नहीं होगा और अधिकारियों की लाल फीता शाही समाप्त नहीं होगी। आप कुछ भी करें विदेशी पर्यटक कभी नहीं आयेंगे। मान्यवर, वर्ष 2000 में इस देश में 3300 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई उसमें आपको कितना फायदा हुआ जबकि आपके पास पर्यटन की महान धरोहर हैं। इस तरह से तो आप पर्यटन को धीरे-धीरे समाप्त करते चले जायेंगे।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, ऐसा लग रहा है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना।

श्री अम्बिका चोधरी–

मान्यवर, माननीय देवेन्द्र जी, मनुष्यों के पर्यटन की बात कर रहे हैं जिसकी समझ में न आ रहा हो । वह थोड़ी देर शान्त रहे ।

श्री अध्यक्ष–

मनुष्यों से परे तो देवता लोग होते हैं ।

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह–

मान्यवर, द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद की बहुत सी ऐसी हवाई पट्टियां पड़ी हैं जिससे पर्यटन विभाग फायदा उठा सकता है । मान्यवर, चूंकि ये तमाम परिपथों के निकट है । मान्यवर, पैराग्लाइडिंग इनमें आप वहां शुरु कर सकते हैं वह एक आकर्षण का केन्द्र बन सकते हैं । मान्यवर, होटलों के बारे में बताना जरूरी है । मान्यवर, ईको टूरिजन के बारे में जरूर बात होती है क्योंकि आज के परिपेक्ष्य में जो युवतियां है यह चाहती है कि कैम्पिंग, हो, ट्रेकिंग हो । आप इसे विकसित कर सकते हैं, मान्यवर, होटलों के बारे में कुछ जानकारी लेने के बारे में कहना चाहता हूं कुछ गैस्ट हाऊस आप बेच रहे हैं या ठेके पर दे रहे हैं हमें विश्वास है कि कुछ दिनों बाद आप सारे होटल दे देंगे । आई०टी०डी०सी० के बेच दिये गये हैं मान्यवर, जो निजी होटल वालों का ऐसा समूह है उसको आपको समर्थन देना पड़ेगा । मान्यवर, छोटे-छोटे दो-दो कमरे के ऐसे होटल बन गये हैं जो आपकी सर्विस को प्रभावित कर रहे हैं । जो आपकी सर्विसेज हैं वह विदेशियों को अच्छी सुविधायें दे सकती हैं आपको उन्हें सुविधा सम्पन्न बनाना होगा । उन्हें आप अपग्रेड कर दें । मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप उन छोटे होटलों से भी वही लाइसेन्स फीस लें । मान्यवर, मैं यहां लक्जरी टैक्स की कटौती की मांग करता हूं । जो आपका बार का लाइसेन्स है वह निःशुल्क हो ताकि विदेशी अतिथियों का कायदे से सत्कार हो सके । सरकार को इस होटल व्यवसाय में भी सहयोग लेना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप संक्षिप्त करें ।

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह–

आप देखते हैं कि जो पुराने पोस्टर हैं , कलैन्डर हैं वह एक तरीके से जैसे लकीर के फकीर बना हुआ है उसका रिप्रिन्ट होना चाहिए । आप अच्छी एजेन्सियों को दे वह नये तौर तरीकों को अपनायेंगे और उससे आपके पर्यटन में चार चांद लगेंगे । बुन्देलखण्ड के बारे में एक बात भूल गया हूं जो जिक्र करना चाहता हूं फारगंसन कन्सलटेन्सी को ठेका दिया गया और सर्वे करवाया गया, चित्रकूट आदि का उसने सर्वे किया और 20 करोड़ की योजना बनाई कि 20 करोड़ का परिव्यय होगा तो वहां का विकास होगा । लेकिन उस कन्सलटेन्सी की बात पर कोई अमल नहीं किया गया और वह योजना समाप्त हो गई । निवेदन है कि अगर आपको पर्यटन का विकास करना है तो आपको संस्कृति विभाग से भी समन्वय लेना पड़ेगा और पुरातत्व विभाग का भी सहयोग लेना पड़ेगा, क्योंकि वह भी तमाम बातें बता सकेंगे जिससे पर्यटन आगे बढ़ सकेगा । इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, ऐसे हमारे तामाम त्योहार हैं तीज, राखी, भइयादूज है । अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर में ऐसे त्योहार हो जाते हैं ऐसे समय में जब हमारे यहां ठण्डक पड़ती है उसका प्रभाव विदेशी पर्यटकों पर आ सकता है और अगर ऐसे समय पर वह आयेंगे तो अच्छा साधन सुलभ हो जायेगा । चिलिया गांव बनारस में बन रहे हैं, सोनभद्र में भी बन रहे हैं । इसी तरह से जो अच्छे स्थान हैं जहां विदेशी टूरिस्ट जाकर कुछ सीख सकते हैं । हमारे तमाम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गांव नहीं देखा है तो उसको विकसित करना पड़ेगा । 50 करोड़ की योजना में एक लाख दो लाख बांट देंगे तो पर्यटन के विकास का पुरसाहाल नहीं होगा । मैं कहना चाहता हूं कि

अगर आपको पर्यटन को प्रभावशाली करना है तो आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा नीतियां अक्रामक होनी चाहिए अगर आपको पर्यटन विभाग को लाभप्रद बनाना है तो आपके जो अधिकारी हैं उनमें ब्यूरोक्रेट के जगह टेक्नोक्रेट की भर्ती करनी पड़ेगी, और अगर आपके अधिकारी हैं तो उनको भी यथावत् ट्रेनिंग देना पड़ेगा । क्योंकि होटल ऐसा जाब है कि उसके डिटेल में जाना पड़ेगा, उसके विषय में प्रोफेशनल होना पड़ेगा और प्रोफेशनली नहीं होंगे तो आगे नहीं बढ़ पायेंगे केवल बजट पेश करने से ऐसी बात नहीं होती है । अध्ययन करना पड़ेगा आपको अपने अधिकारियों को ऐसे स्थानों पर भेजना पड़ेगा उसकी अलग-अलग प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट मंगवानी पड़ेगी उसमें परिणाम क्या होगा उसकी समीक्षा करनी पड़ेगी तभी आप पर्यटन को एक महत्वपूर्ण स्थान दे पायेंगे क्योंकि यह कहा गया है कि आपका उत्तर प्रदेश भारत की सोल है ।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस बजट को देखकर ऐसा लगता है कि यह मात्र एक टोकेन बजट है, मात्र औपचारिकता निभाई गयी है । उसके अलावा इस बजट में कुछ नहीं है । मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर अपने माननीय साथीगणों से अनुरोध कर रहा हूं कि मेरे कटौती के प्रस्ताव पर दल दें ।

श्री अध्यक्ष–

मेरे पास दो प्रकार से नाम आये हैं एक तो वह सूची है जो विभिन्न दलों के माननीय नेताओं ने या उनके सचेतकों ने भेजी है ! दूसरी माननीय सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से अपनी-अपनी इच्छा व्यक्त की है । मैं पहले उस सूची से आमंत्रित करूंगा जो उनके दल के नेताओं अथवा सचेतकों ने भेजी है, उसके बाद जिस क्रम में नाम आये हैं उसी क्रम से बोलूंगा । मैं इस प्रकार से बोलूंगा विपक्ष की ओर के सदस्यों में एक समाजवादी पार्टी का दूसरा कांग्रेस का तीसरा अन्य पार्टी का इसी प्रकार सत्ता पक्ष की ओर से एक भाजपा से दूसरा बसपा से तीसरा अन्य से, लोकदल से । मैं अपेक्षा यह करूंगा कि चार, पांच, तीन, या दो मिनट से अधिक समय न लें अगर चार मिनट का भी समय ले लिया तो चार घंटे हो जायेंगे । अगर कोई माननीय सदस्य न बोलना चाहे तो मुझे बता दें ।

सार्वजनिक उद्यम मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि उधर से 6 सदस्य और इधर से 4 सदस्यों को बुलाकर खत्म करें ।

श्री अध्यक्ष–

अगर आप सहमत हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

* श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बजट के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा आपने तीन, चार, पांच मिनट बोलने के लिए कहा है तो

(इस समय 9 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता डा० अशोक बाजपेयी पीठासीन हुए ।)

सबको मिलाकर 12 मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा । मान्यवर, माननीय मंत्री जी जिस समय बजट प्रस्तुत कर रहे थे उस समय मुझे यह देख कर प्रसन्नता हुई कि यह सारा सदन एकमत होकर मंत्री जी का समर्थन करता था, ताली बजाता था । निश्चित रूप से अभी हमारे माननीय सदस्य बोल रहे हैं बहुत बढ़िया बजट है । अगर व्यक्ति बढ़िया होता है तो उसके द्वारा प्रस्तुत बजट भी बढ़िया होता है क्योंकि आदमी अपने कार्यों से ही बढ़िया होता है जिस प्रकार से कटौती के प्रस्ताव के ऊपर हमारे माननीय

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सदस्य अरविन्द गिरि ने अपनी बात प्रारम्भ की थी । आदिकाल से नगरों के महत्व के बारे में वर्णन किया था, निश्चित रूप से वह प्रशंसनीय है । अगर मैं भी उसके बारे में विस्तार से बात करूं तो समय-सीमा बहुत कम है । मान्यवर, वह स्वर्णिम काल और आजादी के 50 साल के अन्दर हम ध्यान दें तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आजादी के बाद नगरीय क्षेत्रों की दशा नारकीय दशा बनती चली जा रही है । मैं पूरे विश्वास के साथ कहूं कि विगत 4-5 वर्षों के अन्दर जितने भी सदस्य यहां बैठे हैं राजनीति के तौर पर उनका भाषण कैसा भी हो अधिकांश सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि पांच वर्षों में शहरों का नया स्वरूप जो देखने को मिला है तो उसका कोई न कोई कारण तो होगा । वह बड़ी सड़क, जिसके ऊपर बड़े-बड़े मंत्रियों को गुजरना हो, वह बड़ी सड़क जिसके ऊपर बड़े अधिकारियों को गुजरना हो, प्राथमिकता के ऊपर ठीक करा दी जाती थीं तो समझ लिया जाता था कि शहरों का विकास हो गया । मान्यवर, शहरों की असली आत्मा बस्तियों में रहती है और उनकी पीड़ा को किस तरह से समझा जा सकता है, उनका निराकरण किया जा सकता है । उस बात को मूर्त स्वरुप देते हुए हमने श्री लालजी टंडन के रूप में पिछले पांच साल में देखा । मान्यवर, शहरों की इन बस्तियों की नारकीय स्थिति जहां पर 12 में से 24 महीनें पानी भरा रहता हो, हिन्दुस्तान के 50 वर्षों के इतिहास को देखें तो बड़े शर्म और लज्जा के साथ कहना पड़ता है कि जहां सड़क के किनारे आज भी हमारी मां और बहनें शौच करने के लिए विवश होती हैं । इसके अलावा वह बस्तियां जो अधिकांशतः अघोषित रोगों से भरी होती थीं उन बस्तियों का आज जो स्वरूप देखने को मिलता है वह श्री लालजी टण्डन के जमाने से ही मिलता है उससे पहले ऐसा कभी देखने को नहीं मिला । इससे पहले योजनायें बहुत सी बनीं, बहुत सी चलती रहीं, बजट भी आते रहे लेकिन आज मलिन बस्तियों के बारे में, सूडा की योजनाओं के बारे में चर्चा करते हैं तो मेरे माननीय सदस्य कहीं न कहीं मुझसे सहमत होंगे कि विकास की किरण अब दिखाई दी है । मेरी बातों से भले ही कुछ लोगों की मौन स्वीकृति हो वह मेरी बात से सहमत होते हुए सिर हिलाते हैं यह अच्छी बात है । सही बात को सही कहने की हिम्मत होनी चाहिए अगर कुछ कमियां रह गई हों तो उनको इंगित करने में पीछे भी नहीं हटना चाहिए । बहुत सारे सुझाव आये हैं मुझे प्रसन्नता है कि कांग्रेस के माननीय सदस्य, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है श्री विवेक बंसल जी पहली बार विधान सभा में आये और पहली बार खड़े हुए उन्होंने बड़े ही प्रभावी ढंग से कहने का प्रयास किया है लेकिन हर एक चीज को राजनीतिक चश्में से देखेंगे तो हम शहरों का विकास नहीं कर पायेंगे । शहरों का विकास हम किस तरह से करना चाहते हैं । यदि हम सुविधा तो प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन टैक्स देना नहीं चाहते हैं । तो इस तरह शहरों का विकास सम्भव नहीं है । उन शहरों के अन्तर्गत जो आज से 20–40–50 साल पहले 20-40-50 रुपये देते आये हों टैक्स के रूप में, उस जमाने के 20-30-50 रुपये की वैल्यू आज के समय में कुछ भी नहीं है । अगर हम विकास चाहते हैं तो मैं क्षमा सहित कहना चाहता हूं कि किसी भी शहर और प्रदेश के लिए बिना टैक्स कुछ कर पाना सम्भव नहीं है । एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है नगर निगमों के लिए "सैल्फ एसेसमेंट टैक्स स्कीम" उसकी मंशा समझने की आवश्यकता थी अगर हम उसकी मंशा को समझ पाते तो मैं आज इस बात को कह सकता हूं कि बड़े नगर निगमों में आधे से ज्यादा ऐसे मकान हैं जो आज भी टैक्स नहीं देते और देने की आवश्यकता महसूस भी नहीं करते । ऐसे लोगों को नगर निगम नियमावली के अन्तर्गत किस तरह से लाया जाय, किस तरह से टैक्स की वसूली की जाय यह भी एक विषय है । अगर कोई माननीय विधायक चुनकर आ गया तो लोगों की उससे अपेक्षाएं होती हैं कि काम होगा । इसी तरह सरकार से अपेक्षाएं होती हैं, मंत्री से अपेक्षाएं होती हैं लेकिन विधायक बनने के साथ यह पट्टा लिखकर नहीं दे दिया जाता कि हम इतना विकास करेंगे । खास बात यह है कि हम पैसे का सही तरीके से उपयोग कर सकें यह सबसे महत्वपूर्ण बात होती है ।

मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा । एक माननीय सदस्य ने पार्कों के डेवलेपमेंट की बात की । कानपुर महानगर में मोतीझील में काम हुआ है, करीब दो करोड़ रुपये लगाये गये होंगे

विकास के लिए । लोग सुबह सैर करने जाते हैं, अगर हम प्रातः काल जाकर वहां देखें तो वह जो जूते पहनकर आते हैं वह दो-ढ़ाई हजार से कम नहीं होते, कौन से मार्का होते हैं इसकी मुझे जानकारी नहीं है । वह लोग बड़ी-बड़ी नेकरें पहनकर आते हैं जिसे अंग्रेजी में बरमूडा कहते हैं यदि उनसे एक महीने में पार्क में प्रवेश के लिए 30 रुपये देने को कहा जाय तो मक्खन की ब्रेड खाये बिना घर वापस नहीं जायेंगे, डबल अण्डे की आमलेट खायेंगे, लेकन इनसे पार्क के रख-रखाव के लिए 30 रुपया प्रति माह देने की बात कह दी जाय तो वह पैसा देने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे । आखिर किस तरह से रख-रखाव किया जाएगा, इस पर हम लोगों को सामूहिक रूप से बैठ करके विचार करना चाहिए । मान्यवर, जिस समय शहरों में चुंगी समाप्त की गई थी हमारे माननीय सदस्य यहां बैठे हुए हैं उसके पीछे एक मंशा थी । निश्चित रूप से एक पवित्र मंशा होगी और उसको समाप्त करके इस बात का निर्णय हुआ था कि जो पैसा आएगा उसका 15 प्रतिशत सरचार्ज के रूप में लगा कर लेंगे, लेकिन वह कभी नहीं दिया गया । आज अगर समस्या पांच हजार करोड़ रुपये की है तो इसके बारे में मान्यवर, हम सबको विचार करने की आवश्यकता है ।

मान्यवर, मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा क्योंकि समय ज्यादा नहीं है । माननीय सदस्यों ने इसको देखा, पुस्तिका से समझने का प्रयास किया ? मैं शहर से चुनकर आया हूं अगर शहर विकसित होंगे तो देश विकसित होगा, इस समय मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूं लेकिन यह सत्य है कि बड़े शहरों में वाटर वर्क्स बने थे, तो वह अंग्रेजों के काम में बने होंगे । इन सौ सालों में बड़े वाटर वर्क्स किसी भी सरकार ने नहीं बनाये, 50 वर्ष हो गए, इसकी चिन्ता होनी चाहिए । इसके लिए हमने योजना आरम्भ की है अभी मंत्री जी 67 वाटर वर्क्स की बात कह रहे थे । कानपुर में गंगा बैराज है । विगत 50 वर्षों से घोषणा करते रहे हैं लेकिन काम इन्हीं पांच वर्षों में हुआ माननीय मंत्री जी ने कानपुर गंगा बैराज के लिए जो काम किया उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं । समय सीमा कम है हमारे सदस्य उतावले हो रहे हैं बोलने के लिए । शहरों में आवास की बात है तो सरल आवास योजना आरम्भ की गई है, तो कुछ सदस्यों को लग रहा था कि बड़े बिल्डर्स के लिए ही की गई है, जो बजट में दिया गया है उसे देखने की आवश्यकता उन्होंने महसूस नहीं की, जो घर से लिखकर लाए थे बस उसी को बोलने की आवश्यकता महसूस की । अगर छोटा सा भी मकान दिया था तो उसको भी नियमित करने की व्यवस्था की थी । इस पर उनकी निगाह नहीं जाती है । माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं । नगरों की स्थिति को देखते हुए कुछ पैसा बढ़ाने की आवश्यकता है और हम निश्चित रूप से बढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन जिस समय अतिक्रमण की बात होती है, तो किन्हीं-किन्हीं कारण से ये लोग आकर के खड़े हो जाते हैं । मान्यवर, एक टास्क फोर्स माननीय मंत्री जी ने बनाया है ताकि सारे के सारे विभाग सम्मिलित रूप से इन नगरों के विकास कर सकें । मान्यवर, यहां 644 स्थानीय निकाय हैं । तो उनमें से 100–150 ऐसे हैं जिनके यहां पाइप लाइन और वाटर सप्लाई नहीं थी लेकिन मुझे प्रसन्नता है और मंत्री जी ने इस बात की जानकारी दी कि कोई भी स्थानीय निकाय नहीं बचा है जहां पर पाइप लाइन न बिछा हो । अन्त में अधिष्ठाता महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं मंत्री जी से कि जो अधूरी पड़ी योजनायें हैं उनको पूरा किया जाये । कहीं पर टंकी है तो ट्यूबवैल नहीं, कहीं पर टंकी और ट्यूबवैल दोनों हैं तो जनरेटर नहीं है और कहीं यदि तीनों उपलब्ध हैं तो डिस्ट्रिब्यूशन नहीं है इसकी ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसके लिये आपका आदेश और चला जाये जिससे जो अधूरी योजनायें हैं यह पूरी हो जायें । इससे आपने जो पैसा खर्च किया है उसका लाभ जन-मानस को दे सकेंगे । निश्चित रूप से आपके अन्दर जो पीड़ा है, उन बस्तियों को सुधारने की, उन नगरों को नया रूप देने की, उसमें आप कामयाब होंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री शारदानन्द अंचल–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी आज्ञा से कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने एक साथ थोक भाव में कई विभागों का बजट इस सदन में प्रस्तुत किया है। इसलिये किया है कि कटौती के प्रस्ताव पर बोलने वालों की संख्या कम और समय कम मिले, इसलिये आलोचना कम हो, मा० मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह पिछले सालों के बजट से कम है और यह बताता है कि विभाग की प्रगति के लिये आप कितने गम्भीर हैं। मान्यवर, नगर की सफाई और जो नगरीय चिकित्सा सेवा है या जो अन्य व्यवस्था है वह तो संदिग्ध है और कम है उसको तमाम लोग जानते हैं। मा० मंत्री जी भी नगर में रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या उनके सामने यह है कि इनकी पार्टी की जो नीति है सारी सरकारी सम्पत्ति औने-पौने में बेच दो और उससे अपनी निजी भागीदारी करो। इस दिशा में अपने विभाग को ले जाने का काम मा० मंत्री जी बहुत तेजी से किये हैं। इस तरह से अपनी सरकार की नीति के अनुसार यह फैक्ट्रियों को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरीके से नजूल भूमि को पूरे प्रदेश स्तर पर शहरों में बेचने की तैयारी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के माध्यम से और उन लोगों के माध्यम से जो उनके चहेते हैं, करने जा रहे हैं। उसका कोई मूल्यांकन नहीं होता है। शहरों की जमीनें कीमती होती हैं और शहर के अन्दर होती हैं, उसकी व्यवसायिक व्यवस्था हो सकती है, अच्छे मकान बन सकते हैं। फ्लैट बन सकते हैं, कमाऊ रूप पा सकते हैं उसको औने-पौने दामों में बेचने का काम कर रहे हैं और उसमें आपकी सहमति न होगी यह मैं नहीं मान सकता। मैं नहीं मानता कि बिना आपके आदेश के नजूल भूमि को कम दाम में बेचने का काम किये हैं, उन रैकेट के लिये जिसमें ठेकेदार हैं, भू-माफिया हैं और विभिन्न ऊंचे पदों के पदाधिकारी के रूप में हैं, उन लोगों ने इस भूमि को खरीदा है।

मान्यवर, अगर बढ़िया चिकित्सालय शहर के अन्दर बनाना है, बढ़िया स्कूल बनाना है तो आप जमीन कहां से लायेंगे और अपने सपने को कैसे पूरा करेंगे ? इस पर आप विचार नहीं कर रहे हैं कि जमीन कैसे बचाई जाये ? आप और आपके चहेते और अधिकारी नजूल की जमीनों को बेचने का काम कर रहे हैं जिस पर रोक लगाई जाये। मान्यवर, बलिया जनपद में, नगर बलिया में, तहसील बलिया में दो मौजें हैं, मिड्ढी और विशनीपुर, जहां पर जमींदारी अब भी बरकरार है। आपके अधिकारी मानते हैं कि जमींदारी टूट गयी है लेकिन वहां का जमींदार आज भी कहता है कि जमीन के मालिक हम हैं। वहां पर जो नजूल की जमीन है वह 1938 में और उसके पहले लोगों को सौंप दी गयी थी कि आप मकान बनायें, सरकार इस जमीन का आवंटन करेगी, जिला प्रशासन जमीन का आवंटन करेगा लेकिन जमीन आवंटन न कर के उसको धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, और बहुत कम दामों में बेचा जा रहा है। दो-दो बीघे जमीन जो बलिया में कचेहरी रोड पर है और कांग्रेस पार्टी के भवन के बगल में है उनको कुछ लाख रुपये में बेच दिया गया है और स्टाम्प ड्यूटी बचाई गयी है। वहां के अपर जिलाधिकारी ने अपने घर पर रजिस्टर मंगा कर मिड्ढी मौजे की जमीन कम दामों में बेच दिया। जिससे लाखों रुपये के स्टाम्प का नुकसान हुआ। ऐसे मामलों की जांच करानी चाहिए। बनारस, गोरखपुर, इलाहाबाद, लखनऊ और जितने महानगर हैं वहां पर भारी रैकेट चलाकर नजूल की जमीनों को लूटा जा रहा है। इसके अलावा जिन लोगों के घर की आबादी कम है उनके मकानों पर कब्जा किया जा रहा है। ऐसे मकानों में लोग किराये पर घुस गये हैं और उनको मंत्री या किसी बड़े अधिकारी का सहारा मिल गया है और उन्होंने मकान पर कब्जा कर लिया है। इससे कानून और नगर की व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है कि आने वाले दिनों में जब सार्वजनिक काम करने की आवश्यकता होगी,

पार्क बनाने की आवश्यकता होगी और ग्राम समाज तथा नजूल की जमीन नहीं होगी तो जमीन कहां से आयेगी ।

इस तरह से जमीनों को बेचने की प्रक्रिया निश्चित रूप से खतरनाक है । सम्पत्ति बेचने और रुपया कमाने के अभियान को बन्द करना चाहिए क्योंकि मंत्री जी जितनी आप लेते हैं उससे ज्यादा आप के अधिकारी ले रहे हैं । अधिकारियों का कहना है कि जब देश को धोखा देना है, समाज को धोखा देना है, नगरों को अव्यवस्थित करना है और गलत काम करना है तो हमारा पावना मंत्री जी से और उन चहेतों से अधिक होना चाहिए । सरकारी जमीनों को बेचने का यह जो काम हो रहा है उसको बन्द करना चाहिए । चाहे हम हों, आप हों या कोई दूसरा हो यह जो लाभ पहुंचाने की नीति है इससे आप को हटना चाहिए ताकि जो सार्वजनिक काम हैं उनके लिए जमीनें बची रह सकें । शासन के जो टैक्सेसन हैं वह बिलकुल विसंगतिपूर्ण हैं । जलकर, गृहकर यह सारे विसंगतिपूर्ण हैं इस पर पुनर्विचार करने का काम करें । पूर्वांचल के अनेक शहरों की हालत खराब है । बलिया में नगर पंचायत बेल्थरा, रसरा, सुन्दरपुर, रेवती, बांसडीह आदि कस्बों की हालत खराब है । स्ट्रीट लाइट खराब है, बिजली नहीं दे रहे हैं, सफाई कर्मचारियों का वेतन बकाया है वह हड़ताल कर रहे हैं, वहां नालियों-सड़कों की हालत खराब है । सफाई कर्मचारियों को वेतन देने का कष्ट करें । बिजली के लिए जनरेटर्स की व्यवस्था करें । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

अधिष्ठाता महोदय, आपने मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं । मैं, आवास मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान परिस्थितियों में वर्तमान संसाधनों के आधार पर जो सर्वाधिक बढ़िया किया जा सकता था वह करने का प्रयास मंत्री जी द्वारा किया गया है । मैं कुछ सुझाव के रूप में बातें रखना चाहता हूं । मंत्री जी, मैं चाहता हूं कि पालीथीन का प्रयोग बन्द किया जाए । यह प्रदेश के नगरों में जल निकासी के लिए बहुत आवश्यक है । दूसरी बात नगरों में बढ़ती हुई आबादी के दबाव की रोशनी में भविष्य के लिए नगरों की कार्य योजना बनानी चाहिए । नागरिकों के लिए स्वकर बाध्यकारी कर दें । अधिकारी स्वकर निर्धारण को बाध्य नहीं करना चाहता है क्योंकि उसके हाथ से रसगुल्ला चला जाएगा । नगरों में जमीन पड़ी है उसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पार्कों की स्थापना के लिए विधायक निधि से पार्कों के विकास के लिए मुफ्त जमीन दिए जाने की व्यवस्था करने की कृपा करें । ग्यारहवें वित्त आयोग का शासनादेश के अनुसार नगर निगम में नगर प्रमुखों की सहमति लेना आवश्यक है । उसमें नगर निगम क्षेत्र के इस सदन के सदस्यों को भी सहमति लेने के लिए शासनादेश में संशोधन कर दें । मेरठ में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नौचन्दी मेला अपना गौरव खोता जा रहा है । जिला पंचायत और नगर निगम के बीच झगड़ा है । वह कुछ सभासदों की कमाई का जरिया बन गया है । कुछ जिला पंचायत नगर निगम सदस्यों की कमाई का जरिया है यह अपना गौरव खोता जा रहा है । मेरठ में कचरे से बिजली बनाने की योजना के अन्तर्गत एक योजना लम्बित है यह डेढ़ साल से (नगर निगम स्तर पर तथा अनुबन्ध नहीं किया जा रहा है, इसका अनुबन्ध कराने की कृपा करें । पेयजल के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि आई०आर०–1 व आई०आर०–2 अभी पूर्ण नहीं हुआ है आई० आर०–3 योजना प्रारम्भ होने की प्रतीक्षा में है । इस ओर मंत्री जी को बयान देना चाहिए । सरफेस वाटर जनपद मेरठ और बागपत में उपलब्ध है । सरफेस वाटर की उपयोग की एक योजना है अगर इसमें धन उपलब्ध करा दिया जाए तो मेरठ में भविष्य में ट्यूबवेल चलाने से बचा जा सके,भू-गर्भ जल की बचत की जा सके । मंत्री

जी ने सिर पर मैला ढोने की रोक लगाई है इसके कारण बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं ऐसे लोगों के लिए जनपदवार कोटा निर्धारित कर दें कि प्रत्येक जनपद में हम इतने लोगों को सिर पर मैला ढोने से विरत करना है। मेरठ–महानगर में कमला रोग जनस्वास्थ्य के लिए गम्भीर खतरा बना है। शासन द्वारा बार-बार निर्देश भी हुए हैं। विधान सभा में आश्वासन भी मिला है। फिर भी बन्द नहीं हुआ और उनको रोजगार उपलब्ध करायेंगे तो शायद यह जो आपने निर्णय लिया है कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करेंगे, उस समाज को इसका लाभ मिल सकेगा। जल-निकासी या जमीन के नीचे जल के बारे में हाइड्रोलॉजिकल सर्वे पहली बार 19वीं शताब्दी में सर्वे हुआ था तब आपके पास संसाधन नहीं थे, लेकिन आज आपके पास रिमोट सेंसिंग प्रणाली है। हाईड्रोलिक सर्वे हो जाये तो जल-निकासी और पेयजल समस्या का समाधान हो सकता है।

मान्यवर, नगर में जर्जर और पुरानी पाइप लाइनें हैं, इनको बदलने का प्रयास किया जाय। इसी तरह से आवास विकास के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि किसानों की जमीनें ली गईं, लेकिन उसके मुआवजे तथा कर्ज का निस्तारण नहीं हुए। मैं अपने जनपद–मेरठ में वेद व्यासपुरी कालोनी के बारे में बताना चाहता हूं कि यह मेरठ विकास प्राधिकरण की है वह आवास विकास परिषद् लेने के लिए तैयार है अगर विकास प्राधिकरण उसे दे देंगे, तो उनको उससे एक अरब रुपया मिलेगा जिससे वह किसानों का सवा अरब रुपया बकाया है उसका भुगतान कर सकेंगे। किसानों के साथ बैठकर एक समझौता कर लें ताकि एक अरब में ही कर्जे का निस्तारण हो जाय। मान्यवर, इसी तरह से बताना चाहता हूं कि आवास विकास का एक शासनादेश है कि शैक्षणिक भू-खण्ड के पास दो हजार मीटर का स्थान पार्क के लिए होना चाहिए, लेकिन मान्यवर, इस शासनादेश का अनुपालन विकास प्राधिकरण के अधिकारी नहीं कर रहे हैं। आर्थिक संकट का बहाना लेकर झुठलाने का काम आपके अधिकारी कर रहे हैं इनको ऐसा अधिकार नहीं मिलना चाहिए। एक महत्वपूर्ण घटना की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं मेरठ में एक शैक्षणिक भू-खण्ड 1992 में तत्कालीन आवास आयुक्त और वर्तमान के प्रमुख सचिव नगर विकास के द्वारा एक उच्चस्तरीय समिति में निर्णय लिया गया था आज तक उस शैक्षणिक समिति को कब्जा नहीं दिया गया है चार-चार आदेश भी हुए लेकिन उसको व्यापारिक भू-खण्ड बनाकर बेचने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह से पर्यटन की दृष्टि से दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। हमारे मेरठ में भी पर्यटन की सम्भावना अच्छी है वहां पर हस्तिनापुर, परीक्षितगढ़, महाभारतकालीन स्थान हैं। जैन तीर्थस्थल है, इसमें भी पर्यटन की काफी सम्भावना है। मैं, मा० मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर विचार कर लें। एक निवेदन और करना चाहूंगा कि उत्तरांचल बन जाने के बाद प्रदेश में पर्यटन की सम्भावनाओं को तलाशने का काम मा० मंत्री जी ने प्रारम्भ किया है, इच्छा जाहिर की है उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पर्यटन के माध्यम से आर्थिक संसाधन भी बढ़ेंगे और बाहर से पर्यटक भी आयेंगे। मेरा निवेदन है कि वर्तमान बजट जो प्रस्तुत किया गया है यह उन आशाओं के अनुसार नहीं है जो आपने प्रदर्शित की हैं, जाहिर की है। उसके हिसाब से यह बजट कम है। मैं इतना जरूर माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसको देख लें कि पर्यटन की दृष्टि से जो जिलेवार स्वीकृति होकर आई है उसके अनुपात में कितना प्राविधान बजट में है। जिलों में जब बजट जाय तो उस समय जन-प्रतिनिधियों के सुझावों पर भी विचार कर लें। माननीय मंत्री जी ने गढ़मुक्तेश्वर के विकास की बात कही है। अगर वह योजना जो सरकार के द्वारा गढ़मुक्तेश्वर के विकास की बनाई गई है जिस दिन वह विकसित होगा निश्चित ही वह हरिद्वार से बढ़िया बनेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को जैसा कि मानते हैं मुक्ति पाने के लिये हरिद्वार जायें। उसी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश वालों के लिये यह गढ़मुक्तेश्वर हो जायेगा। अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं कि आपके विभाग जनता

से जुड़े हुए हैं। नगरीय जनता आपकी ओर आशा भरी निगाह से देख रही है। आप हिम्मत और साहस दिखायें। बिल्ली को आते देखकर कबूतर उड़ने की कोशिश न करे, ऐसा न लगे। आप संसाधन जुटायें चाहे टैक्स लगाना पड़े। लगे हुए टैक्सों की वसूली की कार्यवाही सख्ती से करें। नगर निगम और स्थानीय निकाय में आपके आधे से अधिक मकानों पर टैक्स नहीं है। आधे से अधिक पानी के कनेक्शन रेग्युलर नहीं हैं। अगर यह रेग्युलर कर दिये जायं तो आपके संसाधन बढ़ जायेंगे। एक बात और कहना है कि 174 (ए) (बी) में संशोधन करके हाउस टैक्स में जो व्यवस्था की गई है। उसका उल्लंघन शासन में बैठे कुछ अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। मान्यवर, मर्चेन्ट चेम्बर आफ कानपुर जो व्यवसायियों की बहुत बड़ी संस्था है, मैं, मान्यवर, एक उदाहरण देना चाहूंगा जिस पर 12,480 रु० टैक्स था वह 3 लाख 48 हजार हो गया, इसी तरह के पांच-छः उदाहरण हैं, इसी तरह से 174(ए) में जो नगर निगम में संशोधन किया गया है स्वतः कर निर्धारण करने का, इसमें उत्पीड़न बढ़ रहा है आपकी इस नीति को फेल करने का काम हो रहा है तो ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके कार्यवाही की जाए। इसी के साथ मैं मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद।

* श्री रियाज अहमद–

मान्यवर, आपने आवास, नगर विकास और पर्यटन विभाग पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर, जो माननीय अरविन्द गिरी जी और माननीय विवेक बंसल जी ने रखा है, इस पर बोलने के अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और श्री अरविन्द गिरि, श्री विवेक बंसल जी एवं श्री देवेन्द्र सिंह जी ने जो विचार रखे हैं उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, पीलीभीत में आपको मैं ले जाना चाहता हूं, पर्यटन की बात कही गई है मैं बताना चाहता हूं पीलीभीत गंगा-जमुनी तहजीब की धरोहर है जो उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलती है। हमारी पीलीभीत में जो रुहेला सरदार हाफिज रहमत खां की शाही मस्जिद है, वह दिल्ली की शाही मस्जिद की तर्ज पर बनी हुई है लेकिन यहां की कारीगरी दिल्ली की शाही मस्जिद से भी काफी अच्छी है, जिसको देखने के लिए देश और विदेश से लोग आते हैं। इसको रोहेला सरदार हाफिज रहमत खां ने बनवाया था। इन्होंने ही 267 वर्ष पहले गौरी शंकर के मन्दिर को बनवाया था। जिसको पुरातत्व विभाग ने अपने अण्डर में कर लिया है। वह बहुत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है उसका जीर्णोद्धार कराया जाये। इसी के साथ-साथ मैं कहना चाहूंगा पीलीभीत में 15 अगस्त, 1947 को जब देश आजाद हो रहा था उस समय आजादी की पीलीभीत में शहीदों की याद में राम स्वरूप पार्क की स्थापना की थी। लेकिन यह कहते हुए मेरा सर शर्म से झुक रहा है उन आजादी के महान शहीदों की यादगार में जो रामस्वरूप पार्क बनाया गया था जो कि शहीद हुए थे उस पर तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा शौचालय बनाने का प्रयास किया गया। जब जनता का आक्रोश बढ़ा तो उसको रोक दिया गया। आज वह ऐसी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है मैं चाहूंगा इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। मान्यवर, पीलीभीत में जहां यह सब चीजें हैं वहीं सूफी सन्त हाजी शाह जी शेरमियाँ, रहमतुल्ला आले की दरगाह है। उसको देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं। यहां रेलवे स्टेशन से लेकर नावेल्टी तिराहे तक जिला उद्योग केन्द्र से लेकर यादगार वाले मियां की मजार तक जो हमारे शहर को डुबोते हैं। अगर इन सड़कों की तरफ नजरे करम हो जाय तो पीलीभीत जिस तरह से ऐतिहासिक शहर है वह चमकने लग जायेगा। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मान्यवर,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तत्कालीन जिलाधिकारी श्री जय शंकर मिश्र ने एक नेहरू पार्क की स्थापना करायी थी और वह सरकारी संसाधन से नहीं अपने प्रयासों से शहर के बड़े-बड़े लोगों को बुलाकर समाज सेवा चलाने वाले लोगों को बुलाकर एक खूबसूरत नेहरू पार्क की स्थापना करायी थी । लेकिन रख-रखाव उचित न होने के कारण उसकी दुर्दशा हो रही है । मैं चाहूंगा कि इस खूबसूरत शहर को और सूबसूरत बनाने के लिए उसके रख-रखाव की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है । मैं एक बार फिर पीलीभीत की दो सड़कों के बारे में बल दूंगा जिससे पर्यटन हो उसको बढ़ावा मिले और नगर विकास में पानी की समस्या है, लोगों के आने-जाने की समस्या है उससे निजात मिलेगी । मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मैं श्री अरविन्द गिरी, देवेन्द्र प्रताप सिंह और विवेक बंसल ने जो कटौती रखी है इस पर बल देता हूं ।

(समय रात्रि 10 बजकर 02 मिनट)

* श्री घूराराम–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आभारी हूं । मान्यवर, निश्चित रूप से नगरों और महानगरों का विकास हुआ है । इसलिये देहाती लोग यह कोशिश करते हैं कि नगरों में चले जिससे हमारा विकास हो, समाज का विकास हो । इसलिए विकास में वृद्धि होना जरूरी है । इसमें माननीय मंत्री जी ने सारी व्यवस्था कर दी है और यह लोकहितकारी बजट है । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं । मैं, आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की समस्या की ओर ले जाना चाहता हूं । मान्यवर, मैं दो बार इस सदन का सदस्य रहा हूं । मैंने स्वयं ही इसलिए कि मैं गांव का रहने वाला व्यक्ति हूं और निश्चित रूप से गांव में शिक्षा दीक्षा लेने के कारण इस तरह का माहौल नहीं मिल पाया जिस तरह से शहर के लोगों को मिलता है जिससे मेरा विकास हो । मान्यवर, मेरा यह मानना है कि सभी सदस्य चाहते होंगे जो गांव के रहने वाले हैं, नगरो के रहने वाले हैं अगर हमारा विकास नहीं हुआ है तो हमारे बच्चों का विकास होना चाहिए जिससे पठन-पाठन का काम चल सके । मैं कहना चाहता हूं कि आवास विकास में 1997 में श्री देश दीपक जी जो लखनऊ मण्डल के कमिश्नर थे, वह आवास विकास के अध्यक्ष हुआ करते थे । मैंने दरख्वास्त दी । उन्होंने बी०सी०एल०डी०ए० को आदेश दिया कि प्राथमिकता के आधार पर आवास आवंटित कर दिया जाय । मान्यवर, जब से मैंने दरख्वास्त बी०सी०एल०डी०ए० में दिया है तब से आज तक प्रयास करता रहा, सचिव, आवास को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने दरख्वास्त ली उन्होंने हियरिंग की । उन्होंने लिखा लेकिन अभी तक आवास नहीं मिला, भूखण्ड नहीं मिला । इसलिए कि मैं शुद्ध रूप से गांव का रहने वाला व्यक्ति हूं । यह भी सत्य है कि अर्थ का अभाव है, लोन लेकर आवास बना सकता हूं मान्यवर, मैं चाहता हूं कि ऐसे आवास बन सकें जिसमें बच्चों का पठन-पाठन का कार्य हो सके । मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आवास विकास विभाग और नगर विकास विभाग दोनों विभागों में माफियाओं और बिचौलियों का बोलबाला है । दलाल जब चाहे जिसे आवास और भू-खण्ड उपलब्ध करा सकते हैं और जब चाहे उसे बेच सकते हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा० मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह जो बिचौलिये हैं उनके खिलाफ कठोर अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये और मैं एक बात और यह कहना चाहता हूं कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

या तो उनको आवास दिये जाने या उन्हें फ्री होल्ड भू-खण्ड उपलब्ध कराये जायें । मान्यवर, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान बलिया जनपद की तरफ ले जाना चाहता हूं मैं बलिया जनपद का रहने वाला हूं । बलिया नगर पालिका में श्रवण अनुसूचित जन जाति के लोग सैकड़ों वर्षों से रहते हैं । उन्होंने पट्टे के लिये नगर पालिका में पैसा जमा किया और काफी प्रयास किया लेकिन उनको पट्टा नहीं मिला । परिणाम यह हुआ कि रेलवे के अफसरों ने उनके घरों पर बुलडोजर चला कर तोड़ दिया, उन्होंने उनसे कहा कि अपने घरों को हटा लो नहीं तो वरना हम इनको तोड़ देंगे । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि वह लोग नगर पालिका की जमीन में रहते थे नगर पालिका के अधिकारियों ने उन लोगों से कहा कि उनके लिए आवास की व्यवस्था की जायेगी लेकिन मान्यवर, आज तक उनके लिए आवास की व्यवस्था नहीं की गयी और मान्यवर, आज उनकी हालत यह है कि ऐसा लगता है कि उनके बच्चे किसी दिन भूख से मर जायेंगे । इसलिए मा० मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि उनके लिए व्यवस्था की जाए । मान्यवर, मैं रसड़ा नगर पालिका की एक बात और कहना चाहता हूं कि वहां पर 7 बड़े-बड़े तालाब हैं और उन तालाबों में शहर का गन्दा पानी आकर गिरता है जिससे तरह-तरह की बीमारियां होती हैं । इसलिये मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उन तालाबों को पटवाकर उन जमीन पर बालिका इण्टर कालेज और डिग्री कालेज खोल दिये जाएं क्योंकि हमारे यहां एक भी बालिका इण्टर और डिग्री कालेज नहीं है । मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे यहां रसड़ा में नाथ बाबा का मेला एक महीने तक लगता है । लाखों की संख्या में अलग-अलग शहरों से श्रद्धालू वहां आते है । मान्यवर, रसड़ा नगर पालिका में नाथ बाबा का मेला 10 एकड़ की जमीन में लगता है मेरा सुझाव है कि सरकार उसके लिए धन की व्यवस्था करे और इसे पर्यटन क्षेत्र बना दिया जाये । इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी । तो मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मैंने जो बातें रखी हैं उनका संज्ञान लेकर समाधान करने का कष्ट करेंगे । इसी के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

* श्री विजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया है इसके लिए अभारी हूं । मान्यवर, टण्डन जी, इस सदन के वरिष्ठ और दमदार मंत्री हैं, जब वे अपने बजट भाषण में अपनी कार्य योजना का वर्णन कर रहे थे तो एक बात मुझे याद आई कि और जो कटौती प्रस्ताव रखते हुए श्री अरविन्द गिरि, श्री विवेक बंसल, श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह ने पीड़ा व्यक्त की है उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से सच्चाई छिप नहीं सकती इन झूठे उसूलों से । मान्यवर, इस विभाग से बहुत आशाएं थीं कि आप जैसा दमदार और ताकतवर मंत्री कोई नहीं है और जिनकी बहन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हो और जिसके भाई का विकास का बजट हो तो वहां तो आप कुबेरवर बैठे हुए हैं । आपके पास धन दौलत की कमी है ही नहीं । मान्यवर, जो आपने चिन्ता व्यक्त की है वह सही है मान्यवर, आपका जन्म बड़े नगर में हुआ है आप बड़े नगर में पले हैं । आपको बड़े नगरों का अनुभव है । आप छोटे-छोटे कस्बों नगर पंचायतों के विकास की बात भूल गये हैं । मान्यवर, जितनी नगर पंचायत हैं उनका टैक्स बहुत कम आता है उनमें धन का अभाव होता है और उस धन के अभाव में वह जनता के सुख चैन का काम नहीं कर पा रहे हैं मान्यवर, जो उनके कर्मचारी हैं उनका वेतन भत्ता देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है । मान्यवर, जो तमाम नगर पंचायते

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं आपने उनके लिए धन का पर्याप्त प्राविधान नहीं किया है । मान्यवर, बिजली का संकट है पूरे प्रदेश में बड़े-बड़े नगरों में बिजली है वहां पेयजल का संकट का समाधान चन्द मिन्टों में हो जाता है और वह जागरूक भी हैं । लेकिन मान्यवर, नगर पंचायतों में बिजली के अभाव में पेयजल का संकट बना रहता है । मैं अनुरोध करूंगा कि हर नगर पंचायत में एक जनरेटर की व्यवस्था की जाय ताकि बिजली के अभाव में पानी की समस्या न हो । मान्यवर, कुछ बड़ी-बड़ी नगर पंचायतें हैं उनको टाउन एरिया घोषित करने के लिए कार्यवाही करायें । मान्यवर, हमारे यहां मौडा कस्बा है सारी शर्तें पूरी करता है उसको टाउन एरिया घोषित करवायें इस तरह से बैसवा इगलास है, नगर पंचायत है । मान्यवर, इनके विकास के लिए आप ध्यान दें । मान्यवर, आपने 2001-2002 में 28 करोड़ और वहीं 2000-2001 में 37 करोड़ इनके पर्यटन विकास के लिए दिया है आप कहेंगे कि उत्तरांचल बनने के बाद विकास के लिए इतना ही धन सक्षम हैं । मान्यवर, आपकी सरकार में इस पार्टी का जनम धर्म स्थल से हुआ अयोध्या में मन्दिर मस्जिद के विवाद से हुआ हमें उम्मीद थी कि आप पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस धर्म के स्थलों का सहारा लेंगे और धर्म स्थलों को पर्यटन स्थल घोषित करेंगे । मान्यवर, और उनके विकास के लिए धन मुहैया करेंगे । मान्यवर, महाभारत में द्वापर युग में युद्ध हुआ मथुरा में कृष्ण पैदा हुए और अयोध्या भगवान राम की जन्मस्थली है । मान्यवर, हमें उम्मीद थी कि भगवान कृष्ण की जन्म स्थली मथुरा और वृन्दावन के विकास के लिए कोई ठोस कार्ययोजना आप लायेंगे । मान्यवर, महाभारत का युद्ध जिसके प्रणेता पितामह भीष्म थे हमें उम्मीद थी कि आप मेरठ के हस्तिनापुर को पर्यटक स्थल बनायेंगे और उसके विकास के लिए ठोस कार्यक्रम बनायेंगे मान्यवर, हस्तिनापुर का जीर्ण किला मेरठ में है । मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है जो भी पर्यटक दिल्ली आता है वह आगरा और मथुरा जाता है । मान्यवर, आपने कहा है कि हम वहां इकोनामिक जोन बनायेंगे और हमें आशा है कि वहां बड़े-बड़े पर्यटक गृह बनेंगे । मान्यवर, ऐतिहासिक धरोहर हमारे क्षेत्र में धुरनीपुर सरोवर है जहां आदि काल में विश्वामित्र ने यज्ञ किया था उसको पर्यटन स्थल घोषित किये जाने की पत्रावली आपके यहां विचाराधीन है । इसी तरह से अलीगढ़ खेरेस्वर धाम अलीगढ़ में है वहां बलदाऊ का जन्म हुआ था उसे पर्यटक स्थल घोषित करें जब तक नये पर्यटक स्थल घोषित नहीं करेंगे तब तक आपकी आय नहीं बढ़ेगी । मान्यवर, आगरा से दिल्ली और आगरा से हरिद्वार जाते समय सासनी हाथरस में मंगलायेतन है 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है जहां जैन धर्म के अनुयायियों का धार्मिक स्थल है इसी तरह से हस्तिनापुर है मेरठ में जो पाण्डवों का जन्म स्थान है उसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करें । मान्यवर, भारत रत्न पाने वाले के नाम से अलीगढ़ की आवास विकास कालोनी में राजीव गांधी पार्क है उसके सर्वांगीण विकास के लिये धन आवंटन करें जिससे हम सभी लोग जयजयकार करेंगे । मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए आशा करता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हरिद्वार है उस पर मिडवे की स्थापना करेंगे लखनऊ से अयोध्या और आगरा से दिल्ली जाते समय जैसे राजस्थान में राजकीय मिडवे बना है वैसे ही अयोध्या वाले रोड पर और दिल्ली वाले रोड पर मिडवे की व्यवस्था करें और हस्तिनापुर को पर्यटन स्थल अवश्य घोषित करें । इसी के साथ ही कटौती के तीनों भाइयों के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि 100 से अधिक सदस्यों ने बोलने की सूची में नाम दिये हैं सभी सदस्य 2-2 मिनट बोलना चाहते हैं । जो माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े होते हैं वह समय सीमा का अतिक्रमण करते हैं मेरा अनुरोध है कि संक्षेप में अपनी बात कहने का कष्ट करें । बिना पृष्ठभूमि बनाये अपनी बात कहने का कष्ट करें ।

*श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे नगर विकास, आवास एवं पर्यटन पर माननीय मंत्री जी द्वारा रखे हुए बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। मान्यवर इस प्रदेश के प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कुशल प्रबन्धन एवं कुशल नेतृत्व एवं माननीय नगर विकास मंत्री जी के कुशल प्रबन्धन में सबसे पहले विकास जो लखनऊ नगर में हुआ है वह विगत पांच वर्षों में अतुलनीय रहा है। मान्यवर, लखनऊ नगर पहले एक नगर परिषद् के समान था लेकिन इधर जबसे माननीय प्रधान मंत्री और माननीय नगर विकास मंत्री ने इस पर ध्यान दिया है। हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी बहुत खूबसूरत, चौड़ी सड़कें हो गई हैं। गोमतीनगर है, इन्दिरानगर है और अन्य स्थान हैं उसका भी विस्तारीकरण हो रहा है। चाहे जो भी हो इसका विस्तारीकरण हो गया है यह बहुत ही सुन्दर हो गया है। पहले बहुत कम धन का आवंटन होता था इसके कारण किसी भी चाहे नगर निगम हो चाहे नगर पंचायत हो, चाहे नगर परिषद हो कहीं विकास नहीं हो पाता था लेकिन विगत 10 वर्षों में इस पर चिन्तन करने के बाद जब कल्याण सिंह मुख्य मंत्री थे तब 10 परसेंट धन इस पर आवंटित हुआ था तब से विकास की नदियां बहने लगीं। अभी भाषण में देवां और महादेवा का नाम लिया गया था। देवां में हाजीशाह की मजार है वहां बहुत बड़ा मेला लगता है प्रत्येक वर्ष अक्टूबर महीने में लाखों लाख लोग यहां आते हैं। महादेवा एक तीर्थ मन्दिर है और आप देखते हैं वहां लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। देवा माती रोड को चौड़ा करने का काम किया जाये। जो रोड बहराइच–गोण्डा को जोड़ता है वहां जो महादेवा का 4 किमी० का रोड है इस सड़क से होकर जब तीर्थ यात्री आते हैं तो बेहद संकरा होने के कारण बहुत कठिनाई होती है। तीन किमी० जो महादेवा से गनेशपुर मार्ग को जोड़ता है उस सड़क का 3-4 किमी० चौड़ीकरण हो। वहां जो श्रद्धालु जाते हैं वह लेट कर जाते हैं। वहां एक्सीडेंट हो जाते हैं। वहां गाड़ी तक खड़ी करने के लिए जगह नहीं है। महादेवा को छोड़कर जो सबसे विख्यात है वह है पारिजात का वृक्ष। वहीं कुन्देश्वर मन्दिर भी है। मैं आग्रह करूंगी कि इसका गहन अध्ययन कराकर इस पर कार्ययोजना बनाने का काम करें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं और बजट का समर्थन करती हूं।

*श्री ओम प्रकाश (सीतापुर)–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय नगर विकास मंत्री का ध्यान अपने जनपद सीतापुर नैमिषारण्य मिश्रिख की ओर ले जाना चाहता हूं। यहां पर एक तीर्थस्थान है जहां पर मंत्री जी ने जा करके वहां की व्यवस्था का सुधार करने के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन किया था और वहां पर एक शिलापट भी लगाया था। जिससे वहां की जनता की निगाहें माननीय मंत्री जी की ओर बराबर देखती रहती हैं कि नैमिषारण्य मिश्रिख का विकास माननीय मंत्री जी निश्चित रूप से करायेंगे। वहां पंडा और माली जाति के लोग 90 परसेंट रहते हैं। जिनके पास जीविका का साधन वह तीर्थ स्थान है और मन्दिर है। उनके पास जीविका का कोई और साधन नहीं है वह लोग भुखमरी के कगार पर रहते हैं वहां का जो जलाशय है वह भी विदूषित हो गया है उसमें जहरीलापन आ गया है। मैं निवेदन करूंगा कि जो शिलापट आपने लगाने का काम किया है उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। नगरपालिका नीमसार मिश्रिख में सन् 1989 से पहले के कर्मचारी, आज तक स्थाई नहीं हुये हैं वह आज भी दैनिक वेतन पर कार्य कर रहे हैं। उनका 30-30 महीने का वेतन मिलना बाकी है इसी तरह से सीतापुर नगर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पालिका परिषद के कर्मचारी जुलाई महीने से भूख हड़ताल पर बैठे हैं वह तरह-तरह से परेशान हैं। शासन द्वारा न तो सीतापुर नगर पालिका को धन उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे पूरे सीतापुर नगर पालिका परिषद के अन्तर्गत जनता में त्राहि-त्राहि मची है। सब जगह कूड़े का अम्बार लगा हुआ है, सफाई नहीं हो रही है और बिजली की रोशनी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। मैं मा० मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि 2 महीने से ऊपर हो गये, हड़ताल चल रही है उसको समाप्त कराने के लिए नीमसार मिश्रिख नगर पालिका और सीतापुर नगर पालिका को ज्यादा से ज्यादा धन देकर समस्या का समाधान करावें ताकि सीतापुर की जनता परेशान होकर सड़क पर आने का काम न करें। अगर इन समस्याओं का जल्द ही समाधान न किया गया तो सीतापुर की जनता सीतापुर से लखनऊ तक निश्चित रूप से सड़कों पर छापा मारेगी और मा० मंत्री जी आपको भी घेरेंगी। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं लेकिन मा० मंत्री जी से इतना जरूर कहना चाहता हूं कि सीतापुर जनपद को आप छोड़े नहीं। वैसे भी मा० मंत्री जी रिश्तेदारी में हमारे चचा हैं। मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम सीतापुर जनपद की ओर देखें और सीतापुर जनपद का विकास कराने में सहयोग करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

*श्री भरत सिंह–

मा० अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे नगर विकास, आवास, तथा पर्यटन के बजट पर जिसे आदरणीय टण्डन जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है का समर्थन करने के लिये मौका दिया। आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अधिष्ठाता महोदय, मैं मा० मंत्री जी को उनके द्वारा प्रस्तुत बजट के लिए बधाई देना चाहता हूं। इस बजट में पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगरोदय योजना की घोषणा की गयी है मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। पं० दीन दयाल उपाध्याय भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के महापुरुष थे जिनके एकात्म मानववाद ने भारत के समाज को, भारत की संस्कृति को नयी दिशा देने का काम किया। ऐसे पं० दीन दयाल उपाध्याय करोड़ों-करोड़ लोगों की प्रेरणा के स्रोत हैं, एसे महान पुरुष के नाम पर माननीय नगर विकास मंत्री जी ने जो नगरों के विकास के लिए जो योजना अपनी प्रस्तुत की है, जो बजट प्रस्तुत किया है, एक बहुत ही सराहनीय और बहुत ही प्रेरणादायक योजना है, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। मान्यवर, नगरों के अन्दर रहने वाले गरीब लोगों के लिए बहुत-बड़ी बातें हमारे मित्र, विपक्ष के मित्र करते हैं, दलितों के बारे में बहुत लम्बे-चौड़े वादे करते हैं लेकिन पिछले 50 वर्षों से गरीब तबके के कुचले लोगों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन हमारे मंत्री जी ने उनके लिए भाऊ राव देवरस योजना का प्राविधान बजट में किया है। मैं माननीय मंत्री को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों, जो बीमारी से घिरे रहते हैं, हमारे मंत्री जी ने इन मलिन बस्तियों के लिए बाल्मीकी अम्बेडकर बस्ती विकास योजना का अपने बजट में प्राविधान किया है उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, मान्यवर, मैं आपका विशेष तौर पर आभारी हूं, महात्मा गांधी का नाम हमारे देश के महापुरुषों में ही नहीं विश्व के महापुरुषों में उनका नाम है और उनके बाद जो भारत के अन्दर पैदा हुए वह हैं लोक नायक जय प्रकाश नारायण, मुझे गर्व है कि सितारा खेड़ा में वह पैदा हुए और उसी के बगल में हमारा गांव है। लोक नायक जय प्रकाश नारायण का यह जन्म सती वर्ष बनाया जा रहा है तो इस जन्मशती वर्ष में हमारे मंत्री जी ने लोक नायक जय प्रकाश नारायण विशेष पैकेज की घोषणा का प्राविधान इस बजट में किया गया है। हम बलिया के समस्त विधायकों की ओर से और जनता की ओर से आपको बधाई देना चाहता हूं। गरीबों के उत्थान के साथ-साथ माननीय मंत्री जी ने पिछले पांच वर्षों से जिस

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रकार से सफल तरीके से काम किया माननीय विधायकों के आवास के बारे में आपने जो ख्याल किया है, इस वर्ष भी आपने एलान किया है। अधिष्ठाता महोदय, आप तो हमारे संरक्षक हैं, कृपया आप बत्ती न जलायें अभी, अभी तो हमने शुरू किया है। मैं जान रहा हूं कि आप मुझे बोलवा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों की छाती पर सांप लोट रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने नगर विकास मंत्री जी ने घोषणा किया है नव निर्वाचित विधायकों के लिए.....

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी मेरा अनुरोध है कि भरत भाई को लाल बत्ती दिखाई जाय, या फिर उन्हें लाल बत्ती दिलवा दीजिए।

* श्री भरत सिंह–

भाई अम्बिका चौधरी जी, हमारे अनुज हैं, मैं इमरजेंसी के पूर्व बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय में महामंत्री था, तब जेल गया था आपके नेता विपक्ष आजम खां साहब हमारे साथ सेंन्ट्रल जेल में बन्द थे उस समय हम दो-तीन आदमी ही उनके साथ बातचीत करने वाले थे। जब हम जेल गये थे उस समय अम्बिका जी ने लॉ में एडमीशन लिया था जो उन्होंने शुभकामना व्यक्त की है उसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। यह आप को बता दूं हम लोक सेवक हैं, कार्यकर्ता हैं। कुछ लोगों को मंत्री बनने का आकर्षण होगा लेकिन हमें इसका आकर्षण नहीं है। ..... (श्री अधिष्ठाता द्वारा लाल बत्ती जलाने पर)।

अधिष्ठाता जी, आप लाल बत्ती बुझा दीजिए। सभी विधायकों के आवास के लिए जो घोषणा मा० मंत्री जी ने की उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आप बार-बार लाल बत्ती जला रहे हैं। हम बलिया वालों की इच्छा है कि इनको बहुत जल्दी लाल बत्ती दिलवा दीजिए।

श्री भरत सिंह–

मैं किसान का बेटा हूं और किसानी के द्वारा पढ़ाई की है, मैं चूरन बेचकर राजनीति नहीं करता, मैं चूरन और मुरब्बा बेंचकर राजनीति करने वाला नहीं हूं। इसलिए बलिया जनपद की कुछ समस्याओं की ओर अधिष्ठाता महोदय, आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप विश्वास रखिये, मा० मंत्री जी घोषणा करते हैं वह होता है, मैं पूरे सदन की ओर से, पूरे विधायकों की ओर से, सभी लोगों की तरफ से मंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में जिसका लखनऊ में आवास और प्लाट नहीं है निश्चित रूप से उसको मंत्री जी दिलवायेंगे।

(मा० अधिष्ठाता द्वारा लाल बत्ती जलाने पर)

अधिष्ठाता जी सुन लीजिए मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। जनपद बलिया ऋषियों की धरती रही है जहां भृगु मुनि का आश्रम था। वह पर्यटन के नक्शे पर लाया जाना चाहिए। हमारे क्षेत्र में पराशर मुनि का ओरिजनल आश्रम है इसको पर्यटन के नक्शे पर लाना चाहिए। भगवान लखनेश्वर का स्थान है, भगवान राम और लक्ष्मण जहां विश्वामित्र के साथ खड़े थे उसको भी पर्यटन के नक्शे पर लाया जाना चाहिए। मान्यवर, बलिया (रसड़ा) में नाथ बाबा का स्थान रहा है जिन्होंने जजिया कर के खिलाफ संघर्ष किया था उसको भी पर्यटन के नक्शे पर लाया जाना चाहिए। बिहार में हरिद्वार क्षेत्र का मेला कार्तिक पूर्णिमा में सोनपुर में लगता है जहां हरिद्वार का मेला सोनपुर में लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन बलिया क्षेत्र का मेला ददरी में लगता है। मान्यवर, हरिहर में और सोनपुर में जो मेला लगता है उसकी व्यवस्था बिहार सरकार करती है। इसी तरह से टडरी में जो मेला लगता है उसकी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यवस्था नगर पालिका करती है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ददरी में जो मेला लगता है उसकी व्यवस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा होना चाहिए । मान्यवर, हमारे क्षेत्र में वैरिया नाम का एक स्थान है जिसको टाउन एरिया बनाने का एलान पूर्व मंत्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने किया था । इस सम्बन्ध में सारी कार्यवाही कम्पलीट है । मैं मंत्री जी से कहूंगा कि टाउन एरिया को जल्दी बनवाया जाय । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बड़े-बड़े शहरों में सीवर तथा पानी की व्यवस्था होती है लेकिन बलिया जनपद के लोग नहीं जानते हैं कि सीवर किस चिड़िया का नाम है । जनपद बलिया के मेन शहर में सीवर की व्यवस्था की जानी चाहिए, इसकी ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं,माननीय टण्डन जी द्वारा प्रस्तुत बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं और अधिष्ठाता महोदय, आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । जय हिन्द, जय भारत ।

श्री धर्मपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे आवास एवं नगर विकास, पर्यटन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, किसी भी राज्य की सार्वभौमिकता के लिए तीन बातें बहुत आवश्यक होती हैं, जल, जंगल और जमीन । उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल राज्य अलग हो गया और जल और जंगल उत्तरांचल में चला गया, अब उत्तर प्रदेश के पास जमीन बची है । अब उत्तर प्रदेश की धरती पर हमें पर्यटन की संभावनाओं को तलाश करना होगा और यहां की भूमि को बनों से आच्छादित करना होगा और हमारे यहां जो जल उपलब्ध है उसका संरक्षण करना होगा । मान्यवर, पर्यटन विभाग, सांस्कृतिक एकता का एवं ज्ञानवर्धन का विभाग है । पर्यटन मंत्री जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से 6 परिपथों में बांटने की बात कही है । यह परिपथ, बौद्ध परिपथ, बुन्देलखण्ड परिपथ, बृज परिपथ जिसमें आगरा और मथुरा को शामिल किया गया है, अवध परिपथ, विन्ध्य परिपथ और वन बिहार तथा साहसिक यात्रा तथा जल बिहार परिपथ भी हैं । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि बुन्देल खण्ड में इन्द्रप्रस्थ बनाने की योजना है तथा रूहेलखण्ड को पीक पर्यटन के नक्शे पर लाने की आवश्यकता है । क्योंकि रूहेलखण्ड उत्तरांचल के प्रदेश में नैनीताल की तरफ जाने के लिए पर्यटन की बहुत सम्भावना हैं । अमरनाथ की यात्रा है बाकी यात्राओं का वर्णन आता है । पर्यटन विभाग ऐसा विभाग है जिससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है । इसी विदेशी मुद्रा से हमें काफी आय हो रही है । हमारे जनपद बरेली में आंवला विधान सभा क्षेत्र में बहुत से तीर्थ हैं । वहां पर राम नगर में जैन मन्दिर हैं । वहां महाभारत के तीर्थ स्थल है । जहां द्रोपदी स्वयंवर रचा गया था । जहां मंत्रों की सिद्धि हुई थी जिनसे महाभारत रचा गया था वह तीर्थ स्थल है । जैन मन्दिर व आंवला विधान सभा में गौरी शंकर सिद्ध मन्दिर है जहां साल में दो बार मेला लगता है । यह पांचाल प्रदेश की राजधानी थी । आगर-सागर का ताल है इसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए । इसके अलावा मै नगर विकास मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा में पेयजल की समस्या के निवारण के लिए टंकी निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है । किसी भी सरकार की कसौटी होती है कि वह अपने नागरिकों के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध कराए । चलने के लिए सड़कों की व्यवस्था करें, साथ ही पेयजल की व्यवस्था करें । माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें इन सारी बातों का समावेश है । मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपने वक्तव्य को विराम देता हूं ।

* श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने नगर विकास, आवास और पर्यटन पर श्री विवेक बंशल, श्री अरविन्द गिरि एवं श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत किए गए कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में 623 नगर पालिकाएं, 11 नगर निगम कार्यरत हैं। एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि नगर निगमों में नगर के मेयर को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। जबकि अन्य स्टेट चाहे गुजरात का अहमदाबाद, महाराष्ट्र हो वहां काफी अधिकार हैं। नगर निगम के मेयर साहब मात्र मुख्य नगर अधिकारी या अन्य अधिकारियों की चमचागीरी में लगे रहते हैं। ऐसे कोई अधिकारी नहीं हैं जिससे वह मेयर से एकड़ बनाकर जनता के कार्य करा सकें। मेरे पूर्व वक्ता ने बड़े जोर-शोर से पिछले 50 साल की बात की। उन्होंने कहा केवल पिछले चार साल में ही कार्य हुए हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं 1980, 1983, 1985 को जब श्री धर्म मिश्र वी०सी० हुआ करते थे एक रुपए रोज पर भवन व एक रुपये रोज पर कमरा देने का काम किया गया तमाम गरीब वर्ग को, आरक्षित वर्ग को वह दिये गये। 1980 से 1989 की बात मैं बताना चाहता हूं। उस समय गाजियाबाद के अन्दर नन्दग्राम जैसी जगह में ई०डब्ल्यू०डी० वालों के लिये एक कमरे की व्यवस्था की गई। यह मात्र 4 साल की उपलब्धि नहीं है। मैं बधाई देना चाहता हूं टण्डन जी को। चाहे मैं विपक्ष में बैठा हूं लेकिन कुछ कामों में जो निर्णय लिये गये हैं वह अच्छे हैं। यह अधिकार उस समय नगर पालिका को नहीं थे, एल०एम०सी० को नहीं थे, अगर उस समय होते तो निश्चित तौर से उन क्षेत्रों का भी विकास हो सकता था। तमाम उत्तर प्रदेश के अन्दर विकास प्राधिकरणों का सृजन हो रहा है। हापुड़ विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण 1977 में बनाया गया था। उसके पहले वह सुधार मण्डल था। आज विकास प्राधिकरणों में पदेन सदस्य कोई भी चुना हुआ सदस्य नहीं है। पूरे प्रदेश में यही हालत है। मैं, माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जहां इतनी बड़ी अफसरों की फौज खड़ी है आप इस पर भी विचार कर लें कि जो भी विधायक हों वह विकास प्राधिकरण के सदस्य होने चाहिए। क्योंकि माननीय सदस्यों को अपने शहर के गली मोहल्ले के बारे में पता है। शासन को पता नहीं। आपके अधिकारी आते हैं 2, 4 महीने, 6 महीने रहते हैं जब तक वे समझ सकते तब तक उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। इससे वहां के विकास में बाधा आती है। चुने हुए सदस्य उसके पदेन सदस्य रहेंगे तो उनको पता होगा और उस क्षेत्र का विकास अच्छी तरह से हो सकता है। गाजियाबाद सुधार मण्डल से लेकर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण पूरे प्रदेश के प्राधिकरणों में सबसे मालदार प्राधिकरण हुआ करता था। लेकिन मान्यवर, यहां ट्रांसपोर्ट नगर की व्यवस्था नहीं है। आधी अधूरी कालोनियों का विकास किया जा रहा है वह डिसपोज आफ नहीं हो पा रही हैं। 100-150 करोड़ की ऐसी आवासीय कालोनियां हैं जहां पर विकास प्राधिकरण का पैसा डूबा है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि किसी भी सहभागिता से उनको डिसपोज आफ किया जाय। शहरों के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक प्रस्ताव रखा था कि शहरों में बेरोजगार लड़कों के लिये छोटी-छोटी दुकानें बनाई जायेंगी। मान्यवर, मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी ने ऐसा विचार किया था और उसके लिये बधाई भी देना चाहता हूं लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि आवासीय कालोनियां जो 30–40 सालों से बसी हैं वहां पर लोग छोटे-छोटे व्यवसाय करते हैं। रिटायर व्यक्ति ने कोई परचून की दुकान खोल ली, दर्जी की दुकान खोल ली, कोई

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बड़ा व्यवसाय नहीं करता है उनको आप व्यवसायिक में गिनते हैं। मान्यवर, इसी तरह से कहना चाहता हूं कि 1989 से लेकर आज तक जो लोग नगर निगम, नगर पालिका में कार्यरत् हैं, आज तक वे परमानेन्ट नहीं हुए हैं। अति दलित वाल्मीकि समाज के लोग आज भी पीड़ित हैं। पूरी जवानी कच्ची नौकरी में चली गई है, उनके लिये भी आप व्यवस्था करें।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल–

मान्यवर, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा है। नोएडा जो है वह स्वर्गीय संजय गांधी की देन थी, उसका विकास किया जाय उसके पास इन्द्रप्रस्थपुरम कालोनी है।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री आर० एस० कुशवाहा–

मान्यवर, इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी ने जो इस सदन के सामने बजट पेश किया है वास्तव में दलितों और गरीबों के हित में यह बजट है।

(श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल एवं श्री आर० एस० कुशवाहा दोनों सदस्य एक साथ बोल रहे थे जिस कारण व्यवधान उत्पन्न हो रहा था।)

श्री आर० एस० कुशवाहा–

माननीय सदन के जो सदस्य हैं उनके आवास सम्बन्धी समस्याओं के लिए इस लखनऊ नगरी में यू० पी० आर० आई० योजना के तहत डी०ए०वी० डिग्री कालेज के सामने विधायक आवास बने हैं उसमें मान्यवर, जो पिछले सदन के सदस्य थे तमाम माननीय विधायकों ने इस योजना में आवास आवंटित कराया था उसके बाद भी जो आवास बचे थे उसमें से भी कुछ आवास इस वर्ष आवंटित किये गये हैं। आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं जो दण्ड ब्याज लगाया गया है उन आवासों पर कुछ माननीय सदस्य आवासों की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं अगर वह दण्ड ब्याज माननीय मंत्री जी माफ कर दें तो यह आम सदस्यों के लिए राहत की बात होगी और लोग अपनी रजिस्ट्री करा सकेंगे। इससे स्टाम्प का भी फायदा सरकार को होगा। दूसरी बात नगर विकास के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं तमाम शहरी योजनायें हैं जैसे सार्वजनिक शौचालयों की योजना है। मुख्य सड़कें सीमेन्टेड करने की बात व कम्यूनिटी सेन्टर बनाने की बात नगर पंचायतों के लिए कही है। मा० मंत्री जी ने कहा है कि सूडा के माध्यम से जो योजनायें आयेगी इसमें जो माननीय सदस्यों के सुझावों की बात कही गयी है इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, दुधवा नेशनल पार्क मेरे क्षेत्र में स्थित है। जब से उत्तराखण्ड बना है तब से उ० प्र० में दुधवा नेशनल पार्क एक मात्र पर्यटक स्थल रह गया है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि दुधवा नेशनल पार्क का सौंदर्यीकरण अपने स्तर से पर्यटन विभाग से कराने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से दूर-दूर से आने वाले पर्यटकों को एक अच्छा

वातावरण मिल सकेगा और इसका वो आनन्द उठा सकेंगे । मान्यवर, मेरे क्षेत्र में खैरीगढ़ जगह है । यह गायों की नस्ल के लिए प्रसिद्ध है । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि खैरीगढ़ के जंगलों में एक जगह है किले की मजार । इस पर प्रति वर्ष मार्च के महीने में लाखों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं वहां मेला लगता है । वहां 1 लाख से लेकर 2 लाख लोग प्रतिवर्ष इकट्ठा होते हैं लेकिन वहां न पेयजल की अच्छी व्यवस्था है न वहां पर सड़क की अच्छी व्यवस्था है । जंगल के रास्ते से लोगों को बैलगाड़ी से जाना पड़ता है छोटे वाहन नहीं जा सकते हैं । इसलिए अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मा० मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और खैरीगढ़ के जंगल में जो किले की मजार है उसका सौन्दर्यीकरण करा दें तो निश्चित रूप से श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए, जिनकी श्रद्धा जुड़ी है, उससे आराम मिलेगा और जो सम्पर्क मार्ग हैं, निगासो से पांच-छः किलोमीटर दूर है इसको ठीक करा दिया जाय तो आने जाने की समस्या दूर हो जायेगी । इसी विश्वास के साथ जो माननीय मंत्री जी ने बजट रखा है मैं उस पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

बजट पर चर्चा समाप्त करने का प्रस्ताव

श्री अमरमणि–

मान्यवर, मेरा एक प्रस्ताव है । मैं नियम–110 के अन्तर्गत प्रस्ताव करता हूं । 7.00 बजे से यह बजट शुरू हुआ था और 11.00 बज चुके हैं, चार घंटे बीत चुके हैं । नियम–109 में यह है कि श्री अध्यक्ष यदि वे ठीक समझें भाषणों के लिए समय सीमा विहित कर सकेंगे । इसलिए मान्यवर, मैं नियम–110 के अन्तर्गत प्रस्ताव करता हूं, इसके क्रमांक–7 को देखें इसमें है कि वाद-विवाद को समाप्त करने का प्रस्ताव, इसको समाप्त करें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय त्रिपाठी जी, नियम–110 में कम से कम चार घंटे की चर्चा होनी आवश्यक है ।

श्री अमरमणि–

मान्यवर, 7.00 बजे से आदरणीय मंत्री जी ने बजट रखा है और 11.00 बज चुके हैं । सदन के सभी सदस्यों की भावना है कि घर जायें और भोजन कर विश्राम करें ।

(व्यवधान)

मान्यवर, सदन व्यवस्थित नहीं है । नियम–109 में समय सीमा निर्धारित है और 11.00 बज गये हैं अभी यदि और कार्यवाही करेंगे तो आधा घंटा और चलेगा । तो, सदन के सदस्यों की भावना को देखते हुए माननीय मंत्री जी से जो नयी चीज आयी हो, रखवाकर समाप्त करायें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय त्रिपाठी जी, सदन व्यवस्थित है और आज तीन बजटों को एक साथ रखा गया है । चार घंटे का प्राविधान है तो अगर एक बजट में चार घंटे का प्राविधान है तो तीन बजट में 12 घंटे हो जायेंगे । अतः आपका यह प्रश्न बेकार है ।

(समय रात्रि 11 बजकर 02 मिनट)

डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी--

माननीय, आपकी पीठ से व्यवस्था दिया जाय है । आपने कहा कि तीन विभाग हैं तो 12 घंटा होगा । कल 11.(58) बजे से बैठना है तो कन्टीन्यूरेशन में बैठ जायेंगे ।

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या–02, आवास विभाग, अनुदान संख्या–37, नगर विकास विभाग, अनुदान संख्या–44, पर्यटन विभाग (क्रमागत)

श्री विश्राम सिंह यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे नगर विकास, आवास विभाग तथा पर्यटन के सम्बन्ध में जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, के समर्थन में बोलने का अवसर दिया है इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि जो आपने बजट भाषण पढ़ा है उससे ऐसा लगता है कि प्रदेश के नगर स्वर्ग बन जायेंगे लेकिन हकीकत यह है कि नगर पालिका परिषद टाउन एरिया, नगर निगम आज नरक बन गयी हैं । उनकी न तो सफाई होती है, न वहां पर बिजली है और न शिक्षा की व्यवस्था है । बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि नगर विकास पूरी तरह से फेल है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हरदोई में बिलग्राम में पीने के पानी की टंकी बेकार हो गयी है । वहां का प्रस्ताव अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप पानी की टंकी ठीक नहीं कर सकते तो कम से कम हैण्डपम्प ही ले दें । मान्यवर, एक प्रस्ताव यह था कि जो हैंड पम्प बेकार पड़े हैं उनको ठीक करवाया जाय । उनकी रिबोरिंग करवायी जाये । मान्यवर, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जनपद हरदोई में हरपालपुर एक गांव है । वह एक तरह से कस्बा जैसा लगता है । वहां पर 10 हजार की आबादी है । मेरा आपसे अनुरोध है कि उसको टाउन एरिया बना दिया जाय । मान्यवर, एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो एक-दो-तीन कमरों की आवास योजना चलायी जा रही है । इसके बारे में, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन गरीबों के 10–12 साल से एलाटमेंट हो गये हैं अगर उन्होंने किसी बीमारी या गरीबी के कारण से उनकी किस्त अदा नहीं की है तो आप उस पर ब्याज ले रहे हैं । यह जो दण्ड ब्याज आप ले रहे हैं यह आप उनके द्वारा अदा की गयी किस्तों से वसूल कर रहे हैं । इस प्रकार उन्हें किस्तों के साथ दण्ड भी देना पड़ रहा है । जितने का मकान नहीं है उससे ज्यादा वह दण्ड दे रहे हैं । अतः आपसे अनुरोध है कि जिनका दण्ड और किस्त मिलाकर मकान की कीमत वसूल हो गई है । उनका दण्ड ब्याज व चक्रबृद्धि ब्याज माफ कर दिया जाये और उनके मकान का वाजिब हक उनको दे दिया जाय । मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं वह यह है कि हमारे यहां आवास-विकास विभाग में एक जे०ई० हैं । वह वहां पर 10–12 सालों से हैं । एक तरह से वह मिनिस्टर की तरह से हैं । जब चाहता है वह किसी का भी ट्रान्सफर करा देता है जिसको चाहता है उसको वह रखता है । सम्पत्ति अधिकारी को भी वह तबादला करा देता है जिस अधिकारी को वह रखना चाहता है उसे रखता है वह जिसको चाहता है उसको आवास विकास की जमीन देता है और जब चाहता है वह पुराने आवंटन को निरस्त कर देता है । मेरी मांग है कि उस जे०ई० के खिलाफ जांच कराई जाये, वरना वह हरदोई के विकास का भट्ठा बैठा देगा । मान्यवर, मैं पर्यटन के बारे में कहना चाहता हूं । हरदोई में सांडी कस्बे में एक झील है । वह एशिया की सबसे बड़ी झील है करोड़ों रुपये दे रहे हैं लेकिन उसका विकास नहीं हुआ है वहां न किसी अधिकारी का पता चलता है । मान्यवर, मोटेल की स्थिति बड़ी जर्जर है । वहां जो भी कर्मचारी हैं वह वहां विदेशों से आने वाले पक्षियों का शिकार करवाते हैं । अतः आपसे अनुरोध है कि इसकी जांच करवा कर, इसकी सही

व्यवस्था सुनिश्चित करें । मान्यवर, हरदोई सीतापुर मार्ग पर चौरासी-कोस परिक्रमा चलती है । धार्मिक स्थल है होली के समय पर चौरासी-कोस परिक्रमा चलती है मेरा आपसे अनुरोध है कि इस मार्ग को पक्का करा दें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

* डा० राधामोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, मैं बजट का समर्थन करते हुए यह कहना चाहता हूं कि इस बजट में जो पं० दीनदयाल उपाध्याय योजना, मलिन बस्ती सुधार योजना तथा इंदिरा आवास योजना बनायी गयी हैं उनके प्रति माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोग शहर से चुनकर आये हैं शहर हो या कस्बा वहां पर पहली दृष्टि नगर विकास पर पड़ती है । मान्यवर, हमारे नगर में विकास कार्य होता है और हम लोगों की सहभागिता संवैधानिक रूप से नहीं होती है । मान्यवर, विकास प्राधिकरण, नगर निगम और सूडा, डूडा इनके नियमों में परिवर्तन करके यह व्यवस्था की जाय कि इनमें जनप्रतिनिधियों की भूमिका सुनिश्चित की जाय । मान्यवर, गोरखपुर में 9 जोनों में पीने का पानी बिल्कुल नहीं है । मान्यवर, तकरीबन 17 वार्ड हैं जहां लगभग सभी लोग हैण्डपम्प से पानी पीते हैं । मान्यवर, कम से कम नगर के उन हिस्सों में जहां आज वाटर-पाइप-लाइन नहीं गई हैं वहां पाइप लाइन डलवाई जायें । मान्यवर, नगर के हर हिस्से में सीवर सिस्टम नहीं है । मान्यवर, जनता हमसे प्रश्न पूछती है कि हम सीवर चार्ज क्यों दें । मान्यवर, नगर के उन हिस्सों में जहां सीवर सिस्टम नहीं है उसकी व्यवस्था करवायी जाय । मान्यवर, हमारे यहां से राप्ती एक्शन प्लान की पूरी पत्रावली बनाकर शासन में भेजी गयी है । मान्यवर, उस फाइल को खुलवाया जाय और राप्ती एक्शन प्लान का क्रियान्वयन करवाया जाय । मान्यवर, नर्सिंग होम के बारे में बताया गया पंजीयन के सम्बन्ध में । मान्यवर, यह बात आयी थी कि यह वहीं पंजीकृत होंगे जहां 12 मीटर चौड़ी सड़क होगी । मान्यवर, गोरखपुर में इतनी चौड़ी सड़क नहीं है तो क्या यह मान लिया जाय कि जहां 36 फीट चौड़ी नहीं होगी वहां एक भी नर्सिंग-होम नहीं होगा । मान्यवर, नियमों में परिवर्तन किया जाय । मान्यवर, हमारे यहां पर चार चिकित्सक विधायक हैं, तो इनके पंजीकरण के सम्बन्ध में हम लोग की एक यह समिति बना दें ताकि उनके पंजीकरण का प्राविधान हो सके । मान्यवर, हमारे यहां हमारे गोरखपुर में सीवर ट्रीटमेंट प्लान्ट नहीं है उसकी व्यवस्था की जाय । मान्यवर, हमारे यहां वीर बहादुर सिंह जी ने वहां रामगंगा-ताल परियोजना शुरू की थी । उसमें 39 योजनायें थी और उसमें करोड़ों रुपये खर्च हो चुका है हम चाहेंगे कि उसमें आवश्यक बिठाकर जो अधूरी परियोजनायें हैं उनको पूरा करने के निर्देश दें । धन्यवाद ।

श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के कुशीनगर में कसया नाम से एक टाउन एरिया है । जनपद का नाम है कुशीनगर लेकिन उसका हेडक्वार्टर पडरौना है ।

(इस समय रात्रि 11 बजकर 13 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रीय स्थल है जहां पर यातायात के साधन सिर्फ रोड मार्ग हैं जबकि कसया में हवाई पट्टी मौजूद है । मान्यवर, कुशीनगर एक्सप्रेस नाम से रेल भी चलती है लेकिन सिर्फ नाम ही

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चलता है । मान्यवर, कुशीनगर एक्सप्रेस ट्रेन चलती है उसके बारे में भारत सरकार से अपने स्तर से लिखें कि कुशीनगर को रेलमार्ग से जोड़ा जा सके ताकि पर्यटकों को वहां आने-जाने में सुविधा हो सके । मान्यवर, कुशीनगर में कसया को टाउन एरिया बनाये वहां पर्यटक कोरिया, थाईलैण्ड, आदि-अदि देशों से हर साल हजारों की संख्या में आते हैं । मान्यवर, वहां यह दुर्दशा है कि पानी अगर कसया में बरस जाय तो सड़कों पर एक फीट पानी इकट्ठा हो जाता है और ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं है । मान्यवर, कुशीनगर में विद्युतीकरण के लिए करोड़ों रुपया जापान सरकार की ओर से दे दिया गया और विद्युतीकरण भी हुआ है, लेकिन रोड पर जो आपकी सोडियम लाइट है अगर वह खराब हो जाती है तो उसके बदलने की कोई व्यवस्था नहीं है । जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री थे 1994 में कुशीनगर टाउन एरिया को बिजली कटौती से मुक्त कर दिया गया था । लेकिन कुशीनगर जैसे अन्तर्राष्ट्रीय स्थल पर 6 घन्टे से आठ घन्टे ही बिजली रहती है । मान्यवर, सफाई के नाम पर इतनी बदबू कुशीनगर टाउन में है कि पर्यटक आते हैं तो हिन्दुस्तान और उत्तर प्रदेश हंसी का पात्र बनता है, मैं कहूंगा कि कुशीनगर जैसे अन्तर्राष्ट्रीय स्थल में विकास प्राधिकरण का गठन होना चाहिए वहां पर तमाम ऐसे लोग हैं जिनके रहने की जगह तो है लेकिन पैसा नहीं है कि वह मकान बना सके । इसलिए प्राधिकरण स्थापित करके कुशीनगर में एक इतिहास बनाईये ताकि बौद्ध धर्मावलम्बी पहुंचें तो देखें कि कुशीनगर एक व्यवस्थित जगह है । ड्रेनेज के साथ-साथ मान्यवर, सड़क मार्ग के लिए जापान सरकार ने बौद्ध परिपथ के नाम से जो पैसा दिया है, देवरिया को कुशीनगर से जोड़ने वाली सड़क की जर्जर हालत से कलकत्ता के रास्ते देवरिया होकर आने वाले यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है ।

मान्यवर, देवरिया से कुशीनगर जनपद जोड़ने के लिये बौद्ध परिपथ के पैसे से उसको जुड़वाने की व्यवस्था करवाइये ताकि लोगों को सुविधा हो सके । मान्यवर, पर्यटन के नाम पर एक पथिक-निवास आपने दिया है वह इतना मंहगा है कि स्वदेशी यात्रियों को रहने के लिये कोई जगह नहीं है या तो आप पथिक निवास को 5 सितारा कर दीजिए, वहीं एक थ्री स्टार (लोटस) होटल है जिसकी बुकिंग दिल्ली से होती है यहां पर भूले भटके यात्री आ जाते हैं । अगर कोई स्वदेशी यात्री रहना चाहता है तो उसे तत्काल सुविधा नहीं मिल पाती है । मेरा अनुरोध है कि कुशीनगर में स्वदेशी पर्यटकों के लिए एक ऐसी व्यवस्था आप बना दें ताकि वह वहां रह सके और उनके खाने पीने की व्यवस्था हो सके । कुशीनगर कसया की सड़क को ठीक कराया जाये, कुशीनगर एक अन्तर्राष्ट्रीय जगह है और हजारों-हजार पर्यटक वहां हर साल आते हैं और सरकार की आय बढ़ती है मैं कहना चाहता हूं कि देवरिया जनपद में एक बावन मोर्चा देवी मन्दिर है जहां पुरातत्व विभाग ने खुदाई नहीं किया है किला मौजूद है जो खण्डहर बन चुका है वहां काली मन्दिर है सैकड़ों किलोमीटर दूर से लोग आते हैं उसके सौंदर्यीकरण का बजट में कोई प्राविधान नहीं है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बावन मोर्चा के इस धार्मिक स्थल का सौंदर्यीकरण करा दें ताकि वह पर्यटन स्थल बन सके । मान्यवर, कुशीनगर में जलापूर्ति की व्यवस्था ठीक नहीं है आप जानते हैं कि पडरौना जनपद, कुशीनगर जनपद ऐसी जगह पर स्थापित है जहां का पानी दूषित है वहां घेंघा की बीमारी हो जाती है । कुशीनगर में 2 घन्टे, 4 घन्टे पानी आता है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं जो विदेशी पर्यटक आते हैं जापान, कोरिया, थाईलैण्ड से आते हैं इसलिए कुछ ऐसा किया जाना चाहिए कि वहां पर उनको पानी विद्युत की सुविधा मिल सके और रहने के लिए आसानी से जगह मिल सके । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हवाई मार्ग जो वहां शुरू होने जा रहा है उसे जल्दी से जल्दी शुरू करायें और कुशीनगर के नाम से जो ट्रेन चलती है । जिसकी आज तक रेल लाइन छू भी नहीं सकी है । मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि भारत सरकार के मा० रेल मंत्री, मा० प्रधान मंत्री को कहा जाये कि कुशीनगर को रेल लाइन से जोड़ दिया जाये ताकि पर्यटक ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंच

सकें। सुलभ शौचालय की जो व्यवस्था है मंत्री जी की इस योजना को घर तक पहुंचायें ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके। मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

हमारे पास समस्या है। बहुत से माननीय सदस्य ऐसे हैं जो रोज कोई न कोई अवसर पा जाते हैं। माननीय महिला सदस्या पहले बोल लें। बाकी कुछ न कुछ बोल ही लेते हैं उनको अनुमति नहीं है। अभी आप बैठ जाइये आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गयी है।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा–

मान्यवर, हम लोग बहुत दूर से 600-700 किमी० दूर से आये हैं। रात के बारह बजे के बाद कहीं खाना भी नहीं मिलता है, हमें कई बार ऐसे ही सोना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष–

कोई बात नहीं।

सुश्री विद्या चौधरी–

मान्यवर, आपने मुझे माननीय पर्यटन मंत्री जी के बजट पर बोलने का जो अवसर दिया है उसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूं। माननीय मंत्री जी ने 2002-2003 का जो बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करती हूं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान महनगांव, आजमगढ़, तहसील लालगंज के अधीनस्थ ब्लाक ढेकवा ग्राम जमुबाबा की ओर ले जाना चाहती हूं। वहां पर एक 989 बीघे का तालाब है उस तालाब में 12 महीने पानी भरा रहता है जिसके कारण सर्दियों के दिनों में भी साइबेरियन पक्षियों का आगमन हमेशा बना रहता है। इसके कारण वह स्थान रेवड़ी हो जाता है। अगर उस स्थल पर पर्यटन केन्द्र के रूप में फिट कर दिया जाये तो बहुत उपयुक्त होगा। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहती हूं कि आजमगढ़ जनपद में जमुबाबा में 989 बीघे का जो तालाब है उसमें पर्यटक स्थल बनाने का सुझाव है, इसे पारित करें और मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री अध्यक्ष–

मेरा अनुरोध है कि दो मिनट से अधिक समय न लें सीधे अपने क्षेत्र की समस्या रखें। तीसरे मिनट के आगे जो बोलेगा, मैं कह दूंगा कि उसकी बात लिखी नहीं जायेगी।

आवास एवं नगर विकास, पर्यटन, श्रम, संस्थागत, वित्त, दुग्ध विकास, पशुधन, वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

अध्यक्ष जी, हमने 5 तारीख में बजट प्रस्तुत किया है यह 5 तारीख में ही पास हो जाये तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष–

आप चिन्ता न करें, पांच तारीख में ही बजट पास हो जायेगा।

* श्री किरण पाल कश्यप–

माननीय अध्यक्ष जी, आवास, नगर विकास और पर्यटन के बजट पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर आपने बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ । मान्यवर, जनपद मुजफ्फरनगर में 5 नगरपालिका और 15 टाउन एरिया हैं, नगर पंचायत हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ इसमें वहाँ 8 अधिशासी अधिकारी हैं, इतने लोगों में कैसे हमारे नगर का काम चलेगा, यह बात हमारी समझ से बाहर है । इंजीनियर किसी भी कस्बे में नहीं हैं । कैसे वहां के प्रोजेक्ट बनेंगे, कैसे वहां की सड़कें बनेगी, कैसे शौचालय बनेंगे । आज वहां अधिशासी अधिकारी नहीं है, इंजीनियर नहीं हैं । इसकी वजह से कस्बों का सारे का सारा विकास रुक गया है । माननीय मंत्री जी, आप वरिष्ठ भी हैं, प्रभावशाली भी हैं, बलशाली भी हैं और हम लोग आपकी इज्जत भी करते हैं, आपसे उम्मीद भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन बहुत कमजोर बजट आया है । इसके साथ ही साथ नगरों में रहने पिछड़े और गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले जो लोग हैं उनके लिये आवास की कोई योजना माननीय मंत्री जी ने अपने बजट में नहीं बनाई है । इसलिये में आपसे मांग करता हूँ कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिये आवास योजना का प्राविधान इस बजट में किया जाय । मान्यवर, मैं पर्यटन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि हमारे जनपद में शुकताल है, जहाँ शुकदेव जी ने बैठकर कथा सुनाई थी, यह पौराणिक स्थल है, यह स्थान गंगा के किनारे है, उसके विकास के लिये कम से कम एक करोड़ रुपया प्रदेश सरकार को रखना चाहिये, वहां पर लाखों लोग इस प्रदेश के तीर्थ करने के लिये जाते हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती का समर्थन करते हुये आपको धन्यवाद देता हूँ, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

श्री बैजनाथ पासवान–

मान्यवर, मैं आपका आभारी है कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । हमारे यहाँ मऊ जनपद में एक मात्र किसान सरकारी चीनी मिल घोसी है जो मिल के सही संचालन न होने के कारण तथा काफी दिनों से बन्द है, किसानों को गन्ने के मूल्य का बकाया भुगतान न कराये जाने के कारण पिछले पूरे साल से बन्द है कृपया सरकार को निर्देशित करें कि किसानों को भुगतान कराकर मिल को शीघ्र चालू कराने का कष्ट करें । इसी तरह हमारे मोहम्मदाबाद में मऊ से चलकर रानीपुर ब्लाक को जोड़ते हुये एक सड़क हैं जो पूरी तरह धराशायी हो गई है । यह सड़क रानीपुर विकास खण्ड होते हुये सुल्तानपुर तक आती है जिसकी लम्बाई 30 किमी० है । कृपया सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें कि उक्त क्षतिग्रस्त सड़क को सरकार अविलम्ब बनवाने का कष्ट करे । पिछले वर्षों में इस सड़क की मरम्मत का कोई काम पी०डब्लू०डी० द्वारा नहीं कराया गया है । मैं आपसे मांग कर रहा हूँ कि इस रोड को अविलम्ब बनवाया जाय । इसके अलावा हमारे यहाँ एक मलमरी सहित 20 गांव है, जो भैंसहा नदी के पास है, वहाँ पर पुल नहीं है पुल न होने के कारण बाढ़ के समय इस क्षेत्र के निवासी बहुत परेशान रहते है । मैं आपसे वहां पुल बनवाये जाने की भी मांग करता हूं । इस पुल के न होने की वजह से गाजीपुर जाने के लिए 40 किमी चक्कर लगाकर जाना पड़ता है कृपया सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वहां पर सरकार शीघ्र पुल बनवाने का कष्ट करें । जहां तक क्षेत्र में हैण्डपम्पों की बात है जो मजबूत किस्म के लोग हैं उनके घर के पास हैण्ड पम्प लगवाया गया है, जहां शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था नहीं है उनके घर के पास सरकार की मंशा के अनुकूल हैण्ड पम्प नहीं लगाया गया है । मेरी आपसे अपेक्षा है कि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कृपया सरकार को निर्देशित करें कि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें । मेरे विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदाबाद गोहना मऊ में जो आवास दिया जाता है । ब्लाक के बी०डी०ओ० गरीब लोगों से 5-5 हजार रुपया लेकर 20 हजार रुपये की धनराशि देते हैं, इस वजह से गरीब आदमी का आवास नहीं बन पाता है । यह सरकार पिछले 5 साल रही है, आप वहां पर चेक करा लें, गरीब आदमी के द्वार पर हैण्डपम्प नहीं लगाये गये हैं । इस विधान सभा के माध्यम से आप गरीबों के आवास पर हैण्डपम्प लगवाने का निर्देश देने का कष्ट करें । मान्यवर, माननीय सदस्य और मंत्रीगण चुनकर गरीब जनता के बीच चुनकर आते हैं और गरीब लोगों की मदद करने की बात करते हैं, लेकिन यहां आने के बाद गरीब लोगों के विकास की बात करना भूल जाते हैं । गरीबों को न आवास मिल पाता है न धन मिल पाता है, इसलिए आप कृपया गरीबों पर ध्यान देने का कष्ट करे ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जाएं आपकी समस्या आ गई है ।

* श्री राम कृष्ण–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं । अपने क्षेत्र की समस्या की तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि आप सभी सदस्य नैमिषारण्य गये होंगे । मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि नैमिषारण्य जैसे तीर्थ स्थल को पर्यटन में शामिल नहीं किया गया है, इसे पर्यटन स्थल में शामिल किया जाय और उसके विकास के लिए जो कुछ सम्भव हो सके करें । मान्यवर, उसी से मिला हुआ चौरासी कोशी स्थान है, जहां पर कैलाश आश्रम है और कई चीजें हैं । यहां परिक्रमा मार्ग कच्चा है, बना नहीं है, लोग वहां पैदल जाते हैं, बैलगाड़ियों से जाते हैं, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मझरेहटा विधान सभा नैमी मिश्रिख तहसील में आता है, उसका विकास किया जाय । जब चुनाव होता है तो तब मंत्री और मुख्य मंत्री तक वहां जाते हैं और वहां पर टाऊन एरिया की घोषणा कर आते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उसे टाऊन एरिया घोषित किया जाय । सीतापुर नगर पालिका विकास से बहुत दूर रही है उसके विकास की व्यवस्था की जाय और वहां कालोनी बनी हुई है लेकिन वहां पर सीवर नहीं बने हुए हैं, जिससे बहुत समस्या है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय इकबाल महमूद जी कृपया बेठ जायं, बाद में मैं आपको भी बोलवा लूंगा ।

(श्री अध्यक्ष के द्वारा बोलने की अनुमति न दिये जाने पर श्री इकबाल महमूद सदन से नाराज होकर चले गए ।)

श्री महेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कोल विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की समस्या की तरफ आकर्षित करता हूं । माननीय अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जल भराव की विकराल समस्या है । आज भी हमारे क्षेत्र के जो निवासी हैं उनके घरों में पानी भर जाता है । मेरे क्षेत्र के 14 वार्ड नगर निगम क्षेत्र में आते हैं । पलासाहिबाबाद,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नौरंगाबाद छावनी और रावत-टीला, क्षेत्र में पानी जल भराव की काफी समस्या है । घरों में गन्दा पानी, मल-मूत्र भरा हुआ है, बड़ी दिक्कत है, कृपया मंत्री जी इस समस्या का निदान करने का कष्ट करें । एक नाले की व्यवस्था करवायें ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जायं, आपकी समस्या हो गई ।

श्री नारद राय–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, बलिया जिले में स्नान के दिन लाखों लोग आते हैं, जिस तरह से प्रयाग में, मथुरा में, काशी में 10-10, 20-20 लाख लोग आते हैं, उनके रहने के लिए, पानी पीने के लिए अलग से बजट में प्राविधान किया है । बलिया में कार्तिक पूर्णिमा के दिन तो कम से कम 10 लाख लोग स्नान करने के लिए आते हैं और एक महीने वह चलता है । हजारों की संख्या में जानवर आते हैं लेकिन एक रुपया भी उत्तर प्रदेश सरकार से बजट नहीं मिलता है । मैं आग्रह करूंगा कि इसके लिये बजट प्रदान किया जाये । नगर पालिका परिषद बलिया के विस्तार का प्रस्ताव पिछले 10 साल से पड़ा हुआ है मा० मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उसका विस्तार करें । 1990 में बलिया में सीवेज के लिए शिलान्यास किया गया था उस समय पांच लाख रुपया अवमुक्त किया था लेकिन आज तक एक रुपये का काम नहीं हुआ । मैं आपके माध्यम से मा० मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । मेरे जनपद में आवास विकास की कालोनी 1989 में बनी डेवलप हुई थी उसकी सड़कें बहुत जर्जर हैं । वहां के लोगों ने लाखों रुपया आवास विकास परिषद को देने का काम किया है । इसलिये मैं वहां की सड़क बनाने की मांग करता हूं । मान्यवर, बलिया सदर विधान सभा में आमघाट, बसन्तपुर, बसुरिंकापुर, दूबहड़ में बोरिंग हो चुकी हैं लेकिन पाइप लाइन नहीं पड़ी है ओवरहैड़ टैंक भी 1990 से आज तक नहीं बना है । इसलिये इसे बनवाया जाये इसी के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री जगराम–

मा० अध्यक्ष जी, आपने मुझे कटौती के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं । मैं जनपद जे० पी० नगर के गंगेश्वरी विधान सभा क्षेत्र की बात रखना चाहता हूं । वहां नगर पंचायत उझारी से पिछले 10 वर्षों से जुड़े लोग शहरी बिजली का बिल देते हैं उन्हें नगर पंचायत की बिजली नहीं मिल पाती । ग्रामीण फीडर से बिजली मिलती है । मैं आपके माध्यम से मा० मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि नगर पंचायत उझारी को इन्डिपेन्डेंट फीडर से बिजली दी जाये । नगर पंचायत के विकास के लिये टंकी की व्यवस्था करायी जाए । अच्छी सड़कों की व्यवस्था करायी जाये । पिछले दिनों हमारी पार्टी के सांसद व राष्ट्रीय नेता मा० मुलायम सिंह यादव जी के प्रयासों से कुछ काम कराया गया था, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं हरिद्वार के उत्तरांचल में जाने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई तीर्थ स्थान नहीं रह गया है । मेरे जनपद में बृज घाट गंगा मेला तिगरी को नये हरिद्वार के नाम से सौन्दर्यीकरण कराया जाये । शुगर फैक्ट्री कुरेसी के पास से आदमपुर मार्ग पर 600 मीटर आर०सी०सी० रोड बनाया जाना है । इसको बनाने का काम करें । इसी के साथ मैं, श्री अरविन्द गिरि जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री सूर्यभानु गुप्ता–

मा० अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नगर विकास, आवास और पर्यटन पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं, मा० मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र की नारायणी-नदी सीधे हिमालय से निकली है और मंत्री जी को शायद मालूम न हो, भगवान राम चन्द्र जी जब जनकपुर गये थे तो छितौनी होकर गये थे। यहां एक सड़क पुल व रेल-पुल बना हुआ है, जो अभी पिछले माह चालू हुआ है। आज रेल-पुल और सड़क-पुल बन जाने से हजारों एकड़ जमीन/खाली हो गयी है उस स्थान पर (मलहिया) को पर्यटक स्थल घोषित किया जाय और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाय।

मान्यवर, हमारे यहां वगही-धाम है जिसमें अगहन माह में मेला लगता है। इसको पयर्टन स्थल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में एक मात्र टाउन एरिया खड्डा है। यह अविकसित इलाका है। वहां पर लोगों को पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिलता है। वहां पर चीनी मिल भी है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वहां पर पानी की व्यवस्था करा दें। मान्यवर, अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि कुशीनगर दुनिया का जाना माना स्थान है कुशीनगर के नाम से पहले वहां पर कशीनगर एक्सप्रेस चलती है। लेकिन गोरखपुर से मेरा निवेदन है कि कुशीनगर तक रेल, बसों को चलाने की व्यवस्था मंत्री जी करवा दें क्योंकि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मान्यवर, कुशीनगर से पडरौना–छितौनी तक को बौद्ध–परिपथ के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। मान्यवर, इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपने बोलने के लिए अवसर दिया है इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रभूदयाल–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान प्रदेश के स्थानीय निकायों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की तरफ ले जाना चाहता हूं। 11-11 माह हो जाते हैं सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता है। सफाई मजदूरों की हालत बदतर हो गई है। उनके बच्चों को शिक्षा और रोजी रोटी नहीं मिलती है। उनके पी० एफ० के पैसे का पता नहीं चलता है। उनको वर्दी नहीं मिलती है। उनको पेंशन नहीं मिलती है और स्थानीय निकायों में उनकी फाइल का तथा सर्विस बुक का पता नहीं चलता है। पूरे प्रदेश में सफाई मजदूरों की हालत बहुत खराब है पूरे प्रदेश की स्थानीय निकायों में सफाई मजदूर बढ़ाये जायें। मान्यवर, मैं जनपद मेरठ के हस्तिनापुर विधान सभा क्षेत्र से जीतकर आया हूं। मैं नगर पालिका मवाना की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। 1971 में वहां की जन-संख्या लगभग 37 हजार थी और वहां एक पानी की टंकी बनी थी। आज वहां की आबादी बढ़कर लगभग एक लाख हो चुकी है और उस टंकी की क्षमता भी समाप्त हो चुकी है। कृपया मवाना नगर की आबादी के अनुसार जल निगम से तीन पानी के हेडओवर टैंक तथा तीन नलकूप बनवाने का कष्ट करें। मैं आपका आभारी रहूंगा। मैं अपने साथी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मैं तीन-चार माननीय सदस्यों को इधर से और तीन चार माननीय सदस्यों को उधर से बुला रहा हूं। आप लोग एक-एक मिनट में अपनी बात कह दें तो 12 बजे के पहले बजट समाप्त कर दूंगा।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आभारी हूं। कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने गढ़मुक्तेश्वर के लिए कुछ योजनाएं घोषित की हैं जिसके लिए मैं उनका आभारी हूं। गढ़ एक ऐतिहासिक जगह है। वहां पर गंगा का मंदिर है शिव जी का मंदिर है, वहां पर जो मेला लगता है वह प्रान्त में दूसरे नम्बर का सबसे बड़ा मेला है। मेरा अनुरोध है कि इस मेले का प्रान्तीयकरण करा दें। आपने गढ़ के लिए विशेष क्षेत्र प्राधिकरण बनाया है। मेरा अनुरोध है कि उसमें जनप्रतिनिधियों का योगदान जरूर होना चाहिए। जब आप शासन से वहां अधिकारी नियुक्त करते हैं तो वहां पर जनप्रतिनिधियों को भी रखें। मैं आपका ध्यान इस ओर लाना चाहता हूं। गढ़मुक्तेश्वर में गाजियाबाद का कोई आदमी जाना नहीं चाहता है। अधिकारियों से कहा जाता है कि आपको गढ़ भेज दिया जाएगा। इतनी स्थिति खराब है। वहां पर बिजली नहीं आती है, सड़कें ठीक नहीं हैं, बसों की व्यवस्था नहीं है। वहां के लिए आवास योजना तुरन्त कोई शुरू कर दी जाए। मनोरंजन के साधन विकसित किए जायें। ताकि जो पर्यटक आते हैं उनके मनोरंजन की व्यवस्था हो।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री मदन चौहान-

हमारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण है, नोयडा प्राधिकरण है, ग्रेटर नोयडा प्राधिकरण हैं वहां गरीब लोगों के लिए कोई योजनाएं नहीं हैं ऐसे लोगों के लिए योजनाएं हैं जिनके पास धन की कमी नहीं है, माफिया हैं। कमजोर लोगों के लिए कोई योजना नहीं है। बड़े लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। श्रीमती नीरा यादव के खिलाफ आज भी जांच चल रही है। कोई भी रिजल्ट निकलने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री मदन चौहान-

[x x x]

श्री अध्यक्ष-

अब लिखा नहीं जाएगा।

श्री मदन चौहान-

[x x x]

श्री अध्यक्ष-

लिखा नहीं जा रहा है।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री चितरंजन स्वरूप–

अध्यक्ष महोदय, आपने कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया मैं आपका आभारी हूं। अध्यक्ष जी, आवास एवं नगर विकास हमारी सभ्यता के प्रतीक हैं। जितनी भी सभ्यताएं हुई उनके भग्नावशेष से हम उस समय की सभ्यता का आंकलन करते हैं। आज अध्यक्ष जी, शहरों में आबादी बढ़ रही है। सरकारी आकड़ों में 20 प्रतिशत आबादी शहरों में रहती है लेकिन विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि 25–30 प्रतिशत आबादी शहरों में रहती है। आज आदमी शहर की ओर पलायन कर रहा है। यह बहुत गम्भीर समस्या पैदा हो गई है। मैं कहना चाहता हूं कि शहर के बराबर के जो गांव हैं यदि वहां जो सूडा, डूडा, एम०डी०ए०, एजेंसियां हैं उन गांवों का विकास इस हिसाब से कर दिया जाए तो नगर के बराबर के गांव भी उसी प्रकार होंगे। मुजफ्फरनगर के पास सर्वठ गांव है 3700 आबादी है। लेकिन 21 हजार बाहरी लोगों ने वहां मकान बनवा लिए हैं। हमारे यहां अंकित बिहार, आदर्श कालोनी, सुभाष नगर है इनको विकसित किया जाए। एक बात और कहना चाहता हूं कि जब विकास प्राधिकरण काम कर रहे हों तो नगर पालिकाओं की क्या आवश्यकता है। उनके अन्दर से भ्रष्टाचार दूर हो जाए। एक-एक व्यक्ति, इंजीनियर की बात छोड़ दीजिये एक छोटा सा कर्मचारी भी करोड़पति हो गया है। मैं एक सुझाव जो कि पूर्व में भी माननीय सदस्यों ने कहा है कि विकास प्राधिकरण में जन प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाय, इसकी मांग करता हूं और इस बात का समर्थन करता हूं। हमारा प्राधिकरण 1996 में बना और 1997 में उन्होंने वहां भूमि का अधियाचन किया। वहां पर रहने वाले लोगों के लिये दुकानें बनाई लेकिन मान्यवर, 5 साल रुपया जमा किये हुए हो गया। तब के वी०सी० ने कहा था लेकिन आज तक बहुत से लोगों को दुकानें नहीं मिली हैं। मेरा अनुरोध है कि आप इस पर भी ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

श्री माता प्रसाद जी, आप बाद में। काफी समय हो गया है। मैं पहले उन्हें अवसर दे रहा हूं जो पहले नहीं बोले हैं।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री विजय बहादुर पाल–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान पर्यटन लाख बहोसी पक्षी बिहार पर्यटन केन्द्र की ओर ले जाना चाहता हूं। बहुत बातें आई कि हमारे यहां इस क्षेत्र को विकसित कर दो, हमारे यहां उस क्षेत्र को विकसित कर दो पर्यटन की दृष्टि से, मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो बहोसी पक्षी बिहार है जहां हजारों लोग पक्षी बिहार पर्यटन केन्द्र होने की वजह से आते हैं विगत दो वर्षों में उसके लिये 5-5 लाख रुपये की व्यवस्था की गई। लेकिन वहां के भ्रष्ट अधिकारी दोनों बार का पांच-पांच लाख रुपया हजम कर गये। उनके पेट में वह धनराशि दो बार चली गई। इस बार भी 5 लाख की धनराशि आवंटित की गई है बहोसी पक्षी बिहार को जोड़ने के लिए जिला कन्नौज से तिर्वा तहसील इन्द्रगढ़ होते हुए भगौती सड़क जाती है वह कच्ची से भी बदतर, जीर्ण-शीर्ण है, और कहीं-कहीं नाले का रूप ले चुकी हैं। उमरदा से बहोसी और हसेरन से बहोसी पक्षी-बिहार तक जाने वाली सड़कों की दुर्गति है। मान्यवर, वहां के विकास के लिये इन सड़कों की विशेष रूप से मरम्मत की जाय। यह कितनी दुःखद बात है कितनी बिडम्बना है, इतनी गिरावट आ गई है कि गिरावट लजा गई है ?

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें । अब लिखा नहीं जायेगा ।

श्री विजय बहादुर पाल–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

अब लिखा नहीं जा रहा है । मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है ।

श्री विजय बहादुर पाल–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

दो-दो मिनट में अपनी बात कहोगे अब लगता है कि तारीख बदल जायेगी इतनी जल्दी-जल्दी करने के बाद भी ।

श्री शहजिल इस्लाम–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मैं बरेली शहर से हूं । इसको नगर निगम का दर्जा मिला हुआ है । नगर निगम होने के बावजूद भी बरेली शहर में कोई काम नहीं हो पा रहा है । खास कर कैन्ट विधान सभा में सीवर लाइन तो हैं नहीं । जहां-जहां है वह सब चोक पड़ी हैं । माननीय मंत्री जी थोड़ा इस ओर ध्यान दीजिये । मान्यवर, वहां पर स्ट्रीट लाइट नहीं है । सड़कें टूटी पड़ी हैं । माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं बरेली नगर निगम की ओर आकर्षित करना चाहता हूं वहां स्ट्रीट लाइट नहीं है, सीवर लाइन चोक पड़ी हैं उसको सुधरवाने का कष्ट करें । इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

दो-तीन माननीय सदस्य हैं, कमाल जी है इनको एक मिनट दे देंगे । माता प्रसाद जी हैं, किरनपाल जी हैं इनको समय दे देंगे ।

(व्यवधान)

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, कार्य मंत्रणा समिति में तय हुआ था अगर उसके अनुसार बजट पास नहीं होगा तो विधिक स्थिति क्या रहेगी ? पांच तारीख का बजट पास होना है थोड़ी देर में 6 तारीख शुरू हो जाएगी । 6 तारीख का बजट दूसरा है ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष-

आपको इस सदन की नगर विकास मंत्री जी पुरानी व्यवस्था की जानकारी नही है कई बार व्यवस्था दी जा चुकी है । 5 तारीख का कार्यक्रम अगर 6 तारीख तक चलता है तो भी यह 5 तारीख का कार्यक्रम है 5 तारीख का ही माना जाए 5 तारीख का ही उपवेशन माना जायेगा ।

श्री सिद्ध गोपाल साहू-

मान्यवर, 54 वर्षों में बुन्देलखण्ड के विकास के लिए बहुत घोषणाएं हुई हैं लेकिन वहां पर्यटन के नाम पर मात्र चार पर्यटक आवास ही बने हैं । उत्तराखण्ड के अलग होने के बाद बुन्देलखण्ड परिपथ को विकसित करने की बहुत फर्जी घोषणायें हुई लेकिन जब तक खजुराहो में इसकी व्यवस्था न करेंगे और खजुराहो आने वाले पर्यटक बुन्देलखण्ड आने के लिये मजबूर हों, ऐसी व्यवस्था न करेंगे, तब तक कोई फायदा होने वाला नहीं है !

(व्यवधान)

हमें खजुराहो में पर्यटकों को बुन्देलखण्ड के पर्यटक स्थलों के बारे में जानकारी देकर उनको पर्यटक वाहनों से बुन्देलखण्ड के पर्यटक स्थलों को घुमाने की व्यवस्था करनी होगी । बौद्ध परिपथ के लिये, पर्यटन के विकास के लिये रु० 1 हजार 20 करोड़ की व्यवस्था की गई है लेकिन केवल 1.20 करोड़ की व्यवस्था की गई है । मान्यवर, मेरा सुझाव यह है कि खजुराहो को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था पर्यटन की बुन्देलखण्ड में हो कि जो पर्यटक खजुराहो आये वह बुन्देलखण्ड आने को मजबूर हो जायें । वहां टूरिस्ट कोच की व्यवस्था करने की आवश्यकता है, बुन्देलखण्ड के टूरिस्ट प्लेस को संरक्षण देने का कष्ट करें । जहां जैन धर्म के ऐतिहासिक स्थान हैं, हर धर्म के ऐतिहासिक स्थान हैं ! कालीजर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना किला है ।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें ।

श्री सिद्ध गोपाल साहू-

वहां धार्मिक महत्व का शिव जी का नीलकंठ मन्दिर हैं । तथा साथ ही यहां पर हिन्दुस्तान के शासक शेरशाह सूरी भी मारे गये थे । मेरा अनुरोध है कि बुन्देलखण्ड का विकास खुजुराहो की तर्ज पर किया जाये । मान्यवर, महोबा ऐतिहासिक नगर है वहां ऐतिहासिक कजली मेला लगता है । उसी समय पर महोबा-महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाना चाहिए । इसी के साथ मान्यवर, जो कबरई की नगर पंचायत है इसमें मैंने प्रश्न किया था उत्तर आया था कि वहां जनसंख्या कम है मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं प्रदेश में करीब 20 नगर पालिकायें ऐसी हैं जहां 20 हजार से कम जनसंख्या है कबरई की जनसंख्या 21 हजार 255 है अतः कबरई को नगर पालिका घोषित करने की मांग करता हूं जनपद में ....

श्री अध्यक्ष-

आगे नहीं लिखा जाएगा ।

श्री सिद्ध गोपाल साहू-

[X X X]

नोट :-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री मशहूद खां–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आभारी हूं। मैं पूर्वांचल के बलरामपुर के तुलसीपुर से चुनकर आता हूं। इस क्षेत्र में देवी पाटन का मन्दिर है जो 51 शक्ति-पीठो के मन्दिरों में आता है मैं यह चाहता हूं कि वह पर्यटन स्थल घोषित किया जाय। पूर्वांचल में इससे बड़ा मन्दिर नहीं है। नगर पंचायत तुलसी पुर हमारे क्षेत्र में पड़ती है अभी कुछ दिन पहले स्वच्छ पेयजल न मिलने के कारण लोग बीमार हो गये तो मेरी मांग है कि वहां पर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाय, सफाई कर्मचारियों की कमी है उनको नियुक्त कराया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

* श्री आलमबदी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हूं। मैं आजमगढ़ जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है से चुनकर आया हूं। मान्यवर, मेरे जिले में हिन्दू भाइयों के चार प्रसिद्ध धर्मस्थल हैं। हमारे यहां बड़े-बड़े मेले लगते हैं जिसमें मेरे बहन भाई जाते हैं। मैंने वहां पर दुर्गा धाम में एक रैन बसेरा बनाया है। इसका प्रस्ताव भी मैंने किया था और इस्टीमेट भी मैंने बनाया था। यह 50X20 का है और एक लाख पचहत्तर हजार रुपये से बनाया था। वहां पर पर्यटन विभाग ने भी रैन बसेरा बनाया उसकी कीमत चार लाख रुपया है। तो यह मान लीजिये कि जो इस्टीमेट मैंने बनाया था उससे पचास प्रतिशत ज्यादा है अगर आप अपने बजट से मुझे दे दें तो मैं दो गुना काम करा दूंगा। मैं यह चाहूंगा कि विभाग इस बात पर नजर रखें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आपकी बात आ गयी है।

(समय रात्रि 12 बजकर 02 मिनट)

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे आवास विभाग नगर विकास तथा पर्यटन विभाग की कटौती पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आभारी हूं। मान्यवर, मेरा क्षेत्र श्री कृष्ण भगवान की कर्मस्थली रही है। मान्यवर, मथुरा पर्यटन की दृष्टि से अत्यन्त उपेक्षित है। सबसे पहले मैं आपका ध्यान वहां की जर्जर नगरपालिका की तरफ आकृष्ट कराना चाहूंगा। मथुरा और वृन्दावन की नगरपालिकाएं बहुत बुरी हालत में हैं। वहां पर लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, उपकरण नहीं हैं, पेयजल की समस्या हैं और सड़कें टूटी पड़ी हैं। मान्यवर, वहा पर जन्माष्टमी में इस साल 40 लाख यात्री पधारे थे। मथुरा और वृन्दावन में जो सड़कें बनायी हैं वह आर०सी०सी० कंक्रीट की बनायी जायें। वहां पर प्रकाश व्यवस्था ठीक करायी जाय गोकुल बैराज परियोजना का जो काम अधूरा पड़ा है उसे रु० 88 करोड़ देकर पूरा कराया जाय। इसमें 44 करोड़ की और आवाश्यकता है। इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहूंगा कि जो नगरपालिका में लैण्डस हैं उसमें माफिया लोग कब्जा कर रहे हैं। आप इसको देखें और माफियाओं से जमीन को छुड़वाया जाय। मान्यवर, आपने पचास-पचास हैंड पम्प देने की बात कही थी शहरी क्षेत्र में। आज नगर विकास का बजट है और नगरीय क्षेत्र में भी बिना दस प्रतिशत दिये पचास

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैण्ड पम्प देने की घोषणा करें मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो अवैध कालोनियां हैं उन्हें सही करने की व्यवस्था की जाय और जो विकास प्राधिकरण है, या जो आवास विकास के माध्यम से जो मकान बनाये जा रहे हैं उसमें क्वालिटी कंट्रोल की जाय । मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर यमुना नदी प्रदूषित हो रही है । मान्यवर, इसको साफ कराया जाये और विश्राम घाट पर कुंड बनाकर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था आचमन हेतु सुनिश्चित की जाय । मान्यवर, एक बात यह है कि मथुरा-वृन्दावन की अच्छी सड़कों की व्यवस्था की जाये । इसके लिए माननीय मंत्री जी इसकी घोषणा करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं तथा अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि माननीय सदस्य श्री इकबाल महमूद जी सदन से बाहर चले गये हैं । कृपया आपसे अनुरोध है कि उन्हें सुन लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

वह अपनी मर्जी से सदन से बाहर गये हैं । अगर हमने उन्हें बाहर जाने का निर्देश दिया होता तो हम उनसे सदन में आने को कह सकते थे लेकिन वह अपनी मर्जी से बाहर गये हैं और वह चाहें तो अपनी मर्जी से सदन में आ सकते हैं । मैं उन्हें अंदर आने के लिए नहीं कहूंगा । यह एक गलत परम्परा की शुरूआत होगी ।

* श्री अजीम भाई–

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र फिरोजाबाद की एक समस्या को रखना चाहता हूं जिसके लिए वर्षों से आन्दोलन चल रहा है मान्यवर, जब हम लखनऊ से फिरोजाबाद सड़क के रास्ते से जाते हैं । तो वहां पर देखेंगे कि सड़क के बायीं ओर नगर परिषद् है और सड़क के दायीं ओर ग्राम सभा की सीमा है, और बीच में 70-80 फीट की सड़क है । मान्यवर, दायीं ओर ग्राम सभा में मोरा ग्राम सभा, लालपुर ग्राम सभा, सेलेई, और नगलामणि और रशीदपुर आदि जो ग्राम सभाएं हैं वह कहने को तो ग्राम सभाएं हैं लेकिन वह शहर से लगे मोहल्ले हैं । इसलिए आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस मोहल्ले में जाकर स्थिति देखेंगे तो पायेंगे कि वहां पर इंसान नहीं जानवर रहते हैं । वहां पर वर्षों से आन्दोलन हो रहा है । मान्यवर, न गलियां है, न सड़कें हैं, न पानी के निकास का रास्ता है, न खड़ंजा है, न पीने का पानी है, न बिजली का तार है, यहां पर कोई सुविधा नहीं है । मान्यवर, इसमें बहुत सी आबादी ऐसी है जो न नगर पालिका सीमा के अन्तर्गत है, न ग्राम सभा में शामिल है । मान्यवर, मैंने जितनी ग्राम सभाएं बतायी हैं उनको नगर पालिका परिषद् की सीमा में शामिल करके इन मोहल्लों में भी काम कराया जाए और इन लोगों को यहां का नागरिक समझा जाए । मान्यवर, जो सुविधायें दूसरे मुहल्लों को मिल रही हैं इस पूरे हिस्सों को मिले ।

*श्री कमाल यूसुफ मलिक–

मान्यवर, डुमरियागंज को नगर पंचायत घोषित किये जाने की घोषणा की गयी थी अब उनके नोटिफिकेशन में क्या देरी है ? कृपया इसको अपने उत्तर भाषण में बता दें कि इसका नोटिफिकेशन कब तक हो जायेगा ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, जो नगरों में स्लाटर हाउस हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभी शहरों, कस्बों में, आप चाहें कुछ भी विकास करें उसकी समस्या का समाधान अवश्य करें। मान्यवर, वहां बहुत बदबू और पोल्यूशन है। वहां अस्पताल घर आदि भी हैं और आधा शहर बदबू में डूबा रहता है। मान्यवर, आप हापुढ़ जायें पी०डब्लू०डी० का डाक बंगला है। आप गाड़ी रोक नहीं पायेंगे वह शहर के बीच में है। मान्यवर, आप एक टीम बनाकर इसका सर्वे करायें कि इसके पोल्यूशन को कैसे कन्ट्रोल किया जाए। मान्यवर, इसमें पुलिस वाले स्वास्थ्य और सैनिटेशन वाले पैसा लेते हैं। मान्यवर, इसमें पैसा बहुत है जो भी आप इसमें शर्तें रखेंगे वे मानेंगे विकसित देशों में भी स्लाटर हाऊस है। वहां फ्लूशन नहीं है। आप एक दो अधिकारियों को वहां भेजे कि इस समस्या से कैसे निजात पायी जा सकती है ? मान्यवर, सिर पर मैला ढोने में स्थिति यह है कि कस्बों में अभी भी यह प्रथा मौजूद है। मेरा कहना है कि यदि आप ठान लें कि दो साल में हम इसे खत्म करेंगे तो यह हो जायेगा। मान्यवर, जो आपके एस०डी०एम० हैं उनसे कहें, समाज सेवी संस्थायें हैं वे आपको सहयोग करेंगी। आप एक ड्राइव चलायें समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा और लोगों के सहयोग से और मेरा निवेदन है कि साल दो साल में यह तय कर लें। कि यह अभिशाप है जो हमारी बहनें मैला उठाती हैं, टट्टी ढोती हैं। आपके विभाग में रहते यह हो जायेगा खर्चा भी नहीं होगा और [illegible] रास्ता आप निकाल लेंगे। हमारे यहां गांधी पार्क शहीद चौक में पहले वह विक्टोरिया पार्क थी अब वह गांधी पार्क बन गयी है पिछले दिनों जब मायावती जी मुख्य मंत्री थीं तो एक कलेक्टर ऐसा आया जो पागल सा था उन्होंने गांधी जी के पत्थर को हटवा दिया और जब आन्दोलन किया तो पत्थर वहां नहीं लगाया पुलिस पोस्ट पर लगा दिया गांधी पार्क का पत्थर पुलिस पोस्ट पर लगा दिया पार्क का पत्थर है पुलिस पोस्ट पर लगा दिया है। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आया था उसने उसको वहां लगवा दिया आज भी वह वहीं लगा है आप देख सकते हैं।

मान्यवर, हमारे यहां एक लाल तालाब है जिसमें सारे शहर का पानी इकट्ठा होता था वह बहुत काम आता था लेकिन पिछले दौरान प्रशासन ने उसको भरवा दिया और उस पर कुछ दुकानें बनवाने जा रहे हैं मेरा निवेदन है कि वहां दुकानें न बनवाई जाये और उसको फिर ताल की शक्ल दी जाये। मान्यवर, हमारे यहां एक औरंगाबाद कस्बा है वहां पानी की सप्लाई है। पाइप लाइन बिछ गई है लेकिन आपकी पार्टी के चेयरमैन हैं जो मुसलमान इलाका है वहां पानी का नल नहीं लगा है और जो इलाके हैं वहां लग गया है तो मेरा अनुरोध है कि पूरे टाउन एरिया में पानी की व्यवस्था हो जानी चाहिए।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मैं आपके माध्यम से मान्यवर, एक सुझाव देना चाहता हूं और उसमें पैसा भी नहीं लगना है, गौतम बुद्ध न केवल हिन्दुस्तान अपितु सम्पूर्ण विश्व में उनका सम्मान है और उनकी राजधानी और उनके पिता की राजधानी सिद्धार्थनगर में थी पूर्ववर्ती सरकार ने, उस समय यही मुख्य मंत्री थीं जो वर्तमान में मुख्य मंत्री हैं। तमाम चीजों का शिलान्यास कर आईं इसमें कपिलवस्तु भी था। वह केन्द्रीय सहायतित है उसमें सर्वे हुआ, कार्य प्रारम्भ हुआ फिर उसका पता नही चला तो मैं जानना चाहता हूं कि इस पर कुछ करें आप बुद्धिष्ट के विरोधी है क्या ? सनातनी और बुद्धिष्ठ का झगड़ा बहुत पुराना है मैं समझता हूं कि इस पर शीघ्र ही कुछ करायेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहम्मद बशीर--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं मैं आगरा कैण्ट से चुनकर आया हूं हमारे क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल स्थापित है । मान्यवर, भारतवर्ष का गौरव है आगरा का ताजमहल । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पर्यटकों के लिए आगरा में पहले भी कई बार यह सुझाव आये हैं । यमुना नदी जो आगरा के ताजमहल को छूकर जाती है उसके अन्दर स्टीमर की व्यवस्था की जाये । ताकि जो दूर से आने वाले पर्यटक हैं उनका मनोरंजन बढ़ सके और साथ में, मैं सभी से कहना चाहूंगा कि यह सुविधा जल्द से जल्द हो जाये यमुना नदी के अन्दर । जब आप लोग भी आगरा आयेंगे तो सपरिवार के साथ यमुना में घूमने का अवसर मिलेगा । इस पर थोड़ा सा विचार कर लें । इसके साथ मैं बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं ।

श्री काली चरन राजभर–

मान्यवर, आपने मुझे आवास नगर विकास एवं पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया हम आपके आभारी हैं । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान गाजीपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र जहूराबाद की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं । मेरे विधान सभा क्षेत्र में मात्र एक नगर पंचायत है जिसका नाम है बहादुरगंज । वहां आजादी के इतने अन्तराल के बाद भी समुचित विकास नहीं हो पाया है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बहादुर गंज नगर पंचायत में पानी, बिजली, सड़क खड़ंजे नाली आदि की व्यवस्था की जाये । सड़क पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाये । मैं मंत्री जी का ध्यान गाजीपुर की सबसे पवित्र धरती महावर की ओर ले जाना चाहता हूं । जहां शंकर जी का एक पवित्र मन्दिर है । महावर में मर्यादा पुरुषोत्तम राम चन्द्र जी के पिता श्री दशरथ जी निवास करते थे वहीं एक तालाब बना हुआ है वहीं पर श्रवण कुमार अपने माता-पिता को पानी पिलाने ले गये थे और वहीं पर श्रवण कुमार को राजा दशरथ ने तीर मारा था । मैं, मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि महावर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाये । तथा कासिमाबाद बाजार के चौराहे पर सम्राट राजा सुहेलदेव की मूर्ति स्थापित किया जाये । इसके साथ ही मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं और बजट का समर्थन करता हूं ।

* श्री शैलेन्द्र यादव ललई–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत तीनों बजटों का समर्थन करता हूं । मैं गाजीपुर में नवल क्षेत्र से विधायक हूं । नगर पालिका परिषद् तथा नगर पंचायत जमनीपुर में पेयजल की तथा सीवर की समस्या है । गंगा नदी के किनारे होने के बाद भी वहां सीवर नहीं है । मैं चाहूंगा कि गाजीपुर में सीवर की व्यवस्था करायी जाये । हमारे जनपद में जमानिया तहसील के पास 2 किलोमीटर की दूरी पर सम्राट अशोक की बहुत बड़ी लाट है । लटिया महोत्सव के नाम से वहां बहुत बड़ा मेला लगता है । बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग वहां आते हैं । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि लटिया महोत्सव को पर्यटन में ले करके उसका विकास किया जाये, जिससे हमारे जनपद का गौरव बढ़ सके । जय भीम जय भारत ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री धनन्जयसिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए सिर्फ एक मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र दो तहसीलों में बंटा है एक तहसील शाहगंज और दूसरी बदलापुर। बदलापुर तहसील की जनसंख्या किसी नगर पंचायत की जनसंख्या से बहुत अधिक है परन्तु आज तक यह ग्राम सभा है। मैं माननीय मंत्री जी आपसे अनुरोध करूंगा कि बदलापुर को नगर पंचायत का दर्जा देने का कष्ट करें। इसी के साथ-साथ तहसील शाहगंज नगरपालिका परिषद् है उसका एरिया नहीं बढ़ाया गया है। जबकि उसके अगल बगल के काफी गांव शहर जैसे विकसित हो गये हैं। मैं चाहूंगा कि नगरपालिका शाहगंज का एरिया बढ़ाते हुए उन सभी गांवों को उसमें सम्मिलित किया जाय। हमारा जनपद जौनपुर, सुल्तानपुर से मिलता है उस जगह बजरंगबली का तीर्थ स्थल है। जब इस प्रदेश में आदरणीय श्रीपति मिश्रा जी मुख्य मंत्री थे उस समय वहां पर कुछ काम किया गया था। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उसे पर्यटन स्थल के रूप में बनाने का कष्ट करें। इसी के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

* श्री धर्मेन्द्र कुमार–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरे बरेली जनपद के विधान सभा क्षेत्र में पड़तापुर, महलऊ, सितौरा आदि मोहल्ले हैं जिसमें आज भी खड़ंजा लगा हुआ है और बराबर जल-भराव की समस्या बनी रहती है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि कृपया इस समस्या की ओर ध्यान देने का कष्ट करें। हमारी विधान सभा में एकमात्र कालोनी है जिसे बी०डी०ए० के नाम से जाना जाता है। वहां सड़कों की व्यवस्था अत्यन्त खराब है। मैं माननीय मंत्री जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या को शीघ्र दूर करने का कष्ट करें। इसी के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री ओम प्रकाश पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नगर विकास, आवास एवं पर्यटन के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, मैं आभारी हूं। माननीय मंत्री जी के द्वारा नगर में विकास के बहुत से कार्य किए गये हैं। बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चलायी गई हैं। मैं उसके लिए बधाई देना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र जनपद का नगर क्षेत्र है मैं वहां की कुछ समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। मेरे नगर क्षेत्र में आवास विकास परिषद् के द्वारा करीब 15 वर्ष पूर्व जमीन का अधिग्रहण किया गया था। अधिग्रहण के साथ-साथ लोगों के पैसा भी जमा कराया गया था परन्तु वहां आवास विकास स्थापित नहीं हुआ। मेरा आपसे आग्रह है कि जनपद सुल्तानपुर में आवास विकास स्थापित कराने का कष्ट करें। मान्यवर, हमारे जनपद में डूडा का जो कार्यक्रम चल रहा है उसके अन्तर्गत मलिन बस्तियों में कोई कार्यक्रम नहीं लिए गए हैं। इसके अलावा डूडा सुल्तानपुर को धन आवंटन भी नहीं हो रहा है। एक और समस्या की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं हमारे नगर पालिका परिषद् सुल्तानपुर में बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसके लिए बहुत सी शिकायतें हुई हैं लेकिन कोई कार्यवाही नही हुई। विगत 21 तारीख को बोर्ड की बैठक में रिवाल्वर तक निकल आये थे और कोई बड़ी घटना हो सकती थी इसलिए

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं आपसे मांग करता हूं कि नगर पालिका परिषद्, सुल्तानपुर की विधिवत जांच करायी जाय और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय । एक बार पुनः मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री ओम प्रकाश (ओ० पी० सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने आवास, नगर विकास एवं पर्यटन के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं । मैं इस बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, मंत्री जी ने तमाम योजनाओं के तहत जन कल्याणकारी बजट रखा है । यह कोई सोच भी नहीं सकता कि वह बिना पैसे व मकान के मकान मालिक बन जायेगा, 5-10-15 रुपये जमा करने से मकान मालिक बन सकता है । मान्यवर, ऐसा कल्याणकारी बजट पेश करने के लिए मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं । बजट पर कटौती प्रस्ताव रखते हुए माननीय सदस्य ने अलीगढ़ की तमाम समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया था । मान्यवर, अलीगढ़ को वह सौभाग्य मिला है कि वहां के दो-दो नेता सदन रह चुके हैं, अगर वहां पर सीवर नहीं पड़ा है तो यह दुर्भाग्य की बात है । मान्यवर, इसी के साथ मैं मांग करता हूं कि हमारे क्षेत्र में धरिया, पाण्डे बाबा, बजर, पर्यटन स्थल हैं, इन्हें विकसित किया जाय । इसी के साथ बजट का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

* श्री मुंशी लाल गौतम–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने इस कल्याणकारी बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं शिकारपुर विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं , जो सूर्या फिल्म में भी दर्शाया गया है, उसे किसी प्रकार की सुविधाएं शासन द्वारा नहीं मिल पा रही हैं । 4000 की आबादी का अम्बेडकरनगर एवं शिकारपुर बजरी को शिकारपुर नगरपालिका में शामिल करने की कृपा करें । यहां राम लीला मैदान के पास सड़क, और मकान ऊंचे बने हैं, जिसकी वजह से पानी नहीं निकल पाता है, और भरा रहता है मैं चाहता हूं कि राम लीला मैदान को ऊंचा कराया जाय । शुलभ-शौचालय का निर्माण कराया जाय और धोबी घाट का निर्माण कराया जाय, इसी के साथ मैं इस कल्याणकारी बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री अवधेश कुमार वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने आवास, नगर विकास और पर्यटन के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, पं० राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह एवं कारगिल में शहीद श्री रमेश चन्द्र के जनपद शाहजहांपुर से चुनकर आया हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने जनपद शाहजहांपुर की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, हमारे जनपद में 1980-81 के बजट में आवास विकास परिषद् की कालोनी हेतु प्रस्ताव हुआ था, जिस पर काफी लोगों ने पैसा जमा किया था, लेकिन उसका निर्माण आज तक नहीं हो पाया है, मंत्री जी से अनुरोध है कि उसका निर्माण कराएं । ददरौल विधान सभा क्षेत्र में एक मात्र नगर पालिका परिषद् में सूडा के अन्तर्गत कोई काम नहीं हुआ । सूडा के अन्तर्गत वहां काम कराने का काम करें । इसी के साथ इस महत्वपूर्ण बजट का समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री घनश्याम शुक्ला–

मान्यवर, साढ़े बारह से ज्यादा हो गया है, अब इसे खत्म करें, माननीय सदस्य अपनी समस्यायें मंत्री जी को लिख कर दे देंगे ।

श्री अध्यक्ष–

ऐसा है मुझे कोई आपत्ति नहीं है । अगर माननीय सदस्य अपने सुझाव लिख करके दे दें । देखिये आप लोग सत्ता पक्ष के हैं, आप लोग तो मंत्री जी को सुझाव लिख करके दे दीजिएगा, इस पर लोगों की इच्छा है, इसे समाप्त किया जाय ?

श्री अनिल कुमार वर्मा–

मा० अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझें आवास एवं नगर विकास तथा पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण बजट के पक्ष में बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जनपद हरदोई की तथा अपने विधान सभा क्षेत्र बावन के कुछ विकास कार्यों को कराये जाने का अनुरोध माननीय मंत्री जी से करता हूं । हमारे विधान सभा क्षेत्र में श्री शिव मन्दिर संकट हरण सकाहा तथा श्री सिद्ध आश्रम धोबिया को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाये । ग्राम पंचायत बावन जो कि एक बहुत बड़ा कस्बा है, मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इस कस्बे को नगर पंचायत घोषित किया जाए । हमारे विधान सभा क्षेत्र में नगर पंचायत गोपामऊ को पं० दीन दयाल नगरोदय योजना के अन्तर्गत विकसित किया जाए । मान्यवर, इसके अलावा हरदोई नगर पालिका परिषद् में जो कार्य नगर पालिका के अध्यक्ष द्वारा कराया जा रहा है, उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है एक तरफ से सड़क बनती है तो दूसरी तरफ टूट जाती है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि हरदोई नगर पालिका परिषद् द्वारा कराये गये कार्य की गुणवत्ता की जांच कराये । इसी के साथ मैं, मा० मंत्री जी के बजट पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

श्री योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया–

मा० अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आवास, नगर विकास एवं पर्यटन के बजट पर बोलने का अवसर दिया । इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मा० मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की समस्यायें रखना चाहता हूं । जिला योजना 2001-2002 में सकरौरा घाट निर्माण हेतु 15 लाख का आवंटन हुआ था । इसमें सरयू नदी को पुराने तट पर लाने की योजना थी । लेकिन 15 लाख रुपये का दुरुपयोग किया जा रहा है, और पर्यटन विभाग द्वारा उक्त कार्य न करा कर तालाब बनाया जा रहा है जो पैसे का दुरुपयोग है । इस कार्य को रुकवाकर जांच करायी जाए तथा स्वीकृत कार्य कराने का निर्देश दिया जाए । वाराह भगवान के सूकर क्षेत्र पसका विकास खण्ड परसपुर वह स्थान है जो गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्म स्थली है तथा इलाहाबाद के संगम के बाद पूरे भारतवर्ष में इस क्षेत्र का दूसरा स्थान है यहां सरयू नदी के संगम तट पर कल्पवासी एक माह तक रुक कर कल्पवास करते हैं । यहां के घाटों पर सीढ़ियों की भी व्यवस्था नहीं है और न ही पर्यटक आवास गृह है । मैं मा० मंत्री जी से पुरजोर मांग करता हूं कि यहां घाटों व पर्यटक आवास गृह का निर्माण कराया जाए जिससे पूरे देश से आने वाले पर्यटक व यात्री रह सकें । हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम सभा परसपुर को नगर पंचायत का जो दर्जा दिया जाये तथा कर्नेलगंज नगर परिषद् के विकास हेतु विशेष बजट का प्राविधान किया जाय । जरवलरोड से बलरामपुर को गोण्डा होकर बौद्ध परिपथ से जोड़ा जाये । इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

कुंवर भारतेन्द्र सिंह–

मा० अध्यक्ष जी, आपने मुझे आवास, नगर विकास तथा पर्यटन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। मा० मंत्री जी ने अपने बजट भाषण से पर्यटन और तीर्थ दोनों के ही समूचे विकास की योजना प्रस्तुत की है जिससे लोगों की आशा व विश्वास बढ़ेगा। सुझाव के रूप में मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान प्रदेश के पुराने किले एवं महलों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में पुराने महल व किले, खण्डहर बन गये हैं। जबकि राजस्थान में पांच सितारा होटल बने हैं। इस सदन में ही ऐसे अनेक सदस्य हैं, जिनके महल व किले इतने विशाल हैं, प्राचीन व सुन्दर हैं कि यदि सरकार उन्हें आर्थिक प्रोत्साहन दे तो उनके घरों में ही बहुत कम लागत से 5 सितारा होटल बन सकते हैं जिससे उस क्षेत्र/नगर का विकास हो सकता है। जैसे जोधपुर में दो किले हैं। एक मेहरागढ़ का तथा दूसरा उमेध भवन महल है। हमारे प्रदेश में भी अनेक किले व महल हैं जो किसी भी तरह कम नहीं है। इसी सदन के मा० सदस्य राजा भईया का भद्री का महल है, राजा साहब भिनगा का महल है, रामपुर के नवाब काजिम अली खां का महल, समथर का महल सिद्धार्थ-नगर में, कुंवर जय प्रताप सिंह का बांसी का महल है, तथा मेरा अपना घर, रियासत सहारनपुर का किला है। मान्यवर, कुछ पर्यटकों की आम धारणा है कि हरिद्वार के बाद गंगा जी का जल गंदा हो जाता है। गंगा की सफाई पर्यटन के लिये अति महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश मैं गंगा का प्रवेश बिजनौर जिले में होता है और बिजनौर में गंगा बैराज को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाना चाहिये तथा बिदुरकुटी को भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान के रूप में विकसित करना चाहिये इसी के साथ मैं मंत्री जी के बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं।

* श्री दयाशंकर वर्मा–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नगर विकास मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर पहली बार बोलने के लिए अवसर प्रदान किया। मैं बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि हमारा जनपद जालौन विकास के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। पिछली सरकारें चाहे वह नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका परिषद् हो या नगर पंचायतें हो अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाती थीं। मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जब से मंत्री जी ने विभाग का कार्य संभाला है नगर के विकास के लिए कई नई-नई योजनायें लाये हैं जिससे नगर का काफी विकास हुआ है।

हमारे यहां कोंच क्षेत्र में वहां की आबादी 1 लाख से अधिक है। वहां पर वर्षों पहले सीवर पड़ा था जिसकी उपयोगिता खत्म हो गयी है और उसकी क्षमता आबादी के हिसाब से बहुत कम है। इसके विस्तार हेतु एक प्रस्ताव पड़ा हुआ है उस प्रस्ताव को स्वीकृत करने का मैं अनुरोध करता हूं। माननीय प्रधान मंत्री का स्वप्न है कि सर पर मैला ढोने की प्रथा बन्द होनी चाहिए। इसलिए हमारे यहां सीवर के विस्तार की जरूरत है। मैं ग्रामीण पेयजल योजनाओं के बारे में बताना चाहता हूं कि अधिकारियों द्वारा जो उनको आंकड़े दिये जाते हैं वो गलत दिये जाते हैं। हमारे यहां पानी की टंकी बनायी जा रही है 10 साल हो गये हैं ग्रामवासियों को अभी तक पानी नहीं उपलब्ध हो पाया है। हमारे यहां नाव-गांव पेयजल योजना, पहाड़ गांव पेयजल योजना पर लाखों रुपये खर्च हो चुके हैं लेकिन पानी नहीं मिल रहा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है । इसी तरह से जुगराजपुरा पेयजल योजना पर लाखों रुपया लगा है लेकिन इस योजना से भी पानी नहीं मिला है । इसके अलावा मैं माननीय मंत्री जी से हैण्डपम्पों के बारे में बताना चाहता हूं । जनपद जालौन में 12056 हैण्डपम्प लगाये गये हैं लेकिन जब इसका भौतिक सत्यापन कराया गया तो जिले स्तर पर 3 हजार हैण्डपम्प कम पाये गये ।

श्री अध्यक्ष–

यह सब लिखकर दे दीजियेगा ।

श्री दयाशंकर वर्मा–

मान्यवर, मैं सफाई व्यवस्था की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । सफाई कर्मचारियों की नयी नियुक्ति नहीं हुई है जिसके कारण नगरों में सफाई कर्मचारियों की बहुत कमी है जबकि आबादी बराबर बढ़ती जा रही है । मैं अनुरोध करूंगा कि नये सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाये । इसी के साथ मैं बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री विनोद कुमार सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, ज्यादा समय न लेकर मैं अपने क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूं । मेरे विधान सभा क्षेत्र जौनपुर के पश्चिमी हिस्से से जनपद प्रतापगढ़, इलाहाबाद की सीमा से मिला हुआ है । हमारे यहां नगर पालिका मु० बादशाहपुर में ट्यूबवेल खराब पड़ा हुआ है । जलापूर्ति नहीं हो पा रही है । सड़कें टूटी हुई हैं । वहां पर इतना पैसा कम है कि कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है । बराबर हड़ताल होती है । नगर पंचायत मछली शहर में भी यही स्थिति है । मंत्री जी दोनों स्थानों के लिए दो-दो ट्यूबवेल की व्यवस्था करें जिससे वहां पेयजल की आपूर्ति हो सकें तथा कम से कम 50 हजार रुपये प्रत्येक को आवंटित करने का कष्ट करें । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

शेष माननीय सदस्य अपनी बात लिखकर दे दें ।

* श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

अध्यक्ष जी, आपने आवास विकास, नगर विकास एवं पर्यटन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया मैं आभारी हूं । मैं दो-तीन बातों की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आजमगढ़ एक मण्डल है । श्री मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने आजमगढ़ मण्डल बनाया । आज जो वहां सीवर लाइन है वह 25 साल पहले सीवर लाइन पास हुई थी लेकिन आज भी अधूरी है । मैं कहना चाहता हूं कि उस सीवर लाइन को बनवाने की व्यवस्था करें । जो आजमगढ़ शहर है उसकी आबादी कम है उसका मास्टर प्लान बनाकर उसमें जितने गांव आते हैं नगर पालिका परिषद के अन्दर उसको जोड़ने की व्यवस्था करें । आजमगढ़ शहर के अन्दर जो 30 वर्ष पहले पुराने बिजली के तार हैं वह पुराने हो चुके हैं । वे टूटा करते हैं । कई मौतें हो चुकी हैं । वे तीस साल पुराने तार हैं उन तारों के स्थान पर नए तारों को लगाने की व्यवस्था करें । वहां पर सड़कें खराब हैं, उस पर विशेष ध्यान

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दें । जो बजट पेश किया गया है उसमें आजमगढ़ के लिए एक पैसा नहीं दिया गया है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ को विकास के रास्ते पर ले जाने की व्यवस्था करें । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

* श्री जियाउद्दीन रिजवी–

मा० मैं आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया । मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहता हूं । हमारे जनपद में सिकन्दरपुर विधान सभा के अन्तर्गत दो-दो नोटीफाईड एरिया मनियर सिकन्दरपुर ऐतिहासिक स्थान है । सिकन्दर लोधी के जमाने से यह स्थान बसाया गया है । वहां कई मंदिर हैं । देवी का प्रसिद्ध मंदिर है । मनियर में नौका जी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है । यह नोटीफाइड एरिया के अन्तर्गत आता है । दोनों नोटीफाइड एरिया में कोई व्यवस्था नहीं है । न पानी की निकासी की व्यवस्था है, बिजली के तार गिर गए हैं । कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं । कई लोग मर चुके हैं । ऐतिहासिक स्थान होते हुए भी पर्यटक भी आते हैं, न सड़क की व्यवस्था है, न पानी के निकास की । सिकन्दरपुर टाउन एरिया है वहां पर एक स्लाटर हाउस न होने से बहुत प्राब्लम है...तमाम बदबू फैलती है जिससे लोगों को परेशानी होती है । मैं इस नोटीफाइड एरिया की ओर जो सिकन्दरपुर तहसील के अन्तर्गत आता है आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि यहां पर स्लाटर हाउस बनाने की कृपा करें और इसके साथ ही साथ निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर विद्युत तारों को बदलने की व्यवस्था की जाए । इसी के साथ कटौती की समर्थन करता हूं ।

*श्री राजेश कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं 53 पैला लखीमपुर खीरी से विधायक हूं । माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूं । हमारे क्षेत्र में नगर पालिका मैलानी में बहुत पानी भरा रहता है । सड़कों पर नाले की व्यवस्था नहीं है । वहां पर पानी की टंकी नहीं है, जनरेटर नहीं है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उस नगर पंचायत को आर्दश नगर पंचायत बनायें । यहां पर कनखऊ धार्मिक स्थल है । लोग दर्शन करने के लिये आते हैं । पर्यटन की दृष्टि से उसको विकसित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

विवेक बंसल जी, आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं कि नहीं, यह बतायें । भाषण करने की जरूरत नहीं है ।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री विवेक बंसल–

मान्यवर, मैं कटौती पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

अरविन्द गिरि जी, आप कटौती प्रस्ताव वापस लेते हैं कि नहीं।

श्री अरविन्द गिरि–

मान्यवर, मैं उन तमाम माननीय सदस्यों, जिन्होंने बजट के पक्ष और विपक्ष में भाग लिया है और इस महत्वपूर्ण बजट पर अपने विचार रखे हैं, अपनी समस्याएं रखी हैं। मैं समझता हूं कि उन सबका माननीय मंत्री जी ने संज्ञान लिया होगा। 612 जो स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं उनको जिस रूप में देखने का काम किया होगा, उनकी सारी मूल में सबसे प्रमुख रूप से समस्या आपके पद सृजन को लेकर है। जहां जितनी आवश्यकता है, चाहे वह सफाई कर्मचारी हों, अधिशासी अधिकारी हों, इंजीनियर को लेकर हों, इसके बारे में ही कही गई हैं। वर्षों-वर्ष से स्वायत्तशासी संस्थाओं में पद सृजन की समस्या बरकरार रही है जिसका जिक्र सभी माननीय सदस्यों ने किया है। अगर आप स्वायत्तशासी संस्थाओं को स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं तो यह कैसे स्वावलम्बी बनेंगे ? कैसे उनके बजट की व्यवस्था होगी ? उनके सम्बन्ध में, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अभी कहा था।

श्री अध्यक्ष–

बतायें, कटौती वापस ले रहे हैं कि नहीं ?

श्री अरविन्द गिरि–

मान्यवर, एक मिनट में बात खत्म करूंगा। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछली सरकारों की आदत सी बन गई है चाहे इस राष्ट्र के निर्माता रहे हों, उनके जीवन के बारे में, उनकी जीवनी को बदलने का काम कर रहे हैं। हिन्दुस्तान के इतिहास को बदलने का काम हो रहा है। माननीय मंत्री जी ने अपने दर्शन में, अपनी मानसिकता के माध्यम से हरिद्वार, मथुरा, काशी, प्रयाग की धार्मिकता को नकारने का काम किया है, इसकी जितनी भी निन्दा की जाय, कम है। काशी, मथुरा और प्रयाग भले ही हरिद्वार के सापेक्ष न हों और आप हरिद्वार के सापेक्ष कोई और पर्यटन स्थल बनाना चाहते हों, उसके लिये हम आपको बधाई देते हैं लेकिन हरिद्वार के समान काशी की जो धार्मिक मान्यता है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। जिस तरह से इतिहास बदला जा रहा है। राष्ट्रनायकों की जीवनी को बदलने का काम हो रहा है, इन धार्मिक स्थलों की मान्यता को खत्म करने का कांम निन्दनीय है। टाउन एरिया में सुलभ शौचालय की व्यवस्था की घोषणा की थी। नेडा के द्वारा जो सुलभ शौचालय बनाने का काम होता है अगर उनको इनसे बनवाया जाएगा तो कोई भी एरिया, नगर पंचायतें, इनके मानक के अनुसार सुलभ शौचालय नहीं बना सकती हैं। अगर आप कोई धन की व्यवस्था की घोषणा करते हैं तो निश्चित रूप से हो सकता है, सुलभ शौचालय बन सकते हैं। मैं विशेष बात न रखकर मान्यवर, कहना चाहता हूं कि पिछली राम राज्य नामक सरकार जो आपकी गठबन्धन के रूप की सरकार है उसमें शराब-घर खुलवाने का कार्य सबसे अधिक किया।

(व्यवधान)

गांवों व शहरों के गली कूचों तक शराब की दूकानें खुल गयी : पिछले पांच वर्षों में अगर कोई चीज सामने आई है तो सिर्फ शराब की दुकान खुलने के मामले सामने आए हैं, बड़े-बड़े बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। जिससे स्वायत्तशासी संस्थाओं के सामने समस्या खड़ी कर दी है। मैं बताना चाहता हूँ स्वायत्तशासी संस्थाओं से नहीं पूछा जाता है और बिना अनुमति के मन्दिर, मस्जिद गुरूद्वारों के सामने, अस्पतालों के सामने स्कूलों के सामने शराब की दुकानें खुल रही हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सदन में शान्ति बनाए रखें।

श्री अरविन्द गिरि–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि शराब की दुकानों के लाइसेंस दिए जाएं तो स्थल का निर्धारण जो है वह स्वायत्तशासी संस्थाओं से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेकर किया जाना चाहिए। मान्यवर, मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ स्थानीय निकाओं में 20 प्रतिशत जनता रहती है। समस्याओं का सही आंकलन जितने माननीय सदस्यों ने किया है उसका सही आंकलन भर कर लिया जाए तो मैं समझता हूं कि सारी समस्याओं का निराकरण हो जाना चाहिए। मुझे कहना और भी था समस्यायें और भी हैं। समय भी बहुत हो गया है इसलिए मैं पुनः इस बात पर बल देता हूँ कि स्वायत्तशासी संस्थाओं को अनाथ न छोड़ा जाए। जिले स्तर पर या नीचे निकायों को स्वतंत्र एवं केन्द्रियत व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

श्री अध्यक्ष–

देवेन्द्र प्रताप जी, आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

(व्यवधान)

* श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह–

मान्यवर, मैं सुझाव देना चाहूंगा कि सबसे पहले पर्यटन सुरक्षा बलों का गठन करा दें। इससे विदेशी पर्यटकों को बल मिलेगा, उनको जो स्थानीय पुलिस परेशान करती है, वह उनको परेशान नहीं करेगी। हैरेटेज की योजना है उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाए। जोधपुर-राजस्थान में मीटिंग होती है तो कैंसिल हो जाती है, इसमें स्वयं तिथि निर्धारित करें और मीटिंग करायें एक आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान जो मरूस्थल है और हरियाणा इनको आप देख लीजिये। आपको इनको दौड़कर पकड़ना होगा और वित्तशासी पर्यटन नीति बनानी पड़ेगी। इसी के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए एक सुझाव देना चाहूंगा कि आज के राज्य में गंगा और यमुना मैली हो गयी हैं।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय नगर विकास मंत्री जी ने जो इस सदन के सदस्यों के लिए अपने बजट भाषण में आश्वासन दिया है उसके लिए सम्मिलित रूप से प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों की ओर से सत्ता पक्ष के सभी सदस्यों की ओर से बधाई देना चाहता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री आलम बदी-

मैं इसका घोर विरोध करता हूँ।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, 1999 में माननीय मंत्री जी ने कृपापूर्वक आवास के सम्बन्ध में जो बात कही थी वह आज पुनः घोषणा हुई है। मैं सिर्फ इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि समयान्तराल के साथ उनकी घोषणाओं को पूरा करने में जो भी सम्बन्धित विभाग के अधिकारीगण रहे हैं उनकी रूचि जितनी चाहिए थी वह उन्होंने नहीं ली इसलिए वह परिणाम नहीं मिल पाया। मैं यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिस किसी संस्था के द्वारा चाहे वह एल०डी०ए० हो या आवास विकास परिषद् हो, भूखण्ड या आवास देना चाहते हैं तो वह नो-प्रोफिट और नो-लास जिस मूल्य पर प्राप्त होता है उसी मूल्य पर माननीय सदस्यों के लिए उपलब्ध कराने का काम करें। अगर आप आवंटन में प्राथमिकता देने का काम करेंगे तो वह नयी घोषणा नहीं है। एक सुझाव और देना चाहता हूं पिछली बार जो आवास ऐशबाग में यू०पी०एल० की कालोनी में, सी०एम० एस० की दूसरी तरफ जहाँ हमारे फ्लाट्स बने हैं, उसके बगल में जो भूखण्ड बचा है उस भूखण्ड को तत्काल लेकर आवास बनाने के लिए घोषणा करें। उसमें 80 फ्लैट्स छः महीने के अन्दर, बनाने की घोषणा करें। मैं सभी सदस्यों की ओर से बधाई देना चाहूँगा। इसी के साथ एक छोटी सी शिकायत मेरे क्षेत्र की है। जनपद मुरादाबाद में संभल में नगरपालिका के टेंडर जो 9 तारीख को आमंत्रित किये गये हैं उसमें कई कार्य सड़कों के हैं। कई ऐसे हैं जो पहले हो गये हैं किसी में दोबारा आमंत्रित कर दिये हैं। इसकी शिकायत कर दी गयी है आप इसकी उच्च स्तरीय जांच करायें और कार्यवाही कराने का काम करें। जो तीन माननीय सदस्यों ने कटौती का प्रस्ताव रखा है उस पर बल देता हूँ।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, मुझे बहुत से सुझाव प्राप्त हुए हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ हर किसी ने अपनी बात कही। लेकिन कुछ माननीय सदस्यों जो मैंने कहा वह शायद उसको समझ नहीं पाये। मैंने तो केवल एक-एक भूमिका रखी थी, कि इस संदर्भ में यह बजट है। अभी बजट की पूरी व्याख्या नहीं की। अगर मैं बजट की पूरी व्याख्या करने बैठूं तो शायद 3-4 बज जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

मैं सुबह के नाश्ते की व्यवस्था करा दूंगा।

(समय रात्रि के 1 बजकर 05 मिनट)

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, इतनी बिगड़ी हुयी व्यवस्था है और संसाधनों की कमी है। इसके बावजूद भी अगर हम यह कह रहे हैं कि प्रदेश की शक्ल बदले। मैं कहना चाहता हूँ कि सब मिलाकर 655 रुपये प्रति व्यक्ति की नगर सुविधाओं का खर्च अनुमानित है और शासन की ओर से जो सहायता मिलती है या जो थोड़े-बहुत संसाधन हैं उसमें निकाय की कुल आमदनी 253 रुपये प्रति व्यक्ति के अनुसार है। कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए लेकिन इन आंकड़ों में विकास का रास्ता कैसे निकलेगा। पहली बार इतने बड़े

पैमाने पर नगरों की योजनाएं शुरू की गयी हैं टाउन एरिया से । टाउन एरिया में जब कुछ है ही नहीं तो इन शिकायतों का अर्थ क्या है । जहाँ कुछ किया ही नहीं गया । जो इन शहरों में है, इन गांवों में है । उनकी कोई अलग पहचान नहीं है । मान्यवर, और निकाय बढाने की बात हो रही है । संसाधन बढ़ेंगे नहीं तो यह कैसे होगा । संविधान के 74वें संशोधन में इन्हें एक स्वायत्तशासी संस्था बनाया गया है । जो प्रशासनिक और आर्थिक वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हों । प्रदेश में एक भी ऐसा निकाय नहीं है जो अपने कर्मचारियों की तनख्वाह तक की व्यवस्था कर सके । इसे बढ़ाने का मतलब यही होगा कि छोटी चादर को कैनवस की तरह फैला दो ।

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि 402 रुपये प्रति व्यक्ति का घाटा है उसको कुल जो गैप है वह 1306 करोड़ रुपये का है । यह 1306 करोड़ रुपये कहां से आएगा, मान्यवर, उनकी आमदनी बढ़ाने का एक सबसे बड़ा स्रोत है गृह कर/बड़े शहरों और शहरों में स्थिति यह है कि जो टैक्स लगा हुआ है । 15-20 साल हो गये अभी तक उनका रिवीजन नहीं हुआ है । 20 साल पहले जो टैक्स दे रहे थे वही आज भी दे रहे हैं और उससे ज्यादा अपेक्षा है यह कैसे चलेगा ? मान्यवर, यह इनका जो स्वतः निर्धारण है, यह उसके ऊपर संकट है इनको जब तक अपने पैरों पर खड़े करने की स्थिति में नहीं लाते हैं तब तक विकास का काम कैसे आगे बढ़ेगा । मान्यवर, यह स्वतः निर्धारण की एक प्रणाली अपनाई गयी है लेकिन आज तरह-तरह से इसमें लागू होने की बहुत मुश्किलें आ रही हैं जबकि यह सबसे सरल है, भ्रष्टाचार मुक्त है और सीधे करदाता का निकाय से सम्बन्ध बन जाता है । मान्यवर, आज हम इस बात को सोचने के लिए तैयार नहीं हैं कि अगर इन्कम टैक्स के दायरे में आ गये तो स्वयं फार्म भरना होगा । सेल्स टैक्स अगर नहीं देंगे तो जेल जाना पड़ेगा । लेकिन इसमें जहां बदले में टैक्स के कई गुना ज्यादा सुविधायें ले रहे हैं वहां देने की जिम्मेदारी नहीं है । मान्यवर, 55 प्रतिशत से अधिक हर बड़े शहर में मकानों का मूल्यांकन कर निर्धारण के लिए नहीं हुआ है और जो हो गया है किसी ने अपने तरीके से करा लिया है । 10 हजार किराये की वैल्यू है और 1 हजार रुपये चढ़वा लिया है । जब कारपोरेशन की कमेटी के बीच में जाता है तो वहां जनप्रतिनिधियों की कृपा हो जाती है और वह 500 रुपये हो जाता है । हमने एक फार्म बनाया है जिसमें आपको अपने मकान का कारपेट एरिया जो पूरा मकान है जीना बरामदा, किचन, लेट्रिन यह शामिल नहीं है जो लिविंग रूम है उसकी पैमाइश आपको देनी है । मान्यवर, यह सिद्धान्त रहा है कि किराये की वैल्यू के आधार पर टैक्स लगता है वही अब है । पहले जब यह होता था उस समय उस क्षेत्र में कोई किराये का मकान उठा है । वहीं किराये की वैल्यू मान ली जाती है और अगर स्वयं रहते तो 25 प्रतिशत की छूट दी जाती है लेकिन स्टाम्प ऐक्ट के अन्तर्गत जमीन की या किराये की जो उसका सर्किल रेट है वह है अभी बताया कि किसी का कुछ हजार का था और वह लाखों में हो गया तो यह सब षड़यंत्र का अंग है उनकी रोजी-रोटी बन्द हो जायेगी जिस दिन यह व्यवस्था लागू हो जायेगी । इसमें कहीं आप देखें कितना सरल कर दिया है कि अगर जो पुराने मकान हैं और जिनका असिसमेंट 15-20 साल पहले हुआ था और अब बढ़ा होगा तो जाहिर है कि आज किराये की वैल्यू है वह ज्यादा हो गयी होगी । इसको भी मैंने कहा कि ईमानदारी से आप अपना जो कारपेट एरिया हैं वह डिक्लेयर कर दीजिये उससे परहेज मत कीजिए । लेकिन हम यह वायदा करते हैं कि अगर वह बहुत ज्यादा हो रहा है जिसमें स्वयं रहे हैं कोई आपने परिवर्तन नहीं किया है । पुराना असिसमेंट है तो जो टैक्स आप दे रहे थे उससे दो गुना से ज्यादा भार नहीं पड़ेगा । अगर यह पांच साल में रिवीजन हो रहा होता तो 30 प्रतिशत बढ़ जाता और चौथी बार हुआ होता तो तीन गुना हो जाता । लेकिन अब यह व्यवस्था बदल रहे हैं कई जगह ऐसे-ऐसे मामले आये हैं ने प्रस्ताव कैन्सिल किया है । 9 करोड़ रुपया प्रस्तावित किया गया विभाग की ओर से 80 लाख ार माननीय सदस्यों ने फैसला

कर दिया । अब इस तरह से अगर एक पैसा आमदनी भी नहीं बढ़ेगी तो बन्द करना होगा । मान्यवर, अब अधिकारियों की जिम्मेदारी भी इसके साथ जोड़ रहा हूँ जो कैश कलेक्शन से सम्बन्धित जिम्मेदार अधिकारी हैं अगर वह 70 प्रतिशत से कम वसूलयाबी करते हैं तो उनको एडवर्स इन्ट्री दी जायेगी, हटाया जायेगा और जो भी होगा उसे दण्डित किया जायेगा । मान्यवर, 73वें संशोधन में स्पष्ट है कि लोकल बाडीज अपने इम्पलाई को अपनी सुविधा के अनुसार तनख्वाह दे सकते हैं । उत्तर प्रदेश में हम सब ने यह एक जबरदस्ती कर दी कि सबको राज्य कर्मचारी मानकर पंचम वेतन मान दे दिया । आज जितनी आमदनी उनकी हो रही है, वहाँ निकाय की आमदनी शून्य होती जा रही है कहां खड़े होंगे, कहाँ से विकास होगा, जल संचयन तो कर सकते हैं लेकिन नोटों का संचयन करने की कोई दिशा नहीं है । आज नहीं तो कल स्वायत्तता का लाभ उठाना है । मान्यवर, चेयर मैन चुना जाता है इतना पैसा खर्च करके इतना बड़ा चुनाव लड़ते हैं । अगर वह अपने कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं दे सकते हैं तो इस व्यवस्था के फेल होने में बचा ही क्या है । इसलिए आज नहीं तो कल जब तक यह स्थिति नहीं बनेगी । वह अपने खर्चों को कम करें और आमदनी बढ़ा दें और उनकी तनख्वाह निकाली जाय, माननीय सदस्यों ने कई जगह कहा कि दो-दो तीन-तीन महीने की तनख्वाह नहीं मिली अब राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार एक मुस्त रकम मिल जाती है । तय है कि कितना पैसा मिलेगा उसके अलावा कोई फण्ड नहीं है जिस पर हम उनको दे सकें । दो वर्ष से हमने विकास के लिए कुछ धन की अलग से व्यवस्था की थी, जो ऋण है वह उनको देते हैं जहाँ हालत बहुत खराब है, विकास कार्यों की । आखिर कहाँ तक अब चलेगा, अब दूसरे वित्त आयोग की रिपोर्ट आ गयी हैं मैं समझता हूँ उसके अन्दर जिम्मेदारी भी निश्चित की गयी है उन लोगों की जो नहीं वसूली करते हैं । उनका क्या किया जाय तो कुछ थोड़ा बहुत आमदनी बढ़ायें कुछ उनके संसाधन सरकार से और बढ़ेगें । जैसा मैंने कहा था इस समय भारत सरकार से कई तरह फण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर तय करने के लिए अलग कार्पोरेशन और बैंक बना दिये हैं । हम अपने विभाग में इस तरह का कार्पोरेशन बनाकर और जितने संसाधन हमारे पास हैं और वह सब लेकर जहाँ हालत बहुत खराब है उनका दें हमारे अंचल जी, ने कहा जमीन खाली कराकर बेचना पाप है तो जमीन पर कब्जा करना क्या पुण्य है यह मैं नहीं करा सकता हूँ आज सारी जमीने कब्जा होती चली जा रही हैं । जब मेरी सरकार थी तब भी वह नीति थी, 1992 में जब मैं मंत्री था उसके पहले भी यह नीति थी । नजूल की फ्री होल्ड करने की, वह किसी को बेची नहीं जा रही है । जो रह रहा है जिसके नाम वह है उससे कुछ मिलने वाला नहीं है । जो हमारी आवश्यकता है वह ले ली जाये । वह जमीन अगर किसी ने गुपचुप तरीके से बेची है उसका नाम बतायें ? उसके खिलाफ जांच बैठाकर अगर दोषी पाया जायेगा तो यथा स्थान भेज दिया जायेगा । (एक सदस्य के बोलने पर) मैं खुद कह रहा हूँ । माननीय सदस्य आपको जरा शिष्टाचार सीखना चाहिए जब मैं उत्तर देने के लिए के लिए खड़ा हूँ । इतनी देर तक चर्चा चली अगर उत्तर नहीं दूंगा तो उस बहस का अर्थ क्या रह जायेगा । आपने बहुत से सुझाव दिये हैं, बहुत से व्यवहारिक हैं । यह सही है कि हमने हर टाउन एरिया के लिए कहा है कि–एक ट्रैक्टर-ट्राली सफाई करने के लिए होनी चाहिए । कहीं-कहीं पर ट्रैक्टर-ट्राली खड़ी है चेयरमैन चाहते हैं कि वहां पर कोई व्यक्ति हम नियुक्त कर दें । जब कि शासनादेश में है कि कांट्रेक्ट के रूप में रखकर काम चलायें । इस समय नियुक्तियाँ हो नहीं रही हैं ।

डा० वकार अहमद शाह–

बहराइच में नियुक्तियां हुई हैं बगैर परमीशन के आठ आदमी रखे गये ।

श्री लालजी टण्डन–

एक दर्जन चेयरमैन हैं जिनके खिलाफ रिकवरी जारी हो गयी है वह किसी न किसी दल के मेम्बर होते हैं। इसमें कहीं न कहीं आप सबका सहयोग चाहिए। कठोरता से निपटने को तो मैं तैयार हूँ। इसलिए जो समस्याएं हैं उनको अगर एक-एक करके मैं आपको गिनाऊं अगर 1852 के बाद शहरी भूमि का कोई बन्दोबस्त नहीं हुआ है परिणाम यह है कि आज कागज गायब करके बहुत से लोग अपने घर में रखे हुए हैं। सरकार जमीन का खुर्द-पुर्द कर रही है। सरकार जी०आई०एस० से नक्शा बनवा रही है। सैटेलाइट के जरिये पुराने नक्शे से नये नक्शे का मैच हो जायेगा कि कहाँ पर सरकारी जमीन थी और आज वह क्या है। किसी ने अगर मकान बना लिया है तो कम से कम उसकी कीमत तो ली जा सकती है। अब पेयजल के बारे में बातचीत आ रही है। कहा जा रहा है कि सीवर नहीं हैं। यह हम कब कह रहे हैं कि सब जगह सीवर हैं। सभी नगरों में मानक के अनुसार जलापूर्ति की बात आई है अगर वह सारा सरफेट वाटर से बनाकर करें तो हमें उसमें 2540 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। 25 वर्ष तक कोई भी सरकार आ जाये इतना रुपया एक मद में निकालकर नहीं दे सकती। इस तरह से एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर हैं केवल उनमें सीवर व्यवस्था करने के लिए 2910 करोड़ रुपये की जरूरत है। तब भी सीवर पूरा नहीं होगा।

उनकी पाइप लाइन पूरी सड़ गयी। आज पूरी नई की आवश्यकता है और जो नई पड़ती है दोनों काम किये जायें, सीवर और वाटर एक्सटेंशन करने के लिये तो 10 हजार करोड़ रुपये के आसपास खर्च आयेगा। तो वह व्यवस्था एकदम से तो हो नहीं सकती, उसकी व्यवस्था धीरे-धीरे होगी। मैं 2 साल पहले बलिया गया था, वहां पर मुझे बतलाया गया, जो पूर्व मंत्री थे कि बलिया की सीवर की योजना के लिये धन स्वीकृत हुआ था, मैंने सारी जगह ढुंढवा लिया लेकिन पता नहीं वह कहां गया रुपया। आप ही लोगों को मालूम हो तो बतावें। होता यह है कि घोषणायें कर दी जाती हैं और धन का प्रबन्ध होता नहीं है। टाई अप होता नहीं और अगर एक साल के लिये कुछ धन डाल भी दिया गया और आगे व्यवस्था करने की बात हुई और नहीं हो पाया, तो उसी तरह पड़ा रह जाता है। आज भी वहां के माननीय सदस्य पता करके पैसे का बतावें, तो मैं वहां सीवर डलवा दूंगा। ऐसी चीजों में यथार्थ की तरफ आना होगा। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि गरीबों के लिये मकान की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि सारा बजट सिर्फ गरीबों के मकानों के लिये है। आप अगर न पढ़े हों, या पढ़ नहीं सकते तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने बतला दिया। अम्बेडकर योजना के लिये 35 करोड़ रखा है। उसके अन्दर समाज के अति पिछड़े, कमजोर और आर्थिक रूप से विपन्न जो हैं, ऐसे लोगों के लिये वह योजना है और उसमें उनका अलग-अलग आरक्षण है। अब गरीबों के लिये और कहां से आयेगा, क्या होगा? कुछ शहरों में मकानों के लिये कोई व्यवस्था नहीं है, न विकास प्राधिकरण है और न हाउसिंग बोर्ड है। हम इस बारे में अपने माननीय सदस्यों के ऊपर छोड़ते हैं कि जहां भी 500 मकानों से अधिक आवश्यकता होगी, उतने लोग आवेदन करेंगे तो हम उसी जगह योजना शुरू करा देंगे। चाहे निजी सोर्सेज से चलायें और चाहे हाउसिंग बोर्ड से चलायें, हम मकान बनाकर देने को तैयार है। आप जहां बतायेंगे कि जमीन है, उसमें पैसा हम देंगे। एक कमरे के मकान जितनी संख्या में चाहिये, हम बनवा देंगे। यह बात मैं इसी हाउस में 3 बार घोषित कर चुका हूं, लेकिन आज तक किसी माननीय सदस्य ने मुझे नहीं बताया, कि फलां जगह मैंने इतनी जमीन का इंतजाम कर लिया है और आप मकान बनवा दें। आप मुझे सहयोग दें, आप जहां चाहें मैं मकान बनवाने के लिये तैयार हूं।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा टोका-टाकी पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जाइये, कृपया समाप्त होने दीजिये । इस तरह व्यवधान नहीं डाला जाता है । बाद में स्पष्टीकरण पूछ लीजियेगा । कुछ प्रक्रिया होती है आप तो सारी प्रक्रिया को किनारे रख रहे हैं । माननीय नगर विकास मंत्री जो कहते हैं, उसको पूरा कर देते हैं, अभी आपने कहा था कि हम चार बजे तक भाषण करेंगे । समाप्त हो जाने दीजिए ।

श्री लालजी टण्डन–

मैं बहुत ज्यादा विस्तार में न जाकर के आवास, नगर विकास की बात खत्म करके पर्यटन के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं । मान्यवर, मुझे आज बड़ी खुशी है केवल मुझे गिरि साहब के बारे में थोड़ा सा यह लगता है कि उनका पौराणिक अध्ययन कम है । उन्होंने कहा था कि आप गढ़मुक्तेश्वर की बात करके हरिद्वार का महत्व कम कर रहे हैं । मान्यवर, अगर पुराणों को उठाकर देखें तो हरिद्वार का उसमें नाम है ही नहीं । हरिद्वार का अर्थ है कि हरि और हरी, केदारनाथ हरि और बद्रीनाथ हरी । यह विष्णु और शंकर दोनों के संगम से निकल कर जो मैदान में आई वह गंगा है । जाहिर है कि जो तीर्थ यात्री वहां जाते हैं तो वहां स्नान करते थे, बाद में वह तीर्थ बन गया, लेकिन मान्यवर, स्कन्द पुराण में यह वर्णन है कि गंगा तीन स्थानों पर फल दायिनी है, एक काशी में मृत्यु उपरान्त और प्रयाग में एक महीना माघ में स्नान करने के बाद और गढ़ मुक्तेश्वर में गंगा स्नान करने मात्र से मिलता है । तो मान्यवर, जब हरिद्वार का कोई जिक्र ही नहीं है तो हमने उसका महत्व कहां से कम कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश से बाहर अगर यह तीर्थ चला गया तो आखिर जो गंगा के प्रेमी हैं और जिनके सारे संस्कार गंगा के किनारे होते हैं तो उनके लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली यह सबके लिए एक सुलभ तीर्थ होगा गढ़मुक्तेश्वर । मान्यवर, हमारी कोशिश यह है कि अभी तक यह भी सुझाव आया था कि वहां पर कुछ आवासीय और कुछ अन्य सुविधाएं होनी चाहिए, तो मेरा आशय यह है कि वहां पर एक टाउन सिटी भी बनायेंगे, वहां पर पशुओं का मेला भी लगता है, और उसी समय साधु-सन्त भी आयेंगे, उनके लिए भी हमें व्यवस्था करनी होगी । जब वह टूरिस्ट प्लेस बन जायेगा तो वहां लोग आयेंगे, महोत्सव होगा तो कोई फाइव स्टार होटल में ठहरने वाले होंगे । कोई धर्मशाला में ठहरने वाला होगा, आवासीय व्यवस्थायें भी करनी होगी, तो सारी व्यवस्था एक-दूसरे से जुड़ी हुई है । पहली प्राथमिकता है कि गंगा को गढ़ घाट तक ले आये । घाट बने हुये हैं केवल रिपेयर करनी है फिर वह अपने आप अच्छे शक्ल में हो जायेगा , हर की पैड़ी की तरह हो जायेगा । बृज घाट में गंगा का पानी बहुत साफ रहता है, पलूशन-फ्री रहता है, उस गंगा को धार्मिक क्षेत्र में लाना है उसके बाद शहर के विकास का काम होगा । अभी कुंवर साहब कह रहे थे कि लखनऊ में तमाम बिल्डिंग्स हैं, कुछ नहीं हो रहा है । वह खजूर गांव कोठी से बाहर निकले नहीं वरना आप देखते रेजीडेंसी की हालत क्या हो गयी ? इमामबाड़ के सामने जो नौबत खाना है उसमें लोग 70 साल से अधिक समय से इन्क्रोच करके रह रहे थे, यह मेरा दल था कि उसे खाली कराकर जो उसका ओरिजनल स्वरूप तथा उसमें ले आये । अभी लखनऊ के बारे में आपको बहुत कम जानकारी है । हैरिटेज जोन कैसरबाग की बात कर रहे थे, सारे ताल्लुकेदार, राजे महाराजे वहां रहते हैं उन सबसे एक बार नहीं 4 बार मेरी बात हुई, जिलाधिकारी की बात हुई, प्रमुख सचिव पूनिया जी थे उनसे बात हुई, बात करने के बाद सहमति बन गयी । बारादरी को छोड़ दिया जाये और जो रोड जा रही है उसको बन्द कर दिया जाये । जब काम शुरू हो गया तो एक नवाबजादे अदालत में चले गये और वहां से स्टे-आर्डर ले आये । आप उनको बुलाइये मैं भी आऊंगा, आप समझा दीजिए कि उन्हीं के बाप-दादों की बनायी हुई चीज को रिन्यू कर रहे हैं और उसको ओरिजनल शक्ल में लाने की बात कर

रहे हैं। जहां आप उपयोगी हो सकते हैं वहां मैंने सबसे प्रार्थना की है बहुत से मित्र ताल्लुकेदार हैं, मैंने कहा कि मेहरबानी करके समझाईये। एक आदमी के कारण जो हैरिटेज जोन बन रहा है, काम्पलेक्स बनने वाला है, नये शहर पुराने शहर के साथ मिलकर खड़ा हो तो उससे टूरिज्म बढ़ेगा। एक आदमी सारी योजना को दरकिनार किये दे रहा है। आप सबको उसके लिए जोरदार आन्दोलन करना चाहिए, यह यर्थाथ है वह एनीमी प्रापर्टी है, प्रशासन सख्ती से काम करे तो पूरे भवन को जब्त कर सकते हैं लेकिन कोई विकास कार्य हो उसमें कड़ुवाहट हो जाये तो अच्छा नहीं लगता है। आपने सुझाव दिया है, अगुवाई करें, हम बात करने के लिए तैयार है, चलने को तैयार हैं लेकिन वह नवाब साहब लन्दन में हैं, फ़ोन से बात करके हल कराईये, कल से काम शुरु होगा मैं यह वादा करता हूं। मान्यवर, अवध के नवाबों के लिए हमारे दिल में भी बहुत हमदर्दी है उनमें सेक्यूलेरिजम की जो तस्वीर मिलती है वह कहीं नहीं मिलेगी। वाजिद अली शाह थे उन्होंने जो मिसाल पेश की है वैसी दूसरी मिसाल नहीं है। हम चाहते हैं कि ऐसे स्थानों को इम्पोर्टेन्स दी जाये ताकि हमारे समाज में जो दूरियां बढ़ रही हैं वो कम हो और दुनिया को पता चल सके कि हमारा कल्चर क्या है ? यहां के नवाब ने हनुमान जी का मन्दिर बनवाया और हिन्दू रानी ने मस्जिद बनवाई। राजा झाऊलाल इमामबाड़ा बनवाते हैं। मान्यवर, यहा जितनी जमीन ईदगाह को दी जाती है उतनी ही जमीन राम लीला के मैदान को दी जाती है दुनियां में सेक्यूलैरिज्म का ऐसा नमूना कहीं नहीं मिलेगा। मान्यवर, विदेशों में पर्यटन शब्द का अर्थ घूमना फिरना। अय्याशी तथा आवारागर्दी है। हमारे देश में पर्यटन का अर्थ तीर्थाटन से है। हमारे यहां सूफी संतों की मजारें हैं सभी माननीय सदस्यों के क्षेत्र में कोई न कोई मन्दिर है यह मन्दिर महाभारत काल का, रामायण कालीन या वैदिक पीरियड का हो सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि तंग दिली छोड़ कर देखिये भारत का हृदय उत्तर प्रदेश है। हमारे देश में सन्तों की भूमिका अलग रही है। आज एक सही दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है लेकिन मैं समझता हूं कि लोगों के पास वह दृष्टि नहीं है। मुझे खुशी है कि आपने भले ही तीर्थाटन शब्द को स्वीकार नहीं किया है लेकिन जो बहस हुई है उससे एक तत्व सामने आया है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन की सम्भावना तीर्थाटन में ही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत आभारी हूं कि आपने सुझाव दिये। मैं एक बार फिर धन्यवाद देता हूं मेरा निवेदन है कि सर्वसम्मति से मेरा बजट पारित करें।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं मतदान करा रहा हूं।

एक सदस्य–

प्रयाग में मेले के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, देश में इतनी बड़ी गैदरिंग जो प्रयाग में हुई है वैसी दुनिया में कहीं नहीं हुई सारी दुनिया में इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से भारत की संस्कृति और आस्था अपनी आंखों से देखी है। भारत की संस्कृति के ऊपर मोटी-मोटी किताबें लिखी जाती हैं। जो वहा के मेला अधिकारी थे उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसकी सारी दुनिया में बड़ी मांग हो रही है। दुनियां के लोग समझना चाहते हैं कि आखिर भारत है क्या ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-2-आवास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-02-आवास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 83,16,07,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए , लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,17,07,63,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-44- पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,67,04,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा आज ही ली जाएगी ।

डा० राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, बजट के पहले ले लें ।

श्री अध्यक्ष–

कोशिश करेंगे ।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 5 सितम्बर, 2002 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 62 सूचनाएं प्राप्त हुईं :–

पहली सूचना श्री जटाशंकर सिंह की जनपद लखनऊ के राजाजीपुरम् क्षेत्र की पारा कालोनी, पारा रोड में विद्युत आपूर्ति ठीक कराए जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

दूसरी सूचना श्री कमाल यूसुफ मलिक एवं श्री अनिल सिंह की पशुपालन विभाग में निदेशक, पशुपालन द्वारा विभिन्न मदों में करोड़ों रुपये की हेराफेरी किये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

तीसरी सूचना श्री सीताराम निषाद की प्रदेश के पिछड़े, निषाद, केवट, मल्लाह आदि जातियों द्वारा मत्स्य पालन एवं बालू मौरंग को नदी से निकालने के पुराने व्यवसाय को सरकार द्वारा छीनने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

चौथी सूचना श्री रामजीत राजभर की उत्तर प्रदेश कर्मचारी कल्याण निगम मुख्यालय, लखनऊ पर अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों को मूल विभाग को वापस किए जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

पांचवी सूचना श्री उदयभान करवरिया की जनपद इलाहाबाद के झझरा बरिया नाला पर बने पुल को सड़क से जोड़े जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

छठी सूचना श्री श्याम सूरत उपाध्याय की जनपद इलाहाबाद में फूलपुर हनुमानगंज सड़क से फूलपुर शारदा सहायक ब्रांच की पटरी पर इनायतपट्टी तक का निर्माण कार्य पूरा कराये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

सातवीं सूचना श्री महबूब अली की यू०पी० सबार्डिनेट सेलेक्शन कमीशन, पिकअप भवन, गोमती नगर द्वारा नियुक्त खाद्य निरीक्षकों को नियुक्ति न दिये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

आठवीं सूचना श्री संजय गर्ग की जनपद सहारनपुर में विद्युत विभाग द्वारा उद्योगों को नेस्तनाबूद किये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

नवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह सिसोदिया की प्रदेश के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों, निजी टैम्पो के संचालन से राज्य सड़क परिवहन निगम को हो रही करोड़ों रुपये की हानि के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

दसवीं सूचना श्री कैलाश की जनपद गाजीपुर के किसानों को विद्युत कनेक्शन कामर्शियल कनेक्शन के रूप में देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

ग्यारहवीं सूचना श्री जगदीश सोनकर की लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा श्रीमती गीता सिंह निवासी जानकी पुरम् लखनऊ को भवन न आवंटित किये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

बारहवीं सूचना श्री राम नरेश यादव की समाज कल्याण विभाग द्वारा कनिष्ठ लेखा लिपिक के पद पर नियुक्त कर्मचारियों से उनके पद के अनुरूप कार्य न किये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

तेरहवीं सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड के छटनीशुदा कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर किये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

चौदहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की लखनऊ के के०जी०एम०सी० में चयनित डाक्टरों की नियुक्ति न किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

पन्द्रहवीं सूचना श्री बैजनाथ दुबे की जनपद गोण्डा के कटरा बाजार में यू०पी० प्रोजेक्ट द्वारा व्याप्त धांधली के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

सोलहवीं सूचना श्री रामबिशुन आजाद की जनपद गोण्डा में दो विभागों के झगड़े के कारण अम्बेडकर ग्राम योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों का कार्य न होने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

सत्रहवीं सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की जनपद मेरठ में नालों की सफाई एवं पानी की निकासी की सुविधा ठीक न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

अट्ठारहवीं सूचना डा० विनोद तिवारी की जनपद पीलीभीत की तहसील पूरनपुर में नया ब्लाक बनाये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

उन्नीसवीं सूचना श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल की जनपद मेरठ के ग्राम सैनी में काली नदी पर बने पुल को सड़क मार्ग से जोड़ने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

बीसवीं सूचना चौधरी बाबू लाल की जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत रजवाहा पर खारी नदी पर एक्यूडक्ट नया बनवाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

इक्कीसवीं सूचना श्री शिवकुमार बेरिया की जनपद कानपुर की तहसील बिल्हौर के अन्तर्गत औरोनाहारपुर माइनर में टेल तक पानी पहुंचाये जाने के संबंध है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

बाइसवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव की जनपद लखनऊ के थाना चिनहट के ग्राम अमराई में शिव मन्दिर के सामने वाली रोड को पार करने वाली विद्युत लाइन को ठीक कराये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत,

तेइसवीं सूचना श्री शिवतपस्या पासवान की जनपद चन्दौली के सहाबगंज में 33 के०वी०ए० का विद्युत सब स्टेशन का अधूरा कार्य पूरा कराये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत,

चौबीसवीं सूचना श्री राजपाल सिंह बालियान की जनवरी, 1986 के पश्चात् सी० टी० संवर्ग के अध्यापकों को एल० टी० संवर्ग में मानते हुए उन्हें पंचम वेतनमान का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत,

पच्चीसवीं सूचना श्री पीतम राम की जनपद पीलीभीत के बरखेड़ा, जहानाबाद को टाउन एरिया मानकर विद्युत आपूर्ति ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत,

छब्बीसवीं सूचना श्री बैजनाथ पासवान की जनपद मऊ के मुहम्मदाबाद गोहना अन्तर्गत भैंसही नदी (नाला) पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत,

सत्ताइसवीं सूचना श्री कौशल किशोर की जनपद लखनऊ में सी०एण्ड डी०एस०, जल निगम में कार्यरत पी०आर०डब्लू कर्मचारियों को अवैध ढंग से हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत,

अट्ठाइसवीं सूचना श्री ओम प्रकाश की जनपद गाजीपुर में ग्राम सभा की नजूल जमीन पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत,

उन्तीसवीं सूचना श्री राकेश सचान की जनपद कानपुर की घाटमपुर रजबहा के अन्तर्गत नहर से सिल्ट की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत,

तीसवीं सूचना श्री प्रमोद कुमार की जनपद लखनऊ के थाना आलमबाग निवासी श्री राजेन्द्र सिंह सभासद के भाई की बरामदगी न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत,

इकत्तीसवीं सूचना श्री उमाशंकर कुशवाहा की जनपद गाजीपुर पुलिस लाईन तथा छावनी लाईन में बरसात के पानी की निकासी हेतु नाले की खुदाई कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत.

बत्तीसवीं सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा के प्राइमरी पाठशाला के विवाद को समाप्त कराये जाने एवं प्राइमरी पाठशाला चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत,

तैंतीसवीं सूचना श्री शारदानन्द अंचल की जनपद बलिया की सियर ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान द्वारा सरकारी धन के दुरुपयोग एवं अनियमितता की जांच के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत,

चौंतीसवीं सूचना श्री विवेक बंसल की प्रदेश के प्रशिक्षण प्राप्त अप्रेन्टिस बेरोजगार युवकों को विद्युत विभाग में नियुक्ति न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :-

श्रीमती अरुणा तोमर, श्री रामजीत राजभर, श्री अमरजीत सिंह 'जनसेवक', श्री विश्राम सिंह यादव, श्री कमलेश कुमार पाठक, श्री उदयराज, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री समरपाल सिंह, डा० अरुण कुमार मेहरोत्रा, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री राजेन्द्र सिंह राणा, मो० शमीमुल हक, श्री राकेश पाण्डेय, श्री जगराम सिंह, श्री रणवीर राणा, श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री छेदी राम, श्री राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री राकेश कुमार वर्मा, श्री रामलाल अकेला, श्री सिद्धगोपाल साहू, श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना', श्री शरदवीर सिंह, श्रीमती विद्या चौधरी, श्री वसीम अहमद, श्री अनिल कुमार वर्मा, श्री राम इकबाल सिंह एवं श्री अजीत कुमार उर्फ राजू यादव।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–22, मद संख्या–23, मद संख्या–24, मद संख्या–25, मद संख्या–26, मद संख्या–27, मद संख्या–28, मद संख्या–29, मद संख्या–30, मद संख्या–31, मद संख्या–32, मद संख्या–33 पर अंकित संलग्न वक्तव्य सदन की सहमति से पढ़े हुए माने गये ।

जनपद बाराबंकी में पुलिस की गोली से हुई किसान की मृत्यु के दोषी पुलिस अधिकारियों को दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल आदि द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[प्रश्नगत सूचना में मा० सदस्यगण द्वारा यह बिन्दु उठाया गया है कि दिनांक 19-8-2002 को विधान सभा में नियम 56 के अन्तर्गत बाराबंकी में पुलिस की गोली से एक किसान की मृत्यु तथा कुछ लोगों के घायल होने का जो मामला उठाया गया था उसका जवाब देते हुए मा० संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह जवाब दिया था कि इसकी जांच करायी जा रही है । इसके बाद भी कल (20-8-2002) मा० मुख्य मंत्री जी ने एक अधिकृत बयान जारी किया कि बाराबंकी काण्ड को करवाने में सपा के विधायक श्री रावत का हाथ है, जबकि मुख्य मंत्री जी के पास गृह मंत्रालय भी है । इस प्रकार एक घटना पर सरकार के दो बयान होने से भ्रम उत्पन्न हो गया है और लगता है कि सरकार इसके लिए दोषी पुलिस अधिकारियों को बचाने के लिए राजनीतिकरण कर रही है । सूचना में आगे यह भी कहा गया है कि संविधान के अन्दर 164(2) में मंत्रिपरिषद् की विधान सभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी होती है । दो तरीके के बयान आने से जहां एक तरफ संविधान का उल्लंघन होता है वहीं दूसरी तरफ विधान सभा की कार्यवाही का विनियमितीकरण हो रहा है, अतः मा० सदस्यगण द्वारा औचित्य का प्रश्न उठाया गया ।

उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना है कि सूचना के अन्तर्गत मा० संसदीय कार्य मंत्री जी के पूरे वक्तव्य को सही प्रकार से उद्धृत न किये जाने के कारण यह भ्रम उत्पन्न हुआ है । मा० मंत्री जी ने अपने बयान में यही कहा था कि उपरोक्त प्रदर्शन के दौरान कतिपय तत्वों द्वारा भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया गया जिससे पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी । इसी प्रकार मीडिया द्वारा बार-बार पूछे जाने पर मुख्य मंत्री जी की ओर से जारी सीमित अधिकारिक वक्तव्य में भी जांच के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की गयी है अपितु उपलब्ध तथ्यों के आधार पर केवल यही कहा गया है कि यह घटना राजनीति से प्रेरित है । अतः प्रश्नगत सूचना में औचित्य के प्रश्न के अन्तर्गत किसी प्रकार की भ्रामक स्थिति सिद्ध नहीं होती है और इससे सामूहिक उत्तरदायित्व को लेकर भी किसी प्रकार का भ्रम नहीं उत्पन्न होता है ।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

विधायक निधि स्वतन्त्र रूप से विकास कार्यों में लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री विश्राम सिंह यादव आदि द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[मा० सदस्यगण विधान सभा द्वारा सभी विधायकों को अपनी विधायक निधि स्वतन्त्र रूप से विकास कार्यों में खर्च करने देने की मांग की गयी है। इस सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :–

विधायक निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्त में यह व्यवस्था है कि विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा० सदस्यगण सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी को अपने क्षेत्र में प्रतिवर्ष रु० 75.00 लाख की धनराशि तक विकास कार्य कराये जाने के प्रस्ताव देंगे जिन्हें मुख्य विकास अधिकारी स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार कार्यान्वित करायेंगे। अर्थात् मुख्य विकास अधिकारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन कार्य करते हुए राज्य सरकार की स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन करेंगे। इससे स्पष्ट है कि विधायक निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य मा० विधायकगण के प्रस्ताव के अनुसार ही मुख्य विकास अधिकारी द्वारा कराये जाने की बाध्यता है।

विधायक निधि से विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश/शासनादेश निर्गत किये गये हैं उनमें यह व्यवस्था है कि मा० विधायकगण के परामर्श से उनके प्रस्तावानुसार ही कार्य कराये जायें। इस प्रकार मा० विधायक को विधायक निधि के अन्तर्गत मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार विकास कार्य कराये जाने के प्रस्ताव देने की पूर्ण स्वतन्त्रता है।]

श्री शारदानन्द अंचल द्वारा जनपद बलिया में नया ब्लाक–भीमपुरा बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद बलिया के विकास खण्ड–सीयर व नगरा के कुछ गांवों को अलग कर भीमपुरा विकास खण्ड सृजित किये जाने का बिन्दु उठाया गया है।

उल्लेखनीय है कि उपलब्ध सूचनानुसार जनपद बलिया के विकास खण्ड–सीयर की पांच न्याय पंचायतें तथा विकास खण्ड–नगरा की चार न्याय पंचायतें, जिनकी वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी 93154 है, को सम्मिलित करते हुए एक नया विकास खण्ड भीमपुरा सृजित किये जाने के सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना है कि पूर्व में शासन द्वारा यह नीतिगत निर्णय लिया गया है कि नवीन विकास खण्डों के सृजन हेतु अतिरिक्त धनराशि दिये जाने के प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा अस्वीकार किया जा चुका है। प्रदेश की वित्तीय संसाधनों की स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण नवीन विकास खण्डों के सृजन का सम्पूर्ण व्यय भार प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाना सम्भव नहीं है। अतः नये विकास खण्ड के सृजन का औचित्य नहीं है।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

11 वें वित्त आयोग की राशि से शासनादेश के अनुरूप कार्य न कराकर नियम विरुद्ध निर्णय करके कार्य कराये जाने के संबंध में डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य (संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[मा० सदस्य द्वारा दी गयी सूचना निम्नवत् है :–

11 वें वित्त आयोग से संबंधित एवं उस राशि के अवमुक्तिकरण से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1493 दिनांक 31-5-2001, 144 दिनांक 30-1-2002, 04 दि०-30-3-2002 द्वारा प्रदत्त राशि एवं उसमे 50% अंश नगर निगम, मेरठ को जोड़कर बने कुल 451.04 लाख रुपये की राशि कार्य कराने के संबंध में शासन ने कुछ कामों को, जैसे 9 चौराहों के चौड़ीकरण तथा सौन्दर्यीकरण, सड़क, नाली का निर्माण, 6 समर सिविल पम्प की स्थापना 25 हैण्ड पम्पों की स्थापना, 3 हाई मास्ट लाईट की स्थापना और 50 सोडियम लैम्प लगाने के कार्यों को कार्यसूची में शामिल करने के निर्देश दिये गये थे।

दिनांक 30-7-2002 को 11वें वित्त आयोग की राशि से कूड़ा-सफाई व नाले की सफाई के उपकरण खरीदे जाने के निर्देश दिये गये थे। मेरे पत्र दिनांक 3-7-2002 में बताया गया था कि शासनादेश के मुताबिक नगर प्रमुख से कार्यों पर समिति पर विचार करने से पहले सहमति ले ली जाये, यह प्राविधान है। नगर प्रमुख ने उसको आधार बनाकर केवल 37 वार्डों में काम कराने का निर्णय कराया है जबकि शेष 37 वार्डों में एक भी पैसे का काम नहीं होगा। शासन द्वारा 25 जुलाई, 2002 को आयुक्त, मेरठ मण्डल को स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि स्वीकृत धनराशि कूड़ा निस्तारण एवं सफाई उपकरण क्रय करने को प्राथमिकता दें एवं शासनादेश के अनुसार निर्णय किये जाने का निर्देश दिया गया था।

दिनांक 26-7-2002 को आयुक्त, मेरठ मण्डल की अध्यक्षता में बैठक में शासन के निर्देशों की उपेक्षा करके 451.04 लाख की राशि के सापेक्ष मात्र 38.50 लाख सफाई उपकरण पर, 15.26 लाख तालाब घर के निर्माण पर, 5.65 लाख नाला व पुलिया और 7.61 लाख नाले के निर्माण पर कुल मात्र 67.02 लाख रुपये सफाई उपकरण, नाला निर्माण पर व्यय और शेष 384.02 लाख रुपये नगर प्रमुख द्वारा दी गयी कथित "क", "ख" सूची को स्वीकृति प्रदान कर सूची के "क" में 225.06 लाख रुपये की कार्य की निविदायें आमंत्रित करने की अनुमति दे दी गयी। शासनादेश का उल्लंघन कर नगर प्रमुख को उस बैठक में बुलाया गया, यदि विकास की दृष्टि से नगर प्रमुख को बुलाया जा सकता था तो उस बैठक में मेरठ नगर निगम क्षेत्र के निर्वाचित 1 बहुजन समाज पार्टी के विधायक, 1 राष्ट्रीय लोकदल के विधायक तथा 3 भाजपा के विधायकों को भी बैठक में बुलाया जाना विकास की दृष्टि से न्यायसंगत होता।

जनता के धन को शासनादेश, नियमों तथा परम्पराओं का उल्लंघन कर एक तरफा व्यय करने का निर्णय करना विकास के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ और जनता के साथ बेमानी।"

इस विषयक जारी शासनादेश दिनांक 31-5-2002 की व्यवस्था के अनुसार 11वे वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि के लिए एक अलग से खाता खोला जाएगा और उसमें धनराशि रखी जाएगी। अनुदान का उपयोग नागरिक सेवाओं के अनुरक्षण जिसमें प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल

नोटः- [ ] यह अंश बढ़ा हुआ माना गया।

(प्राइमरी हेल्थ केयर) सुरक्षित पेयजल, स्ट्रीट लाइटिंग, सैनिटेशन जिसमें ड्रेनेज एवं स्कैवेंजिंग सुविधा सम्मिलित है, शवदाह एवं कब्रिस्तान स्थल के अनुरक्षण, पब्लिक कन्वेन्सेज व अन्य सामूहिक सम्पत्ति संसाधन सम्मिलित है एवं लेखों के रख रखाव के सृजन हेतु किया जाएगा । नगर निगमों को अनुमन्य अनुदान के उपयोग हेतु कार्यों के आगणन का परीक्षण एवं स्वीकृति मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाने की व्यवस्था निर्धारित है । मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, मेरठ, अधीक्षण अभियन्ता, लो०नि०विभाग, मेरठ, संयुक्त निदेशक, कोषागार, मेरठ, मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, मेरठ लेखाधिकारी नगर निगम, मेरठ की बैठक दिनांक 26-7-2002 को हुयी थी जिसमें मुख्य नगर अधिकारी द्वारा संदर्भित तीनों शासनादेशों को पढ़कर सुनाया गया और विस्तृत विचार विमर्श हुआ तथा शासनादेशों में निहित क्रियाकलापों पर अलग-अलग धनराशि सेक्टोरल बेसिस पर एलोकेशन करने का निर्णय लिया गया । समिति द्वारा विचारोपरान्त यह भी निर्णय लिया गया था कि ऐसे वार्ड जो गत वर्षों में विकास कार्यों से वंचित रह गये थे, को प्राथमिकता दी जाये । तदनुसार शासनादेश में नगर प्रमुख की संस्तुति के आधार पर समिति द्वारा निम्नानुसार कार्य स्वीकृत किए गए ।]

क्रम-संख्या	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)
1	सफाई व्यवस्था	75.70
2	जल निकासी	28.25
3	प्रकाश व्यवस्था	45.00
4	चौराहों का सौन्दर्यीकरण	69.00
5	अन्य विकास कार्य	245.60
	योग	463.55

प्रस्ताव पर शासनादेश में दिए गए निर्देशों के क्रम में नगर प्रमुख से सहमति प्राप्त की गयी थी, तथा इसी कारण समिति के अनुमोदन से पूर्व नगर प्रमुख द्वारा की गयी संस्तुति पर स्पष्टीकरण आवश्यक होने की स्थिति में विमर्श हेतु नगर प्रमुख को बैठक हेतु आमंत्रित किया गया था ।

यह संज्ञान में लाये जाने पर कि इस प्रक्रिया में निर्दिष्ट सिद्धान्तों का पालन नहीं किया गया है, समिति की स्वीकृति दिनांक 26-7-2002 को स्थगित करते हुए इस विषय में विस्तृत जानकारी की जा रही है । प्रकरण का परीक्षण कर यथा आवश्यक निर्देश इस संबंध में जारी किए जायेंगे]

जनपद बांदा के विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द में ग्रामीण पेयजल योजनाओं का जल स्तर गिरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री विशम्भर प्रसाद निषाद आदि द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[माननीय सदस्य द्वारा दिनांक 2-9-2002 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि जनपद बांदा के विकास खण्ड बड़ोखरखुर्द, जसपुरा एवं तिन्दवारी में ग्रामीण समूह पेयजल योजनाओं द्वारा सभी ग्रामों में पेयजल सप्लाई न उपलब्ध कराने व जल स्तर गिरने से हैण्डपम्प खराब हो गये हैं । जल संस्थान व जल निगम के अधिकारी पाइप लाईन मरम्मत, राजकीय नलकूप मरम्मत, हैण्डपम्प मरम्मत तथा हैण्डपम्प रिबोर के नाम पर वित्तीय वर्ष में धनराशि का दुरुपयोग कर रहे

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

हैं, जिससे 75 प्रतिशत हैण्डपम्प खराब हैं तथा पेयजल सप्लाई केवल स्कीम वाले गांवों को छोड़कर सम्बद्ध अन्य ग्रामों में नहीं की जा रही है, जिससे पीने के पानी के अभाव में मानव जीवन को खतरा पैदा हो गया है ।

जनपद बांदा के जसपुरा विकास खण्ड में 2 ग्राम समूह पेयजल योजनाएं हैं तथा विकास खण्ड के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में कुल 920 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं । प्रश्नगत दोनों ग्राम समूह पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत 29 ग्राम आते हैं । कान्हाखेड़ा ग्राम समूह पेयजल योजना का संचालन उ० प्र० जल निगम द्वारा तथा जसपुरा ग्रामसमूह पेयजल योजना का संचालन जल संस्थान, चित्रकूटधाम मण्डल(बांदा) द्वारा किया जा रहा है । कान्हाखेड़ा ग्राम समूह पेयजल योजना आंशिक रूप से चालू है । तिन्दवारी ब्लाक के अन्तर्गत 1416 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं तथा 4 ग्राम समूह पेयजल योजनाएं हैं । बरेठीकला ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 17 ग्राम, निवाइच ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 9 ग्राम खपटिहा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 23 ग्राम तथा तिन्दवारी ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 20 ग्राम सम्मिलित हैं । जिन ग्रामों में उक्त योजनाओं से पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था उनमें से 11 ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराये जाने का कार्य प्रगति पर है । विकास खण्ड बड़ोखरखुर्द के अन्तर्गत 1651 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं तथा 4 ग्राम समूह पेयजल योजनाएं हैं, जिनमें से 3 ग्राम समूह पेयजल योजनाओं का संचालन उ०प्र० जल निगम द्वारा तथा एक ग्राम समूह पेयजल योजना का संचालन जल संस्थान द्वारा किया जा रहा है । उ०प्र० जल निगम द्वारा संचालित तीनों ग्राम समूह पेयजल योजनाएं आंशिक रूप से चालू हैं । पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि में की गई अनियमितता की जांच अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास विभाग से कराये जाने के निर्देश शासनादेश दिनांक 2-9-2002 द्वारा निर्गत किये जा चुके हैं । जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में शासनादेश दिनांक 2-9-2002 द्वारा जिलाधिकारी, बांदा को निर्देश दिये गये हैं ।]

प्रदेश में बी०टी०सी० के फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[मा० सदस्य द्वारा दी गयी सूचना में यह तथ्य संज्ञान में लाये गये हैं कि बी०टी०सी० के फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति कराकर करोड़ों रुपये का प्रतिवर्ष सरकार को चूना लगा रहे हैं जो व्यक्ति बी०टी०सी० प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने जनपदों में कार्यरत हैं उसी के नाम पर प्रदेश के दूसरे जनपदों में नियुक्ति करा लिये हैं ।

1980 से अब तक प्रदेश में जितने प्रशिक्षित बी०टी०सी० हुए हैं उससे अधिक नियुक्तियां प्रदेश में हो चुकी हैं । जनपद कानपुर में मई, 2002 में 14 नियुक्तियां हुई हैं इनमें से अधिकांश व्यक्ति मदन मोहन मालवीय महाविद्यालय, भाटपार रानी, देवरिया के छात्र हैं इनमें से सभी का वेतन जून व जुलाई माह में लगा है । इस प्रकार देवरिया जनपद लगभग 2000 लोगों की नियुक्ति वाराणसी, भदोही, फैजाबाद, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बलिया, कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर, महराजगंज आदि जनपदों में हुई है जो व्यक्ति शैक्षिक योग्यता भी नहीं है वह भी फर्जी बी०टी०सी० प्रमाण-पत्र के

आधार पर प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति प्राप्त कर लिए हैं । जो व्यक्ति जिस जनपद का है वह अपने मूल जनपद में कार्यरत है उसी के नाम पर दूसरा व्यक्ति दूसरे जनपद में कार्यरत है ।

राम भरोसा मिश्र और इनकी पत्नी की नियुक्ति लखनऊ में हुई, यह जनपद देवरिया के भागलपुर के रहने वाले हैं । लखनऊ से इनका और इनके पत्नी का स्थानान्तरण इसी सत्र में देवरिया जनपद में हो गया है जो फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर नियुक्ति प्राप्त है । इसी प्रकार सीमा पाण्डेय देवरिया जनपद के निवासी हैं प्रतापगढ़ की मार्कसीट पर सिद्धार्थनगर में कार्यरत हैं । रीता पाण्डेय, संगीता पाण्डेय, वन्दना सिंह पुत्र विश्वनाथ सिंह सभी देवरिया के मूल निवासी हैं । सुल्तानपुर फैजाबाद के लोगों के नाम पर फर्जी नियुक्ति कराकर सिद्धार्थनगर में कार्यरत हैं । इस प्रकार बी०टी०सी० के फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन स्तर से आदेश संख्या–बी०आई०पी०–308/15-5-2002, दिनांक 26 अगस्त, 02 द्वारा प्रकरण में जांच कराने के आदेश निर्गत कर दिये गये थे । अभी तक जांच की कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण सूचना अप्राप्त है जिसे एकत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है ।]

स्वैच्छिक परिवार कल्याण में शामिल शासकीय कर्मियों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वेतन वृद्धि दिये जाने के सम्बन्ध में डा० बकार अहमद शाह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

(संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[मा० सदस्य द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद बहराइच के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को परिवार कल्याण प्रोत्साहन हेतु दी जाने वाली एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि उनके आहरण वितरण अधिकारी की स्वेच्छाचारिता के चलते संशोधित दर पर नहीं मिल पा रही है ।

इस सम्बन्ध में सूच्य है कि जनपद बहराइच के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को परिवार कल्याण प्रोत्साहन हेतु दी जाने वाली वैयक्तिक वेतनवृद्धि पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार दी जा रही है ।

राजकीय इण्टर कालेज, बहराइच के श्री महेन्द्र सिंह, श्री विष्णु सागर श्रीवास्तव, श्री कृष्ण गोपाल शरण सक्सेना, श्री राम धीरज त्रिपाठी, श्री बाल मुकुन्द अवस्थी एवं श्री कृष्ण गोपाल शुक्ल को पुनरीक्षित वेतनवृद्धि के अनुसार वैयक्तिक वेतन के रूप में एक वेतनवृद्धि दी जा रही है । राजकीय माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों में अब कोई आक्रोश नहीं है ।]

जनपद ज्योतिबाफुले नगर के जिलाधिकारी द्वारा मा० उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जुर्माना न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री महबूब अली द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का वक्तव्य

(संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[श्री महबूब अली पुत्र श्री बशीर तेली, निवासी ग्राम–शकरपुर, थाना–रजबपुर, जनपद–ज्योतिबाफुले नगर को जिला मजिस्ट्रेट, ज्योतिबाफुलेनगर द्वारा "चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980" की धारा 3(2) के अन्तर्गत दिनांक 17-12-2001 को निरुद्ध किया गया जिसे परामर्शदात्री परिषद् ने अपने आदेश दिनांक 15-01-2002 द्वारा पुष्टि किया था ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

2–जिला मजिस्ट्रेट, ज्योतिबाफुलेनगर के उक्त निरोधादेश दिनांक 17-12-2001 के विरुद्ध श्री महबूब अली द्वारा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में हैबियस कार्पस रिट याचिका संख्या–1068/2002 महबूब अली बनाम अधीक्षक जनपद कारागार, मुरादाबाद एवं अन्य योजित की गयी जिसमें मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अपने आदेश दिनांक 6-2-2002 द्वारा श्री महबूब के विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट, ज्योतिबाफुलेनगर द्वारा पारित निरोधादेश दिनांक 17-12-2001 को निरस्त करते हुए तीन माह अवैध निरुद्धि के कारण धनराशि रु० 5000/- अदा करने के आदेश पारित किये गये ।

3–मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 6-2-2002 के विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट, ज्योतिबाफुलेनगर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि०) एम०पी० संख्या–5602/2002, उ० प्र० राज्य बनाम महबूब अली योजित की गयी तथा उक्त विशेष अनुज्ञा याचिका के साथ मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 6-2-2002 के कार्यान्वयन को स्थगित करते हुए स्थगन प्रार्थना-पत्र भी दाखिल किया गया था ।

4–उपर्युक्त योजित विशेष अनुज्ञा याचिका को सुनवाई के पश्चात् मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 15-7-2002 द्वारा खारिज कर दिया गया है । मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 6-2-2002 द्वारा रु० 5000/- याची (श्री महबूब अली) को भुगतान करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।]

जनपद–सिद्धार्थनगर के बेगम काजी जलील अब्बासी कन्या विद्यालय के भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि के अपव्यय एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री कमाल युसुफ मलिक द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[केन्द्र पुरोनिधानित सघन क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र जनपद सिद्धार्थनगर में बेगम काजी जलील अब्बासी बायरा, सिद्धार्थनगर के विद्यालय के भवन/छात्रावास निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा रु० 110.48 लाख की स्वीकृति की गयी है । वर्ष 1999-2000 में छात्रावास निर्माण हेतु प्रथम किश्त के रूप में रु० 17.865 लाख की धनराशि तथा स्कूल भवन निर्माण के लिए रु० 37.375 लाख कुल रु० 55.24 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी और इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी भारत सरकार को भेजा जा चुका है । वर्ष 2000-2001 में छात्रावास हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रु० 15.63 लाख की धनराशि तथा स्कूल भवन निर्माण के लिए द्वितीय किश्त रु० 32.71 लाख कुल रु० 48.33 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई जिसके विरुद्ध निर्माण कार्य प्रगति पर है । छात्रावास एवं स्कूल भवन के लिए अभी भारत सरकार से रु० 6.90 लाख की धनराशि अवमुक्त होनी अवशेष है ।

उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम द्वारा छात्रावास के निर्माण के लिए समय सीमा दिनांक 31-12-2002 तथा स्कूल भवन के लिए दिनांक 15-10-2002 की समय सीमा निर्धारित की गयी है ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

समय सीमा में पर्याप्त समय अवशेष है तथा भारत सरकार से अभी तृतीय किश्त भी प्राप्त होनी अवशेष है।

जहां तक अभियन्ताओं द्वारा अनियमितता किये जाने का प्रश्न है, इसकी जांच सतर्कता विभाग द्वारा की जा रही है।]

वनस्पति घी एवं रिफाइण्ड आयल पर व्यापार कर न लिए जाने के कारण करोड़ों रुपये की राजस्व की हानि के सम्बन्ध में श्री उदय राज यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

(संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[वित्तीय वर्ष 2001-2002 में वनस्पति/रिफाइण्ड निर्माता व्यापारियों पर व्यापार कर के विकल्प के रूप में समाधान योजना लागू थी। समाधान योजना अपनाने वाली इकाइयों को प्रान्त ने कच्चे माल आदि की खरीद करने पर ही छूट दी गयी थी, उक्त छूट फार्म 7-डी के विरुद्ध न होकर निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र के विरुद्ध दी गयी थी। कन्साइनमेंट सेल पर कोई कर देय नहीं है। यदि समाधान योजना अपनाने वाली इकाई द्वारा प्रान्त के बाहर से कच्चे माल आदि की खरीद की जाती है तो फार्म सी के विरुद्ध उनको उस राज्य में 4 प्रतिशत की दर से कर देना होता है।

वस्तुतः सामाधान योजना उद्योग विशेष को संकट से उबारने एवं प्रतिस्पर्धा में बनाये रखने तथा कर वसूली की सरलीकृत व्यवस्था के उद्देश्य से लागू की जाती है। इन उद्योगों पर समाधान योजना लागू करने का निर्णय इस कारण लिया गया कि रूग्ण होते इस उद्योग को बचाया जा सके, क्योंकि अधिकांश इकाई रूग्ण होकर बन्द हो चुकी थी। वनस्पति निर्माता पर वर्ष 1998-99 में प्रथम बार समाधान योजना लागू की गयी थी। वर्ष 1997-98 में 20 इकाईयों में से 6 इकाईयां चल रही थीं और 14 इकाईयां बन्द थीं, जिनसे 8 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। वर्ष 1998-99, 1999-2000 में समाधान योजना लागू करने पर 20 में से 12 इकाईयां उत्पादन में आयी और वर्ष 2000-2001 में एक और इकाई के चलने के कारण 13 इकाईयों द्वारा उत्पादन किया गया। वर्ष 2001-2002 में कुल 17 इकाईयों द्वारा समाधान योजना अपनाई गयी और इनमें 22.62 करोड़ रुपये समाधान राशि के रूप में प्राप्त हुए, जबकि समाधान योजना न लागू होने पर वर्ष 1997-98 में 6 इकाईयों से 8 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए थे। इस प्रकार यह सही नहीं है कि समाधान योजना लागू होने से राजस्व की क्षति हुई।

अन्य सभी प्रदेशों में समाधान शुल्क योजना लागू नहीं है एवं इकाईयों से उनके द्वारा बिक्री किये गये उत्पादन पर 5 प्रतिशत व्यापार कर लिया जाता है जो समाधान शुल्क से प्राप्त होने वाले राजस्व से कई गुना अधिक है सभी प्रदेशों के वित्त मंत्रियों की बैठक में अन्य प्रदेशों के वित्त मंत्रियों द्वारा उ० प्र० का वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने पर उ० प्र० के वित्त मंत्री ने भी अन्य प्रदेशों में लागू व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू करने का आश्वासन दिया है, किन्तु अप्रैल, 2002 से 31 अगस्त, 2002 तक 5 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी उ० प्र० में वनस्पति घी एवं रिफाइण्ड आयल की बिक्री पर 5 प्रतिशत व्यापार कर नहीं लिया जा रहा है और न ही समाधान शुल्क योजना लागू है इस कारण उक्त उत्पादनों की बिक्री पर कोई व्यापार कर नहीं मिल रहा है और परोक्ष रूप से उत्पादन इकाईयों के

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मालिकान को लाभ पहुंचाया जा रहा है । अप्रैल, 2002 से अगस्त, 2002 तक कुल बिक्री किये गये उत्पादनों पर करोड़ों रुपये का व्यापार कर बनता है जिसका वसूल किया जाना प्रदेश के राजस्व हित में अति आवश्यक है ।

व्यापार कर अधिनियम की धारा 7-घ के अधीन प्राविधान है कि यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि किसी उद्योग विशेष के हित में यह आवश्यक है, तो वह व्यापार कर के विकल्प के रूप में समाधान योजना लागू कर सकती है । समाधान योजना अनिवार्य नहीं है वरन् यह एक वैकल्पिक व्यवस्था है । यह कहना सही नहीं है कि अप्रैल, 2002 से अगस्त, 2002 तक कोई कर जमा नहीं हुआ है । वित्तीय वर्ष 2002-2003 में अद्यावधिक स्थिति यह है कि उक्त वनस्पति/रिफाइण्ड उद्योग में समाधान योजना न लागू करने का निर्णय लेकर सूचना भेजी जा चुकी है । उक्त निर्णय के विरुद्ध सम्बन्धित उद्योग/प्रतिनिधि मण्डल द्वारा यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है कि समाधान योजना लागू होने से पिछले तीन वर्षों में प्रदेश को कर अधिक मिला है और यदि इस वर्ष यह लागू नहीं की जाती है, तो उद्योग की स्थिति वर्ष 97-98 की भांति हो जायेगी । यह प्रतिवेदन शासन स्तर पर परीक्षण हेतु विचाराधीन है ।]

प्रदेश के राजकीय इण्टरमीडिएट कालेजों में प्रवक्ता के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

(संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[माननीय सदस्य द्वारा अवगत कराया गया है कि शासन के कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 8 फरवरी, 1999 के द्वारा प्रवक्ता पदों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श का प्राविधान कर दिया गया है जिसके कारण एल० टी० शिक्षकों की अन्तिम वरीयता सूची न बन पाने के कारण इन पदों को नहीं भरा जा सका । पदोन्नति कोटे के प्रवक्ता पदों के नहीं भरे जाने के कारण छात्रों को समुचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है इस कारण छात्रों एवं अभिभावकों में आक्रोश है ।

उक्त के सम्बन्ध में सूच्य है कि वर्ष 1999 के पूर्व उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक (प्रवक्ता संवर्ग) सेवानियमावली, 1992 के अधीन राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता संवर्ग के 50% पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा तथा 50% पदों को विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरा जाता था किन्तु कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 8 फरवरी, 1999 के द्वारा प्रवक्ता संवर्ग में पदोन्नति कोटे के पदों को भी लोक सेवा आयोग की परिधि में विनिर्दिष्ट कर दिया गया है । कार्मिक विभाग की अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में प्रवक्ता संवर्ग सेवा नियमावली, 1992 के संगत नियमों में संशोधन का प्रस्ताव कार्मिक नियमावली सेल को प्रेषित किया गया था जिसमें नियमावली सेल द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर जिज्ञासा की गयी थी जिनका समाधान करके नियमावली का प्रारूप पुनः कार्मिक विभाग की सहमति हेतु भेजा गया है । यह भी उल्लेखनीय है कि प्रवक्ता के सीधी भर्ती एवं पदोन्नति श्रेणी के पदों पर चयन की कार्यवाही हेतु निदेशालय स्तर से अधियाचन लोक सेवा आयोग को दिसम्बर, 2001 में भेजा जा चुका है । लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध न होने तथा सेवा नियमावली के संशोधन में प्रक्रियात्मक विलम्ब को दृष्टिगत रखते हुए प्रवक्ता संवर्ग के सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के पदों को लोक सेवा आयोग की परिधि से निकालकर एक बार विभागीय चयन समिति के माध्यम से भर्ती हेतु प्रस्ताव पर लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त करने की कार्यवाही तत्परता से की जा रही है ।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद बहराइच में बेसिक शिक्षा के गिरते हुए स्तर से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सरदार अहमद शाह, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य

(संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[मा० सदस्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के माध्यम से अवगत कराया गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश विशेष रूप से जनपद बहराइच में बेसिक शिक्षा का स्तर गिर रहा है तथा जनपद बहराइच में बेसिक शिक्षा विभाग में शासन द्वारा निःशुल्क पुस्तकें बालक एवं बालिकाओं में वितरित किये जाने की नीति है उसके अन्तर्गत बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच ने पुस्तकें खरीद कर राजकीय बालिका इण्टर कालेज बहराइच के कमरे में डम्प कर रखी हैं और उस कमरे की खुली हुई खिड़कियों से बन्दर पुस्तकें निकाल कर फाड़ रहे हैं और मेरे संज्ञान में यह भी आया है कि पुस्तिकायें चोरी से बाजार में बेची जा रही हैं। इसके अतिरिक्त जनपद बहराइच के आधे स्कूलों में नाम मात्र की केवल एक ही विषय की किताबें वितरित की गयी हैं। उक्त के अतिरिक्त मा० सदस्य द्वारा विस्तृत जांच की मांग करते हुये यह भी अवगत कराया गया है कि सितम्बर का महीना आ गया है परन्तु आधे से ज्यादा स्कूल बन्द पड़े हैं और जो स्कूल चल रहे हैं उनके शिक्षा स्तर को ध्वस्त करने के लिये बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय मनमाने ढंग से स्थानान्तरण करके व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। मुख्य विकास अधिकारी एवं उच्चाधिकारियों की बातों को महत्व न देना उनकी नीति बन चुकी है। दिनांक 26-8-2002 को सत्र के बीच में जारी अध्यापकों के स्थानान्तरण आदेश नियम के विरुद्ध हैं तथा यह आदेश सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किये गये हैं जबकि उसे बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिये।

2–इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रकरण की जांच हेतु शिक्षा निदेशक (बे०) उ० प्र० लखनऊ को निर्देश दे दिये गये हैं। शिक्षा निदेशक (बे०) से जांच आख्या प्राप्त हो जाने पर प्रकरण में समुचित कार्यवाही की जायेगी।]

मद संख्या–34 से 52

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–34 से मद संख्या–52 तक अंकित सभी वक्तव्य पढ़े हुए माने जाते हैं।

(सदन की सहमति से उक्त मदों पर अंकित वक्तव्य पढ़े हुए माने गये।)

जनपद कुशीनगर में बाढ़ से हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम नरेश यादव, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

(संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[माननीय सदस्य द्वारा जनपद–कुशीनगर में बाढ़ के कारण पुल टूटने, सड़क कटने, आवागमन का रास्ता बन्द होने, खाने एवं रहने का कोई ठिकाना न होने, राहत पहुंचाने की कोई व्यवस्था न होने, गांव की फसलें नष्ट होने एवं मकान गिरने की समस्या बताते हुए छात्रों की फीस, लगान माफ किये जाने,

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

किसानों के लिए आवास एवं भोजन की व्यवस्था करने, रोगों से बचने के लिए डाक्टरों की व्यवस्था करने तथा किसानों के गन्ने के बकाये का भुगतान करने की मांग की गयी है।

जनपद कुशीनगर में बड़ी गंडक नदी में दिनांक 2 जुलाई, 2002 से 11 जुलाई, 2002 के मध्य पानी के तेज बहाव के कारण अमवाखास तटबन्ध कि०मी० 5.90 से कि०मी० 6.10 के बीच कट गया। माह जुलाई के तीसरे सप्ताह में 6,29,050 क्यूसेक डिस्चार्ज प्रवाहित हुआ, जो गत 50 वर्षों का अधिकतम है। इसके कारण बिहार राज्य में स्थित पिपरा-पिपरासी लगभग 45 मीटर में कट गया। चूंकि क्षेत्र का ढ़लान उत्तर प्रदेश की ओर है, इसलिये जलभराव उत्तर प्रदेश की सीमा में हुआ। दिनांक 22-8-2002 को नदी में तेज बहाव के कारण अमवाखास रिंग बांध 413 मीटर की लम्बाई में कट गया। अमवाखास मुख्य बांध में कि०मी० 5.735 से 7.100 तक कुल लम्बाई 1365 मीटर में कट है। इन कट को नियन्त्रित करने हेतु बम्बू कटर में मिट्टी भरी हुई बोरियों से आवश्यकतानुसार कटर बनाये जा रहे हैं। उक्त के अतिरिक्त जनपद कुशीनगर में छितौनी तटबन्ध छितौनी पिपरासी तटबन्ध, कटाई भरपुरवा तटबन्ध तथा अहिरौलीदान पिपराघाट तटबन्ध की स्थिति संवेदनशील, परन्तु नियन्त्रण में है।

सूखे की स्थिति के कारण राजस्व विभाग के शासनादेश दिनांक 8 अगस्त, 2002 के द्वारा जनपद कुशीनगर के राजस्व देयों की वसूली का स्थगन 31 मार्च, 2003 तक कर दिया गया है।

राजस्व विभाग के बुलेटिन दिनांक 31 अगस्त, 2002 के अनुसार कुशीनगर जनपद में बाढ़ व अन्य प्राकृतिक आपदाओं से 63 ग्राम, 1,50,000 जनसंख्या, 13,500 हे० कृषि योग्य क्षेत्र 310 पूर्णतया तथा 575 आंशिक क्षतिग्रस्त मकान 5 मनुष्य व 3 पशुओं की जीवन हानि सूचित की गयी है। रुपये 63.73 लाख अहेतुक सहायता तथा 8 राहत केन्द्रों की स्थापना भी की गयी है।

अन्य बिन्दुओं का सम्बन्ध सिंचाई विभाग से सम्बन्धित नहीं है।]

जनपद बांदा के ब्लाक बड़ोखर खुर्द ग्राम मरौली के मजरा क्योटरों में जनता द्वारा केन नदी का गंदा पानी पीने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, आदि द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य

(संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[माननीय सदस्यगण द्वारा नोटिस में यह उल्लेख किया गया है कि जनपद बांदा के ग्राम क्योटरा (मरौली) में भीषण पीने के पानी का संकट है। वहां का पानी जहरीला है इससे केन नदी आठ किलोमीटर पैदल जाकर गन्दा पानी लाना पड़ता है, जिसके कारण भीषण स्थिति उत्पन्न हो गयी है। अतः सैकड़ों लोग बीमारी के शिकार गत वर्षों में हो चुके हैं।

2. इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि क्योटरा ग्राम मरौली का एक मजरा है तथा ग्राम मरौली स्वजल परियोजना से आच्छादित है। क्योटरा मजरा में 4 हेण्डपम्प स्थापित है, जो स्थाई रूप से खराब हैं। उक्त मजरे मे लगभग 350 व्यक्ति रहते हैं। मजरे में 4 कुएं भी हैं, जिनके उक्त मजरे के लोगों द्वारा पीने के पानी का उपयोग किया जा रहा है, सभी कुंओं का पानी पीने योग्य है, खारा एवं जहरीला नहीं है। केन नदी का पानी पीने से कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं है। उक्त मजरे में किसी प्रकार का कोई पेयजल संकट नहीं है। मजरे मे अधिष्ठापित किये गये स्थाई रूप से खराब हैण्डपम्पों को तत्काल ठीक कराने हेतु निदेशक, स्वजल को निर्देश दे दिये गये हैं।]

नोट :–[ ] का अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद शाहजहांपुर के दो ब्लाक मिर्जापुर तथा कलान को यथावत जनपद शाहजहांपुर में बनाये रखने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

(संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[मा० सदस्य द्वारा उक्त सूचना में यह अवगत कराया गया है कि सितम्बर, 1997 में ब्लाक मिर्जापुर एवं ब्लाक कलान को जनपद शाहजहांपुर से काटकर जनपद फर्रुखाबाद में जोड़े गये थे, जिससे बहुत प्रशासनिक कठिनाइयां उत्पन्न हुई । उक्त दोनों ब्लाकों की जनता सड़कों पर उतर आई । धरना, प्रदर्शन, बाजार बन्द की स्थिति देखकर उत्तर प्रदेश सरकार को एक साल बाद उक्त दोनों ब्लाकों (मिर्जापुर एवं कलान) को पुनः जनपद फर्रुखाबाद से निकालकर जनपद शाहजहांपुर में जोड़ना पड़ा था ।

मा० सदस्य द्वारा दी गई उक्त सूचना के अनुसार क्षेत्र की जनता चाहती है कि प्रशासनिक दृष्टि तथा क्षेत्रीय जनता के सुविधा को देखते हुए जनपद शाहजहांपुर के दोनों ब्लाकों (मिर्जापुर एवं कलान) को जनपद शाहजहांपुर की सीमा में ही रहने दिया जाये एवं इनको पुनः जनपद फर्रुखाबाद में न जोड़ा जाय ।

मा० सदस्य द्वारा दी गई उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त दोनों ब्लाक क्रमशः मिर्जापुर और कलान वर्तमान में जनपद शाहजहांपुर की सीमा के अन्तर्गत ही विद्यमान हैं । इसी क्रम में यह भी अवगत कराना है कि जिलाधिकारी, बदायूं का पत्र दिनांक 31-05-2002 द्वारा यह सूचित किया गया है कि विकासखण्ड म्याऊं एवं उसावां तहसील दातागंज जनपद बदायूं तथा विकास खण्ड कलान जनपद शाहजहांपुर को मिलाकर एक नई तहसील उसावां सृजित करने का प्रस्ताव जिलाधिकारी, बदायूं द्वारा आयुक्त बरेली मण्डल बरेली तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् को भेजा गया है ।

यह भी उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी बदायूं के उक्त प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा राजस्व परिषद की उच्च स्तरीय समिति की आख्या/संस्तुति मांगी गई है जो अभी शासन को प्राप्त नहीं हुई है । राजस्व परिषद की उच्च स्तरीय समिति की आख्या/संस्तुति प्राप्त होने पर सम्यक विचारोपरान्त यथासमय उचित निर्णय लिया जायेगा ।]

पूर्वी उत्तर प्रदेश में भयंकर सूखे की स्थिति में नहरों में पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, श्री कमाल यूसुफ मलिक, आदि द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

(संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[मा० विधायकगण द्वारा लगातार एक महीने से पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा न होने, जानवरों के लिए चारा और मजदूरों के लिये कोई काम न मिलने, किसानों को नहर पर पानी न मिलने के सम्बन्ध में सदन में नियम–51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी है । इस सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :–

प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में अवर्षण के कारण सूखे की स्थित उत्पन्न हो गयी है । शासन द्वारा पूरे प्रदेश को सूखा ग्रस्त घोषित किया जा चुका है । माह जून, जुलाई व अगस्त, 2002 में औसत 600 मिमी० वर्षा के विरुद्ध मात्र 200–300 मिमी० वर्षा हुई है । यह औसत वर्षा का मात्र 40–60 प्रतिशत है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अवर्षण की स्थिति में जलाशयों का जल स्तर भी गत वर्षों की तुलना में कम है । इसका प्रभाव आगामी रबी की फसल पर पड़ेगा । क्यों कि खरीफ की फसल में पानी की अधिक आवश्यकता तथा वर्तमान अवर्षण के कारण नदियों में कम जल उपलब्ध होने से उनका जल स्तर कम है तथा जलाशयों में वर्षा की मात्रा में कमी के कारण जल स्तर कम है । जुलाई, 2002 में गण्डक नदी में आयी अप्रत्याशित बाढ़ के कारण बाल्मीकी नगर बैराज का एफ लक्स बन्ध क्षतिग्रस्त हो गया था, तथा गण्डक नहर भी नैपाल की सीमा में क्षतिग्रस्त हो गयी थी । इसी कारण दिनांक 23-7-2002 से 6-8-2002 तक 7-8-2002 से इसे चलाकर धीरे-धीरे डिस्चार्ज बढ़ाया गया है । अब नहर 15800 क्यूसेक परिकल्पित क्षमता के विरुद्ध 12500 क्यूसेक से चल रही है ।

शारदा सहायक की नहरों को अधिकतम क्षमता से चलाकर अधिकाधिक जल उपलब्ध कराया जा रहा है । सोन परिक्षेत्र की भी सभी पम्प नहरों को नदी-जल एवं विद्युत की उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध क्षमता से चलाया जा रहा है । सभी अधिकारी/कर्मचारी सघन निरीक्षण/पेट्रोलिंग कर उपलब्ध जल का उचित प्रबन्धन कर सिंचाई हेतु नहरों में अधिकाधिक जल उपलब्ध करा रहे हैं । अवर्षण की भीषण स्थित में नहरों को हेड रीच में कृषकों द्वारा अधिक जल का उपभोग किया जा रहा है । इस कारण नहरों पर काटंग/खादी/अवैधानिक सींच के प्रकरण भी बहुतायत हो गये हैं । फिर भी निरन्तर नहरों की पेट्रोलिंगकर अधिकाधिक कमाण्ड में पानी पहुंचाया जा रहा है । अवर्षण की स्थिति में तालाब/पोखर लक्ष्य से अधिक भर गये हैं । क्षेत्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों को यह निर्देश दे दिये गये हैं । जो तालाब सूख गये हो, उन्हें अविलम्ब भरा जाये ।]

वाराणसी में एडीशनल मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा सिख धर्म के पांच प्यारों का उल्लेख करके सिक्ख धर्म को अपमानित किये जाने के सम्बन्ध में, श्री ओंकार सिंह यादव आदि द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

(संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[श्री सुधीर एम० बोबड़े तत्कालीन एडीशनल मैनेजिंग डायरेक्टर, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० से जानकारी प्राप्त की गयी । उन्होंने बताया है कि दिनांक 26-7-2002 को वाराणसी सर्किट हाउस में मैंने ऐसे कोई शब्द अथवा विचार व्यक्त किये हैं जिससे किसी धर्म विशेष की धार्मिक भावनाओं को ठेस अथवा चोट पहुंचे ।]

जनपद बहराइच के रमुआपुर, बेडनापुर तथा फखरपुर में निर्माणाधीन मार्गों पर फर्जी लगाये गये बोर्डों के सम्बन्ध में श्री अरुण वीर सिंह आदि द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य

(संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[मा० सदस्यगण, विधान सभा द्वारा विगत विधान सभा चुनाव के दौरान श्री भंयकर सिंह पूर्व विधायक द्वारा अपने पक्ष में मत डलवाने हेतु रमुआपुर, बेडनापुर तथा फखरपुर में निर्माणाधीन मार्गों पर फर्जी बोर्ड लगाये जाने का बिन्दु उठाया गया है ।

प्रकरण में जिलाधिकारी, बहराइच द्वारा कराई गयी जांच से यह विदित हुआ है कि वांछित ग्रामों/कस्बों में पाये गये बोर्ड जंग लगने के कारण अपठनीय है । स्थल विशेष का स्पष्ट उल्लेख एवं सूची

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

न होने के कारण उक्त का संचालन पूर्ण रूपेण सम्भव नहीं है। सतर्कता की दृष्टि से खण्ड विकास अधिकारी, फतेहपुर को निर्देशित कर दिया गया है कि यदि ऐसे भ्रामक बोर्ड पाये जाये तो उन्हें नष्ट कर दिया जाये। क्षेत्रीय जनता में किसी भी प्रकार के आक्रोश की स्थिति नहीं पाई गयी।]

उ० प्र० के आरा मशीनों के संचालन में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वन मंत्री का वक्तव्य

(संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[मा० सदस्य ने नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह कहा है कि मा० सर्वोच्च न्यायालय में जनहित रिट याचिका संख्या–202/95 में नई आरामिलों को लाईसेंस दिये जाने पर जो रोक लगाया है, वह उ० प्र० आरामिल की स्थापना एवं विनियमन नियमावली, 1978 के नियम–52, जो घरेलू बढ़ईगिरी में लगी आरा मशीनों को चलाये जाने से सम्बन्धित है, पर लागू नहीं होता।

2–उल्लेखनीय है कि जनहित रिट याचिका संख्या–202/95 टी०एन० गोडावर्मन थिरुमल्कपाद बनाम भारत संघ व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 4-3-1997 को नई आरामिलों के लाईसेंस पर प्रतिबन्ध लगा दिया। यह भी आदेश दिए गये कि केवल वैध आरामिलें ही चल सकती हैं। वर्ष 1998 में उ० प्र० आरामिल की स्थापना एवं विनियमन नियमावली, 1978 में दूसरा संशोधन करके 5 हार्सपावर तक की क्षमता वाले इंजन को लाईसेंस से छूट प्रदान की गयी। मा० उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 29/30 अप्रैल, 2002 के आदेश द्वारा उक्त छूट को भी निरस्त कर दिया और यह आदेश दिए कि सभी प्रकार की आरामिल के लिए लाईसेंस होना अनिवार्य है। चूंकि नये लाईसेंस पर मा० सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही प्रतिबन्ध लगा रखा है, अतः नया लाईसेंस नहीं दिया जा सकता है। इससे सम्बन्धित सभी प्रकरण मा० सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन हैं, अतः बिना उनके आदेश से किसी प्रकार की आरामिल, बिना लाईसेंस के नहीं चलायी जा सकती।]

प्रदेश के विद्यालयों में पंजीकरण सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट एवं उ० प्र० एजूकेशन ऐक्ट में विरोधाभास होने के कारण विद्यालयीय प्रबन्ध तंत्र में उत्पन्न विवादों के सम्बन्ध में श्री धनन्जय सिंह, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

(संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[मा० सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना के अनुसार प्रदेश के विद्यालयों में राज्य सरकार के दो अधिनियमों के टकराव के कारण विद्यालयो पर विभिन्न पक्षों द्वारा कब्जा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में यह कहा गया है कि विद्यालय की स्थापना के पूर्व सम्बन्धित समिति का पंजीकरण सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अन्तर्गत किया जाता है परन्तु समिति द्वारा विद्यालय की स्थापना के पश्चात् उ० प्र० एजूकेशन ऐक्ट के अन्तर्गत जारी प्रशासन योजना के अन्तर्गत विद्यालय की प्रबन्ध समिति के गठन की प्रक्रिया बिल्कुल विपरीत है।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस सम्बन्ध में मा० सदन को यह अवगत कराना है कि सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1860 की धारा-1 के अनुसार किसी साहित्य के वैकल्पिक या पृथक प्रयोजन के लिए या किसी ऐसे प्रयोजन के लिए, जो इस अधिनियम की धारा 20 में वर्णित है, सहयुक्त कोई 7 या अधिक व्यक्ति एक नियम के शासन में अपना नाम हस्ताक्षरित करके उस संयुक्त स्टाफ कम्पनियों को रजिस्ट्रार के पास दाखिल करके इस अधिनियम के अधीन अपने आप को सोसायटी उक्त अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड कराना आवश्यक होता है। समय-समय पर नवीनीकरण कराया जाता है। शैक्षिक संस्था में एकाधिकार को समाप्त करने तथा संस्था की सम्पत्ति सुरक्षित रखने आदि के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम-1921 की धारा 16-क के अन्तर्गत एक प्रशासन योजना बनाने का प्राविधान है। प्रशासन योजना में दी गई व्यवस्था के अनुसार संस्था में एक प्रबन्धाधिकरण होगा जिसे उस संस्था के कार्यों का प्रबन्ध संचालन करने का अधिकार होगा। संस्था का प्रधान और उसके दो अध्यापक जो कि विनियम द्वारा विहित रूप से वरिष्ठता के अनुसार निर्वाचित किए जायेंगे, मत देने के अधिकार सहित प्रबन्धाधिकरण के सदस्य होंगे। प्रत्येक संस्था की प्रशासन योजना निदेशक के अनुमोदनाधीन होगी और प्रशासन योजना में कोई संशोधन या परिवर्तन निदेशक के पूर्व अनुमोदन के बिना न हो सकेगा।

इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि शैक्षिक संस्था की प्रबन्ध समिति का गठन करते समय मात्र सोसायटी के पंजीकरण तथा नवीनीकरण की स्थिति देखी जाती है। यदि संस्था पंजीकृत नहीं है तो उसके द्वारा माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की प्रशासन योजना के अन्तर्गत गठित समिति को वैध नहीं माना जाता है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित प्रशासन योजना के आधार पर ही प्रबन्ध समिति का गठन करने तथा कार्य के संचालन हेतु आवश्यक निर्देश देने का अधिकार प्रदत्त है। प्रशासन योजना में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जो विद्यालय में प्रबन्धकीय विवाद उत्पन्न करने में सहायक हो। प्रदेश के विद्यालयों के प्रबन्धन में समिति के सदस्यों में आपसी मतभेद/विवाद का मुख्य कारण त्रुटिपूर्ण ढंग से समिति का चुनाव कराना, निजी स्वार्थ के पूर्ति के वशीभूत होना, संस्था की भूमि से प्राप्त होने वाली आय पर स्वामित्व स्थापित करना, अनाधिकृत व्यक्तियों की संस्था में घुसपैठ होना तथा अनियमित नियुक्ति करने के लोभ में समानान्तर समितियों का गठन करना आदि रहा है। प्रबन्ध समितियों में उत्पन्न विवाद का निवारण प्रशासन योजना की धारा 16(7) में दी गई व्यवस्था के अनुसार मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त से विदित होगा कि प्रदेश की शैक्षिक संस्थाओं के प्रबन्धतंत्र में उत्पन्न विवाद का कारण समितियों का सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अन्तर्गत पंजीकरण एवं माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गठित प्रशासन योजना नहीं है अपितु प्रबन्धकीय विवाद का मुख्य कारण चुनाव की प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता के साथ न कराया जाना एवं निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु वशीभूत होना रहा है। संस्था को सुचारु रूप से संचालित करने एवं उसकी सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु प्रशासन योजना बनाई गई है जिसके अन्तर्गत प्रबन्ध समिति का गठन किए जाने का प्राविधान है। इस प्रकार सोसायटी पंजीकरण ऐक्ट एवं माध्यमिक शिक्षा अधिनियम परस्पर विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं।]

ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में ताज एक्सप्रेस मार्ग योजना की मूल रेखा बदलकर राजस्व की 500 करोड़ रु० की छति पहुंचाने के संबंध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह "मोती सिंह" द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर

मा० मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[नोयडा, ग्रेटर नोयडा एक्सप्रेस वे से आगे ताज एक्सप्रेस वे के संरेखन में ग्राम-मुर्शदपुर में आरक्षित वन भूमि पड़ने के कारण तथा ग्राम अमरपुर में ग्राम समाज की वन भूमि पड़ने के कारण संरेखन में

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

परिवर्तन किया गया । इस संरेकान में परिवर्तन हेतु दो विकल्पों पर विचार किया गया । एक विकल्प में यह एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा के ग्राम मुर्शदपुर से आगे अटाईमुरादपुर, अमरपुर की आबादी की ओर वन भूमि को बाई-पास करते हुए ग्राम-ननुआ का राजपुर से होकर जाता है । इस मार्ग की लम्बाई 12.00 किमी० है । यह संरेखन ग्राम-अमरपुर में ग्राम समाज के जंगल से गुजर रहा है । दूसरे विकल्प में संरेखन को यमुना नदी की ओर शिफ्ट करते हुए उक्त वन भूमि को बाईपास किया गया । इस विकल्प में ग्राम मुर्शदपुर के आगे संरेखन ग्रेटर नोएडा की अधिसूचित क्षेत्र की सीमा पर ग्राम-जगनपुर में पड़ता है । इसकी लम्बाई 8.00 किमी० है । उक्त दोनों विकल्प उपयुक्त नहीं पाये गये अतएव तीसरा विकल्प तैयार किया गया जो ग्राम अमरपुर की आबादी की ओर ले जाते हुए संरेखन में पड़ रहे मोडों (कर्व्स) का तकनीकी दृष्टि से डिजाइन बनवाकर दिया गया । इस विकल्प की लम्बाई लगभग 12.00 किमी० है । संरेखन में 100 मीटर राइट आफ वे तथा 50 मीटर ग्रीनवेल्ट का दोनों ओर प्राविधान किया गया है ।]

यह निर्णय लिया गया है कि ताज एक्सप्रेस वे के अन्तर्गत आ रही भूमि को अधिग्रहीत करके मुआवजा देने के स्थान पर साझेदारी द्वारा विकास के सिद्धान्त के संबंध में एक नयी प्रथा विकल्प के रूप में लागू की जाय । यह भी निर्णय लिया गया है कि एक्सप्रेस वे के लिए अधिग्रहीत भूमि का लगभग 70 प्रतिशत भाग भू-स्वामियों को नगरीय चकबन्दी के पश्चात् भू-उपयोग में स्वतंत्रता प्रदान करते हुए वापस कर दिया जाय । इसी विकल्प के आधार पर ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में पड़ रहे 12.00 कि०मी० लम्बे एक्सप्रेस वे के संरेखन पर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है । इस प्रकार मिश्रित भू-उपयोग प्रकृति का विकास होगा । इस योजना में ग्रेटर नोएडा महायोजना के अन्तर्गत घोषित हरी पट्टी की कोई भूमि नहीं पड़ रही है । अतः संरेखन में कोई अधिकारी दोषी नहीं है और किसी के विरुद्ध जांच करने का प्रश्न नहीं उठता है ।]

जनपद कानपुर नगर सरसौल व विधनू ब्लाक में सर्वशिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत विद्यालयों की मरम्मत हेतु धनराशि के दुरुपयोग किये जाने के संबंध में श्रीमती अरुण तोमर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[जनपद कानपुर नगर के सरसौल व विधनू ब्लाक में गत वर्ष सर्व शिक्षा अभियान योजना के तहत प्राइमरी विद्यालयों के भवनों को रंगाई पुताई, फर्नीचर व साज सज्जा के लिये पांच हजार रुपये तथा सामान्य अनुरक्षण व मरम्मत हेतु दो हजार रुपये की धनराशि स्वीकार की गयी थी, उक्त धनराशि का अधिकतर विद्यालयों में बिना उपयोग किये धन का अभिलेखों में व्यय प्रदर्शित करके जिलाधिकारी को फर्जी सूचना प्रेषित कर दी गयी है, रंगाई पुताई, मरम्मत व फर्नीचर के अभाव में अधिकांश विद्यालय पठन-पाठन योग्य नहीं है , जिलाधिकारी द्वारा जून 2002 में विद्यालयों में धनराशि के उपयोग का भौतिक सत्यापन कराने के निदेशों के बावजूद आज तक एक भी विद्यालय का सत्यापन नहीं कराया गया है, शिक्षाधिकारी व कार्यदायी संस्था के अधिकारियों की मिलीभगत से जिलाधिकारी की फर्जी सूचनाओं के माध्यम से गुमराह करके, धनराशि हड़प ली गयी है । सरकारी धन की लूट व विद्यालयों की, दयनीय स्थिति के कारण आम जनता उत्तेजित आन्दोलित व आक्रोशित है ।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

इस संबंध में प्रकरण की जांच हेतु शिक्षा निदेशक (बे०)उ०प्र०, निशातगंज, लखनऊ को दिनांक 02 सितम्बर, 2002 को निर्देश दे दिये गये हैं। शिक्षा निदेशक (बे०) से जांच आख्या प्राप्त हो जाने पर प्रकरण में समुचित कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद गाजियाबाद में सर्वोदय इण्टर कालेज पिलखुआ में प्रबन्ध तंत्र द्वारा छात्रों का उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

(संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[मा० सदस्य द्वारा प्रदेश के हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट विद्यालयों में प्रवेश के समय अवैध धन वसूलने, धन की रसीद न देने तथा हिसाब किताब न रखने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। मा० सदस्य द्वारा विशेष रूप से जनपद गाजियाबाद के सर्वोदय इण्टर कालेज पिलखुआ में बच्चों को विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित एवं उत्पीड़न करने तथा स्थानीय पुस्तक विक्रेताओं से निजी प्रकाशनों की पुस्तकें खरीदने को बाध्य किये जाने की ओर भी राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है।

उपरोक्त के संबंध में विस्तृत जांच कराने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता है। इस संबंध में प्रत्येक बिन्दु पर सघन जांच के निर्देश मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को दे दिये गये हैं। मण्डलों से सूचना प्राप्त होने पर वस्तुस्थिति से अवगत कराया जायेगा।]

जनपद ज्योतिबाफुलेनगर के नगरपालिका परिषद् अमरोहा द्वारा भ्रष्टाचार किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री महबूब अली द्वारा दी गयी सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

(संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

श्री महबूब अली मा० सदस्य विधान सभा ने नियम-51 के अन्तर्गत निम्न सूचना प्रस्तुत की है :–

"मेरे क्षेत्र नगर पालिका परिषद् अमरोहा में 16 दुकानों का निर्माण हुआ है जिसमें से एक दुकान रुपये 3,50,000/- में सन् 2002 में नीलाम हुयी थी और बाकी 15 दुकानें किस रेन्ट पर और किस दिन, किसको नीलाम की गयी व नगरपालिका परिषद् अमरोहा में सिनेमा शो टैक्स पिछले दस वर्षों की पंजिकाओं, रसीद बुकों में दर्ज है और कितना धन प्रतिवर्ष कोष में जमा किया गया है और इसकी रसीदों की चेकिंग की गयी है। चुंगी भवन के रसीदों का रिकार्ड, नगर पालिका परिषद् हाते में बनी दुकानों व सिनेमा शो टैक्स के पूर्ण दस्तावेजों की जानकारी उपलब्ध करायी जाये।"

2–इस संबंध में जिलाधिकारी, ज्योतिबाफुलेनगर एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् अमरोहा से प्राप्त आख्या दिनांक 3-9-2002 में अवगत कराया गया है कि पालिका बोर्ड द्वारा दिनांक 5-1-99 को प्रस्ताव संख्या-2(II) में 15 दुकानों का निर्माण कराने का प्रस्ताव पारित कर इसमें से दस दुकानों की नीलामी के लिए एक कमेटी प्रशासक नगर पालिका परिषद्, अमरोहा की अध्यक्षता में गठित की गयी और नीलामी तिथि 14-10-99 निर्धारित की गई। नीलामी में दुकान नं० 1 व 2 की बोली अंकन 3,25,000/=,- 2,66,000/= सबसे अधिक प्राप्त हुई थी। इन दुकानों के बोली कर्ताओं द्वारा

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जमानत राशि रु० 15,000 जमा कर दी गयी । पुनः इन दुकानों की नीलामी की तिथि दिनांक 7-12-99, 15-12-99 एवं 20-1-2000 को निर्धारित की गयी लेकिन कोई बोली प्राप्त न होने पर पदासक द्वारा श्री संजीव कुमार का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दुकान नं०-1 सम्पदाल के बराबर होने के कारण रुपए 3,80,000/= प्रीमियम राशि लेकर रुपए 300 माहवारी किराये पर आवंटित कर दी गयी ।

3-दुकान नं०-2 से 10 तक की नीलामी की तिथि पुनः 20-11-2001 निर्धारित की गयी । व्यापक प्रचार-प्रसार करने के बावजूद इन दुकानों की नीलामी हेतु कोई बोली प्राप्त नहीं हुयी । इसके उपरान्त पालिका दुकानों एवं दुकान नं०-16 काफी समय से खाली रहने तथा किराये की आर्थिक क्षति के कारण प्रबंधकारिणी ने दुकान नं० 7 का प्रीमियम रुपए 1.80 लाख एवं शेष दुकानों का प्रीमियम रुपए 2,00 लाख तथा रुपए 300 प्रतिमाह किराये पर आवंटित कर दी गयी । पालिका की शेष दुकान नं०-11 से 15 तक का निर्माण बाद में कराया गया और व्यापक प्रचार-प्रसार के बाद इसकी नीलामी दिनांक 27-6-2002 को की गयी जिसमें इन दुकानों की अधिकतम बोली क्रमशः 1,99,000/=, 2,01,500/=, 1,98,000/=, 1,99,500/= प्राप्त हुयी जिसे 300 रुपए मासिक किराये पर आवंटित किया गया ।

4-अधिशासी अधिकारी द्वारा सिनेमा शो टैक्स की वसूली वर्ष 1993-94 से वर्ष 2002-2003 के 31-8-2002 तक की वसूली का विवरण निम्नानुसार उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया है कि प्रत्येक वर्ष स्थानीय निधि लेखा विभाग के वरिष्ठ सुपरीक्षकों द्वारा ऑडिट किया जाता है तथा वर्ष 2001-2002 तक की आडिट हो चुकी है तथा सभी धन पालिका कोष में जमा हुआ है :-

वर्ष	शो टैक्स की वसूली राशि	
1993-94	35,392.00	
1994-95	24,704.00	
1995-96	27,431.00	
1996-97	28,635.00	
1997-98	40,555.00	
1998-99	28,853.00	
1999-2000	79,3[illegible]	दिनांक 1-4-99 से एवं संशोधित
2000-2001	61,367.00	
2001-2002	72,050.00	
2002-2003		
(31-8-2002 तक)	34,500.00	

5-चौकी चुंगी की जर्पनों के रिकार्ड के संबंध में अधिशासी अधिकारी द्वारा सूचित किया गया है कि चौकी चुंगी स्टेशन में डूडा कार्यालय स्थापित है । चौकी चुंगी माल गोदाम को तोड़कर नगर के प्रमुख गांधी प्रतिमा चौराहे का सौन्दर्यीकरण किया गया है । चौकी चुंगी धनौरा का मालिकाना विवाद सिविल जज (जू०डी०) के न्यायालय में विचाराधीन है और उस पर स्थगन आदेश है । चौकी चुंगी चांदपुर एवं मुरादाबादी गेट किराये पर आवंटित है और चौकी चुंगी काठ रोड एवं अतरौली सड़क पर होने के कारण तोड़ दी गयी है । अधिशासी अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में यह भी उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार एवं पालिका की आय की वृद्धि के लिए किया गया है ।

जनपद गाजीपुर की जमनिया तहसील के ग्राम देहवल में बेसिक शिक्षा प्राइमरी पाठशाला की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(संसदीय कर्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[मा० सदस्य द्वारा दी गयी सूचना में यह तथ्य संज्ञान में लाये गये हैं कि जनपद गाजीपुर की जमनियां तहसील के ग्राम देहवल के मौजा उर्सिया में बेसिक प्राइमरी पाठशाला की जमीन पर अवैध कब्जा करके सैकड़ों छात्रों को सामान्य सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है । स्कूल का भवन न बन पाने के कारण बच्चों का पाठन-पाठन सुचारु रूप से नहीं हो पा रहा है ।

विद्यालय की जमीन के गाटा संख्या–1105/1.5 बिस्वा, 12 धूर, 1106. 5 बिस्वा, 12 धूर, 1188/1. 1 बिस्वा, 9 धूर तथा 1188/2, 1 बिस्वा 8 धूर पर अवैध कब्जेदारी है जो कुल मिलाकर 14 बिस्वा, 1 धूर है ।

हजारों बच्चों के भविष्य से जुड़े इस प्रश्न में यह भी उल्लेखनीय है कि पिछड़े क्षेत्र में इस विद्यालय के अधिकांश छात्र दलित एवं पिछड़े वर्ग के हैं जिसे शिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा प्रदेश स्तर पर सघन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है । दबंग एवं शोरेपुश्त लोगों द्वारा न केवल समाज के पिछड़ी एव दलित स्थिति क लोगों के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है वरन् सरकार की सबको शिक्षा योजना की धज्जी उड़ायी जा रही है ।

अतः सार्वजनिक हित की भूमि पर अवैध कब्जेदारी को हटाये जाने के लिए शासन को आदेशित करने तथा सम्पूर्ण प्रकरण पर सदन में वक्तव्य दिये जाने की मांग की गयी है ।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर की जमानियां तहसील के ग्राम देहवल मौजा उर्सिया में बेसिक प्राइमरी पाठशाला देहवल की भूमि पर किये गये अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक, बेसिक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को शासन के आदेश संख्या–टी०आई०पी०-336/15-5-2002-10(112)/2002, दिनांक 4 सितम्बर 2002 द्वारा निर्देश दे दिये गये हैं । कृत कार्यवाही की सूचना प्रतीक्षित है ।]

देवीपाटन मण्डल के जनपद गोण्डा की बभनान गन्ना समिति द्वारा जनपद गोण्डा में विकास कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम विष्णु आजाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

(संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[देवीपाटन मण्डल के जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र, मनकापुर के विकास खण्ड उर्सिया के लगभग 9 ग्राम पंचायतों के ग्राम सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, बभनान, जनपद गोण्डा में निबन्धित हैं । उक्त ग्रामों के गन्ना किसानों द्वारा गन्ना आपूर्ति गन्ना समिति बभनान के माध्यम से चीनी मिल बभनान को की जाती है । चीनी मिल को आपूर्ति किये गये गन्ने पर कमीशन गन्ना समिति बभनान को ही प्राप्त होता है । विकास कार्यों में गन्ना समिति के सम्बन्ध निकाय एवं चुने गये जनप्रतिनिधियों से

नोट :– [ ] चिह्न घिरा हुआ माना गया ।

प्रबन्ध कमेटी के प्रस्ताव के अनुसार ही कार्यवाही की जाती है । ऐसी स्थिति में सौतेला व्यवहार करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

सहकारी गन्ना विकास समिति का पंजीकरण व गठन उ० प्र० सहकारी समितियां अधिनियम, 1965 के प्राविधानों के अन्तर्गत होता है । नियमानुसार औपचारिकतायें पूर्ण कर एतदर्थ आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है, जिस पर निबन्धक द्वारा संगत तथ्यों, समिति की आर्थिकता आदि विभिन्न पहलुओं पर विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है ।

उक्त न्याय पंचायतों के ग्रामों के गन्ना कृषकों के स्तर से नई गन्ना समिति गठित करने की मांग का प्रस्ताव गन्ना आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारी गन्ना विकास समितियां, उ० प्र० को प्राप्त नहीं हुआ है ।]

जनपद आगरा में मन्दिरों एवं स्कूलों के सामने खुले रूप से बिक रहे मीट से जनता में व्याप्त रोष से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री जगन प्रसाद गर्ग द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

(संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[श्री जगन प्रसाद गर्ग, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना दिनांक 02-09-2002 में मुख्य बिन्दु यह उठाये गये हैं कि आगरा में मुकुल रोड कमलानगर, यमुना ब्रिज स्टेशन रोड, छिली ईट घटिया, मनटोला, तोता का ताल के पास नारायणी देवी मन्दिर, पटेल चन्द्र इण्टर कालेज, रत्नपुरि गर्ल्स इण्टर कालेज, लोहा मण्डी एवं गुप्तेश्वर नाथ महादेव मन्दिर इत्यादि स्थानों पर स्कूलों, धार्मिक स्थलों के सामने खुले रूप से बेचे जा रहे मीट से एवं मीट की दुकानों से क्षेत्र में तनाव व्याप्त है । जिला प्रशासन से कई बार अनुरोध किया गया किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी, जिससे साम्प्रदायिक तनाव के कारण किसी भी समय अप्रिय घटना घट सकती है ।

मा० सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, आगरा द्वारा यह अवगत कराया गया है कि नगर निगम द्वारा इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही अन्तर्ग्रस्त क्षेत्र के स्वच्छता निरीक्षकों के द्वारा मीट विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण किया जाता है । पशु चिकित्साधिकारी एवं नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है । मांस विक्रेताओं द्वारा चिक और जाली का प्रयोग किया जाता है और प्रयोग न करने की दशा में एवं खुले मे मीट बेचने पर चालान इत्यादि की कार्यवाही की जाती है । अप्रैल, 2002 से अगस्त, 2002 तक लगभग 130 चालान मीट विक्रेताओं के विरुद्ध किये गये हैं । मांस विक्रय हेतु लाइसेंस लेने के सम्बन्ध में नगर निगम द्वारा उपविधियां नहीं बनायी गयी हैं । नगर पालिका अधिनियम के तहत 07 फरवरी, 1917 के अन्तर्गत बनी उपविधियों के अनुरूप नियमानुसार लाइसेंस जारी किये जाते हैं । उक्त उपविधियों में स्कूल एवं धार्मिक स्थलों के नजदीक मांस विक्रय प्रतिबन्धित नहीं किया गया है । स्कूलों एवं धार्मिक स्थलों के आसपास जो दुकानें हैं वह विगत कई वर्षों से हैं, जहां पर निरीक्षण के समय कभी भी तनाव व्याप्त होने जैसी स्थिति नहीं पायी गयी है ।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद आजमगढ़ की पुलिस चौकी बोगरिया को थाना बनाए जाने के सम्बन्ध में श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[जनपद आजमगढ़ के तरवां थाना अन्तर्गत बोगरिया में थाना बनाए जाने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रस्तावित थाना बोगरिया का क्षेत्रफल 96 वर्ग कि०मी० एवं जनसंख्या 1,35,000 है । उ०प्र० पुलिस आयोग 1960-61 की सलाह के अनुसार थाने का क्षेत्रफल 181 वर्ग किमी० तथा जनसंख्या 75000 से 90000 होनी चाहिए । उक्त सलाह के आधार पर ही किसी स्थान पर नया थाना स्थापित किया जाता है ।

प्रस्तावित थाने का क्षेत्रफल मानक के अनुसार नहीं है । इसके अतिरिक्त प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत नये पदों के सृजन पर रोक भी लगी है । इस आधार पर प्रस्तावित स्थल बोगरिया में थाना स्थापना का औचित्य नहीं है ।]

जिला सहकारी बैंक गोण्डा व बलरामपुर की शाखाओं को रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा लेन-देन पर रोक लगाए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री घनश्याम शुक्ला द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य

(संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[जिला सहकारिता बैंक लि०, गोण्डा निबन्धन संख्या–32 दिनांक 17-4-1920 निबन्धित है । इस बैंक द्वारा तत्पश्चात बैंकिग कार्य करना प्रारम्भ कर दिया गया था तथा भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 26-5-1966 दिया गया था । जिला सहकारी बैंक लि०, गोण्डा में वित्तीय अनियमिततायें प्रारम्भ हो गयी । फलस्वरूप बैंकिंग रेगुलेशन ऐक्ट, 1949 की धारा –11(1) के प्राविधानों की पूर्ति उक्त बैंक वर्ष 1987 से नहीं कर सका । तबसे लगातार उक्त धारा के प्राविधानों का पालन बैंक नहीं कर पा रहा है । बैंक की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए शासन द्वारा अनेकों उपाय किये गये जिसके अन्तर्गत वर्ष 1996-97 में उक्त बैंक को रु० 3.00 करोड़ ब्याज रहित 07 वर्षीय दीर्घ कालीन ऋण के रूप में प्रदान किया गया था लेकिन बैंक की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ, अपितु आर्थिक स्थिति लगातार गिरती ही चली गयी । दिनांक 31-3-2001 की वित्तीय स्थिति के अनुसार बैंक में संकलित हानि रु० 5162.11 लाख है । बैंक के कुल लगे ऋण में से 80.40 प्रतिशत ऋण अवमानक श्रेणी में चिन्हित किया गया है । दिनांक 31-3-2002 की स्थिति के अनुसार बैंक के कुल निक्षेप रु० 6678.80 लाख था जिसमें से 95.08 प्रतिशत का ह्रास हो चुका है । उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक का जिला सहकारी बैंक लि०, गोण्डा के ऊपर रु० 2882.28 लाख ऋण के रूप में लगा हुआ है । बैंक का नेटवर्क 4921.00 लाख रुपया ऋणात्मक हो चुका है । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस बैंक को इस आशय का नोटिस भी दिया गया था कि अपने वित्तीय स्थिति में सुधार करें लेकिन जब बैंक में कोई सुधार नहीं हो सका तब भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने आदेश संख्या–91/07.24.08/2002-2003 दिनांक 7 अगस्त, 2002 द्वारा सहकारी समिति निबन्धक, उ०प्र० को आदेश दिया कि गोण्डा बैंक का समापन किया जाय ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उपर्युक्त कारण से भारतीय रिजर्व बैंक से उक्त आदेश प्राप्त होने तथा बाध्यकारी होने के नाते बैंक की अत्यन्त दयनीय आर्थिक स्थिति होने के कारण निबन्धक ने आदेश संख्या-सी-34/अधि-परिसमाप्त-बैंक, दिनांक 17-8-2002 द्वारा बैंक को परिसमापित करने के लिए जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उ०प्र०, बलरामपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि उक्त बैंक में कुल खाताधारकों की संख्या-1,58,209 है। यह भी स्पष्ट करना है कि डिपाजिट इन्श्योरेन्स एण्ड क्रेडिट गारन्टी कारपोरेशन ऐक्ट, 1961 के तहत जिन खाताधारकों की जमा धनराशि रु० 1,00 लाख तक है, उन खाताधारकों को उक्त कारपोरेशन द्वारा उनके निक्षेप की धनराशि प्राप्त हो सकेगी। बैंकिंग रेगुलेशन ऐक्ट, 1949 की धारा-22(5) के अन्तर्गत बैंक के समक्ष यह विकल्प खुला है कि उक्त आदेश के विरुद्ध वह 30 दिन के अन्दर भारत सरकार में अपील कर सकता है।

जहाँ तक खाताधारकों को भुगतान करने अथवा वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्रश्न है, बैंक के लेने-देन पर भारतीय रिजर्व बैंक के निर्णय के कारण रोक लगी है।]

जनपद लखनऊ के गोपीनाथ लक्ष्मणदास रस्तोगी इण्टर कालेज के प्रांगण में पी०ए०सी०, बी०एस०एफ०, सी०आर०पी० के जवानों के रहने से शैक्षणिक कार्य में हो रही बाधा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

(संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

[इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि गोपीनाथ लक्ष्मण दास रस्तोगी इण्टर कालेज ऐशबाग, लखनऊ में स्थित है। जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ द्वारा निरीक्षण के समय विद्यालय परिसर में पुलिस बल ठहरे होने की स्थिति प्रकाश में आयी। विद्यालय परिसर में पुलिस बल ठहरे होने के कारण शिक्षण कार्य अवरूद्ध पाया गया। विद्यालय परिसर से पुलिस बल हटाये जाने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया।

गृह विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि गोपीनाथ लक्ष्मण दास रस्तोगी इण्टर कालेज में शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये पूर्व में बी०एस०एफ०, सी०आर०पी०एफ० को ठहराया अवश्य जाता रहा है किन्तु वर्तमान में उक्त विद्यालय के प्रांगण में कोई भी पुलिस बल नहीं ठहराया जा रहा है।]

जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज में बाढ़ पीड़ितों को राहत सहायता वितरण में भेद-भाव व धांधली किये जाने विषयक डा० पी० के० राय आदि द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

(संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

[जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज में बड़ी गण्डक नदी पर बने अमवाखास तटबन्ध के टूट जाने के कारण 46 ग्रामों की 1,16,333 जनसंख्या बाढ़ के कारण प्रभावित हुई तथा 9590 हेक्टेयर कृषि क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है। बाढ़ के कारण 19380 परिवार प्रभावित हुए हैं।

सभी प्रभावित परिवारों को निर्धारित शासनादेशों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जा रही है। सभी बाढ़ पीड़ित परिवारों को नियमानुसार तात्कालिक सहायता के रूप में खाद्य सामग्री उपलब्ध करा दी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गयी है । प्रभावित परिवारों की आर्थिक स्थिति, बाढ़ की अवधि एवं तीव्रता तथा शासनादेशों में की गई व्यवस्था के आधार पर अब तक 4881 परिवारों को रु० 1000/- की दर से नगद सहायता वितरित करायी जा चुकी है तथा राहत वितरण कार्य अभी जारी है । शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य राहत सहायता प्रत्येक परिवार को शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी ।

बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त आवासीय भवनों के वास्तविक आंकलन के लिये सर्वे कराया जा रहा है तथा निर्धारित दर से सभी पात्र परिवारों को गृह अनुदान की सहायता उपलब्ध करा दी जायेगी । राहत वितरण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की धांधली व भेद भाव नहीं बर्ता जा रहा है । जिलाधिकारी, कुशीनगर की सूचना के अनुसार नदी की धारा में विलीन हुए बकसर गांव के लोगों को बसाने के लिये ग्राम बैकुण्ठपुर में भूमि चिन्हित कर ली गयी है । तथा इन्हें शीघ्र बसा दिया जायेगा ।]

टाण्डा थर्मल पावर के पास महरीपुर में घाघरा नदी पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक 29 अगस्त, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या–111 के सम्बन्ध में श्री रामकरन आर्य आदि द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

इसमें आधे घन्टे की चर्चा है । इसे अब कल नहीं आज 6 सितम्बर की अनुपूरक सूची में रख लेंगे ।

प्रदेश में ''चरण सिंह ग्राम विकास योजना'' चलाये जाने विषयक दि० 02 सितम्बर, 2002 के तारांकित प्रश्न सं०–6 के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार आदि द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं पर निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

इस मद को स्थगित करते हैं । 11.00 बजे से उपवेशन प्रारम्भ होने वाला है । अब 11.00 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन रात्रि के 01 बजकर 52 मिनट पर दिनांक 6 सितम्बर, 2002 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 5 सितम्बर, 2002

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

सचिव, विधान सभा

उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं०–10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 29 पर ।)

जनपद के विकास खण्ड व जब से ऊसर सुधार कार्यक्रम संचालित है, का विवरण

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	संचालित अवधि
1	धर्मापुर	1978-79 से 1988-89
2	बक्सा	1978-79 से 1988-89
3	सिकरारा	1978-79 से 1988-89
4	करंजाकलां	1978-79 से 1988-89
5	शाहगंज	1978-79 से 1999-2000
6	सुइथा कला	1978-79 से 1994-95
7	खुटहन	1978-79 से 1992-93
8	केराकस	1978-79 से 2001-02
9	डोभी	1978-79 से 1995-96
10	मुफ्तीगंज	1978-79 से 1995-96
11	जलालपुर	1978-79 से 1993-94
12	रामनगर	1978-79 से 2001-02
13	रामपुर	1978-79 से 1988-89
14	मछलीशहर	1978-79 से 1999-2000
15	सुजानगंज	1978-79 से 1999-2000
16	मड़ियाहूं	1978-79 से क्रमिक
17	मुगराबादशाहपुर	1978-79 से क्रमिक
18	बरसठी	1978-79 से क्रमिक
19	बदलापुर	1978-79 से क्रमिक
20	महराजगंज	1978-79 से क्रमिक

पी०एस०यू०पी०एल० 195 वि०सभा(329)–2001–813प्रतियां (डी०टी०पी०) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा